

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most

| BORROWER S<br>No | DUE DTATE | SIGNATURE |
|------------------|-----------|-----------|
|                  |           |           |

१० पृ०, बी० कॉम० तथा कृषि आदि कक्षा के छात्रों के लिए—कृषि, उद्योग,  
अधिकोपण, वित्त तथा व्यापार सम्बन्धी—पचास सामयिक  
समस्याओं का महत्वपूर्ण विश्लेषण

# हमारी आर्थिक समस्याएँ

## Our Economic Problems

[ Essays on Current Affairs ]

लेखक

गिरिराज प्रसाद गुप्त, एम० कॉम०  
(स्वर्णपदक प्राप्त)

रामप्रसाद एण्ड सन्स  
प्रकाशक : : आगरा

प्रथम संस्करण—अगस्त १९५२

मूल्य ५) मात्र

---

मुद्रक—धर्मचन्द भार्गव, अमृत हलैक्ट्रिक प्रेस, बेलतगंज, आगरा

पूज्य गुरुजनों  
को  
समर्पित

जिनकी शिक्षा और आशीर्वाद में  
मुझे इस योग्य बनाया

## दो शब्द

गत कुछ घण्टों से घटना-चक्र ने कुछ ऐसी करवट बदली है कि आर्थिक समस्याओं ने राजनीति का गला घोटकर अपना आधिपत्य जमा लिया है। आर्थिक समृद्धि के बिना राजनैतिक स्वराज्य भी पीका समझा जाने लगा है। 'आर्थिक समृद्धि ही सच्चा स्वराज्य है'—पंडित जवाहरलाल नेहरू के इन शब्दों में बहुत कुछ सत्य है जिसे अधिकांश देशवासी अभी समझ नहीं पाये हैं। राजनैतिक स्वाधीनता के पश्चात् आज की सबसे प्रमुख समस्या आर्थिक है। आर्थिक-क्षेत्र इतना व्यापक और विस्तृत हो गया है तथा उसकी समस्याएँ इतनी जटिल और पेचीदा हैं कि राजनैतिक समस्याओं से साधारण जनकारी रखने वाले सांप्रजानिक कार्यकर्ता आर्थिक प्रश्नों पर कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं रख पाते। फिर जनसाधारण का तो कहना ही क्या है ! इसका मुख्य कारण यह है कि अभी तक हमारे देश में राजनैतिक चेतन्य की भाँति आर्थिक चेतन्य न उत्पन्न हुआ है और न उसकी चेष्टा ही की गई है। आर्थिक समृद्धि के लिए यह अनिवार्य है कि जनता में एक देशव्यापी भावना और चेतनता का मंचार हो। सरकार के कितने ही प्रयत्न सब तक सफल नहीं हो सकने जब तक कि जनता भी आर्थिक समस्याओं को भली भाँति समझ कर उनके प्रति सचेत न हो और फिर सरकार के साथ सहयोग न दे। आज से २० वर्ष पूर्व, जब रूस में पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ किया गया था, समस्त देश में उत्साह और आनन्द की एक नई लहर और नई उमंग पैदा हो गई थी। सारा देश 'पंचवर्षीय योजना चार वर्ष में पूरी करो' के नारे से गूँज उठा था। नर-नारी, छोटे-बड़े, ब्याबाल वृद्ध—सभी उस योजना को पूर्ण करने में अपना-अपना योग देने लगे थे। अमेरिका में भी प्रेसीडेण्ट रूजवेल्ट ने घोर आर्थिक संकट के दिनों में जब देश से अपील की थी कि "दोड़ों में राशि जमा हो" तब समस्त देश में उत्साह की नई लहर दौड़ गई थी और देश ने आर्थिक संकट हँसते-हँसते पार कर लिया था। इसका एक-मात्र कारण था जनता का अर्थ-समस्याओं के प्रति सचेत होना और सरकार को योग देने में जागरूक रहना। अस्तु ! देश की आर्थिक समृद्धि सरकारी कानूनों या योजनाओं पर ही निर्भर नहीं करती। वह करती है जनता के उत्साहपूर्ण सहयोग पर। परन्तु जनता का यह सहयोग तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि उसे आर्थिक समस्याओं की स्पष्ट जानकारी न हो।

हमारे देश में नित नई आर्थिक समस्याओं को समझने तथा उनके व्यावहारिक उपायों की खोज करने की बहुत आवश्यकता है। अर्थशास्त्र न उपन्यास कहानी की तरह रोचक विषय है और न राजनैतिक स्वराज्य की भाँति आवेशपूर्ण नारों का विषय है। यह तो एक गम्भीर विषय है और इसीलिए इसका महत्व कम नहीं है। प्रत्येक देशवासी को इस गम्भीर विषय में जानकारी रखकर देश की आर्थिक समस्याओं को समझना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य को लेकर प्रस्तुत पुस्तक की रचना की गई है। विद्यार्थियों एवं जन-साधारण को देश की आर्थिक समस्याओं से परिचित कराने के लिए इस पुस्तक में पचास महत्वपूर्ण समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। मेरा विश्वास है कि अब तब जनता को समस्याओं में जानकारी नहीं होगी तब तक वह सरकार के साथ उनको सहजाने में सहयोग कर ही नहीं सकती। इसी उद्देश्य से उन्हें इस पुस्तक के द्वारा हमारी आर्थिक समस्याओं में जानकारी कराने का प्रयत्न किया गया है। पुस्तक में वर्णित सभी समस्याएँ सामयिक हैं, गम्भीर हैं और आवश्यक भी हैं। आशा है विद्यार्थी और जन-साधारण—दोनों वर्ग इसमें लाभ उठावेंगे।

मुझे यह मानने में तनिक भी संकोच नहीं कि पुस्तक का विषय कोई नवीन नहीं है। केवल समस्याओं को चुनकर जन साधारण की सूचनाएँ उनका विश्लेषण कर दिया गया है। अधिकांश नियन्त्रण लेखक व उन लेखकों में से तैयार किए गए हैं जो समय समय पर दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। हाँ, समयानुकूल उनमें आवश्यक संशोधन अवसर कर दिए गए हैं। मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा पाठकों को हमारी आर्थिक समस्याओं के प्रति कुछ जानकारी अवश्य होगी और वे उन्हें हल करने में व्यावहारिक सहयोग देने में समर्थ हो सकेंगे।

पुस्तक-लेखन में मुझे वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष प्रो० रामशंकर दासिंह से पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता रहा है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। पाण्डुलिपि तैयार करने में मुझे श्री रामनिवास जाजू व श्री नागरमल 'नागराज' से पर्याप्त सहयोग मिला है जिसके लिए वे दोनों धन्यवाद के पात्र हैं।

## विषय-क्रम

| संख्या | विषय   | पृष्ठ |
|--------|--|-------|
| १      | भारतीय कृषि की समस्याएँ                                      | १     |
| २      | भूमि का कृषीकरण  | १०    |
| ३      | भारत में जल-सम्पत्ति का विदोहन (नदियों की बहुमुग्गी योजनाएँ) | १६    |
| ४      | भारत में खेत-मजदूरों की समस्या                               | २४    |
| ५      | ग्रामों का पुनर्निर्माण                                      | ३२    |
| ६      | देश की खाद्य-समस्या  | ३७    |
| ७      | 'अरबिण्ड ब्रह्म उपजाओ' जोषणा (समस्या-ग्रहण समाधान)           | ४७    |
| ८      | कृषि का यन्त्रीकरण   | ५१    |
| ९      | कृषि की वित्त-समस्या   | ५३    |
| १०     | भारत की पशु-समस्या   | ६६    |
| ११     | कृषि-आयोजन की आवश्यकता ?                                     | ७४    |
| १२     | पंचवर्षीय-योजना में कृषि का स्थान                            | ७३    |
| १३     | भारत में औद्योगीकरण की समस्या                                | ८५    |
| १४     | औद्योगिक आयोजन की आवश्यकता ?                                 | ९१    |
| १५     | औद्योगिक-निर्माण का रूप                                      | ९७    |
| १६     | उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न                           | १०६   |
| १७     | औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार                         | ११२   |
| १८     | कुटीर-धर्मों की समस्याएँ                                     | १२०   |
| १९     | औद्योगिक धर्मियों की समस्याएँ                                | १२३   |
| २०     | भारत में पर्यटन-उद्योग का विकास                              | १३६   |
| २१     | उद्योगों की वित्त समस्या                                     | १४०   |
| २२     | पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का स्थान                        | १४८   |
| २३     | देश की खनिज-सम्पत्ति का विदोहन                               | १५४   |

|    |  |     |
|----|--|-----|
| २४ | हमारी बैंकिंग-व्यवस्था—बुद्ध दोष       | १६० |
| २५ | भारतीय गाँवों में बैंकों की व्यवस्था   | १६६ |
| २६ | रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण           | १७६ |
| २७ | बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न       | १८१ |
| २८ | स्टैंडिंग-क्षेत्र व्यवस्था             | १८२ |
| २९ | पाण्डे-पावने तथा उनका भुगतान           | १९० |
| ३० | मुद्रा-स्थिति                          | १९८ |
| ३१ | डॉलर की समस्या                         | २०७ |
| ३२ | रपये का अन्वमूल्यन                     | २१४ |
| ३३ | अन्वमूल्यन की प्रतिक्रियाएँ            | २२३ |
| ३४ | रपये के पुनर्मूल्यन का प्रश्न          | २२९ |
| ३५ | अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा शेष और भारत     | २३८ |
| ३६ | विश्व बैंक और भारत                     | २४८ |
| ३७ | हमारी वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था         | २५५ |
| ३८ | अन्तर्राष्ट्रीय प्रागण में हमारा स्थान | २५९ |
| ३९ | हमारा वैदेशिक व्यापार                  | २६४ |
| ४० | राष्ट्रीय आय                           | २७० |
| ४१ | विदेशी पूँजी का प्रश्न                 | २७९ |
| ४२ | पूँजी-निर्माण का प्रश्न                | २८८ |
| ४३ | औद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन               | २९६ |
| ४४ | जन-वृद्धि की समस्या                    | ३०५ |
| ४५ | आर्थिक आयोजन                           | ३११ |
| ४६ | पंचवर्षीय योजना—एक रूपरेखा             | ३२० |
| ४७ | कोलमो योजना                            | ३३४ |
| ४८ | मन्दी की ओर                            | ३४० |
| ४९ | वाणिज्य शिक्षण—मूल समस्या              | ३४७ |
| ५० | अर्थ-वाणिज्य की व्यावहारिक-शिक्षा      | ३५४ |



## १—भारतीय कृषि की समस्याएँ

‘भारत गाँवों में बसता है और कृषि भारत की आत्मा है’ महात्मा गाँधी के इन शब्दों से हमारी कृषि का महत्व स्पष्ट होता है। भारत कृषि प्रधान देश है। उसकी ८० प्रतिशत जनता गाँवों में बसती है और ८० से ८५ प्रतिशत मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। कृषि ही हमारे समस्त आर्थिक जीवन में रुक-संचालित करती है। जिस गति में और जिस माथा में कृषि की उन्नति होगी, भारतीय जनता उतनी ही समृद्धिवाली और सुखी होती चली जाएगी। कृषि उन्नति के प्रश्न को औद्योगीकरण की आवश्यकता की दृष्टि से न देखकर केवल ग्रामोन्नति की दृष्टि से ही देखा जाय तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। वास्तव में यह राष्ट्र के जीवन-मरण का प्रश्न बन जाता है। यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि न तो भोजे से समय में विशाल उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं और न तत्काल ही ग्रामीण उद्योग धंधे पुनर्जीवित किए जा सकते हैं। कृषि ही ऐसा धन्धा है जिसके सुधार में बहुसंख्यक जनता को लाभ पहुँच सकता है। भारतीय जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उसकी वास्तविक आय बढ़ाना आवश्यक है। तभी यह उपभोग्य पदार्थ स्वरीद सरती है और तभी उसकी आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं। कृषक की आय तब पूरी हो सकती है जब कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हो। कृषि के उत्पादन की समस्या हमारे देश के सामने केवल पेट भरने तक ही सीमित नहीं रही है। कृषिजन्य पर्युत्रों का उत्पादन बढ़ने से उद्योगों की समस्या, मजदूरों की समस्या, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विषमता—सभी एक साथ सुलभ सकती हैं। राष्ट्र के आर्थिक जीवन-रण के कृषि और उद्योग दो पक्ष हैं। आर्थिक-जीवन किसी एक के बिना अपूर्ण और रंजित रहता है। अन्तिम सम्बन्धी उद्योगों को हार्डवेयर अन्य छोटे उद्योगों के लिए। कृषि ही चञ्च

माल की पूर्ति करती है। कपड़ा, पटसन, शक्कर, तेल इत्यादि उद्योग अधिकारियों में कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर रहते हैं।

देश की अर्थ व्यवस्था में कृषि का इतना महत्व होते हुए भी, हमारा यह उद्योग निरंतर अवनति की ओर गिरता रहा है। विह्वलीं दा शताब्दियों में कृषि-हाम का इतिहास याम्तव में भारत का आर्थिक इतिहास बन गया है। उद्योग-धन्धों के विकास के अभाव में जनसंख्या-वृद्धि का भार कृषि पर ही बटता चला आ रहा है। ग्रामीण उद्योग धन्धों के हास के कारण उनमें लगे हुए मनुष्यों को विपश होकर उदर पूर्ति के लिए कृषि कार्य अचनाना पड़ा। आज भी कृषि पर हमारा आर्थिक जीवन अत्यन्तम्बित है। वर्तमान् अन्न मकट ने हमारे समस्त आर्थिक बलेवर का विहृत बना रक्खा है। वर्तमान् आर्थिक सफट कृषि के प्रति हमारी उदासीनता का परिणाम है। हमारे देश में कृषि की अनेक समस्याएँ हैं जिनके कारण कृषि का समुचित विकास न हो पाया। प्रश्न होता है कि क्या हमारे देश में भूमि की कमी है? परन्तु यह बात नहीं है। हमारे देश में कुल २४ करोड़ एकड़ भूमि पर कृषि होती है। १७ प्रतिशत भूमि खेती के लिए प्राप्य नहीं है और १६ प्रतिशत पड़ती पड़ी है। इस प्रकार कोई १८ करोड़ एकड़ भूमि पड़ती पड़ी है। इसलिए यह विचार भ्रमात्मक है कि भारत में अभी और खेती का विस्तार सम्भव नहीं है और भारत की चप्पा-चप्पा भूमि जोत ली गई है। गंगा के तटार में तथा अन्य कई राज्यों में सरकार ने ड्रेक्टरों द्वारा खेती आरम्भ करके बता दिया है कि अभी पर्याप्त पड़ती जमीन पड़ी है जो किसानों और हलों की प्रतीक्षा कर रही है। सरकार ने कृषि की इस समस्या को हल करने के लिए नई भूमि को तोड़कर कृषि योग्य बनाने का काम अपने हाथ में ले लिया है। ड्रेक्टरों की सहायता से भूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा है। मध्य प्रान्त, मध्य भारत, भोवाल, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में बंजर भूमि को तोड़ कर कृषि की जा रही है। योजना है कि ३० लाख एकड़ बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाकर १० लाख टन अन्न प्रति वर्ष बढ़ाया जा सकेगा। इस कार्य में सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से १ करोड़ डालर का ऋण लेकर ड्रेक्टर खरीदे हैं। यह काम केन्द्रीय ड्रेक्टर रुप के अधीन कर दिया गया है।

नई भूमि को कृषि योग्य बनाकर अन्न उत्पादन करने के अतिरिक्त कृषि की

वेदा बढ़ाने का प्रश्न भी हमारे सामने है। हमारे देश में कृषि की उपज अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। अधिक और उत्तम खाद, उत्तम और उन्नत बीज तथा मिनाई का अनुचित प्रचण्ड करके कृषि की उपज बढ़ाई जा सकती है। डाक्टर रॉबेर्ट्स का मत है कि धान का उत्पादन ३० प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है यदि बीज में ५ प्रतिशत और खाद में २० प्रतिशत सुधार किया जाय और रोग नष्ट करने में ५ प्रतिशत यत्न किया जाय। उनका विश्वास है कि बिना कठिनारई के ५० प्रतिशत धान का उत्पादन बढ़ सकता है। इसके लिए बीज में २० प्रतिशत और खाद में ४० प्रतिशत सुधार करने का आवश्यकता होगी। आपका यह भी मत है कि इस उपाय में गेहूँ की ३० से ७५ प्रतिशत और अन्य धान्यों की ६० प्रतिशत पैदावार बढ़ सकती है। परन्तु प्रश्न यह है कि बीज और खाद में सुधार कैसे हो? योरोप, अमेरिका, चीन और जापान में उत्कृष्ट खाद का अधिक उपयोग अच्छी उपज का मुख्य कारण है। हमारे देश में प्राकृतिक खाद का बहुत अधिक परिमाण में उपयोग हो सकता है। इसमें संदेह नहीं कि विद्युत् कुद्दियों से कम्पोस्ट खाद बनाया जाने लगा है; परन्तु लगभग ६००० म्युनिसिपैलिटीयों में अभी केवल ६५० म्युनिसिपैलिटीयों ने ही कम्पोस्ट योजना को चालू किया है और वे प्रति वर्ष ५ लाख टन खाद बनाती हैं जो देश की क्षमता के लिए केवल ७ प्रतिशत ही है। भूमि से अन्न लेने के लिए हमें उसे खाद देना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने बिहार में सीधरी नामक स्थान पर खाद बनाने की एक विशाल निर्माणी स्थापित की है जहाँ पर वैज्ञानिक रीति से खाद बनाया जाने लगा है। परन्तु सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि देशी खाद बनाने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाय। यह काम म्युनिसिपैलिटी, टाउन परिषद तथा ग्राम पंचायतों के द्वारा मली भाँति किया जा सकता है।

खाद के अतिरिक्त कृषि उत्पादन में उत्तम बीज की भी एक बड़ी समस्या है। आज जो बीज हमारे कुपड़ों को मिलता है वह न तो उत्तम प्रकार का ही होता है और न पर्याप्त ही होता है। आवश्यकता इस बात की है चली है कि उचित परिमाण में देश के विभिन्न भागों में उन्नत एवं अच्छी धान तथा गेहूँ के बीज भंडार खोले जाएँ। हमारे देश में कोई ५८० लाख एकड़ भूमि में धान तथा २६० लाख एकड़ भूमि में गेहूँ की खेती होती है। इस सबके लिए १६ लाख

एक टन चावल तथा १० लाख टन गेहूँ के बीज की आवश्यकता है। इतना बीज तैयार करना कोई कठिन बात नहीं है। सरकार ने अच्छे बीजों की एक योजना बनाकर यह कार्य भारतीय कृषि अनुसंधानशाला को सौंप दिया है। स्थान-स्थान पर कृषि विभाग द्वारा शोध का कार्य चल रहा है। परन्तु सरकार का यह प्रयत्न है कि अच्छे बीजों के वितरण की वर्तमान योजनाओं के अतिरिक्त एक ऐसी योजना बनाई जाय जिससे कृषक स्वयं अच्छा बीज अपने-आप पैदा कर सकें। इससे कृषि उत्पादन वृद्धि में पर्याप्त सहायता मिल सकेगी। भारतीय कृषि अनुसंधानशाला के श्रमिकों से शात होता है कि धान की अनेक ऐसी प्रकार हैं जिनकी बोने से चावल की पैदावार १० प्रतिशत से १२ प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। देश में इसकी परीक्षा भी की गई है। १९४५-४६ में भारत संघ में चावल की कुल रोती के क्षेत्र १५ प्रतिशत में अच्छा और उत्तम बीज बोया गया था जिससे करीब १२ लाख टन अधिक चावल उत्पन्न हुआ। उत्तम बीज उत्पन्न करने की समस्या को हल करने के लिए एक देशव्यापी योजना की आवश्यकता है।

हमारी कृषि की एक मूल समस्या सिंचाई के उत्तम साधनों का अभाव रहा है। भारतीय कृषि सदैव मानसून की कृपा पर निर्भर रही है। परन्तु अब कृषि को मानसून की कृपा का पात्र नहीं रखना चाहिए। अब तक ऐसा देखने में आया है कि यदि वर्षा अधिक हुई तो खेत बह जाते हैं और यदि सूखा पड़ गई तो भी प्रकाल पड़ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय कृषि के लिए सिंचाई का उत्तम प्रबन्ध नहीं है। सिंचाई के साधन, जैसे, नल-चूष, नहरें, बिजली के कुएँ आदि बनाना आवश्यक है। सरकार अब इस ओर ध्यान देने लगी है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब तथा बिहार में कुएँ बनाने की योजना चल रही है। दीर्घ-कालीन योजना में सरकार ने नदियों की बहुमुखी योजनाएँ तैयार की हैं। कई योजनाओं का तो काम भी आरम्भ हो चुका है। इन बहुमुखी योजनाओं में नदियों के बहाव का नियन्त्रित करके बाँध बनाये जाएँगे जिससे सिंचाई हो सके, भयकर बाट रोकी जा सके, जल-विद्युत बनाई जा सके नदियों की जहाजरानी के योग्य बनाया जा सके और जन विद्युत के द्वारा उद्योगों को

उपलब्ध किया जा सके। सिंचाई-सहकारी-समितियाँ भी बनाई गई हैं जो सिंचाई को विद्युत द्वारा प्रगति देंगी।

भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की भूमि-व्यवस्था रही है। किसान अनेक यातनाएँ और कठिनाइयाँ उठा कर कृषि करता रहा है परन्तु वह अपने खेत का मालिक नहीं रहा। इस प्रकार भूमिपति और कृषक के बीच एक बड़ी गहरी खाई रहो है। यह कार्यक्रमता और सामाजिक न्याय दोनों दृष्टि से न केवल अनुचित ही है वरन् अन्यायपूर्ण भी है। अन्य देशों में भूमिपति कृषक भी हैं। सन् १९३६ में, युद्ध के प्रथम वर्ष में, फ्रांस में ६० प्रतिशत, स्विट्जरलैण्ड में ८० प्रतिशत, जर्मनी में ८८ प्रतिशत और चेकोस्लोवाकिया में ९० प्रतिशत भूमिपति जमीन जोतनेवाले किसान थे। अब स्वतंत्र भारत में कृषि की इस मूल समस्या को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जमींदारी और जागीरदारी मिटाई जा रही है। किसानों को भूमि का अधिकार दिया जा रहा है। राज्य सरकारों ने जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन नियम पास कर लिए हैं। गैर सरकारी तौर पर भी भूमिहीन किसानों को भूपतियों से भूमि लेकर दी जा रही है। आन्ध्र प्रदेश के विनोबा भावे ने "भूदान यज्ञ" आन्दोलन उठाया है जिसके अन्तर्गत वे देश की पैदल यात्रा करके ५ करोड़ एकड़ भूमि भूपतियों से दान लेकर भूमिहीन किसानों को देने का निश्चय कर चुके हैं। इस समस्या के हल होने पर सहकारिता के आधार पर यदि कृषि की जाय तो कृषि की एक बड़ी समस्या दूर हो सकेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने सहकारी कृषि पर अन्य देशों से अर्कड़े प्राप्त किए हैं और बताया है कि भारत में भी सहकारी कृषि करने के प्रचुर अवसर हैं।

किसान को भूमि का स्वामी मानने से भी हमारी समस्या मुलभन्ती नहीं है, क्योंकि किसानों की अपेक्षा ग्रेतिहर मजदूरों की संख्या यदि अधिक नहीं तो उनके बराबर अवश्य है। घरेलू व्यवसायों के नष्ट हो जाने से उनकी बराबर वृद्धि हो रही है। यह ग्रेतिहर मजदूर संगठित नहीं हैं; इसलिए न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाने पर भी इस अवस्था में विशेष लाभ न होगा। इनकी संख्या घटने के बजाय बढ़ ही रही है। मद्रास में सन् १९०१ में ३१ लाख ३५५

रोतिहर मजदूर के पर सन् १९३१ में प्रति हजार ४२६ हो गए। बंगाल में भूमिहीन जनता १८ लाख (१९२१) से बढ़कर २७ लाख (१९३१) हो गई। सन् १९३१ की जनगणना की रिपोर्ट में लिखा है कि सन् १८८२ में भूमिहीन दिन में काम करनेवाले श्रमिकों की संख्या ७० लाख थी, जो १९२१ में बढ़कर २१५ लाख हो गई और सन १९३१ में ३३० लाख तक पहुँच गई। १९५१ की जनगणना में वह और भी बढ़ी हुई मिले तो कोई आश्चर्य न होगा। १९४३ के बंगाल के अनाल के समय कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अनाल-प्राण्डता की जाँच की थी। इस जाँच से पता लगा कि अनाल प्राण्डता ७२ प्रतिशत व्याक्ति रोतिहर मजदूर अथवा छूटे किसान थे। ग्रेतहर मजदूर साल में ६ मास तक खाली रहता है। उसकी श्रवणता दास के समान है। साधारणतः उनका वतन ४ से ८ ६० तक होता है। खर्ती के साथ इन खालहर मजदूरों की समस्या भी जुड़ी हुई है। इसको हल किए बिना भारतीय कृषि का हल नहीं ढूँढा जा सकता।

हमारे देश में खेतों का क्षेत्रफल छोटा है और खेत छोटे और छिटके होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि कभी कभी खेत जोतने में बैलों को ठीक-ठीक पुमाया भी नहीं जा सकता। अमेरिका में खेतों का औसत क्षेत्रफल १४५ एकर है, डेनमार्क में ४० एकर, स्वीडन में २५ एकर, जर्मनी में २२ एकर, इंग्लैंड में २० एकर और भारत में ५ एकर है। मद्रास में औसत जोत ४३ एकर है लेकिन कहीं कहीं इससे भी कम है। खेतों के छोटे और छिटके होने से खेती में रुकावट होती है, और खेती में स्थायी सुधार भी नहीं हो सकते। फसलों की देर रेल भी ठीक नहीं हो सकती और रूखाई का भी उत्तम प्रबन्ध नहीं हो सकता। इस समस्या को दूर करने के लिए खेतों की चक्करी होनी चाहिए। खेतों की चक्करी सहकारी समितियों और कानूनो द्वारा की जा सकती है। पंजाब में सबसे पहिले सहकारी समितियों द्वारा चक्करी का काम आरम्भ किया गया था। जुलाई सन् १९४३ में वहाँ १८०० समितियों थीं और लगभग ४५ लाख एकर भूमि में चक्करी की गई थी। सन् १९३६ में एक कानून पास किया गया जिसके अनुसार दो तहाई जर्मीदारों की इच्छा से चक्करी अनिवार्य

रूप से की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में दसों प्रकार का कानून सन् १९३६ में बना जिसके अनुसार कार्य हो रहा है।

कृषि की एक और बड़ी समस्या मिट्टी के कटाव की है। नदियों के आस-पास बहुत-सी भूमि वर्षा के पानी की तीव्र गति से कूट कर बह जाती है और बड़े गहरे गड्ढे हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में ऐसा बहुत होता रहता है। उत्तर प्रदेश में लगभग ८० लाख एकड़ भूमि इस प्रकार बेकार पड़ी हुई है। इस मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय करने चाहिए। इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं पानी जमा होता रहता है जिससे मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती। उत्तर प्रदेश में लगभग ४५ लाख एकड़ भूमि इस प्रकार बेकार हो गई है। इस बात को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। मिट्टी के कटाव को रोकने के मुख्य दो उपाय हैं। जिस जगह कटाव शुरू हो उससे कुछ ऊपर बांध लगा कर पेड़ लगा दिये जायें। पेड़ उगाने में पानी की गति रूक हो जायगी और मिट्टी का कटाव बन्द हो सकेगा और धीरे धीरे भूमि समतल हो जायगी। पेड़ उगाने का यह काम केवल किसानों पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस सम्बन्ध में सरकार को कार्य करना चाहिए। सरकार ने यह कार्य आरम्भ कर दिया है। प्रतिवर्ष "वन महोत्सव" मनाया जाता है जिसके अन्तर्गत सरकारी और गैर-सरकारी तौर पर वृक्ष लगाने का काम होता है।

केवल भूमि की समस्याओं का हल करने पर ही कृषि में सुधार नहीं हो सकता। किसानों की निपुणता बढ़ाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। इस विषय में दो बातों पर ध्यान देना होगा—किसान की निपुणता और भूमि के साथ उसका सम्बन्ध। भारतीय किसान निर्धन और निरक्षर हैं। वह अणु के भार से दबा हुआ है। उसके विषय में यह कदाचित् प्रसिद्ध है कि वह अणु में ही जन्म लेता है और उसमें ही उसकी मृत्यु होती है। बंगाल प्रान्तीय वैज्ञानिक जॉर्ज कंग्टी की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल के कृषकों पर सन् १९२६ में १०० करोड़ रुपये का प्राण था और वह १९३५ में बढ़कर २७५ करोड़ रुपये हो गया था। युद्ध-काल में इसमें कुछ कमी हुई है। कुछ लोगों का मत है कि बंगाल का किसान अणुनुक ही हो गया है। किन्तु यह विचार और धारणा गलत है कि युद्ध-वाजीन महंगाई से केवल किसान को ही लाभ हुआ है। महंगाई में लाभ अवश्य

हृद्या है पर छोटे किसानों को उस मात्रा में लाभ नहीं हुआ है जितना सोचा जाता है। दूसरी जीवनोपयोगी सारी वस्तुएँ उस मँहगे दामों—नोर बाजार के दामों पर खरीदनी पड़ी हैं। भारतीय किसान आत्म-निर्भर नहीं हैं, इसलिए वह मँहगी का भी पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सकता। कृषि-श्रृंग को समझा लगभग ज्यों की त्यों ही बनी रही। भारतीय किसान की निर्धनता के अनेक कारण हैं; जैसे एक मात्र भूमि पर ही जीवना के लिए निर्भर रहना, भूमि या छोटे छोटे अनुत्पादक टुकड़ों में बँट जाना, भूमि से पैदावार का कम होना, भूमि और अन्य स्रोतों में कम श्राय का होना, इत्यादि इत्यादि। आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को उचित व्याज पर ऋण दिए जाएँ। सहकारी समितियों की संख्या बढ़नी चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसानों को अल्प-काल के लिए लगभग ६ प्रतिशत व्याज पर ऋण मिल जाया करे। दृगनैड में किसानों को ६० वर्ष के लिए Agricultural Mortgage Corporation में ३½ प्रतिशत व्याज दर पर ऋण मिलता है। हमारे देश में भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। १९४६ में गाइगिल कमेटी ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक प्रान्त में एक ऐसी संस्था स्थापित होनी चाहिए जो किसानों को थोड़े व्याज पर ऋण दिया करे।

किसान अपनी वस्तुओं के उचित दाम भी प्राप्त नहीं कर पाते। वे ऐसे समय में अपनी फसल बेचते हैं जबकि कीमतें बहुत गिरी हुई होती हैं। उपभोक्ता जब एक रुपये का माल खरीदता है तो किसान को ८५ आने मिलते हैं। बाकी बीच के दलाल खा लते हैं। किसान अपने श्रम को भण्डियों में नहीं ले जा सकते क्योंकि उन्हें वहाँ के दिन प्रति दिन के भाव मालूम नहीं रहते। यातायात के साधन भी नहीं है। इस सम्बन्ध में उचित सुधार होने चाहिए। माप और तौल निश्चित हो जानी चाहिए। यातायात के साधनों में उन्नति होनी चाहिए। पक्की खत्तियों का प्रबन्ध होना चाहिए। सहकारी समितियों की स्थापना होनी चाहिए जिनके द्वारा किसानों को अपना माल बेचने में सहायता मिले।

कृषि की दशा सुधारने में पशुधन की उन्नति भी आवश्यक है। हमारे देश में पशु बहुत निर्बल हैं और कृषि में काम आने वाले औजार भी प्रायः पुराने हैं। बैलों के निर्बल होने से खेतों की जुताई गहरी नहीं हो पाती।



पशुओं को नस्ल में सुधार होना चाहिए । चारे की उपज बढ़ानी चाहिए । पशु-श्रीपधालय खुलने चाहिए और गैनी के यन्त्र भी नये ढङ्ग के होने चाहिए । हाल ही में सरकार ने गैनी के लिए नये यन्त्रों का उपयोग आरम्भ किया है । सरकार के कृषि विभाग वैज्ञानिक हल किसानों को उधार देने लगे हैं ।

कृषि की स्थिति सुधारने में एक अङ्गूचन यह भी है कि हमारे किसान-निरक्षर और अज्ञान हैं और उनका दृष्टिकोण संकुचित रहता है । निरक्षर होने के कारण वे अपना और कृषि का भला बुरा नहीं सोच पाते । कृषि की उन्नति के लिए कृषकों की मानसिक उन्नति भी आवश्यक है । उनकी शिक्षा का भला-पूरा प्रबन्ध हो, शिक्षालय खोले जाएँ, श्रीपधालय बनाए जाएँ और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार योजनाएँ बनाई जाएँ । कृषकों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है । कृषि समस्याओं को दूर करने में तो परिश्रम और लगन ही सफलता ला सकती है । कृषि उद्योग तो एक ऐसा व्यक्तिगत विकेंद्रित धन्धा है जिसको उन्नत बनाने के लिए भूमि, पशु और कृषक, तीनों में सुधार करने होंगे । अनेक वर्षों से हमारे देश में जो अन्न संकट चल रहा है उसका मूल कारण कृषि सम्बन्धी समस्याओं के प्रति हमारी उदासीनता है । अब हम इन समस्याओं का महत्व समझने लगे हैं और यदि सरकार और जनता ने मिलकर काम किया तो देश की कृषि उन्नत होगी । योजना कमीशन ने भारत की कृषि की समस्याओं को न भुलाकर अपनी पाँच वर्षीय योजना में कृषि उन्नति के कार्यों को पर्याप्त स्थान दिया है । आशा है योजना कार्यान्वित होने के पश्चात् पाँच वर्षों में कृषि की ये समस्याएँ सुलभ सकेंगी ।

## २—भूमि का कृषीकरण

जैसे जैसे कृषि पर जनसख्या का भार बढ़ता जाता है तैसे तैसे इस बात की आवश्यकता होने लगी है कि कृषि के लिए भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाया जाय। भारत जैसे विशाल देश में अब तक जितनी भूमि पर कृषि होती चली आ रही है उतनी भूमि ३५ करोड़ भारतीयों के लिए सहायक रूप से पर्याप्त नहीं है। देश के विभाजन के फलस्वरूप हमारी कृषि भूमि का उपजाऊ भाग पाकिस्तान को चला गया है। इससे भारतीय जनता की आवश्यकताओं का पूर्ति के लिए भूमि का कृषीकरण और भी महत्त्वपूर्ण हो गया है। भारत में लगभग ६ करोड़ ५० लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिस पर कृषि की जा सकती है परन्तु जो कृषि के काम नहीं आ रही। इस भूमि पर या तो पहलू कृषि की गई होगी या बिल्कुल नहीं। कहने का अर्थ यह है कि इस विशाल क्षेत्र को यदि समतल बनाकर कृषि के काम में लाया जाय तो अधिक अन्न उपजाया जा सकता है। खाद्यान्न नीति समिति ने सिफारिश की थी कि देश में कृषि योग्य बजर भूमि का कृषीकरण करने से ३० लाख टन अधिक अन्न उपजाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार कृषि योग्य बजर भूमि अधिक क्षेत्र में फैली हुई है जहाँ पर कौंस, हारयाला या अन्य अनावश्यक प्राकृतिक घास उगती रहती हैं। भारत भर में ऐसी भूमि, जिस पर कौंस उगती है और जो इसलिए कृषि के काम में नहीं आती, १ करोड़ एकड़ है। यह भूमि विशेषतः मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में है। सरकार का अनुमान है कि यदि इसी भूमि का कृषीकरण किया जाय तो अन्न संकट का टालने में काफी सहायता मिल सकती है। केन्द्रीय सरकार के आँकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग ६ लाख एकड़ ऐसी भूमि है जिस पर यन्त्रों द्वारा कृषि का श्री गणेश किया जा सकता है। आज से लगभग २२ साल पहले भारतीय कृषि के शाही कमिशन ने भी सिफारिश की थी कि 'विशेषकर मध्य प्रान्त में यन्त्र एवं शक्ति की सहायता से कृषि करने की विशेष आवश्यकता प्रतीत होती

है। इस प्रान्त में विशाल भूमि क्षेत्र कसि आदि घास के उग जाने से बजर पड़े हैं, परन्तु यह सब बजर भूमि यन्त्रों की सहायता से कृषकों को कृषि कार्य के लिए मिल सकेगी, ऐसी आशा है।”

शाही कमीशन की इस सिफारिश का महत्व अब पूर्ण रूपेण समझा जाने लगा है। मध्य प्रदेश ही नहीं भिन्न-भिन्न राज्यों में इस प्रकार की भूमि का कृषि-करण करने की योजनाएँ बन चुकी हैं, कार्य किया जा रहा है और कुछ भूमि का कृषीकरण किया भी गया है। भूमि को समतल तथा साफ करके कृषि योग्य बनाने के लिए ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जा रहा है, परन्तु यह समझने की बात है कि इस विषय में भिन्न-भिन्न राज्यों की भिन्न भिन्न समस्याएँ हैं। मध्य प्रदेश के सागर और होशंगाबाद जिलों में बजर भूमि को तोड़ कर कृषि योग्य बनाने की समस्या गंगा खादर की कृषीकरण समस्या से भिन्न है। गंगा खादर में न जंगल घे, न झाड़ियाँ थीं और न कसि जैसी अन्य कोई जगती घास ही थी। यहाँ गंगा नदी द्वारा लाई हुई उपजाऊ मिट्टी थी। समस्या केवल यह थी कि मलोरिया आदि रोगों को नियन्त्रित करके भूमि पर कृषि की जाय। मिनाई की भी यहाँ कोई समस्या नहीं थी, परन्तु मध्य प्रदेश में कृषीकरण की समस्या इसमें बिलकुल भिन्न है। यहाँ की बजर भूमि सख्त है और उस पर विभिन्न प्रकार की जंगली घास उगती आई है। कहीं-कहीं भूमि ऊँची-नीची भी है। अतः यहाँ भूमि को तोड़ने का प्रश्न सबसे मुरतब रहा है; परन्तु सरकार ने १९४७-८८ में ही बजर भूमि को तोड़ कर कृषि योग्य बनाने का काम आरम्भ कर दिया था और यह काम आज भी चल रहा है।

सबसे पहला प्रयत्न उत्तर प्रदेश में किया गया जहाँ २०० ट्रैक्टरों की सहायता से लगभग ४५ हजार एकड़ भूमि का कृषीकरण किया गया है। सम्पूर्ण कृषि योग्य बजर भूमि के लगभग दसवें भाग को अर्थात् ६५ लाख एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाकर उस पर निकट भविष्य में ही कृषि कराने की अल्प-कालीन योजना भारत सरकार के सामने है। लगभग ४० लाख एकड़ भूमि मध्य प्रदेश, बम्बई, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश तथा भोपाल में कृषि योग्य बनाई जाएगी। इसके अनतिरिक्त २२ लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिस पर कोई दानिकारक घास तो नहीं उगती परन्तु फिर भी कृषि के काम नहीं आती। इस

भूमि का भी कृषीकरण करने की योजना सरकार ने अपने हाथ में ले रखी है। इस प्रकार भारत सरकार की कृषीकरण योजना के अन्तर्गत ६२ लाख एकड़ भूमि का कृषीकरण निम्न भविष्य में ही किया जा रहा है। इस भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्य केन्द्रीय ट्रेक्टर सभ के सुपुर्द कर दिया है। इस विभाग ने सम्पूर्ण देश में बजर भूमि की जाँच-पड़ताल का है और पता लगाया है कि सभी राज्या और राज्य सभा में भूमि का इस प्रकार कृषीकरण हो सकता है।

| राज्य या राज्य सभ | लाग एकड़ |
|-------------------|----------|
| मध्य भारत         | १४       |
| उत्तर प्रदेश      | १०       |
| मध्य प्रदेश       | ६        |
| बम्बई             | ५        |
| उड़ीसा            | ५        |
| पूर्वी पंजाब      | ५        |
| विन्ध्य प्रदेश    | ५        |
| अन्य              | ४        |

मध्य प्रदेश में यह कार्य बहुत शीघ्रता से हो रहा है। बम्बई में भी सरकारने पहले केवल चार ट्रेक्टरों की सहायता से कृषि के यन्त्रीकरण का विभाग खोला था, आज इस राज्य के पास १०० से भी अधिक ट्रेक्टर हैं जो १५ जिलों में काम कर रहे हैं और इन्होंने १ लाख एकड़ बजर भूमि की जुलाई की है। ट्रेक्टरों के चलाने के लिए कुशल व्यक्तियों के न मिलने के कारण कृषीकरण का कार्य उतना अधिक नहीं बढ़ सका है जितनी कि आशय्यता थी। सरकार को चाहिए कि यातायात के साधनों में सुधार करे तथा कुशल व्यक्तियों को इन ट्रेक्टरों के चलाने की शिक्षा का भी प्रबन्ध करे।

गत महायुद्ध से पूर्व भारत के कृषि उद्योग में ट्रेक्टरों का इतना अधिक प्रयोग नहीं था जितना अब होने लगा है। अनुमान है कि युद्ध से पूर्व भारतीय कृषि में केवल २४८ ट्रेक्टर थे जब कि इंग्लैंड जैसे छोटे देश में १५,००० ट्रेक्टरों से काम होता था। रूस में, जहाँ कृषि के यन्त्रीकरण का आदर्श उत्पान

दुआ तथा जिसके कारण उत्पादन में भारी क्रांति हुई, १६२८ में कोई ६ हजार सात सौ ट्रेक्टर यंत्रों में काम करने थे, परन्तु यही संख्या १६३७ में बढ़कर ८४,५०० हो गई। इससे पता चलता है कि पाश्चात्य देशों में कृषी के यन्त्रीकरण पर कितना जोर दिया गया है और यहाँ ट्रेक्टरों में वैसी काया पलट कर दी है। ट्रेक्टरों के प्रयोग में समय और शक्ति की बचत होती है और जिस एक हजार एकड़ भूमि पर जितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है उसी भूमि पर ट्रेक्टरों का प्रयोग करने से ५० या उससे भी कम व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।

भूमि के कृषीकरण की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत का निर्धन किसान बंजर भूमि को तोड़ने का व्यय कहाँ से उठावे, उसे ट्रेक्टर कहाँ से मिले ? इससे लिए दो मार्ग हो सकते हैं।

१. सरकार स्वयं सरकारी केन्द्र स्थापित करके अपने खर्चों पर बंजर भूमि को तोड़कर खेती करे, परन्तु सरकार अभी इस कार्य को अपने हाथ में नहीं ले सकती। इस काम में सरकार कुशल श्रमकों की भाँति कार्य नहीं कर सकेगी। तब तो यही टीक होगा कि सरकार अपने व्यय पर बंजर भूमि को तोड़ कर कृषकों को दे दे जिस पर वे कृषि करने रहें। सरकार ऐसा ही कर भी रही है। मध्य भारत, दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में सरकार ने स्वयं बंजर भूमि को तोड़कर उस पर शरणार्थियों को बसा दिया है। इसमें शरणार्थियों की समस्या भी हल होती जा रही है और भूमि का कृषीकरण भी होने लगा है।

२. दूसरा उपाय यह है कि कृषकों की सहकारी समितियाँ हों जो बंजर भूमि को तोड़कर कृषि के कार्य को प्रोत्साहन दें। किसी एक व्यक्ति विशेष को नई भूमि तोड़कर कृषि करने का भार सहन करना सम्भव नहीं होगा। अतः कृषकों की सहकारी समितियाँ बनने जो सम्मिलित रूप से सरकारी कृषि विभागों की देख-रेख में काम करें और कृषि विभाग उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें। सरकारी समितियाँ बनाना इसलिए भी आवश्यक है कि जिससे छोटे और छिटेके खेत सम्मिलित रूप से मिलकर इतने बड़े बन सकें कि उन पर यन्त्रों का प्रयोग अच्छी तरह से किया जा सके। प्रत्येक समिति को कुछ ट्रेक्टर और कुछ यन्त्र अपने निजी व्यय से खरी लेने चाहिए और उनको चलाने के लिए

कुछ कुशल व्यापक भी रग लें। समिति अपने ट्रैक्टरों को सदस्यों के लिए किराए पर भी देती रहें।

इसके अतिरिक्त ट्रैक्टरों का प्रयोग सम्बिदा प्रणाली पर भी बढ़ाया जा सकता है। कोई धनी कुशल कृषक कुछ ट्रैक्टर ले ले और सबिदा का शर्तों के अनुसार कुछ धन राश के बदले अन्य कृषकों को किराए पर दे दिया करे। इस प्रकार शनैः शनैः जब ट्रैक्टरों का महत्व बढ़ता प्रतीत होगा और उनसे कुछ लाभ होता दिखाई देगा तो कृषक वर्ग स्वयं उनका प्रयोग प्रारम्भ करने लगेगा। सरकार इन टेक्केदारों को ट्रैक्टर खरीदने में सहायता कर सकती है तथा तैल शक्ति का भी प्रबन्ध सरकार को करना होगा। सरकारी कृषि विभाग भी कृषकों को ट्रैक्टर किराए पर देकर कृषकों की सहायता कर सकता है। सरकारी कृषि विभाग अब ऐसा करने लगे हैं।

कृषि यन्त्रों का प्रयोग सफल बनाने के लिए सरकार को कुछ और विशेष कार्य भी करने होंगे। जिन स्थानों पर बजर भूमि के तोड़ने का काम चल रहा हो वहाँ ट्रैक्टर केन्द्र स्थापित कर देने चाहिए जहाँ से कृषक तथा समितियाँ ट्रैक्टर प्राप्त कर सकें और अपने ट्रैक्टरों की टूट-पूट की मरम्मत भी करा सकें। इन सरकारी केन्द्रों में कुशल कारीगर भी होने चाहिए जो समय पर कृषकों को यन्त्रों का प्रयोग समझा सकें और उनकी सहायता कर सकें। सरकार को यह भी चाहिए कि देश में ही ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा अन्य कृषि यन्त्र बनाने का प्रबन्ध करे। सरकार विदेशों से यह यन्त्र मँगाकर अधिक मलानहीं कर सकती। यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण लेकर अमेरिका से ट्रैक्टर मँगाये हैं परन्तु आवश्यकता यह है कि देश में ही इनके बनाने का प्रबन्ध हो। चम्बई राज्य में ट्रैक्टर बनाने का एक कारखाना खोला गया है परन्तु अभी ऐसे कारखानों की और आवश्यकता है।

भूमि के कृषीकरण में यन्त्रों का प्रयोग बढ़ाने के लिए भारतीय कृषकों के मनोविशान में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भारतीय कृषक पुराने विचारों का व्यक्ति है जिसे पुराने रीति रिवाजों का तथा कृषि कार्य-शैली में परिवर्तन

करना सहज ही में भला प्रतीत नहीं होता । इसके लिए शिवा की आवश्यकता है । स्कूलों और कॉलेजों में कृषि के यन्त्रीकरण पर विशेष जोर देना चाहिए और यदि एक बार भारतीय कृषक भूमि का कृषीकरण करने और कृषि का यन्त्रीकरण करने को तैयार हो जाएँ तो उसे सब आवश्यक सुविधाएँ मिलनी चाहिए । भूमि के कृषिकरण में निम्न बातों की आवश्यकता है:— एक, पर्याप्त संख्या में उचित ट्रेक्टरों की प्राप्ति; दूसरा, उनीट चलाने के लिए कुशल मिरिप्रियों तथा तेल-शक्ति का प्रबन्ध; तीसरा, बंजर भूमि को तोड़कर समतल करना; चौथा, समतल बनानेके पश्चात् सफ़ारी मिट्टान्तों के अनुसार कृषि करना । यदि इस प्रकार देश की बंजर और निटली भूमि को तोड़कर कृषि की जागी रही तो फिर देश को अन्न के लिए विदेशियों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा ।



## ३—भारत में जल-सम्पत्ति का विदोहन ( नदियों की बहुमुखी योजनाएँ )

भारत के समस्त प्राकृतिक साधना में नदियों का एक विशेष स्थान है जिनके द्वारा राष्ट्र के आर्थिक क्लेसर को सुदृढ और संतुलित बनाने के लिए 'जल प्रदाय' ( Water Supply ) तथा 'जल-शक्ति' ( Hydro-electricity ) दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकते हैं। जल प्रदाय से कृषि की उन्नति करके अन्न उत्पादन बढ़ाया जा सकता है तथा जल विद्युत् से औद्योगिक कारखानों का विकास करके औद्योगिक मगटन बलिष्ठ बनाया जा सकता है। हमारे देश में इन दोनों ही वस्तुओं का सर्वथा अभाव रहा है। परन्तु इसका कारण यह नहीं है कि हमारे देश में नदियों का अभाव अथवा नदियों में पर्याप्त जल का अभाव हो। देश में नदियों की संख्या किसी भी अन्य देश से कम नहीं और अनेक नदियाँ तो ऐसी हैं जिनमें वर्ष भर जल की पर्याप्त मात्रा रहती है। देश में नदियों का एक जाल सा बिछा हुआ है। यहाँ तक कि प्रत्येक राज्य में एक न एक नदी बहती ही है। अब तक इन नदियों का कोई ६ प्रतिशत जल सिंचाई के लिए उपयोग होता था और शेष ९४ प्रतिशत जल बहकर समुद्र में चला जाता था। इस प्रकार देश की अधिकांश जल सम्पत्ति मानवीय आवश्यकताओं के काम में आकर व्यर्थ ही नष्ट होती थी।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि देश की विदेशी सरकार ने इस जन सम्पत्ति का विदोहन करने के विषय में कभी सोचा भी नहीं। उन्होंने हमारी नदियों का मूल्य ही नहीं समझा। अंगरेजों ने आने से पूर्व नदियों का उपयोग व्यापारिक जल-मार्गों के रूप में होता रहा था जिनके द्वारा नावों से माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता था। अंगरेजी राज्य काल में नदियाँ में से नहरें निकाल निकाल कर सिंचाई का कुछ काम होता रहा, परन्तु इनका पूरा-पूरा उपयोग करने के विषय में हतन्त्रता प्राप्ति से पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। सरकार की इस उदासीनता का एकमात्र परिणाम यह हुआ कि



देश की जल सम्पत्ति का पूरा-पूरा उपयोग न हो सका और प्रति वर्ष देशवासियों का प्रकृति-कोप का शिकार बनना पड़ा। नदियाँ में भारी-भारी बाढ़ आती रहीं जिनसे सम्पत्ति और जीव दोनों की असीम हानि होती रही, प्रकृति की निधि—नदियों का जल—नष्ट होता रहा और देश में पर्याप्त प्राकृतिक सम्पत्ति के होने हुए भी राष्ट्र समृद्धिशाली न हो सका। सन् १९०१-२ में इस सम्पत्ति का विदोहन करने के लिए “भारतीय सिंचाई कमिशन” को नियुक्ति हुई जिसकी सिफारिशों के अनुसार देश में नहरें बनाने की नई-नई योजनाएँ बनाई गईं और नहरें बनाने का कार्य अधिक तेजी के साथ आरम्भ कर दिया गया। परन्तु अब नदोन्नति की योजनाओं का रूप बदल रहा है। सिंचाई ही नहीं, जल सम्पत्ति के विदोहन के लिए बहुमुखी योजनाएँ बनाई जा रही हैं। अब तक नदोन्नति की योजनाएँ केवल सिंचाई तक ही सीमित थीं। कहीं-कहीं पर नदियों के प्रपातों से जल विद्युत भी तैयार की जाती थी; परन्तु साधारणतः जल विद्युत तैयार करने के लिए कोई विशेष योजनाएँ नहीं बनाई गईं। यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि हमारे देश में विद्युत का उपयोग मंसार के अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। देश की आर्थिक समृद्धि तथा देश निवासियों के रहन-सहन के स्तर का ज्ञान प्रायः इस बात से हुआ करता है कि उस देश में यहाँ के निवासी अपने उत्पादन तथा उपभोग सम्बन्धी कार्यों में बिजली का कितना प्रयोग करते हैं। इस मापदण्ड से हमारा देश पाश्चात्य देशों की अपेक्षा बहुत पिछड़ा हुआ है। अन्य देशों की समानता में प्रति वर्ष विद्युत का प्रति व्यक्ति उपभोग इस प्रकार है :—

| देश           | बिजली का उपभोग |
|---------------|----------------|
| कैनेडा        | ३५८० किलोवाट   |
| नार्वे        | ३५७९ ”         |
| अमेरिका       | १७७५ ”         |
| स्वीडन        | १७४३ ”         |
| स्विट्जरलैण्ड | १७१७ ”         |
| इंग्लैण्ड     | ८५५ ”          |
| भारत          | १२ ”           |

इससे स्पष्ट है कि हमारे देश में विद्युत का उपभोग कितना कम है। हमारे देश में वर्तमान विद्युत शक्ति लगभग २० लाख किलोवाट का बराबर आकी गई है जिसमें से अभी तक कोई ५ लाख किलोवाट बिजली ही उपभोग की जाती है।

राष्ट्रीय सरकार ने देश की नदियों का विदोहन करने के लिए बहुमुखी योजनाएँ बनाकर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। बहुमुखी योजनाएँ बनाने की ही है कि नदियों का इस प्रकार विदोहन हो जिससे उनसे एक नहीं अनेक लाभ मिलते रहें—भयंकर बाढ़ रोक दी जा सके जो प्रति वर्ष देश की सम्पत्ति को नष्ट कर देती है, सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाई जा सकें जिससे अन्न तथा अन्य वृषिकल्प वृक्षा माल उत्पन्न किया जा सके, जल विद्युत बनाई जाय जिससे उद्योगों को उत्पन्न किया जा सके तथा प्रायःगमन के लिए नदियों को जहाजरानों के योग्य बनाया जाय। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदियों के प्रबल वेग को नियन्त्रित किया जा रहा है। राष्ट्रीय योजना समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर विशेष जोर दिया है कि नदीनाति के प्रोचाम में केवल सिंचाई तथा जल विद्युत का उत्पादन ही नहीं होना चाहिए बल्कि जल सम्पत्ति का पूर्ण रूप से विदोहन होना चाहिए। योजना बहुमुखी होनी चाहिए। सिंचाई का प्रबन्ध भी किया जाय, नदियों को आरागमन के योग्य भी बनाया जाय, प्रति वर्ष प्रायेण घाली भयंकर बाढ़ों को रोक कर उनका सदुपयोग किया जाय, नदियाँ प्रपातों से जल विद्युत भी तैयार की जाय तथा नदियों को सर्वोद्भूत रूप से राष्ट्र के हित के योग्य बनाया जाय। योजना वर्गीकरण का भी मत है कि नदियों का ऐसा विदोहन एक राजनैतिक बुद्धिमानी ही नहीं बल्कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी अच्छी बात है।

अमेरिका ने नदियों की बहुमुखी योजनाएँ सफल बनाने के लिए ऐसा कार्य किया है जिससे आज सारा रुसार् उसकी विद्वत्ता पर आश्चर्य करने लगा है। अबतक अमेरिका की सरकार ने नदी योजनाओं को पूरा करने में कोई ४०१८ मिलियन डालर खर्च किए हैं और अनेक ऐसी योजनाओं पर अभी काम हो रहा है जिनपर ४५६३ मिलियन डालर और खर्च होंगे। अमेरिकी सरकार की

योजना है कि निम्न मध्य में ऐसी अनेक योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जायगा और इन पर १८,६८१ मिलियन डालर खर्च होंगे। अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध बहुमुखी योजना 'टेनेसी घाटी योजना' है जिसके अन्तर्गत टेनेसी नदी का जो पानी पहले इकट्ठा होकर खेती, घर-द्वार, स्कूलों और पुलों को नष्ट करना तथा सर्पनाश का नंगा नाच दिया करता था, उसी की आज २० वर्ष बनाकर खर लिया गया है और २० लाखों में भर दिया गया है। इस योजना में कुल ८० करोड़ डालर की पूँजी लगाई गई है और यह योजना १८ वर्षों में तैयार हुई है। इस योजना के अन्तर्गत आज २५ लाख इन्चो-पाट बिजली तैयार होना है जिसमें अब तक कोई २ करोड़ ४० लाख डालर की आय हो चुकी है। मगर तो यह है कि टेनेसी घाटी योजना ने लाखों व्यक्तियों के जीवन में विचित्र नानि-मी पैदा कर दी है और देश को मग्न बना दिया है।

भारत सरकार ने भी अब देश की जल सम्पत्ति का विदोहन करने का हठ निश्चय कर लिया है। देश के भिन्न-भिन्न भागों में कई १३५ योजनाओं पर काम हो रहा है। इनके अतिरिक्त १२२ योजनाएँ ऐसी हैं जिन पर या तो जल-पड़ना ही नहीं है और या तो पूँजी के अभाव के कारण अ पूरी नहीं है। अनुमान है कि इन २५७ योजनाओं पर सरकार कोई १६०० करोड़ रुपये व्यय करेगी। उपर्युक्त १३५ योजनाओं में ११ बहुमुखी योजनाएँ हैं, ६० योजनाएँ ऐसी हैं जिनके अन्तर्गत केवल सिंचाई का कार्य पूरा होगा और ६४ योजनाएँ जल विद्युत निर्माण करने की योजनाएँ हैं। १३५ योजनाओं में १२ योजनाएँ पम्पा हैं जिनमें में प्रत्येक पर १० करोड़ रुपये में अधिक राशि व्यय होने की आशा है। १६४६-५० में नदियों की योजनाओं पर सरकार ने कोई ३६,४६,००,००० रुपये व्यय किये थे। अब १६५०-५१ में कोई ७८,५६,००,००० रुपये व्यय होने का अनुमान है। १६५०-५१ में किण्व जाने वाले कुल खर्च का ३७ प्रतिशत केन्द्रीय सरकार व्यय करेगी और शेष राशि १६ राज्य सरकारों देंगी। अनुमान है कि इसी वर्ष से इन योजनाओं में मिलने वाला लाभ मिलना आरम्भ हो जायगा। परन्तु पूरा-पूरा लाभ तब तक नहीं मिल सकेगा जब तक कि ये योजनाएँ पूरी न हो जायँ। उपरिलिखित १३५ योजनाओं में प्रति वर्ष देश की जो लाभ

होगा वह इस प्रकार है :—

| वर्ष     | सींचित भूमि में<br>बढ़ोत्तरी<br>(दस लाख एकड़) | खाराब मे<br>बढ़ोत्तरी<br>(दस लाख टन) | जल विद्युत में<br>बढ़ोत्तरी<br>(किलोवाट) |
|----------|---|--------------------------------------|--|
| १९५१—५२  | ०.६   | ०.२                                  | —  |
| १९५२—५३  | १.१   | ०.४                                  | ३५१०००                                   |
| १९५३—५४  | २.०   | ०.७                                  | ५५४०००                                   |
| १९५४—५५  | ४.३   | १.४                                  | ५९६०००                                   |
| १९५५—५६  | ५.५   | १.८                                  | ६३६०००                                   |
| १९५६—५७  | ६.७   | २.२                                  | ७०८०००                                   |
| १९५७—५८  | ७.५   | २.५                                  | ७९१०००                                   |
| १९५८—५९  | ८.५   | २.८                                  | ८१७०००                                   |
| १९५९—६०  | ९.२   | ३.१                                  | ९१००००                                   |
| अन्त में | १२.९  | ४.३                                  | १९९६०००                                  |

इस प्रकार इन योजनाओं के द्वारा १९५१-५२ में २ लाख टन अधिक खज पैदा होगा और १९५४-५५ तक १४ लाख टन तथा १९५९-६० तक ३० लाख टन खज अधिक पैदा हो सकेगा। अनुमान है कि इन योजनाओं के द्वारा देश में ४३ लाख टन अधिक खज पैदा किया जा सकेगा। इसी प्रकार अनुमान है कि कुल २५७ योजनाओं के पूर्ण होने पर देश में ४२ मिलियन एकड़ अधिक भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। इस प्रकार देश का वर्तमान खज सकट ही नहीं दूर होगा वरन् देशवासियों के जीवनस्तर में भी उन्नति होगी। इन योजनाओं पर जो राशि व्यय होगी वह हमारी राष्ट्रीय पूँजी का एक ऐसा विनियोग (Investment) होगा जिससे आगे आने वाली संतान का दार्ढ्य काल तक लाभ मिलता रहेगा। अगस्त १९४७ से १९५२ के अन्त तक खज आयात करने से ५४३ करोड़ रुपये का व्यय अनुमान किया गया है। यह हमारी विदेशी मुद्रा की कमाई का एक बहुत बड़ा भाग है जो हमारी आर्थिक विकास को किसी अन्य योजना पर व्यय करने से अधिक लाभदायक हो सकता था। परन्तु खज

आयात करने में ही यह राशि समाप्त हो गई। अब अनुमान है कि नदी घाटी विकास की १३५ योजनाओं पर लगभग ५६० करोड़ रुपये व्यय होंगे। यह व्यय एक प्रकार का दीर्घकालीन विनियोग होगा जिसका फल भविष्य में देश को मिलता रहेगा। यदि अब तक अब आयात पर व्यय की गई राशि इन योजनाओं में लगाई जाती तो देश का बहुत कुछ हित हो सकता था।

नदीप्रति की भिन्न-भिन्न योजनाएँ अब केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकारों तथा राज्य संघ सरकारों के नियन्त्रण में चल रही हैं। कुछ बहुमुखी विशाल योजनाएँ, जिन पर हमारे देश की आशाएँ केन्द्रित हैं, इस प्रकार हैं :—

**दामोदर घाटी योजना**—दामोदर घाटी योजना अमेरिका की टेनेसी घाटी योजना के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। योजना का प्रधान उद्देश्य पश्चिमी बंगाल में दामोदर नदी की भयंकर बाढ़ों में दामोदर घाटी प्रदेश को रक्षा करना है। बाढ़ नियन्त्रण के अनिश्चित इससे भूमि सिंचन का काम भी लिया जावेगा। इस योजना पर ५५ करोड़ रुपये खर्च होंगे या अनुमान है। इसमें से २८ करोड़ बिजली के उत्पादन के लिये, १३ करोड़ सिंचाई के लिए और १४ करोड़ बाढ़ नियन्त्रण पर खर्च होंगे। इस योजना से बर्दवान, पुरी व षावड़ा जिलों में कोई ७ लाख ६० हजार एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी। इसमें दो लाख किलोवाट तक बिजली पैदा की जा सकेगी। योजना १० वर्षों में समाप्त होने का अनुमान है। योजना के अन्तर्गत दामोदर नदी पर आठ बांध बनाये जाएंगे जिन पर जल विद्युत बनेगी। इसके दो महायुक्त केन्द्र ऐसे होंगे जिनमें २ लाख ४० हजार किलोवाट बिजली बनाने की शक्ति होगी। इसके अनिश्चित एक भर्मा ल शक्ति केन्द्र भी होगा। इस केन्द्र को पूरा करने के लिए सरकार ने विश्व बैंक से १८५ मिलियन डालर का एक ऋण लिया है। आशा है यह केन्द्र १९५२ के अन्त तक कार्य करने लगेगा। इस योजना को पूरा करने के लिये १९४८ में एक कानून बनाकर दामोदर घाटी प्राधिकरण बना दिया गया है जिसके प्रबंध में यह काम हो रहा है। योजना पुरा होने पर दामोदर नदी में आने वाली बाढ़ को रोक जायगा और सिंचाई के लिए नहरें निकाली जा सकेंगी; जल विद्युत भी बनेगी और आने-जाने की सुविधाएँ भी मिल सकेंगी।

महानदी घाटी योजना—उड़ीसा में महानदी पर तीन बाँध बनाये जाएंगे। इनके तैयार होने पर लगभग ११ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाइ हागी और ३ लाख ५० हजार किलोवाट विजली बनने लगी। तब इस नदी में नये भी चलाई जा सकेगी। इस योजना में इतनी अमित आशाएँ हैं कि लोग उड़ीसा को अभी से भारत का “यूक्रेन” कहने लगे हैं। अनुमान है कि इस योजना पर लगभग ४६ करोड़ रुपये व्यय होंगे। योजना समाप्त होने पर ३ लाख ४० हजार टन अन्न तथा ३४ हजार टन अन्य व्यापारिक व-चा माल पैदा किया जा सकेगा।

भारता नागल योजना—पूर्वा पजाब की दो सम्मिलित योजनाएँ नागल बाँध योजना तथा भारता योजनाएँ हैं। नागल विद्युत योजना के अनुसार नागल स्थान पर सतलज नदी के शरार पर एक बाँध बनाया जायगा और एक नहर निकालने की योजना भी है। इस नहर के किनारे चार विजलीघर बनाये जायेंगे। अनुमान है कि इन योजनाओं से लगभग ३६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाइ होगी जिसमें ११ लाख ३० हजार टन अन्न और ८ लाख रुई की गाँठें अधिक उत्पन्न की जा सकेंगी। यह भी अनुमान है कि इस योजना में ४ लाख किलोवाट विजली पैदा की जा सकेगी जिससे पंजाब, राजस्थान, देहली, उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी पजाब रियासती रुध को लाभ होगा।

इन विशाल बहुमुखी योजनाओं के अतिरिक्त देश में ऐसी अनेक योजनाएँ हैं जो प्रान्तीय सरकारों के तत्वाधान में कार्यान्वित हो रही हैं। इन योजनाओं में प्रधान योजनाएँ इस प्रकार हैं—बिहार में कोसी बाँध की योजना, मध्य प्रदेश तथा बम्बई में नर्वदा, ताप्ती, साबरमती तथा बाण गंगा की योजनाएँ, उत्तर प्रदेश में चम्बल तथा सोन घाटी की योजना, रिहाण्ड नायर बाँध तथा गंगा बाँध की योजनाएँ, मद्रास में रामपद सागर तुङ्गभद्रा की योजनाएँ, आदि, आदि।

सतोष की बात यह है कि राष्ट्र इस समय बहुमुखी योजनाओं का जितना पक्षपाती है उतना कभी नहीं रहा। सरकार ने इन बहुमुखी योजनाओं का अनुसंधान करके सेवल भयकर बाढ़ों से ही देश की रक्षा नहीं सोची है परन्तु प्रति वर्ष बढ़ती हुई अन्न की कमी की समस्या का स्थायी उपाय भी सोच निकाला

है। जल सम्पत्ति का विदोहन तो होगा ही, भूमि उपजाऊ बनेगी, अधिक अन्न उत्पन्न होगा, विजली बनने लगेगी और नए-नए औद्योगिक केन्द्र स्थापित होंगे। कुछ योजनाएँ दो या तीन वर्ष में समाप्त होगी, कुछ ५ वर्ष तक पूरी हों, सकेंगी तथा कुछ ऐसी दीर्घकालीन योजनाएँ हैं जिनको समाप्त होने में १०-१५ वर्ष लग जाएँगे। परन्तु योजनाएँ निश्चय ही सफल होगी, इसमें कोई मन्देह नहीं। सभी बहुमुखी योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर दो करोड़ ५० लाख एकड़ अधिक भूमि पर सिंचाई होगी और ४० लाख किलोवाट बिजली अधिक तैयार की जाएगी। देश को इन योजनाओं से अपूर्व लाभ होगा और औद्योगिक विकास की कठिनाई तथा अन्न की विकट समस्या स्थायी रूप से हल हो जायगी।

---

## ४—भारत में खेत-मजदूरों की समस्या

हमारे देश में अभी तक उन करोड़ों खेत मजदूरों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने का प्रयत्न नहीं किया गया जिनके पास कृषि करन के लिए भूमि नहीं है और जा मजदूरी करके अपनी उदरपूर्ति करते हैं। आज जब कि देश में अन्न-संकट है, देश का विभाजन हो जाने के कारण खाद्य पदार्थों की दृष्टि से भारत की स्थिति और भी खराब हो गई है और पटसन तथा कपास जैसे आवश्यक औद्योगिक कच्चे माल का भी देश में टोटा है, तब हमें अपनी कृषि में समूल परिवर्तन करने होंगे। यदि हमने अपने कृषि धन्धे में क्रान्तिकारी परिवर्तन न किये और अपने भारतीय किसान को पुराने ढंग से अज्ञानिक खेती करने दी तो न हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या का जीवन निर्वाह ही कर सकेंगे और न अपने धन्धा को उन्नत बना सकेंगे। हमें अपनी कृषि में मूलभूत और क्रान्तिकारी परिवर्तन करने ही होंगे। शुद्ध आर्थिक दृष्टि से ही खेत-मजदूरों की आर्थिक व्यवस्था सुधारना आवश्यक है। आज जिस व्यवस्था में खेत मजदूर रह रहा है उस व्यवस्था में रहकर वह कभी भी वैज्ञानिक कृषि के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। मानवीय नैतिक और आर्थिक हित दोनों ही दृष्टिकोणों से हमारे खेत मजदूरों की समस्या बहुत महत्त्वपूर्ण है।

खेत मजदूरों का एक बड़ा वर्ग, जो आज हम अपने गाँवों में देखते हैं, हमारी आर्थिक हीनता का परिणाम है। पिछले वर्षों में भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ती रही। ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ी त्यों-त्यों विदेशी प्रतियोगिता के कारण देशी कुटीर धन्धों की अवनति होने लगी। आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग इस तेजी से नहीं बढ़े कि उनमें देशी कुटीर धन्धों से निभाले गए कारीगर काम पा सकते। अतः जनसंख्या का भार एकमात्र कृषि धन्धे पर ही पड़ता गया। जहाँ १९०१ में सगठित उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या ५ लाख थी वहाँ ४० वर्षों के पश्चात् १९४१ में वह बढ़कर केवल २२ लाख हो पाई। इसका अर्थ यह है कि सगठित उद्योगों में जनसंख्या की



वृद्धि की तुलना में बहुत कम लोग काम पा सके। कुटीर-धन्धों के नष्ट हो जाने के कारण तथा जनसंख्या की वृद्धि के कारण कृषि पर निर्भर रहने वालों की संख्या शीघ्रगति से बढ़ने लगी। यह बात नीचे निम्नी तालिका से स्पष्ट होती है:—

| वर्ष | नगरों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत | कृषि में लगी हुई जनसंख्या का प्रतिशत | ग्वेत-मजदूरों की संख्या |
|------|---|--------------------------------------|-------------------------|
| १९०१ | ९.६                                     | ६५.८                                 | २०१ लाख                 |
| १९११ | ९.४                                     | ७१.१                                 | २५९ ,,                  |
| १९२१ | १०.२                                    | ७२                                   | २१७ ,,                  |
| १९३१ | ११.१                                    | ७४.८                                 | २४९ ,,                  |
| १९४१ | १२.९                                    | ७८.६                                 | २५८ ,,                  |

कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या की वृद्धि होने का परिणाम यह हुआ कि भूमि का अधिकाधिक बँटवारा होता गया और छोटे तथा छिटके गेता का समस्या ने भीषण रूप धारण कर लिया। इन छोटे-छोटे खेतों पर न तो आधुनिक ढंग से ही गेती हो सकती है और न उन पर किसान को पूरा काम ही मिलता है। उसका बहुतसा समय बेकार रहता है। इस कारण कृषक की वार्षिक आय इतनी कम हाती है कि उस आय पर उसके परिवार का जीवन निर्वाह नहीं हो पाता। उद्योग-धन्धों की कर्मा के कारण छोटे-छोटे जमींदार भा विवश होकर खेती करने लगे। १९०१ में प्रति १०० किसानों के पीछे ५३ छोटे जमींदार स्वयं खेती करते थे। किन्तु १९३१ में १०० काश्तकारों के पीछे ७३ छोटे जमींदार स्वयं खेती करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों के हाथ से भूमि निकलती गई और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और वे श्रद्धी बनने लगे। १९३८-३९ में ग्रामोण्य श्रद्धा कोड़े १८०० करोड़ से भी अधिक था। इस भीषण श्रद्धा के परिणामस्वरूप किसान अपनी भूमि से ढाध धों बैठा और बहुत से छोटे-छोटे कृषक खेत-मजदूर बन गये। ग्वेत-मजदूर नाम का एक वर्ग गाँवों में दिखाई पड़ने लगा।

इन खेतों-मजदूरों के पास गेती नहीं होती। यह लोग केवल जुनाई, धुनाई तथा फसल काटने के समय, वर्ष में कुछ महीने, खेतों में काम करते हैं और गंग

दिनों में लकड़ी इकट्ठी करके, घास छीलकर, समीप के नगरों और रस्वों में मजदूरी इत्यादि करके अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। उन्हें भर पेट अनाज तक नहीं मिल पाता। उनकी दशा बहुत शोचनीय होती है। ऐसा मालूम होता है कि संसार में भारतीय खेत-मजदूर से अधिक निर्धन जीवन व्यतीत करनेवाला वर्ग शायद ही हो। खेत मजदूरों को उन छोटे-छोटे किसानों की प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है जिनके पास ५-१० बीघा भूमि है किन्तु वह भूमि न तो उनका पालन कर सकती है और न उनको पूरा काम दे सकती है। अतः अपने अग्रकाश के समय में ये लोग भी खेत मजदूरों की संख्या बढ़ाते हैं। यदि इन अर्ध खेत-मजदूरों को भी सम्मिलित कर दिया जाय तो खेत-मजदूरों की संख्या देश में सात करोड़ से कम न होगी।

१९३६ में जब द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हुआ तो खेत मजदूरों के लिए एक नया अग्रसर आया। वे लोग सेना में भर्तों होने लगे तथा उन्हें युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री बनाने के उद्योग धन्धों में काम मिलने लगा। परिणाम यह हुआ कि खेत-मजदूर वर्ग सेना और बड़े-बड़े उद्योग केन्द्रों की और दौड़ा। जैसे-जैसे युद्ध लम्बा होता गया, गाँवों में खेत-मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ती गई। जहाँ युद्ध के पूर्व खेत-मजदूर को गाँव में तीन आने या चार आने प्रति दिन मिलते थे वहाँ १९४६ में पुरुष को १ रुपया, स्त्री को १२ आना और बालकों को आठ आने प्रति दिन मिलने लगा। परन्तु खेत-मजदूरों की आर्थिक स्थिति में इसमें कोई विशेष अन्तर न पड़ा क्योंकि उन्हें अपने भोजन तथा कपड़े मोल लेने पड़ते थे और इनके मूल्य युद्धकाल में आकाश को चढ गये थे। फिर भी युद्ध के कारण खेत-मजदूरों को काम की कमी नहीं रही। परन्तु युद्ध समाप्त होने के पश्चात् फिर वही स्थिति सामने उठ खड़ी हुई है। हो सकता था कि देश में उद्योग धन्धों की उन्नति होती तो इन्हें वहाँ कुछ काम मिल जाता परन्तु ऐसा न हो सका। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रों में बँकाए पड़े हैं। उनके रहते खेत-मजदूरों के लिए काम मिलने की अधिक सम्भावना नहीं। साथ ही साथ न तो कृषि-धन्धे की उन्नति की दृष्टि से और न राष्ट्र के हित में यह बात ठीक जान पड़ती है कि इतनी बड़ी संख्या में

खेत-मजदूरों को गाँवों से धकेल कर औद्योगिक केन्द्रों में लाया जाय।

जहाँ तक बड़े-बड़े कारखानों का प्रश्न है उनकी समस्या यदि तेजी से बढ़ाई भी जाय तो भी वे देश की बहुत थोड़ी जनसंख्या को काम दे सकेंगे। आधुनिक विशाल कारखानों की स्थापना हमारे देश में १८६० के पश्चान से आरम्भ हुई है। आज लगभग ६० वर्षों के पश्चान जितने भी कारखाने, रेलवे वर्कशाप, चाय, कढ़वा और खर के बाल और कारखाने हैं उनमें देश की डेढ़ प्रतिशत जनसंख्या ही काम वा सकती है। ऐसी दशा में यह आशा करना कि बड़े-बड़े कारखानों में खेत-मजदूरों को पर्याप्त कार्य दिया जा सकता है, दुराशा मात्र है। फिर आज तो बेकार शरणार्थियों को काम देने की समस्या भी हमारे सामने उठ खड़ी हुई है। अतएव खेत-मजदूरों को बड़े-बड़े कारखानों में काम दिना मकने की न तो सम्भावना ही हो सकती है और न राष्ट्र के आर्थिक हित के दृष्टिकोण से कल्याणकारी ही है। ऐसी दशा में खेत-मजदूरों की समस्या का हल हमें गाँव के आर्थिक संगठन में परिवर्तन करके ही निकालना होगा।

खेत-मजदूरों की स्थिति वास्तव में दासों की भाँति है। उनमें से अनेक तो स्थायी रूप से जमींदारों के श्रमगी रहते आये हैं और रात दिन उनकी हवेली या खेतों में काम करते रहते हैं। अधिकांश खेत-मजदूर सम्पन्न किसानों तथा जमींदारों से ऋण ले लेते हैं और जुताई, बुवाई और फसल काटने के लिए अपने धम को बन्धक स्वरूप रख देते हैं। गाँवों में यही समय ऐसा होता है जब धम की आवश्यकता होती है और मजदूरी अच्छी मिल सकती है। उस समय गाँवों में मजदूरों की माँग होती है परन्तु उसी समय ऋणी खेत-मजदूर को नाम मात्र की मजदूरी पर अपने ऋणदाता के यहाँ काम करने पर विवश होना पड़ता है। इस विषय में जो कुछ भी गोज़ की गई है उससे पता चलता है कि लगभग ५० प्रतिशत खेत मजदूरों की यही दशा है। इनमें से १५ प्रतिशत मजदूरों को तो पोवाई और फसल कटने के अवसर पर केवल एक समय भोजन मिलता है, शेष ३५ प्रतिशत को भोजन के अतिरिक्त आना दो आना और दे दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि इन खेत-मजदूरों को गाँव में प्रचलित मजदूरी से बहुत कम मजदूरी मिलती है। जब खेतों में काम नहीं होता तो बेचारे

मजदूर का यह मजदूरी भी नहीं मिलती और तब वह घास खादकर, लकड़ी इकट्ठी करके, राट बुनकर, डालिया बनाकर, आस-पास के नगरों में मजदूरी करके या भट्टों में काम करके अपना जीवन निर्वाह करता है। इन मजदूरों के पास इतना धन कभी नहीं इकट्ठा होता कि वे अपना भ्रष्ट चुका सकें। अतः भ्रष्ट पर ब्याज इकट्ठा हो जाता है जिसमें वे पाटो दर पीठी अपने मालिकों के दास बन कर जीवन यापन करते हैं। यह मजदूर केवल नाम मान का ही स्वतन्त्र होते हैं परन्तु इनकी अस्थिरता दासा से भी उरी होती है। इन्हें गाँवों के सबसे गन्दे और बुरे स्थान पर बसाया जाता है। न इन मजदूरों का कोई संगठन होता है और न इनमें इतना ज्ञान ही होता है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। परम्परा के अनुसार वह बिना विरोध किये ही अपने मालिकों को गुलामी करता रहता है। संगठित न होने के कारण वह कभी आर्थिक दशा को सुधारने का ध्यान भी नहीं करता। आज इस बात की आवश्यकता है कि सरकार इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की आरंभ ध्यान दे।

खेत-मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि इनकी न्यूनतम मजदूरी कानून द्वारा निर्धारित कर दी जाय जिससे इन्हें जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी मिल सके। परन्तु जब तक हम कृषि पर निर्भर रहने का काम नहीं छोड़ते, जब तक खेत मजदूरों को अन्य दूसरे काम दिलाने का प्रयत्न नहीं होता और जब तक कृषि-धन्धा उत्पन्न करके लाभदायक नहीं बनता तब तक न्यूनतम मजदूरी कानून बनाने से कोई लाभ नहीं हो सकता। बात यह है कि यदि कृषि की अस्थिरता ऐसी ही गिरी रही तो कृषक न्यूनतम मजदूरी देने में असमर्थ रहेगा। साथ ही यदि खेत-मजदूर के लिए गाँवों में ही कोई अन्य काम न मिला तो वह कानून के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में कम मजदूरी पर ही काम करने को विवश हो जायगा। सरकार को यह भी देखना होगा कि कृषि की पैदावार का मूल्य एक साथ न गिरे। इस समय कृषि की पैदावार का मूल्य ऊँचा है अतएव सम्भव है किसान न्यूनतम मजदूरी दे भी सके परन्तु यदि कृषि की पैदावार का मूल्य एक साथ गिर गया तो किसान के लिए न्यूनतम मजदूरी देना असम्भव हो जायगा। हाँ, जब इस देश की कृषि में सुधार आगा, आधुनिक ढंग से कृषि होने लगेगी और कृषि का लागत व्यय

कम हो जायगा और लाभ अधिक होगा, उस समय किसान न्यूनतम मजदूरी देकर भी कृषि की पैदावार का सस्ते भावों पर बेच सकेगा। हर्ष की बात है कि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बिल पास कर दिया है, परन्तु फेबल कायम बनाकर ही रेत-मजदूरों की दशा नहीं सुधारी जा सकती। इसके लिए तो हमें गाँवों का संगठन ही बदलना होगा। यदि ऐसा न किया जा सका तो इन मजदूरों की दशा सुधारनी सम्भव नहीं हो सकती।

आवश्यकता से अधिक रेत-मजदूरों के लिए काम देने और दिलाने की पहली आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकारों को चाहिए कि वे बंजर भूमि को तोड़कर कृषि योग्य बनाकर रेत मजदूरों को दें। उस भूमि की सिंचाई के साधन उपलब्ध करें और उस भूमि पर रेत-मजदूरों के सहकारी फार्म स्थापित करें। सरकार को इस नई भूमि को व्यक्तियों में बाँटने की भूल नहीं करनी चाहिए। यदि छोटे छोटे रेत मजदूरों को मिल भों गए तो वे अन्य किसानों की ही भौति पुराने ढंग की गैती करेंगे। आवश्यकता तो इस बात की है कि सरकार बंजर भूमि पर सहकारी फार्म स्थापित करके रेत-मजदूरों को उसका सदस्य बनाकर समादे। चूँकि रेत मजदूरों के पास आज भूमि नहीं है इसलिए वे सहकारी फार्म के सदस्य बनने से कोई आपत्ति न करेंगे। राज्य सरकारों को कृषि यन्त्र तथा खाद इत्यादि उचित मूल्य पर देकर इन फार्मों की सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार सहकारी फार्म बनने से दो लाभ होंगे; एक, फार्मों में वैज्ञानिक कृषि का जा सकेगी; दूसरे, रेत-मजदूरों को बसाया जा सकेगा। भविष्य में यदि ये सहकारी फार्म लाभदायक मिश्र हुए तो अन्य किसानों को सहकारी फार्म स्थापित करने के लिए तैयार किया जा सकेगा। जो किसान सहकारी फार्म स्थापित करें उन्हें सरकार लगान तथा सिंचाई में छूट देकर तथा दस फार्मों के बीच एक बीज तथा खाद तथा अन्य गोदाम स्थापित करके उन्हें उचित मूल्य पर उत्तम बीज, खाद तथा आधुनिक यन्त्र किराये पर देकर उनकी सहायता कर सकती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब तक भारतीय किसान उसी प्रकार पुराने ढंग से छोटे और छिटके ढंग पर कृषि करता रहेगा तब तक न तो हम देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यथेष्ट भोजन दे सकेंगे और न अपने उपयोगों के लिए आवश्यक मात्रा में कच्चा माल ही पैदा कर सकेंगे। फेबल न्यूनतम मजदूरी

कानून बन जाने पर भी कृषि को उन्नत किए बिना खेत मजदूरों की अवस्था नहीं सुधारी जा सकती। सहकारी फार्मों द्वारा कृषि करने के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि चिरपरे हुए खेतों की चम्बन्दी की जाय और प्रत्येक किसान को कम से कम आर्थिक जोत दे दी जाय। बिना चम्बन्दी किए और आर्थिक जोत किसानों को दिये खेतों की तकिक भी उन्नति नहीं हो सकती। अन्त में हमें सहकारी कृषि को ही अपनाना होगा।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है खेत मजदूर की समस्या केवल बजर भूमि पर बसा देने से हल नहीं की जा सकती। उसने लिए हमें स्थायक और प्रक धन्ये स्थापित करने हाने। उपभोग्य पदार्थों का उत्पन्न करने वाले धन्यो या प्रिवेन्ड्रीकरण करके उनको छोटा रूप देकर कुटीर धन्यो के रूप में उन्हें गाँवों में स्थापित करना होगा परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि आज का तरह वे धन्ये पुराने ढंग से ही चलते रहें। इसके लिए देश में जल विद्युत की उन्नति करनी होगी और बड़े-बड़े बिजलीघर स्थापित करके ग्रिड प्रणाली के अनुसार समस्त देश में बिजली की लाइनों का एक जाल-मा बिछा देना होगा और हल्के छोटे मन्त्रा का निर्माण करा कर उनका गाँवों में प्रचार करना होगा। इन कुटीर-धन्यो का संगठन भी सहकारी समिति के आधार पर करना होना और तभी यह सफल हो सकेंगे। सतोप की बात है कि सरकार जल विद्युत की और विशेष ध्यान दे रही है। जब ये योजनाएँ बनकर सनात होंगी तो इनकी बिजली से कुटीर धन्यो तथा कृषि की आशातीत उन्नति होगी जिससे खेत-मजदूरों और छोटे किसानों को जीवनयापन के पर्याप्त साधन मिल सकेंगे।

खेत-मजदूरों को काम दिलाने का एक यह भी ढङ्ग हो सकता है कि उनकी सहकारी भ्रमिक समितियाँ बनाई जाएँ और जब खेती में बेकारी हो अर्थात् खेत मजदूरों को खेतों पर काम न मिले उन महीनों में ये भ्रमिक समितियाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्डों, नहर विभाग तथा नगरपालिकाओं और अन्य विभागों से सड़क कूटने, मिट्टी खोदने तथा अन्य कार्यों के ठेके लें। ठेके देते समय सरकार इन समितियों का विशेष ध्यान रखे। इटली में ऐसी भ्रमिक सहकारी समितियाँ हैं जो बड़े बड़े ठेके लेकर अपने सदस्यों को काम देती हैं। भारत में भी खेत मजदूरों को इस

प्रकार सहकारी समितियों में संगठित करने की आवश्यकता है जिससे बुवाई और फसल कट चुकने के पश्चात्, जब खेत-मजदूरों को खेतों पर काम न मिलता हो, काम दिया जा सके।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक खेत मजदूरों की दयनीय दशा की और सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया परन्तु स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने इन हलभागी मजदूरों की अवस्था सुधारने की और कुछ प्रगति किए हैं। १९४८ में न्यूनतम मजदूरी कानून पास कर दिया गया तथा देश भर में खेत-मजदूरों की आय-व्यय सम्बन्धी, जीवन-व्यय सम्बन्धी तथा मजदूरों के श्रेण्य सम्बन्धी आँकड़े प्राप्त करने के लिए सरकार ने १९४९ में देश के विभिन्न राज्यों के २७ ग्रामों में खेत-मजदूरों की जाँच पड़ताल की। विभिन्न राज्यों में गाँवों की जाँच पड़ताल इस प्रकार की गई :—

| राज्य         | गाँवों की संख्या | राज्य        | गाँवों की संख्या |
|---------------|------------------|--------------|------------------|
| आसाम          | २                | उत्तर प्रदेश | ८                |
| पश्चिमी बंगाल | ५                | मध्य प्रदेश  | २                |
| बिहार         | ४                | मद्रास       | ३                |
| उड़ीसा        | २                | मैसूर        | १                |

सरकार ने इन गाँवों में जाँच पड़ताल करके खेत-मजदूरों की वास्तविक अवस्था का पता लगा लिया है। सरकार का कहना है कि इस जाँच पड़ताल के आधार पर देश भर में कृषि-मजदूरों की आर्थिक स्थिति जाननेके लिए एक श्रृङ्खला योजना बनाएगी। आशा है इस योजना के अन्तर्गत देश में खेत-मजदूरों की समस्या का हल निकाला जा सकेगा।

## ५—ग्रामों का पुनर्निर्माण

अज्ञान एवं दरिद्रता भारतीय ग्रामीण समाज के भीषण अभिशाप हैं। रोग, कलह, गन्दगी, विद्रोह एवं अशिक्षा भारतीय ग्रामों को ज्वर की भाँति जकड़े हुए हैं। इतिहास में जिन गाँवों में हम स्वर्ग के वातावरण का वर्णन पाते हैं वे ही ग्राम आज नरक बने हुए हैं। यदि ग्रामीण जनता के जीवन-स्तर का अध्ययन किया जाय तो एक बड़ी निराशा होती है। युद्ध पूर्व-काल में भारतीय ग्राम की प्रति व्यक्ति औसत आय ४० रु० वार्षिक से कुछ ही अधिक थी। यद्यपि युद्ध के पश्चात् अब उनकी आय में कुछ वृद्धि की सम्भावना मालूम होती है परन्तु वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उनकी आय में कोई विशेष बढाव नहीं मालूम होती। मुद्रा स्फीति के कारण वस्तुओं के भाव पहले की अपेक्षा अब चौगुने पाँचगुने हैं। अतः वस्तुओं के माप दंड से देखने पर आय में अधिक वृद्धि नहीं हुई। यद्यपि कुछ बड़े बड़े कृषकों को युद्ध काल में कहीं आमदनी हुई है परन्तु अधिकांश कृषक एवं ग्रामीण मजदूर पहले की अपेक्षा और भी अधिक गए बीते हैं। हमारे देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय की तुलना यदि अन्य देशों की औसत आय से की जाय तो बड़ी निराशा होती है। युद्ध से पूर्व इंग्लैण्ड और अमेरिका की औसत आय ६८० तथा १४०६ रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी। अतः यह स्पष्ट है कि भारत के गाँवों का जीवन-स्तर बहुत गिरा हुआ है। अधिकांश ग्रामीण तो कभी भी भर पेट और पौष्टिक भोजन नहीं पाते। वे जेट की चमकनी दुपहरी में, धारण भादों की गम्भीर वर्षा में तथा शिशिर की ठिठुर में तपस्त्रियों के भाँति अपनी अर्जरित भोगद्रियों में पड़े-पड़े जीवन के क्षणों का व्यतीत करते हैं। नगे सिर, नगे पैर लाखों यात्री जनवरी के भीषण शीत में गंगा में स्नान करते हुए देखे जाते हैं। इनमें अधिकांश ग्रामीण होते हैं। इतना बट्ट वे धार्मिक विश्वासों पर उठाते हैं। युग-युगों की दीनता में उनका स्तोत्र निहित है।



हमारे गाँवों में शिक्षा का स्तर बहुत शोचनीय है। गरीब वालों को अपने पशुओं का हाल जानने के लिए मीलों जाना पड़ता है जहाँ वे शिक्षित व्यक्ति से अपने पशुओं को पढ़वा सकें। उन्हें पशुओं को लिखने तो कौन करे, वे अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते। भारत की आत्मा गाँवों में है, अतः उन्हें इतनी विस्तृष्टी दशा में पड़े रहने देना अत्यन्त ग़ेद और द्वाभ का विषय है। राष्ट्रीय जागरण के प्रभात में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राज्य तथा समाज सुधारकों का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि भारतीय ग्रामों का पुनरुद्धार करे। हमारे देश की कुल जनसंख्या का अधिकतर भाग गाँवों में बसता है। अतः जब तक इन गाँवों की अवस्था नहीं सुधारी जायगी तब तक आर्थिक या सामाजिक पुनर्निर्माण की कोई भी योजना पूर्ण नहीं हो सकती। गाँवों की उपेक्षा करके राष्ट्र के औद्योगीकरण की चढ़ी से चढ़ी योजनाएँ भी देश को उन्नत नहीं बना सकती। ग्रामीणों का प्रधान व्यवसाय कृषि है। अतः सरकार का पहला कर्तव्य कृषि में सुधार करना है। रूस के अन्वय देशों की तुलना में भारत की प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। उदाहरणार्थ, भारत में कपास १०० पींड प्रति एकड़ पैदा होती है जब कि अमेरिका में २५० पींड प्रति एकड़ तथा मिश्र में ४५० पींड प्रति एकड़ पैदा होती है। इसके अतिरिक्त भारत में ईग १३ टन प्रति एकड़ पैदा होती है जब कि जापान में ईग की उपज ५० टन प्रति एकड़ है। क्या भारत जीव कृषि प्रधान देश के लिए, जहाँ प्रत्येक ४ व्यक्तियों में तीन व्यक्ति कृषि व्यवसाय में लगे हुए हैं, यह लक्ष्य और शोक का विषय नहीं है कि इतना विशाल देश पूरी जनसंख्या की अन्न समस्या को भी सुलभाने में सफल न हो सके? इस असफलता का रहस्य हमारी कृषि के कुछ भयानक दोषों में लुपा हुआ है। छोटे और छिदरे रोत, विषम भूमि स्वामित्व, सुगों का अणु-भार, सिंचाई के साधनों का अभाव, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उपयोगी खादों की कमी, फसल नियंत्रण तथा उन्नत रूप से विभिन्न प्रकार की फसलों की आवश्यकतानुसार उगाने की योजनाओं का अभाव, अस्वस्थ और रोगी पशु-धन तथा द्वेषपूर्ण ग्रामीण जीवन, गाँवों की जनता की गरीबी के कारणों में प्रधान है। दीन हीन और उपेक्षित गाँववासियों की जड़ में यह दोष गुन की तरह लगे हुए हैं जो उनके जीवन स्तर एवं आर्थिक स्थिति को रोगना बना

रहें हैं। जब तक भारतीय कृषि इन दोगों से मुक्त नहीं होती तथा सहकारी कृषि का प्रचलन नहीं होता तब तक जनता की दीन हीन दशा नहीं सुधारी जा सकती।

जहाँ तक भूमि-स्वामित्व का प्रश्न है हमारा विश्वास है कि कृषकों को भी यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए। परन्तु केवल जमींदारों समाप्त करके ही हम समस्या हल नहीं कर सकते। युग की पुकार है कि छोटे और छिटके खेतों की चकचन्दी करके सामूहिक या सहकारी ढंग पर खेती की जाय। ऐसी बंजर भूमि जिस पर खेती की जा सकती है वैज्ञानिक साधनों के बिना उपजाऊ नहीं बनाई जा सकती। सहकारी समितियों द्वारा सामूहिक ढंग पर कृषि करने की व्यवस्था करना तथा वैज्ञानिक साधनों एवं उचित मात्रा में खाद का प्रबन्ध करना सरकार का ही काम है।

विदेशों के आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि जिस देश में जनसंख्या का अधिकांश भाग केवल कृषि व्यवसाय पर ही निर्भर रहेगा वहाँ की औसत आय नीची रहेगी। इसके विपरीत जहाँ सम्पूर्ण जनसंख्या का कुछ भाग कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योग धन्धों में लगा रहेगा उस देश की औसत आय कृषि प्रधान देश की अपेक्षा कुछ अधिक रहेगी। प्रो० लुई एचरोन ने लिखा है “चीन की प्रति व्यक्ति औसत आय दुनी की जा सकती है यदि कार्पशीन जनसंख्या का १५ प्रतिशत भाग कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योग धन्धों में लगा दिया जाय। इसके अतिरिक्त यदि १० प्रतिशत जनसंख्या अन्य पेशों में और लगा दी जाय तो औसत आय प्रति व्यक्ति तिगुनी की जा सकती है।” अतः राष्ट्र की बेकार जनसंख्या को उद्योग-धन्धों में लगाने की व्यवस्था करना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। इस समय सारे देश में जन विद्युत शक्ति की योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। अतः घरेलू उद्योगों तथा अन्य प्रकार के उद्योग-धन्धों के प्रचार के लिए इस समय अच्छा अवसर और क्षेत्र प्राप्त है। घरेलू उद्योग-धन्धों की जड़ मजबूत करने के लिए सरकार को विद्युत शक्ति, कच्चा सामान, अर्थ व्यवस्था, विनय व्यवस्था आदि का प्रबन्ध करना आवश्यक है। सहकारी समितियों द्वारा यह कार्य बड़ी सरलता से ही सकता है। घरेलू उद्योग-धन्धों के द्वारा कृषि व्यवसाय पर निर्भर रहने वाली एक बहुत बड़ी जनसंख्या को काम मिल सकेगा।

गाँवों की सड़कों तथा नालियों की श्रौर ध्यान देना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। इनके मुधार के लिए सरकार को आवश्यक अर्थ व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक गाँवों की सड़कों का समुचित मुधार नहीं हो जाता तब तक भारतीय कृषि की उदज की बिक्री की समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकती। यह काम भी सहकारी समितियों द्वारा सम्भव हो सकता है। सरकार को आदर्श ग्रामों, स्वच्छ नालियों तथा श्रच्छी सड़कों से पूर्ण आदर्श ग्रामों का निर्माण करना चाहिए। जिला बोर्ड के इंजीनीयर की सेवाएँ ग्राम निवासियों को प्राप्त होती रहें। प्रत्येक गाँव में सर्र साधारण के उपयोग के लिए चरागाहों की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें गाँव भर के पशु स्वतन्त्रता से चर सकें।

प्रत्येक गाँव में एक सहकारी समिति, पंचायत, प्राथमिक पाठशाला, वाचनालय तथा श्रीपधालय होना अत्यावश्यक है। अंग्रेजी राज्य काल में सारे शासन का केन्द्रीकरण हो गया था। अब उसके विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। गाँव-पंचायतों में गाँव के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और सभी कामों की देख-भाल करने का इन्हें अधिकार होना चाहिए। पारस्परिक मतभेदों एवं भगड़ों को मुलभाना, प्रत्येक वर्ण के सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों का आयोजन करना, गाँवों की सहकारी समिति का मन्चालन करना, प्रारम्भिक पाठशाला, वाचनालय तथा श्रीपधालय का प्रबन्ध करना पंचायतों का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। ये पंचायतें गाँव की गलियों, सड़कों और नालियों की मरम्मत कराने में सहायता करें। गाँवों की सहकारी समितियाँ बहुमुखी सहकारी समितियों के आधार पर होनी चाहिए। बहुमुखी सहकारी समितियाँ ही हमारे लिए उपयोगी होंगी जहाँ ऋण का लेन-देन, वस्तु-विक्रय, बीज-वितरण आदि काम एक ही सहकारी समिति कर सके। यह निर्माण तथा नयेतों की चक्रवर्ती के लिए विशेष प्रकार की सहकारी समितियाँ बननी चाहिए। कृषक की अन्न-कालीन तथा दीर्घ-कालीन दोनों प्रकार के ऋण की आवश्यकता होती है। दीर्घ-कालीन ऋणों की पूर्ति के लिए भूमि बन्धक बैंक स्थापित होने चाहिए। प्रान्तीय सहकारी बैंकों का केन्द्रीकरण करके उन्हें रिजर्व बैंक में मिला देना चाहिए। इस प्रकार की योजनाओं से ग्रामीण जनता की अर्थ समस्याएँ बहुत कुछ हल हो सकेंगी।

प्रायः ऐसा देखने में आता है कि राज्य सरकारों के तत्वाधान में राष्ट्र-विनास सम्बन्धी अनेक विभाग काम करते हैं। उदाहरणार्थ, कृषि विभाग तथा सहकारी विभाग दोनों ही बीज मादामों का प्रबन्ध प्रत्येक जिले में करते हैं। इनमें अक्सर तथा निरोद्धकों के कार्यों का सम्बन्धीकरण करना परम आवश्यक है। यह अक्सर गाँवों की कृषि, जन्ममरण सम्बन्धी अग्नि, कृषि पर निर्भर घरेलू उद्योग धन्धा, पानी के विनास की व्यवस्था, सड़कें और गलियाँ का प्रबन्ध, सिंचाई तथा पशुश्रा की समस्या तथा अन्य प्रकार की ग्राम समस्याओं को हल करने में उपयोगी और सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ग्रामों की पाठशाला का शिक्षण गाँव के पुनर्निर्माण में उपयोगी सिद्ध हो सकता है परन्तु ग्रन्थन्त कम वेतन होने के कारण वह ग्रन्थ साधना में अपनी जीमिना कमाने का प्रबन्ध करता है और अपने कार्यों को भी ठीक प्रकार नहीं निभा पाता। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

गाँवों के पुनर्निर्माण में एक बड़ा कठिनाई यह है कि गाँवों का शिानत और जाग्रत समाज गाँवों से दूर होता जा रहा है। उदाहरणार्थ, गाँव का जमादार गाँव में न बसकर शहरों की ओर दौड़ता है तथा शिक्षित लोग भी प्रायः गाँवों का छोड़ शहरों में बसने लगे हैं। ऐसी दशा में गाँवों का पुनर्निर्माण कौन करेगा ? आज युग की पुकार है एक आवश्यकता है कि 'पुनः गाँवों की ओर लौटो' आन्दोलन प्रारम्भ किया जाय, परन्तु यह तभी सम्भव है जब कि गाँवों का शिक्षित समुदाय के रहने योग्य बनाया जाय। उन्हें गाँवों में स्वच्छता, प्रेम, चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था तथा वाचनालय आदि की सुविधाएँ प्राप्त हों। गाँवों के पुनर्निर्माण में ये शिक्षित लोग बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम अपने गाँवों का पुनर्निर्माण कर गाँवों के रामराज्य की कल्पना को साकार बना सकेंगे।

## ६—देश की ग्वाय-समस्या

गत अनेक वर्षों में हमारे देश में ग्वाय-समस्या बनी हुई है। जैसे तो युद्ध-काल में भी सारे देश में अन्न की भारी कमी रही। बंगाल के अकाल को सहज ही नहीं भुकाया जा सकेगा। परन्तु वह सब उस समय की विदेशी सरकार की युद्धजनित राजनीति का परिणाम था। आज युद्ध समाप्त हुए कई वर्ष बीत गए, परन्तु अन्न का अभाव यों का त्यों बना हुआ है। 'भारत कृषि-प्रधान देश है' 'भारत के साधन असीम हैं', 'भारत की भूमि साना उगलती है' आदि सभी कुछ झंझं हुए भी देश में देशवासियों के खाने भर को अन्न नहीं मिल रहा तथा अन्य देशों पर आश्रित रहना पड़ रहा है। पिछले वर्षोंमें अन्न-उत्पादन की भारी कमी रही। मानसून के अभाव तथा नदियों की चिरराल बाढ़ों ने तैयार फसलों को नष्ट कर दिया यह सत्य है; किन्तु इसके अतिरिक्त देश में भूमि की उत्पादनशक्ति भी क्षीण होती जा रही है। सिंचाई के उपयुक्त साधन न होने के कारण तथा वैज्ञानिक ग्वाय एवं कृषि-यन्त्रों के अभाव के कारण कृषि की अवस्था गिरती ही जा रही है। देश के विभाजन में भी भारत ग्वाय की ग्वाय स्थिति पर बड़ा घुरा प्रभाव पड़ा। पाकिस्तान बन जाने के पश्चात् भी भारत को अविभाजित-भारत की लगभग ८० प्रतिशत जनसंख्या का पेट भरने का प्रबन्ध करना पड़ रहा है परन्तु उत्पादन की दृष्टि से भारत के हिस्से में केवल थोड़ा सा उपजाऊ भाग ही आया है जो इस भूमि पर निर्भर जनसंख्या को अर्थर्याप्त ही है। गेहूँ उपजाने-वाले क्षेत्र का केवल ६५ प्रतिशत तथा चारल उपजाने वाली भूमि का ६६ प्रतिशत भाग भारत को सीमा में है। विभाजन के फलस्वरूप ममस्त सिंचित क्षेत्र का ६६ प्रतिशत भाग भारत के हिस्से में आया जिसमें से गेहूँ पैदा करने वाला भूमि-क्षेत्र तो केवल ५४ प्रतिशत ही रह गया है। इससे स्पष्ट होता है कि देश में खानेवाले व्यक्ति अधिक संख्या में हैं और अन्न उत्पन्न करने वाली भूमि थोड़ी मात्रा में है। जिस पर भी जो कुछ कृषि-योग्य भूमि है उसका पूरा विद्वान नहीं किया जाता। न ग्वाय है, न अच्छे और उत्तम बीज हैं, न सिंचाई

के पर्याप्त साधन हैं और न कृषि-यन्त्रों का प्रयोग हा है। भारत में अन्न उत्पादन मानसून की कृपा का पात्र रहा है। एव और तो अन्न की कमी बन्ती रही है और दूसरी ओर जन संख्या में वृद्धि होती रही है। आज परिस्थिति यह है कि देश की ४१ प्रतिशत जनता का निम्न तथा २० प्रतिशत जनता को निम्नतर श्रेणी का आहार मिलता है। सम्पूर्ण देश में केवल ३६ प्रतिशत एसे लोग हैं जिन्हें आवश्यक मात्रा में पेट भर खाना मिल पाता है। यही नहीं, हमारे देश में दूध का उपभोग औसतन प्रति दिन ७ ग्राम प्रति व्यक्ति है जब कि दंगलैण्ड में ३६ ग्राम प्रति व्यक्ति, डेन्मार्क में ४० ग्राम प्रति व्यक्ति, न्यूजीलैण्ड में ५७ ग्राम प्रति व्यक्ति तथा फिन्लैण्ड में ६३ ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिवस का औसत आता है।

अन्न की आवश्यकता को पूरित करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित वर्षों में हजारों टन अनाज विदेशों से आयात किया है। गत वर्षों में अन्न का आयात इस प्रकार रहा है —

| वर्ष          | अन्न का आयात<br>(हजार टनों में) | मूल्य<br>(करोड़ रुपयों में) |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------|
| १९४४          | ६४६                             | १३१०                        |
| १९४५          | ८५०                             | २०५                         |
| १९४६          | २,२५०                           | ७६०१                        |
| १९४७          | २,३३०                           | ६८०७                        |
| १९४८          | २,८४०                           | १२६५                        |
| १९४९          | ३,७००                           | १४८०                        |
| १९५०          | ४,२००                           | १६८५                        |
| १९५१          | ४,७००                           | १७५६                        |
| १९५२ (अनुमान) | ५,०००                           | —                           |

अधिकांश अन्न दुर्लभ-वस्तु वाले देशों से आयात किया गया जिससे भारत का दुर्लभ वस्तु जो पूँजी-वस्तुओं तथा यन्त्रादि पर व्यय करने पर सोचा गया था, खाने में ही समाप्त हो गया। पौष्टि पावना, किम पर सुदोत्तर

भारत के कृषि-पुनर्निर्माण तथा श्रौश्रोगिक-संगठन की आधार-शिलाएँ अवन-मित थीं, पेट भरने में ही समाप्त होता जा रहा है। नदियों में बाढ़ आने से, भयंकर नृपान के कारण तथा कई स्थानों पर अधिक वर्षा और कहीं कहीं पर कम वर्षा के कारण अन्न का उत्पादन और भी कम होता गया। १९४७-४८ में इस संकट को टाँचने के लिये 'कण्ट्रोल तथा राशन' की नीति का पुनः पालन करना आरम्भ किया गया; परन्तु कोई सन्तोषजनक परिणाम न निकला। आस्ट्रेलिया, अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्रह्मा, चीन, हिन्दचीन, रूस, टर्की, इराक आदि देशों से भारी-भारी मात्रा में खाद्यान्न तथा अन्य खाद्य सामग्री आयात होती रही। इस संकट के स्थायी निवारण तथा कृषि की उन्नति के लिए योजनाएँ बनाने के लिए अनेक सम्मेलन किए गए। देश व्यापी 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना बनाकर कार्यान्वित की गई। इस योजना के अनुसार लगभग ६,००,००० टन अनाज उत्पन्न करने की बात सोची गई थी परन्तु केवल ७,००,००० टन अनाज ही उत्पन्न किया जा सका जब कि इस योजना पर लगभग ५ करोड़ रुपये व्यय हुए। ज्ञात होता है कि सरकार को यह योजना अधिक रूपल न हो सकी। सरकार ने इस योजना को प्रान्तों के कृषि विभागों के नियन्त्रण में दिया और इन विभागों के कर्मचारियों ने केवल अपने-अपने कार्यालयों में बैठे-बैठे ही इस सफल बनाना चाहा। परन्तु इस योजना को सफलभूत बनाने के लिए कृषकों के भाग मिलकर काम करने की आवश्यकता थी, उनके साथ मत्स्य पर जाकर इसका महत्व समझा कर, सुविधाएँ देकर अन्न का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता थी। कार्य ठीक इसके विपरीत हुआ। कार्यालयों का काम तो बढ़ता गया परन्तु अन्न उत्पादन का काम उभी अनुपात में न बढ़ सका। परिणामतः 'अधिक अन्न उपजाने' के स्थान पर 'अधिक पशु' उरजाए गए और कार्यालयों में मोटी-मोटी फाइलें बन गईं।

सितम्बर १९४६ में रुपये के अमूल्यन के पश्चात् एक और नई समस्या देश के सामने आगई। पाकिस्तान द्वारा पाक-रुपये का अमूल्यन न करने से हमारे देश में पाकिस्तान में आयात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य ८४ प्रतिशत अधिक बढ़ गया। अतः भारत ने रुई और पटसन पाकिस्तान में न मंगाकर अपने देश में ही उत्पन्न करना आरम्भ कर दिया। इसके लिए अन्न

के लिए काम आने वाली भूमि पर अन्न न उपजा कर रुई और पदसन उगाए जाने लगे। इससे अन्न का उत्पादन और भी कम होता गया। इसके अतिरिक्त अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि के कारण भी अन्न उत्पादन में कमी होती गई। दिसम्बर १९५० में होने वाले ग्वाय मंत्रियों के सम्मेलन में अनुमान लगाया गया था कि यदि यही स्थिति चलती रही तो १९५०-५१ में कोई ५५ लाख टन अनाज की कमी रहेगी। ठीक ऐसा ही हुआ। अन्न का सङ्कट प्रचण्ड होता गया और गत वर्ष भारत सरकार ने अमरीका से विशेष कानून पास कराके अन्न का सण लिया। प्रतिज्ञा की गई कि दिसम्बर १९५१ तक देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बना लिया जायगा, परन्तु यह प्रतिज्ञा पूर्ण न हो सकी और यह तिथि मार्च १९५२ तक टाल दी गई। परन्तु अब भी समस्या विकट है और मार्च तक अन्न में आत्मनिर्भर बनने के कोई आसार नहीं दीख पड़ते। ग्वाय मंत्री ने स्वयं घोषित किया है कि १९५२-५३ में कम से कम ५० लाख टन अन्न आयात करने की आवश्यकता होगी। भारत सरकार आयात किए गए अन्न पर आर्थिक सहायता देकर सतत मूल्यों पर बेचने का प्रयत्न करती रही है। जैसा कि पहिले बताया जा चुका है १९४८ में सरकार ने अन्न के आयात पर कोई १३० करोड़ रुपये व्यय किए थे जो देश के कुल आयात का १८ प्रतिशत था। १९४८-४९ में भारत सरकार ने आयात किए गए अन्न पर ३३ करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी थी और १९४९-५० में लगभग २५ करोड़ रुपये की सहायता सरकार ने राज्य सरकारों को दी। अब इस वर्ष से भारत सरकार ने यह आर्थिक सहायता न देने का निश्चय कर लिया है।

ग्वाय समस्या का टालने के लिए सरकार ने बहुमन्त्रा योजना बनाई है जिसमें अनुसार अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि का पुनरुद्धार किया जायगा। प्रस्तुत कृषि भूमि पर प्राथमिक अन्न उगाया जायगा तथा बजर भूमि को जो निटलनी पडी है, कृषि योग्य बनाया जायगा जिसमें कृषि-भूमि में क्षेत्रफल विस्तृत हो और अधिन मात्रा में अन्न पैदा किया जा सके। इस योजना के प्रमुख योग निम्न हैं :—



(१) लगभग ६२,००,००० एकड़ भूमि को, जो खसरा वही है परन्तु जो कृषि के काम आ सकती है, समतल करके कृषि योग्य बनाया जायगा। इसके लिए सरकार ने विश्व बैंक से ५ करोड़ डॉलर का ऋण लेकर ट्रेक्टर मंगाए हैं जिनकी सहायता से यह काम पूरा किया जा रहा है। मिझ-मिझ राज्य सरकारों के नियन्त्रण में भूमि का ट्रेक्टरों तथा हार्वेस्टर्स द्वारा पुनिकरण किया जा रहा है। १९४८ में ४,६६,६०० एकड़ भूमि का पुनः कृषिकरण किया गया था। इस योजना में लगभग ३३६\*६५ करोड़ रुपये का व्यय आँका गया है। इसका विस्तृत विवरण 'भूमि का कृषिकरण' निबन्ध में पढ़िए।

(२) प्राथमिकता की रूप देने के लिए कृषि में मिन्गट्टे का भी महत्व सरकार ने समझा है। इसके लिए दीर्घकालीन सर्चि योजना तैयार की गई है जिनमें विशाल नदियों के सर्चि बनाकर बिजली से उत्पन्न का तापमान तथा साथ ही साथ प्राण उपज करके बाँटेंगे वी रोका जायगा और मिन्गट्टे भी की जा सकेगी। ऐसा अनुमान है कि सर्चि-योजनाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात् लगभग २,५०,००,००० एकड़ अधिक भूमि पर मिन्गट्टे का व्यवस्था और व्यापक विस्तार जल-विद्युत तैयार होगी जो कृषि तथा पशुधन दोनों के लिए काम आ सकेगी। प्रत्येक राज्य में स्थानीय योजनाएँ बन चुकी हैं और उन्हें राज्यों में जो काम भी आरम्भ हो चुका है। इसके आन्तरिक बिजली के सुविधा बनाने की भी योजना सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण कार्य है। मिझ-मिझ राज्यों, जैसे पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में आगल-नीच वर्षों में करीब ६,७५८ बिजली के कुण बनाए जायेंगे। इस पर कुल व्यय ६६ करोड़ रुपये आँका गया है। इसी के साथ साथ कृषि का यन्त्रीकरण भी हो रहा है। विदेशों से कृषि यन्त्र मँगाने के उद्योग सहायता से कृषि यन्त्र आयात किया जाने लगा है। कृषि के यन्त्रीकरण से बाँटें साध्य में अधिक माया से जल उपजाया जा सकेगा।

●(३) खाद्य-सप्लाय-निर्धारण योजना में सरकार ने यह निर्णय किया है कि १९५२-५३ तक १५,२३,००० टन सामायिक खाद्य की प्रदाय बढ़ाई जाय। इस काम के लिए ७१\*५७ करोड़ रुपये का बजट किया गया है। कृषि-भूमि की उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक ढंग में खाद बनाने का संस्थापन

खाली जा रही हैं। बिहार म ३० करोड रुपय की लागत से खाद बनाने का एक विशाल कारखाना गूला गया है। पूना म भी वैज्ञानिक रीति से खाद बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के ग्राम्य क्षेत्रों म ५२ लाख टन कम्पोस्ट तैयार किया गया था जिसस आशा है कि ५५ लाख मन अधिक अन्न पैदा किया जा सकेगा।

(५) खाद्यान्न की कमी का पूरा करने क लिए अन्न के स्थान पर, उन भागों में जहाँ मछली का उपभोग किया जाता है, मछली निकालने की प्रष्ट योजनाएँ बनाई गइ हैं। इससे अन्न का अभियाचन कम होगा और मछली का प्रयोग भी हो सकेगा। केन्द्राय सरकार ने देश के प्रमुख बन्दरगाहा पर, जहाँ पर प्राकृतिक दृष्टि में मछली का आहार है, मछली पकड़ने की सुविधाएँ दे रखी हैं। इन स्थानों पर मछली पकड़ने क केन्द्र बनाए जा रहे हैं। प्रारम्भ में बवई, पाचीन, रिजगापत्तम, चन्द्रालि तथा फलफत्ता म मछली पकड़ने के केन्द्र खाले गए हैं। इनका व्यय लगभग ६ करोड बजट किया गया है।

मछली उद्योग को छाड़ अन्य सभी काम राज्य सरकारों को सौंप दिए गए हैं। राज्य सरकारें ही भूमि का कृषिकरण, कृषि का यन्त्रीकरण तथा कुँए आदि बनाने का प्रबन्ध कर रही हैं। प्रश्न राजस्व का है। इस विषय में यह निश्चय किया गया है कि राज्य सरकारें कुल आनुमानिक व्यय म से देश में खर्च होने वाली वह धन-राशि का, जो उच्च योजनाओं का कार्यान्वित करने के लिए अपने देश में ही व्यय करनी होगी, प्रबन्ध करेंगी तथा केन्द्राय सरकार इन योजनाओं का फल बनाने के लिए उन आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध करेंगी जिनका बाह्य देशों से आयात करने की आवश्यकता होगी। सूचना के लिए हम यहाँ पर उच्च योजनाओं पर बजट किए गए धन का विवरण देते हैं जो भारत के अन्दर तथा विदेशों में व्यय करने होंगे और जिनका दवाव राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों पर पड़ेगा।

(करोड रुपयों में)

|                     | भारत में व्यय | स्टलिंग क्षेत्र | डालर क्षेत्र | योग    |
|---------------------|---------------|-----------------|--------------|--------|
| भूमि का कृषीकरण     | ८२.७६         | २१.६७           | ३६.६२        | १३६.०५ |
| विद्युत-वृष निर्माण | ३३.६५         | १६.६२           | २६.०८        | ६६.३५  |

( करोड़ रुपये में )

|                       | भारत में व्यय | मलेशिया क्षेत्र | डालर-क्षेत्र | लोग   |
|-----------------------|---------------|-----------------|--------------|-------|
| रसायनिक खाद           | २५.८६         | ३०.४६           | २५.२०        | ७१.५७ |
| मशुली-उत्पाद का विकास | ३.४५          | ५८              | १.१६         | ५.१६  |

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य-सरकारों को भी खाद्य-संकट निवारण योजना में अधिक राजस्व सहायता देनी होगी परन्तु इस समय क्या यह सम्भव है कि राज्य-सरकारों के राजस्व-विभाग यह सब कुछ कर सकेंगे। इस विषय में यह उचित होगा कि तत्कालिक कार्य को आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों को राजस्व सहायता दे और यह सहायता तब तक मिनती रहे जब तक ये योजनाएँ कार्यान्वित न हो जायें। भारत सरकार ने कई राज्यों को ऐसी सहायता दी है परन्तु इसमें भी अधिक सहायता की आवश्यकता है।

निस्सन्देह, वर्तमान सरकार ने इस संकट को दूर करने के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं। जैसे भी सम्भव हो सके है दुर्लभ-मुद्रा प्राप्त करके विदेशों से अन्न मंगाया है। समस्या का स्थायी हल निरालम के लिए बाढ़ों को रोकने की योजनाएँ हैं ही, साथ ही साथ सिंचाई भी होगी। नई भूमि कृषि के लिए तैयार जा रही है, यन्त्रीकरण हो रहा है। परन्तु इसी के साथ-साथ कृषिशोध की भी आवश्यकता है। गेहूँ बनाने की नई-नई विधियाँ हों, नए-नए यन्त्रों का प्रयोग हो, उच्च प्रकार के बीजों का अनुसन्धान हो तथा वैज्ञानिक खाद हो। शोध के परिणाम कृषकों को सतलाए जायें जिससे वे उनके अनुसार काम कर सकें। सन् २० वर्षों में कृषि-शोध पर केवल २३ करोड़ रुपये व्यय हुआ। इसमें हमें सन्निक भी संतोष नहीं। शोध कृषि का एक आवश्यक अंग होना चाहिए। संतोष की बात है कि अब भारतीय-कृषि-शोध-परिषद् ने कृषि सम्बन्धी कार्यों की शोध करने के लिए सम्पूर्ण देश को समान भूमि तथा जलवायु के दृष्टि-कोण से भिन्न-भिन्न प्रदेशों में बॉट लिया है किन्तु समान जलवायु तथा उर्वरकों की दृष्टि में रखते हुए शोध की जायगी और प्रदान किया जायगा कि देश में अन्न की वृद्धि हो। ये प्रदेश इस प्रकार हैं :—

(१) गेहूँ प्रदेश, जिसमें पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा बरार और राजस्थान-सथ का गेहूँ उपजावले वाला कुछ भाग होगा।

(२) चावल-प्रदेश, जिसमें आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी मध्य-प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी मद्रास सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रदेश में चावल की फसलों का अनुसन्धान होगा।

(३) मालाबार प्रदेश, जिसमें कम्बई, मद्रास, पश्चिमी घाट, मैसूर कुंग, ट्रान्स्वार तथा काचीन हैं।

(४) उत्तर प्रदेश, जिसमें भूखण्ड, मध्य प्रदेश तथा बरार, मध्य भारत की रियासतें, हैदराबाद रियासत का पश्चिमी भाग, पश्चिमी मद्रास, पूर्वी कर्नाटक का प्रदेश, बरोदा तथा मैसूर का कुछ भाग है।

(५) हिमालय प्रदेश, जिसमें कुमायूँ, गढ़वाल, नैनाल, भूटान, शिमला की पहाड़ियाँ, कुल्लू, चम्बा तथा जम्मू काश्मीर राज्य सम्मिलित हैं।

इन प्रदेशों में कृषि की विशेष परिस्थितियाँ तथा कृषि क्रियाओं पर शोध की जायगी। इस प्रकार देश का कृषि विभाजन करने में कृषि-शोध पर ठोस कार्य हो सकेगा। परिपक्व ने पशुपयवेक्षण तथा निरीक्षण और शोध की दृष्टि में भी देश का विभाजन किया है परन्तु उसका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। कृषि शोध से हाल ही में तो नहीं परन्तु दूर भविष्य में खाद्य समस्या का एक मात्र स्थायी उपाय निहित है।

केन्द्रीय सरकार के प्रयत्नों के अतिरिक्त राज्य-सरकारों ने भी इस समस्या को हल करने के लिए अपनी अपनी अलग-अलग योजनाएँ बनाकर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। उत्तर प्रदेशीय सरकार ने सिंचाई सम्बन्धी एक पंचवर्षीय योजना तैयार की है जिसके अनुसार पाँच वर्षों में १६,६०,००० एकड़ अधिक भूमि पर सिंचाई की जायगी। इस योजना में ७६०० मील लम्बी नहरें बनाई जाएँगी। अब तक सिंचाई सम्बन्धी जो काम किया गया है उससे राज्य को २५००० टन अधिक अन्न मिलने लगा है। राज्य में अब कुल मिलाकर १६५६ नल कूप हैं 'परन्तु अधिक अन्न उपजाओ योजना' के अन्तर्गत ६०० और नल कूप बनाए जा रहे हैं। इनसे २,४०,००० एकड़ अधिक भूमि पर सिंचाई होगी जिससे ५४,००० टन अधिक अन्न उपजाया जा सकेगा। सरकार ने तकनीकी श्रेणियों के लिए तथा उत्तम बीज तथा खाद वितरण करने अन्न का उत्पादन

ये भी प्रयत्न किए हैं। अन्य राज्यों में भी ऐसा किया जा रहा है और परिणाम भी सन्तोषजनक मिले हैं।

प्रस्तुत समस्या यह है कि वर्तमान खाद्य सङ्कट को दाल कर अर्थात् देश को अन्न के मामले में आत्म-निर्भर पैसे बनाया जाय। वास्तव में देखा जाय तो हमारा खाद्य-सङ्कट केवल उत्पादनकी समस्या ही नहीं है वरन् अन्न संग्रह और वितरण की समस्या भी है। अन्न के भाव ऊँचे होने के कारण सरकार आवश्यक मात्रा में उत्पादको से अन्न-पकूती (Procurement) नहीं कर पाती। ऊँचे भाव होने से उत्पादक सरकार को अन्न न देकर चोरी से बेचने लगे हैं जिससे सरकार की राशन-पद्धति सफल न हो सकी। आवश्यकता इस बात की है कि अन्न का उत्पादन भी बढ़े और वितरण की विपमता भी भी दूर हो। अन्न सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त करने के लिए मुनाफ़ और उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए जिससे विश्वसनीय आँकड़ा प्राप्त किए जाकर उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी कोई योजना बनाई जा सके। जनता को भी चाहिए कि वह अन्न का उपयोग सीमित करे और अन्न नष्ट होने से बचाये। कहा गया है कि देश में १० प्रतिशत अन्न की कमी है। इसे पूर्ण करना कोई अधिक कठिन काम नहीं। अधिक अन्न उपजाकर, वितरण की विपमता दूर करके, अन्न को नष्ट होने से बचाकर तथा आवश्यकताओं का सीमित करके इस धमी को सरलता से दूर किया जा सकता है। हमें अपनी सब शक्तियों को इस बात में जुटा देना चाहिए कि अन्न के मामले में देश विदेशों पर आश्रित न रह कर आत्मनिर्भर हो जाय। जब तक देश में अन्न या अभाव है राशन तथा मूल्य-नियंत्रण रहना आवश्यक है परन्तु राशन पद्धति का प्रबन्ध ईमानदारी तथा सन्तोषजनक रीति से चलना चाहिए। भारत जैसे देश में, जहाँ की अधिकांश जनता अशिक्षित है राशन पद्धति में बढिनाइयाँ होना स्वाभाविक है। परन्तु तो भी इस बात का प्रत्यक्ष होना चाहिए कि चोर बाजारी, संग्रह तथा बेईमानी न हो। इसके लिए सरदार और जनता की सहयोग की आवश्यकता है—बिना दोनों के पारस्परिक सहयोग के यह काम सरल नहीं हो सकता। अन्न संग्रह करने की सुविधाएँ बढ़ानी चाहिए जिससे अन्न सुरक्षित रखा जा सके। हमारी उपयोग सम्बन्धी किराओ में भी फेर-बदल की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हम कम से कम

अन्य व्यय करें और सम्भवत उत्सवों पर अधिक अन्न काम मन लावें। प्रत्येक कार्य सरकार का ही करने का नहीं है। हम भी अपने कर्तव्य को समझें। सरकार कानून बना सकती है परन्तु उसको पालन करने सफल बनाना जनता का ही कार्य है। हम हर प्रकार से देश को अन्न में स्वावलम्बी बनाना बाढ़नीय है।

---

## ७—‘अधिक अन्न उपजाओ’ योजना

समस्या एवं समाधान

पिछले कई वर्षों से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों “अधिक अन्न उपजाओ” के नाम पर भारी-भारी धन राशि व्यय करती रही हैं, परन्तु परिणाम अधिक मंतोप-जनक नहीं रहे हैं। १९४६-५० में इस योजना पर केन्द्रीय सरकार ने १३.३२ करोड़ रुपये स्वीकृत किए तथा उसमें अगले वर्ष ३१.७६ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसी प्रकार १९४३ से लेकर अब तक भारी-भारी राशि व्यय होती रही परन्तु अन्न उत्पादन में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हुई। कृषि-भूमि का क्षेत्रफल तो बढ़ता रहा परन्तु अन्न की मात्रा न बढ़ी बरन् कभी-कभी कम भी होनी गई। योजना के अन्तर्गत कृषि भूमि के क्षेत्रफल, प्रति एकड़ उपज तथा कुल उत्पादन की स्थिति इस प्रकार रही :—

|                     | (२००,०००)                        |                 |                           |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|
|                     | कृषि-भूमि का क्षेत्रफल<br>(एकड़) | उत्पादन<br>(टन) | प्रति एकड़ उपज<br>(पीण्ड) |
| १९३६-३७ में १९३८-३९ |                                  |                 |                           |
| की औसत              | १५८.८                            | ४०.९            | ५.७७                      |
| १९४२-४३             | १६८.०                            | ४६.०            | ६.०३                      |
| १९४३-४४             | १६६.०                            | ४५.०            | ६.१२                      |
| १९४४-४५             | १८३.०                            | ४६.०            | ५.६४                      |
| १९४८-४९             | १८९.६                            | ६६.०            | ५.२३                      |
| १९४९-५०             | १९५.६                            | ६५.९            | ५.२५                      |

इन आँकड़ों से शत होता है कि इस योजना के अन्तर्गत कृषि भूमि का क्षेत्रफल तो बढ़ता गया परन्तु उत्पादन उस गति से न बढ़ा—इसका स्पष्ट अर्थ है कि प्रति एकड़ उपज कम होती गई। इसका भेद जानने के लिए रिज़र्व बैंक के कृषि विभाग ने मम्बई राज्य की ‘अधिक अन्न उपजाओ’ योजना की जाँच-

पडताल कर एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिससे याजना सम्बन्धी निम्न बातें शत होती हैं —

(१) योजना के अन्तर्गत कृषि योग्य बजर या पड़ती भूमि पर कृषि करने का प्रयत्न नहीं किया गया। जितनी भूमि पर युद्धपूर्व काल में कृषि होती थी उतनी ही भूमि पर कृषि होती रही।

(२) कुछ प्रदेशों में विस्तृत-कृषि अरश्य की गई परन्तु ऐसा करने के लिए अधिकारियों ने रुई की खेती की जाने वाली भूमि पर अन्न उपजाना आरम्भ कर दिया था। इससे रुई की खेती पर उल्टा प्रभाव पड़ा।

(३) याजना के अधीन कृषि-भूमि का क्षेत्रफल तो बढ़ता गया परन्तु प्रति एकड़ उपज कम होती गई जिससे इस आन्दोलन में खर्च किये गए धन के अनुपात में उत्पादन न बढ़ाया जा सका। व्यय राशि के अनुपात में बाह्यनीय परिणाम न मिलने के निम्न कारण रहे .—

प्रथम तो बात यह थी कि इस विशाल योजना के लिए सरकार के पास साधन सीमित थे और जो कुछ भी थे उनका सुचारु ढङ्ग से संचालन करके महत्तम उपयोग नहीं किया जा सका। क्षेत्र विशाल था जिसके अन्तर्गत भूमि की उत्पादन क्षमता के अनुसार साधनों का उपयोग न किया जा सका। कृषकों को सहायता देने के लिए सरकार के पास आवश्यक साधन न थे जिससे सभी लोगों को उन साधनों का लाभ नहीं मिल पाता था।

योजना के अधीन काम करनेवाले तथा काम करानेवाले प्रबन्धकों की संख्या कम थी और जो कुछ भी लोग थे वे लगन के साथ काम नहीं करते थे। अधिकांश लोग कार्यालयों में बैठे-बैठे काम करते थे जबकि उन्हें कृषकों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता थी। ये लोग कार्यालयों में बैठे बैठे पाइलों की संख्या बढ़ाते रहे, परन्तु उत्पादन की ओर कोई ध्यान न दिया। बहुत से लोग तो अन्न को छोड़ अन्य सामग्री उपजाते रहे और उनकी अधिकांश शक्ति चोर-बाजारी आदि कार्यों में लगी रही।

सरकार के पास कोई ऐसा साधन न था जिससे उस समय यह पता लगाया जा सकता कि व्यय राशि के अनुकूल उत्पादन भी मिल रहा है या नहीं। सरकार यह भी नहीं जान पाती थी कि वे कृषक, जो सरकार से इस योजना के



अधीन सहायता ले रहे हैं, उचित मात्रा में और उचित द्रव्य का माल उतपन्न हो कर रहे हैं या नहीं। इस प्रकार सरकार की अधिकांश शक्ति गृहा नष्ट होती रही।

सरकार की अधिकांश शक्ति इस योजना के विभाजन मात्र में ही समाप्त होती रही। सरकारी कर्मचारियों को औचित्य-अनीचित्य का बिलकुल ज्ञान न था। सरकार एक और तो नए-नए कुंए बनाने को प्रवृत्त होती जा रही थी और दूसरी ओर पुराने कुओं की मरम्मत की ओर बिलकुल ध्यान न था। इसी भाँति अनेक चीजें होती रहीं जिनसे अधिकांश साधन नष्ट होने लगे।

समुचित आयोजन एवं प्रबंध सम्बन्धी दोषों के कारण यह आन्दोलन सफल न हो सका। योजना सम्बन्धी अन्य उप-योजनाओं का समुहिक क्रम भली प्रकार न बनाया गया। सरकारी विभागों में न पारस्परिक सहयोग था और न आरश्यक ज्ञान ही—प्रत्येक विभाग अपनी-अपनी अलग-अलग नीति बनाकर काम करता रहा जिससे अन्धे परिणाम न मिले।

इन दोषों के अतिरिक्त कुछ वित्त-सम्बन्धी कठिनाइयाँ भी थीं। कृषकों को आरश्यकता पड़ने पर पर्याप्त धन-साहाय्य नहीं मिल पाती थी। श्रमिकों के पास पशुओं का श्रम था। वित्त सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण वे अन्धे और उपयोगी पशु नहीं खरीद पाते थे। इसके अतिरिक्त उनके पास हल तथा वृषि सम्बन्धी अन्य औजारों का भी श्रम था। ये वस्तुएँ उन्हें ऊँचे-ऊँचे दरों पर खरीदना पड़ती थीं और वह भी आवश्यकता के समय नहीं मिल पाती थीं।

इन कठिनाइयों के अतिरिक्त अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूमि का बटार, अपर्याप्त यानायाज के साधन आदि अनेक ऐसी कठिनाइयाँ भी जिनके कारण इस आन्दोलन के अन्तर्गत अधिक अन्न उपजाया जा सका।

इस योजना के अन्तर्गत अधिक अन्न उपजाने के लिए हमारे पास कुछ सुझाव हैं जो यहाँ दिए जा रहे हैं:—

१. यह योजना केवल उन्हीं प्रदेशों में कार्यान्वित की जाय जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती हो या सिंचाई के अन्धे और उत्तम साधन उपलब्ध हों। सिंचाई के साधन मिलने से अधिक अन्न उपजाने में काफी सहायता मिल सकती है। जिन स्थानों में यह योजना लागू की जाय वहाँ की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों का भली प्रकार अध्ययन करते एक समुचित

योजना और अन्य उप-योजनाएँ बना ली जाएँ। इन उप-योजनाओं का भिन्न-भिन्न विभागों के अधीन कर दिया जाय। इन सब विभागों में पारस्परिक सहयोग और सम्मेलन रहे और सर्वा योजनाओं का एक सामूहिक ढंग बना दिया जाय। कृषकों की सहायता देने के लिए शिक्षित और समझदार शिक्षक रखे जाएँ जो प्रस्तुत साधनों का उपयोग करने में उनकी सहायता करें। फसल बोने तथा काटने का काम वैज्ञानिक ढंग पर किया जाय। कई-कई गाँवों को मिलाकर एक इकाई निर्धारित कर दा जाय और इस इकाई का सामूहिक सहायता देकर सामूहिक तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सौंप दिया जाय।

२. सरकार छोटे छोटे कृषकों का साधन पर धन देकर अथवा अन्य आवश्यक वस्तुएँ देकर सहायता करे। इनका भुगतान लेने में सरकार किसी प्रकार की जा-जबरदस्ती न करे वरन् फसल के समय अन्न-बखूनी करते समय भुगतान चुकले।

३. अन्न की उपज बढ़ाने के हेतु कृषि सुधार तथा कृषि के पुनर्निर्माण सम्बन्धी एक समुचित योजना तैयार की जाय। नई भूमि का तोड़कर कृषि के काम में लाया जाय। सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएँ और बीज तथा खाद के वितरण का समुचित प्रबन्ध हो। जेतों की चकबन्दी की जाय तथा कृषि साधन संगठन को बल दिया जाय।

अन्न उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य वस्तुओं की कृषि बन्द करके उस भूमि पर अन्न उत्पादन भी न पैदा किया जाय क्योंकि तब अन्य वस्तुओं की कमी होने लगेगी। इसके लिए तो यह आवश्यक है कि नई भूमि का ही कृषिकरण किया जाय। इन सुझावों से अन्न की पैदा बढ़ाने में पर्याप्त सहायता मिलेगी। ऐसा करने से पहले सरकार को चाहिए कि वह देश के भिन्न भिन्न भागों में इस आन्दोलन सम्बन्धी जाँच-पड़ताल करके यह मालूम करले कि वहाँ मानवीर और भौतिक शक्तियाँ किस प्रकार मिलकर काम कर रही हैं। ऐसा करने से सरकार को यह शक्त हो जायगी कि वहाँ किन किन बातों का अभाव है और उस अभाव को पूरा करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। यदि ऐसा करके एक संगठित योजना बनाई गई तो अन्न ही इस योजना द्वारा अधिक अन्न उपजाया जा सकेगा।

## ८—कृषि का यन्त्रीकरण

हमारे देश में कृषि-उत्पादन कम होने का एक मुख्य कारण यह है कि भारतीय कृषक कृषि कार्यों में प्राचीन, भद्दे और अयोग्य यन्त्रों का प्रयोग करते हैं। यह ठीक है कि ये यन्त्र उनके जीवन-स्तर के अनुकूल हैं परन्तु उत्पादन बढ़ाने में ये नितान्त निरर्थक ही हैं। आज भी, जब कि संसार में विज्ञान और यन्त्र-विद्या ने इतनी प्रगति कर ली है, भारतीय किसान गेत जोतने के लिए पुराने हलो पर, फसल काटने के लिए दरानी पर और अन्न बरसाने के लिए प्राकृतिक वायु पर आश्रित बना हुआ है। इसके विपरीत संसार के अन्य प्रगतिशील देशों में, विशेषकर अमरीका और रूस में, कृषि कार्यों के लिए यन्त्रों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। इनके द्वारा उन देशों की कृषि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। उन्नत यन्त्रों का प्रयोग करके उन देशों की कृषि-उत्पत्ति में आश्चर्यातीत वृद्धि हुई है। भूमि का यन्त्रीकरण करने में तथा आदि से अन्त तक सभी कृषि-क्रियाओं में उन्नत और उत्तम यन्त्रों का प्रयोग होता है जिससे वहाँ का उत्पादन-धन्य भी कम हो गया है तथा समय और मानव-शक्ति भी बचत होती है। यन्त्रीकरण ने वहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक भारी परिवर्तन करके वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर ऊँचा बना दिया है।

भारतीय कृषि के यन्त्रीकरण के शिष्य में प्रकार-प्रकार के मत व्यक्त किए जाते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि भारतीय कृषि में उन्नत यन्त्रों का प्रयोग वास्तविक और आवश्यक है। उनका कहना है कि विज्ञान के युग में यन्त्रों का प्रयोग न करके देश की संपत्ति का पूरा दोहन सम्भव नहीं क्योंकि इन यन्त्रों के प्रयोग द्वारा ही देश का उत्पादन बढ़ाकर जनता का जीवन-स्तर उठाया जा सकता है। इसके विपरीत कुछ लोगों का विचार है कि हमें अपने पुरातन हल-बैल को त्याग कर आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग कदापि न करना चाहिए। ये लोग यन्त्रों के नाम-मात्र से ही डरने लगे हैं। उनके विचार में हमारे देश में कृषि का यन्त्रीकरण न आवश्यक है और न वास्तविक है। ये सोचते हैं कि कृषि में

यन्त्रों के प्रयोग से मानव शक्ति का हास होता है और बेकारी पैलती है। इस प्रकार के विपरीत विचारों से इस विषय में निश्चय करना कुछ कठिन ही है परन्तु फिर भी देश की उर्वर भूमि को देखते हुए, कृषकों की गरीबी को देखते हुए तथा देश की खाद्य समस्या को देखते हुए यह आश्चर्य नहीं जाता है कि इस विषय में कोई न कोई स्थायी मत निर्धारित किया जाय। इसने लिए पहिल हमें यह समझ लेना चाहिए। क्या हमारे देश में कृषि के यन्त्रीकरण के लिए आवश्यक क्षत्र और सुविधाएँ उपलब्ध हैं? प्रधानतः कृषि के यन्त्रीकरण में हमें निम्नलिखित अनुविधाएँ हैं —

(१) हमारे देश में खेत छोटा और टुकड़े हैं जिसमें उनमें यन्त्रों का प्रयोग सम्भव नहीं हो सकता।

(२) कृषि में यन्त्रों का प्रयोग करने से कृषि पर आधारित मजदूर-वर्ग विकसित होकर बेकार हो जायगा जिससे देश में एक और समस्या उठ सही हो जायगी। दूसरे, जब तक देश में पर्याप्त मात्रा में मजदूर मिल सकते हैं और उनकी मजदूरी को दर कम है तब तक यन्त्रों का प्रयोग करने इन्हें बेकार बनाने में कोई लाभ नहीं।

(३) भूमि के यन्त्रीकरण के लिए यन्त्र सरीदने में जितनी पूँजी की आवश्यकता होगी उतनी पूँजी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है।

(४) यदि यन्त्रों का प्रयोग आरम्भ भी कर दिया जाय तो समस्या यह है कि उनके लिए तैल शक्ति कहाँ से प्राप्त की जाय। इसके लिए फिर देश को विदेशी आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा।

(५) देश में कुशल कारीगरों और मित्त्रियों का भी अभाव है जो इन यन्त्रों का प्रयोग कर सकें और उनका प्रयोग कृषकों को समझा सकें। यन्त्रों की टूट पूटनी मरम्मत कराने की सुविधाएँ हमारे पास प्राप्त नहीं हैं।

जहाँ तक खेतों के क्षेत्रफल का सम्बन्ध है यह ठीक ही है कि हमारे यहाँ खेतों का क्षेत्रफल छोटा है और इन खेतों में यन्त्रों का प्रयोग नहीं हो सकता। रूस में, जहाँ कृषि का यन्त्रीकरण शिखर पर माला जाता है, खेतों का औसत क्षेत्रफल १६०० एकड़ है। इसी प्रकार अमरीका के खेतों का औसत क्षेत्रफल १५६ एकड़ और वेनेडा में २३४ एकड़ है। इसके विपरीत हमारे खेतों का

श्रीसत चोत्रपाल तीन एकड़ है। ऐसी स्थिति में यन्त्रीकरण करना कैसे सम्भव हो सकता है ? परन्तु फिर भी, चाहे हम यन्त्रीकरण करें या न करें, हम अपने खेतों को पक्कवन्दी करके उनका चोत्रपाल तो विस्तृत बनाना ही है क्योंकि ये खेत हमारे किसी भी काम के लिए अनाधिक हैं। इसका उपाय यह है कि सम्मिलित और सहकारी कृषि की प्रथा का फालन किया जाय। यदि छोटे छोटे कृषक अपने-अपने खेतों को मिला कर मिलकर कृषि करें तो यन्त्रीकरण की यह कठिनाई सहज ही में स्वतः ही हल हो जायगी। तब कृषि में यन्त्रों का प्रयोग भरल ही नहीं बरन् आवश्यक हो जायगा। इस कार्य में यद्यपि कुछ समय लगेगा परन्तु भविष्य के लिए यह एक नीति बन जायगी। निश्चय ही, यन्त्रीकरण का प्रश्न हँसकर टालने का नहीं है, बरन् यह वह प्रश्न है जिस पर भारी भारत की भारी कृषि नीति अवलम्बित होगी। इस समय भी देश में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ यन्त्रों का सफल प्रयोग हो सकता है। ऐसे प्रदेशों में यन्त्रों का प्रयोग बर देना चाहिये। जमीन तोड़ने के लिये तो ट्रैक्टरों का प्रयोग आरम्भ हो ही चुका है। अब इस बात की आवश्यकता है कि कृषि के हर एक पालू में यन्त्रों का भरपूर प्रयोग किया जाय।

कृषि में यन्त्रों के प्रयोग को इसलिए टुकराया जाता है कि इनसे खेतों में काम करनेवाले लोग बेकार हो जाएँगे और देश में बेकारी फैल जायगी। यदि यह मानकर चलें कि यन्त्रीकरण के पश्चात् ४ व्यक्तियों का काम एक ही व्यक्ति कर लिया करेगा तो अनुमान है कि कोई ६,७०,००,००० व्यक्ति बेकार हो जाएँगे और तब इतनी बड़ी जन-संख्या के लिए कोई काम देना असम्भव रहेगा। विशाल उद्योगों में, जिन्होंने गत २० वर्षों में इतनी प्रगति की है केवल ३०,००,००० व्यक्ति ही काम पा सके हैं। अतः यदि यन्त्रीकरण के पश्चात् भारी जन-संख्या बेकार हो गई तो समाज का क्या हाल होगा ! हमारी का और रूस में तो कृषि के यन्त्रीकरण की इसलिये आवश्यकता हुई कि वहाँ काम करनेवाले लोगों की कमी थी। परन्तु हमारे देश की परिस्थिति बिलकुल भिन्न है। हमारे घाटों भूमिजों की कोई कमी नहीं तो फिर उन्हें बेकार क्यों रिया जाय ? अतः कहा जाता है कि जब तक देश में काम करनेवालों की कमी नहीं तब तक कृषि का यन्त्रीकरण करना अवाञ्छनीय है। परन्तु समस्या पर यदि गम्भीरता

से सोचा जाय तो वस्तुस्थिति सरलता से समझी जा सकती है। यन्त्रीकरण से बेकारी पैलने का भय नितान्त भ्रमात्मक है। कृषि के यन्त्रीकरण से देश का आर्थिक विकास होगा जिसमें उत्पादन और वस्तु निर्माण के नए नए साधन, निम्न पड़ेंगे और इन्हीं उत्पादों में कृषि से रिचलित जन-संख्या को रोजगार मिलता रहेगा। इससे अनिश्चित यह भी याद रखना चाहिए कि कृषि पर जन-संख्या का भारी दबाव है। यद्यपि लोगों को कृषि पर काम मिला हुआ है परन्तु उनकी उत्पादन शक्ति बहुत नगण्य है। ऐसी स्थिति में ऐसे रोजगार से क्या लाभ जिसमें भरा पूरा उत्पादन न मिल सके। हमें केवल रोजगार पाने के उद्देश्य को लेकर ही रोजगार नहीं लेना है बल्कि अपने जीवन-स्तर को बढ़ाने तथा सम्पत्ति में वृद्धि करने के लिए रोजगार लेना है। इस दृष्टिकोण से तो आज भी पराक्षर रूप में बेकारी है। यन्त्रीकरण ने यह बेकारी दूर होकर जनसंख्या अन्य साधनों में जुट जायगी। इसी के साथ साथ यह भी समझ लेना चाहिए कि कृषि सम्बन्धी अनेक काम ऐसे हैं जिनसे कृषकों के स्वास्थ्य पर बहुत दबाव पड़ता है। कभी कभी तो कृषकों को दिन रात काम करना पड़ता है। यन्त्रीकरण से यह दोग दूर हो जायगा और कृषकों को अपने हास-परिहास के लिए तथा स्वास्थ्य वृद्धि के लिए पर्याप्त समय भी मिलता रहेगा। बहुत सी स्त्रियाँ और बच्चे भी कृषि कार्यों से छुट्टो पा जाएँगे। अतः किसी भी प्रकार से यन्त्रीकरण द्वारा बेकारी की समस्या से डरना निर्मूल है। एक बात और है। कृषि में काम करने वाले पशु कृषि में उत्पादित बहुत सी सामग्री स्वयं खा जाते हैं जिससे मानव आवश्यकताओं के लिए माल की कमी हो सकती है। यदि ट्रैक्टरों तथा अन्य मशीनों का प्रयोग किया जाय तो यह सामग्री मानवी आवश्यकताओं के लिए प्राप्त हो सकती है। अनुमान है कि अमरोका में कोई १,२०,००,००० घोड़े और खच्चर हटाकर ट्रैक्टरों से काम लिया गया जिससे लगभग ३,३०,००,००० एक्ड़ भूमि की बचत हुई जिस पर इनके लिए घास-चारा उपजाया जाता था।

बुद्ध लोगों का मत है कि यन्त्रीकरण से भूमि की उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ती। उनका रहना है कि एक बार तो गहरा जोत से उत्पादन बढ़ जाता है, परन्तु यन्त्रों के द्वारा बार-बार गहरा जोत करने से उत्पादन-शक्ति नहीं बढ़ती।

अतः यन्त्रीकरण के द्वारा अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता जबकि इसी की हमें सबसे अधिक आवश्यकता है। परन्तु यह बात भ्रमात्मक प्रतीत होती है। वास्तव में देखा जाए तो भूमि की उत्पादन-शक्ति केवल सही जल पर ही निर्भर न होकर अन्य अनेक कारणों पर निर्भर होती है। मिट्टी, जलवायु, मिनरल, बीज, खाद, कृषकों के काम करने की योग्यता और अनुसंधान, श्रम का आयोजन आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिन पर कृषि-भूमि की उर्वरता निर्भर रहती है। इन सब बातों का एक दूसरे के साथ भूमि पर प्रभाव पड़ता है और सभी उर्वरता शक्ति घटती बढ़ती है। अगर किसी देश में, जहाँ यन्त्रों का प्रयोग होता है, उत्पादन अधिक है और अन्य देश में, जहाँ यन्त्रीकरण नहीं है, उत्पादन कम है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि पहले देश का उत्पादन केवल यन्त्रों के प्रयोग के कारण ही अधिक है। अन्य अनेक कारण होने हैं जिनसे वजह से उत्पादन घटना-बढ़ता है। रूप में यन्त्रीकरण के पश्चात् कृषि की प्रति एकड़ उपज में काफी वृद्धि हो गई है जो निम्न अंशों में स्पष्ट होती है—

प्रति एकड़ उपज

|        | १९१३       | १९३७       |
|--------|------------|------------|
| चना    | ६८ फंडरबैट | ७४ फंडरबैट |
| कपास   | ८६ "       | ९८ "       |
| गुन्ना | ६७ "       | ७३ "       |
| जई     | २३.२ तुशन  | ३५.२ तुशन  |
| जौ     | १७.८ "     | २१.२ "     |

इसमें ज्ञात होता है कि यन्त्रीकरण से उत्पादन में वृद्धि होती है। किन्तु इसमें भी उत्पादन-वृद्धि और यन्त्रीकरण का अकेला कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं करना चाहिए। तथापि यह तो मानना ही पड़ेगा कि यन्त्रीकरण विस्तृत होती के साथ ही सम्पन्न हो सकता है और विस्तृत होती में साधारणतः उत्पादन अधिक होता है और उत्पादन व्यय कम होता है। यही कारण है कि हमारे देश में स्थान स्थान पर लोग कृषि-यन्त्रों का प्रयोग करने लगे हैं क्योंकि इस प्रकार उनका उत्पादन व्यय कम होता है। दूसरे, यन्त्रों की सहायता से काम शीघ्र ही पूरा किया जा सकता है। विशेषतः उन देशों में जहाँ की श्रमजल-जलदी-जलदी

बदलती हैं समय की बचत या बहुत महत्व है। हमारे देश में ऋतु परिवर्तन के कारण यन्त्रीकरण का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।

कृषि के यन्त्रीकरण में पूँजा की बहुत आवश्यकता होती है। जिसकी सहायता से कृषि यन्त्रादि खरीदे जा सकें। भारतीय कृषक कृषि के पास इतनी पूँजी नहीं कि वह इतने महंगे यन्त्र खरीद सके। वह तो स्वयं ऋण में जम जाता, ऋण में पलता है, और ऋणी ही मर जाता है। परन्तु यह कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जिसके कारण यन्त्राकरण की लाभप्रद योजना को ही टाल दिया जाय। आजकल भारतवासी एक प्रकार के दूषित चक्र से घिरे जा रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति पिछड़ा हुई है और इसलिए हम बचत नहीं कर सकते, और चूँकि हमारे पास पूँजी नहीं है इसलिए हमारी आर्थिक अवस्था हीन है। हमें किसी प्रकार से इस दूषित चक्र को तोड़ना चाहिए। इसका एक उपाय यह है कि कृषक उपभोग करने न उपजाकर पूँजीगत माल भी पैदा करें। रूस और जापान ने इसी प्रकार अपनी आर्थिक कठिनाई पार की थी। यहाँ अनियमित बचत योजनाएँ लागू की गई थी तथा पूँजीगत माल उत्पादन करने पर कृषक की बाध्य किया गया था। परन्तु कहा गया है कि ऐसा काम अपने देश में सम्भव नहीं हो सकता। यहाँ के निवासियों का अनियमित बचत करने की बाध्य करना ठीक नहीं होगा। तो दूसरा उपाय यह है कि विदेशों से ऋण लेकर यन्त्रादि खरीदे जाएँ। भारत सरकार ने विदेशों से ऋण लेकर यन्त्र खरीदना आरम्भ कर दिया है। आशा है इस काम का और अधिक प्रगति मिलेगी।

यन्त्रीकरण में हमारे लिए एक कठिनाई यह होगी कि यन्त्रों को चलाने के लिए तैल शक्ति प्राप्त करने में हमें विदेशों पर आश्रित रहना पड़ेगा। परन्तु यह कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जिससे मुलम्ताया न जा सके। तैल के स्थान पर अन्य प्रकार के दहन तैल द्वारा यन्त्र चलाने जा सकते हैं। चीनी की मिला में शीरा से डिप्रिट बनाकर भी मशाना का चालू किया जा सकता है। कुछ चीनी की मिला ने डिप्रिट बनाकर ट्रेक्टरों का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया है। इससे हमारी कृषि के यन्त्रीकरण में काफी सहायता मिलती रहेगी।

प्रायः कहा जाता है कि हमारे कृषक अशिक्षित हैं। वे कृषि काया में यन्त्रों का समुचित प्रयोग करना नहीं जानते। दूसरे, हमारे यहाँ यन्त्रों को चलाने तथा



उनकी सरम्मा करनेवाले मिलानों की भी कमी है। अतः यंत्रीकरण सरलता पूर्वक नहीं निभाया जा सकेगा। यंत्र यह बात भी निर्मूल है। यद्यपि हमारे कृषकों में यंत्रों का प्रयोग नहीं किया है परन्तु हमारा धर्म यह नहीं कि ये अर्थरूप में शीघ्र भी नहीं सकेंगे। यदि योजना बनाकर उन्हें इस काम की शिक्षा दी जाय तो यह प्रश्न हल हो सकता है। सरकार में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को इस कार्य में सहायता करनी चाहिए। सरकारों को चाहिए कि वे विदेशी कर्मों से सम्मेलन करके कृषि यंत्र केन्द्र स्थापित करें जहाँ कृषकों को यंत्रों का बोध कराया जाय तथा उन्हें इस बात की शिक्षा भी दी जाय। सरकार ने हाल ही में ट्रेक्टर बनाने का कारखाना खोला है जहाँ से देश की ट्रेक्टरों की आवश्यकता पूर्ण होगी।

अतः में हम यही यह कहते हैं कि भारतीय कृषि का यंत्रीकरण करने के मार्ग में ओ कठिनाइयों नहीं आती हैं वे निर्मूल और निरर्थक हैं। ठीक है कि पहिले कुछ सामुदायिक टांगी परन्तु उनको सरलता और साठगानी से पार किया जा सकेगा है। छोटे-छोटे खेतों की सबसे बड़ी कठिनाई है। फिर कुछ सीमाओं, ओ बेवार होगे परन्तु भी सलाह करना पड़ेगा। पूँजी की भी आवश्यकता होगी। इन सब कठिनाइयों से यंत्रीकरण के काम में कुछ बिलम्ब हो सकता है परन्तु मोड़-से आयोजन और प्रयत्नों से यह काम शीघ्र भविष्य सम्पन्न होने लगेगा। यह निश्चय है कि कृषि का यंत्रीकरण किष्ट बिना देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को पर्याप्त भोजन नहीं उपजाया जा सकेगा। अतः देश में अर्थरूप अर्थ संकट है तथा वर्षों साल की भी कमी है। यंत्रीकरण के द्वारा इन दोनों समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। कृषकों की आय बढ़ जायगी तथा उनका सामाजिक जीवन-स्तर भी उँचा उठ जायगा। कृषि के यंत्रीकरण से हमारा सामर्थ्य केवल देवदों के प्रयोग से ही नहीं होना चाहिए परन्तु खेत बोने में, फसल काटने में, सिंचाई करने में, यातायात आदि सभी कृषि क्रियाओं में आधुनिक यंत्रों का भावपूर्ण प्रयोग होना चाहिए। यद्यपि इस समय हम विषय में साक्षात् ही कोई विशेष उन्नति सम्भव नहीं हो सकती परन्तु यह निश्चित है कि दीर्घकालीन योजना में कृषि का यंत्रीकरण आवश्यक है

और आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। परन्तु यंत्रों का वास्तविक प्रयोग करने से पहले हमें कुछ और काम करने होंगे—जैसे यंत्रों की कार्यशैली को समझाने का प्रयत्न करना होगा तथा कृषकों के मनोविज्ञान में परिवर्तन करना होगा जिसमें वह अपने पुरातन हल-बैल व' लोड़ यंत्रों का प्रयोग करने लगे। इसके अतिरिक्त यंत्रोंकरण के कुछ प्रयाग भी करने होंगे अन्यथा नासमझी से काम करने पर यंत्र हमारी कृषि को धातक भी सिद्ध हो सकते हैं।<sup>१</sup>



<sup>१</sup> "Modern agricultural machines are very powerful tools which can either bring great benefits by appropriate and timely use, or if applied improperly and untimely, may cause irreparable danger to the soil."

## ६—कृषि की वित्त-समस्या

भारत में कृषि के पुनर्निर्माण के लिए मुश्किल वित्त-व्यवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता है। भारतीय कृषक को कृषि-करण के गहन भार से इतना मुक्त कर देना होगा कि वह अपने जीवन-स्तर को उच्च बनाकर कृषि-कार्यों के लिए उचित तथा आवश्यक धन-राशि प्राप्त कर सके। परन्तु दुर्भाग्य है कि अब तक हमारे देश में इस विषय की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ हम इस समस्या को वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए यह निश्चय करेंगे कि इस समस्या को किस प्रकार हल किया जाना चाहिए।

कृषि में वित्त की आवश्यकता दो अवसरों पर होती है। एक, उस समय होती है जब भूमि में कृषि-उत्पादन का कार्य आरम्भ किया जाय। उस समय कृषि-श्रौजार, बीज एवं खाद खरीदने तथा भूमि में आवश्यक सुधार करने के लिए धन-राशि की आवश्यकता होती है। दूसरे, उस समय होती है जब फसल को काटने के पश्चात् बेचने के लिए मण्डियों में ले जाया जाय। कृषि के लिए वित्त की आवश्यकताएँ प्रायः अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन होती हैं। बीज एवं खाद खरीदने के लिए तथा फसल काटने के लिए श्रौजार लगेनादि शुरुआत करने के लिए धन की जो आवश्यकताएँ होती हैं वे अल्पकालीन कहलाती हैं। इन कामों के लिए ऋण जो ऋण लेता है वह माल बिक्रते ही तुरन्त लौटा देता है। कभी-कभी कृषक को कृषि-श्रौजार खरीदने तथा अपनी भूमि में छोटे-मोटे सुधार कराने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। इन कामों के लिए वह जो ऋण लेता है वह अपेक्षाकृत कुछ लम्बे काल के पश्चात् चुकाता है। इस ऋण को मध्यकालीन ऋण कहते हैं। कभी-कभी कृषक को अपनी कृषि-भूमि में स्थायी सुधार कराने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए वह अपनी जमीन को आइरॉन कर लम्बे काल के लिए ऋण लेता है, जिसे शनैः शनैः वार्षिक किस्तों में चुकाना रहता है। यह दीर्घकालीन ऋण कहलाता है।

जहाँ तक व्यापारिक बैंकों का प्रश्न है ये बैंक तो कृषकों को सीधा ऋण देकर सहायता करते ही नहीं हैं। ये बैंक कृषि उपज की जमानत पर रेगल अल्पकालीन ऋण देते हैं और वह भा पसन व अरसर पर, अन्य अवसरों पर नहीं। इन बैंकों का कृषकों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता। ये बैंक स्वदेशी बैंकों को ऋण देते हैं और स्वदेशी बैंक इस ऋण से कृषकों को सहायता करते हैं। इस प्रकार व्यापारिक बैंक कृषकों की परोक्ष रूप से सहायता करते हैं। यदि हम यह चाहते हैं कि ये बैंक कृषकों की सीधी सहायता करने लगें तो इसके लिए हमें कुछ विशेष परिस्थिति बनानी होगी। हुण्डी बाजार को संगठित करना पड़ेगा जिससे हुण्डियों की जमानत पर ये बैंक राशि उधार दे सकें। साथ ही साथ बाजारों में माल के नाप-तौल व साधनों में भी सुधार करने होंगे, उपज का संग्रह करने व लिए गादाम बनवाने होंगे, और उपज की किस्म में भी उत्थिति करनी होगी। तभी ये बैंक कृषकों को वित्त सहायता दे सकती हैं।

रिजर्व बैंक बनने के पश्चात् कुछ लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित होने लगा है कि इस बैंक को भी कृषि की वित्त सहायता में कुछ काम करना चाहिए। अतः हम यहाँ अर्थात् कि रिजर्व बैंक ने इस विषय में क्या-क्या प्रयत्न किए हैं। हमारे देश में रिजर्व बैंक ने कृषि सार्व को संगठित करने के लिए जो काम किए उनका विचार तो हमें देश की विशेष परिस्थितियों को तथा अन्य ऐसे ही कृषि प्रधान देशों में केन्द्रीय बैंक की क्रियाओं को दृष्टि में रखकर करना होगा। रिजर्व बैंक का स्थापित करते समय निस्सन्देह यह बात सोची गई थी कि देश के केन्द्रीय बैंक का कृषि सार्व में विशेष कार्य करना होगा और इसी लिए इस बैंक में कृषि सार्व विभाग का निर्माण किया गया। कृषि सार्व विभाग का मुख्य कार्य कृषि सार्व सम्बन्धी प्रश्नों को अध्ययन करके कृषि सार्वों को समय समय पर मार्ग प्रदर्शित करना है। इसके अतिरिक्त यह विभाग अपनी क्रियाओं द्वारा प्रान्तीय सहकारी बैंकों तथा अन्य बैंकिंग संस्थाओं में कार्य-संगठन भी करता है। सन् १९३५ में इस विभाग का स्थापित करने समय यह बात मुझाई गई कि यह विभाग ३१ दिसम्बर १९३७ तक रिजर्व बैंक के सचालक-मण्डल के सामने कुछ ऐसे प्रस्ताव उपस्थित करे, किन्तु प्रकृत प्रकार कृषि सार्व पद्धति को उन्नत करने के लिए कानून की धारणा, महानजम तथा

अन्य ऐसे ही लोगों पर लागू की जा सकती हैं। स्मरण रहे कि यह विभाग केवल कृषि सम्बन्धी कार्यों की शोध करने तथा कृषि-संस्थाओं को नए नए सुभाष देने के लिए ही बनाया गया था। आस्ट्रेलिया की केन्द्रीय बैंक की भाँति इसको कृषकों को धन-राशि देने के लिए कोई वित्त-कोष नहीं सौंपा गया था। इसके बिना रिजर्व बैंक अन्य देशों की भाँति कृषि-साख-क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है। इस विभाग ने भारत तथा अन्य देशों का कृषि-साख सम्बन्धी सामग्री इकट्ठा कर ली है। समय समय पर प्रकाशित होने वाली रिपोर्टों में कृषि विभाग ने सरकार के सामने सुभाष रक्खे हैं कि कृषकों को साल-सुविधाएँ देने के लिए साहूकारों और महाजनों, को, जो हमारे देश में कृषि-साख के सबसे बड़े प्रदाता हैं, नियमबद्ध करना होगा और सहकारी साख आंदोलन का पुनर्निर्माण भी करना होगा। हमें देखना यह है कि इस विभाग ने क्या क्या काम किए हैं :—

सबसे पहिले अगस्त सन १९३७ में एक योजना तैयार की गई जिसमें भारतीय-केन्द्रीय-बैंकिंग-जॉन्-समिति के प्रस्तावों पर आधारित नये सुभाष रक्खे गए कि अन्य बैंकों की भाँति महाजनों को भी रिजर्व बैंक द्वारा निपत्रों की कटौती की सुविधाएँ मिलनी चाहिए। परन्तु ये महाजन भारतीय-कम्पनी कानून के अनुसार अपना कार्यक्षेत्र सीमित रखेंगे। महाजनों को कहा गया कि ये सुचारु लेखा-विधि का पालन करें तथा लेखा पुस्तकों की जॉन् समय-समय पर रिजर्व बैंक के अधिकारियों से करावें। योजना के अनुसार रिजर्व बैंक को उनके बैंकिंग कार्य को निरीक्षण करने का भी अधिकार मिलना था और महाजनों को भी अधिकार मिला कि उनका नाम रिजर्व बैंक की बैंक-पुस्तक में रक्खी जाने के पॉच वर्ष तक वे अपना लेखा रिजर्व बैंक में ग्योन सकते हैं। परन्तु उनकी रिजर्व बैंक में पूँजी जमा करने को तब तक बाध्य नहीं किया जा सकता तब तक कि उनका अधि-देय तथा अभियानन-देय दोनों मिलाकर उनको व्यापार में लगी पूँजी से पॉच गुना या उससे अधिक न हो। योजना के अनुसार केवल उन्हीं महाजनों के नाम रिजर्व बैंक की बैंक-पुस्तक पर लिखना निश्चित किया गया जिनकी पूँजी कम से कम १२ लाख रुपये हो। यह योजना

केवल पाँच साल के लिए निश्चित की गई। इस योजना के अनुसार इन महा-जनों को विपत्तों के बटौती की वे सब सुविधाएँ प्राप्त होनी थीं, जो रिजर्व बैंक के तानिका बद्ध बैंकों को प्राप्त हैं। इस योजना का एक मात्र उद्देश्य यही था कि कृषि-साख का सबसे भारी दूरग—महाजन—को कानून ने बाँध दिया जाय जिससे महाजन मनमानी व्याज-दर पर रुपया उधार दे-दे कर कृषकों का शोषण न कर सकें। परन्तु महाजनों ने इस योजना का सर्वांशों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने परिकल्पना-व्यापार को तो छोड़ने का निश्चय किया परन्तु केवल बैंकिंग व्यापार तक ही सीमित रहने का स्वीकार न किया। मन् १९४१ में रिजर्व बैंक ने फिर 'बम्बई शर्माप. एसोसिएशन' से प्रश्न किया कि बैंकिंग-व्यापार के अतिरिक्त अन्य प्रकार के व्यापार का छोड़ कर रिजर्व बैंक में सम्बन्ध रखने के लिए कितने महाजन तैयार हो सकते हैं। 'शर्माप. एसोसिएशन' ने यह नुस्खा रक्खा कि अगले पाँच वर्षों में शून्य शून्यः बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग व्यापार अलग-अलग किए जा सकेंगे और उक्त योजनानुसार लेगा-बर्न भी रखकर लेखा पुस्तको का निरीक्षण रिजर्व बैंक द्वारा कराया जा सकेगा; परन्तु एसोसिएशन ने ऐसे महाजनों की संख्या के ठेक-ठेक अंकित रिजर्व बैंक के सामने प्रस्तुत नहीं किए। बैंक ने इस योजना को कार्यान्वित करना ठीक न समझा क्योंकि कृषकों के हित में यह बैंक तत्काल ही बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग व्यापार महाजनों द्वारा अलग कराना चाहता था। साथ ही साथ यह भी आश्चर्यक था कि महाजनों की अधिकांश संख्या इस योजना को स्वीकार करे। परन्तु सभी महाजन ऐसा करने को तैयार न थे और अधिकांश महाजनों को निधन-बद्ध किए बिना योजना के सही और वांछित परिणाम सम्भव नहीं थे। इस प्रकार महाजनों को कानून में न बाँधा जा सका। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि महाजनों को किसी प्रकार नियमबद्ध किया जाय और सभी कृषि साख-क्षेत्र में आश्चर्यक सुधार हो सकेंगे।

दूसरा प्रयत्न जो रिजर्व बैंक ने किया वह है महाजन द्वारा कृषि-उपज के विक्रय करने के लिए वित्त-सहायता देने का। १९३८ में बैंक ने स्वीटन महा-जनों के द्वारा कृषकों को उनकी कृषि-उपज की सार पर अग्रिम राशि उधार देने के लिए लिखे गए कृषि-बिलों को तानिका-बद्ध बैंकों के द्वारा योड़ी कटौती-

दर पर ही कटौती करना स्वीकार किया जिसने कटौती की बचत का लाभ कृषकों को मिल सके और वे अपना मान बचने तक आवश्यक धन-राशि प्राप्त कर सकें। अब तक कृषकों को महाजन से अत्यधिक व्याज-दर पर अपना उधार लेकर अपनी उपज की विपणन होकर महाजन के हाथ बेचना ही पड़ता था क्योंकि महाजन इस प्रकार अपने ऋण की वसूली भी कर लेता था। बचत कृषकों का मान महाजन मन-माने भाव पर गरीब लेत थे। परन्तु रिजर्व बैंक ने यह निश्चय किया कि तालिका-बद्ध बैंक रिजर्व बैंक की कटौती दर से २% अधिक लिया करेंगे और महाजन २ प्रतिशत अधिक मिलाकर धन राशि कृषकों को दिया करेंगे। इसका अर्थ यह होता कि कृषकों को रिजर्व बैंक का कटौती-दर से केवल ४ प्रतिशत अधिक व्याज-दर पर धन मिल सकता था और वे महाजनों के चंगुल से बच सकते थे। परन्तु तालिका-बद्ध बैंकों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे महाजनों को कृषकों के लिए निश्चित दर पर ऋण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। इस अनुविधा के कारण रिजर्व बैंक ने इस योजना को स्थगित कर दिया। कृषकों को वित्त-सहायता देने में रिजर्व बैंक का अग्रणी कदम सहकारी-रिता-ग्रामिणों में रहा। १४ मई १९२८ को रिजर्व बैंक ने एक नई योजना बनाई जिसके द्वारा सहकारी बैंकों को, जो ग्राम-साज था काम करते थे, रिजर्व बैंक से अपना उधार लेकर कृषकों को बँटने की सुविधा दी गई, परन्तु केवल एक ही प्रान्तीय सहकारी बैंक ने इस योजना के अनुसार लाभ उठाया। २ जनवरी १९२२ को रिजर्व बैंक ने दूसरी योजना बनाई जिसमें रिजर्व बैंक के कानून की धारा ११ (२) (ब) और ११ (४) (म) के अनुसार बैंक ने ग्राम-उपज के विपणन के लिए कटौती-दर से १% कम पर सहकारी बैंकों को धन देना निश्चित किया जिसमें वे कम व्याज-दर पर अपना उधार दे सकें। परन्तु बैंकों ने इसमें पूरा-पूरा लाभ न उठाया और केवल एक ही प्रान्तीय सहकारी बैंक ने २% पर रिजर्व बैंक से धन लिया और फिर ५% पर गरीब कृषकों को उधार दिया। मई १९४४ में रिजर्व बैंक ने कृषि की वित्त-समस्या को भली भाँति समझा और कृषकों को फसल के समय में आवश्यक धन-राशि देने के लिए गत प्रण-पत्रों तथा व्यापार-पत्रों को विशेष अग्रहार ( कटौती ) देकर स्वीकृत करना निश्चय किया। परन्तु सहकारी बैंकों ने इस योजना से भी कोई लाभ न उठाया और केवल निम्न धन-

राशि ही कुछ प्रान्तीय सहकारी बैंकों ने प्राप्त की और यह धन राशि कृषि-वित्त के लिए बहुत कम रही।

| वर्ष    | धन-राशि (लाखों में) |
|---------|---------------------|
| १९४१-४२ | ६६.९                |
| १९४२-४३ | २७५.२५              |
| १९४३-४४ | ३१७.१५              |

माघ १९४६ तक रिजर्व बैंक ने उत्तर-प्रदेशीय सहकारी बैंक को तो १३% की एक विशेष छूट देकर श्रृण देना स्वीकृत किया था।

रिजर्व बैंक कानून की धारा ११ (४) (द) अभी तक कृषि साप के हित में न्यायान्वित ही नहीं हो सके हैं। इस धारा का नियमानुसार उपयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक कि देश में रजिस्टर्ड-गोदाम न हों। इस अभाव की पूर्ति करने के लिए नवम्बर १९४४ में रिजर्व बैंक ने एक आज्ञा पत्र निम्नलिखित कि देश में रजिस्टर्ड गोदाम स्थापित किए जाएं जहाँ कृषि उपज इकट्ठी की जाय, इसका ग्रेशन (Grading) किया जाय तथा उनका समय समय पर निरीक्षण भी किया जाय। यह सोचा गया कि रजिस्टर्ड-गोदाम होने से बैंक कृषि को वित्त सहायता देने में अधिक काम कर सकेगा। परन्तु अभी तक हमारे देश में इस प्रकार के गोदाम नहीं बन सके हैं।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि हमारे देश में कृषि के लिए वित्त-सहायता का कोई उचित और संगाठत प्रबन्ध नहीं है। आवश्यकता के समय कृषक विरग होकर महाजन की ओर ही देखता है और वही उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर पाता है। परन्तु अब तरह तरह के कानून बनने से साहूकारों और महाजनों की शक्ति कम होती जा रही है। सहकारिता आन्दोलन की अभी भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। इसके द्वारा कृषकों की वित्त-सम्बन्धी सभी आवश्यकताएँ अच्छी तरह पूर्ण नहीं हो पाती। व्यापारिक बैंक केवल अल्पकालीन ऋण ही दे पाते हैं और वह भी बहुत कम।

रिजर्व बैंक भी जैसा कि अभी कहा गया है, कृषि के लिए बहुत सीमित सहायता कर पाता है। अतः कृषि की वित्त समस्या एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसे हल किए बिना कृषि और कृषक की उन्नति सम्भव नहीं। इस विषय में



सरकार को आगे बढ़ कर काम करना चाहिए। औद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन की भाँति कृषि-वित्त कॉरपोरेशन स्थापित करने चाहिए जो स्वयं कृषकों को ऋण दें तथा ऋण देनेवाली अन्य संस्थाओं को भी संगठित करें। गाँवों में ग्रामीण बैंक स्थापित करने चाहिए जो लोगों में रुचियाँ जमा लेकर उन्हें संचय करना सिखाएँ तथा उनको ऋण देकर सहायता भी करें। सन्ताप को बात है कि ग्रामीण बैंक स्थापित करने के दिवस में जिन-वइनाल करने के लिए सरकार ने ग्रामीण बैंकिंग-जॉन-कमेटी नियुक्त की थी। कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है परन्तु रोद है कि इस कमेटी ने अपनी सिफारिशों में बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव तो रखे हैं परन्तु उनका उद्देश्य लोगों को केवल संचय सिखाना ही आँका गया है, ग्रामीणों को ऋण देना नहीं। यही का अर्थ यह है कि कमेटी ने संचय-योजना पर अधिक ध्यान दिया है परन्तु वित्त-समस्या का मुलभाने के कोई टोम प्रस्ताव नहीं रखे हैं। कमेटी का कहना है कि “कृषि की वित्त समस्या को मुलभाने में काफी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इसमें समय लगेगा और दार्ढ्यकानन योजना बनाने की आवश्यकता होगी।” वास्तव में बात तो ठीक है परन्तु केवल इतना कहने में सन्तोष नहीं हो सकता। करने की बात यह है कि कृषि का वित्त सहायता देनेवाली भिन्न-भिन्न संस्थाओं को संगठित किया जाय तथा उनका कार्य-क्षेत्र भी बढ़ाया जाय। इसके लिए निम्न उपाय अधिक दिवकर सिद्ध हो सकते हैं :—

१. कृषि-वित्त-कॉरपोरेशन स्थापित किए जाएँ। एक अग्रिम भारतीय कॉरपोरेशन हो तथा गाँवों में भी अलग-अलग कॉरपोरेशन बनाए जाएँ।

२. सहकारी आन्दोलन की स्थिति सुधार कर उन्हें कृषकों के अधिक सहाय लाया जाय। सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाई जाय तथा उनके माध्या में भी कुछ बदोत्तरी की जाय।

३. साहकार और सहायता पर कुछ प्रतिबन्ध लगा कर उन्हें केन्द्रीय बैंक के नियंत्रण में लाया जाय जिसमें वे मनमानो ध्याज-दर वसूल न कर सकें। उनका कार्यप्रणाली भीभी और सरल बनाई जाय।

४. रजिस्टर्ड मोदाम स्थापित किए जाएँ तथा नाव-तील का एकमा

प्रबन्ध हो। यदि ऐसा होगा तो व्यापारिक बैंक अधिक मात्रा में कृषि की सहायता करने लगेंगे।

५. ग्रामीण बैंक स्थापित किए जाएँ, जो न केवल लोगों से राशि ही जमा करें वरन् उनकी सहायता भी करें।

६. रिजर्व बैंक ने कृषि विभाग को धन-राशि देकर एक कंपनी बनाया जाय जिसमें ने वह कृषि की सहायता कर सके।

यदि ये सुझाव काम में लाये जाएँ तो कृषि की अन्नस्था बहुत लुद्ध सुधर सकेगी।



## १०—भारत की पशु-समस्या

हमारे कृषि-प्रधान देश में पशुओं की उन्नति एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर कृषि और कृषक की उन्नति ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश-वासियों का जीवन-स्तर तथा देश भर की भावी उन्नति निर्भर है। भारतीय कृषि आदि-काल में बैलों पर आश्रित रही है—बैलों की रूढ़यत्ना में खेतों की जुताई, घुमाई तथा पसल काटने का काम होता है। कुओं में पानी निकालकर बिनाई करने के काम में बैल ही काम आते हैं। दूध पी का व्यापार पशुओं के स्वास्थ्य तथा उनके रहन-सहन के स्तर पर निर्भर है। ऊँच के लिए भेड़-बकरों राष्ट्र की सम्पत्ति कही जाती हैं। इस प्रकार कृषि, उद्योग एवं व्यापार तीनों की समृद्धि भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में पशुओं की उन्नति पर ही निर्भर है। परन्तु वेद का विषय है कि हमारे देश में इस समस्या की ओर अभी तक आश्चर्यक ध्यान नहीं दिया गया है। नित्यले दन-बारह वर्षों में तो सरकार ने कभी देश में पशुओं की गणना भी नहीं की जिससे यस्तुस्थिति का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त किया जा सके। पशु-गणना के अभाव में यह कहना असम्भव है कि हमारे देश में पशुओं की संख्या क्या है; उनका रहन-सहन कैसा है? सामान्यतः पशु दुर्बल और रोगी क्यों हैं? आदि, आदि। १९४० में एक बार एक छोटे पैमाने पर पशु-गणना करने का प्रयत्न किया गया था परन्तु उस समय भी देश भर की पशु-गणना न की जा सकी। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में उस समय पशु-गणना न हो सकी। अतः किसी भी प्रकार से सम्पूर्ण देश की पशु-संख्या के विषय में जानना दुर्लभ है। एक विद्वान् ने अपनी एक पुस्तक में १९४० और १९३५ की पशु-गणना के आधार पर लिखा है कि उस समय देश भर में कुल मिलाकर लगभग १८,६०,००,००० पशु थे। उन्होंने उनका यह व्योरा दिया है।

|          |             |               |           |
|----------|-------------|---------------|-----------|
| भैंस-गाय | ४,५०,००,००० | घोड़े-गर्ज्वर | २२,००,००० |
| भेड़     | ४,७०,००,००० | गधर           | २७,००,००० |
| बकरी     | ४,८०,००,००० |               |           |

इन आँकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया गया था कि कृषि के काम में आने वाली भूमि पर प्रति १०० एकर के क्षेत्रफल में पशुओं का घनत्व इस प्रकार था।

|        |      |      |   |
|--------|------|------|---|
| बैल    | २२.१ | भेस  | ७ |
| गाय    | ६७   | सूअर | ६ |
| मुर्गी | २६.३ |      |   |

अन्य देशों को देखते हुए पशुओं का घनत्व हमारे देश में बहुत अधिक है और निम्नता का विषय भी है। गत वर्ष में लखनऊ में आयोजित सयुक्त राष्ट्र की गाय और कृषि कांग्रेस में भाषण देते हुए सरदार दानारसिंह ने स्पष्ट किया था कि देश भर में पशुओं की कुल संख्या लगभग १७,६०,००,००० है। इन आँकड़ों के आधार पर प्रति १०० एकर कृषि भूमि ( जो प्रति वर्ष कृषि के लिए बोई जाती है ) के हिस्से में लगभग ७५ पशु आते हैं जबकि हालैण्ड में प्रति १०० एकर के क्षेत्रफल में ३२ पशु तथा मिश्र में २५ पशु हैं। हमारे देश में पशु संख्या जन संख्या का साईं ५५% है। इस प्रकार भोजन के लिए जन और पशु—दाना जुरी तरह से आश्रित हैं। जन, पशु तथा भूमि में एक प्रकार का संघर्ष सा चल रहा है और आज, जबकि हमारे देश में खाद्य संकट है, इस समस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। जन संख्या तो पेट भर भोजन पाती ही नहीं, पशु भी भूखे और प्यासे रहते हैं। वर्तमान परिस्थिति में पशुओं को पेटभर चारा नहीं मिलता और देश के अनेक भागों से चारे के अज्ञान के समाचार प्रति दिन मिलते रहते हैं। गत वर्ष गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों में चारे का बहुत अभाव रहा जिससे सैकड़ों पशु मर गए। आज भी राजस्थान में चारे की कमी है। इससे पशुओं को निम्न श्रेणी के आहार पर जीवन बिताना पड़ता है जिससे पशुओं में रोग फैलते हैं और उनकी नस्ल गिरती जाती है। न के कृषि के उपयोग के रहते हैं और न उनसे आहार प्राप्त किया जा सकता है। आज भी हमारे देश में सैकड़ों की संख्या में पशु तपेदिक, कोट तथा अन्य रोगों में फँसे हुए हैं। कानूर इन्स्टीट्यूट में शोध करके बतलाया गया है कि पशुओं के दुबल और रोगी होने का मुख्य कारण उन्हें भोजन की कमी तथा पौष्टिक आहार का अभाव है। परन्तु जैसे-जैसे पशुओं की

नस्ल बिगड़ती जाती है तैसे ही तैसे कृषकों को अधिक संख्या में पशु रखने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पशु-समस्या एक कुचक्र में फँसती चली जा रही है। आज से लगभग २० वर्ष पहिले कृषि के शाही कमिशन ने अपने रिपोर्ट में व्यक्त किया था :—

“किसी भी जिले में पशुओं की संख्या बैलों की स्थानीय आवश्यकताओं पर निर्भर रही है। कुशल पशुओं के पालन-पोषण की परिस्थितियाँ जितनी खराब होती हैं उतनी ही अधिक संख्या में पशु रखने की आवश्यकता होती जाती है। और जैसे-जैसे पशुओं की संख्या बढ़ती है तैसे-तैसे उनका स्वास्थ्य, नस्ल तथा कार्यक्षमता कम होती जाती है।”

इस प्रकार यह निश्चित है कि जैसे जैसे पशुओं की संख्या बढ़ती जाती है तैसे-तैसे उनकी कार्यक्षमता कम होती है और उनकी नस्ल बिगड़ती है। कृषि-भूमि पर दबाव पड़ने के कारण अन्न के अभाव में चारे की भी कमी होती है और चारे की कमी के कारण पशु हल्के, छोटे तथा रोगी हो जाते हैं। पशुओं की संख्या बढ़ने से ग्वाह वस्तुओं की कमी होने लगी है क्योंकि जनसंख्या के साथ-साथ पशु-संख्या का दबाव भी भूमि पर बढ़ गया है। सूना के समय में पशुओं की जंगलों में चराया जाता है जिसमें जंगलों की उपज भी कम होती जाती है। जैसे-जैसे पशु निर्यात तथा रोगी होत गए हैं तैसे-तैसे वे कृषि कार्य को कुशलता से नहीं कर पाते और कृषि की उपज कम होती जाती है।

हमारे देश की पशु-संख्या आवश्यकता से बहुत अधिक है। बिहार-उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास में प्रति १०० एकड़ भूमि क्षेत्र में क्रमानुसार २६, ४२ तथा ७५ पशु हैं जबकि हालैण्ड, मिश्र, चीन तथा जापान में क्रमानुसार ३८, २५, १५ और ६ हैं। इससे शान्त होता है कि हमारे यहाँ पशु संख्या का घनत्व कितना अधिक है। हमें ६ एकड़ भूमि पर एक जोड़ी बैल रखने पड़ते हैं जबकि मिश्र में प्रति १०० एकड़ पर ३ बैलों को रखना पड़ता है। १६३८-३६ में पंजाब में अनुमान लगाया गया था कि एक महीने में औसतन १० दिन बैलों को कोई काम नहीं रहता और वे निटल्ले रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि देश के उत्पादन-स्तर को कम किए बिना तथा प्राग्भ-न्यातायात के माधनों को भंग किए बिना आवश्यकता से अधिक पशुओं को कम करके

दृष्टि भूमि के समतुलन में ले आना चाहिए। परन्तु जब तक देश भर में पशु-गणना नहीं हो यह कहना कठिन है। कितने पशु अनावश्यक हैं। देश के विभाजन से पहिले अनुमान लगाया गया था कि कुँ पशु अनावश्यक हैं। यह बात पशुगणना करके निश्चित कर लनी चाहिए। पशु समस्या का हल करने के निम्न उपाय हो सकते हैं —

१ देश भर की पशु गणना करके पता लगाया जाय कि भिन्न भिन्न प्रकार के कितने पशु देश में हैं। उनमें से कितने असमर्थ हैं और कितना का विशेष राग आदि है। इस गणना से यह पता लगाया जा सकेगा कि साधना की दृष्टि से कितने पशु देश में आवश्यक हैं।

२ पशुओं का अशक ( Gradation ) किया जाय जिससे उनकी नस्ल सुधारने का राइ योजना बनाई जा सके।

३ पशुओं की नस्ल सुधारी जाय। इस काम में सरकार को आगे बढ़ कर काम करना चाहिए। जितना भी पुरे, रोगी तथा गराब नस्ल के पशु हों उनका निग हीन कर देना चाहिए। वृद्धिखाना में भी यह देयना चाहिए कि अच्छे और स्वस्थ पशु न काटे जाएँ परन्तु साथ ही साथ अपने चर्म-व्यापार को दृष्टि में रखना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि देश का चर्म व्यापार कम हो जाय। सरकार ऐसे पशुशाला बनाए जहाँ असमर्थ तथा रोगी पशु रह सकें। अन्य पशुओं के साथ इन्हें न छोड़ा जाय।

४ भिन्न भिन्न प्रकार के दो नर और मादा पशुओं को पशु संख्या बढ़ाने से रोका जाय। इस प्रकार नस्ल विगड़न का भय रहता है। परन्तु इसमें कठिनाई हो सकती है क्योंकि हमारे देश में अच्छे साँड़ नहीं हैं। सरदार दातारसिंह ने लगनऊ फार्म में कहा था कि हमें १०,००,००० साँड़ों की आवश्यकता है जबकि हमारे पास केवल १०,००० साँड़ हैं। डॉस ब्रीडिंग को रोकना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कृषि-मंत्री एम० ए० शेरगानी ने लगनऊ में कहा था कि Cross breeding हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। दूसरे, यह व्यर्था भी बहुत है। इससे जानवरों का स्वास्थ्य गिरता है तथा उनमें रोग फैलते हैं। तीसरे, डॉस ब्रीड करने वाले पशुओं को जितना अच्छा

आहार चाहिए वह हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। अतः क्रॉस ब्रीडिंग को, जहाँ तक हो सके, रोकना चाहिए।

५. हमारे देश में पशुओं की एक बड़ी समस्या उनके लिए चारे का अभाव रहता है। हम, अगर वास्तव में देखा जाय तो, आवश्यक चारे का ३ भाग भी अच्छी तरह नहीं पैदा करते। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि भूमि की कृषिकरण योजना में नई भूमि को तोड़कर चारा पैदा किया जाय। चारागाहों को सुरक्षित रखने का प्रबन्ध हो। चारे को स्रष्ट करके रखने की सुविधाएँ हो तथा साल में दो बार चारे की फसल की जाय। चारा उतारने का काम गाँवों की पंचायतों को सौंपा जा सकता है। ये पंचायत गाँवों के ग्राम-पास की बेकार भूमि पर चारा पैदा करने का प्रबन्ध करें। यदि यह प्रश्न हल हो गया तो पशुओं का स्वास्थ्य और कार्यक्षमता में आवश्यक वृद्धि होगी।

६. पशु चिकित्सा का भी प्रबन्ध हो। इसके लिए गाँवों में पशु-चिकित्सालय हो जहाँ पशुपतियों को चिकित्सा का लाभ मिल सके। पशु-रोगों की राधा के लिए विशेषज्ञों का प्रबन्ध करके शोध-केंद्र खोले जायें।

७. पशु-संख्या के घटने को संतुलन में लाया जाय। अधिक घनत्व वाले प्रदेशों से कम घनत्व वाले क्षेत्रों में पशुओं को भेजा जाय। इस के लिए सरकार पशुशाला तथा डेरी फार्म खोलने का प्रबन्ध करे।

८. सरकारी सॉइ-पर खोले जायें। इनमें अच्छी-अच्छी नस्ल के सॉइ हो और ये सॉइ आवश्यकता के समय पशुओं को सख्या बढ़ाने में योग्य हों।

यदि ऐसा किया गया तो देश की पशु-समस्या हल हो जायगी और कृषि, कृषक तथा जनता को भी आवश्यक लाभ होगा। कृषि-प्रधान देश की समृद्धि पशु-सम्पत्ति पर निर्भर होगी है। अतः कृषि को उन्नत बनाने के लिए कृषक को सुग्री करना होगा और कृषक का सुग्री पशु-सम्पत्ति पर निर्भर है।



## ११—कृषि-आयोजन की आवश्यकता ?

भारतीय कृषि की नई पुरानी समस्याओं का वर्णन पीछे किया जा चुका है। हमारी कृषि में कुछ ऐसी अनुविधाएँ, अइच्चनें तथा कठिनाइयाँ हैं जिन्हें दूर करना इतना सरल नहीं है जितना प्रायः समझा जाता है। इन कठिनाइयों के कारण ही देश ने कृषि साधना का पूरा पूरा निदोहन नहीं किया जा सका है जिससे भूमि की उत्पादन शक्ति कम हो गई है तथा उत्पादन व्यय बहुत बढ़ गया है। इन दोनों कारणों से हमारे कृषक तथा समूचा ग्रामाण जनता गरीबी में ग्रसित होती जा रही है। अस्तु ! कृषि सम्बन्धा समस्याओं को अलग अलग करने नहीं मुलभाया जा सकता। इसके लिए तो सर्वाङ्ग पूर्ण कृषि योजना की आवश्यकता है जिससे अनुसार काम करते हुए कृषि साधना का पूरा-पूरा निदोहन किया जा सके तथा उत्पादन व्यय कम करके कृषकों की आय बढ़ाई जा सके और इस प्रकार उनका जीवन-स्तर ऊँचा उठाया जा सके। राष्ट्रीय आर्थिक आयाजन के किसी भी प्रोग्राम में कृषि-उन्नति तथा कृषि सम्बन्धी उद्योग धन्धों के विकास को सबसे पहिला स्थान मिलना चाहिए। आर्थिक आयाजन का अर्थ यह है कि देश की उत्पादक शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग किया जाय कि जिससे सम्पत्ति का उत्पादन बड़े, पितरण में सुधार हो तथा जिससे सामान्य जनता का जीवन स्तर ऊँचा बनाया जा सके। यद्यपि नहीं, आयोजन करते समय ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रत्येक देशवासी को काम करने के समान अगसर मिल सकें और सम्यक् समाज के अन्तर्गत उसकी न्यूनातिन्यून आवश्यकताएँ पूरी हो सकें। राष्ट्रीय आयाजन-समिति ने अपनी योजना में देश का कृषि और कृषक को मुख्य स्थान दिया था। आयोजन करते समय केवल आर्थिक जीवन-स्तर के विषय में नहीं बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा मानवीय पक्ष की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। योजना के लक्ष्य और उद्देश्य योजना कार्यान्वित करने से पहिले ही निर्धारित कर लेने चाहिए। हमारे देश ने कृषि-आयोजन में निम्नलिखित बातों को अग्रस्थ ध्यान में रखना पड़ेगा :—



१. कृषि हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है और रहेगा। अतः इसको विशेष स्थान देना चाहिए। आयोजकों को देश की प्रामाण्य जनता के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। कृषि के साथ-साथ तन्मध्यस्थी उद्योग-धन्धों को उन्नत करने का प्रयत्न भी करना चाहिए जिससे कृषक अपने स्वामी समय में इन उद्योगों में काम करके अपनी आय बढ़ा सकें।

२. कृषि व्यवसाय में पूँजी की व्यवस्था होनी चाहिए। कृषकों को बचत करना मिलाने के लिए सरकारी बैंक होने चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े तो विशेष प्रकार की साव-संस्थाएँ भी स्थापित करनी चाहिए जहाँ लोग अपनी बचत जमा कर सकें तथा जहाँ से वे ऋण भी ले सकें। कृषकों का ऋण जानें-दाने दीर्घकालीन ऋणों पर ४ प्रतिशत से अधिक तथा अन्य ऋणों पर ६-६ प्रतिशत से अधिक व्याज नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक का कृषि और कृषकों से सीधा सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

३. कृषि-योजना में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसमें देश में आर्थिक विरमता दूर होकर सन्तुलन उत्पन्न हो। हमारे देश के वर्तमान आर्थिक-संगठन में अधिराज्य जनता कृषि पर अवलम्बित है और बहुत कम लोग उद्योगों, यानायात तथा अन्य व्यवसायों पर आश्रित हैं। योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें कृषि पर पड़ा हुआ भार कम हो। कृषि-क्रियाओं में ऐंसे सुधार होने चाहिए कि जिसमें जन-शक्ति के साथ-साथ कृषि-उत्पादन भी बढ़ता जाय। सहायक उद्योग धन्धे भी स्थापित होने चाहिए जहाँ कृषि पर आश्रित लोग काम कर सकें।

४. नई भूमि को तोड़कर उसे कृषि के काम में लाना चाहिए। बिना भूमि का कृषिकरक किए प्रायः तथा अन्य पदार्थों का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। सरकार यह काम कर रही है परन्तु इसमें भी अधिक काम की आवश्यकता है।

५. सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसके अन्तर्गत सिंचाई के नए-नए माधन बनाए जायें तथा पुराने साधनों को विकसित किया जाय। सरकार को इस विषय में कृषकों के लिए सिंचाई के साधन बढ़ाने में धन तथा यांत्रिक सहायता देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

६. भूमि-व्यवस्था तथा कृषि क्रियाओं में ऐसे परिवर्तन किए जाने चाहिए जिससे टपक स्तनता पूर्णक नाम नर सके । उसे निसा बाह्य शक्ति पर आश्रित न रहना पड़े । इसका अर्थ यह है कि जिस वायु मण्डल में आज हमारे टपक जीवनयापन करते हैं उस वायु मण्डल में ही मुधार कर देना चाहिए ।

७. कृषि भूमि का इस प्रकार वितरण होना चाहिए कि निससे खाद्य-पदार्थ तथा अन्य रूच्चा माल सतुलन क साथ आवश्यकतानुसार उत्पन्न किया जा सके । देश क विभाजन से उपजाऊ भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चले जाने से हमें रूच्चे माल की बहुत कमा हा गई है । कृषि योजना में रूच्चे माल के मामले में देश को स्तनन्न बनाना का आयाजन हाना चाहिए । गहरी खेती करने क साधना का प्रयोग किया जाय । आधुनिक वैज्ञानिक यन्त्रों का प्रयोग किया जाय । उत्तम प्रकार क बीजा का प्रयोग हा तथा पयाप्त और रासायनिक खाद लगाई जाय । इन उपायों से कृषि की उपज बढ़ने लगेगी । सरकार का टपक क लिए इन सब रस्तुओं की मुविधाएँ देकर उसने हाथ मजबूत करने चाहिए ।

८. कृषि आयाजन में सिंचाई के लिए पानी प्राप्त करने के प्रयत्न तथा शाध होने चाहिए । जिन स्थानों में सिंचाई आवश्यक है वहाँ जल-साधनों को नियन्त्रित करके उचित रूप से काम में लाने का प्रबन्ध करना आवश्यक है । देश में अनेक ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पानी के अभाव के कारण भूमि से बिल्कुल काम ही नहीं लिया गया है । राजस्थान में यदि सिंचाई का प्रबन्ध किया जाय तो वहाँ की भूमि सन्तुच ही सोना उगल सकती है, परन्तु सरकार ने इस और प्रभावशाली रुदम नहीं उटाया है । यदि योजना बनाकर नल वृष बनाए जाएँ और निसी भी प्रकार एक नहर का प्रबन्ध किया जा सके तो राजस्थान की भूमि देश के अधिकांश भाग को अन्न दे सकती है । बहुमुग्या जल-योजनाएँ तो कार्यान्वित हो रही हैं परन्तु छोटी-छोटी योजनाओं को भी कार्यान्वित करना चाहिए । स्थानीय और छोटी छोटी सिंचाई की योजनाएँ गरि पचायतों को सौंप दी जानी चाहिए जिससे वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उनका प्रबन्ध कर सकें ।

९. भूमि स्तर तथा जगनों को सुरक्षित रखने का दायित्व सरकार को

अपने ऊपर लेना चाहिए। देश भर की भूमि की जाँच पड़ताल करके यह पता लगाना चाहिए कि कितनी भूमि कृषि-योग्य होने हुए भी कृषि के काम में नहीं आती। ऐसी भूमि को कृषि के काम में लाने का काम बहुत आवश्यक है। जंगलों का विदोहन करके उन्हें मुरादायक रचना भी आवश्यक है। जितने भी व्यक्तिगत जंगल हो उन सबको सरकार को अपने अधीन कर लेना चाहिए। सरकार ऐसी नव-नीति बनाएँ जिसमें जंगलों का अधिक-अधिक उपयोग हो सके।

१०. कृषि-मजदूरों की स्थिति सुधारने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इन मजदूरों का शोषण बन्द करके उन्हें सामाजिक-मुरदा-याजना का लाभ देना आज बहुत आवश्यक है। न्यूनतान्यून मजदूरी का प्रबन्ध करके इनके जीवन-स्तर को उठाने का प्रश्न आज बहुत महत्वपूर्ण है।

११. कृषि जन्य वस्तुओं के यातायात की सुविधाएँ देकर उन्हें मण्डियों में बेचने का प्रबन्ध करने की व्यवस्था कृषि-याजना में अत्यन्त ही चाहिए। आजकल इन बातों की बहुत अमुविधाएँ हैं। इसके लिए योजना में संचालित-बाजार (Regulated Markets) स्थापित करने चाहिए। कृषकों को मण्डियों के भाव समय-समय पर मिलते रहें। इसकी भी व्यवस्था योजना में करनी चाहिए।

१२. योजना-अधिकारियों को एक निश्चित मूल्य-नीति निर्धारित करनी चाहिए जिसमें कृषक न्यूनतान्यून तथा अधिक-अधिक मूल्यों की सीमाएँ जानता रहे। सरकार को चाहिए कि वह कृषि पदार्थों का मूल्य स्थायी बनाने का प्रयत्न करे। न्यूनतान्यून तथा अधिक-अधिक सीमाएँ निश्चिन की जाएँ और फिर सरकार देखे कि इन सीमाओं से नीचे या ऊपर मूल्य का उच्चावचन न हो। कृषि की उन्नति के लिए मूल्यों का संचालन एक नितान्त आवश्यकता है। मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाएँ कि जिससे कृषक गन्धार्द्र तथा अन्य कच्चा माल सभी वस्तुएँ उपजाता रहे। कहीं ऐसा न हो कि गन्धार्द्र के भाव अपेक्षा-कृत ऊँचे हो या अन्य वस्तुओं के भाव ही ऊँचे हों। यदि ऐसा हुआ तो कृषि-उत्पादन अधूरा रहकर एक-पक्षी बन जायगा। कृषि उत्पादन में संतुलन होना चाहिए।

१३. योजना में एक ऐसी व्यवस्था भी होना चाहिए कि जिसके अनुसार

ग्रामीण जनता को शिक्षा तथा मच्छति सम्बन्धी सुविधाएँ प्राप्त हाती रहँ । योजना के अतर्गत शैक्षणिक तथा सास्टृतिक लक्ष्य अरश्य हान चाहिएँ । गाँवों म अन्विार्य शिक्षा प्रखाला आरम्भ हा और आयश्यरतानुसार माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का भी प्रबन्ध क्रिया जाय । ग्रामीण शिक्षा का आयोजन इस प्रकार हो ।व उसम शारीरक श्रम का यधष्ट स्थान मिले और विद्यार्थी प्रत्येक शारारक श्रम क योग्य बन सकेँ । इसर लिएँ अश्यविद्यालय कमीशन के सुझाव बहुत उपयागी हैं कि देश में ग्राम्य-अशवावद्यालय खाले जाएँ । सरकार को इस आर टीन नहीं करनी चाहिएँ । कहने का अर्थ यह है कि शिक्षा द्वारा देशवासियों के दृष्टिकरण म मूल परिर्तन करकेँ ही कृषि को उन्नत बनाना सम्भव है । इसने लिएँ एर बृहद् योजना बननी चाहिएँ ।

कृषि आयोजन का लक्ष्य ऐसा हाना चाहिएँ कि जिससे कृषि और उद्योग दोनों में सतुलन उत्पन्न करकेँ देश के मानवाय और भौतिक साधना का अधिक से अधिक विदोहन क्रिया जा सने । कृषि के विकास के साथ साथ छोटे और बडेँ दोनों प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिएँ । इस बात का ध्यान रखना चाहिएँ कि टाप और उद्योग एर दूसरे के पूरक व्यवसाय हैं और एक की उन्नति दूसरे के विकास पर आध्रित है । कभी कभी कहा जाता है कि कृषि और उद्योग दोनों में रु किसी एक का ही उन्नत क्रिया जासकता है और किसी एक के विकास को ही पर्याप्त पूँजी मिल सकती है इसलिए किसी एक का ही विकास होना चाहिएँ । परन्तु यह दृष्टिकोण विलुल गलत है । दोनों का ही विकास आयश्यक है परन्तु यह तभी हो सकता है जब कि कोई संगठित योजना बने । कृषि और उद्योगा में होने वाला प्रतियोगिता का रोक कर ऐसा प्रबन्ध क्रिया जाय कि जिसम उत्पादन, उपभोग, पूँजी, विनियोग आदि सभी के लक्ष्य निर्धारित करकेँ उन्हें प्राप्त करने की दार्षकालीन और अल्पकालीन योजनाएँ बनाई जा सन । लक्ष्य बनाकर निश्चिन्त समय में उन्हें प्राप्त करने के पूरे-पूर प्रयत्न होने चाहिएँ । इस आर रुस का उदाहरण हमारे सामने है जहाँ पंच-पर्याय योजनाएँ बनाकर विकास हाता रहा है । योजना सरकार बनाये परन्तु उस योजना के साथ जनता की सहकृति तथा सहभाग हाना चाहिएँ करारि बिना जन सहभाग क कोई भी योजना सफल नहीं हा सकता ।

## १२—पंचवर्षीय-योजना में कृषि का स्थान

योजना कमीशन ने हमारी कृषि का महत्व समझ कर अपनी 'पंचवर्षीय योजना' में इसको विशेष स्थान दिया है। कमीशन ने शोधगत से बढ़ने वाली हमारी जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की है कि जिससे स्वाभाविक तथा कच्चे भाल की माँग शीघ्र पूर्ण में संतुलन बनाया जा सके। गत कुछ वर्षों से हम अन्न के मामले में विदेशों पर निर्भर रहे हैं परन्तु इस प्रकार किसी देश का काम सदैव नहीं चल सकता। अतः योजना के अन्तर्गत देश को आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्था की गई है। योजना के अनुसार उपनिर्वाह पर अगले पाँच वर्षों में इस प्रकार राशि व्यय की जायगी :—

(फरोड़ रूपयों में)

|   | दो वर्षों में मिलाकर<br>( १९५१-५३ ) | पाँच वर्षों में मिलाकर<br>( १९५१-५६ ) |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| कृषि  | ६०.८                                | १३६.६                                 |
| पशु व्यवस्था, पशु चिकित्सा<br>तथा डेरी-स्थापन | ६.७                                 | २२.५                                  |
| वन  | ३.२                                 | १०.१                                  |
| सहकारिता-विभाग                                | ३                                   | ७.२                                   |
| मल्लुनी उद्योग                                | १.४                                 | ४.४                                   |
| ग्रामीय विकास                                 | ४.०                                 | १०.६                                  |
| योग   | ७६.१                                | १९१.७                                 |

योजना के अन्तर्गत कमीशन ने अपने लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किए हैं कि पाँच वर्षों के पश्चात् योजना पूर्ण होने पर ७२,००,००० टन अधिक अन्न; २१,००,००० अधिक पटसन की गाँटें; १२ लाख अधिक रुई की गाँटें;

३,७५,००० टन तिलहन और ६,६०,००० टन अधिक चीनी उत्पन्न हो सकेगी। इन लक्ष्यों का व्यौरा प्रत्येक राज्य में अलग अलग इस प्रकार दिया गया है—

( हज़ारों में )

|                  | अन्न     | पटसन                | रूई                        | तिलहन    | चीनी     |
|------------------|----------|---------------------|----------------------------|----------|----------|
|                  | टनों में | ४०० पाँड की तैल में | ३६२ पाँड तोल की गाँठों में | टनों में | टनों में |
| आन्ध्रप्रदेश     | ३११      | ४४०                 | ...                        | ...      | ५०       |
| बिहार            | ८७६      | ३६०                 | ...                        | ८५       | ५०       |
| बम्बई            | ३६७      | .                   | १६८                        | ६३'०     | ३४       |
| मध्यप्रदेश       | ३४७      | ..                  | १२८                        | २७'०     | ...      |
| मद्रास           | ८३४      | ...                 | २१८                        | १४२'०    | ७८       |
| उड़ीसा           | २६५      | २००                 | ...                        | ...      | ...      |
| पंजाब            | ६५०      | ...                 | ७६                         | ...      | ५७       |
| उत्तरप्रदेश      | ८००      | ३३०                 | ४६                         | ६१'०     | ४१०      |
| प० बंगाल         | ७६७      | ७००                 | ...                        | ...      | ११       |
| हैदराबाद         | ६३३      | ..                  | ८८                         | ४६'०     | ...      |
| मध्यभारत         | ३००      | ...                 | ६१                         | ६'५      | ...      |
| मैसूर            | १५६      | ..                  | ७५                         | ...      | ...      |
| पूर्वी पंजाब —   |          |                     |                            |          |          |
| रियासती सघ       | २४६      | ...                 | ५६                         | ...      | ...      |
| राजस्थान         | ८६       | ...                 | ७५                         | ...      | ...      |
| सौराष्ट्र        | ६४       | ...                 | १५६                        | १५'०     | ...      |
| ट्रान्समोर-      |          |                     |                            |          |          |
| कोचीन            | १४१      | ...                 | ...                        | ...      | ...      |
| अन्य राज्यों में | २६०      | ...                 | १७                         | ...      | ...      |
| योग              | ७२०२     | २०६०                | १२००                       | ३७५'०    | ६६०      |

इसमें ज्ञान होता है कि योजना कमीशन ने अपना दृष्टिकोण रितना विस्तृत बनाया है और कितनी व्यापक योजना रीतार की है। देश के प्रत्येक भाग में कृषि के विकास की व्यवस्था की गई है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कमीशन ने मिन्चार्डों को विकसित करने, खाद तथा अन्य दैर्घानिक साधनों का प्रयोग करने, उत्तम कोटि के बीज प्रयुक्त करने तथा भूमि के शृषीकरण की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था का लीरा इस प्रकार है—

अधिक क्षेत्र जो अधिक अन्न-उत्पादन  
योजना के अनुसार जो योजनानुसार  
प्रयुक्त होगा। बढ़ेगा।  
( १०० एकड़ ) ( १०० टन )

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| १. बड़ी-बड़ी सिचार्ड योजनाओं द्वारा                  | ८,७१२         | २,२७०        |
| २. छोटी-छोटी सिचार्ड योजनाओं द्वारा                  | ७,६२१         | १,६३२        |
| ३. भूमि-सुधार तथा शृषीकरण की<br>योजनाओं द्वारा       | ७,४०५         | १,५२४        |
| ४. खाद तथा अन्य रसायनिक पदार्थों<br>के प्रयोग द्वारा | ..            | ५८८          |
| ५. उत्तम कोटि के बीज-वितरण की<br>योजना द्वारा        | ...           | ३७०          |
| ६. अन्य योजनाओं द्वारा                               | ...           | ५२०          |
| <b>योग</b>   | <b>२३ ७३८</b> | <b>७,२०२</b> |

कमीशन ने यह भली भाँति समझ लिया है कि देश की कृषि-व्यवस्था और रूग्णता में कुछ ऐसे मूल दोष हैं जिनके कारण कृषि की उन्नति नहीं हो सकी है। योजना कमीशन ने इन दोषों को दूर करने के लिए प्रस्ताव किया है कि प्रत्येक जिले को कई-कई विकास-प्रदेशों में बाँटा जाय। प्रत्येक विकास-प्रदेश में २५ से ३० हजार की जनसंख्या वाले ५० से ६० तक गाँव ह। इन प्रदेशों का दलगत-अलग-अलग विकास किया जाय। प्रत्येक विकास प्रदेश एक विकास-अफसर के प्रबन्ध में रहे। ये अफसर कृषि, सहकारिता तथा पशु विभागों का काम समन्वित करें।

इस अफसर के नीचे कुछ ऐसे कार्यकर्ता हों जो ५ या ६ गाँवों का दायित्व लें। इनके काम की देख भाल तथा धन राशि सम्बन्धी व्यवस्था 'सहकारी केन्द्र' में, जो उस प्रदेश में स्थापित किया जाय, सौंप दी जाय। प्रत्येक जिला एक जिला-कमिटी के अधीन हो। इस कमिटी में विकास विभागों के वास्तवता तथा अन्य विशेषज्ञ हों, जिलाधीश इसका अध्यक्ष रहे। जिलाधीश की सहायता को जिला-विकास अफसर रहें। यह जिला कमिटी नीत निर्धारण का काम करे और विकास प्रदेशों का काम देखे भाले। एक एक राज्य के लिए विकास कामश्नर रक्ता जाय और यह राज्य के रूप सब धा काम की देख भाल करे। कमिशन का विचार है कि योग्य कर्मचारियों के अभाव के कारण यह योजना एक साथ ही सारे देश में लागू नहीं की जा सकती। अतः इस योजना को पहले उन राज्यों में लागू किया जाय जहाँ वर्षा अच्छी होती है और मिचार्ड के आरक्षक साधन भी उपलब्ध हों। इस प्रकार यह योजना धीरे धीरे सभी राज्यों में लागू कर दी जाय। कमिशन की यह योजना वास्तव में सराफ़नय है। कमिशन ने भूमि-स्वयंस्था का सुधार करने के लिए राज्यों द्वारा अपनाई गई जमींदारी-जामींदारी उन्मूलन योजनाओं का स्वागत किया है और कहा है कि इससे भूमि की उन्नति में काफी योग मिलेगा।

योजना में सहकारिता के सिद्धान्त पर गाँवों का प्रबंध करने का प्रस्ताव किया गया है। सहकारी ऋण पर अधिक जोर दिया गया है। कमिशन का मत है कि सहकारी ऋण के लिए भूतल ऋणों की भूमि को मिला लेना चाहिए। अपनी अपनी भूमि पर उनके अधिकार रहें परंतु वे ऋण कामों को सब मिल कर करें। यह योजना उन्हीं गाँवों में लागू की जाय जिनमें कम से कम २/३ भूतल ऋण, जिनके पास गाँव की कम से कम १/२ भाग कृषि भूमि हो, राजी हो जाएँ।

कृषि-मजदूरों की स्थिति सुधारने के विषय में योजना कमिशन का विचार है कि सहकारिता के आधार पर कृषि करने तथा सहकारी गोध पचायतों के बनने से उनकी अवस्था में अग्रगण्य सुधार हो जायगा। जब तक ऐसा संगठन कार्यान्वित किया जाय तब तक के लिए योजना कमिशन ने राज्य सरकारों को निम्न सुझाव दिए हैं :—



१. जिन प्रदेशों में कृषि-मजदूरी की मजदूरी कम है और स्थिति बहुत ग़रब है वहाँ न्यूनानिम्न मजदूरी यान्त्र (१६४८) को लागू कर दिया जाय।

२. भूमि की कृषीकरण योजना में नई भूमि को तोड़कर कृषि-मजदूरी को बसाया जाय जिस पर वे कृषि करने लगें।

३. उनके रहन-सहन की स्थिति सुधार कर उनका सामाजिक स्तर उठाने के प्रयत्न किए जाएँ।

कृषि के लिए जल की व्यवस्था करने के लिए वर्मेशन में छोटी बड़ी अनेक जल-योजनाएँ निश्चित की हैं। इनको पूरा करने के लिए योजना में ४५० करोड़ रुपये की व्यवस्था है। योजनानुसार वर्ष का चौरा इस प्रकार है :—

| वर्ष     | व्यय (करोड़ रुपये में) | अधिक-भिन्न क्षेत्र (एकड़ों में) | अधिक विस्तार-<br>उत्पादन (विलोवाट में) |
|----------|------------------------|---------------------------------|--|
| १९४७-४८  | ६६                     | १५,५६,०००                       | १,४४,०००                               |
| १९४८-४९  | ११२                    | २७,१०,०००                       | ३७३,०००                                |
| १९४९-५०  | १००                    | ४५,२५,०००                       | ८,८६,०००                               |
| १९५०-५१  | ७७                     | ६७,२५,०००                       | १०००,०००                               |
| १९५१-५२  | ५३                     | ८८,२९,०००                       | ११,२४,०००                              |
| अन्त में | ...                    | १,६५,०१,०००                     | १६,३५,०००                              |

योजना के प्रथम भाग में, जिसमें कुल मिलाकर १४६३ करोड़ रुपये व्यय करने का अनुमान है, केवल उन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिनके द्वारा अल्पकाल में ही व्यापक उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। योजना में प्रस्तावित नदी-घाटी योजनाओं के अतिरिक्त अन्य अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं जिनकी श्रमले १५ वर्षों में पूर्ण होने की आशा है। जनता का भिनाई-योजना में सहयोग तथा समर्थन बढ़ाने के लिए वर्मेशन ने प्रस्ताव किया है कि नहरें आदि बनाने के लिए जहाँ अनुशुक्त धन की आवश्यकता पड़े वहाँ पर प्रांतीय लोगों को काम पर लगाना चाहिए। इसमें उन्हें काम भी मिलेगा और इन योजनाओं में उनका समर्थन भी प्राप्त होगा।

योजनानुसार कृषि की उन्नति होने से आशा है कि सामान्य जनता को अधिक भोजन तथा उद्योगों को अधिक वृद्धा माल मूल सकेगा । तब अन्न आयात करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी । अनुमान है कि योजना सफल होने पर प्रति व्यक्ति १४५ ग्राम भोजन मिल सकेगा जबकि आज १० ग्राम भोजन प्रति बालिग के हिसाब से ही प्राप्त है ।

---

## १३—भारत में औद्योगीकरण की समस्या

भारत की अनेक आर्थिक समस्याओं में से एक मूल समस्या यह है कि देश की आर्थिक विपत्तियों को दूर करके कोटि-कोटि देशवासियों के जीवन स्तर को उन्नत किया जाय। जयन्-स्तर को उन्नत बनाने के लिए देश की राष्ट्र-सम्पत्ति में न्यूनानिन्यून दो गुना वृद्धि करनी होगी।<sup>१</sup> इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृषि-क्षेत्रों का व्यवस्थित करना होगा, रानिज-पदाथों का विदोहन करके उनका सदुपयोग करना होगा तथा देश के छोटे-बड़े सब प्रकार के उद्योगों का संस्थापन तथा पुनर्संरक्षण भी करना होगा। पूर्व अनुभव से प्रत्यक्ष है कि देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर रही और ज्यों-ज्यों जनसंख्या में वृद्धि होती गई कृषि व्यवसाय क्षीण और अचलन होता गया एवं परिणामस्वरूप भारत में दुर्भिक्ष, बेकारी तथा आर्थिक विपत्तियों का प्राधान्य हो गया। अब आवश्यकता इस बात की है कि देश का आर्थिक कलेवर समुचित हो जिसके अनुसार अन्न-उत्पादन में स्वावलम्बी होने के अनिश्चित देश में भ्रष्ट-भ्रष्ट प्रकार के छोटे-बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग धंधों का निर्माण किया जाय, जिसमें लगभग आधी जनसंख्या का भार कृषि में उठ जाय और देश स्वावलम्बी होने के साथ-साथ राष्ट्र सम्पत्ति में भी वृद्धि हो। देश के आर्थिक कलेवर को उन्नत तथा समुचित करने के लिए देश का औद्योगीकरण अनिवार्य है जिसके बिना सामान्य जनता की स्थिति सुधर ही नहीं सकती। राष्ट्र की रक्षा एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देश का औद्योगीकरण आवश्यक है। आज के युग का तो नारा ही यह हो चला है कि " औद्योगीकरण करो अन्यथा नष्ट हो जाओ " (Industrialise or Perish)।

हमारे देश में औद्योगीकरण का क्षेत्र विशाल है। औद्योगिक साधनों की भी कोई कमी नहीं परन्तु अब तक इन साधनों का विदोहन करके उपयोग ही नहीं किया गया। आज औद्योगीकरण की नितान्त आवश्यकता हो चली है।

<sup>१</sup> राष्ट्रीय योजना समिति रिपोर्ट : पृष्ठ संख्या २२

वृष्टि ने, जो हमारे देश का प्रधान व्यवसाय माना जाता है, विनाम एवं पुनर्निर्माण के लिए भी औद्योगिक विकास की आवश्यकता है। जैसा कि पिछले प्रष्टों में बताया जा चुका है हमारे आर्थिक बलेशर का मुख्य आधार— वृष्टि बहुत अग्रत और हीन दशा म है। इसका कारण यह है कि इस पर जनसंख्या का भारी दबाव है। देशवासियों का व्यवसाय के अन्तर्गत न त न होने के कारण वृष्टि पर ही आश्रित रहना पड़ता है। यदि देश में उद्योग स्थापित किए जाए तो वृष्टि पर आश्रित लोग का एक अन्य व्यवसाय भी मिल सकता है और वृष्टि का भार भी कम हो सकता है। इससे अनिश्चित उद्योगों के द्वारा वृष्टि शक्तों का अधिक शक्तिशाली उन्नत प्रकार के यन्त्र मिल सकते हैं, यातायात की सुविधाएँ मिल सकती हैं तथा वृष्टि निर्यातों का सम्पन्न करने के लिए वैधानिक साधन भी प्राप्त हो सकते हैं। आज अनेक उन्नत देशों के अनुभव हमारे सामने हैं कि उद्योग किस प्रकार उद्योगों का उन्नत बनाकर वृष्टि को उन्नत की। इन सब देशों में पहिले बेकारी की समस्या आई और इसे दूर करने के लिए उन देशों ने उद्योगों का निर्माण तथा पुनर्संरक्षण किया<sup>१</sup>। उद्योगों के बनने से श्रमिका की माँग बढ़ती है और श्रमिकों की माँग बढ़ने से उनकी मजदूरी भी बढ़ने लगेगी जिससे उनकी जीवन स्तर ऊँचा बनेगा। देश का औद्योगिक विकास राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। आज के युद्ध प्रसिद्ध मसार में अद्यपि प्रथम दश शान्ति शान्ति पुनार रहा है परन्तु फिर भी हम किसी प्राकृतिक दुर्घटना के लिए तैयार रहना चाहिए। युद्ध छिड़ जाने पर युद्ध सामग्री के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अतः ऐसी रणनीति का बनाने के लिए देश में औद्योगिक कारखाने स्थापित करना अनिवार्य हो जाता है। इन बातों से स्पष्ट है कि हमारे देश का औद्योगीकरण आवश्यक है नही परन्तु अग्रत भी है। उद्योगों से देश की आर्थिक व्यवस्था में अनुत्तम आयगा और देशवासियों का कल्याण होगा। किसी भी आर्थिक आशेनन में औद्योगीकरण का उचित स्थान मिलना चाहिए।

<sup>१</sup> १० मण्डेलनरू द्वारा लिखित 'दो इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ऑन बैकवर्ड एरियाज' : पृष्ठ ३

प्राकृतिक गैस हमारे यहाँ नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ शक्ति अभाव है। हिमालय की गर्म भर बहने वाली नदियों में अपार जल शक्ति छिपी पड़ी है परन्तु दुर्भाग्यवश इसका विदोहन करके उपयोग नहीं किया गया है। यदि प्रयत्न किए जाएँ तो गन्ने के शीरे से स्ट्रिप्ट तथा कोयला से गैस तैयार की जा सकती है। पन बिजली बनाने के लिए सरकार ने काम आरम्भ कर दिया है। नादया की बहुमुखी योजनाओं के अन्तर्गत यह काम चालू है। आशा है देश भर का पर्याप्त पन बिजली मिल सकेगा।

प्रश्न यह है कि क्या हमारे उद्योगों में बनाए गए माल की खपत हमारे यहाँ हो सकेगी? इससे पहले हम अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि हमारी अपार जनसंख्या है—उससे भिन्न भिन्न प्रकार के स्तर हैं। तो क्या ऐसी जनसंख्या में हमारे माल की खपत नहीं होगी? यह ठीक है कि अभी हमारे देशवासियों की शक्ति है और इस योग्य नहीं है कि ऊँचा स्तर का माल खरीद सकें। परन्तु यदि सरकार प्रयत्न करके समाहित आर्थिक नाति बना कर उस पर चले तो हम लागू का स्तर भी ऊँचा हो सकता है। पर प्रणाली में कुछ फेर बदल करने लोगों की शक्ति-शक्ति बढ़ाई जा सकती है। दूसरे, अन्य देशों की भाँति हम भी अपना पक्का माल विदेशों में निर्यात कर सकते हैं। अतः खपत की समस्या का लक्ष्य हम औद्योगीकरण से विमुक्त नहीं होना चाहिए।

औद्योगीकरण भी सबने बड़ी समस्या है—पूँजी। जहाँ है हमारे देश में पूँजी का अभाव है और हमारा देश की पूँजी सञ्चित है, परन्तु यह बात सच नहीं। देश में सम्पत्ति का कोई अभाव नहीं परन्तु काटनाई यह है कि वह सब सम्पत्ति दबी पड़ी है। अगर हमारे देश की मुद्रा मण्डी को संगठित किया जाय और दबी हुई सम्पत्ति का निकालने के लिए सरकार विश्वसनीय उपाय करे और जनता का दिग्गद कि देश में वास्तविक औद्योगीकरण हो रहा है, तो यह सम्पत्ति पूँजी का रूप लेकर देश के हित में लगाने के लिए निर्यात की जा सकती है। वास्तव में देखा जाय तो देश की पूँजी सञ्चित नहीं बल्कि पूँजीशक्ति भयंकर रूप से खो गई है। उच्च स्तर के प्रति, सरकारी शक्ति के प्रति तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के प्रति विश्वास नहीं है। हाल ही में जिस तेजी से जनता ने सरकारी शक्तियों में पैसा लगाया उससे तो यही जात होता है। क

देश में पैंगे की कमी नहीं है। कमी है पारस्परिक विश्वास की, सरकारी मर्यादित नीति की, पूँजी लगाने के लिए आवश्यक तथा उपयोग क्षेत्र की। फिर भी यदि पूँजी ही कमी हो तो विदेशों से उधार लिया जा सकता है। अनेक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं जहाँ से ऋण लेकर काम चलाया जा सकता है। सरकार ने विश्व बैंक से तीन ऋण तो ले लिए हैं और चौथा ऋण लेने का बात-चीत चल रही है। उसी प्रकार विदेशी सरकारों से ऋण लेकर काम चलाया जा सकता है। इंग्लैण्ड और अमरीका ने भी अपने अपने औद्योगीकरण में सयमे पहिले विदेशी पूँजी लेकर काम चलाया था। हम भी ऐसा कर सकते हैं।

अतः मे प्रश्न है प्रबन्धक और साहसी लोगों का जो उद्योगों का आयोजन करके कामचलाने स्थापित करें, उनका प्रबन्ध करें और मन्वजन करत हुए उनको उन्नत बनायें। औद्योगीकरण करने तथा उद्योगों को उन्नत बनाने के लिए बुद्धिमानी, दूरदर्शिता प्रबन्ध-शक्ति तथा तीव्र दृष्टि की आवश्यकता होती है। परन्तु हमारे देश में तो इन गुणों का भी अभाव नहीं। हमारे यहाँ के प्रबन्धक अधिकर्ता ( मैनेजिंग डायरेक्टर्स ) इन कामों में दक्ष रहते हैं। इन्हीं के प्रयत्नों से भारत अब तक थोड़ो-बहुत औद्योगिक प्रगत कर रहा है। टाटा, बिड़ला जैसे दूरदर्शी, निपुण, चतुर तथा कार्यशील उद्योगपतियों ने देश का आर्थिक नकशा ही बदल दिया है। यह ठीक है कि इस पदान में अपने कुछ रूप हैं परन्तु कुछ प्रबन्धका ने तो निश्चय ही अपने उत्तरदायित्व, गाम्यता, कुशलता तथा देश प्रेम का परिचय दिया है। जहाँ तक साहस का प्रश्न है वह तो औद्योगिक विकास के साथ साथ आयागा। ज्यों-ज्यों औद्योगिक प्रगत होगी कार्यकर्ता कुशल और साहसी बनत चले जायेंगे।

इन सब बातों से ज्ञात होता है कि हमारे देश में औद्योगीकरण के लिए आवश्यक सभी वस्तुएँ उपलब्ध हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब योरप के अनेक देशों ने, जो आज औद्योगिक क्षेत्र में अगुआ बने बैठे हैं, सम्यता का प्रकाश भी नहीं देगा था तो भारत अपने देशवासियों की कला और कलाकारों की निपुणता के लिए प्रसिद्ध था। हमारे देश का इपड़ा, लोहा, हाथीदाँत की वस्तुएँ, होने जवान्त्रिय के आभूषण तथा क-य ऐसी

ही वस्तुएँ अपनी कला के अद्वितीय नमूने समझे जाते थे। कहा जाता है कि बादशाह प्रौरङ्गजेब ने एक बार प्रदनी लडकी को नगे शरीर दरबार में आने के लिए डाँटा था जबकि वह साडा का सात लह शरीर पर लपेटे हुए थी। यह थी हमारी कपड़े की कला। अनेक वस्तुएँ अपनी प्रौद्योगिक कला के लिए समाज भर में प्रसिद्ध थीं। परन्तु औद्योगिक ज्ञान के आत ही भारत की कला लुप्त हो गई। हमारे कड़े कारण थे, जैसा ( १ ) दशा राज्या का अन्त, जो देशी कला का सम्मान करने थे ( २ ) विदेशी शासन कला ( ३ ) पश्चिमी सभ्यता के कारण जनता में भारताय सौंदर्य का प्रात उदासमानता तथा ( ४ ) मशीन द्वारा बनाए गए माल की प्राप्ति का गता। हमारा प्रौद्योगिक व्यवस्था में दो मसन बड़े दो प रहे हैं—( १ ) पृथिवीय माल का प्रभाव, ( २ ) विदेशी पृथ्वी एवं अदृशा शासन-कला का प्रभुत्व। इन दोनों कारणों से हमारा प्रौद्योगिक कलेसर अनतान्त निर्यल अन्धारा और अनिश्चित रहा है। हमें इन दोनो का दूर करना चाहिए तभी देश का वाछ्य औद्योगिक प्रगम सम्भव हो सकता है। फिर भी औद्योगीकरण कोई बहुत सरल बात नहीं है। इसके लिए कर्गटित प्रयत्न और आयोजन की आवश्यकता है। यदि आयोजन करने प्रयत्न किए जाए तो निश्चय ही दश औद्योगिक क्षेत्र में अपूर्व उन्नति कर सकता है।

## १४—श्रौद्योगिक आयाजन की आवश्यकता ?

भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में आज श्रौद्योगिक अन्नाद का अत्यन्त महत्त्व है। युद्धकाल में और उसके पश्चात् भी मद्रास का अन्न-आय मजबूत हुआ होगा। मद्रास-आय की नीति के कारण भी जनसाधारण की वृद्धि कम कीटनाशक नदी भोगनी पड़ी। अन्न-वर्ष के अन्तर्गत की इस बात का अर्थ है कि निवट भविष्य में अन्न-वर्षों पर्याप्त मात्रा में बेकार हो जायेंगे। हमारा भी यह विचार है कि यदि निवट भविष्य में यह अन्न-वर्ष का रूप धारण करले तो श्रौद्योगिक अन्न-आय के अन्तर्गत हम समाजिक जगत् में भी उन अन्न-आय-वर्षों को जागरूक करेंगे, जो भारत की वर्तमान परिस्थिति में हमारे लिए अन्नायुक्त-वर्षों की तरह होंगे। यदि भविष्य में हमें अपना आर्थिक जीवन सुदृढ़ बनाना है और उसे ऐसे बाध-प्रकारों से दूर रखना है जिसमें कि उसमें अन्न-आय न आने पड़े, तो हमें अपना आर्थिक संगठन इस दृष्टिकोण में करना चाहिए कि जिससे उसकी अन्न-आय ही दूर न की जा सके, वरन् जिसमें जनसाधारण का आर्थिक-स्तर भी ऊँचा बनाया जा सके।

आज का युग कुछ ऐसा ही चला है कि आर्थिक जगत् में व्यक्तिगत कार्यों को अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जा सकता, और न हम व्यावसायिक के सिद्धान्तों पर पूर्णरूपेण विश्वास ही कर सकते हैं। हमारा जीवन इतना जटिल होता जा रहा है तथा अन्य व्यक्तियों और राष्ट्रों के जीवन से इतना सम्बद्ध होता जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति और महत्त्वपूर्ण समस्या का हल व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत सहायता पर निर्भर रहकर करना सम्भव नहीं। हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन करना अब व्यक्तिगत याद के सिद्धान्त पर सम्भव नहीं। आज का तो युग ही व्यक्तिगत याद के विपरीत है। जनसंख्या बढ़ने के कारण, उत्पादन में परिवर्तन के कारण और इन दोनों के कारण मनुष्य का जीवन इतना यथ-आयित हो गया है कि जनसाधारण की भलाई के लिए आजकाल के युगकी माँग है उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण की माँग ही वह है समाजवाद की



भायना जिसमें कि औद्योगिक उत्पादन का वस्तुआधारण का जनसाधारण में न्यून उचित वितरण हा ना। परन्तु उद्योगों का फलस्वरूप जा लाभ कुछ इन्ने गिने लागों का हा प्राप्त हाता है, यह फल उन्हा का प्राप्त न हाकर उत्पादन का वृद्धि म लगाया जा सक अथवा जनसाधारण की भलाइ के लिए उसका उपयोग किया जा सक । उत्पादन के साधनों पर वैयक्तिक एकाधिकार हात स औद्योगिक एकाधिकार की आशना बनी रहती है और उसका प्रभाव प्रायः जनसाधारण — हिता के विपरीत हाता है । भारत हा न ना। परन्तु प्रत्येक देश के औद्योगिक जगत् के इतिहास म कुछ ऐस उदाहरण देखने का मिलत है और इसीलिए आचल की विचारधारा इससे प्राप्त कल है ।

इससे अनिश्चित और भी कई कारण हैं जिनमें यह आवश्यक हा जाता है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार न रहकर सामूहिक अधिकार रहे और सरकार ही अनहित के लिए इनका संचालन भार अपने ऊपर ले । राजकन हमारे देश में जावन की सभी आवश्यक वस्तुआधारण का भारी टाटा है । अतः और नपके का ता मुख्यतः प्रभाव है । मर्ग की अधिकता और पूर्ति को कमी के का ग उनका बाजार भाव उनका उत्पादन व्यय से बहुत अधिक है । जनसाधारण का इस अधिक मूल्य के कारण बहुत कठिनाई भोगना पड़ता है । कुछ लोग तो धन के अभाव के कारण इन वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में खरीद ही नहा पाते जिससे उनको प्रत्यक्ष अत्यन्त शाचनाय है । इससे न तो उनके व्यक्तिकर का ही विकास हाता है और न जीवन में उन्हें वह आर्थिक सतुष्टि ही हो पाती है जा अपने सामाजिक और राजनैतिक सत्या के सदस्य होने के नात उन्हें प्राप्त हाानी चाहिए । इस प्राथिक शापण का परिणाम हाता है मानसिक असन्तोष की वृद्धि, जा देश की उन्नति में सहायक नहीं हो सकती । दूसरी आर, मर्ग का अधिकता और प्रदाय की कमी के कारण, बाजार मूल्य म उत्पादन मूल्य के अतिरिक्त का अभिवृद्धि है, यह वृद्धि सिर्फ उत्पादन-संचालका का हा प्राप्त होती है । हमारे सन्मुख जो उदाहरण उपस्थित हैं उनकी सहायता से हम यह निश्चय कह सकते हैं कि इस अतिरिक्त धन का उपयोग अधिकांश जगहा म उत्पादन की वृद्धि में नहीं किया जाता जिससे कि उपभोग की वस्तुआधारण के मूल्य में कमी हा ।

यह सब इमीलिण होता है कि वर्तमान आर्थिक संगठन में उत्पादन सिर्फ लाभ-सिद्धान्त को ही लेकर किया जाता है, जनहित की भावना को लेकर नहीं। और यदि अधिक लाभ प्रदाय में कमी कर प्राप्ति किया जा सकता है, तब कोई भी व्यक्ति उत्पादन की मात्रा में वृद्धि न करना चाहेगा और जबतक हमारा आर्थिक संगठन व्यक्तिगत संबल को लेकर विद्यमान है, तबतक इस दशा में विशेष मुबार की आशा नहीं की जा सकती। यद्यपि अर्थशास्त्र के विशिष्ट नियमों के अनुसार यदि बाजार मूल्य उत्पादन व्यय से अधिक है तो कुछ समय बाद ही उत्पादन में अवश्य वृद्धि होगी और उस समय तक होनी रहेगी जबतक कि बाजार-मूल्य और उत्पादन-व्यय एक दूसरे के बराबर न हो जाएँ और भाग तथा प्रदाय में साम्य बिन्दु (Equilibrium Point) न स्थापित हो जाये। लेकिन अर्थशास्त्र का यह नियम यशुगः सत्य नहीं होता। इसका कारण है कि आजकल वर्तमान में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में उनके उत्पादन-कर्ताओं ने पूर्ण एकाधिकार (Complete Monopoly) स्थापित कर एकाधिकार मूल्य भी स्थापित करने का प्रयास किया है। शककर के ही व्यवसाय को ले लीजिए। उसकी कामन किसी एक फैक्ट्री के उत्पादन-मूल्य पर नहीं निर्भर रहती भी वरन् शुगर सिडीकेट द्वारा निर्धारित की जाती भी। और यदि कोई मिल इस निर्धारित मूल्य पर न विपणन करे तो शुगर सिडीकेट अपनी अन्य मम्बर-मिलों की सहायता से इतना कम मूल्य बाजार में रफ़ सकता था जोकि उस मिल के उत्पादन व्यय में वही कम होता तथा प्रतियोगिता के कारण उस मिल को इतनी अधिक हानि होती कि उसे सिडीकेट के निर्धारित मूल्य को अपनाना पड़ता। पल स्पष्ट है। यही कारण है कि मूल्य-मुक्त्य उपभोग की ये वस्तुएँ जिनका उत्पादन यथाकी सहायता से बड़े पैमाने पर किया जाता है, उनमें से किसी भी एक उत्पादक के लिए स्वयं के उत्पादन-व्ययसे उसका विक्रय करना कठिन हो जाता है। यही हाथ उस व्यवसाय में प्रवेश करनेवाले नये व्यक्ति का होता है। वह उसका एक अनसूत अर्थ मात्र बन जाता है जिसमें उसके स्वयं के अस्तित्व का कोई विशेष मूल्य नहीं। इस दशा के प्रतिकार का सिर्फ एक ही उपाय है और वह यह कि उत्पादन के साधनों के संचालन का भार सरकार के हाथों में रहे जो उत्पादन लाभ-सिद्धान्त

को लेकर नहीं बरन् जन साधारण को अधिकाधिक इच्छा तृप्ति की भावना को लेकर करेगी। युद्धकाल न वर्षों में और उसके बाद के वर्षों के अनुभव ने यह स्पष्ट है कि यदि सरकार उपादन व्यक्तिगत होने पर उचित मूल्य निर्धारण करने की चेष्टा करनी है तो उसका प्रयास सफल नहीं होता। इसी कारण हम इस बात का जार देकर यह सफत है कि श्रान्त र पुग की माँग है कि उत्पादन के उपकरणों पर अधिकार व्यक्तिगत न हो। उत्पादन का मुक्त प्रेष लाभ ही न हो। यह कहन की आवश्यकता नहीं। कि इसी कारण आर्थिक व्यक्तिगत प्राकृत्य अधदान मा प्रनीत हाता है

एक कारण और है। किसी भा देश का आर्थिक जीवन न्तर उपादन पर निर्भर रहता है, यह हम स्वाकार करत हैं लम्बिन फिर भी कई ऐसे स्थत है जहाँ वैयक्तिक पूर्जा का लाभ न होने का कारण या वा लम्ब समय के बाद लाभ की प्राशा का कारण, शायद काड आवश्यक नहीं। लम्बिन देश की परिस्थिति शायद ऐसी हा कि उनका उत्पादन देश की राजनीतिक सुरक्षा के ध्यान ने आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत सरकार की उन कई योजनाओं का लीनिए जिनमें कि प्राज यह व्यस्त है। हमका एक भाव कारण यह है कि सरकार का यह जान है कि यह स्थल ऐसे हैं कि जिनमें व्यक्तिगत पूर्जा शायद कभी न लगे या यह अपर्याप्त मात्रा में मिले। इसी कारण उनमें निर्माण की आवश्यकता को समझ कर, सरकार को उनमें नचालन का कार्य प्रारम्भ से ही रम्य करना पडा है।

उक्त कारणों से यह स्पष्ट हो जावेगा कि श्राजकाल के आर्थिक जीवन के निर्माण में सरकार का काफी हाथ रहता है। वरन् यह कहना अधिक ठीक होगा कि किसी भी देश के जनवासियों के आर्थिक स्तर का निर्माण वहाँ की सरकार ही कर सकती है। हितकर की अजेय शक्ति का दम चूर करने का भेय रुस की आर्थिक योजनाओं ही का है। युद्ध के परन्दात् भी इगनैड की आर्थिक योजना का ज्वलत उदाहरण हमारे सम्मय उपस्थित है। युद्ध से क्षतिपूर्ण राष्ट्रों को उनके पुनर्निर्माण में जो सहायता मार्शल योजना द्वारा दी जा रही है, उसे भी हम भुना नहीं सकते। युद्धकालीन वर्षों में प्रत्यक्ष रूप ने भले ही भारत के आर्थिक जीवन को उस तरह की क्षति न हुई हो जो यूरोप के अन्य राष्ट्रों को

हूँ है, पर विदेशी सरकार की उपस्थिति के कारण भारत के आर्थिक विकास में जो हानि हुई है, उसे हम भूल नहीं सकते। युद्ध के वर्षों में भी, जब ब्रिटेन को युद्ध सामग्री के उपादानों की अत्यन्त आवश्यकता थी और जबकि आस्ट्रेलिया, सरीगे देशों को नये उद्योग खोलने का प्रोत्साहन दिया गया, भारत को कोई भी आर्थिक विकास में विशेष सहायता नहीं दी गई। एक बड़ी भारतीय उद्योग युद्ध के बाद ब्रिटेन के उद्योगों से प्रतिस्पर्धिता न करने लगे। मेरा मिशन का योजनाओं को इसीलिए प्रकाश में नहीं आने दिया गया बल्कि युद्ध समस्या के बचाने भारतीय उद्योगों को क्षति ही पहुँचाई गई। जो भी उद्योग वहाँ विद्यमान थे उनमें मशीनों से लगातार कार्य लिया गया और उनके सुधार की कोई चेष्टा न की गई। फलस्वरूप हमारा उत्पादन-शक्ति और भी कम हो गई। यहाँ तक कि गाय समस्या का भी टक हत न किया गया और बंगाल के अफाल में महसूस का अपने जीवन की बल अकारण ही, सरकार की शोचनीय उदासीनता के कारण देना पड़ी। उन साधारण की सरकार की दृष्टान्तीति के कारण गण्ड याटनार्यों का सामना करना पड़ा। युद्ध के पश्चात् रचनात्मक प्रगति के बाद जो युद्ध भी हम करना चाहते थे वह विभाजन के पश्चात् का पटनाओं के कारण न कर सके। योग्य के अन्य देशों की तरह हमारे मनुष्य यह समस्या नहीं है कि हम उस तरह युद्ध के कारण हुई क्षति की पूर्ति कर। हमें तो प्राथमिक अन्वेषण से ही अपनी आर्थिक नीति का निर्माण करना है। हमें इस विषय पर ध्यान देना है कि किस तरह से शीतकालीन हम उत्पादन में वृद्धि कर राष्ट्र में आय में भी वृद्धि करें तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर जन साधारण का आर्थिक जीवनस्तर ऊपर उठाएँ। इन सबका उपायमायका आग की सरकार पर है और यही कारण है कि आर्थिक गणना की आवश्यकता इतनी बढ़ गई है। युद्धकालीन वर्षों में 'बम्बे प्लान' (Bombay Plan) तथा और भी कई ऐसी योजनाओं के नाम प्रकाश में आये, पर उसके पश्चात् उनके दिनांशों के अनुसार कुछ प्रगट किया गया हो, यह हमें विश्वास नहीं।

यद्यपि हम यह मानते हैं कि हमें उत्पादन में वृद्धि करनी है अतः हमारे आर्थिक जीवन का अंत हो जायेगा, फिर भी भारत के पूर्ण विकास के लिए

आर्थिक योजना का निर्माण करना सरल नहीं है। उत्पादन पूँजी और भ्रम पर निर्भर रहता है। जहाँ तक भ्रमिक वर्ग में स्थायित्व का प्रश्न उठता है वहीं उनमें व्याप्त श्रौद्योगिक अशांति के कारण हमें उनमें अस्थिरता ही दृष्टगोचर होती है। भ्रमिक वर्ग ने यह सोचा कि अपनी सरकार की उपस्थिति के कारण शायद उन्हें वे सब सुविधाएँ प्राप्त हो जावें, जो उनके जन्मसिद्ध अधिकार हैं। यह उनकी भूल थी। लेकिन इसी कारण तो अभी तक उनमें स्थायित्व आ नहीं पाया है। वर्तमान उत्पादन के हास में भ्रमिक वर्ग का यद्यपि उत्तरदायित्व है। इसी तरह भारत सरकार ने अपनी भारी आर्थिक नीति का जबतक स्पष्टीकरण नहीं किया था, तबतक पूँजी का भी असहयोग रहा और आज भी हम पूर्ण विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि उसका पूर्णतः सहयोग प्राप्त है। इसके सिवाय जिन महत् उद्योगों को भारत सरकार स्वयं प्रारंभ करना चाहती है उनमें शायद उसे उपयुक्त टेक्निकल व्याक्त भारत में प्राप्त नहीं हो सकते इसलिए हम इस दशा में विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा।

श्रौद्योगिक योजना के अंतर्गत हमें कई और बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि देश के किस विभाग में कौन से उद्योगों को प्रारंभ किया जावे। हमें देश के सभी उद्योगों का विकास करना है और इस तरह में विकास करना है कि देश का कोई भाग अछूता न रह जावे। इसके लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक विकास की योजना प्रान्तों पर निर्भर न रहे बर केन्द्रीय विषय हो और वहाँ से उसका नियंत्रण किया जावे। हमें आशा है कि टी. टी. आर्थिक योजना के प्रयाग के बाद हम अपनी कई उन सुरीतियों को दूर कर सकेंगे जिनसे आज हम ग्रस्त हैं।

१५.—अध्यात्मिक-निर्माण का रूप

जन शक्ति का आवश्यकता का दूर तक बचल था। व्याप्तियां न अपना दाम बनात हैं और इस प्रकार वकारी की समस्या और भी भीषण हो जाती है। ऐसी अवस्था में ये आवश्यक विभिन्न कुटीर धंधों पर अधिक जोर देते हैं। उनका यथन है कि कच्चे व धंधों में प्राथमिक प्रजा तथा प्राथमिक धर्म शक्ति की आवश्यकता है और। नम उभावत एकाधिकार होने आवश्यक है, नम जाली न जाने, सवान वाहन (Railways) आदि का बड़े पैमाने पर हान का कारण। उनका आचार में बड़े पैमाने पर कारखानों का जाल प्राकृतिक वस्तुओं का कुटीर धंधों के लिए अनिश्चित मान बनाना मात्र ही है। परन्तु हमारे देश में पारस्थायिता में यथा यथन साथ और उत्तम प्रभुत्व नहीं हो सकती। महायुद्ध के पश्चात् भारत का महा सार सन्तार का आर्थिक नकशा बदल रहा है। महा युद्ध के द्वारा आशयल हुई प्राथमिक अवस्था के निर्माण में व्यस्त हैं। इससे साथ साथ राजनैतिक पारस्थायिता भी अद्यतन है और सन्तार राष्ट्र तृतीय महायुद्ध की तैयारी में मग्न हैं। कोरिया में युद्ध चल रहा है। रबन में भी नगड़ा पैदा हो गया है तथा इरान में रबन के मामल में इंग्लैण्ड और इरान में रबन-ताना चल रही है। भारत के सामने भी काश्मीर की अस्पष्ट समस्या है। इसलिए आवश्यकता है कि देश को समर्थ बनाया जाय ताकि हम दूसरा का मुह न दरजना पड़े। इस कार्य के लिए देश में बड़े बड़े विशाल उद्योगों का निर्माण करना चाहिए जिससे उत्पादन कार्य शीघ्र बढ़े और देश की रक्षा के लिए सामग्री इकट्ठी की जा सके। हाँ, धंधों का दृष्टि से तथा कृषकों को कृषि कार्य से बचे हुए समय का उपयोग करके आवश्यकता की वस्तुएँ बनाने के लिए हम ग्राम्य या कुटीर धंधों का निर्माण भी आवश्यक समझते हैं। परन्तु देश के आधिकाधिक प्राकृतिक साधनों, जनसंख्या, देश की आवश्यकताओं तथा ससार की राजनैतिक परिस्थितियों को सामने रखकर हम बड़े पैमाने के कारखानों को अवश्य स्थापित करना होगा। इससे अतिरिक्त अभी तो देश में अधिक नकट ने ही पैर जमा रक्खे हैं। इस समय तो देश में किसी जादू की भी सहायता से अत्यधिक उत्पादन

बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सरकार की इस नीति की प्रशंसा करने हैं कि उसने पुराने विशाल कारखानों की उन्नति के लिए तथा नए नए विशाल कारखानों के स्थापित करने के लिए मुहूर्त नीति में काम लिया है और इस प्रकार की अनेक गुंथपाएँ स्वीकार की हैं। सरकार ने अन्य श्रीयोगिक कारखानों के स्थापन का कार्य है।

जहाँ तक श्रीयोगिक निर्माण की सीमा का प्रश्न है इसमें संदेह नहीं है कि विशाल कारखानों का विस्तृत रूप ही अमान्य आवश्यकताओं की दिक्कत होगी। परन्तु कठिन विचार मात्र में ही सीमा का निर्धारण सम्भव नहीं। देश में प्राप्त करने मान, श्रम शक्ति, पृथ्वी तथा पक्के माल का खजाना के लिए मानव्यता के विस्तार आदि चीजों पर उद्योगों की निर्माण सीमा अत्यन्त बंधित होगी। सम्भव है प्रथम तीन उद्योग विशाल कारखानों की आवश्यकतानुसार आवश्यक रूप में और आवश्यक मात्रा में पूर्ण प्राप्त न हो सकें। ऐसी अवस्था में भी हमें श्रीयोगिक निर्माण ही करना ही है। कुशल सम शक्ति पूर्ण और आवश्यक वस्तु मान हम विदेशों में भी ला सकते हैं।

विन्दी शक्ति से अब तो लगभग सभी देश उद्योगों के केन्द्रकरण के पक्ष में हैं। इसका कारण यही था कि अनेक स्थान पर उद्योगों में खदानों के लिए कच्चा माल तथा कारखानों को खानों के लिए शक्ति, जल कच्चा, विद्युत् आदि मिलने गए। उन्दी क्षेत्रों में उद्योगों का निर्माण होता गया और देश के अन्य भाग इसमें अर्द्धत रीति। उदाहरण के लिए लॉन्ड के कारखानों का केन्द्रकरण कोयले तथा लॉन्ड के खानों के आस-पास बंगाल, बिहार में, लूट उद्योग कलकत्ते के आस-पास, गुजरात की निर्माणियाँ अहमदाबाद तथा बम्बई में केन्द्रित हो गईं, परन्तु गत महायुद्ध में उदाहरित हुई परिस्थितियों ने यह सिद्ध कर दिया कि केन्द्रीकरण की नीति सर्वथा उपयुक्त नहीं। विशेष कर भारत जैसे विशाल देश में जहाँ जनसंख्या एक लम्बे चौड़े क्षेत्र में फैली हुई है। देशवासियों को रोजगार देने के लिए उद्योगों का विकेन्द्रिकरण एक अनिवार्य आवश्यकता हो गई है और अब हमें देश का श्रीयोगिक-निर्माण इस भाँति करना है कि भारत के सभी क्षेत्रों में छोटे-बड़े उद्योग धंधे स्थापित हों और इस प्रकार सम्पूर्ण देश की बेकारी की समस्या भी मुलक जाय।



सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक सभी दृष्टिकोणों से ग्रान विवेन्द्रीकरण की अग्रगण्यता है। उन क्षेत्रों में जहाँ उद्योगों का केन्द्राकरण हुआ है, देश की अधिकांश जनसंख्या रोजगार की नीयत से एकाग्र हो गई है और किसी किसी स्थान पर तो इतनी अधिग्रहणता हो गई है। एक इन स्थानों पर समाध्य तथा आध्यात्मिक और नैतिक वृद्धि में अधिक बाधा हुई और रोगादिक भयकर दुष्परिणाम हुए हैं। इस हानि भय का दूर करने के लिए विवेन्द्रीकरण ही एक उपाय हो सकता है। जापान की औद्योगिक उन्नति का रहस्य विवेन्द्रीकरण है। प्राथमिक दृष्टिकोण से भी उद्योगों का केन्द्राकरण उपयुक्त नहीं। इस प्रकार देश के कुछ स्थानों को उत्तमिच्छाल हो जाते हैं तथा अन्य अधिकांश भाग, जहाँ उद्योग नहीं हैं, हानि, प्राथमिक दृष्टि से विह्वल जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विषमता तथा देशवासियों के जीवन-स्तर में भारी अन्तर हो जाता है। कुछ स्थानों को उद्योगशक्त हो जाते हैं और देश का अधिकांश भाग कृषि या अन्य प्रथमोत्पत्त साधनों पर ही अग्रगण्य रह जाता है। कुछ भाग धन माना तथा श्रम साधारण बहलाने लगता है जिसका दुष्परिणाम पूँजीवाद हमारे सामने है। आज का राजनैतिक परिस्थिति विवेन्द्रीकरण के पक्ष में है। वर्तमान युग स्वर्ण तथा युद्ध का युग है। आधुनिक युद्ध में प्रशासकों से उद्भूत विध्वंसकारी बम्बू गिराना एक साधारण बात हो गई है। ऐसी अवस्था में यदि देश की सर्वांगी उद्योग शक्ति एक ही स्थान पर केंद्रित हुई तो किसी भी समय युद्ध काल में शान्ति ही बम्बू गिराकर शत्रु, देश की सम्पूर्ण शक्ति को नष्ट कर सकेगा और फिर देश को अपना शक्ति खोकर शत्रु के आसरे रहना पड़ेगा। इसका एक मात्र उपाय विवेन्द्रीकरण है। यह बात हमारे को गत-महायुद्ध के अनुभव से प्रत्यक्ष है। इस अतिरिक्त शान्ति काल में भी केन्द्रीकरण राजनैतिक अहित में नहीं। आश्चर्य होगा कि देश के उन प्रांतों में, जहाँ उद्योगों की अधिकांश भण्डार हैं तथा उन प्रांतों में जहाँ या तो कोई कारण नहीं है या जहाँ है भी ता उनमें नहीं है पारस्परिक वैमनस्य के निहित दृष्टिकोणों पर हुए हैं जो केन्द्रीकरण का याचना से और अधिक बढ़ सकते हैं। इसलिए देश की आर्थिक विषमता को सन्तुलित करने के लिए उद्योगों का विवेन्द्रीकरण ही एक रामबाण औपधि है।

नव भारत के श्रीयोगिक निर्माण में सबसे अधिक सम्पूर्ण प्रश्न यह है कि बड़े-बड़े वर्तमान उद्योगों का तथा नए बनने वाले विशाल उद्योगों का अधिपति कौन हो—सरकार या जनता ? अब तक भारत की सरकार प्रदेशी-सरकार थी और विशाल उद्योग जनता की पूर्वी से चढ़े थे। दोनों ही में अज्ञान रूप से रूप था। परन्तु अब भारत का सामन भारतवासियों के हाथ में है। इस प्रश्न का मुख्य अब और भी अधिक बढ़ जाना है। इस विषय में कई मत हैं। कुछ लोगों का कथन है कि देश के उद्योग-धंधों का स्वामित्व, अधिकार तथा नियन्त्रण सरकार के ही हाथ में होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार भार-भारी लाभ जो कुछ इने-गिने पूँजीपतियों का जेबों में चले जाते हैं सरकार को जनता का सेवा के लिए प्राप्त हो सकेंगे और सरकार को इन उद्योगों को चनाने के लिए पूँजी भी अधिक मात्रा में थोड़ा व्याज-दर पर मिल सकेगा। इसके अनिश्चित यह भी कहा गया है कि उद्योगों के सरकार के हाथ में होने से श्रमजीवी अधिक से अधिक कार्य करेंगे क्योंकि वे समझ लेंगे कि अब पूँजीपति इसके स्वामी नहीं चरन् सरकार के रूप में सम्पूर्ण जनता ही इसकी मालिक है और इस प्रकार उत्पादन काय में अधिक वृद्धि होगी। दूसरी विचारधारा है कि समुक्त श्रमिकों का ही जनता ही उद्योगों की अधिपति रहे और सरकार का उन पर थोड़ा बहुत नियन्त्रण रखा जा सकता है। हमारे विचार में देश की आर्थिक विपन्नता को मटाने के लिए दोनों ही विचार-धाराएँ समयानुकूल नहीं रहेंगी। कार्यक्रम ने १९३१ में ही घोषित किया था कि सरकार के अधिकार में आधार-उद्योग ( Key-Industries ) ( यत्र बनाने के कारखाने; रसायन-पदार्थ-निर्माणियाँ; जहाज, मोटर, इस्मिन, आदि बनाने के कारखाने; शक्ति उत्पन्न करने के कारखाने, खनिज तैल, लकड़ी, कोयला आदि ) रेल मार्ग, जलमार्ग, समुद्रमार्ग तथा आयागमन के साधन होने चाहिए और उनका नियन्त्रण भी सरकार के हाथ में ही हो। अविन-राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों ( Basic Industries ) का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है क्योंकि इनका जनता के नियन्त्रण में रहना राष्ट्र के हित में नहीं। हमारे विचार में ऐसे उद्योगों को, जिनमें लाभ की अपेक्षा कर (Tax) का अधिक महत्व हो, सरकार

को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए क्योंकि इससे, नियन्त्रण होने के अतिरिक्त, सरकार की श्रम में कमी नहीं हो सकती। ऐसा सुभार राष्ट्रीय-योजना समिति ने भी देश के सामने उपास्थित किया था। (राष्ट्रीय योजना समिति-रिपोर्ट पृ. ३८)। परन्तु सभी प्रकार के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण आज उपयुक्त नहीं। डा० जान मथाई ने रेल विभाग में डाक्टर बनने के पक्ष में भाषण देते हुए एक बार यह चेतावनी दी थी कि देशको भ्रष्ट निष्प्रकार का अन्वयनाटनाओं को सुलभताये बिना राष्ट्रियकरण के अस्तित्व पुरोगम पर अभाव इकट्ठे नही उठाना चाहिए। भारत सरकार अभी सुलभ उद्योगपात नही बन सकती। डा० मथाई ने अपना अगला घोषणात्रा में इस बात पर जोर दिया था कि भारत के औद्योगिक निर्माण में अभी जनता का ही व्यक्तिगत हाथ होना देश के हित में ही सजता है परन्तु इन सभी पर धाडी बहुत दग रग्य सरकार की अवश्य होनी चाहिए। जन लाभ के उद्योग जैसे विद्युत-वितरण, जल वितरण, आवागमन आदि सरकार के अधिकार में होना चाहते, चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो, चाहे प्रांतीय सरकार हो अथवा स्थानीय। आधारी उद्योग (Key Industries) तथा रक्षा उद्योगों का सथा संधिकरण होना ही अनिवार्य है। इस अतिरिक्त अन्य उद्योगों को थोड़ी थोड़ी सहायता देकर जनता को उनका व्यक्तिगत-स्वामी बनाया जा सजता है। इनमें भी जिन उद्योगों को सरकार कुछ वित्त सहायता दे उन पर वह अपना कुछ नियन्त्रण रखते जिससे जात हाता रहे कि सरकार की नाति का सथा पालन किया जा रहा है या नहीं। इस प्रकार 'सरकार' तथा 'जनता' दोनों के द्वारा नियंत्रित और संचालित उद्योग-धंधों की सम्मिलित योजना भारत की व्यावहारिक औद्योगिक योजना होनी चाहिए। सरकार या जनता दोनों में से कोई भी अनेले ही इस योजना को सुलभ बनाने में योग्य नहीं। सम्मिलित समाज अर्थात् सरकार और जनता ही एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा सभी भारतवासी देश को कगला, भूख, अज्ञान, रोग तथा अनात के दुर्दान्त चगुल से उभारने में पुण्यकार्य में सहायक हो सजता है। डाक्टर होइसार्थ, ने इसे 'मेनेजरियल इक्नॉमी' के नाम से पुकारा है।

जैसा कि पहिले उल्लेख किया गया है, भारत के औद्योगिक निर्माण के लिए उच्च मान का देश में कोई अभाव नहीं। भारत ने तो अदेशी सरकारों



श्रौद्योगिक निर्माण में तीसरी समस्या श्रम शक्ति की है। श्रौद्योगिक उन्नति के लिए कुशल ( Skilled ) श्रम शक्ति जितनी आवश्यकता है उतनी अकुशल ( Unskilled ) श्रमिका की नहीं। इस समस्या को हल करने के लिए श्रमिका की उचित शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये और यह भा देवना चाहिए कि इस प्रकार शिक्षित श्रमिका का उचित भूमि पर कार्य भी मिल जाना है या नहीं। परन्तु निम्न भावप्य में कुशल श्रम कैसे प्राप्त हो ' इस प्रारम्भिक अवस्था में कुशल श्रमिक बाह्य देशों से लाकर उद्योग निर्माण में लगाए जा सकते हैं। श्रमिका का इतनी अधिक भूमि देनी होगी। उन के अपना कार्य कुशलता से जाति रखकर उसमें वृद्धि कर सके। जैसा कि पहले सुझाया गया है कुछ उद्योग जनता के आधिकार तथा नियंत्रण में भा रहने आवश्यक हैं। ऐसा अवस्था में उत्पादन की वृद्धि के लिए उद्योगपानया तथा श्रम बगैर रूपों का रचना होगा। उद्योगपानया का श्रम भूमि उचित मात्रा में देनी होगा। सरकार को इस पर पर्याप्त नियंत्रण रखना होगा।

कहा गया है कि भारत में पूँजी समुचित है। देश में पूँजी का अभाव तो है ही परन्तु जो कुछ पूँजी विद्यमान है वह भी देश के उद्योगों के लिए नहीं प्राप्त होती। इस पूँजी के प्राप्त न होने का कारण पूँजी प्राप्त करने की मुख्यवस्था का अभाव तथा ऐसी पूँजी के स्वामियों की मनोवृत्ति है। दूसरी बात यह तो है कि पूँजी प्राप्त करके उद्योगों में लगाने के साधन भी देश में उपलब्ध नहीं। इससे लिए सरकार का मद्रा-मार्गद्वयों का विकास करना होगा, अधिनियम प्रणाली को भी विस्तृत करना होगा तथा पूँजी वाल व्याक्तियों के हृदय में उद्योग के प्रति विश्वास जमाकर पूँजी प्राप्त करना होगा। यह बात तो हमारे देश की पूँजी की हुई। निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में विदेशी पूँजी लेने में कोई दोष नहीं। कुछ लाग विदेशी पूँजी भारत में लगाने के विचार से सहमत नहीं। परन्तु लगभग सभी राजनातिक, सभी अर्थशास्त्रा विदेशी पूँजी को कुछ नियंत्रण के साथ भारत में उद्योगों में लगाने के पक्ष में हैं। समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने भी श्रौद्योगिक उत्पादन का वृद्धि के विषय में भाषण देते हुए कहा था कि नए नए उद्योग स्थापित करने तथा पूर्वस्थित विशाल उद्योगों के विस्तार के लिए आवश्यक विदेशी पूँजी ले लेनी चाहिए।

विदेशी पूँजी का निर्यंत्रण भिन्न-भिन्न प्रकार से हो सकता है। उससे राष्ट्र महत्व के उद्योगों में तथा रक्षा सम्बन्धी उद्योगों में नर्तक लगाना चाहिए जिससे उन पर किसी भी प्रकार से विदेशियों का आधिपत्य हो जाय। ऐसे उद्योगों से जिनकी निर्माण बला भारतवासियों की ज्ञान न हो और न भारत भावाय में शक्त होने की सम्भावना हो। विदेशी पूँजी, कार्गु दावे के साथ स्वाभिव्य अधिकार को देकर भा लूटाई जा सकता है। यह विदेशी पूँजी विदेशों से सरकार या जनता द्वारा प्रण लेकर ही लगाना चाहिए। जिससे विदेशी पूँजीपतियों का आधिपत्य न रह सके। विदेशी पूँजी को बिना सरकार की आज्ञा के देश के किसी उद्योग धर्मों में नहीं लगाना चाहिए।

नए भारत का श्रीयोगिक निर्माण केवल विशाल उद्योगों से स्थापित करने से ही सर्वाङ्ग पूर्ण नहीं कहा जा सकता। जब तक विशाल उद्योगों के साथ-साथ ग्राम्य या कुटीर-धर्मों का निर्माण न किया जाय तब तक बेकारी की समस्या शत प्रतिशत हल नहीं हो सकती। ग्रामों में छोटे छोटे कुटीर-धर्म जैसे, कपड़ा बनाना, गूँथ बनाना, लकड़ी और चमड़े का काम, बर्तन बनाना, कामज तथा बीड़ी बनाना, मेल धाना, टोकरा बनाना आदि आदि याद क्या चल हा जायें तो कुपियों को उनसे कुपकार्य से बचें हुए समय में कुटीर धर्मों द्वारा अपनी आधिपत्यताओं की पुति बरने का अवसर मिलेगा। नए भारत में इस योजना का सफल बनाने के लिए कुछ अमुर्तिधाए हामी। इन धर्मों के लिए आनर्मित द्रव्य, राजस्व, यम्भुविनय की मुयवधाए देना तथा इनकी विशाल उद्योगों की प्रतिशोमता से भी सरकार को रक्षा करनी होगी।

भारत का उत्थान बिना श्रीयोगीकरण और यह भी शंभ लिए बिना नहीं हो सकता। हमें आशा है कि नएभारत का राष्ट्रीय-सरकार इस योजना पर विचार कर देश के श्रीयोगिक निर्माण में आधिकार लम्ब न करेगी।



## १६—उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न

प्रागुनित्र काज न सभा दशा में प्रोद्योगिक उद्योग हा गरी है । जन-साधारण न वाजन-स्तर म परिवर्तन हा रहे हैं । प्रति व्यक्त वापिन आय पयाप्त मात्रा म बढाने क प्रयत्न किए जा रहे हैं । मनदूर तथा सामान्य जनता की दैनिक आरक्ष्यताओ को पयाप्त प्रति क प्रार आश्य ध्यान दिया जा रहा है । पाश्चात्य देशा म हर एक व्यक्ति न लिए भूख, बीमारा, बढागी इत्यादि कठिनाइया से बचान क प्रयत्न किए जा रहे हैं । यह सब कुछ उत्पादन बढा क द्वारा हा सम्भव हा सकता है प्रार उत्पादन बढि लिए उत्पादन क साधना का टाक प्रचार स मगहन जाना प्रावश्यक है, तथा पाश्चात्य देशा म एसा हा भी रहा है । उत्पादन-रथ में दो प्रकार न प्रगति हा सकता है । एक तो यह कि प्रथम व्याक्त का प्रयत्ना उत्पादन कार्य, चैने क चाहे, पस हा चलाने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाय । सरकार की प्रार से उस कार्य म काइ ह-नचोत्र न हा । इसका व्यक्तवाद या स्वैच्छावाद कहने हैं । दूसरा माग यह है कि उत्पादन क साधना का स्वामित्व सरकार क हाथ में हा तथा परी उत्पादन क्रियाओ का नियन्त्रण करे । प्रागुनित्र प्रोद्योगिक क्रांति के प्रारम्भ में प्रथमान्त्रो पहिल मार्ग क पक्ष में थ । उसी नीति का बहुत मनप तक प्रयाग किया गया । इसका परिणाम यह जनला कि म्सार में पूँजीवाद बन गया तथा मनदूर तथा पूँजीगतिया में मधर्ष हान लग । इतलैरए तथा अन्य पश्चिमा देशों क आर्थिक इतिहास क अध्ययन से जात हाता है कि व्यक्तिवाद की नीति न समाज का क्षति अग्रश्य पहुँची । फलत एन कानून बने तिनमें उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी कार्यों म सरकार को पर्याप्त अधिकार मिलने लगे ।

प्रश्न यह है कि देश की आर्थिक व्यवस्था क साथ सरकार का क्या सम्बन्ध हा ? इस सम्बन्ध में राष्ट्रियकरण के कई रूप हात हैं तिनमें से मुख्य तान हैं । एक तो यह कि सरकार हा उद्योग धर्मों का प्रयन्ध तथा मन्चालन करे





तथा वितरण प्रणाली सुव्यवस्थित हो। यह तो निश्चित ही है कि उत्पादन में बढ़ोत्तरी वृष्ट घरेलू धंधों तथा बड़े पैमाने के विशाल उद्योगों द्वारा ही हो सकती है। इन सभी साधनों को उन्नत करना आवश्यक है। पर न देखना यह है कि धंधा का राष्ट्रीयकरण हो अथवा इनकी व्यवस्था का भार तथा उत्तरदायित्व व्यक्तियों तथा कर्मचारियों पर ही छोड़ दिया जाय। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के विषय में हमारे देश में दो विचारधाराएँ हो चली हैं। कुछ लोगों का कहना है कि देश में उद्योगों का शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण होना चाहिए जिससे पुँजीवाद का अन्त हो और वर्ग संघर्ष की समस्या समाप्त हो जाय। दूसरा मत है कि हमारी सरकार अभी उद्योगों का प्रबन्ध एवं संचालन करने के योग्य नहीं हुई है इसलिए इनका प्रबन्ध व्याक्त के अधिनार में ही रहना चाहिए। व्यक्तिवादी विचारधारा के पक्ष वालों ने कुछ ऐसी तर्क दिए हैं जो राष्ट्रीयकरण का विरोध करने हैं। उनका कहना है कि—

(१) इत्येक उद्योग धंधे में किसी न किसी प्रकार का थोड़ा बहुत हानि भय रहता है। सरकार को उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके इस हानि-भय को अपने अस्तर मोल लेना न ठीक है और न वांछनीय ही।

(२) उद्योग धंधों को चलाने के लिए कुछ व्यक्तिगत योग्यता और साहस की आवश्यकता होती है। सरकारी कर्मचारियों में यह योग्यता और साहस नहीं होता और न उनमें इनका कुछ अनुभव ही होता है। अतः सरकार उद्योगों का ठाक-ठीक संचालन नहीं कर सकती।

(३) सरकार उद्योग चलाने के लिए आवश्यक माना में पूँजी इकट्ठी नहीं कर सकती।

(४) सरकार को उद्योगों में काम करने के लिए कुशल मिस्त्रियों तथा दूजीनियरों की जो आवश्यकता होगी उसे वह उतनी सरलता से पूरा नहीं कर सकती। जनता सरलता में व्यक्तिगत उद्योगपति बन लेने हैं। ऐसी अवस्था में यह भय होता है कि राष्ट्रीयकरण से उद्योगों की उत्पादन शक्ति बढ़ने की जगह उल्टी गिरने लगेंगी जिससे समाज और देश को और भी अधिक हानि होने की सम्भावना है।

परन्तु इन कारणों से ही राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को टाला नहीं जा सकता। प्रो० के० टी० शाह ने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में निम्न तर्क दिए हैं<sup>१</sup>—

(१) उद्योगों का स्वामित्व और प्रबन्ध सरकार के अधिकार के अन्तर्गत से उद्योगों में संगठन आणना तथा बचत भी होगी।

(२) राष्ट्रीयकृत उद्योगों में जो लाभ हानि सह जनता के हित में व्यय किया जा सकेगा। इसमें सरकार के हाथ मजबूत होंगे और फिर उसे जनता पर भारी-भारो टैक्स लगाकर अपनी आग बढाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(३) राष्ट्रीयकृत उद्योगों का श्रेष्ठ जनता की सेवा करना होगा न कि जनता का शोषण करके भारी-भारी लाभ कमाना। इसमें देश के आर्थिक उत्थान में हटना आणगी तथा जन माधुरण की उन्नति होगी। तब पूँजीवाद और वर्ग-संघर्ष के दोष नहीं रहेंगे।

(४) राष्ट्रीयकृत उद्योगों में श्रमिकों की अपनी-अपनी कानून के अनुसार पुरा पुरा रोजगार मिल सकेगा। श्रमिकों का शिक्षा तथा उनका कल्याण का सफल प्रबन्ध होगा और श्रम शोषण की समस्याएँ न रहेंगी।

(५) उद्योगों का राष्ट्र-करण होने से देश भर में स्थान-स्थान पर उद्योग स्थापित होंगे। सरकार को व्यापारों की भाँति विद्युत् प्रदेश में हित न रहेगा। दूसरे उद्योगों का विवेक-विकास स्वतः ही हो जायगा तथा देश के हर एक भाग में लोगों की रोजगार की सुगमता हो जायेगी।

इस प्रकार उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष में युक्तियों की जाँची है परन्तु उचित बात तो यह है कि ये सभी बातें परिस्थित के अनुसार बदलती रहती हैं। आर्थिक मामलों में देश, काल और परिस्थित के अनुसार परिवर्तन हुआ करते हैं और होने भी चाहिए। प्रारम्भ में कम न साधक एवं प्रणाली न रखकर धीरे-धीरे कृषि उद्योगों की स्थापना भी करनी थी परन्तु समयानुसार उनमें उन्नत परिवर्तन होत-होते आजकल यह साधक एवं प्रणाली हो गई है। हमारी वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीयकरण का देश-सीमा ही है। कुछ उद्योग-वस्तु तो ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीयकरण होना बहुत आवश्यक है। रत्न, मजक

<sup>१</sup> A Minute of Dissent by Prof. K. T. Shah in the Report of the Advisory Planning Board, 1947.

तथा अथ नु व्ययात्प्राप्त क साधना का ता राष्ट्रायकरण होना न चाहिए । बहुत से आधार भूत धातु ऐसे हैं जिनका ठीक ठीक प्रबंध नगर मंचालन सरकार अच्छी तरह कर सकता है । भाग रसायनक पदार्थ तथा मशीन बनाने व कारखाना चलाने बनाने व कारखाना का भा राष्ट्रायकरण करना प्रायः श्यक है क्योंकि उनका लक्षण मात्रा म पूजा का प्रबंध करना तथा देश हित क लक्षण उनका संचालन करने का प्रबन्ध सरकार अच्छी तरह कर सकता है । एम उद्योगों का, जिनमें उरभय प्रवण बनता है, वान्तवाद क आधार पर न छान्द दना उचित है, परन्तु सरकार का इन पर नियंत्रण प्रयत्न होना चाहिए । छान्द पमान क उद्योग तथा कर्मीर तथा का सरकार क प्राधकार म देने का कोई आवश्यकता नही है । पर भी इनका संचालन मानव साधना का आवश्यकता होना है उनका सम्बन्ध म सरकार का सहारना प्रयत्न करना चाहिए । उद्योगों का राष्ट्रायकरण हो ना नहीं सरकार का यह प्रयत्न दगना चाहिए । क देश क सभी भागों म औद्योगिक उन्नति हो रही है या नही । उद्योग सम्बन्ध नई नई व्यवस्था म, मात्रा वनमाने में तथा इस सम्बन्ध म वान्तगत मंचालन का प्रावश्यक जानकारा दन का काम सरकार का करना चाहिए । प्राधकार प्रा ता का आवश्यकताओं क अनुसार धातु का स्थानोचकरण सरकार का उत्तरदायित्व है ।

हमारे उद्योगों क राष्ट्रीयकरण क विवादग्रस्त विषय को सरकार की प्रौद्योगिक नीति ने अगले दस वर्षों तक लगभग समाप्त ही कर दिया है । सरकार का मत है कि देश क अधिक उत्पन्न क लिए राष्ट्राय सम्पत्ति म वृद्धि करने की आवश्यकता है और इस उद्देश्य क लिए सब सम्भव साधनों से देश म उत्पादन बढ़ाना चाहिए । सरकार यह भी समझती है कि यदि उत्पादन बढ़ाना है तो देश के वर्तमान औद्योगिक कलेसर को नष्ट करना चाहिए । सरकारी नीति की घोषणा करते हुए पंडित नहरू ने एक बार कहा था कि “इस विषय म (उद्योगों क राष्ट्रीयकरण) कोई भी कदम उठाने समय यह देखने की आवश्यकता है कि देश में वर्तमान आर्थिक उत्थार को कोई हानि न पहुँचे । देश और ससार का वर्तमान परिस्थिति का देखते हुए वर्तमान कलेसर का बिल्कुल भंग कर देने से आर्थिक विनास को गहरी चोट लगने की आशंका हो सकती है ।

इसलिए यह आवश्यक है कि इस क्लेयर को शनैः शनैः बदल जाय" हमारा सरकार के पास उद्योगों के स्वामित्व और संचालन का उत्तरदायित्व लेने का शक्ति अभी नहीं है। स्वर्भाव सरदार पटेल ने इस विषय में एक बार हमें यह कि सरकार में उद्योगों को चलाने की न योग्यता है और न शक्ति। अतः एक व्यक्तिगत प्रबन्ध में ही छेड़ना होगा। राष्ट्रीयकरण के विषय में वास्तव आर्थिक प्रोफ़ास क्रेटी का मत है कि देश-व्याप्त तथा जनता के लिए आवश्यक बनता बनाने वाले उद्योग-धंधे तथा आधार-भूत उद्योग सरकार के अधीन होने चाहिये। जो उद्योग सरसत देश के हित में आवश्यक है वे भी सरकार के अधीन कर दिए जाए। सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में स्पष्ट कर दिया है कि पुराने उद्योगों का हम सोवियत युद्ध के समय में राष्ट्रीयकरण करने का सोच प्रस्तुत नहीं है। परन्तु हमारा मत है इस प्रकार राष्ट्रीयकरण का समय आश्चर्यजनक बनना ही नहीं है क्योंकि उद्योगों में इस बात से भय खाकर उनमें अपनी पूर्ण लगाना बन्द कर देंगे। यदि हम यहाँ में हमारी आर्थिक व्यवस्था समाप्त हो जाये और सरकार इस भार ही सँभालने के योग्य बन सके तो राष्ट्रीयकरण सफल हो सकता है। यदि जल्दबाजी में खाकर अभी अभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो उत्पादन व्यवस्था बिगड़ना भय हो जायगी और समूचा आर्थिक क्लेयर लुप्त हो जायगा। राष्ट्रीयकरण करने में पहले इस बात की आवश्यकता है कि योजना बनाई जाय कि किस प्रकार राष्ट्रीयकरण हितकर होगा? कौनसे उद्योगों का पहले राष्ट्रीयकरण होना चाहिये? किस प्रकार उद्योगों को व्यक्तिगत स्वामित्व से प्राप्त किया जाय? उनसे बदले में क्या दिया जाय? तथा फिर उद्योगों का प्रबन्ध तथा संचालन कैसे किया जाय? इन सब बातों को निश्चित करने के बाद ही राष्ट्रीयकरण के विषय में सोचना चाहिये।

## १७—औद्योगिक-क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार

देश का वर्तमान स्थिति में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का राजनीति का व्यापक-हारिक न जानकर केन्द्रीय सरकार अपने अनन्वयण और स्वाभाविक मजबूत उद्योग स्थापित करने लगी है। सरकार ने अपनी पूँजी लगाकर कारखाने खोले हैं, विदेशी उद्योगों के सामने भी खोले हैं तथा कुछ नए उद्योग भी स्थापित किए हैं। जनसंस्था तथा जनता दल का साथ है। यहाँ हर औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार का मुख्य मुख्य निवेश का अन्वयन करेंगे।

### १. रेल के इन्जनों का कारखाना

रेल के इन्जनों का देश का अधिकांश बनाने का उद्देश्य से सरकार ने प्रायः-साल से साइ २५ मील का दूरा पर पश्चिम बंगाल में चित्तूरजन नामक स्थान पर रेल के इन्जन बनाने का एक विशाल कारखाना स्थापित किया है। इस कारखाने का नाम १९४८ में प्रारम्भ किया था और लगभग समाप्त हो चुका है। इस कारखाने में कुल मिलाकर १४६३ फरड रुपये खर्च करने का अनुमान है परन्तु अभी तक १२५० फरड रुपये व्यय हो चुके हैं। १९५६ तक इसमें २० इन्जन तथा ५० राफ्ट टर्किंग प्रतिदिन बनाने लगेंगी। इतना काम करने में साइ २०,००० टन इस्पात का आवश्यकता हुआ करेगी जिसका दश महानिर्माते हुए लाहौर में पूरा करने का प्रबन्ध किया जा रहा है। १९५० और ५१ में आवश्यक मात्रा में मिलने के कारण इस कारखाने का काम आशासनीय उन्नति नहीं कर सका है परन्तु फिर भी अब तक २० लाखगाड़ी के रेलवे इन्जन बनाए जा चुके हैं जो वे सब इस नाम दे रहे हैं। अनुमान है कि इस वर्ष इसमें ३८ इन्जन तथा अगले वर्ष ५२ इन्जन बनाए जा सकेंगे। यह कारखाना एशिया में अपनी सीमा का प्रमुख कारखाना बन जायगा। इसमें १३००० इन्जन शक्ति के १५८६ मात्र इन्जन लगाए गए हैं। अतः इस कारखाने में २८५० से अधिक व्यय का काम कर रहा है जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः इस व्यय के इसमें काम करने लगेंगे। अतः इसका यत्र सम्बन्ध सिद्धा देने के लिए यहाँ एक यात्रि-स्टेशन भी खोला गया है। सरकार ने इस कारखाने में काम करने वाले लोगों के कल्याण की सभी आवश्यक सुविधाएँ दे रखी हैं।

## २. कल-पुर्जे का कारखाना

कल-पुर्जे ऐसी आधार भूत वस्तुएँ हैं जिन पर किसी देश का श्रीयोगिक विकास निर्भर होता है। युद्ध के पहले हमारे देश में कल पुर्जे बनाने का कोई संगठित उद्योग नहीं था। उस समय लगभग १०० प्रकार के कल पुर्जे देश में बनते थे। परन्तु यद्दकाल में इनकी आवश्यकता बढ़ी और ६००० प्रकार के कल-पुर्जे प्रति वर्ष हमारे उद्योगों में बनाए जाने लगे। १९४७ में देश भर में २४ अच्छी तथा १०० निम्न कोटि की ऐसी फर्म थी जो कल-पुर्जे बनाया करती थी। देश के विभाजन से इस उद्योग को काफी चोट लगी और कल-पुर्जों के कारखाने तथा उनमें काम करनेवाले श्रमिकों की संख्या कम हो गई। विभाजन के पश्चात् हमारे देश में १६ उत्तम कोटि की तथा ५० निम्न कोटि की फर्म थी जो कल पुर्जे बनाती थी। इनमें लगभग ४० लाख रुपये के कल-पुर्जे प्रति वर्ष बनाए जाते थे। आतंक हमारा कुल आवश्यकताओं का ३ प्रतिशत भाग भी हमारे देश में बने हुए कल-पुर्जों में पूरा नहीं हो पाता। इस समय हमारे कारखानों को १० करोड़ रुपये के मूल्य के कल-पुर्जों की प्रति वर्ष आवश्यकता होती है जो हमें विदेशों से आयात करने पड़ते हैं। सरकार ने कल-पुर्जों में देश को स्वावलम्बी बनाने के दृष्टिकोण में बंगलोर के पाम जानाशाली नामक स्थान पर कल-पुर्जों का एक कारखाना स्थापित किया है। मैगूर राज्य ने इस कारखाने को बनाने के लिए भूमि दे दी है और कारखाने का अधिकांश काम पूरा भी हो चुका है। केन्द्रीय सरकार ने अप्रैल १९४८ में स्विटजरलैंड की एक कम्पनी के साथ समझौता करने वहाँ से मशीन, जुशान फारींग, विरोध तथा इन्जिनियर बुजाने का निश्चय किया है। १९५५-५६ तक यह कारखाना अपनी पूरी शक्ति से काम करने लगेगा जब इसमें कोई ४ करोड़ रुपये के मूल्य के कल-पुर्जे बनने लगेंगे।

## ३. टेलीफोन बनाने का कारखाना

अब तक हम टेलीफोन तथा उसके लिए आवश्यक कल पुर्जे विदेशों से आयात करने में परन्तु अब इनका आयात बन्द करने के उद्देश्य में बंगलोर में टेलीफोन बनाने का एक कारखाना खोला गया है। ढायन तथा कण्डेन्सर

को छोड़ अन्य सभी वस्तुएँ इस कारखाने में बनाई जाया करेंगी। इस समय इस कारखाने में २५,००० टेलीफोन प्रति वर्ष बनाए जाते हैं परन्तु आशा है कि जब यह कारखाना अपनी पूर्ण शक्ति से काम करने लगेगा तो इसमें ५०,००० टेलीफोन प्रति वर्ष बनने लगेंगे। आज तक रुबिना माल पदाब्ज मात्रा में न मिलने के कारण उत्पादन सीमित है। यह कारखाना दारुइयन टेलीफोन इन्डस्ट्री लि० के नियंत्रण में खोला गया है। यह कम्पनी ३० कराइ रुपये की अधिकृत पूँजी से १ फरवरी १९५० को बनाई गई थी। इसका पूँजी में ६५% भाग भारत सरकार तथा मध्य राज्य का है तथा शेष पूँजी इंग्लैण्ड की एक कम्पनी ने लगाई है। इसका संचालन और प्रबन्ध के लिए आठ संचालकों का एक बाँड है जिसमें सात भारत सरकार द्वारा नियुक्त हैं। १९५१ के अन्त तक इस कारखाने में ६०,००० टेलीफोन तैयार किए गए थे और अब यहाँ लगभग २,००० टेलीफोन प्रति मास तैयार होते हैं। अब टेलीफोन के बहुत से नए पुनः इस कारखाने में बनाए जाने लगे हैं।

टेलीफोन के लिए हमें एक प्रकार का तार की आवश्यकता होती है जो अब तक विदेशों से मंगाया जाता था। इस आयात को बन्द करने के लिए सरकार ने देश में ही एक कारखाना खोल दिया है। इसके लिए ३० नवम्बर १९४६ को सरकार ने इंग्लैण्ड की एक कम्पनी के साथ समझौता किया जिसके अनुसार वह कम्पनी पश्चिमी बंगाल में मिहात्तान नामक स्थान पर एक कारखाना बना रही है। इस कारखाने में १ कराइ रुपये वार्षिक हानि का अनुमान है और आशा है कि जब यह कारखाना काम करने लगेगा तो इसमें १०० लाख रुपये के मूल्य के तार प्रति वर्ष बनाए जा सकेंगे। इस कारखाने के लिए भूमि पश्चिमी बंगाल की सरकार ने दी है और कारखाना बनाने का काम आरम्भ हो चुका है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस कारखाने में प्रति वर्ष ६५ लाख रुपये की लागत लगाकर २७ लाख रुपये के मूल्य के तार बनाया जा सकेगा और इस प्रकार २२ लाख रुपये प्रति वर्ष का लाभ होगा।

#### ४. वायुयान का कारखाना

देश में हवाई जहाज बनाने का कारखाना बनाने की आवश्यकता द्वितीय युद्ध के आरम्भ से ही होने लगी थी। दिसम्बर १९४० में बाचचन्द्र हीरानन्द

नामक एक प्रसिद्ध उद्योगपति ने ८ करोड़ रुपये की अग्रिम पूंजी से बंगलौर में जहाज बनाने की लिमिटेड कंपनी केन्द्रित करवा ली। १९८२ में केन्द्रीय सरकार ने इसे स्वीकार कर अपने निर्वहन में ले लिया। सितम्बर १९८३ से युद्ध समाप्त होने तक इस कारखाने में जहाजों की रेल मरम्मत होती थी। युद्ध के पश्चात् इस कंपनी का पुनर्गठन किया गया जिसमें केन्द्रीय सरकार तथा मेसूर राज्य सरकार हिस्सेदार बनें। अब यह रक्षा विभाग के अन्तर्गत काम कर रहा है और इसमें जहाज बनाए जाने लगे हैं। छुट्टे छुट्टे जहाज बनाने में इस कारखाने ने अब तक काफी प्रगति की है। इटलैण्ड की एक जहाज बनाने की कंपनी की सहायता से इस कारखाने में बड़े बड़े जहाजों का निर्माण भी होने लगा है। उत्पादन के मामले में अभी यह कारखाना स्थानस्थी न होने के कारण इसमें जहाजों की मरम्मत भी की जाती है जिससे अधिकारी को काम मिलता रहे। इस कारखाने में युद्धकाल में बड़े-बड़े जहाजों की मरम्मत करके चालू कर दिया है जो अब अन्धा काम कर रहे हैं। जहाज बनाने के अतिरिक्त इस कारखाने में रेल के इन्जनों भी बनाए जाने हैं। रेलवे विभाग में इन्जनों बनाने का काम इस कारखाने को मिला हुआ है। अब तक इसने तीसरे दर्जे के लगभग २०० इन्जनों तैयार किए हैं जो काम में आने लगे हैं।

### ५. पैनिसिलिन उद्योग

देशवासियों के जन-स्वास्थ्य के लिए देश में ही पैनिसिलिन बनाने की बहुत आवश्यकता थी। इस काम को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 'गैरूर स्वास्थ्य नग' तथा 'गैरूर राष्ट्रीय बाल, सहायता कोष' में सम्मिल करके पैनिसिलिन बनाने का एक कारखाना खोलने का निश्चय किया है। यह सम्मेल जुलाई १९५१ में किया गया था जिसके अनुसार उक्त दोनों संस्थाओं ने, व्यापक तथा बिल सहायता देने का वचन दिया है। सम्मेल के अनुसार भारत सरकार कारखाने के लिए भूमि देगी, कारखाना बनाएगी, प्रयोग-शालाएँ बनाएगी तथा विज्ञानी आदि का प्रबंध करेगा। 'बाल सहायता कोष' ८,५०,००० डॉलर के मूल्य की अन्य सामग्री मंगा कर कारखाने को देगा:



तथा 'रिश्त स्वास्थ्य सत्र' तांत्रिक सहायता पर ३,५५,००० डॉलर व्यय करेगा। अनुमान है कि प्रारम्भ में इस कारखाने में प्रति वर्ष ३६०० यूनिट पैनिस्लिन बनेगी परन्तु धीरे-धीरे ६००० यान्ट बनने लगेगी। यह कारखाना पूना के पास देहू सड़क पर बनाया जा रहा है और आशा है कि १९५३ तक अन्ततः काम करने लगेगा। जब तक यह कारखाना बनकर तैयार हो तब तक पैनिस्लिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बम्बई के हैम्प्टन इन्स्ट्रुक्ट्रियुट में पैनिस्लिन का बोतला मभरण का प्रबन्ध कर दिया गया है। यहाँ प्रति दिन १५००० मायल्स बोतला मभरी जा रही है। यह काम २८ मई १९५१ से प्रारम्भ किया गया था जो अब तक सरफार तथा जनता की पैनिस्लिन की माँग को पूरा करता रहा है।

#### ६ औजारों का कारखाना

सरकार ने गणित सम्बन्धी तथा अन्य औजार बनाने का भी एक कारखाना स्थापित किया है। कलकत्ता में अब तक गणित सम्बन्धी औजारों का जो कार्यालय था उसको 'राष्ट्रीय औजार निर्माण' कारखाना का रूप दे दिया गया है। योजना कमिशन ने अपना पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की है कि इस कारखाने पर १९५१-५३ में ५० लाख रुपये तथा १९५१-५६ में कुल १५४ लाख रुपये व्यय किए जाएँ। कारखाने का मगठित करने की योजनाएँ बन रही हैं और आशा है कि शीघ्र ही इसमें इतना उत्पादन होगा कि फिर देश का विदेशों से इस प्रकार के औजार आयात करने की आवश्यकता न रहेगी। यहाँ इतना बहना भी उचित होगा कि इस कार्यालय की स्थापना सबसे पहले १८२० में हुई थी। तब से यहाँ बराबर प्रकार-प्रकार के गणित ज्योमिति सम्बन्धी औजार बनते रहे थे। आज इसकी संपत्ति सरकार ने देशहित के लिए अपने नियंत्रण में ले ली है और बड़े पैमाने पर औजार बनाए जाने लगे हैं।

#### ७. वैज्ञानिक खाद का कारखाना

औद्योगिक क्षेत्र में सरकार ने एशिया भर में बहुत बड़ा काम जा किया है वह है वैज्ञानिक खाद बनाने का सिधरा का कारखाना। हमारे देश में वैज्ञानिक

निक ग्वाद की बहुत आवश्यकता थी। इसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने लगभग आठ वर्ष पहिले इस सम्बन्ध में एक योजना तैयार की थी। उस योजना के अनुसार १९४५ में बिहार में सिंधरी नामक स्थान पर भूमि खरीदने, उसे समतल बनाने तथा कारखाना बनाने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने का काम आरम्भ कर दिया गया था। १९४६ में कारखाना बनाना भी आरम्भ कर दिया गया। पाँच वर्ष तक लगातार काम होता गया और अन्त में राष्ट्रीय सरकार ने कोई ३० करोड़ की लागत में यह कारखाना तैयार ही कर दिया। कारखाने का काम २० दिसम्बर १९५१ की आधी रात से आरम्भ हो गया है और १५ जनवरी १९५२ को सिंधरी पेट्रिलाइजर एण्ड केमिकल्स लि०, कम्पनी बनाकर इस उसके अधीन कर दिया गया। इस कम्पनी की अधिकृत पूँजी ३० करोड़ रुपये है। यहाँ अमोनियम सल्फेट तैयार होता है। यह सल्फेट भूमि का उर्वरता बढ़ाने के काम आता है। हमारे देश में इसको बहुत आवश्यकता था। आता है कि इस वर्ष के मध्य तक इस कारखाने में १००० टन अमोनियम सल्फेट बनाने लगेगा। आज तक भारत सरकार ४,००,००० टन अमोनियम सल्फेट उदेगा में आयात करती रही थी और यह भी देश का आवश्यकताओं के लिए पूर्ण नहीं था। जब हमारा यह कारखाना अपनी पूरी शक्ति से काम करने लगेगा तो इसमें ३,६५,००० टन अमोनियम सल्फेट प्रति वर्ष बनने लगेगा जिसमें हमें १० करोड़ रुपये के मूल्य के विदेशी विनिमय की संचत होगी। सरकार का प्रयत्न है कि इस कारखाने में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक ग्वाद इतनी सस्ता लागत पर तैयार का जाय कि भारत के बाह्य से ग्राहक भी उसे खरीदकर अपने स्थानों में प्रयोग कर सकें। यह निश्चय में तनिक भी संदेह नहीं कि सिंधरी का यह कारखाना बना कर भारत सरकार ने रासायनिक औद्योगिक क्षेत्र में एक नया कदम उठाया है।

## ८. निराम गृह बनाने का कारखाना

नई दिल्ली के पास शिवा एर ऐमा कारखाना बनाया गया है जो निराम गृह बनाने का काम करता है। सरकार का योचना है कि यह कारखाना उपयोगी और सस्ते पर बनाए जो जनता को बेचि जा सकें। इस उद्देश्य

की प्राप्ति के लिए सरकार स्वीडन की एक कम्पनी से बातचीत कर रही है। आशा है यह काम शीघ्र पूरा हो सकेगा और बड़े-बड़े नगरों में मरानों की समस्या समाप्त हो जायगी।

#### ६. जहाज बनाने का कारखाना

सरकार पानी के जहाज बनाने के उद्योग को भी अपने हाथ में लेना चाहती है। सिंधिया स्टीमशिप नेवीगेशन कम्पनी ने पास रिजगापट्टम पर एक ऐसा कारखाना है जहाँ पानी के जहाज बनाए जाते हैं। सिंधिया कम्पनी इस कारखाने को बन्द करना चाहती थी परन्तु सरकार का विचार था कि इसके बन्द होने से देश का जहाज निर्माण उद्योग अस्त व्यस्त हो जायगा और उसमें काम करनेवाले कुशल कारीगर भी देश के हाथ से निकल जाएंगे। अतः सरकार ने इस कम्पनी को २५ फरवरी १९५० को ८००० टन वजन के तीन माल टोने के जहाज बनाने के आर्डर दे दिये जिससे यह कारखाना चालू बना रहे और कुशल विद्येपत्र काम में लगे रहें। सरकार यह भर्ती भ्रंति जानती थी कि इस कम्पनी से जहाज बनाने में उसे एक जहाज का मूल्य ६८ लाख रुपये देना पड़ेगा जबकि इंग्लैण्ड में वैसा ही जहाज ४२ लाख रुपये में बन सकता था। फिर भी सरकार ने भारतीय कम्पनी से ही जहाज बनवाए और २२ लाख रुपये प्रति जहाज की दर कम्पनी को अधिक मूल्य देकर इस उद्योग का एक प्रकार से पराक्ष सहायता कर दी। अभी तक तीन जहाज बन चुके हैं और काम कर रहे हैं। तीन और जहाज बनाने का आर्डर अगस्त ५१ में दिया गया है। इस प्रकार सरकार इस उद्योग में सहायता दे रही है। परन्तु उद्योग का उन्नत करने का यह एक अस्थायी उपाय है। सरकार की योजना है कि सिंधिया कम्पनी से कारखाने को खरीद ही लिया जाय और किसी विदेशी कम्पनी के साथ साझा करके इसमें बड़े पैमाने पर जहाज बनने लगे। विश्वास है यह काम शीघ्र पूरा हो जायगा।

इन प्रयत्नों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में और भी अनेक छूटे-मोटे काम किए हैं। हाल ही में औषधियाँ तथा रंग बनाने के एक कारखाने का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है जहाँ शुद्ध औषध तथा

सच्चे रंग बना करेंगे। विदेशी कम्पनियों के साथ मिलकर साइकिल बनाने के कारखाने भी स्थापित किए गए हैं। न.दया क' बहुमुल्वा योजनाओं में सरकार ने जो प्रशंसनीय कार्य किए हैं उनका वर्णन तो पीछे किया जा चुका है। पेरैलू-उद्योग-धरो में भी सरकार ने जो सहायता दी है वह भी कम नहीं है, उनका उल्लेख भी पीछे किया जा चुका है। अब तो यह आशा है कि सरकार इस और और भी अधिक काम करे। राज्य सरकारों को भी इस कार्य में भाग लेना चाहिए। प्रादेशिक उद्योगों का स्थापना तथा उनका संचालन तो राज्य सरकारों को ही लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने कागज की एक मिल बनाई है तथा मद्रास, मैसूर और पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने भी उद्योगों में हिस्सा बढ़ाया है। अन्य राज्यों को भी इस क्षेत्र में आना चाहिए।

## १८—कुटीर-धंधों की समस्याएँ

प्राचीन काल से ही भारत के आर्थिक जलजल में छोटे तथा कुटीर धंधों का एक विशिष्ट स्थान रहा है। अंगरेजी शासन से पहिले ये धंधे देशशासकों के आर्थिक जीवन के मूल आधार थे। ढाका का मजमल, बनारस की साड़ियों, काश्मीर के शाल, धातु का मूनियाँ, लकड़ी के गिलौने आदि ससार-प्रसिद्ध वस्तुएँ इन्हीं कुटीर-धंधों में बनती थीं। विदेशी राजनैतिक सत्ता के कारण इंग्लैण्ड में मशीना से बनी हुई वस्तुएँ हमारे देश में आने लगीं। उन वस्तुओं की प्रतियोगिता में हमारे ये छोटे धंधे न टिक सके। गाँवों की स्वावलम्बी आर्थिक इकाईयाँ भंग होने लगीं तथा मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में बने हुए सस्ते माल की प्रतियोगिता से, सरकार की हमारे उद्योगों के प्रति उदासीनता से एव लोगों के रहन-सहन, रीति रिवाजों तथा सामाजिक सभ्यता में परिवर्तन होने से हमारे छोटे तथा कुटीर-धंधों को गहरी चोट लगी, परन्तु फिर भी ये मैदान में जमे रहे। स्वदेशी आन्दोलन के द्वारा इन्हें कुछ सहारा मिला तथा १९२१ और १९३१ के राजनैतिक आन्दोलनों में खादी तथा अन्य देशी वस्तुओं के उपभोग पर जो जार दिया गया उससे ये धंधे कुछ उभरने लगे। इनमें काम करनेवाले श्रमिकों की कुशलता, योग्यता तथा कार्यक्षमता में भी वृद्धि होने लगी। १९३६-३७ में जब प्रान्तीय शासन व्यवस्था कायम के हाथ में आई तो इन धंधों को और भी अधिक प्रोत्साहन मिला। द्वितीय युद्धकाल में नागरिक उपभाग के लिए कारखानों में बने हुए माल की कमी होने के कारण इन धंधों में बनाए गए माल का उपयोग बढ़ने लगा। फलतः इन धंधों की संख्या बढ़ी और इनमें काम करनेवाले कलाकारों को प्रोत्साहन मिला। आज भी ये छोटे और कुटीर धंधे हमारे आर्थिक जीवन के प्रमुख अङ्ग हैं। औद्योगीकरण का किसी भी देश व्यापी योजना में इनका सम्मिलित करना अनिवार्य होगया है। परन्तु इस विषय पर अधिक विचार करने से पहिले छोटे तथा कुटीर-धंधों का अभिप्राय समझना भी आवश्यक है। पृ० १०

श्रीयोगिक विद्या समिति (१९३५) के अनुसार "कुटीर-धर्म य होते हैं जिन्हें माँसि आपने हाँ लिंगे-ओषे पर आने पराँ में लगाकर चलाते हैं" सामान्यतः एक परिवार के सभी सदस्य मिलकर इनमें काम करते हैं—परन्तु कभी कभी आरक्षकानुसार मजदूरी देकर मजदूर भी लगा लते हैं। इन धर्मों में पत्नी की सहायता भी ली जा सकती है। कुटीर-धर्मों में शीघ्र गति-दान-स्थानों में चलाए जा सकते हैं। गियों में जो कुटीर धर्म स्थित होते हैं उन्हें पन्द्रह ईश्वर जीव कर्मों का प्राचीन या परलू उद्योग कहकर पुकारा है। इन उद्योगों में करके से बपड़ा बुनना, रेशम बनाना, सोने व चाँदी का तार बनाना, धातु के यंत्र बनाना, बीड़ा सिगरेट बनाना, चटाईयें बनाना, गुड़ बनाना, धान से चावल निकालना, धी दूध का काम करना, तेल परना, आदि सम्मिलित हैं। योजना-प्रशासन में इनका अन्तर स्पष्ट करने का विचार है कि जो छोटे छोटे धर्मों में स्थित कामों में उन्हें 'कुटीर-धर्म' कहें तथा जो नगरों में स्थित होंगे उन्हें केवल छोटे उद्योग धर्मों कहा जा सकता है।

हमारा कृषि प्रधान देश है। यहाँ के निवासी मर्दान हैं तथा अधिकांश जनता का जीवन स्तर नीचा है। हमारे कृषकों को पूरे वर्ष भर कृषि में काम नहीं करना पड़ता। कृषि के शादी कर्मों में लगे हैं। एक भारतीय कृषक की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर काम करने वाले कृषक को इसमें वर्ष भर काम करने की आवश्यकता नहीं होती। वर्ष में काम में काम नार करने वह बिलकुल गाली रहता है। ऐसे गाली समय में उसको तथा उसके परिवार को कोई काम देने के लिए छोड़-छोड़ कुटीर-धर्मों की आवश्यकता है। भारतीय पैंगीम जन्तु कर्मों का भी मत है कि 'कृषक को तथा उसके परिवार को उनके गाली समय में काम देने के लिए कुटीर-धर्मों स्थापित करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार वह अपनी आय भी बढ़ा सकता है।' डॉ० राधाकमल मुखर्जी ने योज करके पता लगाया है कि उत्तर भारत के बहुत-से पैंगीम प्रदेश हैं जहाँ के कृषक वर्ष भर में लगभग २०० दिन बेकार रहते हैं। उनका कहना है कि यहाँ-यहाँ तो, जहाँ मिन्नाई के अध्ये और उत्तम साधन प्राप्त हैं, इन्हीं भी आधक समय तक ये बेकार रहते हैं। जिस कृषक के पास कम भूमि है उसमें तो छोटे परिवार को भी उस पर काम करने की आवश्यकता नहीं होती। अतः उन लोगों

का ऐसा काम देना ही आवश्यकता है जहाँ व काम करने अपनी आवश्यकता की वस्तु भी बना सक तथा अपनी आय में वृद्धि भी कर सकें।<sup>१</sup> इस प्रकार आवश्यकता यह है कि किसी भी प्रकार ऐसा कुटीर धंधे स्थापित करण जाए जो कृषक को राजगार न सक तथा उनकी आय भी बढ़ा सकें। राष्ट्रीय योजना समिति (१९३६) का मत था कि "ग्रामीण भारत की अधिकांश जनता अपने भौतिक कल्याण के लिए अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ पैदा करना नहीं प्राप्त कर पाती। अब उनके लिए कुटीर धंधों का स्थापना करना बहुत आवश्यक है।" और जब हम अपनी कृषि का वैज्ञानिक बनना चाहते हैं और उसमें यंत्रों का प्रयोग बढ़ाना चाहते हैं तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार के लिए राजगार हाग, उनका काम देने के लिए छोटे घरेलू धंधों को प्रोत्साहित किया जाय। ऐसा स्थान में तो देश के आर्थिक आयातन में कुटीर धंधों का स्थान और भी अधिक बढ़ जाता है। इसी कारण योजना कमिशन ने अपनी पंच वर्षीय योजना में १६ करोड़ रुपये इन धंधों के विकास पर व्यय करने का निश्चय किया है। जमनी नागान, इन्स्ट्रुमेंटल्स तथा थोप के अथवा दशों में जहाँ की जनसंख्या का अधिकांश भाग छोटे तथा कुटीर धंधों पर आश्रित रहता है। जमनी का कुल जनसंख्या का २/५ भाग ऐसा ही छोटे उद्योग धंधों में काम करता रहा है। जहाँ बहुत से छोटे छोटे उद्योग सरकारी सहायता से चाले गए थे। यद्यपि अथवा देशों में कृषक अपनी भूमि पर काम करते ही हैं, उद्योगों में भी काम करते हैं। इससे उन्हें उपभोग काम मिलता रहता है और वे निरल्ले नहीं रहते। यहाँ कारण है कि जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम है और एक वर्ग माल में २०० से ३०० तक लाग रहते हैं जबकि हमारे देश में जनसंख्या का घनत्व अधिक है और एक वर्ग मील में ५०० से ६०० व्याक्त रहते हैं। जनसंख्या के इस घनत्व का कम करने के लिए कृषकों का कृषि के अनिश्चित फाइ सहायक काम धंधे देने की आवश्यकता है।

प्रश्न यह है कि यदि हम अपने देश में छोटे और कुटीर धंधे स्थापित कर ता क्या वे विशालकाय उद्योगों की प्रतिस्पर्धिता में टिक सकेंगे? यह ठीक है कि विद्युत् यंत्रों में ये धंधे विशाल और बड़े पैमाने के कारखानों के सामने न टिक सकें और इन्हें गहरी चोट लगी परन्तु आज की स्थिति पुरानी स्थिति

ने त्रिज्वल भिन्न है। आज कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण वे धंधे सफलतापूर्वक बड़े उद्योगों का सामना कर सकेंगे। ये बातें हैं—एक, आज कल विजली का प्रयोग बढ़ने से इन धंधों में विजली के द्वारा मशीन चलाने में सहायता होगा तथा इन धंधों को बाध्य तथा आन्तरिक व्ययों का लाभ मिल सकेगा। दूसरे, आज प्रत्येक समाज में कुछ ऐसी वस्तुओं की मांग बढ़ती जा रही है जो वस्तुओं सरलतापूर्वक अपने मूल्य पर इन धंधों में बनाई जा सकती हैं। ऐसी वस्तुएँ विशेषतः विनाम की हैं जिनमें जनता इन धंधों से खरीदने में आसक्ति भी नहीं करेगी। आज छोटे और कुटीर-धंधों का क्षेत्र पहिले का अपेक्षा अब अधिक है। कुछ लोगों का कहना है कि बड़े पैमाने के विशाल उद्योग स्थापित करने में उत्पादन अधिक होता है इसलिए छोटे धंधों को छोड़ बड़े उद्योग ही स्थापित होने चाहिए। ऐसी लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि हमारा ध्यान बड़े उद्योगों को भिटाकर छोटे धंधे स्थापित करने का नहीं है। समस्या यह है कि श्रमकों तथा अन्य लोगों का जो कोई मुख्य काम करना हो परन्तु फिर भी उनके पास अपनी समय हो, छोटे उद्योगों में सहायक काम दिया जाय। आज हमारे देश का समस्या कवन उत्पादन बढ़ाने का ही नहीं है बरन् देश के विशाल जन-समुद्र का राजगार देने का भी है। बड़े पैमाने के उद्योग इतनी बड़ी जन-संख्या का एक साथ काम का व्यवस्था नहीं कर सकते। काम की व्यवस्था तो केवल छोटे छोटे परेलु धंधों में ही सकती है जहाँ लोग अपने मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त यह काम भी करत रहें। इस प्रकार इन धंधों से हमारे देश में दो समस्याएँ सुलभ होती हैं। एक, लोगों का खाली समय में काम मिलता है तथा दूसरे देश का उत्पादन भी बढ़ता है। एक बात और है। इस समय बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिए देश के पास न तो आर्थिक शक्ति है और न संसाधन ही हैं। ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने के उद्योगों का ध्यान लगा कर बैठ रहने से यह वास्तविक है कि छोटे उद्योगों को बनाकर दो समस्याएँ एक साथ हल का जाएँ। अतएव देश के आर्थिक संवृद्धि के लिए पुराने कुटीर-धंधों को पुनर्जीवित करना तथा नए धंधे स्थापित करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार देश को अतिरिक्त जनता काम पर लग जायगी तथा स्वयं और बाहरों को भी उनकी शक्ति और योग्यतानुसार काम मिलने लगेगा। सामोण



लोगों को अपनी आय बढ़ाने के साधन मिलेंगे तबमें वे अपना जीवन स्तर ऊँचा बना सकेंगे। हमारे गाँवों का पुनरुद्धार एक प्रकार से कुटीर धन्धा पर निर्भर है। इनमें बहुत से पड़े लख लागत का भी राजगार मिलता तथा देश का श्राविक मलेज सतुलित हाजर मुदत बन जायगा।

हमारे यहाँ कुछ ऐसी काटनाइयाँ हैं जिनके कारण कुटीर धन्धे आश्रयक उत्पत्ति नहीं कर पाए हैं। धरा की उत्पत्ति बनाने के लिए पहिले इन कठिनाइयाँ को दूर करना होगा। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इनमें काम करनेवाले लोग अज्ञान, अशिक्षित और गरव हैं। उनका दृष्टिकोण समुचित है और वे परिस्थिति से लाभ उठाकर अपने उद्योगों का संगठन नहीं कर पाते। इसलिए यह आश्रयक है कि उन्हें उद्योग सम्बन्धा जानकारी कराई जाय। इससे लिए गाँवों में स्थान स्थान पर ऐम केन्द्र बनाने का कल्पना देना चाहिये। अधिक जानकारी के लिए श्रौचिक गिरु म्दल बनाने चाहें जहाँ ऊँची शिक्षा देने की व्यवस्था हो। श्रौचिक कर्मियों ने सिफारिश की थी कि 'जिन क्षेत्रोंमें जो उद्योग स्थापित करने चाहें उन्हें उद्योगों के प्रदर्शन केन्द्र सरकार स्थापित करके लागत का उस उद्योग सम्बन्धा पूरा पूरा जानकारी कराये।' दूसरी, काटनाई अचानक यह रहा है कि इन उद्योगों में काम करने वाले स्टाफ करने के लिए माल नहीं बनाते हैं बल्कि उसी समय माल बनाने हैं जब उनका काम माल के ग्राहक आ जाते हैं। माल बनाने से पहिले ये लोग आडर देना चाहते हैं या अन्य मध्यस्था से कच्चा माल उधार लेते हैं और उन्हें का कच्चा माल बेचने का बचन दे देते हैं। इससे ता उन्हें कच्चा माल मस्त दामा पर मिलता है और न कच्चे माल ही अच्छे दाम मिल पाते हैं। ये तो एक प्रकार से थोड़ी मजदूरी पर हा काम करते रहते हैं। सच बात तो यह है कि ये लोग ऐसा काम परिस्थितियाँ से प्रियश हाजर करते रहते हैं। उनमें कुछ ऐसी काटनाइयाँ हैं जिनमें बाध्य हाकर वे ऐसा करते हैं। ये कठिनाइयाँ निम्न हैं :—

१. पूँजा का अभाव,

२. पर्याप्त कारखाना में बने हुए माल की प्रतियोगिता, जिससे उन्हें अपना माल बेचने में सदा भय रहता है कि कहीं उनका माल बिना बिकाने रहे

जाय। यदि ऐसा हुआ तो उनकी पूँजी उस माल में बँध जाती है और वे कहीं से नहीं रहने।

३. माल का स्मरूपता तथा उत्तमता के विषय में वे निश्चित नहीं होते और इसलिए माल सप्लाई करने के लिए वे किसी प्रकार का कोई बचन नहीं देते। इसलिए वे माल का स्टॉक भी नहीं करते।

४. कच्चे माल का अभाव।

इनसे अतिरिक्त कुटरी-धंधों की कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें दूर किए बिना इन धंधों का उत्थान सम्भव नहीं हो सकता। यू० पी० औद्योगिक मंत्र कमेटी (१९३५) ने इन धंधों की निम्न समस्याएँ लिखा है : -

१. लाभ के साथ पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल प्राप्त करने की कठिनाई,
२. आवश्यक मात्रा में पूँजी का अभाव,
३. बनावट का माल बेचने की कठिनाई,
४. उत्पादन व्यय सम्बन्धी अकिट्ट लगाने में उद्योगियों की अनभिज्ञता,
५. समरूप तथा उच्च क्वालिटी का माल तैयार करने का कठिनाई,
६. उद्योगियों की अज्ञानता तथा रुढ़ता,
७. आधुनिक उत्तम प्रकार के औजारों का अभाव।

गरेलू धंधों की सबसे बड़ी समस्या समय पर आवश्यक मात्रा में उत्तम क्वालिटी का कच्चा माल प्राप्त करने की है। अधिकतर उद्योगी कच्चा माल उपहार मानते हैं जिससे वे उन्हें अच्चा माल मिनता है और न मना मिनता है। कभी-कभी वे उन्हें कच्चा माल मिनता भी नहीं जिससे वे अपने धंधे का बन्द किए बैठे रहते हैं। यहाँ यह आवश्यक है कि उद्योगियों की अपनी सहकारी समितियाँ हो जो उन्हें कच्चा माल लाकर दें। ये ही समितियाँ उनके माल को अच्चे मातों पर बेचने का प्रबन्ध कर। उत्तर-प्रदेश, मद्रास तथा बम्बई में बगड़ा धुनेवाले उद्योगियों का सहकारी समितियाँ हैं जो सदस्यों को कच्चा माल देती तथा उनके बगड़े को ऊँचे से ऊँचे भावों पर बेचने का प्रबन्ध करती है। ऐसी समितियाँ प्रत्येक औद्योगिक-क्षेत्र में होनी चाहिए। समितियों के होने से मध्यस्थ लोग उद्योगियों का शोषण नहीं कर सकेंगे।

दूसरी समस्या है, वैज्ञानिक धंधों की। अब तक हमारे उद्योगी यही पुराने

श्रीर टूटे-पूटे औजारों और मशीनों का प्रयोग करते आते हैं। इससे न तो उत्पादन बढ़ता है और न उनका आय म बढ़ जाती है। उनका माल भी उत्तम ग्राहकों तक नहीं बन पाता। इस समस्या का मुलभान के लिए उद्योगों का नए नए आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। स्थान स्थान पर ऐसे केंद्र खोल जाए जहाँ इन यंत्रों का प्रदर्शन हो तथा उनका प्रयोग बनलाया जाय। सरकार इन आधुनिक यंत्रों को उद्योगों को देकर देकर और देकर देकर उनका उपयोग कर रहे हैं या नहीं। सरकारी मिन्ट्रा नियुक्त किए जाएं जो इन यंत्रों का प्रयोग उद्योगों को करावे तथा यंत्रों का टूट-पूट के सम्मत्त भाग करें। यह काम सहकारी सामितियाँ द्वारा भी अच्छी तरह किया जा सकता है। बिहार में इस काम के लिए सामितियाँ हैं जो रशमी कपड़ा बनानेवाले कुलाहल मशीनों का प्रयोग दिखाने और सिखाने का प्रबन्ध करती हैं।

पूँजी की अभाव उद्योगों की तासंग बड़ी समस्या है। न तो इन लोगों के पास कच्चा माल उत्पादन का पैसा होता है, न य मशीन खरीद पाते हैं और न इनकी इतनी सामर्थ्य होती है कि माल बनाने के बाद प्रच्छेद भाग का इन्तजार कर सकें। इन्हें माल तैयार करत ही बेचना पड़ता है चाहे भाग अनुपलब्ध हो या न हो। यलाग महाजन से या कच्चा माल बनाने वाले व्यापारियों से रुपया उधार लाते हैं। यह रुपया इन्हें उच्च व्याज दर पर मिलता है और यभा यभा तो इन्हें अपना माल हाथ में देना पड़ता है या नाराजों के हाथ बेचना पड़ता है। न तो इन्हें बेचकर उधार मिलता है और न सरकार का हाँ कोई प्रबन्ध है। केंद्रीय बैंकिंग जॉब कमी के अनुसार है कि इस काम के लिए इनके लिए सहकारी सामितियाँ होना चाहिए, जो सदस्यों का मामूली व्याज दर पर रुपया दें। औद्योगिक कमिशन का सुझाव है कि राज्य में उद्योगों के डिपॉजिटरी के थोड़े थोड़े राश उद्योगों या उधार देने चाहिए। हमारा विचार है कि बड़े-बड़े उद्योगों का भाँति इन उद्योगों का भी राज्य से सहायता मिलनी चाहिए।

छूटे उद्योगों के पास अच्छे दाम पर अपना माल बनाने की भी मुविधाएँ नहीं हैं। जब तक इनमें काम करनेवालों को उनका माल के अच्छे दाम नहीं

मिलेंगे तब तक उनकी वह काम करने में रुचि नहीं होगी। सरकार को इनका माल विक्रयाने का प्रबन्ध करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन बोर्ड बना है जो कुटीर धंधों में बनी हुई माल का विज्ञापन करता है तथा माल बेचने का भी प्रबन्ध करता है। ऐसा सस्पाई प्रांत-प्रान्त में होना चाहिए। हमारे देश की ये वस्तुएँ विदेशों में बेचने का अब तक वह प्रबन्ध नहीं था परन्तु अब विदेशों में स्थिति हमारे दुतावासों में हमारी इन कलात्मक वस्तुओं के प्रदर्शन होने लगे हैं जिससे हमारी वस्तुओं का विज्ञापन होता है और विक्रय में सहायता मिलती है। सबसे में उद्योग विभाग में एक स्थान पर उद्योग-विभाग बनाया गया है जो कुटीर धंधों में बनी हुई वस्तुओं का विज्ञापन करता है। इस राज्य में मार्केटिंग ऑफीस में नियुक्त हुए हुए जा माल के बेचने का प्रबन्ध करते हैं। ऐसा संगठन राज्य राज्य में होना चाहिए। इस विषय में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि सरकार इन वस्तुओं को लोक-प्रिय बनाने में सहायता करे। सरकारी विभाग इन उत्पादों में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करे तब जनता भी उनका उपयोग करने लगेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने प्रयोग की आवश्यकता वस्तुएँ इन उत्पादों में लीदने लगी है। इस नाति की अन्य राज्यों में भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार भी इन उत्पादों की प्रगति में विशेष ध्यान लेने लगी है। १९४८ में अखिल भारतीय कुटीर-धंधों का बोर्ड बनाया गया था जिसका उद्देश्य देश विदेशों में कुटीर-निर्मित वस्तुओं को लोकप्रिय बनाना है। इसी बोर्ड की सिफारिश है कि विदेशों में हमारे दुतावास और व्यापार कमिश्नर हमारी इन वस्तुओं को प्रदर्शन करके विज्ञापन करें। आवश्यकता यह है कि देश में एक केन्द्रीय ट्रेनिंग अथॉरिटी भी खोला जाय जहाँ कुटीर उद्योगों को तालमकधो शिक्षा दी जाय। इसी प्रकार राज्य राज्य में ऐसे बोर्ड होने चाहिए जो इन उत्पादों को प्रोत्साहन देने तथा इनके माल को बेचने का प्रबन्ध करें। यदि इस प्रकार संगठन से काम होगा तो हमारे प्राचीन गौरव के प्रतीक परेलु-धंधे एक बार फिर उन्नत हो सकेंगे। १९५०-५१ में केन्द्रीय सरकार ने प्रांतीय सरकार तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को कुटीर धंधों को उन्नत बनाने के लिए ६२ लाख रुपये दिये थे। इसके आतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने

प्रिरोपज्ञो को जापान, डेन्मार्क, इंग्लैण्ड आदि देशों में भी भेजा था जिससे वे वहाँ की स्थिति का अध्ययन करके देवें कि क्या वहाँ जो कार्य पद्धति हमारे कुटीर-धन्धों में लागू हो सकता है? अखिल भारतीय बर्ड का गव जनरल में पुनर्विगठन किया गया है और उसमें निम्न कार्य दे दिये गए हैं—

- (१) सरकार का छोटे तथा कुटीर-धन्धों के साठन एव विकास सम्बन्धी योजनाओं पर परामश देना,
- (२) सरकार को सुझाव देना कि छोटे तथा कुटीर-धन्धों और विद्याल उद्योगों में किस प्रकार सहयोग बनाया जा सकता है,
- (३) कुटीर-धन्धों सम्बन्धी सरकारी योजनाओं का देखना तथा उन्हें कार्यान्वित करने में सहायता देना,
- (४) कुटीर धन्धों में बने हुए माल को भारत तथा विदेशों में बिकवाने का प्रबन्ध करना ।

आशा है भारत के नवीन औद्योगिक क्लेयर में इन उद्योगों को यथा स्थान प्राप्त होगा ।

---

## १६—औद्योगिक श्रमिकों की समस्याएँ

हमारे देश में औद्योगीकरण के साथ-साथ उद्योगों में काम करनेवाले श्रमिकों की संख्या तथा उनके रहन-सहन, पान-पान, रोजगार, जीवन-मरण सम्बन्धी समस्याएँ भी बढ़ती जा रही हैं। इनकी इन समस्याओं का महत्त्व सरकार ने भी भली प्रकार पहिचान लिया है। हमका प्रमाण हमें इस बात से मिलता है कि सन् १९३० में लेकर अब तक इन समस्याओं को जॉब-पड़नाल करने के लिए दो कमीशन नियुक्त हो चुके हैं। एक कमीशन १९३० में 'शाही कमीशन' के नाम से नियुक्त किया गया था और दूसरा कमीशन युद्ध काल में 'रिंग कमेटी' के नाम से नियुक्त हुआ था। इतना ही नहीं, अप्रैल १९४८ में प्रकाशित अपनी औद्योगिक नीति से सरकार ने भ्रम-वह्यण की और विशेष रूप से संकेत करते हुए कहा था कि देश में ऐसी व्यवस्था का जाना चाहिए जिससे श्रमिकों को भरा-पूरा रोजगार मिल सके, उनको अच्छी तथा पर्याप्त मजदूरी मिल सके तथा उनका रहन-सहन का स्तर सुधर सके। केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों श्रमिकों के उल्याण के लिए अब कुछ सन्तोषजनक कार्य करने लगी हैं, फिर भी इन श्रमिकों की कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें जानना आवश्यक है।

पहिले कारखानों में जब श्रमिकों की कमी होती थी तो गाँव में श्रमिक लाने के लिए ठेकेदार भेजे जाते थे। अब यद्यपि श्रमिकों का उद्योगों में यह बात नहीं है और उन्हें श्रमिक लाने की आवश्यकता नहीं होती परन्तु फिर भी ग्रामीण उद्योगों में यह प्रथा अब तक प्रचलित है। ऐसे उद्योगों में मजदूर लाकर भरती कराने का काम ठेकेदारों पर छोड़ दिया जाता है और यही ठेकेदार उनके काम की देय-भाल पर भी लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार श्रमिक इन ठेकेदारों पर ही आश्रित बन जाते हैं। ये ठेकेदार श्रमिकों से उन्हें काम दिवाने के बदले में रिश्वत लेते हैं और उन्हें अनुचित में अनुचित वानों के लिए भी दबाते रहते हैं। शाही कमीशन ने सिफारिश की थी कि श्रमिकों

को भरती का काम टेनेदारा पर न छाड़ कर श्रम अफसर का दे देना चाहिए। श्रम अफसर ही उन्हें भरती करे तथा वही उन्हें निकाले। इन श्रम अफसरों का राज्य की आर स इस काय म आदाा मिलने का प्रबन्ध होना चाहिए। इसी मिनारश क अनुसार उत्तर प्रदेश, बम्बई, बंगाल तथा अन्य राज्या की सरकार श्रम अफसरा का आशदाा देन का मुगिधाए देन लगा है। इसका आतारक श्रमिका का भरती करान क लिए 'काम दिनाग्रा दफतर' खाल गए है जा वजार लागी का रोचगार दिलान का प्रबन्ध करत है। १९४७ ४८ म कुल मिला कर ५३ 'काम दिलाग्रा दफतर' क आजनम ७ प्रादेशिक तथा ४६ उप-प्रादेशिक दफतर क। प्रय इनकी संख्या बढता जा रही है। परन्तु इस याजना को विस्तृत बनाने की आवश्यकता है। प्रत्येक जिले में एक 'काम दिनाग्रा दफतर' स्थापित होना चाहिए जिससे उस जिले क निवासी सरलता स वहाँ तक पहुँच सके और उह काम पाने म आसानी रहे।

श्रमिका के सम्बन्ध म हमारे यहाँ एक समस्या यह है कि ये श्रमिक उद्योगों म स्थायी रूप से रह कर काम नहा करतें। ये लोग थोड़े दिन काम करत हैं और जब कुछ रुपया इनके पास इकट्ठा हा जाता है ता काम पर आना बन्द कर देते हैं और जब पैसा पास नहा रहता ता फिर काम पर आने लगत हैं। शाही कमिशन ने अपनी रिपोर्ट म लिखा है कि 'भारतीय श्रमिका के विषय म सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वे स्थायी रूप से काम नहीं करत। इसका कारण यह है कि ये लाग गाँवा से अपने खाली समय म उद्योगों में काम करने के लिए शहरा में चले आत हैं और जब इनकी इच्छा होता है तभा फिर गाँवा में लौट जाते हैं। इस प्रकार भारतीय श्रम स्थायी नहीं होता। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि उद्योग म कभा कभी श्रमिकों की कमी हो जाती है जिससे उत्पादन कम हान लगता है। श्रमिकों के स्थायी न रहन के अनेक कारण हैं। ये लाग अधिकाश में कृषक होते हैं अत जैसे ही कृषि का समय आता है ये उद्योगों को छोड़कर गाँवा में लौट जाते हैं। दूसरे, इन्हें अपने गाँवों तथा अपने परिवारों का इतना माह होता है कि थोड़े दिन उद्योगों में काम करने क पश्चात ही इन्हें उनकी याद आती है और वे वहीं चले जात हैं। श्रमिका को स्थायी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें उद्योगों के आस पास रहने सके की प्रच्छी

सामाजिक सुधारण की जायें जिनमें वे अपने पाप-बन्धन के साथ नहीं रह सके। इसमें उनका अनुभवार्थी बहुत कुछ भीमा में कम हो जायगी। परन्तु इस भी यह समझना पण स्व में होना नहीं हो सकता। अतः वे कुछ वर्षों में पर-बन्धन में समा होने के कारण तथा कुछ पर आनन्द-बन्धन होने के कारण सामाजिक जनता स्थाना स्व में गहरी में आकर समझे लगा है और उपायों में काम करनी है। कुछ दिनों देखने में भी आया है। एक प्रमत्तों का अनुभवार्थी और अध्यात्मिक के और भी कारण हैं जिन कारणों, उपायों में आनन्द समय तक काम करने का प्रकाश, अध्यात्मिक संस्थाओं का भय, सामाजिक तथा धार्मिक शक्ति-स्थान, जोधरी के अध्यात्मिक के अन्तर्गत में उनका सन्दर्भ, आदि, आदि। यदि उपायार्थी इन पाठनाइयों का दूर करें तो आध्यात्मिक तथा समझने में और उपायों का यह समस्या मुक्त करनी है।

आध्यात्मिक के विषय में एक समस्या यह चललाई जाती है कि वे अपने काम में कुशल नहीं होना। भारतीय आध्यात्मिक अन्वेषण के अध्यात्मिक का अन्वेषण बहुत अनुभव होना है। इसका अध्यात्मिक उन्वेषणार्थी उनका मानवों पर ही है। उनके मानविक में तो उन्हें उनके काम का प्रकाश देना है और न इस बात की देना मान करनी है कि जिन परिस्थितियों में वे काम कर रहे हैं वे उनके अनुकूल हैं या नहीं। कारणोंना का सहाई, सहायता तथा सामाजिक सम्बन्धों का आध्यात्मिक में अध्यात्मिक का कुशलता पर कार्य प्रकाश प्रकाश है। हमारे देश के उपायार्थी इन बातों का विशेष ध्यान नहीं करते। न तो अध्यात्मिक का भीमारी में उनकी आध्यात्मिक देना-मानव की जाति है और न उनके दिव्य-व्यवस्था का ही ध्यान करनी जाया है। इसमें उनकी कार्यक्षमता कम होना है। फिर उनका मानविक उनमें आध्यात्मिकता में अध्यात्मिक काम करनी है। यदि इन बातों में सुधार करायी जाय तो धर्म की कुशलता के अन्तर्गत में ही पाठनाइयों के यह दूर हो सकती है और अध्यात्मिक कुशलता बन सकती है। सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नियम बनाए हैं जिनके अध्यात्मिक उन्वेषणार्थी तथा अध्यात्मिक के दिव्य-व्यवस्था का आध्यात्मिक सामाजिक उपायार्थी प्रकाश है। काम करने के पण्डों में नियमानुसार अन्वेषण किया जाने लगे हैं। परन्तु इतना होना पर भी अध्यात्मिक तथा एक दृष्टि नहीं बन सकती जिन तक कि उन अध्यात्मिक उन्वेषणार्थी तथा अध्यात्मिक के अन्वेषणार्थी को प्रकाश है।



जहाँ श्रमिक श्रम-श्रमने कामों की प्रारम्भिक शिक्षा ले सकें। इसने अतिरिक्त उन्हें अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, मकान, आरोग्य-प्रमोद की सुविधाएँ भी मिलनी चाहिए।

श्रीयोगिक श्रमिकों का एक श्रमिकों समस्या यह है कि शहरों में उनका रहने का कोई उचित प्रबंध नहीं होता। उनका मकान छोटे, गन्दे और सभ्य हुए होते हैं। उनमें संडास और स्नानगृहों का कोई उचित प्रबंध नहीं होता। कहीं कहीं तो वे इतने पास-पास रहते हैं कि उनमें रोशनी और हवा का समुचित व्यवस्था भी नहीं होता। बड़े-बड़े शहरों में तो मकानों का और नौकाओं की समस्या है। वहाँ जर्मन की कमाई हान के कारण बड़े-बड़े चौरों बना दिए जाते हैं जिनमें एक-एक में २०-२० परिवार रहते जाते हैं। एक-एक परिवार के हिस्से में एक-एक कमरा आता है। श्रमिकों की इस समस्या का दूर करने तथा उनकी आय कुशलता बढ़ाने के लिए मैं यह आवश्यक है कि उनके रहने का समुचित प्रबंध हो। उद्योगपतियों तथा सरकार का भी इस विषय में ध्यान देना चाहिए। अप्रैल १९४८ में अपनी श्रीयोगिक नीति घोषित करते समय सरकार ने १० लाख मजदूर गृह बनाने तथा इस सम्बन्ध में देश-व्यापक करने के लिए एक स्थायी बोर्ड बनाने का निश्चय किया था। अभी तक इस विषय में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। बम्बई राज्य में १९४६ में एक कानून बनाया गया था जिसके अन्तर्गत जनवरी १९४६ में एक हाउसिंग बोर्ड बनाया गया था। बम्बई राज्य की सरकार ने ५१ करोड़ रुपये की लागत से ६५०० मजदूर-गृह बनाने का निश्चय किया है। भारत सरकार ने खाना में काम करनेवाले मजदूरों की गृह समस्या सुलझाने के लिए एक बोर्ड स्थापित किया है। श्रमिकों तथा उद्योगों के हित में इस समस्या को शीघ्र सुलझाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय सरकारों तथा श्रम-संस्थाओं—सभी को काम करना चाहिए।

श्रमिकों की अपनी दूसरी समस्या सामाजिक सुरक्षा की है। श्रमिकों को दुर्घटनाओं, बेकारी, बीमारी तथा अन्य आकस्मिक जीवन-भङ्गों से सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है। उनकी आय तो इतनी अधिक होती नहीं कि वह भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उस पर निर्भर रह सकें। अतः उनके भविष्य

के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके सहारे वह आगे आगेवाली कठिनाइयों को पार कर सके। परिणामी देशों में श्रमिकों के लिए इस प्रकार की अनेक सुविधाएँ दी जाती हैं। हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा की उतनी अधिक व्यवस्था तो अभी नहीं हो सकी है जिनकी इंग्लैण्ड में या अन्य देशों में है, परन्तु पिछले कुछ वर्षों में इस ओर उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। श्रमिक-हर्जाना कानून बनाए गए हैं जिनके अनुसार श्रमिकों के साथ काम करते-करते कोई दुर्घटना होने पर उन्हें हर्जाना दिया जाता है। इसमें श्रमिकों की एक समस्या हल हो गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर भी सरकार ने कुछ काम किया है। अप्रैल १९४८ में एक एम्प्लॉयज इन्श्योरेंस एक्ट बना दिया गया है। इस कानून के अन्तर्गत श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा की योजना एक कारपोरेशन को सौंप दी गई है। इस कारपोरेशन में केन्द्रीय सरकार के धर्म मन्त्री, केन्द्रीय सरकार का स्वास्थ्य मन्त्री, उद्योगपतियों के प्रतिनिधि तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि होते हैं। इसमें श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक कोष बना हुआ है जिसमें भाजिकों तथा श्रमिका द्वारा राशि जमा होती है, सरकारी सहायता भी जमा होती है तथा अन्य किन्हीं साधनों में जो राशि प्राप्त हो सके, वह भी जमा होती रहती है। केन्द्रीय सरकार ने प्रथम पंच सालों में कारपोरेशन के संचालन व्यय का २ भाग देना स्वीकार किया है तथा प्रांतीय सरकारें, श्रमिकों की चिकित्सा में जो व्यय होगा है उसकी राशि जमा करनी है। उद्योगपति और श्रमिक जो राशि जमा करते हैं वह कानून द्वारा निर्धारित कर दी गई है। श्रमिकों की राशि उनकी तनख्वाह से काट ली जाती है। राशि प्रांत सप्ताह जमा करली जाती है। इस प्रकार जो कोष बना हुआ है उसमें से श्रमिकों को उनकी बीमारी के समय में, दिवसों को उनके जाये के दिनों में तथा श्रमिकों को उनके साथ दुर्घटना होने पर सहायता दी जाती है। श्रमिकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार के लोगों को भी सहायता दी जाती है। इस प्रकार इस योजना से श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की पर्याप्त सुविधाएँ मिल गई हैं। दिवसों के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों में जाये के दिनों में सहायता देने के लिए कोष बने हुए हैं। हाल ही में सरकार ने मजदूरों के लिए प्रोविडेंट फण्ड योजना बनाई है। यह योजना अभी कुछ उद्योगों में ही लागू हुई है परन्तु शनैः शनैः

इसे बढ़ाकर अन्य उद्योगों में भी लागू किया जाएगा।

श्रमिका की श्रम की तमाम समस्याएँ मजदूरी की दरों के बारे में हैं। एक ही प्रकार के काम के लिए एक ही मजदूरी या मजदूरी के समान या भिन्न भिन्न मजदूरों के भिन्न भिन्न बतन की दरें होती हैं। श्रमिका का बतन न तो उनका रहन रहन के हिसाब से दिया जाता है और न वह उनके परिवार के व्यय के लिए पर्याप्त होता है। वह-वही ता बतन नियमित रूप से भी नहीं दिया जाता और उनके हिसाब से कामकाज गड़बड़ी कर दी जाती है। इसके लिए उनको मजदूरी की निम्न दरें बंध देने का अधिकार है। इस समस्या को सरकार ने मान्य बनाकर भला प्रकार सुलभान की रचना की है। मजदूरों के मुकाम का कानून बना दिया गया है जो २०० रु० मासिक से कम मजदूरी देनेवाले कामकाज पर लागू होता है। पहिले यह कानून बरल मजदूरों में काम करने वाले मजदूरों में ही लागू होता था परन्तु जनवरी १९४८ से यह कानून में काम करनेवाले श्रमिका के लिए भी लागू कर दिया है। इस कानून में वेतन समय पर दिए जाने तथा बतन में सफाई जानेवाले जुमाने आदि बातों की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार १९४८ में निम्नतम मजदूरी कानून पास किया गया है। इसके अनुसार श्रमिका को मिलनेवाला निम्न-मजदूरी की दरें निश्चित कर दी गई हैं। इससे श्रमिका की वेतन सम्बन्धी समस्याएँ अधिस सीमा तक हल हो गई हैं।

श्रमिका में पर्याप्त और सुचारु संगठन होने के कारण उन्हें अपने मामलों से अपने अधिकारों की रक्षा करने में बड़ी सहायता मिल रही है और कामकाज में बग-सफाई इतना बढ जाता है कि श्रमिका को अनुचित बातों के लिए भी दबा कर उनमें काम लिया जाता है। परन्तु अब यह समस्या इतना भीषण नहीं रही है जितना दस वर्ष पहिले था। औद्योगिककरण के साथ साथ श्रमिका में चेतना आती रहा है और उनका संगठन भी होता जा रहा है। उनका श्रमिकों श्रम-संस्थाएँ हैं जो समस्याओं के हितों की रक्षा करती हैं। सरकार ने इन संस्थाओं को मान्यता देने के लिए ट्रेड-यूनियन कानून पास कर रखा है जिनके अनुसार इन संस्थाओं का सरकार और उद्योगपतिवर्ग के साथ सम्बन्ध बना रहता है। श्रमिका तथा उनका मालिकों के बीच में होनेवाला मतभेद का

निपटारा करने के लिए भी सरकार ने ट्रेड डिस्पुट एक्ट पार किया हुआ है जिसमें इन भगइों की मुचाह रूतण निपटारने का ध्यरम्या वा गई है। इस प्रकार श्रीयोगिक धर्मिकों की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार न प्रयत्न कर रइये है। यदि इन उपायों को सकल बनाया जा सका तो धर्मिकों की स्थिति निश्चित ही सुधर जायगी परन्तु इस कार्य में सरकार, उपागतान तथा धर्मिक—मीना का हा काम करना चाहिए।

---

## २०—भारत में पर्यटन-उद्योग का विकास

‘पर्यटन उद्योग’ विदेशी मुद्रा कमाने का एक ऐसा सरल साधन है जिससे द्वारा राष्ट्रीय आय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना—दोनों ही बढ़ाए जा सकते हैं। सुदूर पूव तथा पश्चिम के अनेक राष्ट्र नई-नई योजनाएँ बनाकर अपने अपने पर्यटन उद्योग को उन्नत बनाते रहे हैं। एशिया तथा सुदूर पूर्व के आर्थिक कमोशन ने मुझाया है कि भारत में भी इस उद्योग को उन्नत बनाकर डॉलर कमाए जा सकते हैं। कमोशन का विचार है कि भारत के प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दर्शनाय स्थान डॉलर कमाने में अधिक योग दे सकते हैं। वैसे तो हमारा देश विदेशी यात्रियों व दर्शकों का कन्द्र रहा है परन्तु उनका क्षेत्र और उद्देश्य केवल धार्मिक था। अब भारत के प्राकृतिक स्थानों को विदेशी दर्शकों का मनोरञ्जन-क्षेत्र बनाकर विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। हिमाच्छादित हिमालय की चोटियाँ, काश्मीर की मनोहर घाटी, विभिन्न जलस्रोत व राजपूताना का सौन्दर्य प्रकृति की देन है। इसी भाँति ताजमहल, विशाल दुर्ग, अजन्ता एलोरा की चित्रकारी तथा हिन्दू कालीन अन्य ऐतिहासिक स्थान विदेशियों के लिए अद्भुत चमत्कार हैं। इन्हीं सब स्थानों का भ्रमण करने के लिए यदि अमेरिका से दर्शक आने लगे तो देश के ‘पर्यटन-उद्योग’ से डॉलर कमाए जा सकेंगे। अमेरिका के दर्शक देशाटन-पर्यटन में ही ११,००,००,००,००० डॉलर प्रति वर्ष व्यय करते हैं। योरुप के देश इसी उद्योग से विपुल डॉलर-राशि कमाते रहे हैं। १९४८ से १९५१ तक योरुप को ‘पर्यटन-उद्योग’ द्वारा लगभग ३,००,००,००,००० डालर मिले। इंग्लैंड ने इन्हीं तीन वर्षों में इस उद्योग द्वारा १४,००,००,००० डॉलर कमाने की योजना बनाई थी। १९४८ में इंग्लैंड ने ‘पर्यटन उद्योग’ द्वारा निर्माण-उद्योग की अपेक्षा अधिक डॉलर कमाए। उस वर्ष ५,००,००० से भी अधिक विदेशी दर्शकों ने अपना अवकाश समय इंग्लैंड में व्यतीत किया। इन ‘पर्यटकों’ ने लगभग ४,७०,००,००० पाउण्ड इंग्लैंड में व्यय किए जिनमें से २,१०,००,०००

पाँच के डॉलर तथा बाकी के अन्य दुर्लभ मुद्रा कमाए गए । १९४६ के प्रथम ६ महीनों में २,५०,००० से भी अधिक दर्शक इंग्लैण्ड में आए तथा उस वर्ष कुल मिलाकर उन्होंने ४५,००,००० पौण्ड वर्षा खर्च किए । श्विट्जरलैण्ड का तो यह प्रमुख राष्ट्रीय उद्योग है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग कमाया जाता है । वर्षा की सरकार विज्ञापन पर निष्पल धन राशि व्यय करके विदेशी दर्शकों को अपने देश के प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए आकर्षित करती रहती है जिसमें प्रतिवर्ष असंख्य दर्शक वहाँ आकर अपने समय व्यतीत करने हैं और सरकार उनसे विदेशी मुद्रा कमाती है । केनेडा, ब्रिजियम, स्पेन, लक्जमबर्ग तथा जापान आदि देशों ने अपने-अपने 'पर्यटन उद्योग' का बढ़ाने के लिए विस्तृत योजनाएँ बनाई हैं । केनेडा की सरकार विदेशों में अपने देश के विज्ञापन पर अतुल्य राशि व्यय करती रही है । नीदरलैण्ड, बेल्जियम तथा लक्जमबर्ग ने मिलकर संयुक्त योजना के अनुसार अपने अपने उद्योगों का बढ़ाने का काम आरम्भ कर दिया है । स्पेन में विदेशियों को ठहराने के लिए होटलों का प्रबन्ध किया गया है तथा ऐसे होटलों को धन की सहायता देने के लिए एक विशेष बैंक स्थापित किया गया है । १९४६ में स्पेन में लगभग २,००,००० विदेशी आए जिनमें वहाँ की सरकार ने विदेशी मुद्राएँ कमाई । जापान में भी विदेशी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए नई नई योजनाएँ बनाई जा रही हैं । 'दक्षिणी अफ्रीका पर्यटन कारपोरेशन' ने विदेशी दर्शकों को नई नई सुविधाएँ देकर अपना यह उद्योग बढ़ा लिया है । हमारा पड़ोसी देश लका भी 'पर्यटन-उद्योग' द्वारा ही ६०,००,००० रुपये के आस-पास प्रति वर्ष कमाता रहा है । १९४८ में लका की सरकार ने २,६०,००० रुपये पर्यटन-उद्योग के विकास पर व्यय किए थे । भारत यद्यपि इस दृष्टि से एक धनी देश है परन्तु फिर भी इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । विदेशी दर्शकों को भारत आने में आकर्षित करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि उन्हें भारत के उन आकर्षक स्थानों का बोध कराया जाय तथा दर्शनाय स्थानों के लक्ष-निष्ठ विदेशों में प्रदर्शित किए जाए । देश-देश में 'पर्यटन-सूचना समिति' या भ्रमण-सूचना-केन्द्र स्थापित होने चाहिए जो इस प्रकार का विज्ञापन करें, प्रचार करें और भारत आनेवाले दर्शकों को देश के विभिन्न दर्शनीय स्थानों का पूरा पूरा

ज्ञान रहा सके। आचार्ल्सटन का 'आयर दर्शक मध' तथा अमराता का 'दक्षिण अमराता दर्शक कारपागशन' विदेशी दर्शकों का विभिन्न प्रकार की ऐसी सुविधाएँ देते हैं जिससे भ्रमण करने में सुविधा है व दर्शकों का यातायात-साधन, निवास एवं तथा भोजन आदि का उपयुक्त सुविधाएँ प्राप्त हैं। हमारे देश में भी ऐसा संचालन बन चाहिए।

भारत सरकार ने भी अब देश के 'पर्यटन उद्योग' का विकास करने की विस्तृत योजना बनाई है। काश्मीर का मनारम पार्टी व रमान चलचित्र तैयार कराए हैं जो विदेशों में दिखाए जाते हैं। मन रप सरकार ने 'काश्मीर आर्गो' 'काश्मीर का मेर' आन्दोलन उठा र है। इनमें विदेशी दर्शकों का आकर्षित करने में काफी सहायता मिली। पर्यटन मूचना पुस्तक तथा अन्य ऐसी ही तरह तरह के रमान उद्दिष्टकार विदेशों में बित रते किए गए हैं जिनसे आकर्षित होकर विदेशी हमारे यहाँ आकर प्रकाश दिखाने लगे हैं। कन्द्रीय सरकार के यातायात विभाग ने इस उद्योग का दायित्व अपने ऊपर लेकर एक समिति बनाई है जो इस विभाग की योजनाओं पर विचार करके सार्थान्वित करती है। विदेशी दर्शकों का यातायात का विशेष सुविधाएँ दी जाने लगी हैं। पर्यटकों के लिए आयात निर्यात सम्बन्धी नियम ढीले कर दिए गए हैं। अब कोई भी विदेशी दर्शक अपने प्रयाग के लिए खुला शराब बाजार में ला सकता है। पहिले एक दर्शक बिना चुगी चुकाए अपने निजी प्रयोग के लिए केवल एक घड़ी, एक पाउएन्टैन तथा एक केमरा ला सकता था परन्तु अब प्रत्येक दर्शक दो दाम्बुए ला सकता है। पहिले पानम हवाई अड्डे पर आए हुए दर्शकों का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट लेने के लिए १५ मील चल कर दिल्ली जना पड़ता था परन्तु अब सुविधा देने की दृष्टि से यह रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट हवाई अड्डे पर मिलने का प्रबन्ध कर दिया गया है। विदेशों में हमारे राजदूतों के पास 'पर्यटन-पत्र' रख दिए गए हैं जो विदेशों में भारत आने वाले पर्यटकों को दिए जाते हैं। इस प्रकार उन्हें भारत सरकार के पास लिखा पढी करने की आवश्यकता नहीं हानी। सरकार ने योजना है कि देश में आए हुए दर्शकों का एक विशेष प्रकार के परिचय-पत्र दे दिये जाएँ जिनको दिगा कर दर्शकों को चुगी की सुविधा मिले तथा उनका ठहरने के लिए आरामगृह एवं डाकघरों

की सुविधाएँ भी मिल सकें। अजायबघर तथा अन्य दर्शनीय स्थानों के प्रबन्धक इन यथा की देखकर दर्शकों को सब प्रकार की सुविधाएँ दे। रेल में यात्रा करने समय विदेशी पर्यटक अपनी पसन्द का भोजन कर सकें। इसका प्रबन्ध भी कर दिया गया है। दिल्ली, आगरा, बंबई, कलकत्ता, शिमला, दार्जीलिंग, हैदराबाद, जयपुर आदि आदि प्रमुख स्थानों पर 'पर्यटन पन्ट' गोलो गण हैं जहाँ से पर्यटकों को आवश्यक सूचना और सुविधाएँ मिलती हैं। सरकार दर्शकों को 'मार्गचार्ज' साथ देने का भी प्रबन्ध करने लगी है। विशेषतः रेलगाइयों तथा मालगो का भी दर्शकों को सुमाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। पर्यटन-उद्योग के विकास का योजना में सरकार ने होटलों की सुविधाओं को बढ़ाने का काम भी सम्मानित कर लिया गया है। होटलों में देनाधान आदि वस्तुओं की सुविधाएँ बढ़ाई जा रही हैं। होटलों का स्तर ऊँचा किया जा रहा है जिससे विदेशी दर्शकों को ठहरने में असुविधाएँ न हों। सरकार 'दर्शकचार्ज' (Guides) तैयार किये जा रहे हैं जिससे वे नियम के साथ दर्शकों को सभी स्थानों देना सकें और दर्शनीय वस्तुओं का महत्व समझ सकें। १९५०-५१ में सरकार ने विचारन पर ५ लाख रुपये तथा प्रादेशिक समन्वय पर २ लाख रुपये व्यय किये हैं। इससे ज्ञात होता है कि सरकार 'पर्यटन उद्योग' का महत्व भली भाँति समझने लगी है। यह निश्चित है कि इस उद्योग के विकास में केवल विदेशी मात्र ही की कमाई नहीं होगी बल्कि भारत और अन्य देशों की सान्निध्य प्रदान हट होगी और दर्शकों द्वारा हमारे बैंकों, बाना-वस्तुतयों तथा कुटार-वस्तुओं को भी प्रवर्धित मिलेगी।



## २१—उद्योगों की वित्त समस्या

सभी मानते हैं कि देश के जनसाधारण का जीवनस्तर ऊंचा करने के लिए देश में औद्योगीकरण होना चाहिए। औद्योगीकरण के बिना देश के आर्थिक फ्लेयर में सतुजन नहीं आसकता। परन्तु औद्योगीकरण के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हैं जिनमें से एक महत्त्वपूर्ण कठिनाई उद्योगों के लिए पूँजी प्राप्त करनी है। नए नए उद्योग स्थापित करने के लिए पुराने उद्योगों का पुनर्संगठन तथा पुनर्निर्माण करने के लिए तथा युद्ध एवं मदी जैसे आर्थिक संकटों से उद्योगों को निराल कर उन्नत बनाने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है। बिना पूँजी के कोई भी उद्योग, छोटा हो या बड़ा, स्थापित किया ही नहीं जा सकता। उद्योगों में प्रायः दो कामों के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है—एक, उद्योग स्थापित करते समय भूमि, कारखाने, मशीन, आदि स्थायी सम्पत्ति खरीदने के लिए, दूसरा, कच्चा माल खरीदने के लिए, श्रमिकों की मजदूरी चुकाने के लिए तथा दिन रात होनेवाले व्यय निश्चित और आकस्मिक खर्चों का भुगतान करने के लिए। स्थायी सम्पत्ति खरीदने के लिए जा पूँजी लगाई जानी है वह स्थायी रूप से उद्योगों में फँस जाती है इसलिए उस ऐसे साधनों से प्राप्त किया जाता है जो स्थायी रूप से उसे उद्योगों में लगाए रहें और वापिस निकालने पर अग्रह न करें। ऐसी पूँजी सामान्यतः असावधानी से प्राप्त की जाती है। कच्चा माल खरीदने तथा अन्य खर्चों के लिए पूँजी स्थायी रूप से उद्योगों में नहीं फँसनी वरन् जैसे ही पक्का माल बिकना जाता है इस पूँजी का भुगतान कर दिया जाता है। फिर भी उद्योगों में कच्चे माल की तो सदैव ही आवश्यकता रहती है। इसलिए थोड़ी सी पूँजी इस माल में सदैव ही धिरी रहनी है। इसे भी स्थायी पूँजी ही कहना चाहिए। ऐसी पूँजी सामान्यतः अज्ञान-वचकर या बैंकों, व्यक्तियों एवं अन्य श्रेण्यदाताओं से श्रेण्य लेकर प्राप्त की जाती है। ये श्रेण्य प्रायः अल्पकालीन होते हैं और जैसे ही कच्चे माल का पक्के माल में बदल कर बचा जाता है वैसे ही इस श्रेण्य का भुगतान भी कर दिया जाता है।

हमारे देश में अब तक जो कुछ भी औद्योगीकरण हुआ है और जितने भी शोध घने उद्योग स्थापित हुए हैं उन सबके लिये पूँजी का प्रबन्ध दो माधनों से होता रहा है—(१) मनेजिंग एजेंट्स द्वारा, (२) विदेशी पूँजीपतियों या विदेशी शक्तों द्वारा। न हमारे देश में अन्य औद्योगिक देशों का भूमि औद्योगिक बैंक रहे हैं और न वित्त कारपोरेशन रहे हैं। यही नहीं, हमारे देश की बैंकों ने उद्योगों की वित्त सहायता करने में कुछ भी उल्लेखनीय योग नहीं दिया है। हमारे देशवासियों भी पूँजी लगाने में सदैव भय काने रहे हैं और न उन्हें पूँजी लगाने के काम में किसी ने समझाया ही है। ए. मनेजिंग एजेंट्स के बल पर और उनकी की सहाय पर शोध बहुत प्रगति मिल रही है। परन्तु वे भी चाल और उद्योगशाला उद्योगों के लिए न कि अग्रज उद्योगों की। पूँजी के अभाव में गिरे हुए उद्योगों को तो किसी ने सहायता नहीं दी है। अन्ततः का भूमि हमारे यहाँ विनियोगियों की सुविधा के लिए विनियोगी-ट्रस्ट या विनियोग बैंक भी नहीं है। काने का अर्थ यह है कि भारत में उद्योगों के लिए पूँजी की एक बड़ी समस्या रही है और आज भी है। इस समस्या के कारण ही हमारे यहाँ उद्योगों की आशानुपूर्वक प्रगति नहीं हो सकी है।

पूँजी का कोई विशेष प्रबन्ध न होने के कारण हमारे उद्योग प्रगति बन्द कर या जनता में जमा राशि लेकर अथवा मनेजिंग-एजेंट्स से प्रणय ले लिये कर काम चलाने रहे हैं। स्थायी सम्पत्ति परीक्षण का काम तो शोध बन्द कर ही होता है। प्रचार-प्रसार के अंश बचने जान हैं जिसमें सभी प्रकार के विनियोगी अग्रज अग्रणी सुखी और सुविधा के अनुसार शोध करीब कर पूँजी का विनियोग कर रहे। परन्तु इसमें भी कुछ दोष हैं। हमारे उद्योगपति जनता के सभी वर्गों की सुविधाओं का ठीक ठीक अध्ययन न करके अंश बचने लगते हैं जिससे कभी कभी वे विनियोगियों के अनुदान नहीं होने और पूँजी प्राप्त नहीं हो पाता। कभी-कभी आवश्यक पूँजी का ठीक-ठीक अनुमान लगाए बिना ही अंश बच दिए जाते हैं जिससे अग्रज चलकर पूँजी का अभाव होने लगता है। दीर्घकाल न तथा अल्प-कालीन पूँजी की आवश्यकताओं का अनुमान लगाए बिना ही काम आरम्भ कर दिया जाता है जिससे अग्रज पूँजी इकट्ठा करने की फिर आवश्यकता होने लगती है और पूँजी न मिलने के कारण उद्योग बन्द करने पड़ते हैं। अग्रज-

पत्र वचनर पूजा प्रात करन का ता हमार यहाँ आधन प्रचार ही नहीं ह । अहमदाबाद का ५६ मिला म कुल पूजा का लगभग १ प्रातशत भाग अहमदाबाद प्रात किया गया ह । वचन इन्डिया क उद्योग क पूजा की आवश्यकताओं का २० प्रातशत सभा आधन भाग अहमदाबाद का वचनर प्राप्त करत ह । अहमदाबाद का प्रचार न हान क अनन्य कारण ह । जनका यहाँ प्रगन करना उचित नहीं । जहाँ तक लागू स जमा राशि लेकर पूजा प्राप्त करन का प्रश्न है सा यह प्रथम देश भर म प्रचलित नहीं है । वचन बम्बई और अहमदाबाद का आर हा जमा लेकर पूजा का काम चलाया जाता रहा है । परन्तु इस प्रथा म एक बड़ा भारी दोष रहा ह । जब तक उद्योग लाभ कमात रहत है तब तक जमा करनगाल लागू करना अपना रकम उसम जमा रखन है और या हा कभी हानि हा जाता है या अथवा कइय प्रथा मन्त्र या जाता है तभी व लागू करना अपनी जमा राशि निकालन लगत ह जिसस उद्योग में पूजा का कभी हा जाता है और वे कभी कभी बन्द भी हा जात हैं । व्यापारक वचन की कुछ अगना एभी फाटनाइयाँ हैं जिनक कारण व उद्योग का सहायता नहीं कर सक ह । उद्योग म प्राय दोषकाल क अल्प पूजा का आवश्यकता पड़ता ह परन्तु यापारिक बैंक अपना रकम दोषकाल क लिए उधार नहीं दे सकन क्योकि उ ह सदैव यह भय रहता है कि न मालूम कब उनक ग्राहक अपनी जमा राशि निकालन या जाए । उस पारास्थिति म वचन का सन्त्र का भय रहता है । हाँ, य वचन अल्पकाल क लिए अहमदाबाद रहत ह परन्तु यह भी बहुत कम । इसका अर्थ यह है कि हमारे व्यापारक वचन उद्योग का आरम्भ म सहायता नहीं कर पात वरन् उद्योग क चालू हा जान पर ह थोड़ा बहुत सहायता करत हैं जो उद्योग का पयाप्त नहीं होती ।

इन फाटन परिधितिया म हमारे मार्निंग एन्टरप्राइज हा उद्योग का नाम देत रहत हैं और वे हा इनका लावन पालन भी करत रहत ह । अपना माप पर वे अहमदाबाद लेकर उद्योग का देत हैं अपनी साग और रथात पर कम्पानिया क अर्थ वचन हैं, अहमदाबाद वचन तथा आवश्यकता पड़न पर वे अपने पास स अहमदाबाद उद्योग की सहायता करत रहत हैं । इसम स दोष नहीं कि हमारा देश आज जा भी औद्योगिक प्रगत कर सका वट है सब मनजिग एन्टरप्राइज

के परिश्रम का फल है। परन्तु अब यह साधन भी देश की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं पड़ता। भारतभर में इन लोहा व औद्योगिक क्षेत्र में कितना ही महान काम किया हो परन्तु आज के युग में इनका भी कुछ भीमान ही चला है। वर्तमान योजनाओं के अनुसार जिस मात्रा में देश का औद्योगिकरण हुआ है उसमें अल्प मात्रा में उद्योगों का विकास करना अब मेनेजिंग एग्जिक्ट्स के पास का काम नहीं है। अब यह प्रणाली प्राचीन, सुदृढ़ तथा अयोग्य सिद्ध होगी जो नहीं है। यही नज़रिए उद्योगों को जमान और पुरान उद्योगों का समाप्त करने का काम इनके पास का काम नहीं है। दूसरी बात और है। ये लोग जनसाधारण से अपने प्रति ईश्वराम नहीं बनाए हैं। विलुप्त निर्मा में इन्होंने उद्योगों का अपने हाथों में कटपानी बनाकर जिस प्रकार नज़रिए है और कर्मचारियों के अस्वास्थ्य पर जो शासन किया है वह कर्मचारी मान नहीं है। निश्चय ही, इन्होंने अनेक मरना हुआ उद्योगों का जीवन दिया परन्तु अनेक जाति उद्योगों का पतले भूटा मूल बना कर अर्थिक में ले लिया और यह सब उनके अर्थिक अस्वास्थ्य दिया परन्तु अस्वास्थ्यों को मूल बना दिया। यह ठीक है कि इनके पास उद्योगों का जीवन पूँजी का सारा भा परन्तु पूँजी के चल पर इन्होंने उद्योगों का सारा भा परन्तु उद्योगों गुनाम बनाया। देश के वर्तमान और भविष्य औद्योगिक समझ में मेनेजिंग एग्जिक्ट्स अब अधिक काम के नहीं रहे हैं। कुछ दिनों बाद अभी इनसे और काम निष्पन्न लिया जाय परन्तु अब में चल कर तो उद्योगों की वित्त समस्या का स्थायी और स्थायी रूप निकालना ही है।

विदेशी पूँजी का मान यह है कि अब तक इसकी सहायता में ही देश के औद्योगिकरण में कहीं योग्यता है। परन्तु इसके विपक्ष में भी अब लोगों में तरह-तरह के संदेह होने लगे हैं। विदेशी पूँजी में कुछ ऐसे दोष आ गए हैं जिनसे हमारे राजनीतिक दिनों को मोट लगता रहा है। परन्तु फिर भी जिस मात्रा में और किस भीमा तक इसके द्वारा उद्योगों की वित्त समस्या एक हो सकती है इसका विचार अबले पुराने में किया गया है।

विलुप्त कुछ दिनों में वर्तमान उद्योगों की वित्त-समस्या कुछ मुलभूत-सी होकर पड़ी है। नरें नरें बैंकों तथा इन्डियन कर्मचारियों के स्थापन में उद्योगों की

कुछ सहायता मिली है। ये समस्याएँ उद्योगों का वित्त समस्या में कुछ दिल चस्पी लेन रहे हैं और उन्होंने औद्योगिक कम्पनियों को अग्र तथा ऋण पत्र खरीद कर और अल्पज्ञान ऋण भाँ देकर उनकी सहायता की है। किसी किसी मामले में तो इन बातों ने उद्योगों को बहुत प्रशंसनीय सहायता दी है। औद्योगिक कम्पनियों तथा व्यापारिक बैंकों के संचालक महा व्यक्ति हान के कारण उन्होंने उद्योगों का वित्त सहायता देने में सहायता दी है। १९५८ में 'औद्योगिक वित्त कारपोरेशन' गठन कर सरकार ने भी उद्योगों का वित्त समस्या कुछ सामान्य सहूलियत करने का प्रयत्न किया है। इस कारपोरेशन का पूँजी १०० करोड़ रुपये है और अपने तान वप के जीवन में इसने अनेक उद्योगों का वित्त सहायता दी है। इसने अधिकतर दायज्ञान तथा मध्यकालीन ऋण दिए हैं तथा यह औद्योगिक कम्पनियों के अग्र तथा ऋण पत्र बचन में भी उनका सहायता करता है। कई राज्यों में भी 'प्रोत्साहन औद्योगिक वित्त कारपोरेशन' बनाए जा चुके हैं जो राज्यों के उद्योगों का वित्त सहायता देते हैं। परन्तु इन सबसे भी उद्योगों की वित्त समस्या मुक्त नहीं है। भारतीय औद्योगिक वित्त कारपोरेशन केवल मामूली मात्रा में ही उद्योगों की सहायता कर सकता है। इससे ऋण देने की शक्ति कुछ कम सरल नहीं है। अतः तब इससे कुछ मिला कर मात्र १२ करोड़ रुपये ऋण दिया है। आज जब कि हमारे देश में औद्योगिक विकास का इतना भारी काम बाँटी है और अनेक योजनाएँ पूँजी के अभाव में ठप्प पड़ी हैं—इस बात की आवश्यकता है कि उद्योगों की वित्त समस्या का हल करने के और भी उपाय किए जाएँ। हमारा मतलब यह नहीं कि वित्त कारपोरेशन ने कुछ काम न किया हो या ये काम न कर सकते हैं, परन्तु हमारा उद्देश्य यह है कि इनके प्रतिरिक्त और भी उपाय हाने चाहिए जिसमें औद्योगिकीकरण के काम का प्रगति मिले।

हमारे देश में उद्योगों की वर्तमान वित्त समस्या के दो मुख्य पहलू हैं—

- (१) वर्तमान परिस्थितियों में उद्योगों का वित्त पूँजी की आवश्यकता है ?
- (२) यह आवश्यक पूँजी स्थायी रूप से किस प्रकार प्राप्त की जाय ?

उद्योगों की आवश्यक पूँजी की मात्रा के विषय में भिन्न भिन्न अनुमान हैं। वर्तमान योजना के प्रणेतियों ने आर्थिक विकास की समूचा योजना के लिए १०,०००

करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था जिसमें उद्योगों के लिए अनुमानतः ३०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष की आवश्यकता आती है। राष्ट्रीय योजना समिति ने भी अपनी भूमिका में लगभग इतनी ही पूँजी का अनुमान लगाया था। हो सकता है यह अनुमान गलत हो परन्तु यह सब औद्योगीकरण के क्षेत्र और मति पर निर्भर करता है। प्रोफेसर कॉलिन कर्नाक ने अनुमान लगाया है कि देशवासियों की वास्तविक आय में २% की वृद्धि करने के लिए करीब १५०० करोड़ रुपये का विनियोग करना होगा। परन्तु इन अनुमानों में उद्योगों के लिए आवश्यक पूँजी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उद्योगों की आवश्यकताएँ तो उनके उद्देश्य, क्षेत्र, साधन तथा मति पर निर्भर करने हैं। जैसा कि योजना कमिशन का विचार है कि "हमारे वर्तमान उद्योगों के लिए पूँजी की जो वर्तमान आवश्यकता है वह अधिकतर पुराने उद्योगों का पुनर्गठन तथा पुनर्निर्माण करने के लिए है न कि नए-नए उद्योगों को एक साथ ही बढ़ाने के लिए।" कमिशन का अनुमान है कि पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनसे प्राप्त करने के लिए उद्योगों के विकास में लगभग १२५ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जिसमें ५ सार्कार २५ करोड़ रुपये देगा, ६० करोड़ रुपये उद्योग मध्य जुटावों तथा शेष राशि औद्योगिक वित्त कारपोरेशन से लेकर पूरी की जायगी। यह तो दृष्टा कमिशन का अस्थायी विचार केवल पंच वर्ष तक के लिए। स्थायी रूप से यह समस्या किसे हल हो ? इसके लिए दो साधन सम्भर हैं—(१) विदेशी पूँजी लेकर, (२) देश में ही पूँजी निर्माण करके।

विदेशी पूँजी लेकर उद्योगों की वित्त समस्या मुल्काना कोई सुरी बान नहीं है। विलुकी शताब्दी में जर्मनी, फ्रांस, जापान तथा अन्य उद्योग प्रधान देशों ने विदेशों से ऋण लेकर काम चलाया था। हमारे यहाँ भी अब तक विदेशी पूँजी का काफी ध्यान रहा है। रेल मार्ग, नदी-पाटी-योजनाएँ, गाने, बैंक, इन्श्योरेंस कंपनियाँ तथा बड़े बड़े प्रमुख उद्योग विदेशी पूँजी के कारण ही इतनी प्रगति कर सके हैं अब आगे भी हमें द्वारा समस्या हल की जा सकती है। योजना कमिशन का मन है कि देश का औद्योगीकरण में हमें विदेशी पूँजी का स्वागत करने में कोई हानि नहीं क्योंकि इसके द्वारा हमें अपने

उद्योगों को पूँजीगत माल तथा विशेषज्ञ मिल सड़ेंगे जिनकी हमें इतनी आवश्यकता है। परन्तु क्या हम अब विदेशी पूँजी प्राप्त कर सकते हैं? विदेशी पूँजी लेने से पहिले हमें यह देख लेना चाहिए कि उसका साथ 'विदेशी पूँजीपति' या 'विदेशी राजनैतिक सत्ता' हमारे देश में न आने पावे। हम 'विदेशी पूँजी' लायें न कि 'विदेशी पूँजीवाद'। जैसा कि डाक्टर राय ने कहा है हमें विदेशी पूँजी का "राजनैतिक डारी" स बाँध कर नहीं लेना चाहिए। विदेशी पूँजीपतियों को यहाँ पूँजी लगाने का सुविधाएँ दी जाएँ परन्तु कोई राजनैतिक सत्ता उनका न सीसी जाय। सरकार ने अप्रैल १९४६ में विदेशी पूँजी सम्बन्धी अरानी नीति में जो शर्तें रक्ती हैं उनमें पर विदेशी पूँजी का लाया जाय। ये शर्तें निम्न हैं—

१. सरकार को सामान्य श्रोत्रागिन नाति न अन्तगत भारतीय और विदेशी पूँजी में कोई अन्तर नहीं समझा जायगा।
२. विदेशी पूँजी पर जो लाभ हागा उस तथा पूँजी का वापिस ले जान क लिए विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यक सुविधाएँ दी जाएँगी। विदेशी पूँजी का लौटा कर ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हागा।
३. यदि राष्ट्रीयकरण किया जायगा तो पूँजीपतियों का आवश्यक हाना दिया जायगा।

इन शर्तों पर यदि विदेशी पूँजी आवे तो हम उसका स्वागत करना चाहिए। विदेशी पूँजी प्राप्त करने के निम्न साधन हैं—

१. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रास्वप।
२. विश्व बैंक।
३. अमरीका तथा इंग्लैण्ड व अन्य देशों के पूँजीपति।
४. विदेशी सरकारें।

इन साधनों से हमारे देश में पूँजी आवे है और आती रही है, परन्तु क्या इन साधनों से स्थायी रूप में हमारे उद्योगों की वित्तसमस्या हल हो सकती है? यह ठीक है कि इनमें हमारी वर्तमान आवश्यकताएँ विशेषतः पूँजीगत माल की तथा विशेषज्ञों की आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाएँगी। परन्तु जैसा कि डा० राय ने कहा है "स्थायी रूप में ये साधन हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकते।"

हमें अपने देश में भी पूँजी निर्माण का काम करना चाहिए। जनता के दिल में से भय निकाल कर उन्हें उद्योगों में राशि विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उद्योगों की आन्तरिक वित्त आवश्यकताओं के लिए हमारे देश में काफी पूँजी उपलब्ध है, बटिनाई रेबल उसे काम में लाने के लिए निरुत्सुकता की है। औद्योगिक कमीशन ने टीक कहा था "कि भारत में उद्योगों का वित्त समस्या देश में धन के अभाव के कारण नहीं है और न भय के कारण है बल्कि औद्योगिक अदृशत्व तथा पूँजी निर्माण के साधनों की कमी के कारण है। इसके लिए देश में औद्योगिक बैंक बनाए जाएँ व विनियोग ट्रस्ट तथा विनियोग-बैंक स्थापित किए जाएँ। वित्त कारपोरेशन प्रत्येक राज्य में होने चाहिए। सरकार छोटी बचत योजना बनाकर लोगों को बचत करना सिखाये [ पूँजी निर्माण की योजना पर विस्तृत लेख आगे पढ़िए। ] तब उद्योगों की वित्त समस्या अपने ही देश को पूँजी से हल हो सकेगी। वही समस्या का मूला हल होगा।





## २२—पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का स्थान

गत तास वर्षों में भारत ने औद्योगिक क्षेत्र में काफी उन्नति की है। आवश्यकता की अनेक उपभाग्य वस्तुएँ अब हमारे देश में ही बनाई जान लगी हैं। तिनमें कपड़ा, चीनी, नमक, मायून, गणन तथा चमक का सामान मुख्य हैं। इस्पात, सामर्य तथा रासायनिक वस्तुएँ बनान में भी हमारे उद्योग ने सन्तोषजनक प्रगत अदगाइ है। युद्ध काल में तथा युद्ध न पश्चात् अनेक नए नए उद्योग स्थापित हुए और प्रथम हमारे देश में रोडिया, साइकिल, बिजली के पखे, माटर, रेल के इंजन आदि, आदि, सामान बनने लगा है परन्तु फिर भी बात यह है कि उपभाग्य वस्तुओं का कारखाना में तो चार हम काफी आगे हों किन्तु पूँजीगत माल बनान में अभी हमारे यहाँ काफी क्षेत्र है। पिछले कुछ दिनों में औद्योगिक उत्पादन में काफी कमी हाती जा रहा है। कुछ उद्योगों में पहिले का उत्पादन २० से ३० प्रतिशत तक उत्पादन गिर गया है। यदि सच पृष्ठा जाय तो इसका कारण है—युद्धकाल में मशानों की घिसावट तथा नई मशानों का जान का कठिनाइयाँ श्रमिकों तथा उद्योगपातियों के बीच पारस्परिक रूषण तथा प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयाँ। याजना कमशन ने औद्योगिक उन्नति के दृष्टिकोण में इन दोषों का दूर करन का मुझाव दिया है। याजना के अन्तर्गत कृषि और सिंचाई का प्रमुख स्थान मिलन के कारण थापना कमेशन का उद्देश्य यह रहा है कि ऐसे उद्योग पहिले स्थापित किए जाएँ जो सिंचाई योजनाओं तथा कृषि का सफल बनाने में सहायक ह। इससे बाद याजना कमेशन ने उन उद्योगों का उन्नत बनान का मुझाव दिया है जो उपभाग्य वस्तुएँ बनाते हैं। याजना में औद्योगिक विकास का अल्प कम निधारित किया गया है —

१. सबसे पहले कृषि-विकास तथा मिचाई और पन बिजली की योजनाओं को सकल बनाने के लिए जो उद्योग आवश्यक हैं, उन्हीं का विकास किया जाय।
२. इसके बाद उपभोग्य यन्त्रों बनानेवाले उद्योगों की वर्तमान कार्यक्षमता के अनुसार उपभोग्य यन्त्रों के लक्ष निर्धारण करके उन्हें पूरा करने का प्रयत्न किया जाय।
३. इसके पश्चात् इस्पात, लोहा, भारी रासायनिक पदार्थों आदि यन्त्रों को बनानेवाले उद्योगों का विकास किया जाय।
४. अन्त में, देश के वर्तमान औद्योगिक कक्षर में जो दोष हैं उन्हें दूर किया जाय।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजना समायन में उद्योगों को तीन भागों में बाँट दिया है, जो इस प्रकार हैं :—

१. मूल्य उद्योग जिनमें युद्ध सम्बन्धी यन्त्रों जैसे हथियार, धारुद आदि अन्य सैनिक आवश्यकता की यन्त्रों बनाई जाएं।
२. 'उत्पादक-यन्त्रों के उद्योग' जिनमें इस्पात, सीमेंट, पटसन का सामान, भारी रासायनिक यन्त्रों आदि पूर्वोक्त माल बनाया जाय।
३. उपभोग्य-यन्त्रों के उद्योग, जिनमें जनसाधारण की उपभोग्य यन्त्रों बनाई जाएं।

चूँकि योजना में कृषि और मिचाई की उपरति के लिए अधिक महत्त्व दिया गया है इसलिए सरकार के अधिकारि साधन इन्हींवाले ही पूर्ति में लगाए जाएंगे। इसीलिए उद्योगों के लिए भा अधिक धन राशि का विनियोग सम्भव नहीं हो सकेगा। कर्मचारी के प्रत्यास के अनुसार केवल ये ही योजनाएँ पूरी की जाएंगी जो सरकार ने आरम्भ कर रखी हैं। नए क्षेत्र में केवल ये ही

उद्योग बनाए जाएंगे जो वर्तमान में देश की आर्थिक उन्नति के लिए अनिवार्य हो। याजना के अनुसार निम्न राशि औद्योगिक विकास पर व्यय की जायगी।

( करोड़ रुपयों में )

|                                  | दो वर्षों में मिलाकर<br>(१९५१-५२) | पाँच वर्षों में मिलाकर<br>(१९५१-५६) |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| बड़े पैमाने के उद्योगों में      | ३८.१                              | ७६.५                                |
| छोटे तथा कुटीर-उद्योगों में      | ४८                                | १५.८                                |
| औद्योगिक एवं वैज्ञानिक शाखों में | २४                                | ४.६                                 |
| खनिज विकास पर                    | ०.३                               | १.१                                 |
| <b>योग</b>                       | <b>४५.६</b>                       | <b>१०१.०</b>                        |

पंचवर्षीय योजना में न तो केवल व्यक्तिवाद पर ही जोर दिया गया है और न केवल राष्ट्रीयकरण पर ही। परन्तु दोनों प्रणालियों के प्राधान्य पर औद्योगिक विकास करने का मुद्दाव दिया गए हैं। कर्मीशन का मत है कि "राष्ट्रीय आयाजन की किसी भी याजना में औद्योगिक विकास के लिए व्यक्तिवाद के आवार पर चनाये गए उद्योगों की नितान्त आवश्यकता है। परन्तु इस प्रकार जो उद्योग चनाए जाए उनसे मालिकों को उपभोक्ता, विनियोगी तथा भ्रमिण के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए।" इससे लिए योजना कर्मीशन का मुद्दाव है कि उद्योगपतियों, भ्रमिण तथा साहसी औद्योगिकों का अपने अपने दृष्टि कोणों में आवश्यक परिवर्तन कर लेने चाहिए। कर्मीशन ने व्यक्तिवाद उद्योगों में उद्योगपतियों से मिल कर निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं जिनके अनुसार याजना पूर्ण होने पर उत्पादन बढ़ाने का अनुमान है—यह निश्चित नहीं है कि इन लक्ष्यों को पूरा किया ही जा सकेगा परन्तु फिर भी अनुमान लगा कर ध्यय बना लिया गया है जिसके अनुसार व्यक्तिवाद उद्योगों में उत्पादन बढ़ाया जा सके।

या नहीं और व्यक्तिगदी उद्योग ठीक प्रकार में काम कर रहे हैं या नहीं, कमीशन ने औद्योगिक विकास-नियंत्रण-एक्ट बनाने का मुझार दिया था जो अब पास हो चुका है। इस कानून में निम्न बातों को विशेष रूप से व्यवस्था की गई है —

- १ सरकार की स्वीकृति के बिना कोई भी नया उद्योग स्थापित न किया जा सकेगा और न पुराने उद्योग का विकास रोकिया जा सकेगा। इस प्रकार की स्वीकृति देने समय सरकार उस उद्योग की स्थिति आदि के बारे में कुछ शर्तें रख सकती है।
- २ यदि किसी उद्योग में उत्पादन गिर रहा हो या माल नीची कीटि का बनाया जाने लगा हो, अथवा कोई उद्योग अशुभारिया के हित में निरुद्ध काम करने लगा हो तो सरकार उस उद्योग की जांच पड़ताल कर सकती है।
- ३ यदि कोई उद्योग सरकार की दी हुई हिदायतों का पूरा न करे तो उसे सरकार अपने प्रबन्ध में ले सकती है।

औद्योगिक विकास की जांच-पड़ताल करने तथा उद्योगों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए कमीशन ने एक केन्द्रीय औद्योगिक बोर्ड बनाने का मुझार दिया था। यह बोर्ड १९४६ के औद्योगिक विकास नियंत्रण कानून के अन्तर्गत बना दिया गया है। इससे अतिरिक्त प्रत्येक उद्योग के लिए 'विकास कौंसिल' बनाने की योजना है। 'विकास कौंसिलों' में सरकार, उद्योगों तथा भूमिकों के प्रतिनिधि रहेंगे। ये कौंसिलें उद्योगों की प्रगति में सहायता देंगी तथा केन्द्रीय बोर्ड तथा उद्योगों में ताल मेल बनाये रखेंगी।

योजना में छोटे तथा कुटीर धंधों को भी आवश्यक स्थान दिया गया है। कमीशन ने मुझार दिया है कि केन्द्रीय सरकार का वाणिज्य तथा उद्योग विभाग कुटीर धंधों की जांच-पड़ताल करके एक निरुद्ध योजना बनावे। योजना में ऐसे उद्योगों के विकास के लिए सहायरी समितियों पर जार दिया गया है। कमीशन का मत है कि ये समितियाँ छोटे-उद्योगियों को अच्छे माल का प्रबन्ध करें, उन्हें आवश्यक राशि दिलाने का प्रबन्ध करें तथा उनके माल को बिकवाने में भी सहायता करें। कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि "सरकारों को इन उद्योगों के विकास में उतना ही काम करना चाहिए जितना वे हर्षे

## २३—देश की खनिज-सम्पत्ति का विदोहन

मेन्य, सुरक्षा एव उद्योग और यातायात को दृष्टि से किसी भी राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था में खनिज पदार्थों का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। आधुनिक पद्धति पर सेनाया को सुसज्जित करने, सुरक्षा एव युद्ध-संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों की आवश्यकता हाता है। यदि सच पृष्टा जाय तो सुरक्षा-संगठन की सफलता बहुत सीमा तक खनिज सम्पत्ति पर ही निर्भर होता है। लाहा, कायला और तैल सुरक्षा सम्बन्धी उद्योगों के प्राण मात्र हैं— यह बात गत महायुद्ध ने पूण रूप में सिद्ध कर दिखाई है। औद्योगिक क्षेत्र में भी खनिज पदार्थों का मुख्य स्थान है। लाह, कोयले एव भारी भारी रसायनिक पदार्थों पर देश का समूचा औद्योगिक उलेख निर्भर करता है। विदेशिक देश के आधारभूत धंधे तो इन वस्तुओं के बिना प्रसम्भर ही हैं। पूँजागत माल बनानेवाले उद्योगों का प्रारम्भ लाहे और कोयले के बिना हो ही नहीं सकता। हमारे देश में उद्योग एवं सुरक्षा के भविष्य के दृष्टिकोण से खनिज सम्पत्ति का सुव्यवस्थित उपयोग एवं नवीन साधना की जाँच पड़ताल तथा विकास बहुत आवश्यक है। देश के औद्योगीकरण के लिए पूँजागत माल के लिए हमें विदेशों पर आश्रित रहना पड़ता है। यदि हमारे देश के खनिज पदार्थ एव धातुओं का विकास हो जाय तो हम विदेशियों का मुँह नहीं ताकना पड़ेगा।

भारत सरकार के निर्माण, खान तथा विद्युत विभाग ने जनवरी १९४७ के खनिज-नीति सम्मेलन के समय देश की खनिज सम्पत्ति का एक अनुमान पत्र तैयार किया था। इस अनुमान पत्र में बताया गया था कि भारत के विस्तार तथा उसकी जनसंख्या को देखते हुए यह कहना ठीक नहीं है कि देश के खनिज साधन बहुत अधि हैं, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं। परन्तु तो भी जो कुछ खनिज सम्पत्ति हमारे देश में है उसका संगठित रूप में पूरा

होती रही है। खनिज-सम्पत्ति का विदोहन कभी संगठित रूप से किया ही नहीं गया। सरकार की हस्तक्षेप न करने की नीति के बड़े भयंकर परिणाम हुए हैं। खनिज निर्यातने का काम मुख्यतः विदेशी पूँजापतियों के हाथ में रहा, जो देश के पेट्रोल, साना और ताँबे की खानों के स्वामी बने रहे और कोयला, क्रोमियम एवं मैंगनीज की खानों में उन्हीं के नियंत्रण में रही। केवल लाभ कमाने के लिए खानों का शोषण होता रहा। उनकी खुदाई के ढंग ऐसे अज्ञानिक हैं कि उनके कारण बहुत सी खनिज सम्पत्ति नष्ट होती है। इतना ही नहीं, देश की सम्पत्ति बढ़ाने की दृष्टि से खानों का विदोहन नहीं किया गया। खान मालिकों का भरपूर स्वतंत्रता मिलने के कारण अब तक उनका ध्यान खानों के निर्यात की ओर ही रहा। जो पदार्थ विदेशों में गए, वे अपरिष्कृत रूप में बड़ी मीची दरों पर भेजे गए। इन वस्तुओं का विदोहन यदि देश के हित में होता और देश में ही इनसे पक्का माल तैयार किया गया होता तो देश में न केवल रोजगार ही बढ़ता परन्तु राष्ट्रीय आय में भी बहुत वृद्धि होती। खानों पर सरकार का जो कुछ भी नियंत्रण रहा वह प्रधानतः प्रान्तीय सरकारों का रहा केन्द्रीय सरकार का नहीं। प्रान्तीय सरकारों ने कोई दीर्घकालीन दृष्टिकोण से काम नहीं लिया और खानों के लाइसेंस देने का काम अधिकतर लगान-वसूल करने वाले महकमों को दे दिया जाता रहा। खनिज पदार्थों एवं धातुओं की न वैज्ञानिक रीति से जांच-पड़ताल हुई न शोध हुई और न सदुपयोग ही हुआ। अब तक अशुद्ध खनिज-पदार्थों का निर्यात ही होता रहा। फलतः करोड़ों रुपयों की वार्षिक हानि के अतिरिक्त देश में खनिज-सम्पत्ति का विकास नहीं हो पाया और न निर्यात के बदले में सैन्य एवं औद्योगिक दृष्टि से आवश्यक खनिज-पदार्थ एवं धातु विदेशों से मँगाए जा सके। खान अधिकार सम्बन्धी कानूनों में भी समता नहीं रही।

पिछले दो-तीन वर्षों से सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और खनिज-सम्पत्ति का विदोहन करने के लिए निम्न कार्य किये हैं :—

- (१) सरकारी खनिज नीति बनाई है।
- (२) खनिज-सम्पत्ति की खोज एवं विकास के लिए 'ज्यूलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया' नामक सस्था का विकास किया है।

(३) देश के वनिक-पदाओं को सुरक्षा बनाए रखने तथा उनका संगठित रूप से विकास करने के लिए 'न्यूरो ऑफि माइन्स' नामक समिति बनाई है।

अब तक कुछ लोगों की यह धारणा रही है कि औद्योगिकरण के लिए हमारे देश में सभी वनिक-पदाएँ पर्याप्त मात्रा में हैं परन्तु यह बात विनाशालक नहीं है। उच्चतम की हद से हमारे देश की वनिक-सम्पत्ति में कुछ ऐसी कमी है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। इसके लिए वनिकों का पलायन रोकना होगा, उनकी मात्रा का ठीक ठीक अनुमान लगाना होगा तथा उनकी शोध, जल पड़ताल और संगठन करना होगा। इन कामों को पूरा करने के लिए आवश्यक हमारे यहाँ निम्न सम्पादन काम कर रही हैं -

१. ज्योडोगिकल सर्वे ऑफि इण्डिया।
२. इण्डियन न्यूरो ऑफि माइन्स।
३. नेशनल फ्यूथल रिमर्न इन्स्टीट्यूट।
४. नेशनल गैट-नशाकल रेंचोरेटरी।
५. सेण्ट्रल ग्लोबल एण्ड मिनिमल रिमर्न इन्स्टीट्यूट।

देश की वनिक सम्पत्ति का संगठित रूप से विदीहन करने के उद्देश्य से योजना कमिशन ने नीचे लिखे कुछ सुझाव दिए हैं -

देश की वनिक सम्पत्ति का पूरा पूरा सचा ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि संगठित रूप से वनिक पदाओं का जल-पड़ताल करके रिजर्व नकशे तैयार किए जाएँ। आवश्यक तथा महत्वपूर्ण वनिकों की वजह से सुरक्षा के लिए उपयोगी हों-वाले नियमित विवेक जानें हों और वहाँ अपने देश में प्रयोग किए जानें हों, सबसे पहिले ज्ञान पड़ताल कराई जाय।

एकता में से परसुद्धे नियंत्रण के लिए आधुनिक वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग किया जाय तथा इस काम के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएँ। सरकार भी इस काम में योग देवे कि लिए विशेषज्ञ नियुक्त करे जो एतनी में आ-जाकर देवे कि उनमें वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग हो रहा है या नहीं। ये विशेषज्ञ एतनी में काम करनेवाले लोगों का जल पड़ताल से परिचित करे और देवे कि वनिक सम्पत्ति जल से नहीं हो रही है। कमिशन का मत है कि यदि ऐसा किया गया तो

खनिज सम्पत्ति की रक्षा होगी, विदोहन होगा तथा सदुपयोग भी होगा। किसी भी प्रकार की खानों के अधिकार देने के लिए लाइसेंस देने से पहिले 'माइन्स एण्ड मिनरल्स एक्ट १९४८' के नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक होना चाहिए। दूसरे, किसी एक व्यक्ति को खानों का पट्टा नहीं देना चाहिए परन्तु देने से पहिले यह देखा जाना चाहिए कि पट्टा लेने-गाने खानों का विदोहन करने का साधन और शक्ति रक्ता है या नहीं। पट्टा अधिकतर बड़ी बड़ा कम्पनियों को ही देना चाहिए।

खनिज उद्योगों के वास्तविक और सच्चे अर्थों में इच्छे होने चाहिए। खनिज पदार्थों के निर्यात सम्बन्धी अर्थों भी प्राप्त करने चाहिए। यह काम 'यूरोपियन माइन्स' का सौंप देना चाहिए। कमाशन का मत है कि इस प्रकार के अर्थों होने से खनिज सम्पत्ति के विदोहन सम्बन्धी आयाजन में सरलता रहेगी।

अभरक, मैंगनीज तथा क्रोमाइट आदि वस्तुएँ, जो मुख्यतः अशुद्ध रूप में निर्यात होती रही हैं—शुद्ध करने निर्यात की जाएँ और यदि सम्भव हो सके तो उनका पक्का माल या अर्द्ध पक्का माल बनाने निर्यात किया जाय।

खानों की सुरक्षा तथा खनिज पदार्थों के उपयोग सम्बन्धी अन्वेषण और शोध की जाएँ। अशुद्ध तथा निम्न कौटि के खनिज-पदार्थों को शुद्ध बनाने में वैज्ञानिक रीति का प्रयोग किया जाय। याचना कमीशन ने अपनी पंचवर्षीय योजना में खनिज-सम्पत्ति के विकास के लिए लगभग १ करोड़ रुपये व्यय करना निश्चित किया है।

जैसा कि पहिले बताया जा चुका है खानों का अधिकार अब तक विदेशी पूँजीपतियों या व्यक्तिगदी भारतीय कम्पनियों के हाथ में रहा है। इससे अनेक दुष्परिणाम हुए हैं। इन दोनों को दूर करने के लिए एक उपाय यह हो सकता है कि देश के खनिज और धातु-साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। देश की आर्थिक उन्नति के लिए तैयार की गई विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी योजनाओं में खानों के राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय योजना समिति की खानज एवं धातु-शोधन उपसमिति ने अपने एक प्रस्ताव में स्पष्ट किया था कि "देश का खनिज-सम्पत्ति सामूहिक रूप से राष्ट्र की



सम्पत्ति है। स्वानों की खुदाई और स्वनिज सम्बन्धी उद्योग सरकार के हाथ में रहने चाहिए।" जनवरी १९६७ में आयोजित स्वनिज नीति सम्मेलन में, जिसमें स्वनिज-उद्योगों, केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों तथा स्वानों के काम करनेवाले मजदूरों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, स्वानों के राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था। परन्तु इन कामगारों में श्रमो-श्रमा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण सम्भव नहीं है ही कारण स्वानों के राष्ट्रीयकरण में बाधक है। तभी तो उक्त सम्मेलन के अध्यक्ष श्री भाभा ने अपने भाषण में कहा था कि "सरकार की स्वनिजोन्नति में बढ़ती हुई दिलचस्पी का यह अर्थ नहीं है कि सरकार स्वनिजोन्नति और धातु शोधन उद्योगों पर नज़र ही सरकार स्वामित्व स्थापित करे। स्वनिजोन्नति के उद्योगों में हमें मजदूरों द्वारा बहुत बड़े क्षेत्र में व्यक्तिगत पूँजी की आवश्यकता देना होगा, यद्यपि उस पर कुछ सरकारी नियंत्रण आवश्यक रहेगा।" श्री भाभा ने आगे चलकर यह भी कहा कि "आगामी कई वर्षों तक सरकार को मुख्यरहित स्वनिजोन्नति के लिए आवश्यक वित्तीय एवं व्यवस्था सम्बन्धी सुविधाएँ देने में ही मन्तव्य करना चाहिए।" राष्ट्रियकरण में कई आर्थिक, वैज्ञानिक एवं व्यवस्था सम्बन्धी ऐसी बाधाएँ हैं जिनसे सरकार वर्तमान परिस्थितियों में हल नहीं कर सकेगी। ए. दस साल के पश्चात्, जैसा कि सरकार का विचार है, इस पक्ष पर विचार किया जा सकता है। इस समय तो हमें अपनी स्वनिज-सम्पत्ति का विदोहन करके संशुद्ध बनाना है। यह काम सरकारी नियंत्रण में व्यक्तिगत के सिद्धान्त पर ही सकता है। यदि हमारी स्वनिज-सम्पत्ति का यथोचित विदोहन हुआ तो देश के औद्योगिककरण में काफी सहायता मिलेगी।

## २४—हमारी बैंकिंग-व्यवस्था—कुछ दोष

पश्चात्त्य देशों की भाँति हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था सगठित, पूर्ण और पर्याप्त नहीं है। लम्बे चौड़े देश, विशाल जन-समूह तथा असीम व्यापार का देखत हुए हमारे देश में बैंकों की संख्या बहुत कम है। अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ बैंकों का विकास बहुत कम हुआ है। स्थिति इस प्रकार है—

| देश         | वर्गमील क्षेत्रफल<br>(हजारों म) | जनसंख्या<br>(०००,०००) | बैंक कार्यालयों की संख्या | प्रति दस लाख<br>व्यक्तियों में बैंकों<br>की संख्या |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| इंग्लैण्ड   | ८६                              | ५०                    | ११४६१                     | २-६  |
| अमरीका      | ३६७४                            | १४७                   | १८६७५                     | १-२६   |
| कनेडा       | ३६६०                            | १३                    | ३३२३                      | २-५६   |
| आस्ट्रेलिया | २६७५                            | ८                     | ३५६०                      | ४-५०   |
| भारत        | १२२०                            | २३७                   | ५५५८                      | १६   |

इन आँकड़ों के अनुसार हमारे देश में प्रति दस लाख व्यक्तियों में १६ बैंक कार्यालय हैं अर्थात् ६२५०० व्यक्तियों के बीच में एक बैंक कार्यालय है।

बैंकिंग सम्बन्धा लेन देन अनेक सरथाएँ करती हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं—

- (१) सरकारी ढापानय तथा उप-ढापानय,
- (२) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया,
- (३) इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया,
- (४) व्यापारिक बैंक,
- (५) सहकारी बैंक तथा साय समितियाँ,
- (६) डाकघराने की बचत बैंक,
- (७) महाजन तथा स्वदेशी बैंकर।

भारतीय कोषालयों में सरकारी लेन-देन होता है तथा सरकारी स्वयं जमा रहती है। इसके सिवाय ये कोषालय जनता से राशि जमा करने या उ-हें राशि उधार देने का कोई काम नहीं करते। ये कोषालय प्रायः जिला नगर में ही स्थित हैं जिनमें सरकारी लेन-देन में जनता को आने-जाने में अनुसुधा रहता है। रिजर्व बैंक सरकारी केंद्रीय बैंक है जो देश में मुद्रा और स्वयं व्यवस्था की देय भाग धरता है। अन्य बैंकों से राशि जमा करना तथा उन्हें उधार देने का काम भी इसके हाथ में है। यह बैंक एक प्रकार में देश की बैंकिंग व्यवस्था की चौकसी करता है। परन्तु अभी तक यह बैंक देश की मुद्रामण्डली को सर्वाङ्ग करके चिलमण्डली को उत्पन्न नहीं बना सफा है। यथा केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों पर नियन्त्रण रखता है परन्तु महाजनता तथा स्वदेशी बैंकों पर इसका कोई प्रबन्ध-नियन्त्रण या चौकसी नहीं है। इम्पीरियल बैंक एक आधुनिक व्यापारिक बैंक है। रिजर्व बैंक का उद्घाट होने के कारण यह अध सरकारी बैंक माना जाना है। यथायुक्त इस बैंक ने देश में अनेक शाखाएँ खोलकर बैंकिंग-व्यवस्था को विकसित बनाया है परन्तु उस व्यवस्था में यह देश की अन्य व्यापारिक बैंकों का बहुत प्रतिभासी बन बैठा है। व्यापारिक बैंक का प्रकार के हैं (१) नालिका बचत बैंक, (२) अनाजका बचत बैंक। देश में इन बैंकों का काम बड़ा आवश्यकतापूर्ण है। करी-करी तो बहुत ही बैंक स्थापित हो गई है और किसी किसी स्थान पर बैंकों का नाम भी नहीं है। मुद्रा तथा परिचय संग्रह में बैंकों का सबसे अधिक संख्या है—मुद्रा में १२२६ तथा संग्रह में ७०० बैंक-कार्यालय हैं। किसी-किसी राज्य में तो बैंकों के बहुत ही कम कार्यालय हैं। कुल देश में बैंकों की संख्या बहुत कम है। १९७० के अन्त में इम्पीरियल बैंक तथा विानमय-बैंको को मिलाकर देश में कुल ५४८० बैंक-कार्यालय थे। विभाजन के पश्चात् तो संख्या और भी कम हो गई है और सामान्य बैंकिंग जिन कमेटियों के अनुमानों से ज्ञात होता है कि आजकल कुल बैंक कार्यालय ५१०० के आसपास हैं। व्यापारिक बैंक अधिकांश बड़े बड़े नगरों तक ही सीमित हैं। छोटे छोटे स्थानों तथा कस्बों में इनका शाखाएँ बहुत कम हैं और गाँवों में तो व्यापारिक बैंक ही ही नहीं।

देश की बैंकिंग व्यवस्था में सरकारी बैंकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है

श्रीर बचई तथा मद्रास में इनका व्यव प्रचार हुआ है। सहकारी बैंक मुख्यतः तीन प्रकार की हैं—(१) प्रान्तीय सहकारी बैंक, (२) केन्द्राय सहकारी बैंक, तथा (३) नागरिक सहकारी बैंक। प्रान्तय सहकारी बैंक प्रान्त भर की एक शोर्टी की सहकारी बैंक होता है जो अन्य प्रकार की सहकारी बैंक से राशि जमा करती है तथा उन् समय पड़ने पर रुपया उधार देती है। १९३६ में इनकी संख्या १० थी जो १९४६ में बढ़कर १३ हो गई परन्तु १९४८ में ११ ही रह गई। केन्द्राय सहकारी बैंक जिले भर की एक बैंक होती है जो सहकारी समितियों से राशि जमा करती तथा उन्हें सहायता करती है। १९२६ में इनकी संख्या ५६४ थी जो १९४६ में बढ़कर ६०१ हो गई और १९४८ में घटकर ४४८ ही रह गई। नागरिक सहकारी बैंक नगर में होती हैं और नगर निवासी क्लब-घर, व्यायसालिया तथा यतनभागया से राशि जमा करती तथा उन्हें ऋण देती है। गाँवों में बैंकिंग सुविधा देन का काम सहकारी साख सामाजिक करती है। ये समितियाँ गाँव में कहीं कहीं काफ़ी संख्या में फैली हुई हैं और किसानों से राशि जमा करती तथा उन्हें ऋण देती है। १९४७-४८ में साख-समितियों की संख्या ८५,२६० थी जिनमें २४,८२,८५२ सदस्य थे।

लोगों को अपना अपनी बचत जमा करने में प्रोत्साहित करने का सबसे प्रबल काम ड्राफ्टगाने की बचत बैंक करती है। सरकारी विभाग होने के कारण अनन्त का इनमें विश्वास रहता है। मार्च १९४६ में कुल मिलाकर २६,७६० ड्राफ्टगाने थे जिनमें से काई ६८६५ ड्राफ्टगाना में बचत बैंक की व्यवस्था थी। गाँवों में रुपया उधार देने तथा आभूषण जमा रखन का काम महाजन और स्वदेशी बचत करते हैं। महाजन प्राय गाँव का बनिया होता है जो गाँववालों के सम्पर्क में आता है और उन्हीं के साथ रहता-सहता है। इस कारण गाँववाले इन महाजनो में विश्वास भी अधिक करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे इन्हीं लोगों में रुपया उधार लेते हैं और फसल आने पर माल देकर या नरदी दान क्रम चुकाते रहते हैं। यद्यपि ये महाजन किसानों की सहायता करते हैं परन्तु इनका कार्यप्रणाली में ऐसे दोष रहे हैं जिनसे इनके किसानों का खूब शोषण किया है। इन इनके पास सगठित और नियमित हिसाब किताब होते हैं और न और कोई लेखा जाता होता है। अनपढ़ किसानों में ये मनमानी व्याज-दर रखने

करते हैं तथा उनके लेन-देन में प्रकार-प्रकार की और घोटमानी भी कर लेते हैं। इन महाजनों पर सरकार का नियन्त्रण न होने के कारण ये मनमानी गतों पर कृपया उधार देते हैं।

इनके अनिरीक्त हमारे यहाँ विदेशी विनिमय बैंक है जो विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय करते हैं। इन बैंकों की शाखाएँ देश के आन्तरिक भाग में भी फैली हुई हैं जो व्यापारिक बैंकों की प्रतियोगिता में बैंकिंग सम्बन्धी अन्य काम करती हैं। १९२६ के पश्चात् मे आज तक यद्यपि हमारे यहाँ बैंकों की संख्या बढ़ती रही है परन्तु उनमें से अधिकांश पूँजी की अभाव में बहुत गिरी हुई रही है। १९४१ में १९४६ तक २५४ मिश्रित पत्रवाले बैंक बन्द करने पड़े। इनका या तो प्रबन्ध टाक नहीं था और या इनका पास पँजी की कमी थी। देश के विभाजन के पश्चात् १९४७ १९४८ तथा १९४९ में ११४ बैंक और बन्द किए गए। इस स्थिति में पता लगता है कि हमारी बैंक-व्यवस्था आज भी कठिनो गिरी हुई है। इस स्थिति को सुधारने तथा देश की बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता का अनुभव करके १९४९ में बैंकिंग कम्पनी एक्ट पास कर दिया गया जिसके अनुसार रिजर्व बैंक को देश भर की बैंकों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दे दिया गया है। परन्तु अब भी देश का बैंकिंग-व्यवस्था के दो भाग हैं। एक भाग वह जिसमें इम्पेरियल बैंक, व्यापारिक बैंक, सरकारी बैंक तथा अन्य संगठित बैंकिंग-संस्थाएँ सम्मिलित हैं; दूसरा भाग वह जिसमें महाजन तथा स्वदेशी बैंकर सम्मिलित हैं। मद्रास-मण्डल का यह भाग बहुत अव्यवस्थित तथा अयत्नपूर्ण है। न तो इन पर किसी कानून का दबाव है और न इन पर किसी केन्द्रीय संस्था का नियंत्रण है। इनकी व्याज-दर सबसे अधिक होती है। गतियों में कृपया उधार देनेवाली बैंकों के अभाव में महाजन ही सामीप्य जनता के विश्वासपात्र बने हुए हैं। परन्तु इन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जिसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक का इन पर भी नियंत्रण होने लगे। विलुके तथा मे १९५१ तक रिजर्व बैंक ने इनको कानून के अन्तर्गत लाने के प्रयत्न किए परन्तु अभी तक सफलता नहीं मिली है। अब इनको कानून में बाँधने की बहुत आवश्यकता है। जब तक इन्हें कानून में नहीं लाया जायगा तब तक हमारे यहाँ देश भर

की व्याज-दरों में समता और सन्तुलन नहीं प्राप्तता। रिज़र्व बैंक की अनेक योजनाएँ अभी अभी ता इन अशक्यता महाजनो के कारण पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती।

हमारे यहाँ काम करने वाले विदेशी बैंक देश के आन्तरिक नगरों में पहुँच कर देशी व्यापारिक पैसा का प्रतियोगिता करने हैं। इससे हमारा बचका आशातीत प्रगति नहीं हो पाती। आवश्यकता यह है कि विदेशी बैंकों पर नियंत्रण रखकर उन्हें विदेशी मुद्रा के लेन देन तक ही सामित कर दिया जाय। दूसरे, हमारे बैंक का विदेशी म शाखाएँ होने का कारण हमारे बैंक अन्तर्देशीय व्यापार में विशेष योग नहीं दे पाते। आवश्यकता यह है कि हमारी बचक विदेशों में अपनी शाखाएँ खोलें। इस काम में सरकार का इनका सहायता करनी चाहिए। विदेशों में स्थान प्राप्त करने में तथा विदेशों सरकार से अन्य सुविधाएँ दिलाने में सरकार का योग दे सकती है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स बैंक ने हांगकांग में अपना एक शाखा खोली है। देश के बाह्य इतिहास में यह एक नया और प्रशंसनीय प्रयास है। यह बैंक इंग्लैण्ड तथा अमेरिका में भी अपनी शाखाएँ खोलने के विषय में विचार कर रही है। इसी प्रकार अन्य व्यापारिक बैंकों का आग बढ़ कर विदेशी क्षेत्र अपने हाथ में लाना चाहिए।

हमारी बैंकिंग-व्यवस्था कई दृष्टियों से अपूर्ण भी है। न तो हमारा यहाँ औद्योगिक बैंक हैं और न विनियोगी बैंक ही हैं। उद्योगों के लिए वित्त सहायता देने का कोई मुख्य मस्था नहीं है। व्यापारिक बैंक इस विषय में सदैव से उदासान रहे हैं क्योंकि उनका परिस्थितियों उन्हें दीर्घकालीन धन न देने पर बाध्य करती रही हैं। जनता का पूना विनियोग की सुविधाएँ देने का भी हमारे यहाँ कोई प्रयत्न नहीं है। इसका लिए आवश्यक है कि औद्योगिक बैंक स्थापित किए जाएँ तथा विनियोगियों की सुविधा के लिए विनियोगी बैंक तथा विनियोगी ट्रस्ट खोले जाएँ। इस काम में सरकार को पहिल आग बढ़ना चाहिए। सरकार इस प्रकार की बैंकों के अग्र गरीद तथा समय समय पर आवश्यकतानुसार उन्हें वित्त सम्बन्धी सहायता करे। यद्यपि इस क्षेत्र में सरकार ने अगिन भारतीय औद्योगिक वित्त निरपेक्षन स्थापित कर एक नया कदम उठाया है परन्तु तो भी

उद्योग विदेशों के लिए औद्योगिक र्थकों की आवश्यकता है जो उद्योगों को दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन अणु देकर सहायता करें। कृषि तथा कृषिकों को विलस सहायता देने के लिए भी हमारे यहाँ र्थकों का अभाव है। गन्ना में तो र्थकों का समन्वित व्यवस्था है ही नहीं। केवल यहाँ यहाँ कुछ डाकघराने की बनान-बैक तथा सहकारी साख-समितिर्था हैं जो आवश्यकताओं के लिए विलसूल अर्पण है। कृषि को दीर्घकालीन सहायता देने का भी हमारे यहाँ कोई प्रबन्ध नहीं है। इसके लिए भूमि-बन्धक-बैक स्थापित करने की आवश्यकता है। कुछ प्रान्तों में भूमि-बन्धक बैक स्थापित किए गए हैं परन्तु कृषि-प्रधान देश में सभी जगह ऐसे र्थकों की आवश्यकता है।

इस भाँति हम देखते हैं कि हमारी वैकिंग व्यवस्था पार्श्वस्थ देशों की वैकिंग-व्यवस्था की तरह बहसुगी नहीं है। यह अर्पण, असंगठित, अभागर्पण, अनुभरहीन तथा अध्यास्थित है। इसे देश के लिए सर्वाङ्गरूपेण उपयोगी बनाने के लिए सबसे बड़ा आवश्यकता अनुभर। तथा योग्य वैकिंग-विदेशों की है। र्थकों की सफलता अधिकाश में उनके कम-वारिया तथा प्रबन्धनों पर निर्भर होती है। देशवासिर्था को इस ओर गिचा देने की आवश्यकता है। हमारे, जनता को र्थकों से लेन-देन करने के लिए प्रारसाहित करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाय तो हमारे देश की मुद्रा मण्डी के दोष दूर किए जा सकेंगे।

## २५—भारतीय गाँवों में बैंकों की व्यवस्था

बैंकों की आवश्यकता प्रायः राशि जमा करन तथा समय पड़ने पर उनसे राशि उधार लेन के लिए होता है। हमारे देश में यह काम मुख्यतः व्यापारिक बन्स, सहकारी बैंकों, राज्य समितियों, टास्कान के बचत बैंक तथा महाजना और देशा बँकरा द्वारा किया जाता है। परन्तु हमारे देश के जनसङ्ख्या, जनसंख्या तथा व्यवसाय का दृष्टिकोण हमारे यहाँ बैंकों का पर्याप्त सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं। जो कुछ भी व्यापारिक बैंक अथवा डाकघरों में भी बचत-बैंक हैं वे प्रधानतः बड़े-बड़े शहरों में हैं—स्वा या देशांतो में तो इस सम्बन्ध में कोई सुविधाएँ ही नहीं हैं। अन्य देशों में अपेक्षा हमारे देश में बैंकों की संख्या इस प्रकार है—

| देश         | वर्ग मील में<br>जनसंख्या<br>(हजारों में) | जनसंख्या<br>(१,०००,०००) | बैंक कार्यालयों<br>की<br>संख्या | प्रति दस लाख<br>व्यक्तियों में<br>बैंकों की संख्या |
|-------------|--|-------------------------|---------------------------------|--|
| इंग्लैण्ड   | ८६                                       | ५०                      | ११,४६१                          | २२६  |
| अमेरिका     | ३६७४                                     | १४७                     | १८,६७१                          | १२६  |
| फ्रान्स     | ३६६०                                     | १३                      | ३,३२३                           | २५६  |
| ऑस्ट्रेलिया | २६७५                                     | ८                       | ३,५६६                           | ४५०  |
| भारत        | १२२०                                     | ३३७                     | ५,५५८                           | १६   |

इसमें शत होता है कि हमारे देश में प्रति दस लाख व्यक्तियों के बीच में १६ बैंक कार्यालय हैं अर्थात् ६२५०० व्यक्तियों के बीच में एक बैंक-कार्यालय है। इस पर अधिकांश कार्यालय या तो बड़े-बड़े शहरों में हैं और या बड़े-बड़े कस्बों में, गाँवों में तो इनका नाम भी नहीं है। १९४६ में सब राज्यों में मिलाकर व्यापारिक बैंकों के कुल ३६६१ कार्यालय थे जिनमें से २०८६ या तो बड़े-बड़े शहरों में थे या जिलों की राजधानी में। अन्य स्थानों पर



अर्थात् तम्रों श्रीर गाँवों में मिलाकर केवल १६०२ बैंक कार्यालय थे। इसने विन्डुल स्पष्ट है कि हमारे गाँवों में बैंक हैं ही नहीं। गाँवों में राशि जमा करने का काम डाकघरानों की बचत बैंक करता रही है। सरकारी प्रभाग होने के कारण इन डाकघरानों में प्रामाण्य जनता का विश्वास बना हुआ है और वे अपना अपनी बचत इन्हीं में जमा करके रखते हैं। परन्तु देश में गाँवों की संख्या तथा इन गाँवों में बसनेवाली जन-संख्या को दृष्ट्यन हुए डाकघरानों की बचत बैंक की संख्या भी थोड़ा है। यह संख्या इस प्रकार है —

प्रामाण्य डाकघरानों की बचत-बैंक

|  | १९४३         | १९४६         |                |
|--|--------------|--------------|----------------|
| डाकघरानों का संख्या<br>जिनमें बचत बैंकों<br>की व्यवस्था है | ५,५१२        | ६४०१         | + ८८९          |
| इन बैंकों में लगे हुए<br>लेखाओं की संख्या                  | ७,२१,४६२     | ११,६६,४३४    | + ४,७४,९७२     |
| बचत बैंकों में जमा—<br>राशि                                | १७,७१,११,५५० | ६३,१४,३८,७७८ | + ४५,४३,२७,२२८ |
| प्रति लेखे पर<br>श्रीसत जमा                                | २४५          | ५२८          | + २८३          |

यद्यपि १९४३ की अपेक्षा १९४६ में गाँवों में काम करने वाली डाकघरानों की बचत-बैंकों में बढोत्तरी हुई है परन्तु फिर भी हमारे विशाल देश के लिए यह संख्या सन्तोषजनक नहीं है। फिर, इनके द्वारा गाँवों की बैंक समस्या पूर्णरूपेण सुलभती नहीं है क्योंकि ये बैंक उनमें राशि जमा तो करती हैं परन्तु उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार श्रृणु नहीं देती। प्रामाण्यों को श्रृणु देने का काम तो विनियम गाँवों में रहनेवाले महाजन तथा देशी बैंकर करने आए हैं परन्तु इनमें एक बड़ा भारी दोष है। इनकी व्याज दर बहुत ऊँची तथा इनके लेगे-जोगे बहुत गड़-बड़ होते हैं। इनके लेन-देन के विषय में डीक डीक श्रृकड़े प्राप्त करना पटिन है क्योंकि ये डीक तरह में अपने कोई हिसाब किताब नहीं रखते। इन महाजनों पर सरकार या केन्द्रीय बैंक का

कोई नियंत्रण न होने के कारण ये मनमानी करते हैं। अब कानून बनाकर इनकी मनमानी रोکنने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। बहुतों ने अपना लेन देन अब बहुत सीमित कर दिया है और ये लोग अब अपना अपना अलग अलग ध्यानार करने लगे हैं। अतः गाँवों में बैंकों की सबसे अधिक सुविधाएँ देने का काम अब सहकारी साख समितियाँ ही करती हैं। जैसे तो गाँव के प्रत्येक क्षेत्र में अब सहकारी समितियों द्वारा काम होने लगा है अर्थात् माल खरीदना, बचना, आदि, आदि, सभी काम इन समितियों से हात हैं परन्तु बैंकों की सुविधाएँ देने का काम साख समितियाँ ही करती हैं। ये समितियाँ ग्रामिणों से राशि जमा करती हैं तथा उन्हें उधार भी देती हैं। १९४७-४८ में साख समितियों की स्थिति इस प्रकार थी —

|    |                               |           |
|----|-------------------------------|-----------|
| १  | समितियों की संख्या            | ८५,२६०    |
| २. | सदस्यों की संख्या             | ३४,८२,८५२ |
| ३  | जमा राशि ( करोड़ रुपयों में ) | ३.०४      |
| ४  | स्वीकृत ऋण ( " )              | १६.०२     |

इस प्रकार सहकारी आन्दोलन ने गाँवों की बैंक समस्या का जो मात्रा में हल कर दी है परन्तु तो भी इसमें अभी काफी विकास की गुञ्जाइश है। जैसा कि आँकड़ों में स्पष्ट है इन समितियों में केवल ३.०४ करोड़ रुपय की जमा राशि थी। देश के क्षेत्रफल तथा कृषि-जनता की भरपूर को देखते हुए यह रकम आशा से बहुत कम है। इस विषय में हमारे यहाँ अभी काफी क्षेत्र है।

अब युद्ध के पश्चात् जब कि हमारे देश में पूँजी निर्माण का काम आरम्भ होना है इस बात का नितान्त आवश्यकता है कि गाँवों में बैंकों की सन्वित व्यवस्था करके गाँववालों का बचत करने का सुविधाएँ दी जाए जिससे वे बचत करना सीखें और अपना बचत को उन बैंकों में जमा करके देश के हित में प्रयोग करें। अपने देश में कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिए अब पूँजी का बहुत आवश्यकता है परन्तु पूँजी निर्माण का काम ढीला है। अब तब ता कठिनाई यह रहा कि गाँववालों की आय ही इतनी नहीं कि वे बैंकों में बचत करके बैंकों में जमा करते। परन्तु युद्धकाल तथा युद्ध के पश्चात् अब परिस्थिति

बिलकुल भिन्न है। युद्धकाल में तथा उसके पश्चात् व्याप-वस्तुओं के भाव बढ़ने के कारण जिसमें सामीप्य में काफी पैसा जमाया। शहर के वचन-भोगियों तथा मध्यमवर्ग में पैसा निकल निकल कर श्रम किसानों के पास जमा हो गया। ऐसी परिस्थिति में उनके यहाँ बैकों की आवश्यकता है जो उनकी इस आंतरिक आय को जमा करें। कुछ लोग इस मत के विरुद्ध हैं कि किसानों की आय बढ़ गई है और वे बचत कर सकते हैं। परन्तु हम यहाँ मित्र करेंगे कि किसानों की आय निश्चित ही बढ़ गई है और उन्हें बचत राशि जमा करने के लिए साधनों और सुविधाओं की आवश्यकता है। युद्धकाल तथा युद्धोत्तरकाल में किसानों की आय में जो बढोत्तरी हुई है उसका शान्ति तीन भागों में लगाया जा सकता है—(१) राष्ट्रीय आय के अर्थों द्वारा, (२) कृषि ऋण का अध्ययन करके, तथा (३) कृषि-जन्य तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य-स्तरों का तुलना करके।

राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में यद्यपि अधिकृत आंकड़े प्राप्त नहीं हैं परन्तु विश्व-समीक्षणीय तथा जानकार स्रोतों द्वारा जो अनुमान लगाए गए हैं वे इस प्रकार हैं—

| वर्ष    | कुल राष्ट्रीय आय<br>( करोड़ रुपयों में ) | कृषि-आय | कृषि-आय का कुल आय के साथ प्रतिशत | सूत्र                |
|---------|--|---------|----------------------------------|----------------------|
| १९३१-३२ | १६८६                                     | ८८२     | ५२.८                             | डा० गा               |
| १९३६-४० | १९३४                                     | ९५३     | ४९.२                             | इंग्लैंड             |
| १९४३-४४ | ४२३३                                     | २१२८    | ५०.३                             | एन.आमिस्ट            |
| १९४४-४५ | ४२७१                                     | २२६४    | ५३.७                             | ३१-३२-४८             |
| १९४५-४६ | ४२६०                                     | २२२५    | ५२.५                             | "                    |
| १९४६-४७ | ४८८७                                     | २५६६    | ५७.३                             | "                    |
| १९४७-४८ | ३९६२                                     | २१२६    | ५४.०                             | "                    |
| १९४७-४८ | ४९३२                                     | २६६०    | ५६.२                             | पार्लमेंट रिपोर्ट ४८ |

इन अनुमानों से पता लगता है कि किसानों की आय १९३१-३२ की अपेक्षा १९४७-४८ में तीन गुनी अधिक हो गई और कुल राष्ट्रीय आय में

कृषि आय का प्रतिशत ५२ से बढ़ कर ५७ तक हो गया। इसमें मार स्पष्ट है कि युद्धकाल में किसानों की आय बढ़ गई और इसलिए उनका लिए बैकों का प्रयोजन करके उनमें बहुत राशि लेन-पूना का निमाण किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि किसानों की आय तो अत्यंत बढ़ी परन्तु उनकी बचत नहीं हुई क्योंकि उन्हें अपना आवश्यकता का वस्तुएँ मरिदन में अपनी मूल्य चुनाना पड़ता था। अतः नैसर्गिक जैसा उनकी आय बढ़ती गई तैसा तैसा उनकी बचत भी बढ़ता गया। परन्तु यह बात भी नितान्त सत्य नहीं है। दूसरे लिए हम कृषि-जन्य वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्य लेंगे—

कृषि-जन्य वस्तुओं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के सामान्य  
व्यक्तिगत मूल्यों के निर्देशाङ्क (१९२० = १००)

| माह     | कृषि-जन्य वस्तुओं के<br>व्यक्तिगत निर्देशाङ्क |       |       | अन्य वस्तुओं के व्यक्तिगत<br>मूल्यों के निर्देशाङ्क |      |      |
|---------|---|-------|-------|---|------|------|
|         | १९४७  | १९४८  | १९४९  | १९४७  | १९४८ | १९४९ |
| जनवरी   | ३५६.७   | ४२३.१ | ५०६.२ | २९०.५   | ३२९  | ३७६  |
| फरवरी   | ३५८.२   | ४४२.० | ५०५.१ | २९२.२   | ३४०  | ३७२  |
| मार्च   | ३५७.०   | ४४५.८ | ४९६.० | २९३.२   | ३४०  | ३७०  |
| अप्रैल  | ३४९.८   | ४५५.४ | ४८७.४ | २८९.६   | ३४७  | ३७६  |
| मई      | ३४९.०   | ४७३.० | ४८५.३ | २८८.५   | ३६७  | ३७७  |
| जून     | ३५८.६   | ५०३.८ | ४९७.९ | २९६.०   | ३८०  | ३७८  |
| जुलाई   | ३५९.५   | ५०८.४ | ४८०.४ | २९७.७   | ३८९  | ३८०  |
| अगस्त   | ३५८.१   | ५०६.१ | ४९०.७ | ३१४   | ३८५  | ३८९  |
| सितम्बर | ३५६.३   | ५०६.२ | ४८५.७ | ३०२.४   | ३८२  | ३८९  |
| अक्टूबर | ३५६.४   | ५००.९ | ४९२.५ | ३०३.०   | ३८१  | ३९३  |
| नवम्बर  | ३५५.३   | ५१३.७ | ४९५.२ | ३००.०   | ३८२  | ३९०  |
| दिसम्बर | ३९२.५   | ५३९.० |       | ३१४.२   | ३८३  |      |

इन मूल्यों से यह बात अत्यंत स्पष्ट होती है कि १९४२ के पश्चात् से ही कृषि-जन्य वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में विपरीतता रही और कृषकों को दाहिले लाभ मिला—अपने माल के दाम अधिक मिले तथा अथवा माल खरीदने में कम दाम देना पड़ा। इस प्रकार कृषकों का धन अत्यंत तथा वास्तविक आय

दोनों बँदी । अतः किसानों की बचत करने की समझा बढ़ती है इसमें कोई संदेह नहीं । इसी बचत की संग्रहण के लिए गाँवों में बँक का आवश्यकता है । कृषि-शुण के दृष्टिकोण से भी देखा जाय तो जान होता है कि नदी स्थिति के काल में कृषि का जो आय हुई उसमें उतारने करने-करने शुण वृत्ति । अतः के अभाव में यह कहना तो सट्टन है कि जिस भाग तक कृषि शुण चुका । शुण गण परन्तु जो भी शुचता प्राप्त है उसमें निश्चय ही यह मान जाना है कि कृषि-शुण पहिले की अपेक्षा कम आवश्यक हो गय । इस प्रकार यह निर्णय है कि कृषि की आय और बचत करने की समझा म वृद्धि हुई है, परन्तु किसानों वृद्धि हुई है, यह कहना सट्टन है । भिन्न-भिन्न आवृत्ति जानकारों ने अनुभव-अनुभव अनुमान लगाए हैं । इसी प्रकार यह कहना भी सट्टन है कि क्या यह स्थिति नावश्यक में भी बनी रहेगी । ऐसी सट्टन स्थिति में भी गाँवों में बँकों की व्यवस्था तो करनी ही है परन्तु कोई भी नई योजना बनाने में पहिले जो कुछ काम हो रहा है उसे संगठित बनाना चाहिये । जिन गाँवों की आर्थिक-स्थिति अच्छी हो और जहाँ के किसान, जमींदार आदि जनता आवश्यक पैसे वाली हो उन गाँवों के ग्राम पंच केन्द्र बनाकर व्यापार-कर्मियों के कार्यालय स्थापित करने चाहिये । व्यापारिक कर्मियों को प्रोत्साहित किया जाय कि वे अपने-अपने कार्यालय गाँवों के ग्राम-पंच नगरों में या कर्मियों में गाँवों । जिन गाँवों में छोटे-छोटे शुक रहते हो और जिनका आय अपेक्षा कम हो वहाँ व्यापारिक कर्मियों के कार्यालय स्थापित व्यव बढाने में कोई लाभ नहीं होगा । ऐसे स्थानों पर तो डाकघरों का बचत धन तथा साख-संविधानों गुननी चाहिये । इनके द्वारा ही वहाँ का बचत निरल कर पूर्णता का काम दे सती है । इसके साथ साथ सरकारी बचत करने में किसानों का प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान तथा प्रारोगण्डा करना चाहिये । गाँवों में जनता की बचत सिध्दान्त में तथा उनका राशु जमा करने में इन्हीं साधनों में काफी पाठ मिल सकता है ।

अब रहा प्रश्न इसका कि गाँवों में कृषि की साख-सुविधाएँ देने का क्या प्रबन्ध किया जाय ? गाँवों में किसानों की बचत करने की सुविधाएँ देने के साथ-साथ उन्हें साख पर रकम देने का सुविधाएँ भी देना आवश्यक है । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो संस्थाएँ उनमें राशु जमा करें वे ही उनको साख

पर रुपया उधार भा दे । किसान को यदि यह विश्वास हो जाय कि जो राशि वह जमा कर रहा है वह आवश्यकता पड़ने पर उसको उधार मिल सकती है तो वह बैंकों में राशि प्रत्यक्ष जमा करेगा अन्यथा नहीं । अब बचत सित्ताने के साथ साथ उर्ह साग्र सु उधाण भी देना आवश्यक है । हो सकता है कि बहुत से ग्रामीण पाहले ऋण लने के लिए ही बैंक के सम्पर्क में आये और बाद में जब उनकी आय बढ़ने लगता है राशि जमा भी करने लग । एक बात प्रौर है । हमारी कृषि प्रौर ग्रामीण धधा का उन्नत करने के लिए बहुत मात्रा में प्रौर शक्ति प्रोजे का आवश्यकता है । ऐसा स्थिति में गाँवों में ऐसी बैंक का प्रबन्ध होना चाहिए जो लाना स अधिक न अधिक राश जमा लेकर प्रोजे निर्माण करे प्रौर फिर इस प्रोजे का इन उद्देश्यों में लगावे । अभी तक निम्नता को रुपया उधार देने का काम मुख्यतः महाजन तथा सहकारी समितियाँ करती हैं । परन्तु जैसा कि पहिले बताया जा चुका है महाजन अनेक कारणों से अब लुप्त होत जा रहे हैं और अब इनका कार्यक्षमता भी क्षीण हो गई है । व्यापारिक बैंक तो इस क्षेत्र में कोई काम करने ही नहीं । सहकारी समितियों का काम भी आज लगभग ५० वर्ष के पश्चात् अधूरा ही है । इस विषय में जाँच-पड़ताल करने के लिए सरकार ने पहिले वर्षों में काफी दिलचस्वी ली है । १९४५ में गेडगिन कमेटी ने इस विषय पर अपनी रिपोर्ट दी, १९४६ में सरैया कमेटी ने इस विषय की जाँच पड़ताल की तथा राज्या में भी अनेक बार विशेषज्ञों द्वारा इस समस्या का समाधान सोचा गया । गेडगिन कमेटी ने कृषकों को अर्धकालीन तथा मध्यकालीन साख सुविधाएँ देने के लिए कृषि साख कारपोरेशन स्थापित करने की सिफारिश की तथा दीर्घकालीन साख सुविधाएँ देने के लिए भूमि बन्धक बैंक गठाने पर जोर दिया । सरैया कमेटी ने सहकारिता आन्दोलन का समर्थन करने तथा साख समितियों की मर्यादा बढ़ाने पर जोर दिया तथा देश भर के लिए एक कृषि-साख कारपोरेशन स्थापित करने की सिफारिश की । ग्रामीण बैंकिंग जाँच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि बैंकों को भी कृषकों को साख-सुविधाएँ देने की व्यवस्था करनी चाहिए । कमेटी ने सुझाव दिया है कि जहाँ तक हा सने वहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक-

बैंकों तथा सहकारी-बैंकों को मिलाकर समन्वित करना चाहिए जिससे दोनों मिलकर यह काम श्रद्धा-तरह से कर सकें।

अब यह भी देखना चाहिए कि गाँवों में बैंक स्थापित करने में क्या कठिनाइयाँ हैं और उन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है ?

सबसे बड़ी कठिनाई यह रही है कि हमारा कृषि-धंधा अपूर्ण तथा अभाव-पूर्ण रहा। जब तक एक विशेष योजना बनाकर भूमि सुधार न किया जाय, पैतों की नकबन्दी न हो, सिंचाई के साधन न बढ़ें, कृषिजन्य वस्तुओं की बाजार में बेचने का समुचित प्रबन्ध न हो, कृषि कार्यों में वैज्ञानिक सुझावों का प्रयोग न किया जाय, छोटे-मोटे उद्योग-धंधे न बनाए जाएँ तब तक कृषि कार्य में लाभ नहीं हो सकता और इसलिए तब तक बैंक अपने कार्यालय भी नहीं खोल सकते। अतः कृषि सुधार करने की योजना बनाकर कृषि-धंधे का उन्नत करना चाहिए तभी बैंकों की समुचित व्यवस्था लाभप्रद हो सकता है।

गाँवों में बैंकों की स्थापना न बढ़ने का दूसरा कारण यह है कि वहाँ आना-जाने तथा मन्देश-व्यापन के साधनों का उपयुक्त प्रबन्ध नहीं है। बहुतसे गाँवों में शहरों से बहुत दूर तथा बिलजुल अछूत हैं - न वहाँ सड़कें हैं और न आने जाने का कोई अन्य साधन है। इससे बैंकों के विकास में बड़ी अड़थानी रहती है। इसमें लाभ सरकार को चाहिए कि वह गाँवों में आर्थिक विकास की योजनाओं में सड़कों तथा आरामानों की प्रथम स्थान दे। यदि ये दो सुविधाएँ मिल जायें तो बैंक अपने कार्यालय भी स्थापित करने लगेगे।

ग्रामीण जनता अशिष्टता और अन्याय होने के कारण बैंकों से लेन-देन नहीं कर सकती। न तो वे पास बैंक का लेन-देन और लेखा-जोखा समझ सकते हैं और न बैंकों के चेक द्वारा अपना लेन-देन बढ़ा सकते हैं। इससे निरादो उपाय करने चाहिए। एक, गाँवों में शहरी या प्रौढ शिक्षा की सुविधा दी जायें तथा दूसरा, बैंक अपने लेन-देन के काम अमेरिकी बैंक के क्राय-शिक भाषाओं में करें। इससे यह कठिनाई आधुनिक भीग तक दूर हो सकती है। ग्रामीण क्राय-शिक होने के कारण बैंकों के साथ अपने लेन-देन करना नहीं चाहते। वे न तो बैंकों में राशि जमा करना पसन्द करते हैं और न उनके साथ पर राशि लेना ही चाहते हैं। वे तो ग्रामीणों से ही लेन-देन कर रहे तो इन

लोगों के अधिक समीप रहता सहता है। एक बान और भी है। बैंकों के फेन होने के कारण गाँववालों का इनमें विश्वास भी नहीं रहता। इन कठिनाइयों को अधिकांशतः शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। दूसरे, रिनर बैंक या सरकार प्रामाण्य को गाँवों में काम करनेवाली बैंकों की मनवृत्ति की गारन्टी करने लागा से उनसे साथ लन इन बटान में प्रोत्साहित करे। गाँवों में काम करनेवाले बैंक प्रामाण्य जनता में से ही पड़े लिंग लागा के साथ अपने सम्पर्क बढ़ाए—उन्हें अपने मंचालक मण्डल में रखें तथा कार्यालयों में काम दें। इससे प्रामाण्य में इन बैंकों के प्रति विश्वास बढ़ने में सहायता मिलेगी।

प्रायः देखा गया है कि गाँवों में धनामानी लोग अपनी रुपया प्रामाण्य जनता को ही उधार देते हैं, बैंकों में नमा नहीं करते। इसका कारण यह है कि उन्हें बैंकों की अपेक्षा इन लागा में अधिक व्याज मिलता है। यदि बैंक अपनी व्याज दर बढ़ा दें तो लागा उनके पास अपनी बचत जमा करने लगेंगे। इसका अर्थ यह है कि बैंकों द्वारा दी जानेवाली व्याज-दर कम होने के कारण गाँवों में बैंकों की अधिक सफलता नष्ट मिली है। इसका एक उपाय यह हो सकता है कि प्रामाण्य क्षेत्रों में बैंक शहरों की अपेक्षा ऊँची व्याज-दर रखें और इस काम के लिए सरकार उनका अर्थ सहायता दे। यद्यपि यह मुझसे बैंकों की दृष्टिकोण से उचित नहा रहेगा परन्तु तो भी प्रयोग के तौर पर ऐसा करने देना चाहिए कि क्या यह योजना सफल हो सकती है ?

बहुतसे बैंकों ने अपने कार्यालय गाँवों में इसलिए स्थापित नहा किए हैं कि उन जायानवा में आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है और इस प्रकार बैंकों का हानि रहती है। इससे लिए यह उपाय है कि सरकार कुछ समय तक इस हानि की पूर्ति करे और जब कार्यालय आत्मनिर्भर बन जाएँ तो सहायता देना बन्द कर दे। दूसरे, बैंक अपने प्रामाण्य कार्यालयों पर शाही-शोड़ी तनख्वाह के कर्मचारी रखें और ये कर्मचारी सम्भवतः गाँवों में से लिए जाएँ। इससे कार्यालयों का व्यय भार कम होगा। सरकार का भा चाहिए कि इन क्षेत्रों में स्थित बैंकों का शाखाओं पर जा कर्मचारी काम करें उनके साथ शहरों जैसी वेतन भत्ता आदि का सन्तियाँ न लगाए।

इन उपायों के अतिरिक्त प्रामाण्य बैंकिंग जांच कमेटी ने गाँवों में स्थित



बैंक की शाखाओं को वृद्ध होने काम करने के मुझार दिष्ट है जिनमें गाँवियों में बैंक के प्रति विश्वास बढ़ेगा और उनका प्रचार होगा। ये मुझार निम्न हैं—

१. एक स्थान में दूसरे स्थान पर राशय भेजने मगाने की सुविधाएँ देना।
२. नोट तथा मिर्झों के अदल-बदल की सुविधाएँ तथा खराब नाश और मिर्झों को अखंड नाश और मिर्झों में बदलने की सुविधाएँ देना।
३. कपया तथा आभूषण सुरक्षित रखने की आधिक सुविधाएँ देना।
४. गोदाम बनाकर कृषक को िराये पर देने का सुविधाएँ देना।

यदि इतनी और सुविधाएँ कृषक को बैंकों में मिलनी रें तो कृषकों को बैंकों के साथ लेन-देन में र्वास बढ़ेगी और विश्वास भी उत्पन्न होगा।

गाँवों में बैंकों की व्यवस्था करने में सामाजिक बैंकिंग जॉन कमेट्री ने संशोध में निम्न सुझाव दिष्ट हैं—(१) विज्ञापन प्रत्येक राज्य में अपनी शाखा खोलने, (२) इन्वॉरियन्स बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंक सहमौलियों में, जिला-नगरों में तथा बड़े बड़े ताल्लुकों में अरना-अरना शाखाएँ बढाएँ, (३) महकामों-साथ समितियों की संख्या बढाई जाय तथा मास-प्रदानन का पुनर्गठन किया जाय, (४) राज्य की और से प्रति मास्य कारपोरेशन स्थापित किए जायें, (५) दारुकातान मास्य-सुविधाएँ देने के लिए भूमि-बंरक बैंक स्थापना किए जाएँ, (६) डाकघराने की बचत-बैंक गाँव-गाँव में, जहाँ यातायात की सुविधाएँ हों, स्थापित की जाएँ, (७) गाँवों में गुलने वाली रेंको की शाखाओं में प्रादेशिक भाषाओं में काम किया जाय, (८) ये बैंक कपया जमा करने तथा निकालने में अरना राशि थोड़ी सरल बनायें, (९) सामाजिकों का मास्य बनाने के प्रयत्न किए जाएँ, (१०) बैंकों में राशि जमा करने तथा बैंकों का आधिक में आधिक प्रयोग करने में सामाजिकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोपगेंडा किया जाय।

## २६—रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण

रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न तो उसके जन्म से ही चलता आया था। १९२६-२७ में हिल्टन यंग कमिशन की सिफारिशों पर जब भारतीय धारा-सभा में विचार हुआ तो स्पष्टी दल राष्ट्रीयकरण का समर्थक था। परन्तु उस समय रिजर्व बैंक स्थापित ही न हो सका और यह बात आगे के लिए टाल दी गई थी। १९३४ में रिजर्व बैंक प्रायः हाएटिया एक्ट पास हुआ और १९३५ में १ अप्रैल सन् १९३५ में रिजर्व बैंक प्रशासकों के बैंक के रूप में काम करने लगा। १९४६-४७ में वन्द्रीय विधान सभा में जब बजट पर बहस हो रही थी तो श्री शरतचन्द्र बोस ने राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को उठाया। प्रश्न का उत्तर देने हुए वित्त मंत्री सर श्रीरामवर्द्धि रोल्ड्स ने कहा कि "मुझे इस विषय में सशय नहीं है कि नेफ्ट भविष्य में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जायगा। इसका राष्ट्रीयकरण अब तक क्यों नहीं हुआ, इसका कारण मेरे विचार से वह था कि विधान सभा रिजर्व बैंक जैसी सस्था को एक अनुत्तरदायी धार्यकारिणी के हाथ में देने को तैयार न थी।" उस समय भी यह बात टाल दी गई। केन्द्रीय धारा-सभा में राष्ट्रपकरण का प्रस्ताव फरवरी १९४७ में फिर लाया गया परन्तु वित्त-मन्त्री के विश्वास दिलाने पर कि सरकार इस पर विचार करेगी और समय आने पर इसका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा प्रस्ताव वापस ले लिया गया। १९४८-४९ के बजट पर बहस करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि अब राष्ट्रीय सरकार है और देश टरनत्र है, इसलिए वन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए राष्ट्रीयकरण के पक्ष में निम्न दलालें दी गईं जिनको मानकर रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

१. अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था और तभी उन देशों के सरकार की प्राथिक तथा मौद्रिक नीति का ठीक ठीक मचाचन केन्द्रीय बैंक करते थे। भारत में भी यह तभी किया जा सकता था जब कि रिजर्व

बैंक का राष्ट्रीयकरण हो। अतः मौद्रिक तथा मात्व नीति के मरुत मंचालन के कारण राष्ट्रीयकरण पर अधिक जोर दिया गया।

२ भारत में जन साधारण के जीवनस्तर को ऊँचा उठाने के लिए यह आवश्यक था कि देश का आर्थिक संकट दूर किया जाय तथा लोगों की आय बढ़ाई जाय। ऐसा करने के लिए युद्ध के पश्चात् आर्थिक आयोजन की आवश्यकता थी और आर्थिक आयोजन का काम तभी सफल हो सकता था जब कि देश का केन्द्रीय बैंक भी सरकार का एक विभाग बनकर सरकारी नीति के साथ सहयोग देता। अतः रिज़र्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की माँग की जान लगी जिसमें यह राष्ट्रीय संस्था बनकर सरकार का अधिक से अधिक सहयोग दे सके।

३ विलुले वर्षों में, विगेषतः युद्धकाल में, रिज़र्व बैंक की मुद्रा नीति गंभीरजनक नहीं रही थी। नोट बहुत छापे गए थे जिससे मुद्रा-स्फीति हुई और वस्तुओं के भाव बहुत बढ़ गए। बैंक ने इसे रोकने के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया। इसलिए सोचा गया कि रिज़र्व बैंक के राष्ट्रीयकरण करने से यह दोष दूर हो जायगा और भविष्य में बैंक अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेगा।

४. बहुत सी बातों पर रिज़र्व बैंक को देश की अन्य बैंकों में आवश्यक गृहना प्राप्त करनी पड़ती थी। आराधारियों का बैंक होने के कारण रिज़र्व बैंक को गृहना प्राप्त करने में कुछ कठिनाई होती थी। इसलिए सोचा गया कि राष्ट्रीयकरण करने से रिज़र्व बैंक को एक ऐसा अधिकार और बल मिलेगा कि तब यह इच्छानुसार गृहना प्राप्त कर लिया करेगा।

५. राष्ट्रीयकरण के पक्ष में एक युक्ति यह थी कि इस प्रकार रिज़र्व बैंक एक प्रकार से सरकारी विभाग बन जायगा जिसके द्वारा केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपनी आर्थिक और वित्त नीतियों को इस बैंक की सहायता में सफल बना सकेंगी।

इन कारणों को लेकर रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और १ जनवरी १९४६ में रिज़र्व बैंक राष्ट्रीय संस्था बन गया। रिज़र्व बैंक के दिवसे सरकार ने ले लिए और १०० रुपये के एक रिज़र्व के बदले में ११८६०१० आने देना घोषित हुआ। ११८६०१० का भुगतान इस प्रकार किया

गया। प्रत्येक १०० रुपये के बदले में तो तीन प्रतिशत वार्षिक व्याज दर के सरकारी बौण्ड दे दिए गए तथा गण राशि के बदले में नन्द रुपया चुका दिया गया। रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में भी आवश्यक संशोधन कर दिए गए। इस प्रकार पेदा एन के २४ उपपश्चात् रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण ही गया।

रिज़र्व बैंक का प्रबंध अब केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। केन्द्रीय सरकार रिज़र्व बैंक के गवर्नर की सलाह से इसका प्रबंध करता है। केन्द्रीय सरकार बैंक के गवर्नर की सलाह से समय समय पर जन हित का दृष्टि में रजत हुए बैंक को आदेश देती है और इन आदेशों की पूर्ति के उद्देश्य से सामने रखकर एन के द्वारा बांड बैंक का संचालन करता है। केन्द्रीय बांड में निम्न व्यक्ति हात है —

(अ) एक गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर—इनका केन्द्रीय सरकार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त करती है परन्तु अधिमान्त एन पर इनका फिर भी नियुक्त किया जा सकता है। इनका वतन केन्द्रीय सरकार की सलाह से त्रय बांड निश्चित करता है। डिप्टी गवर्नर से केन्द्रीय बांड की प्रैक्टिस में भाग लेने का अधिकार तो होता है परन्तु मत देने का अधिकार नहीं है। परन्तु यदि गवर्नर की अनुपस्थिति में डिप्टी गवर्नर कार्य संचालन करता तो उस समय उसका मत देने का अधिकार होता है।

(ब) चार सचिव—य सचिव केन्द्रीय सरकार द्वारा चारों स्थानीय बांड से मनानीत किए हुए हात हैं। [स्थानीय बांड प्रागे देखिए।]

(स) छह सचिव और होते हैं। इनको भी केन्द्रीय सरकार मनानीत करती है। इनमें से प्रत्येक दो बारी बारी से एक, दो और तीन वर्ष के बाद अलग होते जाते हैं।

(द) एक सरकारी अपसर हाता है। यह भी सरकार द्वारा मनानीत किया हुआ होता है। यह अपसर सरकार की इच्छानुसार कितने ही समय तक काम कर सकता है।

इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के बाद नए रिधान के अनुसार केन्द्रीय बांड में कुल १४ व्यक्ति होते हैं।

केन्द्रीय बैंक के अनिश्चित बैंक के प्रबन्ध के लिए चार स्थानीय बोर्ड हैं। स्थानीय-बोर्ड बनकला, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में हैं। सीमा की दृष्टि से सारे देश का चार प्रदेशों में बाँट लिया गया है। (१) उत्तर प्रदेश, (२) दक्षिण-प्रदेश, (३) पूर्वी-प्रदेश, (४) पश्चिमी प्रदेश। इनके चार प्रदेशों के लिए एक-एक स्थानीय बोर्ड है। प्रत्येक स्थानाय-बोर्ड में पाँच सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति सरकार करती है। ये सदस्य अपने-अपने में सही बोर्ड का अध्यक्ष चुन लेते हैं। प्रत्येक सदस्य चार वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है परन्तु अवधि समाप्त होने के बाद इनको फिर भी नियुक्त किया जा सकता है। चारों स्थानाय-बोर्ड आवश्यक मामलों पर केन्द्रीय-बोर्ड को सलाह देते हैं तथा केन्द्रीय-बोर्ड के आदेशानुसार कार्य करत हैं।

केन्द्रीय बोर्ड की बैठक बुलाना गवर्नर के आधिकार में होता है, परन्तु कोई भी तीन सचिवक मिलकर भी गवर्नर से केन्द्रीय-बोर्ड की बैठक बुलाने की प्रार्थना कर सकते हैं। वर्ष भर में दू-बैठकें बुलाना अनिवार्य है परन्तु तीन महीना में एक बैठक जरूर ही करनी चाहिए। बैंक के कार्यालय बम्बई, बनकला, दिल्ली, मद्रास तथा काजपर में हैं। इसका एक शाखा लन्दन में भी है जो अप्रैल १९०६ में खोला गई थी। कन्ट्राय-सरकार की आज्ञा से रिजर्व बैंक अन्य किसी स्थान पर भी शाखा खोल सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनने में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एकट में भी संशोधन कर दिए गए हैं। पहिले रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एकट की धारा ८० और ८१ के अन्तर्गत रिजर्व बैंक रुपये के बदले में निश्चित रिनिमय दर पर स्टैंडिंग एररोडा और देना करता था। परन्तु अब एकट को इन धाराओं में संशोधन कर दिया गया है। अब रिजर्व बैंक सरकार के आदेशानुसार केवल स्टैंडिंग ही नहीं बल्कि उन सब देशों की मुद्राएँ बरारदना-बचना है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। इसी प्रकार रिजर्व बैंक एकट की धारा ८३ में भी संशोधन कर दिया गया है। पहिले इस धारा के अनुसार बैंक को स्टैंडिंग मिन्सूरटियों के आधार पर नोट चलाने का अधिकार था। परन्तु अब बैंक केवल स्टैंडिंग के ही आधार पर नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्य देशों की मिन्सूरटियों के आधार पर नोट दान कर चला सकता है।

एक्ट की धारा १७ (३) में भी संशोधन कर दिया गया है। धारा १७ (३) (अ) में वर्णित 'स्टर्लिंग' के स्थान पर 'विदेशी विनिमय' लिख दिया गया है और १७ (३) (ब) में वर्णित 'यूनाइटेड किंगडम' के स्थान पर 'कोई देश जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य हो' लगा दिया गया है। धारा १८ में वर्णित 'स्टर्लिंग' के स्थान पर 'विदेशी विनिमय' लिख दिया गया है। इन संशोधनों के फलस्वरूप अब हमारा कन्या क्लो विदेशी मुद्रा पर आधारित नहीं है। इसका वर्णन आगे 'हमारा कन्या' शीर्षक लेख में मिलेगा।

---

## २७—बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न

रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ इम्पीरियल बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ है। प्रो० रत्ना जैम कुल्लू लोगों का मत है कि व्यापारिक बैंकों के लिए वेबल कानून बनाने में कुल्लू नहीं हो सकता, उन्हें तो सरकारी स्वामित्व तथा नियंत्रण में ले आना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि युद्धोत्तर काल में किसी भी आर्थिक योजना का सफल बनाने के लिए व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विषय में प्रायः निम्न तर्क दिए जाते हैं—

(१) बैंक, जो मुद्रा-निर्माण तथा साव्य-सृजन का काम करती हैं, ये काम तो सरकार के अधिकार की वस्तुएँ हैं। अतः बैंकों को ही सरकारी अधिकार में ले आना चाहिए।

(२) स्वयंश्रम और व्यक्तिवादी बैंकों पर केन्द्रीय बैंक सफलतापूर्वक नियंत्रण नहीं कर पाता। अतः आवश्यक है कि केन्द्रीय बैंक के साथ-साथ व्यापारिक बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय।

(३) यदि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना है तो बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए अन्यथा सम्भव है राष्ट्रीयकृत उद्योगों में व्यक्तिवादी बैंक आवश्यक सहयोग न दें और सरकारी औद्योगिक नीति सफल न हो सके।

(४) यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो वे सफलता के साथ साव्य का वितरण कर सकेगी।

कुल्लू लोग व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से बैंकों की लेगा-पुस्तकों का गुप्त भेद सरकारी कर्मचारियों तथा आय-कर गणन करने वाले लोगों को भान होता रहेगा जिससे वे राशि जमा करने वाले लोगों को अधिक तंग करने लगेगे। परिणाम यह होगा कि लोग फिर बैंकों में राशि जमा करना बन्द करने लगेगे और यदि ऐसा हुआ तो देश की पूँजी-निर्माण व्यवस्था पर बड़ी गहरी चोट

लगेगी। बँकों के राष्ट्रीयकरण से बँका पर राजनैतिक दलबन्धिया का अधिकार हो जायगा और फिर सरकारी दल जैसा चाहेगा बैंकिंग प्रणाली को उसी भाँति नचाना रहेगा। अतः देश के हित में व्यापारिक बँका का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष की युक्तियाँ पर दोनों ओर से काफी कहा जा सकता है परन्तु देगना यह है कि आग्यर वास्तविकता क्या है। विदेशों में प्रायः देगने में आता है कि वहाँ मन्त्रोय बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया है परन्तु व्यापारिक बैंक अभी व्यक्तिवाद के आधार पर ही चल रहे हैं। इङ्गलैण्ड में 'बैंक ऑफ इङ्गलैण्ड' का राष्ट्रीयकरण हो चुका है परन्तु अन्य बैंकों का नहीं। हाँ, बँक ऑफ इङ्गलैण्ड को अन्य बँका पर नियन्त्रण रखने का पूरा पूरा अधिकार दे दिया गया है। हमारे वहाँ भी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण करने बैकिंग कम्पनी कानून पास कर के रिजर्व बैंक को देश के अन्य बँका पर नियन्त्रण रखने के असीम अधिकार दे दिए गए हैं। इन अधिकारों के द्वारा रिजर्व बैंक व्यापारिक बँकों के नए कार्यालयों पर, उनकी ऋण नीति पर, जमा राशि की नीति पर तथा हिसाब-किताब पर पूरा पूरा नियन्त्रण रखता है। व्यापारिक बैंक पूर्ण रूप से अब रिजर्व बैंक के अधिकार में हैं और रिजर्व बैंक सरकारी सत्ता है। इसलिए यदि यह कहा जाय कि बैंकों पर एक प्रकार से सरकार का ही नियन्त्रण है तो अत्युक्त नहीं होगा। राष्ट्रीयकरण के प्रायः दो पहलू होते हैं—(१) जिसमें सरकार का स्वामित्व और नियन्त्रण दोनों हा, (२) जिसमें सरकार का केवल नियन्त्रण ही रहे। अतः आज भी हमारे वहाँ दूसरे प्रकार का बैंकों का राष्ट्रीयकरण है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में सबसे जोरदार बात यह कही जाती है कि इससे सरकार द्वारा आयोजित आर्थिक आगजन में सहायता मिलती है तथा बैंकिंग व्यवस्था पर सरकार का अधिकार हाता है जिससे बैंक जनता के विरुद्ध कोई काम न कर सके। ये सब बातें आज भी हमारे बैंकिंग प्रणाली में मौजूद हैं। रिजर्व बैंक का कड़ा पहरा हाने के कारण हमारे देश की बैंक रिजर्व बैंक की आशा के बिना टस से मस भी नहीं हा सगनी। हाँ, बैंकिंग कम्पनी कानून बनने से पहिले इन बँकों पर किसी का नियन्त्रण न था—न सरकार का था और न रिजर्व बैंक



का। उस समय इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न युक्तिमग्न बना जा सकता था। परन्तु १९६६ में बैंकिंग कम्पनी कानून पास होने से अब यह बात नहीं है।

। फिर भी कम से कम इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न बहुत जोरों न उठाया जाता रहा है। इस प्रश्न को रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय उठाया गया था। उस समय के वित्त-मंत्री श्री मथारै ने कहा था “एक देश की आर्थिक परिस्थिति पर राष्ट्रीयकरण के जो दुरुपरिणाम होंगे उनको देखते हुए वर्तमान परिस्थिति में सरकार इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करना ठीक नहीं समझती”। किन्तु सरकार इम्पीरियल बैंक के देश को दूर करने का प्रयत्न करेगी—यह आश्वासन उस समय वित्त-मंत्री ने दिया था। इसके पश्चात् १९५०-५१ का बजट पेश करते समय भी इसके राष्ट्रीयकरण का प्रश्न लाया गया परन्तु उस समय भी यह कह कर टाल दिया गया कि देश को साथ व्यवस्था एवं बैंकिंग-उद्योग का दृष्टि से इम्पीरियल बैंक का वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्रीयकरण करना हिनकर न होगा। नवम्बर १९५० में राष्ट्रीयकरण का प्रश्न फिर दोहराया गया। उस समय वित्त-मंत्री श्री देशमुख ने कहा “कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न देश के आर्थिक हितों में नहीं होगा”। वित्त-मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि “इम्पीरियल बैंक की बहुत सी भारतीयों के अधिकार में है तथा उनके कर्मचारियों का भी राष्ट्रीयकरण हो रहा है तथा कुछ वर्षों में ही इम्पीरियल बैंक हमारे नियन्त्रण में आ जायगा। अतः हमारे अपने हितों की दृष्टि से ऐसा कोई भी काम जो शीघ्रापूर्वक किया जायगा यह अहितकर होगा”। इस प्रकार १९६८ में जो दृष्टिकोण हमारे भूतपूर्व वित्त-मंत्री ने रक्खा था यह आज भी है। इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न स्थगित सा ही हो गया है। इसमें ज्ञात होता है कि हमारी सरकार भी बैंकों का स्वामित्व अपने पास लेने को तैयार नहीं है। जहाँ तक सरकारी नियन्त्रण का प्रश्न है वह तो सरकार का है ही। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में अब हमारी सरकार के सामने वही अनुविधाएं हैं जो उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिए हैं। इस समय हमें चाहिए कि बैंकों की राष्ट्रीयकरण की मति न करके उनको मुदर और जनहित के योग्य बनाने की मति करें।

इस समय देश का हित इसमें है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण न करने एकीकरण किया जाय। यदि बक बलिष्ठ बनानी हैं और उनको सक्ट से बचा कर उनसे देश के आर्थिक आयाजन में काम लेना है तो आरश्यकता है कि निर्बल तथा विग्रहे साधनों को एक साथ मिला कर मजबूत बना दिया जाय और तब उन्हें सुयोग्य, अनुभवी और ईमानदार सचालक ने प्रबन्ध में रख दिया जाय। राष्ट्रीयकरण के स्थान पर बैंकों का एकीकरण किया जाय। राष्ट्रीयकरण में चाहे सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण हो जावे परन्तु निर्बल और अयोग्य बैंक दूर न हो सकेगी और इनके रहते सदैव खतरा ही बना रहेगा। अतः कई-कई छोटो-छोटो और साधनहीन बैंकों को मिलाकर एक कर देना चाहिए। इसमें नई बैंक के साधन दृढ होंगे और प्रबन्धक भी सुयोग्य ही मिल सकेंगे। देश में बैंकिंग विशेषज्ञा की कमी भी दूर हो जायगी और निर्बल बैंक भी मल कर दृढ बन जाएँगी। बैंकों के एकीकरण में कोई विशेष असुविधा का सामना नहीं है। प्रायः कई-कई बैंक एक ही संज्ञानक-मण्डल के प्रबन्ध में हैं। ये सचालक-मण्डल मिल कर कई-कई बैंकों का एकीकरण कर सकते हैं। मार्च १९५० में बंगाल में कौमिला यूनियन, कौमिला बैंक तथा अन्य बैंकों को मिलाकर बंगाल कमर्शियल बैंक बनाया गया था। सरकार ने इस और और ध्यान देना चाहिये।

वर्तमान परिस्थितियों में जब कि सरकार पूँजी के अभाव में बैंकों का स्वामित्व नहीं ले सकती, योग्य विशेषज्ञों के अभाव में उनका संचालन नहीं कर सकती, और अब रिजर्व बैंक का पहिल ही इन पर काफ़ा नियंत्रण है, राष्ट्रीयकरण का योजना हिनकर नहीं है। अब तो राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य बैंकिंग कानून बनाकर पूरा हो रहा है और एकीकरण के द्वारा और भा अधिप पूरा हो जायगा। प्राज्ञ की परिस्थितया में कन्द्राय बैंक का ही राष्ट्रीयकरण पर्याप्त है।

## २८—स्टर्लिंग-क्षेत्र व्यवस्था

डॉलर के प्रश्न को लेकर स्टर्लिंग को डॉलरों में परिवर्तित कराने की जो समस्या उठी हुई है उसमें अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक क्षेत्र में स्टर्लिंग के प्रांत आलोचना और अविश्वास बढ़ना जा रहा है। इतना ही नहीं, स्टर्लिंग-क्षेत्र व्यवस्था को ही समाप्त करने की दलीलें दी जाती हैं और स्टर्लिंग-क्षेत्र से मध्य-राष्ट्र स्वयं इस बात को सोचने लगे हैं कि उन्हें इस क्षेत्र से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिए। किन्तु वास्तविकता कुछ और ही है जिसे समझने के लिए स्टर्लिंग-क्षेत्र की कार्यप्रणाली का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।

स्टर्लिंग-क्षेत्र में इंग्लैण्ड के साथ-साथ एशिया के भी कई राष्ट्र सम्मिलित हैं जिनमें भारत, पाकिस्तान, लका, ब्रह्मदेश मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा रोडेशिया भी इसके सदस्य हैं। सभी सदस्य-देश अपनी-अपनी विदेशी मुद्रा की कमाई को केन्द्रित करके एक कोष बनाकर इंग्लैण्ड में जमा करते हैं। आवश्यकता के समय सदस्य-देश इस कोष में से राशि लेकर उसमें काम चलाने हैं। किन्तु कोई भी सदस्य-देश केन्द्रीय कोष में से असीमित मात्रा में राशि नहीं निकाल सकता। सभी सदस्यों ने मिलकर कुछ नियम बना रखे हैं जिनके अनुसार ही केन्द्रीय कोष में से राशि निकाली जा सकती है। यदि प्रत्येक सदस्य अपनी-अपनी इच्छानुसूल इस कोषमें से राशि निकालने लगे तो यह व्यवस्था कार्यान्वित नहीं रह सकती। अतः सदस्य-देशों को अपना अपनी विदेशी मुद्रा की माँग को, विशेषकर डॉलर की माँग को, नियंत्रित करके संगम रूप में आवश्यकता होती है। पिछले कई वर्षों से डॉलर का विश्व-व्यापी अभाव चल रहा है जिसके परिणामस्वरूप स्टर्लिंग-क्षेत्र के स्वयं एवं डॉलर कोष कम होते रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए सितम्बर १९४६ में स्टर्लिंग के डॉलर-मूल्य में कमी की गई परन्तु अब समस्या फिर ज्यों की त्यों बनी हुई है। पिछले चार वर्षों में स्टर्लिंग-क्षेत्र के स्वयं एवं डॉलर कोष की स्थिति इस प्रकार रही :—

| वर्ष           | अभाव (-) अथवा<br>आधिक्य (+)<br>( ०००,००० डॉलर ) | वर्ष के अन्त में शेष<br>की स्थिति<br>(०००,००० डॉलर) |
|----------------|---|---|
| १९४७           | - ४१३१  | ००७६  |
| १९४८           |   |   |
| द्वितीय तिमाही | - ६३०   | १६५१  |
| तृतीय तिमाही   | - १५६   | १४०५  |
| १९५०           | + ८०५   | ३३००  |
| १९५१           |   |   |
| प्रथम तिमाही   | + ३६०   | ३७५८  |
| द्वितीय तिमाही | + ५४  | ३८१३  |
| तृतीय तिमाही   | - ६३८   | ३१४६  |
| अन्तिम तिमाही  | - ६३४   | २५१२  |

इन आंकड़ों से एक महत्वपूर्ण बात यह मालूम होती है कि १९४६ में स्टर्लिंग क्षेत्र अत्यन्त कम पण्डिते और पीछे शेष में जितना अभाव रहा उससे अधिक अभाव १९५१ की तृतीय और अन्तिम तिमाही में रहा। परन्तु तो भी १९५१ में शेष की स्थिति अच्छी रही। इसका कारण यह है कि १९५० में शेष में अधिक राशि जमा होती रही। इसका कारण यह था कि अमरीका अपने मान को इकट्ठा करने में लगा हुआ था और स्टर्लिंग क्षेत्र के सदस्य देश उसका मान बेच बेचकर डॉलर कमा रहे थे। परन्तु १९५१ में अमरीका ने बच्चा मान समग्र करना बन्द कर दिया और तभी पूरा साथ डॉलर की कमी हो गई। दूसरी बात यह थी कि १९५१ की तृतीय तिमाही में अमरीका से तम्बाकू और कपास अधिक सप्लाई जा रहे थे जिनके बदले में डॉलर चुकाए जा रहे थे। इसके विपरीत स्टर्लिंग क्षेत्र से उन और कोकोआ का निर्यात कम हो रहा था जिसमें डॉलर की आय कम हो रही थी। इस प्रकार डॉलर का भुगतान बढ़ने से तथा डॉलर की आय कम होने से दुहरी मार थी। अब परिस्थिति यह है कि सदस्य देशों को अपने अपने डॉलर ध्यय में कमी कर देनी चाहिए। यदि अब भी सदस्य देश अपनी मनमानी व्यापार-नीति बरतते रहे तो स्टर्लिंग क्षेत्र के डॉलर

कोय शीघ्र ही ( १९५२ के अन्त तक ) सामान्य हो जायेंगे और तब संसार में स्टर्लिंग क्षेत्र के सभी सदस्यों को एक भारी गवट का सामना करना पड़ेगा ।

इस विषय में एक नई बात यह है कि केन्द्रीय कोय में से इंग्लैण्ड अपनी कमार्ड में अधिक व्यय करता रहा है तथा अन्य सदस्य-देश व्यय में अधिक कमार्ड रहे हैं । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य देश इस व्यवस्था को तोड़ कर अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लें । संसार का अधिकतर व्यापार आज स्टर्लिंग क्षेत्र के द्वारा होता है । अतः स्टर्लिंग की सहाय बनाना अपना केवल स्टर्लिंग क्षेत्र के सदस्य-देशों का ही काम नहीं परन्तु संसार के उन सब देशों का वर्तमान है जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उत्पन्न करना चाहते हैं । कुछ लोगों का खयाल है कि यदि किसी सदस्य देश को इङ्ग्लैण्ड स्थित कोय में से आवश्यक सामान में कठिनाई न मिल सके तो उसे स्टर्लिंग क्षेत्र का सदस्य रहने से कोई लाभ नहीं—उसे कोय में अपना सम्बन्ध तोड़ लेना चाहिये । परन्तु यह बात व्यावहारिक नहीं है । स्टर्लिंग-क्षेत्र व्यवस्था में केवल यही एक लाभ नहीं कि सदस्य-देशों का आवश्यकतासुमार अतिरिक्त मिलने से परन्तु और भी कई लाभ हैं जिनके बिना स्टर्लिंग-क्षेत्र व्यवस्था का अस्तित्व रहना अनिवार्य है । इन लाभों का निम्न भाग में बौटा जा सकता है—

(अ) व्यापार-सहाय्य की सुविधाएँ ।

(ब) पूर्णों के सादान प्रदान की सुविधाएँ ।

केन्द्रीय कोय के होने से स्टर्लिंग क्षेत्र भर का, विशेषतः क्षेत्र के सदस्यों का व्यापार कठिनाई-क्षेत्र वाले देशों के साथ सरलता पूर्वक हो सकता है । सदस्य देश इस क्षेत्र पर निर्भर रहने हुए अपनी विदेशी व्यापार सम्बन्धी पूर्णकारीय नीतियाँ बनाकर अपने व्यापार को उत्पन्न बना सकते हैं । केन्द्रीय कोय के होने से सदस्य-देश इन साधनों का प्रयोग करने में सक्षम और आसक्त रहते हैं । यदि कोय केंद्रित करने में सक्षम जाय तो प्रत्येक देश को अपना अपनी आर्थिक व्यवस्था और विदेशी व्यापार नीति के अनुकूल अपने अपने व्यक्तिगत पूर्णों को घटाने बढ़ाने की आवश्यकता होगी । परन्तु इस प्रकार की सुविधा से सब प्रत्येक सदस्य-देश सक्षम है । यह ठीक है कि मुद्रादान में सभी हमारे पहचान भी समय-समय पर कई सदस्य-देशों को कठिनाई का अभाव रहा

है, परन्तु इस प्रकार इन दशा का डॉलर-क्षेत्र के साथ किए जाने वाले अपने व्यापार पर अधिक चौकसी का आवश्यकता नहीं रही। यदि प्रत्येक देश अपने अलग अलग डॉलर कोष बनाकर गगता तो उन्हें डॉलर क्षेत्र से होने वाले अपने व्यापार पर इससे भी अधिक चौकसी और नियंत्रण की आवश्यकता होती और सम्भव है तब उनका व्यापार इतना विकसित न हो पाता। यह भी सम्भव है कि तब उनका वैदेशिक, विशेषतः डॉलर क्षेत्र वाले व्यापार में अनिश्चित घटा बढ़ी होने के कारण उन्हें डॉलर क्षेत्र में हानि वाले अपने आयातों पर अधिक कट छूट करनी पड़ता जिससे उनको अपनास योजनाओं को भारी धका लगने की आशंका हो सकती थी।

केन्द्रीय रूप का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह रहा है कि इसका द्वारा क्षेत्र के सदस्य देशों में पार-परिष्कार व्यापार एवं भुगतान सरलता और स्वतन्त्रतापूर्वक चलते रहें हैं। स्टर्लिङ्ग-क्षेत्र के सदस्यों में पारस्परिक व्यापार सम्बन्धी राश्याम इतनी अधिक नहीं है जितनी अन्य देशों में, और जो कुछ है भी यह नष्ट का बराबर है। इंग्लैण्ड ने तो स्टर्लिङ्ग क्षेत्र से होने वाले आयातों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रखा है। हाँ अन्य सदस्य देशों ने कुछ नियंत्रण और प्रतिबन्ध लगाए हैं परन्तु फिर भी संसार के अन्य क्षेत्रों का अपेक्षा इस क्षेत्र में व्यापार और भुगतान सम्बन्धी मुक्तिपूर्ण सबने अधिक है। इन देशों के साथ इंग्लैण्ड ने व्यापारिक सम्झौते किए उनके साथ स्टर्लिङ्ग क्षेत्र के सभी देशों का लेन देन इस क्षेत्र में होने के कारण सरलतापूर्वक चलता रहा। उदाहरणार्थ, इंग्लैण्ड ने गारण्य भुगतान सभी देशों के साथ व्यापारिक लेन देन का कार्य आरम्भ करने की योजना की थी। इसका परिणाम यह हुआ कि स्टर्लिङ्ग क्षेत्र के सदस्य देशों का इन देशों के साथ सरलतापूर्वक अपने व्यापारिक लेन देन करत रहे। कहने का अर्थ यह है कि इंग्लैण्ड ने स्टर्लिङ्ग क्षेत्र और यारोपीय भुगतान संघ देशों में होने वाले व्यापार में समाशासन यह का काम किया है।

स्टर्लिङ्ग क्षेत्र व्यवस्था हानि के कारण इंग्लैण्ड से अन्य देशों में पूँजी का अवरोध आवागमन होता रहा है। स्टर्लिङ्ग क्षेत्र के किसी भी सदस्य देश की इंग्लैण्ड में पूँजी प्राप्त करने की उतनी ही स्वतन्त्रता है जितनी इंग्लैण्ड स्थित

किसी व्यापारिक कम्पनी को हो सकती है। अन्तर केवल यह है कि इंग्लैण्ड में पूँजी एकत्रित करने वाली बाह्य कम्पनियों को इंग्लैण्ड में यह विश्वास दिलाना होता है कि उन्हें पूँजा का वास्तविक आवश्यकता है और यह उनसे अपने देश में पूर्ण नहीं हो सकती। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि १९४७ में १९५१ तक इंग्लैण्ड में कोई ६०,००,००,००० पौण्ड की पूँजी स्टर्लिंग-क्षेत्र के अन्य देशों में भेजी गई।

स्टर्लिंग-क्षेत्र की सदस्यता का एक विशेष लाभ यह है कि सदस्य-देशों की इंग्लैण्ड के बाजारों में लेन-देन की सुविधा बनी रहती है। यह कोई कम लाभ की बात नहीं है। अतः आवश्यकता इस बात का है कि इस क्षेत्र का तोड़ने के बजाय मुहठ बनाया जाय और सब सदस्य मिलकर केन्द्रिय कोष का भरपूर कर दें।



## २६—पोंड-पावने तथा उनका भुगतान

द्वितीय विश्व युद्ध की भारत की एक देन यह रही कि इंग्लैण्ड की सरकार पर भारत का कर्जा रुपया का बर्जा हो गया। युद्ध से पहिले भारत इंग्लैण्ड के साम्राज्यवादी ऋण से दबा हुआ था। युद्धकाल में यह सब ऋण चुका दिया गया। इतना ही नहीं, भारत ने भूखे पेट और नंगे शरीर रह कर इंग्लैण्ड को करोड़ों रुपये का माल भेजा। इस माल के बदले में जो राशि हमें मिलना चाहिए थी वह हम उस समय न मिली वरन् हमारे हिसाब में जमा हाता रहा। इस प्रकार देनदार से हम लेनदार (Creditor) बन गए और इंग्लैण्ड पर हमारा लगभग १७०० करोड़ रुपये का बर्जा हो गया। इसी ऋण को 'पोंड पावना' कहते हैं। इस ऋण को 'पोंड पावना' क्या रखा जाना है तथा वह किस प्रकार दफटा जाना गया? यह सब कुछ जानना बहुत आवश्यक है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट की धारा ३३ के अनुसार रिजर्व बैंक का यह अधिकार था कि वह साने चाँदी के अतिरिक्त कुछ सिक्कुरिटीज रख कर भी नोट चला सकता है। इन सिक्कुरिटीज में कुछ तो भारत सरकार के बिल होते थे तथा कुछ इंग्लैण्ड की सरकार के बिल होते थे। इंग्लैण्ड की सरकार के बिलों का भुगतान स्टर्लिंग में होता था इसलिए इन्हें 'स्टर्लिंग-सिक्कुरिटीज' कहते हैं। युद्धकाल में भारत सरकार इंग्लैण्ड की सरकार को माल पर्याप्त पर्याप्त कर भेजती रही और इंग्लैण्ड की सरकार स्टर्लिंग-सिक्कुरिटीज देकर इस माल का भुगतान चुकाती रही। ये स्टर्लिंग सिक्कुरिटीज रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में जमा हाती रहीं और रिजर्व बैंक इनके आधार पर नोट छाप-छाप कर चलाता रहा। स्टर्लिंग की यह राशि जो इंग्लैण्ड में हमारे हिस्से में जमा हाती रही और जिसके बदले में रिजर्व बैंक को स्टर्लिंग सिक्कुरिटीज मिलता रहा 'पोंड पावना' कहलाता है। इस प्रकार हमारे देश में नियन्त्रित मूल्यों (Controlled Prices) पर माल खरीदा गया और पोंड-पावने दफटते होते रहे। अस्तुत्था का उत्पादन भी अधिक न बढ़ सका।



इसलिए नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माल मिलना बहुत कठिन हो गया और उन्हें चौगुने दसगुने मूल्यों पर खरीद-बिकारा से माल परीक्षण पड़ना था।

यदि हमें इन पीपड-पावनों के स्थान पर सोना चांदी या पृथ्वीगत माल, जैसे मंगाने आदि, मिलती तो पीपड-पावनों की इतनी कठिनाई नहीं होती और भारत में जनता को इतनी कठिनाइयाँ नहीं उठानी पड़ती। प्रथम महायुद्ध काल में भारतीय मुद्रा का विदेशी मूल्य बढ़ना गया। एक समय ऐसा आया जबकि रुपये की दर २ शि० १० पैसे हो गई। इसका यह परिणाम निकला कि रज्जुओं के मूल्य इतने नहीं बढ़े जितने द्वितीय युद्धकाल में बढ़े या उसके बाद अब बढ़ रहे हैं। द्वितीय युद्धकाल में रुपये की विनिमय-दर को स्थिरता पर ध्यान दिया गया। दर को स्थिर रखा रज्जु वस्तुओं के मूल्य धीरे धीरे बढ़ने गए। मन्ते का मूल्यदेगनाह १६३६ में १०० के बराबर था जो कि अगस्त १६६८ में ४३४७ हो गया। यह बात सभी वस्तुओं के मूल्यों के साथ हुई। आतः इन पीपड-पावनों के एकत्रित होने से जनता के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। हमारी धारणा यह है कि यदि वस्तुओं के मूल्यों की स्थिरता पर ध्यान दिया जाता और रुपये का दर को स्थिर रख दिया जाता तो न तो ये पीपड-पावने इकट्ठे होते और न हमें इतनी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता। इसका कारण यह है कि ज्यों-ज्यों रुपये की दर ऊँची होती जाती इंग्लैण्ड की सरकार को भी हमारे यहाँ का माल ऊँचे मूल्यों पर मिलना। फलस्वरूप या तो ब्रिटिश सरकार यहाँ से माल न खरीदकर अन्य देशों में परीक्षती और या हमारे देश में माल की उपलब्धि बढ़ाने के प्रयत्न किए जाने। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने भी सरकार को कोई सलाह नहीं दी जिसने दर की स्थिरता पर ध्यान न देकर मूल्यों को स्थिरता पर ध्यान दिया जाता। इन पावनों का एक बुरा परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में मुद्रास्फीति अविहारिक बढ़ती गई। सन् १६३६ में हमारे देश में कुल १८० करोड़ रुपये के नोट चलने थे लेकिन १६४३-६८ में कुल नोट १२०१ करोड़ रुपये के हो गए। इस मुद्रास्फीति का परिणाम यह हुआ कि वस्तुओं के मूल्य लगातार बढ़ने लगे और देशवासियों को अभूतपूर्व संकट का

सामना करना पड़ा। हाँ, इनके इकट्ठे होने से देश लेनदार अवश्य हो गया परन्तु इसके साथ-साथ देश का आर्थिक ढाँचा भी तितर-बितर हो गया। बगान का अकाल और आकाश का छूते हुए मूल्यस्तर इसी के परिणाम थे। पांड-पावना हमारे त्याग और बलिदानों का समूह है। पौंड-पावने इंग्लैण्ड में हमारी सबसे बड़ी सम्पत्ति थी। उसका समुचित उपयोग हमारे कई आर्थिक प्रश्नों का सरलता से हल कर सकता था। आज भारत के आर्थिक उत्थान को अनेक याजनाएँ मशानों और दूसरे पूँजीगत माल के अभाव में अधूरी पड़ी हैं। देश के विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि पूँजीगत माल हमें मिले। इसका खरीदने के लिए हमारे पास एक मात्र साधन पौंड पावने ही थे। परन्तु इंग्लैण्ड उस समय इस परिस्थिति में नहीं था कि वह हमारा आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता। उसे तो खुद ही अमेरिका का दरवाजा गटपटाना पड़ रहा था। परन्तु अमेरिका से माल खरीदने के लिए हमें पौंड पावनों का डालरो में बदलवाने की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता का पूरा करने के लिए हमारे सामने एक समस्या थी जिसको मुलभान के लिए भारत सरकार ने इंग्लैण्ड के साथ कई समझौते किए।

### १९४७ का समझौता

जनवरी १९४७ में भारत और इंग्लैण्ड के एक समझौते के अनुसार भारत को इन पौंड पावना के बदले में स्टर्लिंग-क्षेत्र से माल खरीदने का अधिकार था। परन्तु यह समझौता अधिक दिन न टिक सका। इसी बीच इंग्लैण्ड और अमेरिका में एक आर्थिक समझौता हुआ। इससे परिस्थिति बदल गई और इंग्लैण्ड को फिर भारत के साथ एक नए सिरे से समझौता करना पड़ा। १४ अगस्त १९४७ का भारत और इंग्लैण्ड के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार बैंक ऑफ इंग्लैण्ड में इन पावनों के दो खाते खोल दिए गए। खाता न० १ में ६३ करोड़ पौण्ड जमा किया गया जिनको खर्च करके किसी भी देश से माल खरीदा जा सकता था। बचा हुआ कोष जो लगभग ११६ करोड़ पौंड था खाता न० २ में जमा किया गया। खाता न० २ की राशि केवल पूँजीगत माल खरीदने के काम आ सकती थी। यह भी तय हुआ कि खाता न० २ की राशि पर साधारण व्याज दर से अधिक व्याज दर पर ब्याज

मिलेगी । यह समझीना पत्र-व्यवहार द्वारा आगामी ६ महीने के लिए बढ़ा दिया गया । भारत को १ करोड़ पाँच और मिले । इस विषय में यह बात समझने योग्य है कि एक वर्ष के अन्दर भारत को जो स्टर्लिंग बर्न करने के लिए मिला वह बर्न नहीं हो सका । उसका कारण यह था कि न तो सरकार के पास माल आयात करने की कोई योजना थी और न पूँजीपतियों को इतना समय मिला कि वे बाहर में माल मगा सकें ।

### जुलाई मन् १९४८ का समझौता

इस समझौते की रातों १५ जुलाई को एक साथ भारत और ब्रिटेन में प्रकाशित कर दी गई थी । समझौते की मुख्य शर्तें ये थी —

(अ) १ अप्रैल १९४७ को अविभाजित भारत की सरकार ने इंग्लैण्ड द्वारा भारत में स्ट्रोक गण्ड सभा कीजी सामान की रूपसे अधिकार में ले लिया था । इसका मूल्य उस समय निर्दिष्ट नहीं किया गया था यद्यपि यह बात बाद में निर्दिष्ट करने के लिए स्ट्रोक दी गई थी । इसका मूल्य ३७ १/२ करोड़ पाँच या ५०० करोड़ रुपये आँका गया किन्तु १० करोड़ पाँच या १२२ ३ करोड़ रुपये में यह मूल्य तय हो गया । यह राशि हमारे पाँच पावनों में से कम कर दी गई ।

(ब) समझौते का दूसरा भाग पेंशनों के विषय में है । भारत स्वतन्त्र होने के बाद बहुत से अंग्रेज अफसर रिटायर (Retire) हो गए । इनकी पेंशन देने का भार भारत सरकार पर था । समझौते के अनुसार पेंशनों का मूल्य १४ करोड़ ६५ लाख पाँच या १६७ करोड़ रुपये निर्दिष्ट किया गया । पेंशन चुकाने के लिए भारत सरकार ने इंग्लैण्ड की सरकार से एक गारिन्टी (Annuity) खरीद ली जिसके लिए १६७ करोड़ रुपये की राशि पौण्ड-पावनों में से कम कर दी गई । यह राशि केन्द्रीय अफसरों, जो रिटायर्ड हो गए थे, की पेंशनों के चुकाने के लिए निर्दिष्ट की गई थी । इसके आतिरक भारत में प्रांतीय सरकारों के अंग्रेज अफसरों की पेंशन चुकाने के लिए भी २७ करोड़ रुपये की एक गारिन्टी खरीद ली और यह राशि भी पौण्ड पावनों में से कम कर दी गई । इस प्रकार गारिन्टी के जाने पर कुल २२४ करोड़ रुपये कम किए गए । यह भी निर्दिष्ट किया गया

कि वार्षिकी के बदले इंग्लैण्ड की सरकार भारत सरकार को प्रति वर्ष एक निश्चित राशि दिया करेगी। यह राशि ६० वर्ष तक हमें मिलती रहेगी। परन्तु यह ध्यान रखने की बात है कि यह एक आर्थिक समझौता ही था— जहाँ तक पेंशन देने की जिम्मेदारी का प्रश्न है वह तो भारत सरकार ही की है।

(स) इससे पिछले समझौते के अनुसार भारत को १११ करोड़ रुपये के पौण्ड पावने लेने का अधिकार मिला था परन्तु इससे से केवल ४ करोड़ रुपये की राशि का ही उपयोग किया जा सका। अतः इससे १०७ करोड़ भारत और ले सकता था। इसका अतिरिक्त अगले तीन वर्षों के लिए इंग्लैण्ड ने इस समझौते के अनुसार १०७ करोड़ रुपये के पौण्ड पावने देना और स्वीकार किया। अतः कुल मिला कर जून १९५१ तक हमें २१४ करोड़ रुपये के पौण्ड पावनों का उपयोग करने का अधिकार मिला। यह भी निश्चय किया गया कि व्यापार-संतुलन से भारत का जो आधिक्य होगा उसकी राशि का प्रयोग भी माल मँगाने में किया जा सकेगा।

इस समझौते के समय पौण्ड पावनों की राशि १५५० करोड़ रुपये थी गई थी। इसमें में फौजी सामान के १३३ करोड़ रुपये, पेंशना के २२४ करोड़ रुपये तथा पाकिस्तान के हिस्से के लगभग १२६ करोड़ रुपये निकाल कर शेष १०६७ करोड़ रुपये के पौण्ड-पावने शेष रहते थे। इस राशि में २१४ करोड़ रुपये जून १९५१ तक निकालना तय किया गया। इस प्रकार ८५३ करोड़ रुपये का पौण्ड-पावने शेष समझे गए। निम्न तालिका से यह हिसाब सरलता से समझा जा सकेगा—

|   |                |
|---|----------------|
| इस समझौते के समय पौण्ड पावनों का मूल्य        | १५५० करोड़ रु. |
| व्यय— (१) फौजी सामान परीदने में १३३ करोड़ रु. |                |
| (२) पेंशना के लिए वार्षिकी २२४     ”          |                |
| (३) पाकिस्तान का हिस्सा १२६     ”             | ४८३     ”      |
| शेष   | १०६७ करोड़ रु. |

जून १९५१ तक मिलने की निश्चित की गई राशि

(१) पिछले समझौते का शेष १०७ करोड़ रु.

(२) इस समझौते की नई राशि १०७ करोड़ ४० २५४ ..

जून १९५१ को बचनेवाली अनुमानित राशि ८५३ करोड़ ४०

इस समझौते के अनुसार तय किया गया कि जून १९५१ तक मिलन वाली १०७ करोड़ रुपये की नई राशि में से अगले वर्ष में केवल २० करोड़ रुपये के पीएड-पावने ही डॉलर या अन्य किसी दुर्लभ-मुद्रा में बदले जा सकते हैं। यद्यपि एक वर्ष में २० करोड़ रुपये के मूल्य के ६ करोड़ डॉलर आवश्यकता से बहुत कम थे परन्तु एक वर्ष में इससे अधिक राशि इंग्लैण्ड दे भी नहीं सकता था।

इस समझौते का भारत में मिश्रित स्वागत हुआ। एक ओर तो कई व्यापारिक संस्थाओं, उद्योगपतियों एवं अर्थशास्त्रियों ने इसे भारत के हित में बताया और दूसरी ओर कई अर्थशास्त्रियों एवं राजनयतजों ने इसे भारत के अहित में कहा। भारत की विधान सभा में भी इस समझौते पर काफी वाद-विवाद हुआ। आलोचकों में भी मनु सूवेदार तथा श्री ० टी० शाह मुख्य थे। कुछ भी हो, भारत को उस समय राशि की आवश्यकता थी और इस समझौते में माल आयात करने के लिए राशि मिल गई।

### १९५६ का स्टर्लिंग समझौता

जुलाई १९५६ में स्टर्लिंग प्राप्त करने के सम्बन्ध में लन्दन में फिर बातचीत हुई और एक नया समझौता हुआ। यह समझौता उस समय हुआ जबकि ब्रिटेन के आकाश में भीषण आर्गिक मंड के वाले बादल छाये हुए थे। इंग्लैण्ड में डॉलर-समृत्ति की विरोध कमो थी। इस समझौते के अनुसार भारत को १९५८-५९ में ८ करोड़ १० लाख पाँड मिलने का निश्चय हुआ। इसके साथ दोनों अगले वर्षों में अर्थात् जून १९५० के अन्त तक और जून १९५१ के अन्त तक ५ करोड़ पाँड प्रति वर्ष मिलना तय हुआ। इसके अतिरिक्त इसे लगभग ५ करोड़ पाँड की राशि मिलनी और तय हुई जो 'ग्रोवन जनरल लाइसेंस' (११) के अन्तर्गत जुलाई १९५६ से पहिले मेंगाए हुए माल के बदले में मुग़तान बुराने के लिए दो गई थी। अब वहा स्टर्लिंग को डॉलर या दुर्लभ-मुद्रा में बदलने का प्रश्न। भारत को केन्द्रीय कोष

(Central Reserve) मे १४ या १५ करोड डॉलर देने की व्यवस्था की गई। इसके साथ-साथ हमारे ऊपर एक निम्नदारी भी दी गई। जिम्मेदारी यह है कि भारत ने जितने मूल्य का माल डॉलर क्षेत्रों से १९४८ में मंगाया था, उसका ७५% ही अगल वर्षों में मंगाया जा सका अर्थात् अमराता में हान वाले १९४८ के आगत में २५% जमा कर ही आयात किया जा सका है। लेकिन इस बात का छूट दे दी गई कि अन्तराष्ट्रीय बैंक में उधार लेकर कितना ही माल आयात किया जा सकता था।

इस नए समझौते के अनुसार १९४८-४९ में हमें ८ करोड १० लाख पौंड मिले जा हमने जुलाई १९४९ में पहिले ही पत्र कर दिए थे और तिनके लिए जुलाई १९४८ वाले समझौते में कोई व्यवस्था नही की गई थी। इस समझौते के अनुसार १९५० और १९५१ में प्रतिवर्ष चून से अत तक ५ करोड पौंड मिलने नय हुए, जबकि पिछले समझौते के अनुसार केवल ४ करोड पौंड प्रतिवर्ष मिलने की ही व्यवस्था की गई थी। १९४८ के समझौते के अनुसार केवल ६ करोड डॉलर १९४८-४९ जून तक मिलने की व्यवस्था की गई थी परन्तु नए समझौते के अनुसार १४ या १५ करोड डॉलर मिलने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार नया समझौता पुराने समझौते को अपेक्षा अधिक हितकर था। इंग्लैण्ड के अर्थव्यवस्था ने तो इस समझौते के सम्पन्न होने पर इंग्लैण्ड की सरकार के विरुद्ध आरोप लगाया था कि भारत सरकार का आशा से अधिक स्टर्लिंग-राशि दे दी गई। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी परिस्थिति में इसमें अन्तः और हितकर समझौता और दूसरा नहीं हो सकता था। परन्तु जो स्टर्लिंग हमें डॉलरों में बदलने के लिए मिले थे उनका मूल्य स्टर्लिंग की अमूल्यता होने के कारण ३०.५% प्रति शत कम हो गया है। इसी प्रकार यदि बचे हुए पौंड पावनों को डॉलरों में बदलवाया जाय तो उनका मूल्य ३०.५% कम हो जायगा।

### १९५२ का समझौता

८ फरवरी १९५० के अन्तिम ऑर्डरों के अनुसार भारत की कुल स्टर्लिंग-पूंजी ५७ करोड पौण्ड अर्थात् ७६१ करोड रुपये है। भारत सरकार के विच

मंत्री ने अपने पिछले इंग्लैण्ड के दौरे पर, जहाँ वह कॉमनवेल्थ वित्त-मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने गए थे, इंग्लैण्ड की सरकार से एक और समझौता किया है जिसकी शर्तों ३० जून १९५७ तक है। इस समझौते से अनुमान भारत अपने पीएड-पायनों में से ३० जून १९५७ तक ३३ करोड़ पीएड प्रति वर्ष के हिसाब से निकाल सकेगा। ब्रिटिश सरकार प्रति वर्ष ३३ करोड़ पीएड स्थिर खाने नं० २ में से खाना नं० १ में जमा करेगी। इसके अतिरिक्त नं० २ खाने में से ११ करोड़ पीएड की एक और राशि नं० १ खान में जमा की जायगी। यह राशि सुरक्षित राशि के नीचे पर होम्स तथा इसमें से केवल गकटहालीन स्थिति में ही इंग्लैण्ड की सरकार की पूरा मन्ना के साथ रशि निकाला जा सकेगी। १९५७ में इस समझौते की शर्तों समाप्त होने पर पुनः चर्चा की जायगी, जिसमें इस समझौते की शर्तों बढ़ाने या इसके स्थान पर दूसरा समझौता करने पर विचार होगा।

इस समझौते की घोषणा से ये समस्त सन्देश तथा भय दूर हो गए हैं जो इंग्लैण्ड में ब्रिटिश सरकार के बन जाने के कारण उत्पन्न हो गए थे। अब इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं कि हमारे पीएड-पायने हमें सम्मानपूर्वक वापिस मिल जाएंगे। पहिले यह भय होता था कि कहीं इंग्लैण्ड की सरकार इनको चुकाने से मना न कर बैठे परन्तु अब इस प्रकार का कोई भय नहीं है।

युद्ध भी हो, हमने अपनी स्टर्निंग-सम्पत्ति को आशा से कम समय में लगभग समाप्त कर दिया। सारी सम्पत्ति अन्न तथा उपभोग की दमती वस्तुओं को गरीबों में ही समाप्त हो गई। युद्ध के बाद इन पीएड-पायनों पर भारत की आशा लगी हुई थी कि इनसे पूँजीगत माल, जैसे मशीन आदि, गरीब-गरीब कर देश की आर्थिक योजनाओं को सफल बनाया जायगा। परन्तु सारी सम्पत्ति पेट भरने में ही समाप्त हो चली और देश के औद्योगिक विकास की योजनाएँ केवल अधूरी सपनी हो रह गई। जिन पीएड-पायनों के कारण देश में मुद्रा-स्फीति हुई, अनाज बढ़े, भुखमरी फैली, लोग भूखे रहे और नंगे गिरे—वही पूँजी अन्न मगाने में समाप्त हो गई और देश की उत्पादन शक्ति बढ़ाने में काम न आई। अब भाँ जो कुछ राशि शेष है उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए।



## ३०—मुद्रा-स्फीति

### युद्धकालीन व युद्धोत्तरकालीन रूपान्तर

भारतीय मुद्रा के इतिहास में द्वितीय विश्वयुद्ध की सबसे बड़ी देन 'मुद्रा स्फीति' है जिसके अन्तर्गत देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ती गई, परन्तु वस्तुओं का उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं बढ़ा। परिणाम यह हुआ कि मुद्रा की कय-शक्ति कम हो गई और वस्तुओं के भाव आनाश को छूने लगे। युद्धकाल में मुद्रा और साख का इतना अवल्पनीय विस्तार हुआ कि वस्तुओं की मात्रा की तुलना में लोगों की मांग खरीदने की शक्ति बट गई। इस दृष्टिकोण से भारत में मुद्रास्फीति युद्धकाल में भी थी और युद्धोत्तर काल में भी, परन्तु युद्धकालीन एवं युद्धोत्तरकालीन मुद्रास्फीति में कुछ ऐसा रूपान्तर है जिसे समझना आवश्यक है।

युद्धकाल में सरकार की मुद्रानीति अधिक से अधिक मात्रा में नए मुद्रा चक्रान्तर युद्ध-व्यय को पूरा करने की थी। अगस्त १९३६ में कुल निष्काक १७६ करोड़ रुपए के नोट चलते थे, परन्तु १९४७ में नाटो की कुल संख्या १२४२ ८६ करोड़ रुपये हो गई। नोट-वृद्धि के साथ साथ देश में मूल्य-स्तर भी बढ़ता गया। अगस्त १९३६ के मूल्य-स्तर की अपेक्षा जनवरी १९४५ के मूल्य-स्तर में लगभग २५० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। मूल्यों की बढ़ोत्तरी निम्न तालिका से स्पष्ट होती है :—

| वर्ष | नोटों की संख्या<br>(करोड़ों में) | अर्थ-सलाहकार के मूल्यांक<br>(१९३६ = १००) |
|------|----------------------------------|--|
| १९३६ | १७६                              | १००                                      |
| १९४० | २३८                              | १३३                                      |
| १९४१ | २४५                              | ११४                                      |
| १९४२ | ३५६                              | १४५                                      |
| १९४३ | ५६३                              | १६५                                      |
| १९४४ | ८८२                              | २३२                                      |
| १९४५ | १०३४                             | २५०                                      |



इस तालिका के मूल्यांकन उन वस्तुओं के हैं जिन पर सरकार का नियन्त्रण था और जिनके मूल्य भी सरकार ने नियंत्रित कर रखे थे। अगर उन वस्तुओं के मूल्यों को लिया जाय जो चौर-मात्तार में बिजनी थी तो मूल्यों की बढ़ोतरी का प्रतिशत ८०० से भी आगे बढ़ जायगा।

इस प्रकार नोटों की संख्या बढ़ती गई और साथ ही साथ वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ते गए। इन दोनों ही समस्याओं ने देश में मुद्रास्फीति का भान कराया। सबसे पहिले १९४३ में भारतीय अर्थशास्त्रियों ने यह आवाज उठाई कि देश में मुद्रास्फीति के चिह्न आ चुके हैं। उन्होंने समझाया कि देश में मुद्रा के कारण मुद्रा की मात्रा बढ़ती जा रही है और उत्पादन उसकी अपेक्षा कम है। अर्थशास्त्रियों ने संकेत किया कि यह मुद्रास्फीति नोटों के बढ़ने के कारण पैदा हो रही है और बड़ी भयानक है। शाण्डयन चेंबर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अधिकारियों ने भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। १९४६ में फिर अर्थशास्त्रियों ने सरकार को इस ओर सचेत किया और कहा कि मुद्रास्फीति के दोष बढ़ने ही जा रहे हैं इसलिए जनता को इन दोषों से बचाने के लिए सरकार को शीघ्र प्रयत्न करने चाहिये। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने भी इस बात को मान लिया कि देश में मुद्रास्फीति है परन्तु उसने इसको दूर करने के कोई उपाय नहीं बताये। रिजर्व बैंक के हिस्सेदारों की ८ वीं वार्षिक मीटिंग की रिपोर्ट में कहा गया था कि "देश में मुद्रा की संख्या बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति पैदा हो गई है। परन्तु इसको दूर करने के उपाय सोचने से पहिले हमें यह सोचना होगा कि मुद्रा की संख्या क्यों बढ़ रही है। और यदि मुद्रा की संख्या बढ़ने के कारणों पर विचार करें तो पता लगता है कि उन कारणों को दूर करने में अकेला रिजर्व बैंक कुछ नहीं कर सकता।" इसमें अगली रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने स्वीकार किया कि "मुद्रास्फीति को जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे गाना, कपड़ा आदि के उत्पादन में कमी होने के कारण और भी बल मिलता जा रहा है जिसमें वस्तुओं के भाव निरंतर बढ़ते जा रहे हैं।" १९४४ में रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि "मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए सरकार ने जनता से श्रृंखला लेना आरम्भ कर दिया है तथा नए-नए टैक्स भी लगाए गए हैं। अगर इन दोनों बातों में सरकार को सफलता न

मिनी तो देश में मूल्य-स्तर गिराना तथा जनता का जीवन व्यय कम करना असम्भव हो जायेगा ।”

मुद्रा प्रसार का सबसे बड़ा कारण भारत सरकार द्वारा मित्र राष्ट्रों को युद्ध में आर्थिक सहायता देना था । भारत सरकार ने इंग्लैण्ड और मित्र-राष्ट्रों के लिए भारत के बाजारों से अन्न, कपड़ा आदि आवश्यक माल खरीदा । यह माल युद्ध चलाने के लिए खरीदा गया था । इस माल के बदले में इंग्लैण्ड की सरकार ने भारत सरकार को नफ़द रुपया नहीं दिया वरन् यह रुपया इंग्लैण्ड भारत के हिसाब में जमा कर लिया जाता था और बदले में रिजर्व बैंक को स्टर्लिंग-सिक्यूरिटियाँ दे दी जाती थी । इन्हीं सिक्यूरिटियों के बल पर नोट छापकर बनाए जाते और व्यापारियों का भुगतान किया जाता था । इस प्रकार नोटों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती रही । पहिले पहिले इंग्लैण्ड की सरकार ने ४२६ करोड़ रुपये का माल खरीदने के लिए भारत सरकार को आर्डर दिए । परन्तु जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया सैते-सैते अधिक माल खरीदा जाता रहा और नोटों की संख्या बढ़ती रही ।

भारत जितना माल आयात करता था उससे कहीं अधिक माल निर्यात करता था । यह बात निम्नतालिका से स्पष्ट होती है :—

व्यापाराधिक्य ( भारत के पक्ष में )

| वर्ष    | करोड़ रुपयों में |
|---------|------------------|
| १९३८-३९ | + १७.५९          |
| १९३९-४० | + ४८.८१          |
| १९४०-४१ | + ४१.९९          |
| १९४१-४२ | + ७९.६०          |
| १९४२-४३ | + ८४.२५          |
| १९४३-४४ | + ९१.३२          |
| १९४४-४५ | + २६.०८          |

इस अनुसूचल व्यापाराधिक्य के बदले में बाहर से न तो माल आ सका और न सोना ही मिला । इसके बदले में तो स्टर्लिंग मिले जिनके आधार पर

सरकार ने नोट छुाकर व्यापारियों के भुगतान चुराए । युद्ध-काल में मोना-चादी भी देश में बाहर भेजे गए । फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेंबर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री की १८वीं वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि १९४० में लगभग ३४ करोड़ रुपये का मोना बाहर भेजा गया जिसमें बदले में स्टर्लिंग मिले जिनके आधार पर हमारे यहाँ मुद्रा प्रसार हुआ ।

कन्द्रीय सरकार ने युद्ध काल में पचा भी गृह किया जिसमें देश में मुद्रा प्रसार बढ़ता गया । सरकार ने रक्षा-विभाग पर कार्रगी पचा किया जो इस प्रकार है :-

| वर्ष         | रक्षा-व्यय ( करोड़ रुपये में ) |
|--------------|--------------------------------|
| १९३९-४०      | ४६.६४                          |
| १९४०-४१      | ७३.६९                          |
| १९४१-४२      | १०३.९३                         |
| १९४२-४३      | २६७.९३                         |
| १९४३-४४      | ३६५.८६                         |
| १९४४-४५      | ४५६.६४                         |
| २०४५-४६      | ३९९.३५                         |
| १९४६-४७      | ७४३.३४                         |
| योग— २६८३.४० |                                |

इस प्रकार १९३९-४० से १९४६-४७ तक १९८३.४० करोड़ रुपये व्यय किए गए । इसका यह परिणाम हुआ कि देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ती गई । इस पचा के लिए सरकार ने जनता में अणु लिए और भारी-भारी टैक्स भी लगाए । नोट भी छुा-छुा कर चलाये गए । सरकार ने स्टर्लिंग-सिक्यूरिटीज के आधार पर तो नोट चलाए ही—ट्रेजरी बिलों (Treasury Bill) के आधार पर भी नोट छुाये । १९३९-४० में ट्रेजरी बिलों की संख्या, जिनके आधार पर नोट छुाये गए थे, ३७ करोड़ रुपये थी परन्तु १९४१-४२ में इनकी संख्या ७५ करोड़ रुपये हो गई तथा १९४२-४३ में इनकी संख्या १३६ करोड़ रुपये तक जा पहुँची ।

समस्या को हल करने के लिए सरकार ने जनता के प्रतिनिधियों से सलाह ली। सब वर्गों ने समर्थन दिया कि वस्तुओं के मूल्य बहुत ऊँचे हैं और अब उनको रोकना चाहिए। पूँजीवादियों ने उत्पादन वृद्धि पर जोर दिया और सुझाव दिए कि मजदूरों की मजदूरी निश्चित कर दी जाय, आगमन के साधन सुव्यवस्थित किए जाए तथा आय-कर में छूट दी जाय और बैंक-दर न बढ़ाई जाय। मजदूर-दल के नेताओं ने मनाफामारी तथा रिश्वतखोरी को घटोरतापूर्वक हटाने की सलाह दी। बेरोजगार प्रतिनिधियों ने बैंक-दर बढ़ाने पर जोर दिया। परन्तु सभी वर्गों ने इस बात का समर्थन किया कि सरकार अपना व्यय कम करने बजट के घाटे को पूरा करे। सरकार ने इन सब सुझावों को सामने रख कर अनेक प्रयत्न किए। जीवन की आवश्यक वस्तुओं, विशेषतः अन्न और कपड़े पर नियन्त्रण लगा दिए—इनके मूल्य निश्चित कर दिए गए तथा सरकार ही इन वस्तुओं के बेचने का प्रबन्ध करने लगी। मुद्रा की बढ़ी हुई सख्या को कम करने के लिए नए-नए कर लगाए गए। सरकार ने जनता से श्रृणु लिए। बचत-बैंकों में राशि जमा करने की सीमा बटा दी गई। कम्पनियों के द्वारा बाँटे जाने वाले लाभांश सीमित कर दिए। सरकार ने सोना भी बेचा जिससे लोग सोना खरीदकर भय शक्ति सरकार को लौटा दें। विदेशों से माल आयात करने की छूट दे दी गई जिससे लोग माल आयात करें और देश में माल का अभाव दूर हो। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने अपने अपने खर्चें कम करने के प्रयत्न किए। केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को दी जाने वाली सहायता कम कर दी। राज्य सरकारों ने वृषि आय-कर तथा बिक्री-कर लगा दिए। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए नई-नई सुविधाएँ दी गईं। घोषणा की गई कि नए उद्योगों से कुछ निश्चित समय तक आय कर नहीं लिया जाय तथा विदेशों से यंत्रादि मँगाने पर उन पर आयात-कर की छूट दे दी गई। इससे नए उद्योग खुलने में सहायता मिली। परन्तु मुद्रास्फीति की मूल समस्या हल न हो सकी।

युद्ध समाप्त होने के पश्चात् भी देश में मुद्रा-स्फीति बनी रही और वस्तुओं के भाव ऊँचे चढ़ते रहे। अगस्त १९४५ में अर्थ-सलाहकार का

मूल्यांक २४४ १ था जो नवम्बर १९४६ में बढ़कर २८६.६ हो गया। नवम्बर १९४६ के पश्चात् वस्तुओं के भाव और चड़े और इतने बढ़ गए। न मार्च १९४७ तक मूल्यांक ३४४ हो गया और अगस्त १९४८ तक ३८३ हो गया। अन्न के भाव सबसे अधिक ऊँचे हो गए। सितम्बर १९४५ में अन्न का मूल्यांक २६४.२ था जो मार्च १९४८ में बढ़ कर ४०२ हो गया। अन्न के अतिरिक्त कच्चे माल के भाव भी बहुत ऊँचे रहे।

मुद्रा के पश्चात् भी नोटों की संख्या बढ़ती ही रही। ३१ दिसम्बर १९४५ को कुल ११५४ करोड़ रुपये के नोट थे परन्तु जनवरी १९४६ में इनकी संख्या १२४८ करोड़ रुपये हो गई और जून १९४६ में यही संख्या आगे बढ़ कर १२५४ करोड़ रुपये हो गई। परिचलन (Circulation) में भी नोटों की संख्या बढ़ती ही गई। सितम्बर १९४५ में ११४१.८४ करोड़ रुपये के नोट चालते थे परन्तु जून १९४६ में यह संख्या बढ़ कर १२४१.६७ करोड़ रुपये हो गई। नीचे लिखी तालिका में यह बात स्पष्ट होती है।

(करोड़ रुपये में)

रिजर्व बैंक के पास

|              | कुल नोटों की संख्या | चालू नोटों की संख्या | जमा स्टर्लिंग सिक्कुरिटिज |
|--------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| सितम्बर १९४५ | ११६२७४              | ११४१८४               | १०४२.३२                   |
| अप्रैल १९४६  | १२४५.६५             | १२३५१२               | १२४७                      |
| जून १९४६     | १२५४.३३             | १२४१.६७              | ११२२.३२                   |
| नवम्बर १९४६  | १२५८.८६             | १२०१.२६              | ११२५.३२                   |
| दिसम्बर १९४६ | १२५८.५६             | १२१८.७८              | ११२५.३२                   |
| मार्च १९४७   | १२५७.४७             | १२४३.०३              | ११२५.३२                   |

इसमें एक बात यह स्पष्ट होती है कि रिजर्व बैंक के कोष में स्टर्लिंग सिक्कुरिटियों की संख्या, जिनके बल पर मुद्राकाल में नोट द्याये गए थे, लगभग स्थिर रही परन्तु नोटों की संख्या बढ़ती गई। इसका अर्थ यह निकलना है कि मुद्रांतरकाल में मुद्राकाल की भाँति स्टर्लिंग के आधार पर नोट नहीं द्याये गए वरन् देश में रुपये की आवश्यकता को पूरा करने के लिए य मजदूर के छोटे छोटे

पूरा करने के लिए नोट छापकर चलाए गए। सरकार को काश्मीर की लड़ाई के लिए, हैदराबाद की चढ़ाई के लिए तथा वे-घर लोगों को बसाने के लिए रुपये की आवश्यकता थी और इसलिए नोटों की संख्या बढ़ाई गई। सरकारी कर्मचारियों और मजदूरों के वेतन में वृद्धि होने के कारण भी सम्भवतः कुछ अधिक मुद्रा की आवश्यकता हुई, पर मुद्रा में यह वृद्धि उस समय हुई जबकि उत्पादन में एक तिहाई कमी हो गई थी। युद्धकाल में विदेशी सरकार की रुपये की कमी को पूरा करने के लिए मुद्रा प्रसार हुआ तथा युद्धोत्तरकाल में भारत सरकार की रुपये की कमी को पूरा करने के लिए नोट चलाए गए इसलिए मुद्राप्रसार हुआ।

युद्ध के पश्चात् केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बजट घाटे में चलते रहे जिसे पूरा करने के लिए पहिले तो नोट छापे गए तथा बाद में रिजर्व बैंक की रोफ़ड़ राशि में से खर्च किया गया। इससे मुद्रा की संख्या बढ़ती गई। बजट में घाटा होने के कारण थे—अन्न पर असाधारण खर्चा, वे-घर लोगों को बसाने का खर्चा तथा सरकारी खर्चों में बढ़ोतरी आदि। केन्द्रीय सरकार के बजटों का घाटा इस प्रकार रहा:—

( करोड़ रुपयों में )

|      | १९४५-४६ | १९४६-४७ | १९४७-४८ | १९४८-४९ |
|------|---------|---------|---------|---------|
|      |         | सशोधित  | संशोधित | सशोधित  |
| आय   | २६०.६७  | ३३६.१९  | १७८.७७  | ३३८.३२  |
| व्यय | ४८४.५७  | ३८१.४८  | १८५.०९  | ३३९.८७  |
| घाटा | -१२३.९० | -४५.२९  | -६५.३२  | -१.५५   |

इसी प्रकार प्रान्तीय सरकारों के बजट भी घाटे में चलते रहे जिसे पूरा करने के लिए मुद्रा शक्ति बढ़ाई गई परन्तु उत्पादन न बढ़ाया जा सका।

युद्ध के बाद मान का उत्पादन भी कम होना गया। 'इंस्ट्रुमेंट एक्विनोमिस्ट' द्वारा तैयार किए गए उत्पादन के अङ्कों से पता चलता है कि १९४३-४४ में औद्योगिक उत्पादन के अंक १२६.८ थे जो १९४६-४७ में १०५ हो गए। अन्न उत्पादन का तो और भी बुरा हाल रहा। १९३६-३७ व १९३७-३८ में अन्न उत्पादन के औसत अंक १०० थे जो १९४५-४६ में घटकर ९४ में आ गए

तथा १९४६-४७ में ६६ और १९४७-४८ में ६७ में गय । इस प्रकार उत्पादन की कमी होने से बाजार में माल की कमी रही और भाव चढ़ने लगे । औद्योगिक उत्पादन गिरने के कारण ये थे — सरकार द्वारा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का विचार, कच्चे माल की कमी मजदूरों की हड़ताल, मशीनों की खराबी, भारी-भारी ट्रेक्स तथा ऊँची-ऊँची मजदूरी का भुगतान, आदि, आदि । १९४६ में उद्योगों ने भ्रम-विवादों के कारण १,००,००,००० पुरुष-दिन गंवाये और १९४७ में २,७०,००,००० पुरुष-दिन गंवाये । इस प्रकार उत्पादन ताकत कम हो गई परन्तु वितरण की दुर्घटना के कारण भी महती कमी रही । लोगों ने माल छिपा छिपा कर इकट्ठा किया । सरकार ने संग्रह-विरोधी कानून भी बनाए परन्तु कोई फल न निकला । युद्ध के पश्चात् मण्डपा गौंधी ने कण्ट्रोल हटाने का आन्दोलन उठाया । अन्न-माला निर्धारण-समिति ने भी कण्ट्रोल हटा लेने की सिफारिश की । तदनुसार सरकार ने दिसम्बर १९४७ में कण्ट्रोल तोड़ दिया । कण्ट्रोल हटाने ही पश्चात् उद्योगों के भार आकाश में चढ़ने लगे और जनता को और भी अधिक कठिनाई रही । अक्टूबर १९४८ में कण्ट्रोल फिर लगा दिए गए परन्तु मूल्य ज्यों की त्यों रहे । यदि सच पृष्ठ जाय तो अन्न की रिफ्ट समस्या ने मूल्यों के बढ़ने में काफी सहायता की । देश के विभाजन से तो स्थिति और भी अधिक गम्भीर हो गई ।

व्यापार-न्तक के सिद्धान्तों के अनुसार १९४६ के पश्चात् मूल्य स्तर गिरने का अनुमान लगाया जाता था और आशा की जाती थी कि इस वर्ग के पश्चात् तो अवश्य ही मंदी होगी परन्तु इसी बीच में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक नई हलचल पैदा हो गई जिसने मूल्यों के बढ़ने में काफी योग दिया । पूर्व में जोरिया का युद्ध आरम्भ होने ही मान के भार और अधिक चढ़ने लगे । देश भर में एक प्रकार का आतंक छा गया । अमरीका तथा इंग्लैण्ड युद्ध के लिए पुनः-संस्थाकरण के काम में जुटने लगे । अमरीका तथा अन्य यूरोपीय देशों में माल समक करने की योजनाएँ बन गई । ये देश लड़ाई का अनुमान लगाकर कच्चा माल इकट्ठा करने लगे जिससे हमारे देश में इनका माल बढ़ गई और मान के भार अधिक ऊँचे होने लगे । रुपये के अग्रमूल्यन का भी मूल्य-वृद्धि पर कुछ अनुकूल प्रभाव ही पड़ा ।

सरकार ने स्थिति की गम्भीरता को देखकर मूल्य स्तर कम करने की ठानी। एक विस्तृत योजना बनाकर मूल्यों को कम करने का प्रयत्न किया गया। इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें थीं—अन्न के उत्पादन में वृद्धि करके वितरण पर नियंत्रण रखना, बजट के घाटे पूरा करके संतुलित बजट बनाने का प्रयत्न करना, सरकारी व्यय कम करना, सरकारी श्राय बढ़ाना, जनता को बचत करने की सुविधाएँ देना तथा कम्पनियों के लाभांश सीमित करना। १९५१-५२ के बजट में बजट बनाते समय ५ करोड़ रुपये का घाटा था जो ३१ करोड़ रुपये के नए प्रस्तावों के बाद बराबर करके बजट में २६ करोड़ रुपये का आधिस्य रक्कम गया। चालू वर्ष का बजट पेश करते समय शांत हुआ कि गत वर्ष के बजट में ६२ करोड़ रुपये की बचत हुई। इससे प्रयत्न शक्ति आवश्यक कम हुई। गत १२ वर्षों में इतनी बचत का यह पहिला बजट है। नवम्बर १९५१ में भास्कर-सुविधाएँ कम करके मूल्य गिराने की नायत से सरकार ने एक नया कदम और उठाया। बैंक दर ३ प्रतिशत से बढ़ाकर ३½ प्रतिशत कर दी गई तथा रिजर्व बैंक ने खुली बाजार क्रियाएँ बन्द कर दीं। इससे मुद्रा प्रसार पर बहुत उल्टा प्रभाव पड़ा। ये सरकार के अन्तिम उपाय थे जो उसने मूल्य स्तर को गिराने के लिए किए।

इन उपायों का कुछ चमत्कारी परिणाम निकला। मार्च सन् १९५२ के आरम्भ से ही मूल्यों में सफट का वाट-मरडल छा गया है। वस्तुओं के भावों में गिरावट छा गई है। लगभग सभी वस्तुओं, जैसे अन्न, तेल, गुड़, रुई, पटसन, सोना, चाँदी के भाव नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि मद्रास्फीति का अन्त होकर व्यापार चक्र नीचे की ओर जा रहा है। वैसे तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं नियमानुसार मन्दी आज से दो वर्ष पूर्व ही आनी थी, परन्तु राजनैतिक हलचलों ने इसे रोका। अब मन्दी की ओर रुख बदला है। थोड़ा भाव बराबर गिरते जा रहे हैं और फुटकर भावों में भी गिरावट है, व्यापारी वर्ग इसने कारण बिगल है परन्तु सरकार स्थिति का अध्ययन कर रही है। देखना है कि क्या यह मन्दी स्थायी रह सकेगी ?



## ३१—डॉक्टर की समस्या

गत महायुद्ध ने लगभग सभी यूरोपीय देशों के आर्थिक फलेवर को रंग बना दिया। युद्ध की भीषण बमबारी ने कुछ देशों के उद्योगों को नष्ट भ्रष्ट किया और कुछ देश युद्ध में धन कमाने की स्थिति में युद्ध सामग्री ही बनाने में लगे रहे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बन्द रहा तथा वस्तुओं आवश्यक मात्रा में उत्पादन की जा सकी तथा नागरिक आवश्यकताओं के लिए उत्पादन में मान बनाया बन्द हो गया। युद्ध समाप्त होने के पश्चात् सभी देशों ने आर्थिक पुनर्निर्माण का काम आरम्भ किया। नए-नए उद्योग स्थापित किए जाने लगे। परन्तु डॉक्टर के प्रश्न ने एक समस्या खड़ी कर दी। सितम्बर १९४६ में पार्लियामेंट में तो इस समस्या ने बहुत ही भीषण रूप धारण कर लिया था। आज भी डॉक्टर का प्रश्न कोई कम देदी समस्या नहीं है। भारत के चट्टे-चट्टे राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, अर्थशास्त्री इस समस्या को सुलझाने में व्यस्त हैं। सितम्बर १९४६ में रटर्निंग तथा उसके साथ-साथ संसार की अनेक मुद्राओं के डॉलर-मूल्य में बंधी करने से इस समस्या की भीषणता कुछ कम हो गई थी और आया भी कि यह समस्या सुलभ ही जायगी परन्तु १९५० के पश्चात् इस समस्या ने फिर भीषण रूप धारण कर लिया। देखना यह है कि यह समस्या है क्या ?

डॉक्टर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रतीक मुद्रा है। गत महायुद्ध में संसार के लगभग सभी देशों ने युद्ध में प्रयुक्त अथवा परोक्ष रूप से भाग लिया। अमेरिका ने भी इसमें भाग लिया परन्तु इसका कार्य युद्ध में प्रयुक्त रूप से लगे हुए देशों को युद्ध सामग्री बेचना ही रहा। सभी देशों ने अमेरिका से बहुत माल खरीदा। इसके बदले में अमेरिका को मुद्रा 'डॉलर' या सोना चुकाया गया। अमेरिका अपने उद्योग-संघों को उत्पन्न करता गया और अन्य देशों में युद्ध के कारण यह उत्पन्न बन्द रही। युद्ध के पश्चात् मात्र भी अमेरिका में अन्य देशों की आवश्यकता की सामग्री है—रूई प्रधान सामान है, गान-पदार्थ है, पंपादि है तथा कुशल कारीगर भी हैं। इन सभी वस्तुओं

की युद्ध से विगड़े हुए देशों की आवश्यकता है। ये वस्तुएँ दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों के अनुसार अन्य देश अपने देश का सामान अमेरिका को निर्यात करें और उसने बदले में अमेरिका से सामग्री खरीदें या अमेरिका को उसके माल का भुगतान डॉलर चुका कर किया जाय। यह भी हा सचता है कि अमेरिका इन देशों का उधार माल देना दे। अन्य देशों में अमेरिका का निर्यात की जाने वाली कोई वस्तुएँ न लोयीं और न आवश्यक माना में आज ही उपलब्ध हैं क्योंकि अमेरिका स्वयं समर्थ देश रहा है, आवश्यकता की सभी वस्तुएँ वहाँ के लोगों का प्राप्त हैं। यदि अन्य देशों में अमेरिका की आवश्यकता की वस्तुएँ हैं भी तो उनके भाव बहुत ऊँचे रहे हैं। अन्य देशों के पास अमेरिका का भुगतान करने के लिए सोना या डॉलर भी नहीं रहे जिनके बदले में वहाँ से माल खरीद कर आर्थिक विकास की योजनाओं को पूर्ण किया जाता। अमेरिका ने खरीदो डॉलर कुछ देशों को उधार और भेंट में दिए हैं कि जिससे किसी प्रकार डॉलर का अभाव टल जाय। मार्शल योजना व ड्यूमन का चतुर्भुजा योजना इस बात के प्रमाण हैं। परन्तु अमेरिका भी निरन्तर अनिश्चित अधि के लिए माल उधार नहीं दे सकता और न असीमित मात्रा में भेंट ही स्वीकृत कर सकता है। और यह भी निश्चित है कि यूरोप ने अन्य देश तथा भारत भी अमेरिका से यत्रादि, कुशल कारीगर तथा खाद्य पदार्थ के बिना आयात नहीं रह सकते। तो समस्या यह है कि अमेरिका से उक्त वस्तुएँ लाकर उसके बदले में भुगतान करने के लिए डॉलर कैसे प्राप्त किए जाएँ? डॉलर का उत्पादन व्यय से कम होने के कारण बाहर के देश अमेरिका के माल की गणत में कमी करने के लिए विवश होते रहे हैं। प्रति वर्ष डॉलर-क्षेत्र से होने वाले आयातों में कमी करने के सुझाव दिए जाते हैं और कमी होती भी रही है। इस विवशता के कारण अमेरिका के निर्यात में कमी आती है जिससे वहाँ का उत्पादन कम करना पड़ता है। परिणाम यह होता है कि अमेरिका के वे उद्योग धंधे, जो विदेशी माँग पर निर्भर हैं, धीमे पड़ जाते हैं और अन्त में वहाँ बेकारी की समस्या आने लगती है। फिर वह बाह्य-देशों से और भी कम वस्तुएँ ले सकता है। इसका परिणाम यह हुआ

है कि वाय-देशों की डॉलर-आय और भी अधिक गिर जाने से मसाल में डॉलर की कमी अधिनाधिक होने लगी है। इस प्रकार डॉलर की समस्या ब्रेवल योरप या एशिया के देशों की ही समस्या नहीं है यान् अमेरिका का भी प्रश्न है कि यहाँ बचती हुई बेकारी और मन्दी को कैसे रोका जाय। मन्दी और बेकारी को टालने के लिए ही तो अमेरिका विद्युत् बचों से विप्लव डॉलर राशि वाय-देशों को प्राण के रूप में या गैट स्वरूप देता रहा है। परन्तु वह कब तक चल सकता है। आगिर समस्या दोनों ओर की है, अमेरिका की भी और योरोपीय तथा अन्य देशों की भी। अन्य देशों की समस्या डॉलर प्राप्त करके अमेरिका से माल मंगाने की है तथा अमेरिका की समस्या अपने निर्यात बढ़ाकर उत्पादों की उत्पादन-शक्ति बनाए रखने की है।

यह समझना भूल होंगे कि डॉलर की समस्या ब्रेवल गल महायुद्ध की ही देण है। युद्ध से पहिले भी १९३० के आसपास स्टर्लिंग और डॉलर के बीच विषमता थी। अफिरकों से जान होता है कि १९३० में इंग्लैण्ड का वर्तमान स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों के साथ १२ करोड़ पौण्ड का आधिक्य था और पश्चिमी गोलार्द्ध के देशों के साथ १२ करोड़ पौण्ड का अभाव था। अन्य स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों का पश्चिमी गोलार्द्ध के साथ २ करोड़ पौण्ड का अभाव था। इस प्रकार इंग्लैण्ड तथा स्टर्लिंग क्षेत्र के अन्य देशों का पश्चिमी गोलार्द्ध के देशों के साथ १३ करोड़ पौण्ड की कमी थी। स्टर्लिंग क्षेत्र में प्राप्त मोना ब्रेवल १२ करोड़ ५० लाख पौण्ड का ही था। इस प्रकार १ करोड़ ५० लाख पौण्ड की डॉलर की कमी थी। लेकिन उस समय इंग्लैण्ड के पास एक मुविधा थी। इंग्लैण्ड के अमेरिका मिथत डॉलर कोष और डॉलर-विनियोग (Dollar Investments) करने अधिक थे कि तब स्टर्लिंग-क्षेत्र अपनी डॉलर की कमी को इस विनियोगित पूँजी के लाभ से पूरा करता रहा। दूसरे, युद्ध देशों की डॉलर की कमी अमेरिका की ओर से दिए गए ऋणों से युद्ध बचों तक पूरी होती रही। अक्समात्, १९३० के बाद अमेरिका की सरकार ने और बर्ह के पूँजापतियों ने श्रृण देना बन्द कर दिया। वह समय एक प्रकार से वाय-देशों के लिए डॉलर के अकाल का था। इस अकाल में अधिकतर देशों ने अपने स्वर्ण कोष अमेरिका की बच

ढाले और अत में संसार के सभी देशों को स्वर्ण-प्रमाण पद्धति का परित्याग करना पड़ा। द्वितीय युद्ध काल में इंग्लैण्ड और दूसरे देशों ने अपनी डॉलर की कमी अपनी डॉलर सम्पत्ति तथा स्वर्ण काय बेचकर पूरी की और जब वह सम्पत्ति समाप्त हो गई तो अमरीका ने डॉलर की कमी पट्टे और उधार सम्बन्धी ऋण देकर पूरी की। सितम्बर १९४६ तक वाय देशों को दा सौ अरब रुपये से भी अधिक के डॉलर इस योजना के अन्तर्गत मिले। युद्ध समाप्त होते ही यह सहायता भी बन्द कर दी गई और संसार में डॉलर की कमी फिर सामने आ गई। युद्ध के पश्चात् अमरीका में अन्य देशों से आयात कम होता गया। मयुक्त राज्य के वाणिज्य विभाग द्वारा प्राप्त किए आँकड़ों से ज्ञात होता है कि मार्च १९४६ में अमेरिका का आयात ६३ करोड़ ४० लाख डॉलर के बराबर था जो अगले माह हा घटकर ५३ करोड़ ४० लाख डॉलर के बराबर हो गया। इसी प्रकार अगले महीना में भी अमेरिका का आयात और कम होता गया। युद्ध के पश्चात् स्टर्लिंग क्षेत्र में डॉलर का अभाव इस प्रकार था —

| वर्ष           | डॉलर की कमी ( ०००,००० ) |       |
|----------------|-------------------------|-------|
| १९४६           | २२६                     | पौण्ड |
| १९४७           | १००४                    | „     |
| १९४८           | ४२३                     | „     |
| ३० जून १९४६ तक | २३६                     | „     |

इस प्रकार साठे तीन वर्षों में कुल डॉलर की कमी १,६१,२०,००,००० पौण्ड के बराबर थी जिसमें से केवल इंग्लैण्ड के लेखे पर १,४६,८०,००,००० पौण्ड की डॉलर की कमी थी। उस समय इंग्लैण्ड ने इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया। ६३० लाख पौण्ड १९४८ तक अमेरिका से उधार खाते पर लेकर पूरे किए गए। कनेडा के उधारखाते पर इंग्लैण्ड ने २६१ लाख पौण्ड के डॉलर लिए। मार्शल योजना के अनुसार ३६५ लाख पौण्ड से इंग्लैण्ड ने डॉलर की कमी पूरी की। इंग्लैण्ड तथा भारत दोनों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से क्रमशः ७,५०,००,००० तथा २,५०,००,००० पौण्ड के बराबर डॉलरों का आहरण किया। दक्षिणी अमरीका ने इंग्लैण्ड को ८,००,००,००० पौण्ड सोने में उधार दिया। २०,६०,००,००० पौण्ड की डॉलर की कमी को इंग

लैण्ड ने अपने सोने तथा डॉलर-कोषों में से पूर्ण किया<sup>१</sup> ।

इंग्लैण्ड के ये स्वर्ण कोष ३० जून १९४६ तक ४०,६०,००,००० पौण्ड के बराबर थे । उस समय इंग्लैण्ड तथा स्टर्लिंग-क्षेत्र के अन्य देशों का डलर-अभाव ६०,००,००,००० पौण्ड प्रतिवर्ष की दर के था । उस समय इस समस्या के कारण संसार दो भागों में बँटा हुआ था—(१) अमेरिका और डॉलर-प्रदेश, जैसे येनेडा, मेक्सिको, ब्राजील, क्यूबा, कोलम्बिया आदि जिनका आयात योरोपीय-देशों से गिरता जा रहा था और जहाँ का आन्तरिक मूल्यस्तर अन्य देशों की अपेक्षा नीचा था । (२) इंग्लैण्ड तथा स्टर्लिंग-प्रदेश के अन्य प्रदेश जैसे भारत, ब्रह्मा, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, मनाया, न्यूजी-लैण्ड आदि जहाँ मूल्य-स्तर अपेक्षाकृत ऊँचा था, जहाँ का आर्थिक क्लेवर द्विज-भिन्न था और जहाँ से अमेरिका तथा डॉलर प्रदेशीय अन्य देशों का माल निर्यात करने की अनिवार्य आवश्यकता थी । तो इस प्रकार डॉलर की समस्या ने संसार को दो ऐसे भागों में बाँट दिया जिनमें से एक भाग दूसरे पर आभित था परन्तु उस आभय को प्राप्त करने के लिए उसके पास डॉलर नहीं थे ।

इस समस्या को मुक्तमाने के लिए १९४६ के अन्त तक अनेक देशों के वित्त मन्त्री अनेक बार लन्दन तथा अन्य स्थानों पर मिले । विचार-विनिमय हुआ और फिर इसके निम्न उपाय सोचे गए—

१. इंग्लैण्ड तथा स्टर्लिंग-क्षेत्र के अन्य देश अमेरिका और डॉलर-प्रदेशों को निर्यात करके बदले में आयात करें । परन्तु, जैसा कि पहिले बताया जा चुका है, स्टर्लिंग-क्षेत्र में मूल्यस्तर ऊँचे थे और अमेरिका के मूल्यस्तर नीचे थे अतः स्टर्लिंग-क्षेत्र से डॉलर-क्षेत्रीय देशों में निर्यात बढ़ाना सम्भव नहीं था ।

२. अमेरिका इंग्लैण्ड तथा स्टर्लिंग-प्रदेशों के अन्य देशों को डॉलर उधार दे अथवा माल और विशेषज्ञ भेजे । ऐसा किया भी गया । अमेरिका ने मार्गल योजना बना कर विपुल डॉलर सशि योरोपीय देशों को दी । इसके

<sup>१</sup> कॉमर्स—जुलाई ३०, १९४६ पृ. स. १६०

अतिरिक्त अमरिका ने इंग्लैण्ड को एक विदेश समझौते के अनुसार ६७५ करोड़ डॉलर उधार दिए। अमरिका ने स्टर्लिङ्ग प्रदेशीय देशों में पूर्ण विनियोग भी का। भेंट भी दी गई तथा अग्रण भा दिए गए। परन्तु ये उपाय दीर्घकालीन और स्थायी नहीं हो सके थे।

३ तीसरा मुझाय रक्खा गया कि इंग्लैण्ड और स्टर्लिङ्ग प्रदेशीय देश, जहाँ मूल्यस्तर ऊँच है, अग्रण उत्पादन कम करके मूल्यस्तर नीचे करें जिससे इन देशों का माल अमरिका तथा डॉलर प्रदेशीय देशों में प्रतियोगिता के साथ बेचा जा सके।

४ अन्तिम मुझाय यह रक्खा गया कि स्टर्लिङ्ग का अग्रमूल्यन कर दिया जाय अर्थात् स्टर्लिङ्ग का डॉलर मूल्य कम कर दिया जाय जिससे अग्रमूल्यन करने वाले देशों का डॉलर प्रदेशीय देशों में निर्यात बटे और इस प्रकार वे डॉलर कमा कर डॉलर का कमा को दूर कर सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा काप के अधिकारियों ने तथा अग्रमूल्यन राष्ट्र अमरीका के वित्त-मंत्री श्री जॉन साइडर ने इस बात पर जार दिया कि स्टर्लिङ्ग का अग्रमूल्यन कर दिया जाय। भा साइडर ने बतलाया "कि यदि योरोप देश अमरीका तथा पश्चिमी गोलार्द्ध के अन्य देशों के साथ अग्रण मुगठान स्तम्भ करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी अपनी मुद्राओं की विनिमय दरों में आवश्यक समायोजन कर लेना चाहिए"। उनका मत था कि यूरोप की मुद्राओं के भविष्य अनिश्चित होने के कारण अमरिका की पूर्ण उन देशों में नहीं जा रही थी। अतः उन देशों की विनिमय-दरों में समायोजन करने से समस्या हल हो सकती थी। श्री साइडर या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा काप के अधिकारियों में से किसी ने भी किसी विशेष मुद्रा के अग्रमूल्यन की ओर स्वेत नहीं किया या परन्तु उनका अर्थ विशेषतः स्टर्लिङ्ग से था। और वही हुआ। इंग्लैण्ड, अमरीका और कनेडा के वित्त मंत्रियों की वाशिगटन में एक कांफ्रेंस हुई। इंग्लैण्ड के वित्त मंत्री सर स्टेफर्ड फ्रिप्स ने इस कांफ्रेंस से लौटते लौटते अग्रमूल्यन की योजना स्वीकार कर ली और सितम्बर १९४६ में स्टर्लिङ्ग का डॉलर मूल्य ३०.५% कम कर दिया गया। स्टर्लिङ्ग के साथ साथ अन्य अग्रण देशों व भारत ने भा अपनी अपनी मुद्राओं की विनिमय-दरों में आवश्यक

फेर-बदल कर ली। [ अन्वमूल्यन का वर्गन आगे किया गया है ]। अन्वमूल्यन करने के बाद इंग्लैण्ड तथा भारत सहित अन्य स्टर्लिङ्ग क्षेत्रीय देशों के निर्यात बन्धे और अगले ही वर्ष इन्होंने डॉलर और मोना कमा-कमा कर अपने केन्द्रीय कोष भर पूर कर लिए। उधर कोरिया की लड़ाई छिड़ गई जिससे अनेक देश कच्चे माल की माँग करने लगे और अमरीका कच्चा माल समूह काके जुटाने में लग गया। अन्य देश भी अपनी पुनः शस्त्रीकरण योजनाओं में जुट गए। इसमें स्टर्लिङ्ग-क्षेत्र के निर्याता की और भी अधिक बढ़ावा मिला। डॉलर की समस्या कुछ हल होती ही जान पड़ी। परन्तु १९५० के पश्चात् ये स्थिति में फिर परिवर्तन हुआ और डॉलर का कमी फिर अनुभव होने लगा। १९५१ के अन्त तक तो समस्या फिर वर्गीकृत होती गई। स्टर्लिङ्ग-क्षेत्र के केन्द्रीय कोष में से डॉलर और माना घटना गया। इस समय भारत तथा अन्य देशों के साथ डॉलर की समस्या इतनी बटिन नहीं थी जितनी इंग्लैण्ड के साथ थी। परन्तु तो भी स्टर्लिङ्ग-क्षेत्र व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी सदस्य-देशों को एक बड़ा भारी खतरा सामने था। समस्या पर सोच-विचार करने के लिए जनवरी १९५२ में कॉमनवेल्थ वित्त-मंत्रियों का एक सम्मेलन इंग्लैण्ड में बुलाया गया। इस सम्मेलन में डॉलर की समस्या पर सब ओर से विचार करके निर्णय लिया कि स्टर्लिङ्ग-क्षेत्र के वे देश, जिनमें डॉलर की समस्या बहुत जटिल बन चुकी है, डॉलर प्रदेशीय देशों में अपने अपने आयात कम करें, अपने परेल्-पच्चे कम करें तथा अपने आन्तरिक-मूल्यस्तरों को नीचा गिराने के प्रयत्न करें। इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सब सदस्य-देश सहमत हो गए। इंग्लैण्ड की सरकार ने तो अपने नए बजट में आयात कम करने की विशेष व्यवस्था की है तथा अपने आन्तरिक मूल्यों भी कम किए हैं। यदि यह योजना कार्यान्वित हो सके तो डॉलर की समस्या गुलाम सरेगी। इस समय डॉलर का कुरट इंग्लैण्ड के सामने सबसे भारी है। इसलिए इंग्लैण्ड को इसे दूर करने के लिए अपनी मुगल-सिपमना को दूर करना चाहिए।

## ३२—रुपये का अवमूल्यन

१८ सितम्बर १९४६ को इंग्लैण्ड के वित्त मंत्री सर स्टेपर्ड निप्सने स्टर्लिंग के डॉलर मूल्य में ३० ५ प्रतिशत की कमी करने की घोषणा की। इस घोषणा के अनुसार इंग्लैण्ड का स्टर्लिंग, जो पहिले ४०३ डॉलर के बराबर था, अब २८० डॉलर के बराबर रह गया। इंग्लैण्ड की सरकार को स्टर्लिंग का यह अवमूल्यन अपनी परिस्थिति से बाध्य होकर करना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण था 'डॉलर की कमी'। इंग्लैण्ड जितना माल डॉनर-प्रदेश को निर्यात करता था उससे कहीं अधिक माल आयात करता था जिससे उसे भुगतान करने में डॉलरों की आवश्यकता होती थी। धीरे-धीरे उसका डॉलर कोष कम होता गया। सन् १९३८ में इंग्लैण्ड के आयात उसके निर्यात की अपेक्षा बहुत अधिक थे। इस कमी का भुगतान इंग्लैण्ड ने अपनी विदेशों में लगी हुई पूँजी के लाभ और जहाजों, बैंकों तथा इन्शारेन्स कम्पनियों से होने वाली विदेशी आय से की। युद्धकाल में उसे अपनी बहुत सी विदेशी सम्पत्ति बेच देनी पड़ी। इस प्रकार विदेशों से सम्पत्ति स होने वाली आय कम हो गई और अब आयात निर्यात के अन्तर का भुगतान पहिले की तरह नहीं चुकाया जा सकता था। सितम्बर १९३६ से जून १९४५ के अन्त तक इंग्लैण्ड ने लगभग ४१ अरब डॉलर की अपनी विदेशी सम्पत्ति बेची और उसके विदेशों से लिए हुए ऋण में ११.६ अरब डॉलर की वृद्धि हुई। इस काल में इंग्लैण्ड के स्वर्ण और डॉलर कोष में लगभग ६१ करोड़ डॉलर की कमी हुई। सब मिलाकर युद्ध काल में इंग्लैण्ड का लगभग १७ अरब डॉलर या तो विदेशों से ऋण लेने पड़े या अपनी उन देशों में लगी हुई सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ा। कुछ समय तक इंग्लैण्ड योरोपीय पुनरुत्थान योजना के अन्तर्गत दी हुई अमरीका का सहायता से अपने आयात निर्यात के अन्तर का भुगतान करता रहा परन्तु यह सहायता स्थायी नहीं थी। विदेशों के भुगतान में मतुलन प्राप्त करने के लिए उसे या तो अपने आयात कम करने थे या अपने माल का निर्यात बढ़ाना



चाहिए था। आयात का अधिकांश भाग खाने-पीने की वस्तुओं और कच्चे माल का था जिनमें कमी करने से अकाल और बेकारी फैलने की आशंका हो सकती थी। फिर भी इंग्लैण्ड की सरकार ने अमरीका व अन्य दुर्लभ मुद्रा वाले देशों से १९४८ के आयात की अपेक्षा अगले वर्षों में २५ प्रतिशत कमी करने का निर्णय किया। परन्तु इसमें भी डॉलर की समस्या हल नहीं हो सकती थी। सन् १९४८ में इंग्लैण्ड के आयात उसके निर्यात से ५५० करोड़ रुपये या ४० करोड़ पाउण्ड से भी अधिक के थे। मुद्र के बाद इंग्लैण्ड ने निरन्तर अपने निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न किया। परन्तु जैसे-जैसे इंग्लैण्ड का उत्पादन बढ़ता गया विदेशों में उसके माल की माँग कम होनी गई। इसका कारण यह था कि वहाँ का माल विदेशों में अधिक महँगा पड़ता था। डॉलर क्षेत्र में तो यह बात और भी अधिक लागू होती थी। अतः मूल्य कम करने के दो उपाय हो सकते थे। या तो लागत-ध्वंस और मजदूरी घटा दी जाती जिससे माल के भाव नीचे हो जाते और या डॉलर-क्षेत्र में इंग्लैण्ड के माल को स्पर्धा करने के लिए स्टर्लिंग की डॉलर दर में कमी कर दी जाती। पहला उपाय स्थायी रूप से अधिक उपयुक्त था पर इसका कार्यान्वित करना बड़ा ही कठिन था। मजदूर अपनी मजदूरी कम करने के लिए तैयार न थे तथा लागत ध्वंस में किसी भी प्रकार कमी करना सम्भव नहीं था। दूसरा उपाय ही उपयुक्त समझा गया। इंग्लैण्ड, अमरीका और वेनेज़ा की एक कांग्रेस वाशिंगटन में बुलाई गई। इंग्लैण्ड ने यह मान लिया कि स्टर्लिंग का डॉलर-मूल्य कम कर दिया जाय जिससे दोनों मुद्राएँ अपने स्वर-मूल्य पर आ जायें। साथ ही साथ अमरीका ने भी अपने आयात-करों में कमी करने का निर्णय किया जिससे विदेशों का माल अमरीका में सस्ते मूल्यों पर आकर बिकने लगे। इस निर्णय के अनुसार इंग्लैण्ड ने स्टर्लिंग का डॉलर मूल्य ३०.५% कम कर दिया। एक पाउण्ड जो पहिले ४ डॉलर ६ सेण्ट के बराबर था अब केवल २ डॉलर ८० सेण्ट के बराबर ही रह गया। स्टर्लिंग का अर्थमूल्यन इंग्लैण्ड के अपने स्वार्थ में था पर इसका सम्बन्ध गसर को डॉलर-समस्या से भी उतना ही निकट है जिसके बिना मुप-भाये सत्तर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विभाजित होता जा रहा था।

स्टर्लिंग का अर्थमूल्यन होते ही भारत सरकार ने भी ठपये के डॉलर-मूल्य

में ३० ५% की कमी कर दी। पहिले एक रुपया लगभग ३० सेण्ट के बराबर था परन्तु अवमूल्यन के बाद लगभग २१ सेण्ट के बराबर रह गया। एक डॉलर का मूल्य ३ रुपये ५ आने से घटकर लगभग ४ रुपये १२ आने हो गया। प्रत्यक्ष रूप से इस परिवर्तन के यह अर्थ हैं कि हमारे देश में डॉलर क्षेत्र से आने वाली यदि कोई वस्तु पहिले ३३२ रुपये में मिलती थी तो अब उसका मूल्य ४७६ रुपये हो गया और इसी अनुपात में हमारी वस्तुएँ अमरीका में सस्ती हो गईं। इस प्रकार हमारे आयात में हानि हो गई तथा हमारे निर्यात बढ़ने लगे। जनता के कुछ वर्गों ने सरकार की अवमूल्यन नीति का विरोध किया और कहा कि रुपये की दर गिराने से हमारे निर्यात अवश्य बढ़ेंगे परन्तु डॉलर क्षेत्र से हानि वाले आयात में हानि हो जायगी। इससे देश को हानि रहेगी। अवमूल्यन के आलोचकों ने यह भी बताया कि देश को पूर्वागत माल की कठिन आवश्यकता है और यह माल अमरीका से मिल सकता है। अतः इस माल पर रुपये का अवमूल्यन करने से अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा। इसके अनिश्चित यह भी अनुमान लगाया कि इंग्लैण्ड में जमा हमारी स्टर्लिंग राशि को डॉलरों में बदलवाने में भी हमें हानि रहेगी। परन्तु उस समय परिस्थिति अचिन्तनी थी। भारत सरकार के सामने उस समय तीन उपाय थे—

(१) रुपये का अवमूल्यन नहीं किया जाता और स्टर्लिंग का अवमूल्यन होने पर भी रुपये का टालर मूल्य उतना ही रखा जाता जितना पहिले था। ऐसा करने से देश के सामने एक कठिन परिस्थिति आ जाती। भारत का निर्यात इंग्लैण्ड तथा स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों में बढ़ता ही जाता और तब बिल्कुल बन्द हो जाता। भारत का ६० प्रतिशत निर्यात स्टर्लिंग क्षेत्र में होता है। यदि रुपये का अवमूल्यन न किया जाता तो ये निर्यात बन्द हो जाते। अमरीका में तो हमारे माल की खपत पहिले ही कम थी स्टर्लिंग क्षेत्र में भी उन्चे माल की खपत कम हो जाती। सन् १९४८-४९ में अमरीका ने केवल ७० करोड़ रुपये का माल हमसे खरीदा जब कि इससे पहिले वर्ष में ८० करोड़ रुपये की वस्तुएँ खरीदी थी। रुपये का अवमूल्यन न करने का परिणाम यह होता कि हमारे निर्यात और भी कम हो जाते या हमें विदेशों में अपने देश की वस्तुएँ लागत से कम मूल्य पर नुकसान के साथ बेचनी पड़ती। इससे हमारे व्यापार

को बड़ा धक्का लगता ।

(२) दूसरा उपाय यह हो सकता था कि सरकार रुपये का स्टर्लिंग-मूल्य कम करके रुपये की विनिमय-दर २ शि० ४ पैसे बना देती । इसका यह परिणाम होता कि देश में वस्तुओं के भाव और भी अधिक बढ़ जाते । स्टर्लिंग क्षेत्र से आने वाले माल के भाव भी बढ़ जाते और मूल्य-स्तर आगे बढ़ जाता । इसमें जनता को बड़ी कठिनाई होती ।

(३) तीसरा उपाय यही था कि रुपये की स्टर्लिंग-दर उतनी ही रखी जाती और स्टर्लिंग के साथ-साथ रुपये का भी अयमूल्यन कर दिया जाना । सरकार ने ऐसा ही किया । रुपये का डालर-मूल्य ३०.५ प्रति शत कम कर दिया गया । संसार के कुछ अन्य देशों ने भी अपनी-अपनी मुद्रा का अयमूल्यन किया । वेनेडा ने भी अपने डॉलर का मूल्य अमरीका के डॉलर में १० प्रतिशत कम कर दिया ।

भारत सरकार को रुपये के अयमूल्यन की चाह न थी और न इंग्लैण्ड या अमरीका ने ही सरकार को इसके लिए बाध्य किया था । यह तो भारत की अपनी ही आवश्यकता थी । परिस्थितियों से विवश होकर सरकार को ऐसा करना पड़ा । युद्ध से पहले भारत अमरीका से इतना माल आयात नहीं करता था जितना यह उसको निर्यात करता था । युद्ध-काल में भी भारत ने अमरीका से व्यापार में इतना माल नहीं मंगाया था जितना माल यहाँ भेजा गया था । स्टर्लिंग क्षेत्र के डॉलर क्षेत्र में हमने लगभग इन छ. सात वर्षों में ६२ करोड़ रुपये के डॉलर जमा किये थे । परन्तु युद्ध के बाद हम अमरीका में बहुत अधिक मूल्य की वस्तुएँ मँगाने लगे और हमारा निर्यात कम हो गया । १९४६ में इस प्रकार हमें ५ करोड़ रुपये के डॉलरों की कमी पड़ी और सन् १९४७ में यह कमी ८६ करोड़ रुपये की थी । जून १९४६ को समाप्त होने वाले वर्ष में हमें ६३ करोड़ रुपये के डॉलर का कमी थी । इस कमी को पूरा करने के लिए हम ने कुछ नो अपनी स्टर्लिंग पूँजी को डॉलरों में परिवर्तित किया और जब इस प्रकार भी आवश्यक मात्रा में डॉलर प्राप्त न हो सके तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षेत्र से डॉलर खरीद कर कमी पूरी की गई । अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से भी ३४ करोड़ डॉलर, १ करोड़ इतिर तथा १ करोड़ ८५ लाख डॉलर के तीन ऋण लिए । इस प्रकार

डॉलर की कमी पूर्ण होती रही। परन्तु इससे डॉलर की समस्या हल नहीं हो सकती थी। डॉलर की समस्या हल करने के लिये तो डॉलर कमाने की आवश्यकता थी। डॉलर तभी कमाये जा सकते थे जब कि डॉलर क्षेत्र में माज का निर्यात किया जाता। माज का निर्यात तभी हो सकता था जब कि उससे भाव कम किए जाते। भाव कम करने के लिये लागत व्यय कम करने की आवश्यकता थी। परन्तु लागत-व्यय कम करना बहुत कठिन था। इसलिए डॉलर-क्षेत्र के देशों के लिए माल का भाव कम करने का रुपये का डॉलर मूल्य कम करना पड़ा जिससे हमारा माल डॉलर क्षेत्र में भी बिक सके और स्टर्लिंग क्षेत्र में भी खप सके। सरकार ने योजना बनाई कि रुपये के अवमूल्यन से अधिक से अधिक लाभ उठाया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने अवमूल्यन करने के पश्चात् एक आठ-सूत्री योजना बनाई। इसमें निम्न सुझाव दिए गए—

१. देश की वैदेशिक व्यापार नीति ऐसे हो जिसमें विदेशी मुद्राओं की कम से कम आवश्यकता पड़े।

२. अमरीका तथा डॉलर क्षेत्रीय अन्य देशों से कम से कम माल आयात किया जाय।

३. देश में साख-नियंत्रण करके वस्तुओं के भावों को नीचा रखने का प्रयत्न किया जाय। आवश्यकतानुसार इसके लिए सरकारी कानून भी बनाए जायें।

४. जो माल दुर्लभ-मुद्रा-क्षेत्रों में निर्यात किया जाय उस पर निर्यात कर लगाकर आय बढ़ाई जाय।

५. उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किए जाय; लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय तथा देहातों में बैंकिंग सुविधाएँ देकर लोगों को बचत करना सिखाया जाय।

६. जिन लोगों ने युद्धकाल में बड़े-बड़े लाभ कमाए थे परन्तु सरकारी टैक्स की चोरी की थी उनसे पैसला करके रुपया निकलवाया जाय जिससे उस रुपये को काम में लाकर उत्पादन बढ़ाया जाय।

७. सरकारी खर्चें कम कर दिए जाएँ— १९४६ ५० में कम से कम ४०

करोड़ रुपये की बचत करने का सुझाव दिया गया और १९५०-५१ में कम से कम ८० करोड़ की बचत की सिकारिश की गई। यह भी सुझाव दिया गया कि यदि आवश्यकता समझी जाय तो विकास की योजनाओं पर अधिक राज व्यय करके उन्हें शीघ्र पूरा किया जाय जिससे देश का उत्पादन बढ़ाने में योग मिले।

८. देश में गन्तुओं के भाव नीचे लाए जायें। अन्न, पत्रामाल तथा अन्य आवश्यक गन्तुओं के भाव कम से कम १० प्रतिशत कम कर दिए जायें।

इस प्रकार सरकार ने अयमूल्यन से लाभ उठाने के लिए सब प्रकार की रोक-थाम की। परन्तु अयमूल्यन से हमारे डॉलर-आयात में हमें अक्षय हो गए और बदले में हमें अधिक रुपया चुकाना पड़ा। हमारी स्टर्लिंग-वर्जी का भी दलियों में बदलवाने में हमें हानि रही। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के लिए ऋणों को चुकाने में भी हमें अधिक राशि चुकानी पड़ेगी और आयात में हमें होने के कारण हो सकता है कि हमारे मूल्य-स्तरों पर भी उसका प्रभाव पड़े। परन्तु अयमूल्यन न करने से हमारी समस्याएँ और भी जटिल बन जातीं। हमारे निर्यात वस्तुएँ टप हो जायें। हमारा माल न अमरीका को जाता, न डॉलर-क्षेत्र में बिकता और न स्टर्लिंग-क्षेत्र में उपलब्ध। इस प्रकार माल आयात करने के लिए न हमारे पास धना होना और न डॉलर होने। हमारा वैदेशिक व्यापार एक प्रकार से समाप्त सा ही हो जाता, हमारे उद्योग बन्द हो जाते, बेकारी फैल जाती और व्यवसाय टप हो जाते। इन कारणों से रुपये का अयमूल्यन करना अपने हित में माना गया।

भारत सरकार ने अपने रुपये का अयमूल्यन किया परन्तु पड़ोसी पाकिस्तान ने अपने रुपये का अयमूल्यन नहीं किया। पाकिस्तान के इस निश्चय के अनुसार वहाँ के रुपये की विनिमय-दर २२.६ पैसे प्रति रुपया हो गई। एक पीढ़ी के पहिले १३.८० पैसे आ. ४ पाई के बराबर था अब घटकर ६.२६ पाकिस्तानी रुपये के बराबर हो गया। भारत के रुपये और पाक-रुपये में भी समता आ गई। भारत के १०० रुपये पाकिस्तान के ६६.५० रुपयों के बराबर हो गए या पाकिस्तान के १०० रुपये भारत के १४४ रुपयों के बराबर हो गए। पाकिस्तान को समझाया गया कि यह भी अपने रुपये का अयमूल्यन कर दे परन्तु पाकिस्तान ने अपने हित में यही उचित समझा कि पाक-रुपये का अयमूल्यन

न क्रिया जाय । भारत सरकार ने पाकिस्तानी रुपये की नई विनिमय दर ( १०० पाक रुपये = १४४ भारत के रुपये ) का न माना । इसका परिणाम यह हुआ कि भारत और पाकिस्तान का आपस का व्यापार बिलकुल बन्द सा हो गया । पाकिस्तान से भारत आने वाला माल जैसे रुई, जूट, चमड़ा, चावल आना बन्द हो गया तथा भारत से पाकिस्तान जाने वाला माल भी जैसे चीनी, कोयला, कपड़ा आदि जाना बन्द हो गया । पाकिस्तान की ६० लाख जूट (पटसन) की गाँठों में से ५० लाख गाँठ भारत का मिला से नाम आता थी । इन सबका आना बन्द हो गया निम्न चलकने की जूट मिला का उत्पादन भी बहुत कम हो गया । भारत से पाकिस्तान का कापला जाना भी बन्द हो गया । विनिमय दर की विषमता के कारण आपस का व्यापार बन्द हो जाने से दाना ही पड़ोसियों का मुनाबत उठानी पड़ी । भारत का जूट उद्योग तो एक प्रकार से टप ही हो गया था । पाकिस्तान से गहूँ व चावल न आने के कारण अन्न समस्या भी विकट होती गई । प्रयत्न किए गए कि किसी भी प्रकार दाना देश सम्भौता करके आपस की विनिमय दर की समस्या को मुलभारों परन्तु यह सम्भौता न हो सफा । अन्त में इस मामले का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ल जाया गया । अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा कोष के अधिकारियों ने इस प्रश्न पर विचार न किया । मुद्रा कोष के वार्षिक सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार होना था परन्तु किसी भी प्रकार इस प्रश्न का तब टाल दिया गया । आश्चर्य की बात है कि वार्षिक सम्मेलन के प्रथम भारत के सर निन्तामणि द्वारकादास दशमुख ये परन्तु फिर भी इस प्रश्न को सम्मेलन के कार्य क्रम में सम्मिलित न किया जा सफा और आनाफानी करके बात टाल दी गई । सितम्बर १९४६ से लेकर फरवरी सन् १९५१ तक इसी प्रकार बात टलती रही । भारत सरकार ने अब इस स्थिति का बदलाना ठीक न समझा । भारत का अन्न, जूट व रुई का रुटिन आवश्यकता थी । अन्त २६ फरवरी १९५१ को भारत सरकार ने कराचा से पाकिस्तान से एक व्यापार सम्भौता किया जिससे अन्तर्गत भारत ने चायला, लाहा, सीमेंट आदि भेजना तय किया तथा पाकिस्तान ने भारत को चावल, गेहूँ, पटसन, रुई तथा चमड़ा आदि भेजना स्वीकार कर लिया । भारत सरकार का पाकिस्तान की विनिमय-दर ( १०० पाक रुपये = १४४ भारतीय रुपये ) माननी पड़ा । सम्भौता ३०

जून १९५२ तक के लिए किया गया। २६ फरवरी १९५१ को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने एक विज्ञापन निकाल कर पाकिस्तानी रुपये की विनिमय दर को मान लिया।

२६ फरवरी १९५१ से रिजर्व बैंक ने अपने सम्बन्ध, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा कानपुर के कार्यालयों पर भारतीय रुपये के बदले में पाकिस्तानी रुपये का खरीदना-बेचना आरम्भ कर दिया। अब रिजर्व बैंक अधिकृत लोगों (Authorized Persons) को १०० भारतीय रुपये के बदले पाकिस्तान के ६६ रु० ६ आ० ६ पाई बेचने लगा तथा उन लोगों से १०० भारतीय रुपये के बदले में पाकिस्तान के ६६ रु० ८ आ० ३ पाई खरीदने लगा। इसी प्रकार २७ फरवरी १९५१ से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने कराची, लाहौर, टाबा और मिटमवि के कार्यालयों पर १०० पाकिस्तानी रुपये के बदले में भारत के १४४ रु० ६ पाई खरीदने लगा तथा १४३ रु० १३ आ० ३ पाई बेचने लगा। दोनों पक्षीसिद्धा ने एक दूसरे की विनिमय-दर मान ली और आपस का व्यापारिक लेन-देन फिर आरम्भ हो गया। भारत को क्रिसमस १९४६ से फरवरी १९५१ तक पाकिस्तान से व्यापार बन्द होने के कारण बहुत हानि उठानी पड़ी। अन्न आना बन्द हो गया, रुई न मिलने के कारण कपड़े की कट्टी मिलने बन्द करनी पड़ी तथा पटसन न मिलने के कारण पटसन का पया माल न बनाया जा सका जिससे उसे निर्यात करके डॉलर उमाए जाने। भारत सरकार को आखिर अन्वमूल्यन की तिथि से ठीक १७ महीने के पश्चात् पाकिस्तानी रुपये की दर को मानना ही पड़ा। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान की दर को स्वीकार किया अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने भी तुरन्त ही पाकिस्तान के रुपये की दर का मान लिया और मान्यता दे दी। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि १७ महीने तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने पाकिस्तान रुपये की विनिमय दर के विषय में कोई निर्णय नहीं किया यहाँ तक कि कोष के वार्षिक सम्मेलन में भारत के बार-बार कहने पर भी इस विषय को सम्मेलन के कार्य-क्रम में सम्मिलित तक नहीं किया। परन्तु जैसे ही भारत ने पाक रुपये की दर मानी, कोष ने भी उसका अनन्य करके उसी दर को मान्यता दे दी।

कुछ भी हो, भारत सरकार ने अपने देश के व्यापारिक लोगों को सामने रखकर ही रुपये का अन्वमूल्यन किया था—उस पर न किसी का दबाव था और

न किसी की जबगदस्ती थी। अपने ही हितों की रक्षा में हमने पाकिस्तान की दूर स्वीकार की। परन्तु अब हम पाकिस्तान की रुई, अन्न या पटसन पर ही निर्भर नहीं रहे। अवमूल्यन के पश्चात् तो हमने काफी प्रगति की है जिसका वर्णन अगले निबन्ध में किया गया है।

---



## ३३—अवमूल्यन की प्रतिक्रियाएँ

अवमूल्यन के द्वारा, निम्नन्देह अमरीका, इंग्लैण्ड और भारत को भी अभोष्ट फल मिला। अमरीका के व्यापार एवं उद्योगों की गति मिली जिससे योरप और एशिया के अन्य देशों को भी अमरीका में कच्चा माल निर्यात करने का अवसर मिला। अवमूल्यन के परिणाम ६ महीनों में ही इंग्लैण्ड के स्वर्ण एवं डॉलर-कोष में लगभग ४५ प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई। १९४६ के अन्त में इंग्लैण्ड का यह कोष १,६८,८०,००,००० डॉलर के समान था जो १९५० के मध्य तक २,४२,२०,००,००० डॉलर हो गया तथा १९५० के अन्त में ३० करोड़ डॉलर से भी अधिक हो गया। इस प्रकार एक तरह से स्टर्लिंग का अवमूल्यन मकल रहा। इंग्लैण्ड की डॉलर की भूख खाना होने लगी तथा भुगतान-संतुलन का असामंजस्य भी मिट गया। रुपये का अवमूल्यन करने से भारत की आशा भी पूर्ण हुई। भारत के निर्यात बढ़ने लगे। अवमूल्यन से पहिले १९४६ में भारत ने डॉलर-प्रदेश को ५६२ करोड़ रुपये का माल भेजा था जबकि वहाँ में १३८६ करोड़ रुपये का माल मँगाया था। परन्तु अवमूल्यन के परिणाम निर्यात बढ़े और आयात कम हो गए जिनसे मार्च १९५१ तक कुल २५ करोड़ रुपये के मूल्य के डॉलर भारत ने कमाए। यह ठीक है कि अवमूल्यन के कारण भारत के आयात में ह्रास हो गए और यह भी ठीक है कि पाकिस्तान की हठधर्मियों के कारण हमें काफी अनुविधाएँ रही परन्तु तो भी हमारे निर्यात व्यापार में काफी बढ़ोत्तरी हुई।

एनी कपड़ा, मसाले, तमाकू, माइका (Mica), मैंगनीज, ऊन तथा चमड़े का निर्यात बहुत बढ़ा। अवमूल्यन से पहिले अक्टूबर १९४८ से अगस्त १९४९ तक लगभग ४ करोड़ रुपये का सूती कपड़ा निर्यात किया गया था परन्तु अवमूल्यन के बाद अगस्त १९५० तक लगभग १८ करोड़ रुपये का कपड़ा निर्यात किया गया। जितने मसाले अगस्त १९४९ की समाप्त होने वाले वर्ष में निर्यात किए गए थे उसके ठीक दुगुना राशि के मसाले अवमूल्यन के बाद अगस्त

१९५० तक निर्यात किए गए। यही बात माइका (Mica) के साथ रही। अगस्त १९४९ को समान होने वाले वर्ष में लगभग ४½ करोड़ रुपये का माइका निर्यात किया गया था परन्तु अवमूल्यन के बाद अगस्त १९५० तक लगभग ६ करोड़ रुपये का माइका (मुड़मुड़) निर्यात किया गया। मैंगनीज, जून तथा चमड़े का निर्यात भी अवमूल्यन के पश्चात् बहुत हुआ। १९५० में तो भारत के वैदेशिक व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी रही। निम्न तालिका से यह बात स्पष्ट होती है —

[ करोड़ रुपये में ]

|         | १९४९     | १९५०    |       |
|---------|----------|---------|-------|
| निर्यात | ४४१'३१   | ५४१'४४  | + १०० |
| आयात    | ६२८'८०   | ४६४'४४  | - १६४ |
| शेष     | - १८७'४९ | + ४६'९९ |       |

१९४९ में भारत के वैदेशिक व्यापार में १८७'५१ करोड़ रुपये की कमी थी अर्थात् जितना माल निर्यात किया गया था उससे १८७'५१ करोड़ रुपये का माल अधिक आयात किया गया। यह कमी १९५० में दूर हो गई। १९४९ के निर्यात की अपेक्षा १९५० में १०० करोड़ रुपये के निर्यात अधिक हुए। १९५० में भारत का व्यापार-अंतुलन (Balance of Trade) लगभग ४७ करोड़ रुपये में भारत के पक्ष में रहा। इसके अर्थ यह है कि अवमूल्यन के बाद १९५० में १८७ करोड़ की व्यापार की कमी पूरी हो गई और ४७ करोड़ रुपये का आधिक्य (Surplus) और जमा लिया गया। इस आधिक्य के जमाने में एक बात अत्यंत हुई और वह यह कि १९५० में १९४९ की अपेक्षा १६४ करोड़ रुपये के आयात कम हो गए। यह तो होना ही था क्योंकि अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यात बढ़ाना और आयात कम करना था। इस बात में अवमूल्यन सफल रहा। इतना ही नहीं, भारत का निर्यात सुनभ और दुर्नभ दोनों

ही मुद्रा क्षेत्रों में बढ़ा—

[ करोड़ रुपये में ]

|         | दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र |         | मुलभ मुद्रा क्षेत्र |         |
|---------|-----------------------|---------|---------------------|---------|
|         | १९४६                  | १९६०    | १९४६                | १९६०    |
| निर्यात | १२० ६५                | १८० ०६  | ३१८ १७              | ३६० ०६  |
| आयात    | १७६ ००                | २३४ १०  | ४४६ ७८              | ३६८ ६६  |
| शेष     | -६५ ३५                | + ५३ ९६ | -१२८ ६१             | + ९१ ४० |

ऊपर दिए गए आँकड़ों से ज्ञान होता है कि अवमूल्यन के पश्चात् १९५० में भारत के निर्यात मुलभ मुद्रा-क्षेत्र वाले देशों में बहुत बढ़े। १९४६ में इन देशों के साथ भारत के वैदेशिक व्यापार में लगभग १२८ करोड़ रुपये की कमी थी। अवमूल्यन के बाद १९५० में यह कमी पूरी हो गई और लगभग ३६ करोड़ रुपये का आधिपत्य रहा। इसी प्रकार दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र वाले देशों में भी भारत का निर्यात १९४६ की अपेक्षा १९५० में लगभग ६० करोड़ रुपये से अधिक बढ़ा और कुल मिला कर इन देशों के साथ भारत के व्यापार में लगभग १७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। १९५० में अमरीका की अपेक्षा इंग्लैण्ड में अधिक माल निर्यात किया—

[ करोड़ रुपये में ]

|         | अमरीका |         | इंग्लैण्ड |        |
|---------|--------|---------|-----------|--------|
|         | १९४६   | १९५०    | १९४६      | १९६०   |
| निर्यात | ७१ २८  | १०१ ४२  | ११६ २४    | १२२ ०१ |
| आयात    | १०२ ८१ | ६६ ३०   | १७३ ७५    | ११७ २५ |
| शेष     | -३१ ५३ | + ३५ १२ | -५७ ५१    | + ४ ७६ |

इन आँकड़ों से ज्ञात होता है कि भारत का निर्यात अमरीका की अपेक्षा इंग्लैण्ड में अधिक हुआ। परन्तु अमरीका में भी भारत का निर्यात १९४६ की अपेक्षा १९५० में लगभग ३० करोड़ रुपये अधिक हुआ। १९५० में गन्तव्यों की रफा पड़ी हा गई और २ करोड़ रुपये का बचत रही।

इस प्रकार अवमूल्यन के पश्चात् भारत का निर्यात व्यापार में वृद्धि हुई। पौण्ड भी मूल और डॉलर का समस्या तब उतना भाषण न रहा जितनी मितम्बर १९४६ से पहिल थी। परन्तु एक बात ऐसी हुई जिसके लिए भारत सरकार को और भारतीय जनता का विचार करना आवश्यक है। बात यह हुई कि हमारे आयात में कम हो गए और कम भी हुए। अन्न का समस्या को हल करने के लिए अमरीका तथा इन्डिय प्रदेश के अन्य देशों से और पाकिस्तान से आयात किया हुआ अन्न हम महंगा पड़ने लगा। दूसरे, हमारे औद्योगिक विकास के लिए तथा विकास योजनाओं के लिए पूँजीगत माल के आयात में भी हमें नुकसान रहने लगा। अवमूल्यन के कारण ही भारत और पाकिस्तान के रूपों में विषमता पैदा हो गई जिसने भारत और पाकिस्तान का आयात में लेन-देन बन्द हो गया। भारत और पाकिस्तान का स्वतन्त्र व्यापार बन्द होने से भारत को हानि उठानी पड़ी। पाकिस्तान में आने वाला अन्न, कपास, पटसन तथा दूसरा माल आना बन्द हो गया। अन्न का आयात बन्द होने से देश में अन्न की समस्या विन्ड होती गई। कपास तथा पटसन न आने से कपडे और चूट की मिनोँ का भारो नुकसान रहा। कहीं कहीं तो कपडे और चूट की मिनोँ बन्द करनी पड़ी।

यद्यपि अवमूल्यन के पश्चात् हमारे निर्यात बडे और इस प्रकार हमारे भुगतान संतुलन ( Balance of Payments ) की विषमता दूर हो गई परन्तु देश के मूल्य स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ। निम्नन्देह, अवमूल्यन करते ही सरकार ने अन्न, गूत, कपडे तथा दस्त्रान के मूल्य गिराने की भरसक काशिश क और इसमें कुछ सफलता भी मिनोँ। सामान्य मूल्यांक में ३% की कमी हा गई और मूल्यांक ३६२.०० हो गए। परन्तु मूल्य-स्तर फिर बढ़ने लगे और जून १९५० तक मूल्यांक ३६५.६ हो गए। तब से बराबर मूल्य-स्तर बढ़ने ही रहे। नदियों में बाढ आ जाने के कारण कहीं कहीं न होने के

कारण तथा भूचाल के कारण अन्न की समस्या और रिकट हो गई जिसमें अन्न के मूल्य बहुत ऊँचे चढ़ गए। जहाँ तक कपास और जूट (पटसन) का प्रश्न है वे दोनों वस्तुएँ पाक-रूपों के अवमूल्यन न होने के कारण दुर्लभ हो गईं। आयात बढ़ते हो गए और पहिले की अपेक्षा कम भी हुए। आयात कम होने के कारण वस्तुओं की कमी हो गई जिसमें उनका मूल्य-स्तर और भी बढ़ गया। कोरिया के युद्ध ने, याकप में पुनः सम्प्रोकरण की योजना ने तथा अमरीका की कच्चे माल को समझ करके रखन की नीति ने परिस्थिति और भी गंभीर बना दी। इन सब कारणों से मूल्यों में और भी बढ़ोतरी होने लगी। अक्टूबर १९५० में तो मूल्य एक ४१३५ हो गया। इस प्रकार अवमूल्यन के पड़ना वस्तुओं के भार बढ़ने ही गए और सरकार प्रयत्न करने पर भी इनकी घटा में न कर सकी। परन्तु हममें सन्देह नहीं कि इससे द्वारा भारत के निर्यात व्यापार में असातीत वृद्धि हुई। परन्तु विद्युत् युद्ध महीनों में निर्यात में फिर कमी दिखलाई दे रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि भारत के निर्यात बढ़ने का कारण कच्चे माल अवमूल्यन नहीं परन्तु कोरिया का युद्ध था, अमरीका तथा याकप की पुनः शस्त्रीकरण की नीति थी और अमरीका का कच्चा माल समझ करने की योजना थी। यह ठीक है कि इन कारणों से भी भारत के निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन मिला परन्तु निर्यात बढ़ने के केवल ये ही कारण नहीं रहे। किसी भी एक कारण-निर्णय को उठाकर यह कहना कि इसकी वजह से निर्यात बढ़े, ठीक नहीं जान पड़ता। हम किसी भी एक कारण को निर्यात-वृद्धि का श्रेय नहीं दे सकते (We cannot isolate the cause of Exports)। वास्तव में निर्यात तो अवमूल्यन के कारण तथा अन्य उक्त कारणों के योग में बढ़े। अवमूल्यन की वास्तविकता की पहचानने के लिए तो हमें पर्याप्त रहित बनना पड़ेगा। भुगतान-संतुलन की विषमता दूर करने में, निर्यात बढ़ाने में तथा रक्षण और इन्धन को बढ़ाने में अवमूल्यन का जो हाथ रहा वह विद्यमान नहीं जा सकता। यदि देखा जाय तो अवमूल्यन एक ऐसा कृत्रिम साधन मात्र है। इसके द्वारा देखा जा माल विदेशों में मंगा देना जा सकता है। आर्थिक संकट का वास्तविक उपाय तो उत्पादन बढ़ाना है और उत्पादन भी ऐसा जिसमें लागत-व्यय कम हो। उत्पादन

बढ़ाकर ही अनमूल्यन से सच्चे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। आज इंग्लैण्ड और स्टर्लिंग क्षेत्र में डॉलर का अभार जो फिर उठ खड़ा हुआ है उसका कारण यही है कि इन देशों में उत्पादन वृद्धि में आशाणीत प्रगति न हुई। अब कुछ लोग स्पष्ट व पुनर्मूल्यन के विषय में जानाफूसी करने लगे हैं। इस सम्बन्ध में हम आगे देखेंगे कि क्या यह उपाय मार्थक हो सकता है ?

---

## ३४—रुपये के पुनर्मूल्यन का प्रश्न

भारतीय रुपये के अयमूल्यन करने की घोषणा के लगभग एक वर्ष पश्चात् में ही देश के अर्थशास्त्रियों की जिज्ञा पर 'पुनर्मूल्यन' शब्द भी प्रयोग में आने लगा। देश के शिथिल आर्थिक जीवन में विभिन्न मतों की पुष्टि करने के लिए 'पुनर्मूल्यन' शब्द इतना पनपा कि आज सरकार व जनता, उत्पादक व उपभोक्ता, व्यवसायी व उद्योगपति, अर्थशास्त्र के प्रगतिशील व रूढ़िवादी विद्वानों आदि के लिए यह एक विवादग्रस्त व जटिल प्रश्न बन कर खड़ा है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी करघट लेने लगी हैं कि इस विषय से सम्बन्धित कुछ चोटों के विचारकों का ऐसा मत हो चला है कि 'भारतीय रुपये का अविलम्ब पुनर्मूल्यन होना चाहिए'। आज करोड़ों रुपये के अत्यन्त महंगे अन्न, रुई व पटमन के आयात गूँज-गूँज कर यह कर रहे हैं कि रुपये का पुनर्मूल्यन देश को करोड़ों रुपये की सम्भव हानि से बचा देगा। वाक रुपये की विनिमय दर को देश विदेशों से दी गई मान्यता भी आज उपरोक्त मत का समर्थन कर रही है। किन्तु यह सब तथ्यो का एक पृष्ठ है। पुनर्मूल्यन का विरोधी दल भी आज अपनी दलीला से यह सिद्ध कर रहा है कि आये दिन देश की मुद्रा के साथ मनचाही विनिमय-दर बंधि कर हम अपनी मुद्रा के साथ 'चन्द्र नौति' बरत कर संसार के सामने अपनी अक्षमता का परिचय नहीं देना चाहते। देश का राजनीतिक दृष्टि आर्थिक जीवन की स्थिरता एवं स्थायित्व पर आज भूतकाल से भी अधिक जोर दे रहा है। पुनर्मूल्यन के विरोधियों का मत है कि पुनर्मूल्यन से सम्भव है हमें स्वतंत्र आयात मिलने लगे पर यह सब कतिपय वस्तुओं पर केवल अल्पकाल के लिए ही लागू होगा। इसलिए वैदेशिक व्यापार के कुछ दक्षुष्टा के लिए अस्थायी लाभ पाने की भावना में प्रेरित होकर रुपये का पुनर्मूल्यन करना देश के हित में नहीं बना जा सकता।

इस विवादग्रस्त प्रश्न की निर्विवाद बनाने के लिए कुछ सम्बन्धित व आधारभूत दक्षुष्टा पर विचार करना आवश्यक है।

पुनर्मूल्यन की विभिन्न सीढ़ियों— पुनर्मूल्यन के परिणामों को तटस्थतापूर्वक तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि यह न जाना जाय कि आखिर पुनर्मूल्यन किस दिशा में, किस मात्रा तक व किसके साथ रहकर करना है। इस ओर ये सम्भावनाएँ हो सकती हैं —

१. स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों, विशेषकर इंग्लैण्ड के पौण्ड के साथ रुय ही भारतीय रुपये का पुनर्मूल्यन।

२. स्टर्लिंग क्षेत्र ने देश अपनी अपनी मुद्राओं का पुनर्मूल्यन चाहें वरें या न करें परन्तु भारतीय रुपये का अविलम्ब पुनर्मूल्यन।

३. क्या भारताय रुपये का पुनर्मूल्यन उस मात्रा तक किया जाय (३०-५%) कि भारताय रुपये की विनिमय दर अबमूल्यन से पूर्ववत्-सी हो जाय ?

४. क्या भारतीय रुपये का पुनर्मूल्यन अबमूल्यन की हुई दर से अधिक या समदर पर किया जाय अर्थात् ३०-५% से कम या अधिक किया जाय ?

यदि पुनर्मूल्यन के पक्ष की दलीलों के अनुसार आज भारतीय रुपये के डॉलर मूल्य में परिवर्तन कर दिया जाय तो उसका प्रभाव देश के समस्त आर्थिक शरीर पर पड़ेगा। देश का वैदेशिक व्यापार, भारत-पाठ सम्बन्ध, राष्ट्रीय सम्मान आदि विषय भी अपनी गम्भीरता लिये खड़े हैं।

### (क) देश का वैदेशिक व्यापार

आयात—सन् १९५० में भारतवर्ष के कुल आयात ५४२ करोड़ रुपये के थे। इस वर्ष अन्न आयात की विशेष योजना के कारण सन् १९५२ में आयात की मात्रा लगभग ६०० से ६५० करोड़ रुपये की होगी, ऐसी सम्भावना है। यदि भारतीय रुपये का मंसार की मुद्राओं के विपरीत पुनर्मूल्यन कर दिया जाय तो ऐसी दशा में भारतवर्ष को लगभग १८३ करोड़ रुपये का लाभ हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें निश्चित मात्रा में आयातों के लिये १८३ करोड़ रुपये कम देने पड़ेंगे। इस धन राशि का प्रभाव हमारे वैदेशिक विनिमय कोष ( Foreign Exchange Fund ) पर भी बड़ा स्वारस्यप्रद होगा और उपरोक्त कम दिये जाने वाले करोड़ों रुपये का भार इतने नहीं भेलना



पड़ेगा। मरने आयात में देश की आर्थिक दशा कुछ उन्नत हो सकेगी क्योंकि सस्ते आयात का अर्थ रहन सहन के मूल्य में कमी होना है जिसकी कि आज भारतवर्ष में अत्यंत आवश्यकता है। हमारे यहाँ रहन-सहन का स्तर अन्य देशों की अपेक्षा नीचा होने लूए भा कारी मूल्यमूलक है जिसका कि विशेष कारण मंहमें आयात हैं। यदि पुनर्मूल्यन में आयात मूल्य सस्ते हो जायें तो सचमुच देश के मध्यम वर्ग की दशा कुछ सन्तोषजनक हो सकती है।

निर्यात—जिस प्रकार पुनर्मूल्यन से हमें आयात सस्ते पड़ते हैं, उसी प्रकार हमारे निर्यात भी पुनर्मूल्यन के परिचाय विदेशों को मंहमें पड़ेंगे और हम उनमें आजा की अपेक्षा उनकी मुद्रा में अधिक कीमत ले सकेंगे। अर्थात् यह है कि हमारे निर्यात की वस्तुओं को जिनका कि उपभोग अमेरिका आदि देशों के लिए अनिवार्य-सा है या पुनः शस्त्रीकरण की योजना में हो गया है, अधिक डालर मिलेंगे। जूट का माल, सिगनीज व चाय आदि कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका दुर्लभ मुद्रा वाले देशों को प्रति वर्ष हमारे यहाँ से आयात करना पड़ता है। भारतवर्ष को पटसन की चीजों में तो एक प्रकार का सर्वाधिकार सा प्राप्त है। पाँच-पायने वाले देशों को भी यदि उन्होंने पुनर्मूल्यन नहीं किया हम मंहमें निर्यात भेजकर काफी रुपया कमायेंगे। पटसन का माल, भुइभुइ, सिगनीज व चाय आदि कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जो भारी-मारी मात्रा में दुर्लभ मुद्रा वाले देशों को हमारे यहाँ से निर्यात की जाती है। पुनर्मूल्यन करने से इस निर्यात पर अधिक डालर कमाए जा सकेंगे। स्टर्लिंग-क्षेत्र वाले देशों को भी, यदि उन्होंने पुनर्मूल्यन नहीं किया, तो हम मंहमें निर्यात भेजकर काफी रुपया कमा सकेंगे।

### (२) भारत-पाक व्यापार

अवमूल्यन के परिचाय हमें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से व्यापार में कम लेना और अधिक देना पड़ा है। यदि हम पाकिस्तान के साथ व्यापारिक लेन-देन को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो पुनर्मूल्यन इसमें मूल्य सहायक हो सकता है। हम पाकिस्तान से अधिकतर गन्ना जूट, रुई, राल व लम और अन्न आदि मँगाने हैं जिस पर हमें ४४ प्रति शत अधिक देना पड़ता है अर्थात् पाकिस्तानी १०० रुपये के माल के बदले में १४४ रुपये चुकाने पड़ते हैं। यदि

भारतीय रुपये का पुनर्मूल्यन कर दिया जाय तो हमें पाकिस्तान से माल मँगाने पर काफी बचत हो सकती है। निम्नांकित तालिका इस बात की पुष्टि कर रही है :—

पुनर्मूल्यित भारतीय रुपये के आधार पर पाकिस्तान से किए जाने वाले आयात लागत में अनुमानित बचत-निर्देशक तालिका\*

| वस्तु      | अनुमानित: लागत जून १९५२ तक के समय के लिए (नराइ रुपये) | ३०.५ प्रतिशत के हिसाब से आयात लागत पर बचत |
|------------|---|---|
| पटसन       | ०५*००   | २०*०२                                     |
| रुई        | ५१*०४   | १८*०४                                     |
| रान २ चर्म | ०*४०  | १*२०                                      |
| योग        | १४१ ४४  | ४९*२६                                     |

### पुनर्मूल्यन के विरोध की युक्तियाँ

(१) जैसा कि पहिले बताया गया है रुपये के पुनर्मूल्यन से हमारे आयात सन्त हो जायेंगे। यदि यह दलील पूर्ण सत्य हो तो कहना ही क्या? सस्ते आयात की दलाल को स्वीकार करते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि अन्न, पटसन व रुई आदि के आयात हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। ये वस्तुएँ हमें किसी भी दर पर विदेशों से मँगानी पड़ेंगी। हमारी इस कमजोरी को अमेरिका व पाकिस्तान पण्यतया समझते हैं व इसका लाभ भी उठा रहे हैं। इसलिए इस सत्य की अबरहेलना नहीं की जा सकती कि भविष्य में भी, चाहे हम रुपये का पुनर्मूल्यन कर दें, ये देश किन्हीं हजिम साधनों से (निर्यात कर लगाकर) हमें सस्ते आयातों का सुअवसर नहीं देंगे। अतः सब वस्तुओं के आयात सस्त होने की उम्मावना कोरा स्वप्न है जो शायद कभी भी हितकर सिद्ध न हो। विरोधियों का कहना है कि पुनर्मूल्यन के कारण यदि आयात सस्ते भी हुए तो १८३ करोड़ रुपये का लाभ तो सन्देहजनक है।

\* इस्टर्न इकॉनोमिस्ट के सौजन्य में

(२) पीछे बताया गया है कि पुनर्मूल्यन करने से भारत के निर्यात व्यापार द्वारा भारी-भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाई जा सकेगी। किन्तु यह उगनी सरलता में हमें दुर्लभ व मुलभ मुद्रा उपलब्ध होने लगें तो कौन श्रमागत देश इस अवसर का उपयोग नहीं करेगा। परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। हमें यह नहीं भुलाना चाहिए कि यदि हमारे निर्यात निरन्तर संक्षेप रहे तो अमेरिका आदि देशों के उपभोक्ता बहुत कम मात्रा में इनका उपयोग करेंगे जिसका अर्थ यह होगा कि हमारे निर्यात व्यापार में कमी होने लगेगी; स्टर्लिंग दंड वाले देश, जिनमें हमारा अधिकांश व्यापार होता है, हमारे यहाँ से माल मँगाना बहुत कम कर देंगे। पुनर्मूल्यन के विरोधियों का कहना है कि हमारे कुछ निर्यात ऐसे हैं जिनका डॉलर-मूल्य बढ़ाया जा सकता है किन्तु यह बात हमें निर्यात की समस्याएँ पर लागू नहीं हो सकती। योरोपीय देशों की पुनःशांतिकरण की योजना में भी काफी कटौती कर दी गई है इसलिए अनिवार्य वस्तुओं का निर्यात भी कम मात्रा में होने लगेगा। हमारे निर्यात की सारी वस्तुएँ विदेशों के लिए अत्यन्त आवश्यक नहीं हैं। इसलिए पुनर्मूल्यन के कारण बड़ी हुई डॉलर कीमत पर समर्थ है विदेशवाले हमारी कई चीजों को न पसंदें। इन सब का सारांश यह है कि पुनर्मूल्यन से देश के निर्यात व्यापार को, अधिक डॉलर बनाने वाले निर्यातों को दृष्टिगत रखते हुए भा, कुछ क्षति हो सकती है जिसके लिए वर्तमान परिस्थिति में देश कभी भी राजी न होगा।

(३) पुनर्मूल्यन के समर्थकों का कहना है कि पुनर्मूल्यन के द्वारा भारत-पाक व्यापार में भारत को पारिस्त्वान में आयात करने में लाभ रहेगा। इस बात की पुष्टि के लिए पीछे अंकित भी दिए गए हैं। इन अंकितों को मान्यता देने समय हमें दूसरे सत्य का भी अनुसरण करना चाहिये। पाकिस्तान में किए जाने वाले आयातों में कच्चे जूट का आयात ऐसा है जिसमें कि उस देश का सर्वाधिकार सा प्राम है। देखने में तो पाकिस्तान में अक्टूबर २२-२२ करोड़ रुपये की बचत बड़ा मुद्दायनी लगती है पर पाकिस्तान भी आर्थिक दृष्टि से अपने राष्ट्रीय हितों को देख सकता है। हम अपने रुपये का पुनर्मूल्यन करके पाकिस्तान में आज की अर्थशास्त्रात्मक पटमन पसंदें और उसका माल बनाने में हमें लाभों पर उनका निर्यात करें—इस बात को हमें पारिस्त्वान

बैठा बैठा देखता रहेगा ? क्या पाकिस्तान इस दुधारी तलवार पर कटने मरने को राजी हो जायगा ? कदापि नहीं। पाकिस्तान अपने निर्यात की कीमत बढ़ा सकता है और सम्भवतः कच्चे पटसन के बारे में अपने हित को दृष्टिगत रखते हुए वह मनचाही भी बरतने लग सकता है। ऐसी दशा में पिछली तालिका में अंकित अनुमानत बचत अपूर्ण सत्य सिद्ध होगा। यह तो बड़ी साधारण सी बात है कि पाकिस्तान कच्चा पटसन सस्त भाव पर देकर पटसन का माल आज से ३० प्रतिशत अधिक मूल्य पर क्यों खरादेगा। पिछले २४ महीनों का अनुभव इस बात का परिचायक है कि हमारा जूट उद्योग पाकिस्तान से आये कच्चे माल को सदा तरसता है। ऐसी स्थिति में यह सोच लेना भी असमर्थ नहीं जान पड़ता कि ज्यों ही हम भारतीय रुपये का पुनर्मूल्यन करेंगे त्योंही पाकिस्तान में कच्चे पटसन के भाव बढ़ जायेंगे और हमारी तालिका की प्रस्तावित बचत एक वर्णन सी रहेगी।

यदि पुनर्मूल्यन के वैदेशिक व्यापार पर होनेवाले प्रभावों की हम थोड़े समय के लिये ताक में रख दें तो भी देश के वाणिज्य बजट पर इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। हमारे देश में निर्यात कर (Export Duty) से पिछले वर्षों में मानगुजारी की कार्पा सहायता हुई है वरन् १९५२-५३ के आय-व्यय पत्रक में भी इस कर से सहायता होने की कानि आशा है। भारतीय निर्यात की वस्तुओं को विदेशों में उपलब्ध ऊँचे भावों पर बेचने के लिए यह कर लगाया जाता है, जिसका लाभ देश की सरकार को होता है। यदि रुपये का पुनर्मूल्यन कर दिया गया तो हमारे निर्यात स्वतः ही मँहगे हो जायेंगे और इसकी आवश्यकता न रहेगी। इसका अर्थ यह होगा कि करोड़ों रुपये की आय, जो कि सरकार को इस करके द्वारा होती थी, तब वह उससे बंचित रह जायगी।

### पुनर्मूल्यन का विरोध करनेवालों की अन्य ठोस दलीलें

जैसे तो पुनर्मूल्यन के होने वाले प्रभावों को जाँचते समय ही पुनर्मूल्यन के विरोधियों की दलीलों को ध्यान में रखा गया है किन्तु उनके अतिरिक्त यह अन्य दलीलें भी वे समय-समय पर रख रहे हैं :—

(१) विश्व की ड्राइडोल आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम अपनी मुद्रा का मूल्य हर समय नहीं बदलना चाहिये। आज के भारतीय निर्यात-रुमा में शाति होने पर रुक भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। यदि कोई अरथायी लाभ वैदेशिक व्यापार में उठाना भी हो तो निर्यात-रुम के शरुष द्वारा ही उसका प्रात करने का प्रयत्न करना चाहिये। निर्यात-रुम को आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा कर भी हम काम चला सकते हैं।

(२) यह योजना कि पाकिस्तान को अरुमूल्यन न करने से बहुत लाभ हुआ है इसलिए भारत को भी रुपये का पुनर्मूल्यन कर लेना चाहिए, कोई निर्विवाद सत्य नहीं है। योरुप में पुनः शरुषीकरण की योजना, कोरिया युद्ध, व विश्व की अधमरी आर्थिक-स्थिति के कारण विदेशों में पाकिस्तान के कच्चे माल की सदा माँग रही है। किन्तु भारत को परिस्थिति बिलकुल भिन्न है। अरुम की समस्या को दूर करने के लिए भारत को भारी-भारी आयात करने पड़ रहे हैं—इस परिस्थिति में रुपये का पुनर्मूल्यन न करना ही हितकर है।

३) जब रुपये का अरुमूल्यन किया गया तब इसी बात को लेकर कि हमारा अधिकांश व्यापार स्टर्लिङ्ग-क्षेत्र के देशों से है इस काम को बुद्धिमानों का कदम बनाना गया था। आज यदि स्टर्लिङ्ग-क्षेत्र के देश पुनर्मूल्यन न करें तो भारतीय मुद्रा का पुनर्मूल्यन इस बात को बताएगा कि या तो अरुमूल्यन करते समय हमने अपनी क्षीण बुद्धि का परिचय दिया था और यदि वह ऐसा नहीं था तो स्टर्लिङ्ग-क्षेत्र के साथ अपने व्यापार का अरुद्वेला करके हम आज अपनी कुसिद्ध बुद्धि का परिचय दे रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्टर्लिङ्ग क्षेत्र के देशों से हमारे व्यापारिक सम्बन्ध बहुत प्रौढ हो चुके हैं इसलिए हमारे एकाकी पुनर्मूल्यन से उन सम्बन्धों को गहरी चाँट लगने की संभावना है।

(४) आए दिन किसी अरुथायी आर्थिक स्थिति से साधारण सा लाभ उठाने की चेष्टा को सफल बनाने के लिए हमें अपनी मुद्रा की रिनिमय-दर से विलबाध नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे राष्ट्रीय सम्मान का ठेग लगती है और हमारे मरुस्थ में किए जाने वाले प्रत्येक 'निश्चय' को सदा 'निर्बल' और 'अरुथायी' शब्दों से दुतकारे जाने की शंका बनी रहती है।

रुपये के पुनर्मूल्यन का विरोध करनेवाला की सबसे बड़ी दलील यही है कि पुनर्मूल्यन से होने वाला लाभ निर्यात कर लगा कर भी प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु निर्यात कर लगाकर ही लाभ उठाने की नीति कोई स्थायी उपाय नहीं कहा जा सकता। उसे भी समय-समय पर बदलना पड़ेगा जैसे विनिमय दर को बदलने का मार्ग की जा रही है। विनिमय दर तो उद्देश्य पूर्ति का एक साधन मात्र है। उसे बदल लेने से हम अपना उद्देश्य नहीं बदल लेते हैं। इसलिए हम चाहे मद्रा की विनिमय दर बदलें या निर्यात-कर—उनके बदलने में सिद्धान्त रूप से हमारे सम्मान और अपमान में कोई अन्तर नहीं पड़ता। निर्यात कर के विरुद्ध एक और भी दलील है। यह कर हमें निर्यात करने में लाभ दिला सकता है परन्तु इससे हमारे आयात करते होने की समस्या पूर्ण नहीं हो सकती। इस समय हमें इस बात की आवश्यकता है कि सस्ते आयात करक अन्न की कमी पूरी की जाय तथा देश का उद्योगीकरण किया जाय और यह तभी हा सकता है जबकि रुपये का पुनर्मूल्यन न हो। अतः वर्तमान परिस्थिति में अपने हितों को टुकरा कर ही रुपये का पुनर्मूल्यन किया जा सकता है।

सब परिणामों का ध्यान में रखकर यही कहा जा सकता है कि रुपये का पुनर्मूल्यन इस समय हमारे हित में नहीं है। पुनर्मूल्यन हमारे समाज के कुछ विभागों के लिए लाभकारी होगा, परन्तु अन्य विभागों को बहुत हानि पहुँचायेगा। अब तो भारत में भाव गिर गए हैं, इसलिए रुपये के पुनर्मूल्यन का प्रश्न और भी कम हो जाता है। इससे अतिरिक्त, शेष ५ सार में मद्रा रुकाव की प्रवृत्ति उदित हो जाने के कारण, जो दैर्घ्य का बँध दरों में हाल की भारी वृद्धि से हृष्य है, रुपये का पुनर्मूल्यन अन्वयहारिक भी हो सकता है। इन सब परिस्थितियों से अतः भारतीय रुपये का पुनर्मूल्यन देश के लिए हितकर न होगा।

### वित्तमन्त्री का अस्थायी निर्णयात्मक वक्तव्य

पुनर्मूल्यन के इसी विवादग्रस्त प्रश्न को लेकर भारत का माननीय वित्त-मन्त्री श्री दशमुख ने एक वक्तव्य देते हुए बताया है कि अभी हम पुनर्मूल्यन

न करने का निश्चय कर चुके हैं क्योंकि हमों में देश का हित है। किन्तु हम निर्णय का अर्थ यह नहीं कि हमारा यह निर्णय अमिट और स्थायी हो। यदि परिस्थितियों ने हमारे अनुकूल करवट ली तो सम्भव है हम भविष्य में इस प्रश्न को सरकार के सामने फिर विचार करने को रख सकते हैं। भारत सरकार द्वारा बैठवाई गई पुनर्मूल्यन समिति के अधिवेशन में भी विद्वानों ने इसी बात पर जोर दिया था कि इस प्रश्न को अभी छुड़ा न जाय वरन् समय पड़ने पर फिर उस पर विचार किया जाय।

वैसे तो संसार भर के अर्थशास्त्रियों ने सर स्टफर्ड प्रिंस की उस घोषणा को भी गुना था कि 'पीण्ड का अरबमूल्यन मेरी लाश पर होगा' किन्तु कुछ ही दिनों बाद उन्होंने स्वयं ही पीण्ड पावने के अरबमूल्यन की घोषणा कर दी। विद्वानों माननीय श्री देशमुख के वक्तव्य को भी हम उस स्तर पर ले सकते हैं किन्तु फिर भी सरकारी निश्चयानुसार बहुत ही निकट भविष्य में भारतीय रुपये के पुनर्मूल्यन की सम्भावना बहुत कम है।

आज समस्त संसार में आर्थिक दरारें पट रही हैं, प्रत्येक देश उपलब्ध अणुस का आर्थिक उत्थति के लिए पिछोहन कर रहा है, कभी अमेरिका की पुनः शस्त्रीकरण की योजना में कटौती की जाती है तो कभी सारा यूरोप शस्त्रीकरण पर तुला हुआ है। ऐसी उमसगामी दशा में संसार के किसी भी भूकम्प के धड़के से भारत सरकार द्वारा रुपये के पुनर्मूल्यन की घोषणा हम किसी भी दिन गुन कर विषय में नहीं पड़ सकते।



## ३५--अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष और भारत

आज ससार का प्रत्येक देश यह चाहता है कि वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर उच्च हो तथा वहाँ के सभी लोग राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ काम करें। परन्तु यह तभी हो सक्ता है जबकि ससार के सभी, और सभी नहीं तो अधिकांश देश मिलकर काम करें, उनकी आर्थिक तथा मुद्रा नीति एकरसी हो तथा उनके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध न हो। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि उन देशों की मुद्राओं का आपस का विनिमय दर स्थायी रहे और उसमें कोई असाधारण उतार चढ़ाव न हो। युद्ध के पश्चात् तो इस बात की और भी आवश्यक महत्वपूर्ण और आवश्यक समझा गया है कि ससार में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। जिससे युद्ध में बिगड़े हुए राष्ट्र युद्ध के पश्चात् अपना अपना पुनर्संगठन और आर्थिक-निर्माण कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए युद्धकाल में ही अनेक योजनाएँ बनाई गईं। एक योजना इंग्लैण्ड ने बनाई जिसके अन्तर्गत 'अन्तर्राष्ट्रीय समाशोधन संघ' (International Clearing Union) बनाने का प्रस्ताव किया था। दूसरी योजना अमरीका ने बनाई जिसमें 'अन्तर्राष्ट्रीय स्थायिक कोष' (International Stabilization Fund) बनाने का सुझाव दिया था। ये दोनों योजनाएँ १९४३ में प्रस्तावित की गईं। १९४४ में इंग्लैण्ड और अमरीका ने मिलकर एक सम्मिलित योजना बनाई जिस पर विचार करने के लिए ब्रेटनवुड्स (Brettonwoods) नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में ४४ देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन ने सर्वसम्मति से पास किया कि ससार के सभी देशों के आर्थिक विकास के लिए दो मुद्रा संस्थाएँ बनाई जाएँ। सभी देशों की सरकारों ने इस योजना को मान लिया और दो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाएँ बनाई गईं। उनमें से एक तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष है तथा दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक। यहाँ हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का अध्ययन करेंगे।



अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के निम्न उद्देश्य हैं :—

(१) संसार के देशों में मुद्रा सम्बन्धी षड्यन्त्रों का निवारण करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी समस्याओं को सुलभाना ।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने तथा उद्योग करने की सुविधाएँ देना जिससे कोष के सभी सदस्य देश अपना-अपना आर्थिक विकास कर सकें और अपने-अपने आर्थिक साधनों का विस्तार करके देशवासियों को भरपूर काम दे सकें ।

(३) सदस्य देशों की मुद्राओं की आपस की विनिमय दर का प्रबन्ध करना तथा विनिमय दर को स्थिर बनाने का प्रयत्न करना ।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान लेने देने में सहायता करना तथा किसी भी सदस्य देश में लवाण गण विदेशी-विनिमय सम्बन्धी नियंत्रणों को दूर करने का प्रयत्न करना जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई बाधा न हो ।

(५) सदस्य देशों की भुगतान सम्बन्धी विषमताओं को दूर करने के लिए विदेशी मुद्राएँ दूर सदस्य-देशों को सहायता करना ।

(६) जितनी जरूरी हो सके उतनी जरूरी भुगतान सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना ।

इस प्रकार मुद्रा-कोष या एकमात्र उद्देश्य सदस्य-देशों को विदेशी-विनिमय सम्बन्धी सुविधाएँ देना है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति हो और इसके द्वारा सदस्य देश अपना-अपना अधिक से अधिक आर्थिक विकास कर सकें । यह ध्यान रहे कि मुद्रा-कोष युद्ध में दिग्गज राष्ट्रों के आर्थिक नव निर्माण में कोई सहायता नहीं करता और न इसका यह उद्देश्य है ।

वे सब देश जिनके प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन युद्ध सम्मेलन में भाग लिया था तथा, जिन्होंने ३१ दिसम्बर १९४५ से पहले कोष का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया था, कोष के मौलिक-सदस्य माने जाते हैं । इनके आतिरिक्त और दूसरे देश भी कोष के सदस्य बन सकते हैं । कोई भी सदस्य-देश लिखित गृहणादेश कोष में अपना सम्बन्ध तोड़ सकता है । यदि कोई सदस्य देश

कोष के प्रति अपने कर्तव्य न निभाए ता कोष का अधिकार है कि वह उस सदस्य का अलग कर दे। प्रत्येक सदस्य की कोष में कुछ राशि निश्चित कर दी गई है। जिसे 'काटा' (Quota) कहते हैं। प्रत्येक सदस्य देश का अपने कोटे की राशि कोष में जमा करना पड़ती है। 'काटे' इस प्रकार नियत किए गए हैं—

|           | डॉलर में<br>(०००,०००) |              | डॉलरों में<br>(०००,०००) |
|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| अमरीका    | २७५०                  | बर्लिन       | २०५                     |
| इंग्लैण्ड | १०००                  | आस्ट्रेलिया  | २००                     |
| रूस       | १२००                  | ब्राजील      | १५०                     |
| चीन       | ५५०                   | जैकोस्तारिया | १०५                     |
| फ्रांस    | ४५०                   | पार्लैण्ड    | १२५                     |
| भारत      | ४००                   | अफ्रीका      | १००                     |
| बेनेडा    | ३००                   | अन्य देश     | १०० मे कम               |
| नेदरलैण्ड | २७५                   |              |                         |

प्रत्येक सदस्य का अपना काटा बदलवाने का अधिकार है। कोष को भी अधिकार है कि वह पाँच वर्ष के बाद सदस्य-देश की अनुमति लेकर उसकी कोटा राशि में फेर बदल कर सकता है। कोटा प्रत्येक देश के स्वर्ण कोष तथा सुद्र पूर्ण के विदेशी व्यापार में ध्यान में रख कर निश्चित किए गए हैं। सदस्यों को अपने काटे की राशि कोष में जमा करनी पड़ती है—यह राशि इस भाँति जमा करनी होती है—

- (१) कुल 'काटे' का २५% या सदस्य देश के स्वर्ण तथा डॉलर-कोष का १०%, इन दोनों में जो भी कम हो, साने व रूप में जमा करना पड़ता है।
- (२) बाँचे का शेष भाग सदस्य देश को अपनी अपनी मद्राओं या सिन्ड्रे-रिंटियों में जमा करना पड़ता है।

मुद्रा-कोष का प्रबन्ध करने के लिए एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एक सचालक समिति तथा एक प्रबन्ध मंचालन है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रत्येक सदस्य-देश

द्वारा चुने हुए एक गवर्नर तथा स्थानाग्र-गवर्नर होते हैं जो पाँच वर्ष के लिए चुने जाते हैं, परन्तु अर्धसमिति होने पर इनको फिर चुना जा सकता है। संचालक समिति में १२ संचालक होते हैं जिनमें ५ उन देशों के होते हैं जिनको अधिक से अधिक 'कोटा'-राशि नियत की गई है, २ अमरीका-गणराज्य द्वारा चुने हुए होते हैं तथा ५ अन्य दूसरे सदस्य-देशों द्वारा चुने हुए होते हैं। संचालक-समिति एक प्रबन्ध-संचालक चुनती है जो कोष के दिन-प्रतिदिन के काम की देख-भाल करता है। प्रबन्ध संचालक को मत देने का अधिकार नहीं होता परन्तु आवश्यकता के समय प्रबन्ध-संचालक अपना निर्वाचक-मत ( Casting Vote ) दे सकता है।

मुद्रा-कोष का प्रधान कार्यालय अमरीका में है। कोष का आधा सोना अमरीका में रखा गया है तथा ४०% सोना अन्य बड़े 'कोटा' वाले चार देशों में रखा गया है और शेष सोना अन्य देशों में रखा गया है।

सभी सदस्य-देशों ने अपनी-अपनी मुद्राओं के सम-मूल्य (Par Values) निश्चित कर दिए हैं। ये सम-मूल्य ( Par Values ) या तो सोने के अनुपात में निश्चित किए गए हैं और या अमरीका के डॉलरों के अनुपात में रखे गए हैं। जब कोई सदस्य-देश कोष में से विदेशी-विनिमय या सोना खरीदता या बेचता है तो उसका मूल्य इन्हीं सम-मूल्यों के हिसाब से चुकाया जाता है। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि मुद्राओं की आपस की विनिमय दर में कोई उतार-चढ़ाव नहीं होता और दर स्थायी बनी रहती है। सदस्य-देशों की मुद्राओं के इन सम-मूल्यों में परिवर्तन भी किया जा सकता है परन्तु यह परिवर्तन मुद्रा-कोष की सलाह से ही हो सकता है। सम-मूल्यों में परिवर्तन करने की निम्न व्यवस्था की गई है :—

- (अ) कोई भी सदस्य-देश अपनी मुद्रा के सम-मूल्य में १०% तक की फेर-बदल बिना कोष की सलाह के भी कर सकता है।
- (ब) यदि इसमें अधिक फेर-बदल करनी हो तो उसके लिए कोष से आशा लेने की आवश्यकता होती है। कोष को इस विषय में अपना निर्णय ७२ घंटे के अन्दर दे देना पड़ता है।

- (स) मुद्राओं के सम-मूल्यों में परिवर्तन तभी किया जा सकता है जबकि भुगतान विषमता व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अड़चनों को दूर करने के लिए उसकी आवश्यकता हो।
- (द) कोष की सहाह के बिना सम मूल्य परिवर्तन करने वाले सदस्य देश को दण्ड ( जुर्माना ) देना पड़ता है।

इस प्रकार सदस्य देशों की मुद्राओं की विनिमय दर सोने या डॉलरों के आधार पर निश्चित की गई हैं। सोना ही एक प्रकार से इन देशों की मुद्राओं के मूल्य की माप दण्ड ( Measuring Rod ) है, अर्थात् सभी मुद्राओं के मूल्य सोने पर आश्रित हैं।

सदस्य देश मुद्रा-कोष से लेन देन का काम अपने-अपने केन्द्रीय बैंकों, राज्य कोषों तथा अन्य ऐसी ही संस्थाओं द्वारा करते हैं। कोई भी सदस्य देश अपनी मुद्रा या सोना देकर बदले में कोष से दूसरे देश की मुद्रा खरीद सकता है परन्तु कोष विदेशी मुद्रा तभी बेचता है जबकि—

(१) कोष को यह विश्वास हो जाय कि खरीदने वाले देश को उसकी वास्तव में आवश्यकता है और वह उसे कोष के आदर्शों की पूर्ति करने में लगाएगा।

(२) कोष के पास उस विदेशी मुद्रा की कमी न हो।

कोई भी सदस्य देश एक वर्ष ( बारह महीने ) में अपने 'कोटा', के २५ प्रतिशत से अधिक राशि की विदेशी मुद्रा कोष से नहीं खरीद सकता तथा वह देश कुल मिलाकर अपने 'कोटा' के २०० प्रतिशत से अधिक राशि की विदेशी मुद्रा कोष से नहीं खरीद सकता।

कोष से ली हुई राशि कोष के उद्देश्यों को छोड़ अन्य किसी काम में नहीं लगाई जा सकती। केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए या विनिमय-दर स्थायी बनाने के लिए ही कोष की राशि काम में लाई जा सकती है।

यदि किसी समय कोष में किसी भी सदस्य देश की मुद्रा की कमी हो जाय तो कोष उस मुद्रा को दुर्लभ-मुद्रा ( Scarce Currency ) घोषित कर सकता है। ऐसा करते समय यह आवश्यक है कि कोष एक रिपोर्ट तैयार करे

और सभी सदस्यों को सूचित कर दे कि अमुक मुद्रा अमुक कारणों से 'दुर्लभ मुद्रा' घोषित कर दी गई है। दुर्लभ-मुद्रा घोषित करने के बाद कोष का यह कर्तव्य है कि वह उस मुद्रा का प्राप्त करके पूर्ति करने का प्रयत्न करे। इसके लिए चाहे तो कोष उस सदस्य-देश में, जिसकी मुद्रा दुर्लभ घोषित की गई है, भेजा देकर उसकी मुद्रा खरीद ले और चाहे उसमें उधार ले ले। और यदि ऐसा सम्भव न हो तो अन्य किसी सदस्य देश से सोने के बदले में दुर्लभ-मुद्रा खरीदकर उसकी पूर्ति करे जिससे उस मुद्रा का अभाव दूर हो जाय।

मुद्रा-कोष के उद्देश्यों और आदर्शों-की पूर्ति के लिए सदस्य-देशों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था भी की गई है। प्रतिबन्ध इस प्रकार हैं—

१. सदस्य-देश मुद्रा के लेन-देन पर कोई प्रतिबन्ध और रोक-थाम न लगायें।
२. वे मुद्रा सम्बन्धी नीति में किसी प्रकार का पक्षपात न करें।
३. वे कोष के आदेशों का पालन करें तथा जो कुछ भी सूचना कोष के अधिकारी माँगें उसे तुरन्त कोष को भेजते रहें।
४. वे सम-मूल्य से अधिक या कम-दर पर सोना न खरीदें और न बेचें।

परन्तु कोष ने सन्तान्त काल में विदेशी-विनिमय के लेन-देन पर नियंत्रण लगाने की स्वीकृति दे रखी है। कोष बनने के पाँच वर्ष तक सदस्य-देश विदेशी विनिमय पर रोक-थाम लगा सकते हैं परन्तु इसके पश्चात् रोक-थाम लगाने के लिए कोष से आज्ञा लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई सदस्य-देश कोष बनने के पाँच वर्ष के बाद भी कोष की आज्ञा के बिना विदेशी-विनिमय पर नियंत्रण लगायेगा तो कोष को अधिकार होगा कि वह उस सदस्य-देश को कोष में से निकाल दे। परन्तु परिस्थितियों वरा कोष ने ३१ मार्च १९५२ के पश्चात् भी विदेशी-विनिमय सम्बन्धी रोक-थाम लगाए रखने पर सदस्यों को अनुमति दे दी है। इसी प्रकार कोष ने गत वर्ष सोने को निश्चित मूल्य से अधिक दर पर प्रीमियम के साथ क्रय-विक्रय करने की भी स्वीकृति दे दी है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के उद्देश्यों तथा क्रिया-प्रणाली का अभ्यसन करने से शान होता है कि कोष का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उत्तम

करना है। कोष का यह उद्देश्य सराहनीय है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उन्नत होने से ही ससार के भिन्न-भिन्न देशवासियों को भरपूर काम मिल सकता है और तभी उनका रहन-सहन का स्तर भी ऊँचा हो सकता है। अगर सुदृग्धसित देशों की आर्थिक उन्नति करनी है तो यह आवश्यक है कि उनके वैदेशिक व्यापार को उन्नत बनाया जाय क्योंकि तभी ससार के करोड़ों नर-नारियाँ का रोटी कपड़ा मिल सकता है। यही सब कुछ करने के लिए मुद्रा-कोष प्रयत्नशील है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक ऐसी सस्था है जिसने द्वारा ससार भर की मुद्राओं की विनिमय दर को स्थायी रखने का प्रयत्न किया जायगा जिससे ससार के सभी देश आर्थिक उन्नति कर सकें। यह एक ऐसा साधन है जिसमें ससार के अनेक देशों की मुद्राएँ जमा रखी जायेंगी जिससे देनदार देश अपने लेनदार-देश की मुद्रा खरीद कर उसका भुगतान चुका सकें। इसके द्वारा भुगतान चुकाने वाले देशों का मुविधा हो जायगी क्योंकि अब उन्हें विदेशी मुद्रा में भुगतान चुकाने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। कोष का काम विदेशी मुद्राएँ उधार देना नहीं है वरन् विदेशी मुद्राएँ बेचना है। विदेशी मुद्रा बेचकर कोष सदस्य देशों की आवश्यकता पूर्ण करता है जिससे वे अपनी कठिनाइयाँ का सरलता से सामना कर सकें।

अब कोष के बन जाने से आगामी भविष्य में ससार के देशों का विदेशी-विनिमय पर नियंत्रण लगाने की अधिक आवश्यकता नहीं रहगी, ऐसी आशा है, क्योंकि उनकी आवश्यकताएँ अब कोष के द्वारा पूर्ण हो जाया करेंगी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष एक प्रकार का ऐसा व्यापारी है जो विदेशी मुद्राओं की खरीद बेच करता है परन्तु अपने लाभ के लिए नहीं वरन् सदस्य-देशों के हित के लिए। कोष सदस्य देशों की मुद्राओं के सम-मूल्यों को स्थिर रखने का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा ससार भर की मुद्राओं की विनिमय दर स्थायी बनाई जा सकती है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई कठिनाई न हो।

मुद्रा-कोष ने सोने को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सभी सदस्य-

देशों ने अपनी अपनी मुद्रा का सम मूल्य सोने में व्यक्त किया है। इससे सोना सब देशों की मुद्राओं का माप-दण्ड बन गया है। परन्तु इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि संसार में वही स्वर्ण-प्रमाण था गया है जो १९३१ से पहिले अनेक देशों में था। हाँ, इतना अवश्य है कि कोष का उद्देश्य वही है जो स्वर्ण-प्रमाण का होता था, जैसे (१) संसार की मुद्राओं के बीच आरम की अदल-बदल की सुविधाएँ देना, (२) मुद्राओं के मूल्यों में स्थिरता लाना। इस प्रकार कोष और स्वर्ण-प्रमाण के उद्देश्य एक ही से हैं परन्तु इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन भिन्न-भिन्न हैं। स्वर्ण-प्रमाण किसी और प्रकार से इन उद्देश्यों की पूर्ति करता रहा था और कोष किसी और प्रकार से इन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है। अतः यह कह सकते हैं कि कोष ने एक विशेष प्रकार का स्वर्ण-प्रमाण संसार को दिया है जिसके अन्तर्गत सोना मुद्राओं का मूल्य-मापक है। परन्तु सोने के सिक्के नहीं बनाए जाते।

### भारत और कोष

जिस समय मुद्रा-कोष की योजना पर ब्रेटनवुड्स नामक स्थान पर विचार हो रहा था तो भारत के प्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित थे। भारत के प्रतिनिधि मण्डल में निम्न व्यक्ति थे—सर जैरमी रॉसमेन, सर चिन्तामणि द्वारकादास, सर थियोडोर ग्रेगरी, सर पलमूल्बम चेंद्री, ए० डी० शराफ तथा बी० के० मदन। प्रतिनिधि मण्डल ने ब्रेटनवुड्स कांग्रेस में ही इस योजना को मान लिया और इसके बाद भारत सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया और रुपये का सम-मूल्य भी घोषित कर दिया। भारत ने रुपये का सम मूल्य ३.८५२ ६० प्रति डालर अथवा ०.२६८६१ ग्रेन्स स्वर्ण प्रति रुपया निश्चित किया।<sup>१</sup> इस प्रकार भारत मुद्रा-कोष का 'मौलिक-सदस्य' बना रहा। मुद्रा-कोष

<sup>१</sup> अब रुपये के डालर मूल्य में कमी हो जाने के कारण रुपये का सम-मूल्य १ ६० = २१ सेण्ट = ०.१८६६२१ ग्रेन्स स्वर्ण रह गया है। इस दर से सोने का मूल्य १६६.६६७ रुपये प्रति औंस है। यह परिवर्तन सितम्बर १९४६ से हुआ है जबकि रुपये का अमूल्यन कर दिया था।

में रुस के सम्मिलित न होने के कारण भारत अब पाँच बड़े-बड़े सदस्यों में गिना जाता है क्योंकि इसका 'कोटा' (Quota) चार देशों को छोड़कर सबसे अधिक है। भारत को मुद्रा-कोष में सम्मिलित होने से निम्न लाभ हैं—

(१) भारत को मुद्रा कोष से आवश्यक मात्रा में विदेशी मुद्राएँ मिलती रहेंगी जिनकी भारत को विदेशों से पूँजीगत माल आयात करने के लिए आवश्यकता होगी। मार्च १९४८ से मार्च १९४९ तक भारत ने कोष से लगभग ६,२०,००,००० डॉलर लिए थे जो भुगतान-रुतुलन के काम आए।

(२) कोष के द्वारा उन देशों का जो स्टर्लिंग क्षेत्र में नहीं हैं भारत की मुद्रा मिलती रहेंगी जिससे वे देश भारत से व्यापार बढ़ाते रहेंगे और भारत का माल उन देशों में निर्यात होता रहेगा।

(३) मुद्रा कोष का 'मौलिक'-सदस्य बनने से भारत कोष के नीति निर्माण में हाथ बँटा सकेगा जिससे उसकी ख्याति बढ़ेगी।

इन उद्देश्यों को लेकर भारत मुद्रा-कोष का सदस्य बन गया और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति के लिए भारत ने प्रयत्न भी किए। भारत ने कोष से ६६'६८ मिलियन डॉलर लिए। इसके व्याज में १९५०-५१ में ३८ लाख रुपये कोष को चुकाए गए तथा १९५१-५२ में कोई ५५ लाख चुकाए। कोष की सदस्यता स्वीकार करने के बाद हमारी मौलिक पद्धति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जिनको कार्यान्वित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट में संशोधन किए गए। एक संशोधन के अनुसार भारतीय मुद्रा का अन्य सदस्य-देशों की मुद्राओं में बहुमुखी परिवर्तनशीलता स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक अब अपने कोष में स्टर्लिंग के साथ-साथ अन्य देशों की मुद्रा भी रखता है एवं इनका क्रय विक्रय कोष की शर्तों की निश्चित दरों पर किया जाता है। दूसरे, कोष की सदस्यता के साथ साथ हमारे रुपये का स्टर्लिंग से सम्बन्ध टूट गया है। और अब हमारा रुपया स्वतन्त्र है (इसे आगे 'हमारा रुपया' लेख में पढ़िए)। तीसरे, विदेशी मुद्राओं में भारतीय रुपये की महत्तम एवं न्यूनतम दर में कोष द्वारा निश्चित दरों के आधार पर तत्क्षण-लेनदेन में १ प्रतिशत से अधिक अन्तर न होगा। चौथे, रिजर्व बैंक किसी भी देश की सरकारी



सिक्कुरिटियों का क्रय-विक्रय कर सकता है, बशर्ते कि वह देश कोष का सदस्य हो। पहिले, विदेशी-विनिमय की वर्तमान स्थिति में नियंत्रण करने के लिए एवं उसका महत्तम उपयोग करने के लिए १९४७ में एक कानून विदेशी-विनिमय-नियंत्रण-ऐक्ट पास किया गया जो अभी तक चल रहा है।

---

## ३६—विश्व बैंक और भारत

द्वितीय युद्ध के पश्चात् युद्ध ध्वंसित देशों के पुनर्मङ्गलन तथा अवनत देशों की आर्थिक उन्नति के लिए यह आवश्यक हो गया कि ससार के सभी राष्ट्रों में पारस्परिक मौद्रिक सहयोग हो जिससे एक देश दूसरे देश को पूँजी तथा पूँजीगत माल देकर सहायता कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रोटनवुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक बनाने की योजना स्वीकार की गई। विश्व बैंक के निम्न उद्देश्य रक्ते गए—

१. सदस्य-देशों की आर्थिक उन्नति के लिए उत्पादन बढ़ाने में पूँजी का प्रबन्ध करना, युद्ध में बिगड़े हुए देशों के आर्थिक-कलेवर को उन्नत बनाने की सुविधाएँ देना तथा पिछड़े हुए देशों में उत्पादन के साधनों को बढ़ाने में सहायता करना।

२. उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सदस्य-देशों को अपनी पूँजी तथा कोष में से राशि उधार देना; एक देश के पूँजीगतियों को दूसरे देशों में पूँजी लगाने के लिए उत्साहित करना तथा उनके द्वारा दिए गये ऋणों की गारण्टी करना।

३. दीर्घकालीन ( Long term ) ऋण देना तथा दीर्घकालीन ऋण देने के लिए लोगों या देशों की सरकारों को प्रोत्साहित करना जिससे उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिल सके और लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो सके।

४. सदस्य देशों के बीच आपस में पूँजी का लेन-देन बढ़ाना जिससे पूँजी का अधिक से अधिक उपयोग हो सके और अधिक उपयोगी तथा आवश्यक योजनाएँ सबसे पहिले पूरी की जा सकें।

५. अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन का इस प्रकार प्रबन्ध करना कि युद्धकालीन असाधारण परिस्थिति शीघ्र ही समाप्त हो जाय और सभी देश एक दूसरे की सहायता से उन्नत हो जाएँ।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का प्रधान उद्देश्य सदस्य-देशों की आर्थिक उन्नति करना है। इसके लिए बैंक एक देश के पूँजीपतियों को दूसरे देशों में पूँजी लगाने के लिए उत्साहित करेगा। यदि कोई सदस्य-देश इस प्रकार पूँजी प्राप्त न कर सके तो बैंक अपनी पूँजी तथा कोष में से सदस्य देशों को राशि उधार देगा।

**बैंक की पूँजी**—बैंक की अधिकृत-पूँजी ( Authorized Capital ) १०,००,००,००,००० डालर है। इसमें से ६ १०,०० ००,००० डालर तो उन सदस्य-देशों के लिए निश्चित किए गए जो ब्रेटनवुड्स सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे और जिन्होंने उसी समय बैंक का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया था। शेष पूँजी आगे बनने वाले सदस्यों को निश्चित कर दी गई थी। पूँजी में १०,००० हिस्से हैं और प्रत्येक हिस्सा १०,००० डालर के बराबर है। बैंक की पूँजी में सदस्य देशों को हिस्से निश्चित कर दिये गये हैं जिन्हें कोटा ( Quota ) कहते हैं। कोटा इस प्रकार हैं।

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| अमरीका    | २,४३,५०,००,००० डालर |
| इंग्लैण्ड | १,००,००,००,००० डालर |
| नॉन       | ६,००,००,००० डालर    |
| फ्रांस    | ४५,००,००,००० डालर   |
| भारत      | ४०,००,००,००० डालर   |

अन्य देशों के कोटे भी इसी प्रकार निश्चित कर दिए गए हैं जो भारत के कोटे से कम राशि के हैं।

बैंक में कुल मिलाकर ४८ राष्ट्र सदस्य थे परन्तु १४ मार्च १९५० को पोलैण्ड इससे अलग हो गया। इस समय ४७ राष्ट्र इसके सदस्य हैं। रूस इसका सदस्य नहीं है। ३१ मार्च १९५० तक बैंक की प्राथित-पूँजी ८,३३,६०,००,००० डॉलर के बराबर थी। प्रत्येक सदस्य-देश को अपने-अपने कोटा का २०% भाग बैंक में जमा करना पड़ता है जिसमें से २% सोने में जमा करना पड़ता है तथा १८% सदस्य-देश की अपनी मुद्रा में जमा करना होता है। कोटे का शेष भाग उस समय लिया जाने का निश्चय है जबकि बैंक को उसकी आवश्यकता हो। जिन सदस्यों ने ३१ दिसम्बर १९४५ को कोष की

सदस्यता स्वीकार का थी वे ही देश इस बैंक के भी मौलिक-सदस्य माने जाते हैं। अन्य देश भी इस सदस्य बन सकते हैं। जो सदस्य मुद्रा कोप को छोड़ देते हैं वह इसके सदस्य भी नहीं रह सकते। जो सदस्य बैंक के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते उन्हें बैंक से निराल दिया जाना है। परन्तु कोई सदस्य मुद्रा कोप का सदस्य न रहने पर भी ७५% मतों से बैंक का सदस्य रह सकता है। निम्नित सूचना देकर कोई भी सदस्य बैंक से अग्रना सम्बन्ध विच्छेद कर सकता है।

ऋण देने की कुछ शर्तें—बैंक सदस्य-देशों का नीचे लिखी शर्तों पर ऋण देता है—

(१) जबकि उधार माँगने वाले सदस्य देश को अन्य किसी प्रकार से उचित शर्तों पर ऋण प्राप्त न हो सके, (२) जबकि ऋण माँगने वाले सदस्य-देश की सरकार उस ऋण की गारंटी करे, तथा (३) जबकि ऋण लेने वाले सदस्य-देश उसे उसी काम में लगाएँ जिन कामों के लिए ऋण दिया गया है।

बैंक केवल आर्थिक पुनर्संगठन तथा विकास की योजनाओं के लिए ही ऋण देता है। ऋण लेने से पहिले सदस्य देश को ऐसी योजनाओं की एक सूची बैंक के पास भेजनी पड़ती है। ऋण देने से पहिले बैंक इस बात की पूरी पूरी छानबीन कर लेता है कि ऋण लेने वाला सदस्य देश ऋण का भुगतान वापिस चुका सकेगा या नहीं। ऋण देने से पहिले बैंक ऋण चाहने वाले सदस्य-देश की आर्थिक योजनाओं का भली भाँति निरीक्षण कर लेता है। इस काम के लिए वह केवल कागजी-कार्यवाही से हा सन्तुष्ट नहीं होता बरन् अपने प्रतिनिधि भेजकर उन योजनाओं की भली भाँति जाँच पड़ताल करा लेता है। ऋण देने के बाद भी बैंक समय समय पर इस बात की जाँच करता रहता है कि जिस काम को ऋण दिया गया है वह उसी काम में लगाया जा रहा है या नहीं। श्री होर ने जो, बैंक के उपाध्यक्ष थे, अपने व्याख्यान में बतलाया था कि कोई भी ऋण किसी सदस्य देश को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि (१) उस योजना की जिसने लिए ऋण लिया जा रहा है ऋण लेने वाले सदस्य-देश के आर्थिक निर्माण में कठिन आवश्यकता ही न हो। (२) वह योजना निश्चित समय में पूर्ण हो जाने योग्य न हो। (३) उस योजना पर

विशेषज्ञों को सम्मति न ले ली गई हो। श्री होर ने भारत आकर इस बात को स्पष्ट किया कि "बैंक अधिक उपयोगी तथा अति आवश्यक योजनाओं पर ही सबसे पहिले विचार करता है और यह भी देखता है कि ऋण लेने वाला सदस्य-देश ऋण लेकर निश्चित समय के पश्चात् उसे लौटा भी सकेगा या नहीं।"

बैंक ने २५ जून १९४६ से अपना कार्य आरम्भ किया। दिसम्बर १९४८ तक कुल १६ देशों ने ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र भेजे जिनमें से फ्रांस को २५० मिलियन, नीदरलैंड्स को १९५ मिलियन डॉलर, मैक्सिको को दो ऋण ३५ मिलियन डॉलर तथा फिलिपाइन्स को १५ मिलियन डॉलर के ऋण दिए गए। ३० अक्टूबर सन् १९४६ तक बैंक ने जो ऋण दिए यह अगले पृष्ठ पर दी हुई तालिका से स्पष्ट हैं—

### विश्व बैंक और भारत

भारत ने बैंक से अभी तक तीन ऋण लिए हैं जो हम प्रकार है —

१. पहला ऋण ३,४०,००,००० डॉलर का संयुक्त राज्य तथा कनाडा से रेलवे एजिन खरीदने के लिए लिया गया था। यह ऋण १५ वर्ष की अवधि का है। इस पर ३% व्याज तथा १ प्रतिशत कमोशन प्रतिवर्ष भारत को देना है। इस ऋण का भुगतान अगस्त १९५० से आरम्भ हुआ। इस ऋण में से १,७०,००,००० डॉलर की खरीद केनेडा से तथा १,००,००,००० डॉलर की खरीद अमेरिका से करना निश्चित किया गया था तथा शेष आवश्यकता के लिए रक्त दिया गया था। यह ऋण १८ अगस्त १९४६ को मिला था।

२. दूसरा ऋण १,००,००,००० डॉलर का २६ सितम्बर १९४६ को कृषि विकास एण्ड सुधार के लिए स्वीकृत किया गया था। इसकी अवधि ७ वर्ष है। इस पर २½% व्याज तथा १ प्रतिशत कमोशन प्रति वर्ष लिया जायगा। इसका भुगतान १ जून १९५२ से आरम्भ होगा। इस ऋण से भारत सरकार ने अमरीका से ट्रैक्टर खरीदे हैं जो बंजर भूमि को कृषि-योग्य बनाने में काम आ रहे हैं।

३. तीसरा ऋण १५ अप्रैल १९५० को १८५ मिलियन डॉलर का दामोदर घाटी योजना के अन्तर्गत कोरारो बिजली-घर बनाने के लिए दिया

३० अक्टूबर १९४६ तक प्रयोजन के अनुसार दिए गए ऋण  
(अरु हजार अमरीकन डॉलरों में)

| प्रयोजन—<br>देश | रुप     |                     | उद्योग     |          | यात्रायात्रा<br>यत्र | नियुक्त शक्ति<br>लाइट, बिजली<br>भेजने का यत्र | अन्याय | योग      |
|-----------------|---------|---------------------|------------|----------|----------------------|---|--------|----------|
|                 | रञ्जमान | यत्र +<br>नहरनेयत्र | रञ्जने माल | यत्र     |                      |   |        |          |
| मास             | २८,०००  | २,३००               | १७६,१००    | ११,०००   | ३३,३००               | ६००   | —      | २,५०,००० |
| नीदरलैंड        |         | २०,८००              | ६०,०००     | ५३,१००   | ७८,१००               |   |        | २,२२,००० |
| डेनमार्क        |         | ७,५००               | १६,६००     | ६,८००    | ४,८००                |   |        | ४०,०००   |
| लासमाबर्ग       | ६,०००   |                     |            | ७,५००    | ४,५००                |   |        | १२,०००   |
| बेल्जियम        |         |                     |            | १०,३००   |                      | ५,७००   |        | १६,०००   |
| फिनलैंड         |         | २,८००               |            | १२,६६०   |                      | २,०००   | ११,८६३ | १६,०००   |
| निली            |         |                     |            |          |                      |   | १,३०७  | ३६,०००   |
| मंगमीको         |         |                     |            |          | २२,१६०               |   |        | ७५,०००   |
| प्राजिल         |         |                     |            |          |                      |   |        | ५,०००    |
| कोलम्बिया       |         |                     |            |          | ३६,०००               |   | १८,५०० | ६२,५००   |
| *भारत           |         |                     |            |          |                      |   |        | २,७००    |
| युगोस्लाविया    |         |                     |            |          |                      |   |        | —        |
| योग             | ३२,०००  | ६८,४००              | २६१,६००    | १,०६,०५० | १,८६,८६०             | १,०७,६६३                                      | १,६६७  | ७,३६,६०० |

बैंक ने ये ऋण अपनी पूंजी में से दिए तथा दूसरे ऋणों की गारंटी भी की।

\*अभी ६० मिलियन डॉलर के ऋण और मिलने वाले हैं।

गया है। इस ऋण की अवधि २० वर्ष है। इस पर ३% व्याज तथा १% कमीशन प्रति वर्ष दिया जायगा। इसका भुगतान १ अप्रैल १९५५ से आरम्भ होगा।

इस प्रकार बैंक से भारत ने कुल मिलाकर ६,२५,००,००० डॉलर के ऋण लिए हैं, जिनमें से १२,००,००० डॉलर रद्द करा दिए। अब भारत को ६,१३,००,००० डॉलर के ऋण चुकाने बाकी हैं। ये ऋण हमारी औद्योगिक एवं अन्य विकास की योजनाओं को देखते हुए बहुत कम हैं। अभीगत वर्ष बैंक के प्रधान मि० ब्लेक ने भारतका दौरा करके घोषित किया था कि 'भारत के साधन प्रचुर हैं और इनका विदोहन करने के लिए बैंक और भी प्रयत्न दे सकेगा।' इससे सात होता है कि बैंक से भारत के प्रति सान्त्वनी हुई है। सरकार को चाहिए कि ऋण ऋण के लिए बैंक से मानवीत करके विकास की योजनाओं को प्रगति दे।

बैंक के सामने अविकसित देशों के आर्थिक विकास को बढ़ी भारी समस्या है। बैंक को इन देशों की ओर काफी ध्यान देना चाहिए। यदि शीघ्र ही इन देशों के आर्थिक-विकास के लिए सही कदम नहीं उठाया गया तो ये शीघ्र ही समाजवादी अर्थ-तन्त्र की ओर झुक जाएँगे। चीन के आर्थिक विकास के लिए रूस ने १% व्याज दर पर ऋण दिया है। अतः बैंक को भी उदार होकर ऐसे विद्वेष्ट राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। अब तक जो कुछ हुआ है उससे तो यह स्पष्ट है कि विश्व बैंक अपने प्रकार की एक अद्भुत संस्था है जो संसार के अधिकांश राष्ट्रों को, जो युद्ध के कारण लुप्त हो गए हैं, सहायता देती है। सभी राष्ट्रों के आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण के उद्देश्यों की लेजर चलने वाली यह पहली ही संस्था है। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा निटल्ली पूँजी राष्ट्रों के हित में काम लाई जा सकती है। यह एक प्रकार का ऐसा सुरक्षित पुल है जिसके द्वारा पूँजीपतियों की पूँजी अन्तर्राष्ट्रीय-क्षेत्र में पहुँचती है। बैंक राष्ट्रों के आर्थिक और राजनैतिक स्वास्थ्य को बल देने वाली संस्था है जो युद्ध के कारण बिगड़ गया था। बैंक एक प्रकार का संघ है जिसमें अनेक राष्ट्र सदस्य हैं और सब सदस्य मिलकर ऋण लेने वाले सदस्य का भार बँट लेते हैं। लार्ड कीन्स ने इसके विषय में एक बार कहा था, "इस संस्था से होने

वाले लाभों को आसानी से नहीं आँका जा सकता। राष्ट्रों के विकास के लिए इससे उन्हें साधन प्राप्त होंगे, लेनदार तथा देनदार में पारस्परिक सहयोग होगा—भुगतान सुतुलन हागा। इतने बड़े पैमाने पर ससार के प्रश्न को एक साथ लेकर चलने वाली संस्था आज से पहिले कभी स्थापित नहीं हुई।”

बैंक का भविष्य अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा कोष की सफलता पर निर्भर है। बैंक तभी सफल हो सकता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं में पारस्परिक परिवर्तता (Convertibility) हो और यह बात काप की सफलता पर निर्भर है। बैंक की सफलता उसके प्रबन्ध एवं संचालक की विशेषताओं पर भी निर्भर है, लेनदार देशों की राजकीय नीति पर भी निर्भर है एवं युद्धोत्तर-काल में सभी राष्ट्रों की ईमानदारी पर भी निर्भर है। प्रत्येक ऋण की जमानत व साख श्रृण लेने वाले सदस्य देश की भुगतान करने की इच्छा एवं शक्ति ही है। परन्तु यदि उधार लेने वाला ही अपनी नीयत गिरा दे तो ससार की कोई भी सस्था तथा कितने ही राष्ट्रों का कितना ही सहयोग सफल नहीं हो सकता।

जो कुछ भी परिस्थिति आज है उससे तो यही कहा जा सकता है कि बैंक विश्व के आर्थिक व ल्याण की भावना लेकर आया है। ससार में उत्पादन के लिए साधनों की कमी नहीं, उन सस्या का अभाव नहीं और इच्छा की भी कमी नहीं, कमी केवल पूँजी की है। परन्तु केवल पूँजी भी अकेली सहायता नहीं कर सकती। आवश्यकता तो राष्ट्रों को पारस्परिक सम्पर्क में लाने की है। बैंक का उद्देश्य राष्ट्रों तथा पूँजी दोनों को समीप लाना है। अतः यदि राष्ट्रों ने मिलकर सहयोग किया तो जो कुछ आज आवश्यकता है मिलकर रहेगा—स्थायित्व, वृद्धि ए व प्रगति।



## ३७—हमारी वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था

### मुद्रा-मंडी के दोष

हमारी वर्तमान मौद्रिक-व्यवस्था देश के केन्द्रीय बैंक—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रबन्धित होती है। देश में तीन प्रकार की मुद्राएँ प्रचलित हैं—

(१) धातु-मुद्रा, (२) पत्र-मुद्रा, (३) साख-मुद्रा।

धातु-मुद्रा अर्थात् सिक्के सरकारी टंकशालों में बनाए जाते हैं। जनता को धातु के बदले में सिक्के बनवाने का अधिकार नहीं मिला हुआ है—केवल सरकार के लेखे पर ही सिक्के बनाकर चलाए जाते हैं। छोटी-बड़ी राशि के अनेक प्रकार के सिक्के देश में काम आते हैं, जिनमें रुपया, अटली, चवली, दुवली, इकली, अधला और पैसा सम्मिलित हैं। द्वितीय युद्ध से पूर्व एक समय था जबकि रुपया, अटली, चवली तथा दुवली चाँदी की बनी होती थीं, परन्तु आज तो ये सब गिल्ट की बनाई जाती हैं। युद्ध काल में चाँदी का अभाव होने के कारण ऐसा करना पड़ा था। जनवरी १९४२ से दो पैसे का सिक्का, जिसे अधला कहते हैं, बनने लगा है। पैसे ताँबे के बने हो गए हैं। सिक्कों का लेखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है। देश में रुपया ही प्रमाणिक-सिक्काएँ तथा प्रमुक्त-मुद्रा माना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य सिक्के सहायक-सिक्के कहे जाते हैं।

१९३५ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनने पर नोट चलाने का काम इसी बैंक को सौंप दिया गया। अब यही बैंक नोट चलाती है। इस समय हमारे देश में परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय दोनों प्रकार के नोट चलते हैं। २, ५, १०, १०० रुपये के नोट परिवर्तनीय-नोट हैं जिनके बदले में रिजर्व-बैंक सिक्के देने का बचन देती है। १ रुपये के नोट अपरिवर्तनीय-नोट हैं जिन्हें भारत सरकार का वित्त-विभाग छाप कर चलाता है। एक और दो रुपये के नोट द्वितीय युद्धकाल में चलाए गए थे और आज भी चलते हैं। एक रुपये के नोटों के बदले में सरकार सिक्के देने का बचन नहीं देती। प्रतिनिधि रूप कागज़ के नोट (Representative Paper Money) हमारे देश में नहीं चलते।

नोट चलाने के लिए अब हमारे देश में "बैंकिंग-सिद्धान्त" का पालन किया जाता है जिसके अनुसार देश के केन्द्रीय-बैंक (रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया) को नोट चलाने का एकाधिकार मिला हुआ है। रिजर्व बैंक बनने से पहिले देश में "करेंसी सिद्धान्त" का पालन किया जाता था जिसके अनुसार सरकार नोट चलाने की थी।

नोट छापकर चलाने में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया "आनुपातिक-कोप प्रणाली" का पालन करती है। इस प्रणाली के अनुसार नोट चलाने से पहिले रिजर्व बैंक को नोटों के बदले में एक संचित-कोप रखना पड़ता है जिसमें सोना, सोने के सिक्के, विदेशी सिक्कूरिटीज, रुपया तथा रुपये की सिक्कूरिटीज रखी जाती हैं। चलाए जाने वाले नोटों के कुल मूल्य के बदले में संचित-कोप का कम-से-कम ४०% भाग सोना, सोने के सिक्के तथा विदेशी-सिक्कूरिटीज में रखना पड़ता है। इसमें भी हर समय कम से कम ४० करोड़ रुपये के मूल्य का सोना या सोने के सिक्के रखना अनिवार्य है। संचित कोप का शेष ६०% भाग रुपया, रुपये की सिक्कूरिटीज या अन्य देशी विलों में रक्खा जा सकता है। १९४६ से पहिले, जब अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा कोप नहीं बना था, रिजर्व बैंक को अपने संचित-कोप में स्टलिङ सिक्कूरिटीज रखकर उनके बल पर नोट चलाने का अधिकार था। परन्तु जब भारत अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोप का सदस्य हो गया तो रिजर्व बैंक केवल स्टलिङ सिक्कूरिटीज के बल पर ही नहीं वरन् अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के सब सदस्य देशों की सिक्कूरिटीज के बल पर नोट चला सकता है। अब हमारे देश की नोट-व्यवस्था काफी लोचदार है। चूँकि १ जनवरी १९४६ से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण हो गया है इसलिए रिजर्व बैंक द्वारा नोट चलाने का उत्तरदायित्व अब सरकार का भी उत्तरदायित्व बन गया है।

सन्देश में भारत की वर्तमान नाट व्यवस्था की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं :—

(१) परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय दानों प्रकार के नोटों का चलन,

(२) नोट चलाने के बैंकिंग सिद्धान्त का पालन, तथा

(३) 'आनुपातिक कोप' प्रणाली के अनुसार नोटों का प्रचलन।

इन तीनों विशेषताओं के कारण देश की नोट-व्यवस्था में लोच आ गई है।

### साख-व्यवस्था

भारत में साख-व्यवस्था इतनी उन्नत नहीं है जितनी अमरीका तथा यूरोप के अन्य देशों में पाई जाती है। न तो हमारे देश में बहुत सी साख-संस्थाएँ (बैंक आदि) हैं और न साख-मुद्रा (चेक, बिल आदि) का ही अधिक चलन है। देश के कुछ व्यापारिक केन्द्रों में जैसे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर आदि में साख-संस्थाएँ भी हैं और साख-मुद्रा का भी प्रचार बढ गया है; परन्तु देश के श्रान्तरिक भागों में साख का लेन-देन व साख मुद्रा का चलन ना के बराबर है। इसका कारण यह है कि हमारे देश की अधिकांश जनता अशिक्षित है—वे लोग चेकों, बिलों तथा अन्य साख-मुद्राओं का लिखना तथा उनका प्रयोग करना ही नहीं जानते। दूसरे, यहाँ के लोग राशि को इकट्ठा करके रुचित करने में विश्वास करते हैं। वे न तो आपस में ही उधार लेते-देते हैं और न बैंकों में ही जमा करते हैं। बैंकों ने भी साख-व्यवस्था को उन्नत बनाने का अधिक प्रयास नहीं किया है। जिन बैंकों ने साख के लेन-देन किए भी वे व्यापार की परिस्थिति से घोंगा टाकर नष्ट हो गए। हमारे देश में साख उन्नत न होने का सचम बड़ा कारण यह है कि पिल्ले वर्षों में हमारे देश की बैंकिंग-व्यवस्था बड़ी अस्त-व्यस्त रही। न तो देश में कोई केन्द्रीय बैंक था जो साख-नियंत्रण का काम करता और न बैंकिंग कम्पनी कानून ही था जो बैंकों पर अंकुश रखा। अब हमारे देश में केन्द्रीय बैंक भी है और बैंकिंग कानून भी बन गया है। अब केवल एक बात की आवश्यकता है कि लोगो को साख बनाने के लिए उनको साख-मुद्रा का प्रयोग सिखाया जाय तभी देश की साख-व्यवस्था उन्नत बनाई जा सकेगी।

### भारतीय मुद्रा-मण्डी के दोष

भारतीय मुद्रा-मण्डी कई भागों में विभाजित है। इन भागों में न तो संगठन है और न आपसी सहयोग ही है। इतना ही नहीं, इस मण्डी में कुछ श्रद्ध तो गेते हैं जिनमें पारस्परिक सहयोग तो दूर, उल्टी प्रतियोगिता है। स्वदेशी बैंकों तथा व्यापारिक बैंकों में पारस्परिक प्रतियोगिता रहती है और वे स्वतन्त्र रूप से रुपये का लेन-देन करते हैं। इसी के साथ-साथ इन्वैरिबल बैंक भी

अन्य व्यापारिक बैंकों का प्रतिपागी है क्योंकि इस बैंक को कानून से कुछ विशेष अधिकार तथा सुविधाएँ मिली हुई हैं।

मुद्रा-मण्डी में ऋण प्रदायक सस्थाओं का अभाव है। पाश्चात्य देशों की भाँति कोई भी सस्थाएँ ऐसी नहीं हैं जो विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों की आवश्यकतानुसार राशि की पूर्ति कर सकें। ऋण देने के लिए मुद्रामण्डी में आवश्यक मात्रा में राशि भी नहीं रहती। मुद्रामण्डी में न लोच है और न स्थायित्व ही है।

मण्डी के विभिन्न अंगों का किसी भी प्रकार सहयोग न होने के कारण व्याज की दरों में बहुत उन्चावचन रहता है। कहीं पर व्याज दर ऊँची होती तो कहीं बहुत नीची। इसी प्रकार किसी व्यवसाय में ऊँची होती है तो किसी व्यवसाय में नीची दर पर उधार मिलता है।

मण्डी में बैंकिंग सुविधाओं का भी अभाव है। देहातों में जहाँ बैंकों की बहुत आवश्यकता है, बैंक ही नहीं। हमार यहाँ ६२,५०० व्यक्तियों के पीछे एक बैंक कार्यालय है जबकि अमेरिका में ७००० व्यक्तियों के पीछे एक बैंक-कार्यालय है।<sup>१</sup>

अन्य देशों की भाँति हमारी मुद्रा-मण्डी में बिलों का बहुत ही कम उपयोग होता है तथा बिलों को कटौती की सुविधाएँ भी नहीं हैं क्योंकि रिजर्व बैंक केवल उन्हीं बिलों की कटौती करता है जो मान्य हों तथा उसके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार हों।

## ३८—अन्तर्राष्ट्रीय प्रांगण में हमारा रुपया

( एक नवीन परिवर्तन )

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक क्षेत्र में हमारा रुपया सदैव से इंग्लैण्ड की मुद्रा — स्टर्लिंग के साथ बँधा हुआ रहा। भारत के शासक-श्रेणियों ने देश में राज-नैतिक आधिपत्य तो जमाया ही साथ ही साथ देश की मुद्रा-व्यवस्था को इस प्रकार संचालित किया कि हम मौद्रिक क्षेत्र में भी उनका मुँह देखते रहे। जैसे और जब वे चाहते तैसे और तभी हमारे रुपये को विनिमय दर में फेर-बदल कर दिया करते थे। हमारे रुपये का भाग्य विदेशी मुद्रा के साथ बँधा हुआ था। जब-जब उस मुद्रा में कोई फेर-बदल होती तो उसका पाप हमारा मुद्रा को भी भोगना पड़ता था और इस प्रकार हमारे व्यापार पर भी प्रभाव पड़ता था। यही कारण था कि १९२० के पश्चात् भारत के अनेक व्यापारी दियानिया बन गए। १९२५ में भी हिल्टन यंग कमीशन ने रुपये का भाग्य स्टर्लिंग के साथ बँधना निश्चित किया था। १९३२ में इंग्लैण्ड में स्वर्ण-प्रभाव डूट जाने पर हमारे रुपये को स्वर्ण-हीन स्टर्लिंग के साथ बँधना पड़ा। १९३५ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बन जाने पर भी इस परिस्थिति में कोई फेर-बदल नहीं हुई। यरन् रिजर्व बैंक को कानून के अनुसार रुपये के बदले में स्टर्लिंग की गरीद-बेच करने का दायित्व और दे दिया गया। उस समय रुपये की विनिमय-दर १ शि० ६ पेंस थी और रिजर्व बैंक १ शि० ६ १/२ पेंस प्रति रुपये की दर से स्टर्लिंग गरीदता तथा १ शि० ५ १/४ पेंस प्रति रुपया की दर से स्टर्लिंग बेचता था। समय-समय पर अनेक बार रुपये के स्टर्लिंग के साथ गठबन्धन पर वाद-विवाद होते रहे और पक्ष तथा विपक्ष में तरह-तरह की युक्तियाँ दी जाती थीं परन्तु कोई परिणाम न निकला। और भी, रिजर्व बैंक ऐक्ट की धारा ३३ के अनुसार यह व्यवस्था कर दी गई कि स्टर्लिंग गिस्चूरिटियों के बल पर भारत में नोट चलाए जा सकते हैं। इसी व्यवस्था का तो यह दुष्परिणाम था कि गत मुद्रकाल में भारत की विदेशी सरकार रिजर्व बैंक के कोष में स्टर्लिंग गिस्चूरिटियों के ढेर लगाती रही और देश में नोट

छाप कर चलाती रही जिससे हमारे देश में मुद्रा-स्फोति हुई, वस्तुओं के भाव आकाश तक जा लगे और देशवासियों का वस्तुओं के अभाव में नारकीय यातनाओं का सामना करना पड़ा।

परन्तु अब परिस्थिति बिलकुल भिन्न है। युद्ध के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय मद्रा कोप बनने से और भारत सरकार द्वारा उसकी सदस्यता स्वीकार लेने से हमारा रुपया अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक क्षेत्र में अब किसी भी देश की मद्रा विशेष के साथ बँधा हुआ नहीं है। १२ दिसम्बर १९४६ का भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मद्रा कोप की सदस्यता स्वीकार की और उसी दिन से हमारा रुपया स्वतन्त्र हो गया। कोप के विधान के अनुसार रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य सोने तथा अमरीकन डॉलरों में व्यक्त करने काप में निश्चित कर दिया गया। एक रुपया = २६.८६०१ ग्राम सोने के बराबर घोषित किया गया। दूसरे शब्दों में १ अमरीकन डॉलर = ३०.८५२ रुपयों के बराबर निश्चित किया गया। इसी प्रकार काप के सभी सदस्य देशों ने अपनी अपनी मद्राओं का मूल्य सोने तथा अमरीकन डॉलरों में व्यक्त करके कोप के अधिनारियों के पास भेज दिया। इस प्रकार सभार के अधिकांश देशों, जो कोप के सदस्य हैं, की मुद्राएँ एक प्रकार से साने से सम्बन्धित हो गईं और उनका पारस्परिक विनिमय अनुपात भी साने के माध्यम द्वारा निकाला जाने लगा। भारत सरकार ने अपने रुपये का जो स्वर्ण-मूल्य रक्खा वही इंग्लैण्ड की सरकार ने १ शि० ६ पै० का रक्खा। इस प्रकार साने के माध्यम का रखे कर आज भी १ रुपया १ शि० ६ पै० के समान है। भारत सरकार यदि चाहती तो उस समय अपने रुपये का स्वर्ण मूल्य में परिवर्तन कर सकती थी और आज भी वह कोप के नियमानुसार उसमें परिवर्तन कर सकती है। परन्तु सरकार ने अपने देश के आन्तरिक और वैदेशिक व्यापार के हित में रुपये के स्वर्ण-मूल्य में परिवर्तन न करना ही उचित समझा।

रुपये का स्वर्ण-मूल्य निश्चित करने से हमारा रुपया, अन्य मुद्राओं की भाँति पूर्ण रूपेण 'स्वतन्त्र' है। परन्तु 'स्वतन्त्र' शब्द का यह अर्थ नहीं कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छानुसार किसी भी समय कितनी भी मात्रा में और किसी भी विदेशी-मुद्रा में रुपये को बदलवा सके। 'स्वतन्त्र' शब्द का अर्थ तो यह है कि

भारत सरकार अपने देश के हितों को सामने रखकर रुपये की विनिमय दर में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा करने समय उसे, कोय को हंडाई अन्य किसी बाह्य सरकार से आज्ञा या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। १९४६ से पहिले तो रुपये की विनिमय-दर में परिवर्तन करने के लिए इंग्लैण्ड की सरकार से आज्ञा लेना आवश्यक था और स्टर्लिङ्ग में परिवर्तन होने के साथ साथ हमारे रुपये में भी स्वतः ही परिवर्तन हो जाने थे। आज यह बात नहीं है। यदि आज स्टर्लिङ्ग के मूल्य में कोई घटा-बढ़ी हो या की जाय तो उसका रुपये पर भी प्रभाव पड़े यह आवश्यक नहीं है।

कुछ लोग समझते होंगे कि चूंकि अब भी १ रुपया १ शि० ६ पें० के बराबर है तो रुपया स्टर्लिङ्ग पर आश्रित होगा, यह बात नहीं है। इसका कारण तो यह है कि हमने १ रुपये का जो स्वर्ण-मूल्य दिया है वही इंग्लैण्ड का सरकार ने १ शि० ६ पें० का दिया है इसलिए १ रुपया १ शि० ६ पें० के बराबर है। दूसरे, हमारा आधिकार व्यापार इंग्लैण्ड तथा स्टर्लिङ्ग प्रदेशीय देशों के साथ होने के कारण हमने अदल बदल तथा भुगतान सम्बन्धी सुविधाओं की दृष्टि से अपने रुपये का मूल्य शि० ६ पें० में व्यक्त करने की प्रथा बना रखी है अन्यथा हमारे ऊपर इंग्लैण्ड का या स्टर्लिङ्ग का पहिले की भांति कोई दबाव या जोर-जबरदस्ती नहीं है। हम जब भी चाहें तभी रुपये का मूल्य स्टर्लिङ्ग में व्यक्त करना बन्द कर सकते हैं। मुद्रा-कोय की सदस्यता के साथ हमारा स्टर्लिङ्ग से नाता टूट गया है। यह नाता टूट जाने के कारण अब रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैण्ड या ऐंक्ट की धाराओं में भी परिवर्तन कर दिए गए हैं। ऐंक्ट की धाराएँ ४० और ४१ को रद्द करके एक नई व्यवस्था की गई है कि रिजर्व बैंक पहिले की भांति अब केवल स्टर्लिङ्ग ही नहीं परन्तु मुद्रा-कोय के सभी सदस्य-देशों की मुद्राओं का क्रय विक्रय कर सकता है परन्तु यह क्रय विक्रय २ लाख रुपये से कम मूल्य की मुद्राओं या नहीं हो सकता। मुद्राओं का क्रय विक्रय केवल अधिभूत व्यक्तियों के साथ ही किया जा सकता है और अधिभूत-व्यक्ति वे ही होते हैं जिन्हें सरकार १९४७ के विदेशी-विनिमय कानून के अनुसार ऐसा करने के लिए अधिकार देती है। इसी प्रकार ऐंक्ट की धारा ३३ में भी परिवर्तन करके यह व्यवस्था कर दी गई है कि बैंक मुद्रा-कोय के सभी सदस्य देशों की

सिक्यूरिटीयों के बल पर नोट छापकर चला सकती है। पहिले की भाँति अब नेचन स्टर्लिंग सिक्यूरिटीयों के बल पर ही नहीं कोप के सभी सदस्यों की सिक्यूरिटीयों के बल पर नोट छापे जा सकते हैं। ऐक्ट की धारा १७ में भी स्टर्लिंग व स्थान पर विदेशी-सिक्यूरिटीयों या विदेशी विनिमय शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है। इस प्रकार रिजर्व बैंक ऐक्ट में फेर बदल करके हमारे रुपये की स्वतन्त्रता वैधानिक बना दी गई है। स्टर्लिंग में रुपये का विनिमय मूल्य यत्रपि आज भी १ शि० ६ पेंस है लेकिन हमारी आर्थिक एव मौद्रिक परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन करने का अधिकार हमारी सरकार को है।

१९४६ में स्टर्लिंग तथा अन्य मुद्राओं के साथ साथ हमारे रुपये का जो अवमूल्यन किया गया उससे कुछ लोगों को अभी यह सदेह बाकी है कि हमारा रुपया स्वतंत्र नहीं बनने स्टर्लिंग पर ही आश्रित बना हुआ है। परन्तु ऐसा समझना उनका भ्रम है। जैसा कि रुपये का अवमूल्यन शीर्षक लेख में बताया गया है, हमारी सरकार ने स्टर्लिंग की देखा-देखी या इंग्लैंड के दबाव में आकर रुपये का डॉलर मूल्य कम नहीं किया था। वरन् वह तो स्वतन्त्र सरकार का अपने स्वतन्त्र-रुपये के लिए देश के हित में एक स्वतन्त्र-कदम था। इंग्लैंड ने डॉलर-संकट को टालने के लिए स्टर्लिंग का अवमूल्यन किया था तो हमने भी अपने सामने आए हुए डॉलर संकट को दूर करने तथा अपने वैदेशिक व्यापार को बढाकर विदेशी मुद्रा कमाने के लिए रुपये का अवमूल्यन किया। यदि हमारी सरकार यह उचित समझती कि रुपये का अवमूल्यन नहीं करना चाहिए तो अवमूल्यन करने के लिए उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता था। पाकिस्तान ने अवमूल्यन नहीं किया तो क्या किसी ने उसे अवमूल्यन करने के लिए बाध्य किया? अवमूल्यन करते समय वित्त मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि रुपये का अवमूल्यन किसी भी शक्ति के दबाव के कारण नहीं वरन् देश के वैदेशिक व्यापार की वृद्धि के लिए किया जा रहा है।

अब कुछ दिनों से फिर पुनर्मूल्यन की लहर दौड़ने लगी है। लोगों का अनुमान है कि स्टर्लिंग की दर में फिर फेर-बदल की जायगा। यदि ऐसा



दुआ तो भारत सरकार भी रुपये के साथ यही बन्दर-नीति बरते यह आवश्यक नहीं है। हो सकता है स्टर्लिंग के पुनर्मूल्यान पर भारत-सरकार भी वैसा ही करे। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं होगा कि रुपये का स्टर्लिंग के साथ गठबन्धन है वरन् उसका अर्थ यह समझना चाहिए कि देश के हित में सरकार रुपये की दर में परिवर्तन करने को तैयार है। यदि स्टर्लिंग के पुनर्मूल्यान पर सरकार उचित न समझे तो रुपये की दर में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। परन्तु इसका निर्णय सरकार देश के प्रमुख व्यापारियों, उद्योगियों तथा अन्य विशेषज्ञों से ताल-मेल रखकर ही कर सकती है। राजनैतिक-स्वतन्त्रता के साथ-साथ मौद्रिक स्वतन्त्रता भी हमारे पास है—इस जैसा चाहें उसका उपयोग करें। यदि हमने इस ओर सातन्त्र दग उठाये तो अत्यन्त ही अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रांगण में हमारी मुद्रा का सम्मान बहुत बढ़ जायगा।



## ३६—हमारा वैदेशिक व्यापार

### समस्याएँ और सम्भावनाएँ

गत महायुद्ध से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण ससार के सन्तुलित विभिन्न आर्थिक समस्याएँ उपस्थित हुईं, जिनसे परिणामस्वरूप ससार का पिछला आर्थिक संगठन बदल सा गया। अमरीका, कनाडा आदि कुछ देशों ने अधिक वैभव और समृद्धि प्राप्त की। उनकी आर्थिक स्थिति और भी बलवती और विकासमयी बनी। ब्रिटेन तथा यूरोप के देश महायुद्ध की विघ्नसात्मक क्रियाओं से प्रतिफल तथा उपनिवेशों के समाप्त होने से आर्थिक संकट का सामना करने लगे। उनके आर्थिक ढाँचे ने क्षीणता ही प्राप्त नहीं, उभमें विशङ्कलता भी आई। उनके अतिरिक्त भारत आदि अन्य एशियाई देश हैं जो स्वतन्त्रता प्राप्त कर अपनी औपनिवेशिक अर्थ-व्यवस्था को राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का रूप देने में सलग्न हैं। इस प्रकार महायुद्ध के पश्चात् ससार के तीन भिन्न भाग विविध आर्थिक ढाँचों को लेकर आगे बढ़े। यद्यपि सबका उद्देश्य राष्ट्रीय आर्थिक संगठन था, फिर भी उन्होंने भिन्न समस्याओं को हल करने के लिए परिस्थितियों के अनुकूल साधनों को अपनाया। ससार के बहुभाग की आर्थिक स्थिति को उद्धार करने के लिए अमरीका इस तथ्य पर पहुँचा कि ससार के बहुभाग की समृद्ध बहुभाग का संकट मिटाये बिना अल्प समय तक ठिकी नहीं रह सकती। अतएव उसने यूरोप के युद्ध से पिछस्त देशों के आर्थिक ढाँचे के बिखरे हुए अवस्था को पुनः संगठित करने में सहयोग दिया। उसके सहयोग के कारण यूरोप के देशों ने अपनी अर्थ व्यवस्था का पुनर्स्थापन अति शीघ्र किया। उत्पादन बढ़ने लगा और आज कुछ वस्तुओं का उत्पादन ससार की आवश्यकता से भी अधिक है। यह सहयोग अब भारत आदि अन्य एशियाई देशों को भी प्राप्त होने लगा है। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है वह इस सहयोग द्वारा कृषि और उद्योग का विशेष ज्ञान प्राप्त कर उनके उत्पादन में वृद्धि अर्थात् ही करेगा। इससे अन्न के आयात में कमी और निर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की आशा की जा सकती है।

ब्रिटेन आदि अन्य देश अमरीका के सहयोग पर ही निर्भर न रहे। उन्होंने घरेलू उत्पादन को बढ़ाने तथा युद्ध के अनन्तर थोड़े हूँ मजिनों को फिर प्राप्त करने के लिए रान्यकर ( क्रिसवल ) तथा चलन ( मोनेटरी ) दोनों ही साधनों को अपनाया। आयात न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार नियमित किया गया और निर्यात को हर प्रकार से बढ़ावा दिया गया, किन्तु, युद्ध-काल में मुद्रारक्षीति और वस्तु तथा सेवाओं की अलभ्यता के कारण उपभोक्ताओं की मंचित मंगि विम्फुटित हो उठी और पलस्वम्ब, आयात में भी वृद्धि होने लगी। इसमें लेखा-मंजुलन की कठिनाई उगमियत हुई। इसे दूर करने के लिए सभी व्यापारिक घाटेवाले देशों ने कुछ कार्रवाहियाँ की, जिसमें महत्वपूर्ण स्थान विनिमय और परिमाण-मक निबंधनों का है। ये दो निबंधन अमरीका आदि देशों में भी बरते जा रहे हैं। भारत आदि कई देशों ने मुद्रा का अव-मूल्यन किया। इसमें लेखा-संतुलन की कठिनाई कुछ समय के लिए दूर अवश्य हो गई परन्तु विदेशी माल की एक इकाई के लिए उन्हें एक निहाई माल अधिक देना पड़ा। संसार के प्रायः सभी देशों ने युद्ध से पूर्व कुछ देशों में बरती जानेवाली द्विदेशिक व्यापार-प्रणाली को अपनाया। इस प्रणाली के अन्तर्गत कोई भी दो देश पारस्परिक समझौता करने हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार आयात-निर्यात के 'कोटा' निश्चित करते हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार के नियमित व्यापार से लेखा-संतुलन में सफलता होती है। भारत का व्यापार अभी स्वतन्त्र नहीं है। भारत सरकार अपनी नीति बदलने में देर नहीं करती और द्विदेशिक समझौतों को स्थान में रखने हुए लायसम्स देती है। इस सूक्ष्म वर्णन में यह स्पष्ट हो जाता है कि आज संसार का व्यापार राज-नीतिक और आर्थिक परिस्थिति के अनुकूल नियमित और नियमित है।

संसार की आम समस्याओं के अतिरिक्त भारत के सामने कुछ विशेष समस्याएँ भी आईं जिनके कारण उसके व्यापार के टाँचे में बड़ा अन्तर आया। युद्धकाल में उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में कमी होने से घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिला। भारतीय उद्योगपतियों ने समय से लाभ उठाया और उद्योगों के विकास के साथ नये उद्योगों को भी स्थापित किया। युद्ध के पश्चात् भारत से उपभोक्ता वस्तुएँ भी निर्यात होने लगीं। १९४६ के आयात-निर्यात के देशनाईको

से ज्ञात होता है कि आयात का देशनाक २४४ और निर्यात का २६० था ( १९३८-१०० ) । दु.स है कि राजनीतिक परिस्थिति ने साथ न दिया और व्यापार की गति गिरने लगी । देश-विभाजित होते ही भारत के आर्थिक संगठन में ऐसे परिवर्तन आये जिनका व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा । यह भारत के व्यापार का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें उसके आयात निर्यात की नई कहानी आरम्भ होती है । उसे पटसन, रूई और अन्न के लिए विदेशों पर आश्रित होना पड़ता है । यह सत्य है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकट प्रयास कर रहा है और पटसन तथा रूई के उत्पादन को काफी अधिक बढ़ा लिया है । अन्न का प्रश्न ही उसकी आर्थिक स्थिति की एक विचित्र पहली बना हुआ है । निम्न तालिका भारत के बढ़ते हुए व्यापार को बताती है :—

### मूल्य का देशनांक

| साल   | आयात                    |              |                | निर्यात                        |              |                |     |     |
|-------|-------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|--------------|----------------|-----|-----|
|       | खाद्यवस्तु<br>व तम्बाकू | कच्चा<br>माल | निर्मित<br>माल | कुल<br>खाद्यवस्तु<br>व तम्बाकू | कच्चा<br>माल | निर्मित<br>माल | कुल |     |
| १९४२* | १०७                     | १०४          | ८९             | ९६                             | ११०          | १०२            | ९७  | १०१ |
| १९५०  | १०४                     | ११३          | ९६             | १०३                            | १२७          | ११४            | १०३ | ११० |
| १९५१* | ११२                     | १५७          | १२०            | १२७                            | १५५          | १४८            | १६४ | १५७ |

### मात्रा का देशनांक

|       |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| १९४९* | १०० | ११४ | १२१ | ११५ | १२७ | ९७  | ८८  | १०२ |
| १९५०  | ७१  | ११२ | ७९  | ८८  | १०९ | १०३ | ११२ | ११५ |
| १९५१* | १३९ | १०८ | ९०  | १०५ | ११५ | १२८ | ११९ | १२१ |

उपर्युक्त तालिका भारत के आयात-निर्यात के मूल्य तथा उसकी प्रमात्रा के पिछले तीन सालों में घटाव-बढ़ाव को प्रदर्शित करती है । साथ ही वह हमारे व्यापार के ढाँचे पर भी प्रकाश डालती है । घटाव बढ़ाव का एक मात्र

\* दस माह की औसत

कारण देश की माँग और प्रदाय शक्ति ही नहीं है, इस सम्बन्ध में संसार की प्रदाय स्थिति, वस्तुओं का मूल्य तथा राजनैतिक वातावरण—ये सभी बातें ध्यान देने योग्य हैं ।

किसी भी देश का आयात और निर्यात उसके आर्थिक ढाँचे पर निर्भर है । भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने से उसे न विद्युत् इत्यादि देश ही कहा जा सकता है और न उमका नाम उन्नतियों देशों की सूची में ही आना है । उसने उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है और अब वह बड़ी मशीनों तथा कलों के लिए कारखाने स्थापित कर रहा है । इस औद्योगिक उन्नति के कारण उसके व्यापार के ढाँचे में भी परिवर्तन आया । उसके निर्यात की सूची से कुछ मर्दे शोभल हो चुकी हैं और अनेक की प्रमाणा में कमी आ गई है । निम्न-तालिका निर्यात की स्थिति प्रस्तुत करती है :—

कुछ वस्तुओं का निर्यात ( मासिक औसत )  
( प्रमात्रा )

| वस्तु                | १९४६  | १९५०  | १९५१  |
|----------------------|-------|-------|-------|
| रई (००० टन)          | ४     | ३     | २५    |
| रूई कपड़ा (करोड़ गज) | ३६    | ६३    | ८६    |
| बोरी (न० करोड़)      | ३७    | २६    | ३३    |
| हयसेन (करोड़ गज)     | १०४   | ६२    | ६०    |
| मूँगफली (००० टन)     | ५     | ८     | ४     |
| अनधी "               | ५     | ५     | ३     |
| खाल "                | २     | १     | १५    |
| लोहा "               | ५     | २     | ५     |
| मैंगनीज "            | ४५    | ३१    | ३०    |
| अभरक (टन)            | ११५०  | १३५०  | २५८०  |
| चाय "                | १८३५४ | १४७३२ | १५१७६ |
| लाग "                | १७५०  | २५५०  | २०००  |

इन वस्तुओं के अतिरिक्त सिलाई की मशीनें, काँच का सामान, चीनी, खेती के औजार, बिजली का सामान, ऊनी कपड़ा, दरी, रसायन आदि कई निर्मित वस्तुएँ विदेशों को भेजी जाती हैं।

यों तो छोटा बड़ा विविध प्रकार का सामान आयात किया जाता है, मुख्य उपभोक्ता वस्तुएँ निम्न तालिका में दर्शित की गई हैं —

### कुछ वस्तुओं का आयात ( मासिक औसत )

( प्रमाणा )

| वस्तु                    | १९४६  | १९५०  | १९५१* |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| कागज (टन)                | ६६५०  | ५४५०  | ६५५०  |
| रई कपड़ा (००० गज)        | १७    | १७    | १३    |
| स्त्री कपड़ा (००० गज)    | ७६१३  | ५७४   | ७६७   |
| सूत (००० पौंड)           | १६७५  | २६२   | १०६   |
| मिट्टी का तेल (००० गैलन) | १६०२० | १८५४८ | १८७२६ |
| पेट्रोल                  | १४०२१ | १६१५४ | १७७१६ |
| खाद (००० टन)             | १७    | ४०    | ११    |
| अन                       | २१३   | १३२   | ३३८   |

देश के आयात की सूची यहाँ पर समाप्त नहीं हो जाती। भारत की वर्तमान विकासमय औद्योगिक नीति पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि कुछ उपयुक्त मर्दें शीघ्र ही इस सूची से ओझल हो जायेंगी। किन्तु देश के प्राकृतिक साधनों पर ध्यान देने से यह छिपा न रह सकेगा कि तालिका में कुछ ऐसी मर्दें हैं जिनका आयात भविष्य में बढ़ेगा। इनके अतिरिक्त भारत मशीन और उपभोक्ता वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चा माल भी आयात करता है। इनमें से कुछ वस्तुओं के आयात का ज्ञान निम्न आँकड़ों से लिया जा सकता है :—

\* दस माह का औसत

(करोड़ रुपये)

अप्रैल-नवम्बर

| वस्तु                | १९४६ | १९५० | १९५१ |
|----------------------|------|------|------|
| मशीनों की वैल्यूटिंग | ०.८  | ०.७  | १.३  |
| रसायन                | ६.३  | ५.४  | १२.१ |
| लोह भाण्ड            | ५.१  | ३.१  | ४.२  |
| बिजली के यंत्र       | १०.२ | ६.८  | ६.४  |
| मशीन आदि             | ७५.३ | ५७.६ | ३७.६ |
| फैरस धातु            | ६.८  | ११.७ | १३.५ |
| नान-फैरस धातु        | १३.० | १६.८ | १३.५ |
| दवाइयाँ              | ६.२  | ५.६  | १०.२ |
| लारी, ट्रक आदि       | ४.५  | २.१  | १.४  |
| मोटर्स               | २.३  | २.१  | २.७  |

इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों से भारत के आयात-निर्यात का ढाँचा बदल रहा है। भारत अब केवल कच्चे माल का प्रदायक न रह कर उसे चोर बाजार के भाव पर भी स्वरीद कर स्वयं आयात करता है और उपभोग आदि वस्तुओं को तय्यार कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद विदेशों को भी भेजता है। पंच-वर्षीय योजना पर ध्यान देने से यह विदित होता है कि अगले पाँच वर्षों में भारत के व्यापार का ढाँचा आज के सदृश्य मिश्रित न रह कर स्पष्ट रूप ग्रहण करने लगेगा। भारत के आयात की सूची से रेल के इंजन, कई प्रकार की मशीनें, मोटर, रसायन तथा अन्य निर्मित माल की प्रमाणा नहीं के बराबर रह जायगी। साथ ही भारत रूई तथा पटसन में भी आत्म निर्भर बन जायगा। उसकी निर्यात सूची में मशीन, रसायन तथा अन्य निर्मित माल की गंध्या और प्रसार प्रमाणा दोनों में वृद्धि होगी। यह सब तभी सम्भव है जब भारत में राजनैतिक शक्ति बनी रहे और सरकार तथा उद्योगपति एक दूसरे के सहयोग द्वारा पंच-वर्षीय योजना को सकल बनायें और देश के उद्योगीकरण को वृद्ध और विखाल रूप दें।

## ४०—राष्ट्रीय आय

### हमारी प्रति-व्यक्ति आय का एक अध्ययन

किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय उस देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास की द्योतक होती है। प्रगतिशील राष्ट्रों की वार्षिक आय उत्पादन बाहुल्य के कारण स्वतः ही अधिक होती है तथा उद्योग-घन्घों की दृष्टि से पिछड़े हुए राष्ट्रों की उत्पादन-शक्ति कम होने के कारण प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है। आधुनिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय समूचे उत्पादन की ही द्योतक नहीं, राष्ट्रीय आय के वितरण पर भी यथेष्ट प्रकाश डालती है। प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्र की सम्पत्ति के वितरण से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। राष्ट्र के आर्थिक जीवन के उतार-चढ़ाव प्रति व्यक्ति आय द्वारा जाने जाते हैं। आर्थिक आयोजन की दृष्टि से आर्थिक जीवन के इन परिवर्तनों को जानने के लिए राष्ट्रीय आय का ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय आय के आँकड़ों द्वारा समाज के रहन-सहन के स्तर का पता लगाया जा सकता है और यह ज्ञात किया जा सकता है कि राष्ट्र के विभिन्न वर्ग उन्नति पर हैं अथवा अवनति की ओर जा रहे हैं। हमारे देश में, जहाँ के निवासियों का रहन-सहन निम्नतर है, जहाँ के लोगों का स्वारय बहुत गिरा हुआ है, जहाँ लोगों को पोषक आहार तो क्या पेट भर भोजन भी प्राप्त नहीं, इस बात की कतिन आवश्यकता है कि राष्ट्रीय आय की वास्तविक स्थिति जानी जाय। ऐसी स्थिति में यदि सरकार राष्ट्रीय आय का सही-सही ज्ञान प्राप्त कर सके तो उसे देश की आर्थिक विपन्नता को दूर करने के लिए कोई भी ठोस कदम उठाने में बारी योग मिल सकता है और तभी वह लोगों की कर-क्षमता का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके क्षमता के आधार पर कर-प्रणाली का आयोजन कर सकती है।

गत वर्षों में हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय की वास्तविक स्थिति जानने के अनेक प्रयत्न होते रहे हैं। सबसे पहला प्रयत्न १८६७-७० में किया गया था जब डा० दादाभाई नोरोजी ने राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़े प्राप्त किए थे। इसके



परवान् समय-समय पर अनेक प्रयत्न होते रहे । समय-समय पर प्रति व्यक्ति आय के जो आँकड़े प्राप्त किए गए, वे इस प्रकार हैं:—

| वर्ष      | आँकड़े प्राप्त करनेवाले व्यक्ति या संस्था का नाम | प्रति-व्यक्ति आय ( रुपये में ) |
|-----------|--|--------------------------------|
| १८६७-७०   | दादाभाई नौरोजी                                   | २०                             |
| १८८२      | लार्ड क्रोमर                                     | २७                             |
| १८९१      | ई० ए० हॉर्न                                      | २८                             |
| १८९८      | डिग्बी   | १७ ८                           |
| १८९९-१९०० | डिग्बी   | १२ ८                           |
| १९००      | फर्जन  | ३०                             |
| १९०३      | सर थार० गिफिन                                    | ३०                             |
| १९११-१२   | डा० बालकृष्णन्                                   | २१                             |
| १९११      | ई० ए० हॉर्न                                      | ४२                             |
| १९१३-१४   | घादिया और जोशी                                   | ४४-८                           |
| १९००-१४   | शाह और ग्मभाता                                   | ३८                             |
| १९२१-२२   | शाह और ग्मभाता                                   | ६७                             |
| १९२५      | वकील और मुरजन                                    | ७४                             |
| १९३१      | किण्डले शिराज                                    | ६३                             |
| १९३१-३२   | डा० राय  | ६५                             |
|           | ग्रामीण  | ५१                             |
|           | नागरिक   | १६६                            |
| १९३७-३८   | सर जेम्स प्रिग                                   | ५६                             |
| १९३८-३९   | 'कॉमर्स' साप्ताहिक के एक                         |                                |
|           | संख्या द्वारा १८-१२-१९४३                         | ६६                             |
|           | ग्रामीण  | ४७                             |
|           | नागरिक   | २००                            |
| १९४२-४३   | 'कॉमर्स' के एक संख्या द्वारा                     | १४२                            |
|           | ग्रामीण  | ९१                             |

वर्ष      ऑकड़े प्राप्त करने वाले व्यक्ति या  
संस्था का नाम      प्रति-व्यक्ति आय  
( रुपयों में )

|         | नागरिक  | ४८३ |
|---------|---|-----|
| १९४३ ४४ | दिल्ली के एक साप्ताहिक<br>'इंस्टर्न इक्वॉनॉमिस्ट' | १३६ |
| १९४४ ४५ | "   | १३६ |
| १९४५ ४६ | "   | १३७ |
| १९४६ ४७ | "   | १४३ |
| १९४७ ४८ | "   | १६० |
| १९४८ ४९ | "   | १८६ |

उक्त ऑकड़ों से ज्ञात होता है कि समय-समय पर विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा लिए गए आंकड़ों में काफी अन्तर और विषमता है। इसका एक कारण यह है कि समय-समय पर मूल्य-स्तरों में, जिनके आधार पर ये आंकड़े ज्ञात किए गए थे, काफी अन्तर रहता था। दूसरी बात यह रही कि किसी विशेषज्ञ ने अपनी जाँच पड़ताल का चैन छोड़ा रक्खा और किसी ने बहुत विस्तृत—किसी ने समूचे भारत के आंकड़े प्राप्त किए तो किसी ने किसी स्थान विशेष के। इसमें ऑकड़ों में अन्तर रहा। एक बात और है। इन ऑकड़ों को निकालने में अन्वेषकों ने पक्षपात से भी काम लिया। जो अन्वेषक यह दिखाना चाहते थे कि अग्रगण्य राज्य में देश की आर्थिक उन्नति हुई है, वे ऊँचे ऑकड़े निकालते रहे और जो अन्वेषक इसके विपरीत सिद्ध करना चाहते थे, उन्होंने प्रति व्यक्ति आय के नीचे ऑकड़े निकालने की चेष्टा की। इससे अतिरिक्त हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था भी बहुत दोषपूर्ण रही है। आंकड़े प्राप्त करने की सरल और वैज्ञानिक पद्धति का अभाव होने के कारण प्राप्त किए गए आंकड़ों को बिलकुल विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। फिर भी जा कुछ ऑकड़े इस समय प्राप्त हैं उनके आधार पर यही कहा जा सकता है कि भारत की उत्पादन शक्ति और इस पर आश्रित राष्ट्रीय आय बहुत कम है। देशवासियों का निम्नतर जीवन-स्तर इस बात का एक प्रमाण है। अन्य देशों की तुलना में तो हमारी राष्ट्रीय

आय बहुत ही कम है। प्रो० कोनिन क्लार्क ने विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना करने के लिए 'अन्तर्राष्ट्रीय इकाई' के आधार पर प्रति व्यक्ति आय के तुलनात्मक आँकड़े दिए थे जो इस प्रकार हैं :—

| देश         | अन्तर्राष्ट्रीय इकाई |
|-------------|----------------------|
| अमरीका      | १३८१                 |
| इंग्लैण्ड   | १०६६                 |
| आस्ट्रेलिया | ६८०                  |
| फ्रांस      | ६८४                  |
| जापान       | ३५३                  |
| भारत        | २००                  |

हो सकता है कि प्रो० क्लार्क के ये आँकड़े नितान्त सत्य न हों परन्तु हममें सन्देह नहीं कि अन्य पाश्चात्य देशों की अपेक्षा भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत नीची है।

### युद्ध का प्रभाव

युद्ध के कारण देश में उद्योग-धंधों को जो प्रोत्साहन मिला और उसके फलस्वरूप लोगों के रोजगारों में जो बढ़ोत्तरी हुई उसमें सामान्यतः यह धारणा बन गई है कि देश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। परन्तु विशेषज्ञों ने १९३६ से १९४५ तक के जो आँकड़े इकट्ठे किए हैं उनसे यह धारणा बिल्कुल गलत सिद्ध होती है। इस सम्बन्ध में दिल्ली के साप्ताहिक 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ नॉर्मिस्ट' के शोध विभाग ने कुछ आँकड़े संकलित किए हैं। उनसे ज्ञात होता है कि १९३६ में प्रति व्यक्ति आय ६७ रुपये थी परन्तु यह घट कर १९४५-४६ में ६३ रुपये रह गई। उक्त पत्र से लिए गए आँकड़ों से यह बात और भी अधिक स्पष्ट होती है—

१९३६-४० ४०-४१ ४१-४२ ४२-४३ ४३-४४ ४४-४५ ४५-४६

१. प्रति-व्यक्ति ६७ ७० ७५ ११२ १३८ १३६ १२७  
 आय (रुपयों में)  
 १०-१८

२. निर्वाह-व्यय (बंबई) १०० १०५ ११७ १६० २२७ २१६ २१७  
(आधार १९३६ = १००)

३. निर्वाह-व्यय ६७ ६७ ६६ ७० ६४ ६४ ६३  
बंबई से सम्बन्धित  
प्रतिव्यक्ति आय

इस तालिका में बंबई के निर्वाह व्यय को ही आधार माना गया है क्योंकि देहातो के सम्बन्ध में जीवन-व्यय के आँकड़े उपलब्ध हैं ही नहीं और यदि उपलब्ध भी हों तो उनसे सही निष्कर्ष नहीं निकल सकता। देहात में लगभग सात करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका उत्सादित कृषि-पदार्थों पर कोई अधिकार नहीं है। वे केवल खेतिहर-मजदूर हैं। उन्हें कृषि पदार्थों की मूल्य-वृद्धि से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। इस विषय में बुडहेड अकाल कमीशन का मत देना आवश्यक है। कमीशन का मत है कि साधारण कृषकों को मूल्य वृद्धि से कोई भी विशेष लाभ नहीं मिला है—कुछ वृद्धि हुई है—परन्तु इसके साथ-साथ कृषक ने लगान, फ़िराया और ऋण चुनाने के लिए अपने उत्पादन का बहुत कम भाग बाजार में बेचा है (अतः उन्हें मूल्य-वृद्धि से कोई अधिक लाभ नहीं मिला है)। कमीशन के इस मत पर यह माना जा सकता है कि देहातो में प्रति व्यक्ति आय में कोई हास नहीं तो कोई वृद्धि भी नहीं हुई है।

प्रति मनुष्य आय के हास के कारण जानने की उत्कंठा होना स्वाभाविक है क्योंकि राष्ट्र के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के सारे आयोजन इसी पर निर्भर करते हैं। केवल जर्मनी, जापान और इटली को छोड़कर ससार के सभी देश युद्ध-पूर्व के बराबर औद्योगिक उत्पादन करने लगे हैं और हमारा देश आगे बढ़ने की जगह पीछे ही हटता रहा है। अमरीका में तो युद्ध पूर्व स्तर से ७० प्रतिशत और अधिक उत्पादन होने लगा है। निरसन्देह यातायात की कठिनाई, कारखानों की युद्धकालीन पूट और औद्योगिक हड़तालें हमारी उन्नति में बाधक हुईं उनके कारण समय समय उत्पादन कार्य रुका है परन्तु ये सब बातें तो कुछ न कुछ अंशों में प्रत्येक देश में हुई हैं। हमारे देश में बल पुर्जों की यदि कमी थी तो साथ ही अन्य देशों में युद्ध के कारण जो नाश हुआ

उससे हमारा देश वंचित रहा। अन्य देशों की तरह हमारा देश भी औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि कर सकता था। देश का विभाजन और तत्जनित फटिनाइयों निहसन्देह एक मुख्य कारण हैं परन्तु विभाजन के पूर्व के आँकड़ों से स्पष्ट है कि युद्धकाल में भी प्रति-मनुष्य आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। इससे सिद्ध होता है कि हास के कारण राजनैतिक न होकर आर्थिक है। हमारे देश के आर्थिक ढाँचे का वर्तमान संगठन ही हमारी आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण है। देश के पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन हैं। इन साधनों का औद्योगिक उपयोग करने के लिए देश में पर्याप्त जनशक्ति है। यदि कोई कमी है तो केवल आर्थिक संगठन की है। जब तक यह जन-शक्ति प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं करती तब तक अधिकतम उत्पादन सम्भव नहीं। श्रमिक पूर्ण उत्साह और कुशलता से सभी कार्य करेगा जब उसे यह विश्वास हो कि उसे अपने धर्म का प्रतिकूल अवश्य मिल जायगा। दुर्भाग्य से देश में अभी ऐसी कोई युक्ति नहीं निकाली गई जिसे श्रमिक वर्ग में इस प्रकार का विश्वास तथा संतोष उत्पन्न होना। इस प्रकार के विश्वास का अभाव औद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। यह तथ्य निम्न आँकड़ों से स्पष्ट है:—

भारत में औद्योगिक उत्पादन

| वस्तु                        | १९१५-१६ | १६-१७ | प्रतिशत हास |
|------------------------------|---------|-------|-------------|
| रूती कपड़ा (दस लाख गजों में) | ४६५१    | ३८६३  | १७          |
| रूत (दस लाख पीडों में)       | ५८४     | ४७०   | १४          |
| इस्पात (निर्मित टन १०००)     | १३३८    | ११६०  | २१          |
| इस्पात (कच्चा टन १०००)       | १२६६    | ११६६  | ८           |
| कोयला (टन १०००)              | २६५४३   | २६२१८ | १३          |
| सीमेंट (टन १०००)             | २१४६    | २०१६  | ६           |

| वस्तु                | १९४५-४६ | ४६-४७ | प्रतिशत हास |
|----------------------|---------|-------|-------------|
| शकर (हडरवेट<br>१०००) | १०२३०   | ८६६६  | १५          |

श्रमिक वर्ग के असहयोग का हमें दूसरा सबूत हडतालों की संख्या तथा उसके फल स्वरूप नष्ट हुए दिनों में मिलता है —

## हडतालों

| वर्ष | हडतालों की संख्या | काम करने के नष्ट हुए दिन |
|------|-------------------|--------------------------|
| १९३६ | ४०६               | ४६६३                     |
| १९४० | ३२२               | ७५७७                     |
| १९४३ | ७१६               | २३४५                     |
| १९४४ | ६५८               | ३४७५                     |
| १९४५ | ८२०               | ४०५४                     |
| १९४६ | १६२६              | १२७००                    |
| १९४७ | २१६६              | १५८८०                    |

श्रमिक वर्ग में जब तक सन्तोष और विश्वास उत्पन्न नहीं होता और जब तक उसका पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होता उत्पादन में वृद्धि सम्भव नहीं हो सकती। कृषि पदार्थों के उत्पादन में भी तभी वृद्धि होगी जब कृषि मगठन में आमूल परिवर्तन किए जाए। कृषि प्रणाली की ऐसी व्यवस्था हो जिससे प्राकृतिक पदार्थों का पूर्ण उपयोग किया जा सके। अन्य देश उत्पादन बढ़ाने में जुटे हुए हैं। हमें भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी चाहिए। सबसे पहिले उसका हास रोकना होगा और फिर उसमें वृद्धि की जायगी। भारत सरकार ने गत वर्ष राष्ट्रीय आय समिति बैठाई थी। इस समिति ने वर्तमान स्थिति का अध्ययन करके राष्ट्रीय आय बढ़ाने के सुझाव दिए हैं। यहाँ समिति की रिपोर्ट पर तर्क करना वाछनीय नहीं है। यहाँ केवल कुछ सुझावों की ओर संकेत करना आवश्यक है जिससे राष्ट्रीय आय में बढ़ोत्तरी से सके।

भारत की प्रति मनुष्य आय में जो हास आरम्भ हो गया उसे रोकने के लिये निम्न कार्य आवश्यक है :—

मुद्रास्फीति वर्तमान आर्थिक षटक का मुख्य कारण है। जबतक इस पर नियन्त्रण नहीं होगा मूल्यस्तर को ऊँचे उठने से नहीं रोका जा सकता। अन्तःसरकार को जनता की अतिरिक्त क्रयशक्ति 'सरलस पर्चेजिंग पावर' को कम करने के प्रयत्न करने चाहिये तथा साथ ही पत्र-मुद्रा की राशि भी निश्चित कर देनी चाहिये।

केवल मुद्रा सम्बन्धी मुद्धारों से ही समस्या नहीं सुलभ सकती। राजस्वनीति में भी निश्चित परिवर्तन करने होंगे। गत दस वर्षों से केन्द्रिय आय-व्ययक (बजट) में घाटा चला आ रहा है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय आय-व्ययकों को सन्तुलित करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

मुद्रा तथा राजस्व सम्बन्धी मुद्धारों के अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि का सुसंगठित तथा दृढ़ प्रोग्राम कार्यान्वित करना चाहिये। जब तक देश में उपभोग्य वस्तुओं की कमी है कितने ही प्रयत्न किए जाएँ, प्रति मनुष्य वार्षिक आय में वृद्धि नहीं हो सकती। उत्पादन वृद्धि के हेतु प्रत्येक उद्योग में एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाय जो मिन मालिकों और मजदूरों के नित्य के झगड़े निपटा सके। कुछ बड़े-बड़े उद्योग-धंधों के प्रबन्ध में भूमिकों को भी शामिल किया जाय, विशेषकर राष्ट्रीय उद्योग धंधों में। प्रत्येक उद्योग-धंधों में विशेषज्ञों और कलागुशल व्यक्तियों की एक समिति होनी चाहिए जो उस उद्योग की उत्पादन वृद्धि की योजनाएँ बनाती रहे तथा उन योजनाओं को कार्यान्वित करने में मार्गदर्शन कराती रहे। विदेशों से पूँजीगत माल मगाने की एक योजना तैयार करनी चाहिए तथा यह जनि करनी चाहिए कि अमेरिका और इंग्लैण्ड को छोड़ कर हम छोटे देशों जैसे ग्रीडन, स्विटजरलैण्ड, जापान, जर्मनी, चेकोस्लोव्हाकिया इत्यादि में कौन-कौन सी मशीन, कल-पुर्जे मँगवा सकते हैं।

उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ हमें वितरण की वर्तमान विपमताओं को दूर करना है तथा बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय का इस प्रकार से वितरण करना होगा जिसमें उद्योग, व्यक्ति, स्थान किसी भी दृष्टि से विपमता उत्पन्न न हो। १९४७-४८ में कुल राष्ट्रीय आय का ५६.२ प्रतिशत भाग कृषि इत्यादि द्वारा उत्पन्न किया जाता था तथा २१.३ प्रतिशत उद्योग धंधों द्वारा। इस असन्तुलित अस्थिति का अन्त तभी हो सकता है जब कृषि पर से जनसंख्या का भार दूर किया जाय

श्रौर गाँवों में छोटे उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन दिया जाय। इसी प्रकार शहर और गाँव के मजदूरों की प्रति व्यक्ति आय में बड़ी विषमता है। बम्बई के साप्ताहिक 'कॉमर्स' ने अनुमान लगाया है कि १९४७-४८ में शहर के मजदूर की औसत आय ४४३ रु० थी और गाँव में काम करने वाले मजदूर की वेतन १७१ रु० थी। इस प्रकार की विषमताएँ जब तक हमारे आर्थिक जीवन में उपस्थित हैं तब तक प्रतिशत मनुष्य आय में कोई विशेष वृद्धि सम्भव नहीं है। शहर और गाँव के बीच के वर्तमान असंतुलन को वेतन प्रामाण्य औद्योगीकरण के द्वारा ही दूर किया जा सकता है और तभी वितरण की समस्या को मूलतः सुलभया जा सकता है।

---



## ४१—विदेशी पूँजी का प्रश्न

देश के कोने-कोने में एक लहर सी व्याप्त है कि शीघ्रातिशीघ्र भारत का औद्योगिकरण हो। छोटे नागरिक से लेकर चोटी के नेता तक, समाज-मुधारक से लेकर राजनीतिज्ञ तक, कलाकार से लेकर अर्थशास्त्री तक 'उत्पादन बढ़ाओ' के नारे झुलन्द कर रहे हैं। परन्तु औद्योगिक विकास सम्बन्धी वृहद् योजनाओं को कार्यान्वित करने में हम पूँजी की समस्या को लेकर अटक जाते हैं। पूँजी के मुख्य स्रोत दो हैं—(१) आन्तरिक अथवा भारतीय पूँजी, (२) बाह्य अथवा विदेशी पूँजी। यद्यपि प्रथम महायुद्ध काल में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में आन्तरिक पूँजी घाती रही फिर भी हमारे मुख्य धंधों में विदेशी पूँजी का ही विशिष्ट स्थान रहा है। यदि देखा जाय तो विदेशी पूँजी के इतिहास से हमारे देश का गत डेढ़ सौ वर्ष का इतिहास बधा हुआ है। विदेशी शासकों (अंगरेजों) ने भारत को केवल राजनैतिक दृष्टि से ही परतन्त्र नहीं बनाया परन्तु उन्होंने इसे आर्थिक शोषण का क्षेत्र बनाए रखा। प्रारम्भ में लगभग ७० वर्षों तक भारत से कच्चा माल इंग्लैण्ड के कारखानों के लिए लाया गया और पक्का माल भारत के बाजारों में लाकर बेचा गया। इस दुहरे शोषण के क्रम में विदेशी पूँजी का पूरा हाथ था और सरकार का उसे पूर्ण प्रोत्साहन और संरक्षण मिला हुआ था। धीरे-धीरे भारत में ही विदेशी पूँजी के आधार पर नए उद्योग-धंधे आरम्भ किए गए। देश की पूँजी को 'अपर्याप्त' तथा 'संकुचित' कह कर भविष्य में भी अनन्त काल तक देश का शोषण करने की भावना में विदेशी पूँजी का देश में विनियोग किया जाता रहा। विशाल कारखाने, निर्माणियाँ, बैंक, बीमा कम्पनियाँ आदि संस्थाएँ विदेशी पूँजी से स्थापित की जाती रहीं। रेल, कोयले, चाय, बहवा, रबड़, कपास, पटसन इत्यादि उद्योगों में विदेशी पूँजी अनुल मात्रा में लगाई गई। इन उद्योगों के द्वारा करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष औद्योगिक लाभ के रूप में इंग्लैण्ड और अन्य देशों को जाता रहा। यही नहीं, विदेशी पूँजी द्वारा संगठित तथा विदेशी सरकार द्वारा संरक्षित उद्योगों के कारण राष्ट्रीय उद्योगों के विकास में काफी बाधा

आई। अनुल पूँजी, उत्तम संगठन तथा सरकारी सत्कारण के कारण वे सदा ही शक्तिशाली रहे और स्थानीय उद्योगों से प्रतियोगिता करते रहे। इस विषय में आरम्भ से ही भारतीया का विरोध रहा और राष्ट्रीयता की आग फुँकते ही यह विरोधी भावना और भी प्रबल होती गई। १९२१-२२ में इस प्रश्न को सरकारी तौर से 'फिसल कमीशन' को सौंप दिया गया। १९२५ में फिर विदेशी पूँजी के प्रति नीति-निर्धारण के लिए सरकार ने एक विदेशी पूँजी समिति स्थापित की। इस समिति के भारतीय सदस्यों ने अपनी सम्मति प्रकट की कि भारतीय उद्योग धंधों का विकास विदेशी पूँजी की अपेक्षा भारतीय पूँजी के द्वारा ही किया जाय। भारत को विदेशी पूँजी के इतने कटु अनुभव रहे कि देश में पूँजी की कमी होते हुए भी सनाहकार योजना बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था "श्रीयोगीश्वर के लिए देश में ही पूँजी प्राप्त हो सकेगी और उद्योग धंधों का संचालन के लिए विदेशी पूँजी भी प्रत्यक्ष रूप में आश्चर्यजनक नष्ट होगी। निस्सन्देह श्रीयोगिक कुशल कारीगरों की और पूँजीगत मान की आवश्यकता होगी परन्तु उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त विदेशी पूँजी को स्थान नहीं होना चाहिए क्योंकि विदेशी पूँजी के एक बार जम जाने पर उसे उखाड़ना पठिन हो जाता है।" इन ऐतिहासिक कारणों के अतिरिक्त विदेशी पूँजी के विरुद्ध कुछ सैद्धान्तिक कारण भी रहे हैं।

हमारे देश में विदेशी पूँजी एक भारी सख्या में लगी हुई है। १९३० में 'इकॉनॉमिस्ट' नामक पत्र ने अनुमान लगाया था कि भारत में अंगरेजी पूँजी का मूल्य ७०० करोड़ पौण्ड था। १९३३ में ब्रिटिश एसोसियेटेड चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने भारत में अंगरेजी पूँजी १००० करोड़ पौण्ड आंकी थी जो इंग्लैण्ड की विदेशों में विनियोगित पूँजी का लगभग एक चाथाई था। श्री बा० आर० शेनाय महोदय के अनुसार मार्च १९४५ में भारत स्थित विदेशी पूँजी २२७५ मिलियन पौण्ड के लगभग थी जो किंचित अतिशयोक्ति से मुक्त नहीं है क्योंकि इस अनुमान में विदेशी हाथों से भारतीय हाथों में स्थानान्तरित होने वाले व्यापारों का लेखा नहीं लगाया गया था। हम जानते हैं कि सन् १९३६ से

१ एंडसाइजरी प्लानिंग बोर्ड की रिपोर्ट—१९४७ पृ० स० १७ १८

भारत स्थित विविध उद्योगों का भारतीयकरण होना आरम्भ हो गया था और जैसे-जैसे बुद्ध तीव्रातितीव्र होता गया वैसे-वैसे उसकी गति में भी प्रगति आती गई यहाँ तक कि सत्ता हस्तान्तरित होने के साथ ही विदेशियों ने अपने को भारतीय उद्योग क्षेत्र से मुक्त करना चाहा और उन्होंने उनको अपने-अपने भागों पर विजय भी कर दिया। बम्बई के कपास मिल, कलकत्ते तथा निकटवर्ती प्रदेश की जूट मिलें भारतीयों के हाथों में आ गईं। परन्तु यह कहना सर्वथा न्याय संगत है कि देश में विदेशी पूँजी काफी बड़े परिमाण में विद्यमान है। यद्यपि अब भारतीय पूँजी उत्तरोत्तर निडर होती जा रही है तो भी बक, जलयान, रेल, बीमा, चाय, कच्चा, गान इत्यादि उद्योगों में विदेशी पूँजी का प्राधान्य एवं शोतबाना है।

विदेशी पूँजी भारत में निम्न भिन्न-भिन्न रूपों में छाई है और विद्यमान है :—

(अ) विदेशियों ने भारत के व्यापार तथा उद्योग प्रमदनों के हिस्से गरीद रंगे हैं या श्रम-पत्र ले लिये हैं जिनके अनुसार हिस्से पर लाभदा और श्रम पत्रों पर वृद्धि देश से बाहर जाती रहती है। इतना ही नहीं विदेशी हिस्सेदारों के हिस्से इतनी अधिक नग्या में हैं कि उनकी अधिकता के कारण प्रमदनों का नियंत्रण तथा प्रबन्ध भी लगभग विदेशियों के हाथ में आ गया है। जैसे 'टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' में अधिकांश हिस्से विदेशियों के ही हैं।

(ब) विदेशी धनपतियों ने भारत निवासियों को अल्प-कालीन तथा दीर्घ-कालीन श्रम दे रखे हैं जिसके द्वारा विदेशी पूँजी भारत में आ गई है। भारतनिवासियों ने इसी धन राशि से उद्योग चला रगे हैं और विदेशी पूँजी पर वृद्धि विदेशों की चली जा रही है।

(क) विदेशियों ने अपनी पूँजी में हमारे देश में या तो अचल सम्पत्ति गरीद ली है और या अपने ही स्वामित्व में या भारतीयों की साभेदारी में व्यापार और उद्योग धंधे चला रगे हैं जिनका पूर्ण प्रबन्ध, संचालन तथा नियंत्रण विदेशियों के ही हाथ में है, जैसे कोयले की गानें, चाय के बाग। 'ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन' भी विदेशी पूँजी का ही उद्योग समूह है।

विदेशी सरकारों ने भारत सरकार को भी कुछ धन राशि उधार दे रखी है जिससे विदेशी पूँजी ने हमारे देश में स्थान पा लिया है।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय दल बन्दी और पिछले इतिहास के कटु अनुभवों के बावजूद भी देश को अब विदेशी पूँजी की आवश्यकता है। उत्पादन की कमी, बढ़ती हुई जनसंख्या, लाद्यान्न के वितरण में असामाजिक तरीकों का उपयोग इत्यादि के कारण राज्य सामग्री एवं पूँजीगत माल दोनों के लिए हमारी विदेशों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। देश को स्वावलम्बी तथा बलिष्ठ बनाने के लिए उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके लिए 'कृषि के यन्त्रकरण' और 'देश के औद्योगीकरण' की योजनाएँ देश के सामने विशाल रूप लेकर खड़ी हुई हैं। इस काम के लिए देश को कितनी पूँजी की आवश्यकता होगी, इसका अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि पूँजी सम्बन्धी आवश्यकता निश्चित योजनाओं, उनको कार्यान्वित करने की गति तथा वर्तमान और भविष्य में होने वाली देश की आर्थिक क्षमता इत्यादि पर निर्भर करती है। ये सभी बातें अनिश्चित हैं। अतः कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर भी योजना कमीशन ने अपनी पंचवर्षीय योजना के लिए १७६३ करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। इतनी बड़ी राशि एक साथ ही हमारे देश में उपलब्ध नहीं हो सकती। इसके लिए तो हमें विदेशों पर आश्रित रहना ही होगा। दूसरे, युद्धकालीन और युद्धोत्तर कालीन आर्थिक परिस्थितियों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि देश में पूँजी निर्माण की गति सन्तोषजनक नहीं है। किसी भी देश के मध्य वर्ग के द्वारा ही सब से अधिक पूँजी निर्मित होती है परन्तु बढ़ते हुए मूल्यस्तर और ऊँचे निर्वाह-व्यय के कारण मध्य वर्ग सचय तो क्या करता, निर्वाह-व्यय चलाता रहा है, यही उसके लिए श्रेय की बात है। युद्धकाल में जो कुछ संचय हुआ वह असाधारण आर्थिक स्थिति के कारण ही हो पाया है। वास्तव में साधारण अर्थ व्यवस्था में उस प्रकार का सचय सम्भव ही नहीं है। कृषक वर्ग ने या तो अपना कर्ज चुकाया है या जो कुछ भी वह बचा सका, उसे सोने चाँदी के जेवरों के रूप में परिवर्तित कर दिया है। जहाँ तक धनी वर्ग का सम्बन्ध है, उसके बारे में अनेक

सन्दिग्ध बातें हैं। जिन्होंने ईमानदारी से कहा था और हिताचरणा, उनके लाभ का बहुत बड़ा अंश आय-कर या व्यापार-कर के रूप में निकल गया। अतः उनके मूल्य की दर अधिक नहीं रही। जिन्होंने असामाजिक रीतियों में धन कमाया वे अपने संचित धन को दबाकर बैठे हैं जिससे राशि डॉ० पट्टाभि भीतारमैय्या ने लगभग १०० करोड़ रुपये के बताई थी। यह दबाया हुआ धन गुले आम बाजार में नहीं आ सकता। उक्त कारणों से पूँजी-बाजार की आज ऐसी स्थिति हो गई है कि सरकारी अणु-वप भी अधिक नहीं खरीदे जाते और अनेक प्रान्तीय सरकार पूँजी जुटाने में अपने को असमर्थ पा रही हैं।

कुछ समय के लिए यदि यह मान भी लें कि पूँजी की आवश्यकता हमारे देश में ही पूरी हो जायगी तो भी मशीन, कल-पुर्जों और कलाविदा और वैज्ञानिकों की आवश्यकता देश में पूरी नहीं हो सकती। हमारे देश में मशीन और कल-पुर्जे बनाने के उद्योग नहीं के बराबर हैं। अनेक कारणों से अब तक उद्योगीय पदार्थों से सम्बन्धित उद्योग-धंधे ही आगे बढ़ पाये हैं। सुनियोजित उद्योग-धंधों की अब तक निदान्त्र व्यवस्था नहीं है। फलतः भारत मशीन और कल-पुर्जों के लिए आज भी और कम से कम आगामी पंच वर्षों तक विदेशों पर निर्भर रहेगा। उदाहरण के लिए सिंचाई के साधन, जल-विद्युत् उत्पन्न करने की मशीनें, कृत्रिम त्वाण बनाने के यंत्र, ट्रेक्टर, सड़क चूटने के रोलर, यातायात सम्बन्धी इंजन, मशीनें और कल-पुर्जे इत्यादि विदेश से ही मँगाने पड़ते हैं। केवल मशीन और कल-पुर्जे मँगाने से ही हमारी आवश्यकता पूरी नहीं हो जायगी। हमारे यहाँ औद्योगिक और वैज्ञानिक शिक्षा की कमी के कारण कुशल प्रबंधकों एवं भूमिकों की बहुत कमी है, विशेषतः तो वास्तव में नाममात्र की ही है। लगभग चार वर्ष पूर्व भारत सरकार ने भी पॉर्ट, बेसन, डेविस अमरीकी विशेषज्ञों द्वारा औद्योगिक शिक्षा का पर्यवेक्षण कराया था। इन विशेषज्ञों के निम्न निष्कर्ष थे :—

(१) भारत में इंजीनियरों और कुशल औद्योगिक प्रबंधकों की नितांत कमी है। उद्योग-धंधों के प्रारम्भिक आयोजन में लेकर साधारण क्रियाओं तक के लिए कुशल कलाविदों की आवश्यकता है।

(२) कुशल भ्रमिकों के अभाव के कारण भ्रमिकों की कार्यक्षमता और काम करने की गति अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है।

(३) यन्त्र, बिजली से सम्बन्धित तथा अन्य प्रकार के कलपुर्जों की कमी और कलाकौशल सबधी शिक्षण सस्थाओं की कमी देश के औद्योगीकरण के मार्ग में सब से बड़ी कठिनाई है।

देश ने औद्योगीकरण में तीन प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होगी:— विशेषज्ञ, प्रबंधक और कुशल भ्रमिक। प्रत्येक अवस्था में हमें पहले दो प्रकार के व्यक्तियों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना होगा। तीसरे प्रकार के व्यक्तियों के लिए भी हमें कुछ अर्थों में विदेशों से सहायता लेनी होगी। केवल कुशल भ्रमिकों को ट्रेनिंग देने के लिए ही हमें नितने प्रयत्न करने की आवश्यकता है, यह टेक्नीकल सनाहकार समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट है। रिपोर्ट के अनुसार प्रारम्भ में प्रति वर्ष १६,००० कुशल भ्रमिकों की आवश्यकता होगी जिनके लिये लगभग ३२,००० स्थानों (सीट्स) का प्रबन्ध करना होगा।

ग्राह्य सामग्री के लिए विदेशों पर निर्भरता, विकास योजनाओं के लिए पूँजी की आवश्यकता तथा मर्चान्त और कलपुर्जों और कलाविदों की कमी के कारण भारत को विदेशी पूँजी की सहायता लेनी ही होगी। यह आवश्यकता आर्थिक इतिहास की दृष्टि से कोई अस्वाभाविक नहीं है। भारत, फ्रांस, इटली तथा दक्षिणी अमरीका के औद्योगिक विकास खासकर रेल यातायात के विकास के इतिहास से स्पष्ट है कि किसी भी देश को जब पूँजीगत माल की जरूरत होती है तो उसे इस प्रकार के माल भेजने वाले देश से उद्धार ग्रहण करना होता है। इस प्रकार पूँजी तथा पूँजीगत माल एक दूसरे से सम्बन्धित हैं।

“Thus the two types of exports of capital goods and of capital funds were closely interrelated even in those cases where the sale of goods for export did not precede the granting of loans or was not anticipated at the time... movements of capital funds and of capital goods were inter-dependent.” इस उदाहरण से

स्पष्ट है कि यदि हमे औद्योगीकरण करना है तो हमें विदेशों से मशीन और कलपुर्जे मँगाने होंगे और यदि मशीन, कलपुर्जे मँगाने हैं तो विदेशी पूँजी का सहारा लेना होगा ।

### भारत सरकार की नवीन नीति<sup>१</sup>

विदेशी पूँजी सम्बन्धी सरकार की नीति की घोषणा करते समय पं० नेहरू ने कहा कि अभी तक देश की राजनैतिक परतन्त्रता के कारण हम विदेशों की पूँजी के नियन्त्रण और नियमन पर जोर देते आ रहे हैं । परन्तु अब देश की परिस्थिति बदल चुकी है । अतः विदेशों की पूँजी का देश के हित में लाभकारी उपयोग ही अब नियमन का उद्देश्य होना चाहिये । पं० नेहरू ने स्वीकार किया कि विदेशी पूँजी की केवल इसीलिए आवश्यकता नहीं है कि देश में पूँजी संचय कम हो रहा है, परन्तु इसके अतिरिक्त हमें विदेशों से मशीन, कल-पुर्जे और औद्योगिक कलाविदों की भी आवश्यकता है जो केवल विदेशी पूँजी के साथ ही प्राप्त हो सकते हैं । अतः सरकार ने विश्वास दिलाया है कि ब्रिटिश अथवा अन्य विदेशों की पूँजी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचायी जायगी । सरकारी नीति को हम मुख्य चार भागों में बाँट सकते हैं :—

(१) वर्तमान उपयोग-धर्मों में लगी हुई विदेशी पूँजी पर सरकार कोई भी ऐसी शर्त नहीं लगायेगी जो भारतीय उपयोगों पर लागू न हो । अर्थात् वर्तमान विदेशी पूँजी और भारतीय पूँजी में सरकार कोई भेद भार नहीं करेगी । भविष्य में भी सरकार ऐसी नीति निर्धारित करेगी जिससे वारंवारिक लाभ के आधार पर विदेशी पूँजी भारत में आ सके । परन्तु इसके साथ-साथ प्रत्येक प्रकार की पूँजी—भारतीय अथवा विदेशी—को सरकार की औद्योगिक नीति स्वीकार करनी होगी और उसी के अनुसार चलना होगा ।

(२) विदेशी पूँजी देश में लाभ कमा सकेगी और माधारणतः विदेश को लाभ भेजने पर भी कोई रोक नहीं लगाई जायगी परन्तु विदेशी विनिमय की कठिनाइयों को ध्यान में रख कर ही इस प्रकार की सुविधा दी जा सकेगी ।

<sup>१</sup> ६ अगस्त १९४६ को पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित

यदि किसी विदेशी पूँजी के उद्योग को सरकार हस्तान्तरित करेगी तो सरकार उचित हानिपूर्वक देगी।

(३) साधारणतः उद्योग धर्मों के स्वामित्व और प्रबन्ध में भारतीय नागरिकों का मुख्य हित होगा और असाधारण अस्थिति में सरकार विशेषाधिकार के अन्तर्गत राष्ट्र हित की दृष्टि से किसी भी उद्योग को हस्तान्तरित अथवा नियन्त्रित कर सकती है। यह स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में कोई बड़ा अपवाद निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता। यदि एक निश्चित काल के लिए विदेशी पूँजी का किसी उद्योग विभाग पर राष्ट्र हित में स्वामित्व आवश्यक समझा गया तो सरकार इसके लिए आज्ञा प्रदान करेगी, प्रत्येक मामले पर राष्ट्र हित की दृष्टि से ही विचार किया जायगा। यदि आवश्यक योग्यता के भारतीय श्रमिक न मिलें तो विदेशी कारखाने विदेशियों का नौकरी दे सकते हैं, परन्तु साथ ही साथ ऐसे कार्यों के लिए इन कारखानों को कुशल भारतीय श्रमिक और कलाविद तैयार करने होंगे।

(४) भारतीय उद्योग धर्मों को प्रोत्साहन देना, भारत सरकार की निश्चित नीति है। परन्तु आज भी और भाविष्य में भी देश के औद्योगीकरण में ब्रिटिश पूँजी के लिए बहुत क्षेत्र रहेगा।

भारत सरकार की इस नीति से विदेशी पूँजी के विषय में जो अनेक भ्रमात्मक तथा सदिग्ध बातें थीं, वे अब दूर होती जा रही हैं और विदेशी पूँजीपतियों में प्रकार प्रकार के जो भय पैले हुए थे वे अब समाप्त होते जा रहे हैं। शनैः शनैः विदेशी पूँजी देशी पूँजी के साथ सामंजस्य में आने लगी है। विदेशी पूँजी देश में भिन्न भिन्न प्रकार से लाई जा सकती है। या तो विदेशी स्वयं लावे, भारतीय विदेशों से श्रम लें या सरकार ही विदेशी सरकार या अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से श्रम ले। वैसे भी हो, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए जिससे “पूँजी आवे परन्तु पूँजीवाद न आवे।” इसके लिए श्रमों द्वारा या सामंजस्य में विदेशी पूँजी लेना हितकर होगा। परन्तु भारतीयों के द्वारा विदेशी श्रम लने के भूतकाल में बड़े दुष्परिणाम हुए हैं। अधिक वृद्धि दर पर श्रम मिले हैं और या तो व्यक्तियों ने अपने अपने लक्ष्यों पर श्रम लेकर उन्हें उत्पादन कार्य में न लगाकर अन्य किसी प्रकार नष्ट कर दिया है और यदि उत्पादन कार्य में लगाया



भी है तो उनके पास समुचित योजना न होने के कारण उस पूँजी का सुयोग्य प्रयोग न हो सका है। इसलिए सरकार को ही विदेशी पूँजी लाकर देश में वितरित करनी चाहिए। इस कार्य के लिए सरकार को एक "राष्ट्रीय-विनियोग समिति" की स्थापना करनी चाहिए। यह समिति देश में उत्पादन वृद्धि के लिए आवश्यक विदेशी पूँजी, विदेशी सरकार से या विदेशी जनता से उधार ले और फिर उसको देश की आवश्यकतानुसार देशी व्यापारियों या उद्योग-पतियों को उत्पादन वृद्धि के लिए बाँट दे और इस बात का निरीक्षण रहे कि यह राशि प्रस्ताविक कार्य में ही लगायी जा रही है या नहीं। इस योजना से विदेशी पूँजी का सदुपयोग होगा, पूँजी कम वृद्धि पर मिलेगी और उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। साथ ही साथ उसके भुगतान का भी प्रबन्ध रहेगा जिससे विदेशी पूँजी के डूबने की आशंका नहीं रहेगी। समिति का यह कर्तव्य होगा कि देश की आवश्यकताओं को सही-सही समझे और तभी पूँजी उधार ले।

इस योजना के अनुसार कार्य और भी सरल होगा। विश्व बैंक की स्थापना से इस काम में भारी सुविधाएँ आगई हैं। यह बैंक सदस्य देशों की सरकारों को या सरकारों की गारंटी पर अन्य संस्थाओं को ऋण देता है। भारत सरकार ने इस बैंक से तीन ऋण ले लिए हैं और चौथा ऋण भी मिलने वाला है। इस प्रकार विदेशी पूँजी शनैः शनैः आती जा रही है। भारत विदेशी पूँजी से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। देश को उद्यत बनाने में विदेशी पूँजी की अनिवार्य आवश्यकता है। परन्तु केवल यही ध्यान रखना है कि कहीं इतिहास फिर न दोहरा जाय। कहीं विदेशी पूँजी के साथ-साथ विदेशी सत्ता न आ जाय। पूँजी का सदुपयोग हो। विदेशी पूँजी आवे परन्तु पूँजीपति न आने पावें।



## ४२—पूँजी-निर्माण का प्रश्न

किसी भी अ विकसित देश को सदैव यह मान कर चलना पड़ता है कि वहाँ आर्थिक विकास के अनेक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कच्चा माल, एनिज पदार्थ, विद्युत शक्ति और भ्रम आदि अनेकानेक साधन इतनी प्रचुरता में उपलब्ध हैं कि कुशल साधक के अभाव में उनका आवश्यक विदोहन नहीं हो पाता। यहाँ कुशल साधक का अर्थ केवल एक निपुण प्रबन्धक से ही नहीं है, वरन् एक ऐसे प्रबन्धक से प्रयोजन है जो आवश्यक पूँजी लगाकर उच्च विस्तरे साधनों का उपयोग कर सके, उनका विदोहन कर सके तथा देश को समृद्धिशाली बना सके। निष्कर्ष यह है कि देश को मुज़ी, सम्पन्न और समृद्धिशाली बनाने के लिए पर्याप्त पूँजी की बहुत आवश्यकता है। यह तो मतभेद हो सकता है कि पूँजी होने पर ही देश समृद्धिशाली हो सकता है या पूँजी केवल समृद्धिशाली देश में ही मिल सकती है। किन्तु किसी भी प्रकार का निश्चय कर लिया जाय, पूँजी की समस्या सदा हमारे देश में बनी रही है। पूँजी की समस्या का मूल आधार पूँजी निर्माण की समस्या है। जब तक किसी वस्तु का निर्माण ही न हो तो उस वस्तु की समस्या कैसे बन सकती है। अतः पहिली समस्या वस्तु की नहीं वरन् वस्तु निर्माण की है—पूँजी की नहीं वरन् पूँजी निर्माण की है।

पूँजी-निर्माण के लिए धन-संचय की परम व प्रमुख आवश्यकता होती है। यदि धन-संचय ही न किया जाय तो पूँजी का निर्माण कैसे हो सकता है, उसे उद्योग-धंधों में कैसे लगाया जा सकता है। इसलिए धन-संचय कब और कैसे सम्भव होता है—यह सोचना आवश्यक है। सामान्यतः वह निम्न बातों पर निर्भर होता है :—

- (१) संचय की योग्यता ( क्षमता ),
- (२) संचय की इच्छा,
- (३) संचित धन को पूँजी के रूप में उपयोग करने के साधन !

संचय करने की योग्यता में अर्थ यह है कि लोगों की आय और व्यय में कितना अन्तर है। यदि व्यय में आय अधिक है तो अवश्य ही उस अन्तर तक संचय करने की योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में है किन्तु यदि व्यय इतना है कि आय पूरी नहीं पड़ती तो संचय करने की योग्यता तो छोड़िए अयोग्यता पर करने लगती है। अतः जिस व्यक्ति की आय उसके व्यय में कम है वह अपनी वर्तमान आय पर ही नहीं पर संचित राशि पर रहने लगता है अन्यथा दूसरों में भ्रूण लेकर अमी बन जाता है। यदि किसी व्यक्ति में संचय करने की योग्यता भी है तो यह आवश्यक नहीं कि वह संचय कर ही लेगा। इसके लिए उसकी इच्छा का बलवती होना भी आवश्यक है। किसी व्यक्ति की धन संचय करने की इच्छा कई बातों पर निर्भर करती है। मुख्य रूप में अपनी मतानय सम्बन्धियों के प्रति प्रेम, समाज में सम्मान पाने का भावना तथा उसका आदत मात्र पर्याप्त इच्छा का काम करती है।

धन संचय की क्षमता और इच्छा दोनों होने पर भी निश्चय रूप में नहीं कहा जा सकता कि उसका पूँजी के रूप में परिवर्तन हो ही जायगा। यदि दिन-दहाड़े देश में बाँके बाले जाते हों, चोरी की जाती हों तथा दिए हुए धन को वापस प्राप्त करने की न्यायालयों द्वारा कोई सुविधा न हो तो भला कोई धन-संचय करके फिर दूरे क्यों भोले लेंगा? यदि धन की सुरक्षा के बारे में सुविधाएँ भी हों तो भी यह नहीं समझ लेना चाहिये कि वह धन पूँजी का रूप ले चुका है और उपलब्ध कामों में उसका उपयोग हो रहा है। जब तक उपयोग करने के साधन न हो तब तक सचा पूँजी-धिनियोग सम्भव नहीं हो सकता। इसके लिए बैंकों की आवश्यकता होती है तथा बड़े-बड़े उद्योगों की आवश्यकता होती है जहाँ संचित-धन का सदुपयोग किया जा सके। जब धन का आर्थिक रूप में सदुपयोग होने लगता है तब ही उसे पूँजी कहते हैं और यही है पूँजी निर्माण की समस्या निकलती है।

अनेक अर्थशास्त्री आज इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि हमारे देश में पूँजी-निर्माण की गति धीमी है और पूँजी आवश्यकता में बहुत कम है। पूँजी-निर्माण की गति राष्ट्र की उपलब्धि या अवनति पर निर्भर होती है। या जो किये

कि राष्ट्रीय आय पर निर्भर होती है। भारत जैसे प्रजातन्त्रवादी देश में पूँजी जम्मा करने के साम्यवादी सिद्धान्तों को लागू करना तो वैसे ही सम्भव नहीं है इसलिए जो कुछ यहाँ की बचत है या संचय करने की क्षमता है उसी से पूँजी-निर्माण हो सकता है। इस बारे में 'इंस्टर्न-इक्वॉलिमिस्ट' नामक साप्ताहिक पत्र ने दो वर्ष पूर्व सारे देश को विस्मय में डाल दिया था यह कहकर कि "वास्तव में हम बचत या पूँजी बना नहीं रहे हैं बल्कि सन्तुष्ट राष्ट्र अपनी संचित-राशि पर ही जीवित रहने लग गया है।" यह समझने की बात है कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् हमारे यहाँ के बैंकों में जमा किया हुआ धन उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है यहाँ तक कि १९४८ में बैंकों में जमा राशि में से १२ करोड़ रुपये वापिस निकाले गए और १९४९ में निकाले जाने वाली राशि की मात्रा इतनी बढ़ी कि अर्धे १०४ करोड़ रुपये तक जा पहुँचे। यही नहीं, बड़े बड़े उद्योगों के अनेक अंशों के मूल्य भी गत वर्षों में बहुत नीचे गिर गए। अंशों के मूल्य १९४६ में शिखर पर थे तत्पश्चात् पूँजी निर्माण के अभाव में गिरने लगे। निम्न तालिका से इस बात की पुष्टि होती है :—

|               | ३० जून १९४६ | ३० जून १९४९ |
|---------------|-------------|-------------|
| टाटा डेपॉजिट  | ३६४०        | ११५२        |
| बम्बई ड्राइंग | ३२७७        | ९२३         |
| ए० सी० सी०    | २७७         | १२८         |
| विमको         | ७६७         | २५०         |
| सेण्ट्रल बैंक | १६२         | ७५          |

इसी प्रकार देश में नव-निर्मित बड़े उद्योगों की स्वीकृत पूँजी भी उत्तरोत्तर कम होने लगी। सन् १९४६ में यह पूँजी २३९ करोड़ रुपये थी किन्तु सन् १९४७ व सन् १९४८ में यह पूँजी क्रमशः १९८ करोड़ व ११७ करोड़ रुपये ही रह गई। सन् १९४९ के अर्धे इन्से भी अधिक निराशाजनक है।

इन उक्त बातों और आँकड़ों से सारांश यह निकलता है कि राष्ट्र की वर्तमान बचत शक्ति बिल्कुल नहीं है और जो कुछ पहले भी यह बड़ी द्रुतगति

के साथ न्यून होती जा रही है। इसके कारणों के बारे में हम आगे के स्तम्भ में विचार करेंगे।

**वर्तमान आवश्यकता :—**वर्तमान पूँजी निर्माण के बारे में सोच लेने के पश्चात् हमें अपनी आवश्यकताओं के बारे में तनिक विचार कर लेना है। हमारी कुल वार्षिक बचत कितनी होनी चाहिए ? यह प्रश्न जैसे तो बड़ा जटिल है किन्तु इसका लगभग अन्दाज लगा लेना अधिक कठिन नहीं। बम्बई योजना के अनुसार साधारण गणित के आधार पर यह धन लगभग ७०० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होना चाहिए। दूसरी ओर कोलिन क्लार्क नामक विद्वान् का मत है कि यह धन १००० करोड़ रुपये होना चाहिए। इस बारे में श्रौं भी अनेक मतभेद हैं किन्तु सर्व मान्य मतानुसार यह धन हम ५०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष मान सकते हैं।

जैसे तो प्रति व्यक्ति वार्षिक राष्ट्रीय आय के बारे में कोई सरकारी व पूर्णतया मान्य आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु बम्बई योजना के अनुसार यह आय ६५) था जो आज के स्तर पर लगभग १८०) होती है। दूसरी ओर सन् १९४६ में 'ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट' (Eastern Economist) के अनुसार शहरों में काम करने वालों की वार्षिक आय ३८५) तथा गाँवों में काम करने वालों की वार्षिक आय १८८) था। यदि हम १८०) वार्षिक आय के अनुसार भी चलें तो हमारी कुल राष्ट्रीय आय लगभग ५५०० करोड़ रुपये होती है, यदि हमारी वर्तमान जनसंख्या ३६ करोड़ हो। उक्त आय में से प्रत्येक व्यक्ति यदि लगभग १०% आय बचाने लगे तब कहीं ५०० करोड़ रुपये की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। किन्तु इतनी कम वार्षिक आय में से इतनी अधिक बचत की आशा रखना मर्यादा निरर्थक है। हम और अधिक से अधिक २% की यानी १०० करोड़ रुपये की ही आशा की जा सकती है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि हमारी वर्तमान आवश्यकता के अनुसार वार्षिक आय में से होकर बचाने वाला पूँजी-निर्माण निश्चित रूप से अर्थात् है।

**अर्थात् पूँजी-निर्माण के कारण :—**अर्थात् पूँजी-निर्माण का कारण कम आय भी है, किन्तु अंतोपजनक आय होने पर कुछ धन बचप भी हो

जाता है जैसा कि भारतवर्ष में हुआ है। इतना होते हुए भी नबिन धन पूँजी के रूप में नहीं आ सकता है और पूँजी निर्माण इस प्रकार अमभव हो जाता है। इस देश में पूँजी निर्माण न हो सकने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(१) भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय इतनी कम है कि धन संचय की योग्यता लगभग नहीं के बराबर है।

(२) युद्धकाल में कमाये हुए धन का औद्योगिक दृष्टि से पूँजी-निर्माण नहीं हो सका क्योंकि कमाने वालों ने उस धन से सोने-चादी के जेवर बनवाये और करोड़ों रुपये मकानों आदि अचन सम्पत्ति पर व्यय कर दिए।

(३) उद्योग धर्मों के शेयरों में पूँजी लगाना धीरे-धीरे बन्द होने लगा क्योंकि औद्योगिक सस्थाओं के वार्षिक लाभ पर अनेक प्रकार के कर लगा दिए गए। सर पदमवति सिंघानिया के इस वक्तव्य में बहुत कुछ सचार्इ जान पड़ती है जो इन्होंने हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक की पँचवीं वार्षिक बैठक में ११ जून सन् १९४८ में दिया कि पिछले दस वर्षों में देश की राष्ट्रीय आय मुद्रिफन से १०० प्रतिशत बढ़ी है परन्तु सीधे करों की वृद्धि ८००% हो गई है। कुछ करों की छूट मिलने पर भी इनका बोझ वार्षिक आय पर इतना पड़ता है कि लोग औद्योगिक सस्थाओं के शेयरों को खरीदने में निराशा दिखाने लगे हैं।

(४) कुछ सरकारी नीतियाँ ऐसी रहीं हैं जिनमें प्रभाव ऐसा पड़ा कि देश में कुछ विद्वानों के अनुसार 'पूँजी की हड़ताल' हो गई। बड़े उद्योगों के बारे में सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति ने इस ओर बड़ा बुरा प्रभाव डाला। बांधव में राष्ट्रीयकरण हो जाना या नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है पर इस बारे में बरती गई अनिश्चिन्ता सबसे हानिप्रद सिद्ध हुई है। यदि सरकार को महत्वागी तथा नरम नीति, जो बाद में प्रकट हुई, पहले ही स्पष्ट कर दी जाती तो पूँजी-निर्माण में बहुत कुछ सहयोग मिल जाता।

(५) युद्ध काल में अनेक व्यापारियों ने सट्टेबाजी, काले बाजार, रिश्वत खोरी तथा अन्य निंदनीय मार्गों से पैसा कमाया था। इसलिए वे अपने पैसों

की पूर्वी के रूप में लगाने में सदा दिनकरने रद्द अन्यथा उन पर कुछ दृष्टारिणाम भोव दिया जाय ।

(६) बहुत दिनों तक औद्योगिक संस्थाओं में मुनाफा बढ़ने की दर ६% ही रही । यह आय बहुत कम समझी गई ।

(७) युद्ध काल में आय का बटवारा धरे धीरे बढ़ाने लगा । मध्यम वर्ग की मनता में आय हटकर कृषकों तथा श्रमिकों की जेबों में जाने लगी । यह वर्ग स्वभावतः ही अधिक खर्चीला रहा था; पूर्वो नहीं बना सका । यदि थोड़ा बहुत धन मंचय भी हुआ तो उसका पूर्वी के रूप में परिवर्तन नहीं हो सका ।

(८) देश के विभाजन के कारण करोड़ों की सर्वाजि नष्ट हो गई तथा करोड़ों रुपये का घाटा स्टोक-एक्सचेंजों पर आ गया ।

इस प्रकार ऐसे अनेक कारणों से देश में पूर्वी निर्माण नहीं हो सका । इस बारे में मुख्यतः हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए । प्रथम तो यह कि देश की प्रति व्यक्ति आय सदा से इतनी कम रही है कि साधारण व्यक्ति पूर्वी बढ़ाने में अपनी शक्ति का कोई टोम परिचय नहीं दे सकता । दूसरी यह कि यदि किसी व्यक्ति या वर्ग-संयोग की आय में वृद्धि हो भी गई तो वह सरकारी सौदे-सम्भारा नीतियों की अनिश्चयता के कारण से अपनी खर्च आय को पूर्वी के रूप में लगाने के बजाय जमा करना ही उचित समझने लगे । तीसरी यह कि इन वर्षों में कुछ कृषकों और श्रमिकों का आय में काफी वृद्धि भी हुई और उसका पूर्वी के रूप में उपयोग करने की उनकी इच्छा होने हुए भी वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उनमें आवश्यक विश्वास भरने वाला प्रचार नहीं हो सका ।

भविष्य के लिए सुझाव — कुछ टोम सुझाव रखने के पहले हमें दो विशेष बातों की ओर ध्यान रखना चाहिए जो वास्तव में हमारे सुझावों के उद्देश्य हैं । इन्हीं दो बातों को दृष्टिगत रख हमें सुझाव देने चाहिए । यह मुख्य दो बातें इस प्रकार हैं :—

(अ) देश में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कैसे बढ़ाई जाय ? हमें शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय-आय में वृद्धि की जाय ।

(ब) बढ़ती आय की मंचय करने की शिक्षा दी जाय तथा उसको पूर्वी

रूप में लगाने के अनेक तथा भिन्न भिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध किये जाएँ।

उक्त दो बातों का ध्यान में रखते हुए पूँजी निर्माण के लिए निम्नांकित सुझाव दिए जा रहे हैं —

(१) देश में ८०% जन संख्या कृषि पर जीवन यापन करती है इसलिए सर्व प्रथम हमारा ध्यान कृषकों का आर हो आकर्षित होना चाहिए। उन्हें केवल पिजूल-खर्च से ही नहीं बचाना है बल्कि उनकी अन्य आदतों में भी सुधार करने की आवश्यकता है। केवल धन को संचय करने रखने की उनका आदत पर शिक्षा के अन्तर्गत् आक्रमण करना चाहिए। यह तो सत्य है कि स्वभाव सरलता से जाना नहीं है किन्तु यदि उचित प्रयत्न किए जाएँ तो इस आर सफलता मिल सकती है। कई बार देखा गया है कि कृषकों के गाँव हुए नोटा में दामकू लग गई थी। क्या यह राष्ट्रीय सम्पत्ति का व्यर्थ नाश नहीं है? यद्यपि बहुत ही निकट भविष्य में अधिक सरलता मिल सके किन्तु निरभी यदि सरकार चाहे तो इस आर बहुत कुछ कर सकती है।

(२) अमिन्न वर्ग की सम्पत्ति यद्यपि सीमित है किन्तु उन्हें कम मूल्यों के शेयर आदि खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(३) मध्यम श्रेणी की आर्थिक स्थिति इन दिनों बड़ी चिन्तनीय है, किन्तु पूँजी लगाने वालों का अधिक संख्या भी इसी वर्ग में है। इसलिए व्यापार आदि के स्थानीय तथा प्रांतीय बंधन हटाकर मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति को ठीक करने का अटूट प्रयत्न करना चाहिए। इस मध्यम श्रेणी के लोगों की वार्षिक आय वृद्धि के लिए यदि सरकार को कोई कर भी हटाने पड़े तो ऐसा भी कर देना चाहिए क्योंकि यही वर्ग हमारे समाज का मतुलन बनाए रखता है।

(४) बड़े बड़े उद्योगों का बढारा दिया जाना चाहिए। विशेष सुविधाएँ देकर उत्पादन वृद्धि करानी चाहिए तथा कुछ करों की छूट भी आवश्यक है, यदि पूँजी लगाने वालों में बड़े उद्योगों के प्रति विश्वास जगाना है।

(५) गाँवों में सहकारी बैंकों की स्थापना की जाय तथा नई शाखाएँ खोली जाएँ। इस प्रकार के बैंकों से देहाती भारत की सम्पत्ति का पूरा उपयोग उठाया जा सकता है यद्यपि विछले जगों में सहकारी बैंक भी बढारा दिया



गया था पर फिर प्रगति कम होने लगी ; इसलिए सरकार को ऐसे बकों की प्रगति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए ।

(६) बीमा कम्पनियों को भी अपने प्रतिनिधियों को देहातो में भेजना चाहिए ताकि वहाँ की जनता को नये नियमों से आकषित कर बचत करने का ढंग बताया जा सके और इस प्रकार उसरा हस्तुपयोग भी सम्भव हो सके ।

(७) सरकार को अपनी नीति के बारे में चिन्तुकुल स्पष्ट रहना चाहिए । बड़े उद्योगों के संरक्षण के प्रश्न पर, उनके राष्ट्रीयकरण की समस्याओं पर तथा अन्य कर आदि मसलों पर हमारी सरकार के मन्त्रियों को अपनी नीति में उलभने नहीं डालनी चाहिए । केवल प्रभावशाली भाषण ही प्रगति के चिन्ह नहीं हो सकते हैं । भाषण आवश्यक हैं पर ऐम कि जिनसे आर्थिक समस्याएँ जाटल होने के बजाय कुछ सुलभती हो । सरकार को एक ऐसे विभाग को भी जन्म देना चाहिए जो देश में पूँजी-निर्माण के बारे में कुछ प्रचार करे तथा "बचत करो आन्दोलन" को बड़ी तजी से कार्यान्वित कर दे ।

समय है सारे साधनों का विदोहन और मुभावा को कार्यान्वित करने के पश्चात् भी हम अपनी आवश्यकतानुसार पूँजी इस देश में प्राप्त न कर सकें । निश्चित रूप से पूँजी के लिए कुछ वर्गों तक हमें विदेशों की सहायता लेनी पड़ेगी और लेनी भी चाहिए लेकिन सम्मान पूर्वक । इन सब का अर्थ यह नहीं कि हम अपने देश में पूँजी निर्माण के कार्य को गतिहीन धर दें क्योंकि इसी के बल पर हम अपने देश को प्रगतिशील बना सकते हैं ।

## ४३—औद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन

[ Industrial Finance Corporation ]

महत्त्व—वैसे ता वैदेशिक पूँजी के लिए हमारी नित्य प्रति नी प्रत्याज्ञा, तथा उस सम्मान पूर्णक प्राप्त कर, उसका अधिनाधिक उपयाग उठाने क लिए आये दिन के प्रयास, प्रस्ताव व प्रेरणाएँ हा यह स्पष्ट करने को पर्याप्त है कि देश में पूँजी का अभाव है, किन्तु मत बर्षों का अनुभव यह बताता है कि बड़े बड़े उद्योगों के लिए, एक नहीं अनेक उदाहरणों में, पूँजी प्राप्त करने हेतु उच्च 'पूँजी का अभाव' केवल अभाव हा नहीं पर लगभग अनाल सिद्ध हुआ है। दीर्घ कालीन व अल्प कालीन तथा स्थायी व कार्यशील सभी प्रकार की पूँजी के लिए बड़े उद्योगों का बाधाएँ होती रहीं हैं व समय समय पर निराशा व असफलता भी उ-हँ देखनी पड़ी है। इसका मुख्य कारण चाहे पूँजी वालों का सरकारी ऋण पत्र के प्रति या जन उपयागी संस्थाओं के शेरों के लिए सुरक्षा व आश की दृष्टि से अधिक चाव रहा हो, किन्तु बड़े उद्योगों के विकास में सदैव इस प्रकार की नीतियाँ बाधक रही हैं। हमारे यहाँ के बैंक तथा अन्य वित्त संस्थाओं की शक्ति, साधन व साहस भी बड़े उद्योगों में पूँजी लगाने में अनर्बल रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में औद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना का सभी बग व विभाग ने स्वागत किया है। इसलिए निस्संकोच यह निर्णय दे देना कि ऐसे कॉरपोरेशन की स्थापना सामयिक आवश्यकता ही नहीं वरन् ऐतिहासिक महत्त्व भी रखती है कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

कॉरपोरेशन की स्थापना—कई वर्षों पूर्व औद्योगिक वसाधन ने सन् १९१८ में विकास की सभायनाओं को दृष्टिगत रख, देश में औद्योगिक बैंकों की स्थापना पर बड़ा बल दिया था। इसी प्रकार वैदेशिक पूँजी वसाधनी ( External Capital Committee ) ने सन् १९२४ में देश की औद्योगिक वित्त समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक संस्थाओं (Specialist Institutions) की स्थापना की वकालत की थी, किन्तु कई राजनैतिक व आर्थिक कारणों से उच्च प्रस्तावों को उस समय कार्यान्वित नहीं किया जा सका। पर भूतपूर्व प्रस्तावों से प्रेरित होकर व वर्तमान परिस्थितियों से निराशा

हो माननीय आर० के० राणमुल्कम चैट्टी ने भारतीय-मंसद में श्रीयोगिक वित्त कारपोरेशन की स्थापना के लिए एक बिल प्रस्तुत किया। २७ मार्च सन् १९४८ को गवर्नर-जनरल की ओर से इस बिल पर स्वीकृति मिला तथा १ जूलाई सन् १९४८ से कारपोरेशन का कार्य प्रारंभ हुआ।

**पूँजी का ढाँचा :—**कारपोरेशन की श्रविकृत-पूँजी १० करोड़ रुपये है। इस पूँजी को १० हजार शेयरों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक शेयर का मूल्य ५ हजार रुपये है। इन शेयरों को खरीदने का अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार, रिज़र्व बैंक, प्रमाणित बैंकों (Scheduled Banks), बीमा-कम्पनियों, पूँजी लगाने वाले ट्रस्टों तथा इसी प्रकार की वित्त संस्थाओं को है। उक्त शेयरों पर केन्द्रीय सरकार की गारंटी भी है। यह तो स्पष्ट ही है कि कारपोरेशन के शेयर खरीदने व पूँजी में योग देने का अधिकार किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं है पर केवल उक्त संस्थाओं को है जो वित्त की समस्याओं से सम्बन्धित हैं।

**उद्देश्य तथा अधिकार :—**कारपोरेशन का मुख्य उद्देश्य देश में श्रीयोगिक विकास को सहायता पहुँचाना है। किन्तु विकास का अर्थ केवल नई उद्योगशालाएँ खोलने से ही नहीं है। आज हमारे यहाँ एक ओर जहाँ नई उद्योगशालाओं की आवश्यकता है तो दूसरी ओर चालू उद्योगों के सुक्ति-मगत वैज्ञानिकन (Rationalisation) की बात भी अत्यन्त पुरा महत्त्व रखती है। श्रीयोगिक सम्पत्तियों की प्राप्त पूँजी (Paid up Capital) का लगभग सारा भाग मशीन भूमि व अन्य औजारों के खरीदने में ही चला जाता है व समय पर कार्यशील-पूँजी (Working Capital) की बड़ी भारी कमी पड़ जाती है, जिसका परिणाम उद्योग की सकलता के लिए घातक भी हो सकता है। इसलिए कारपोरेशन का उद्देश्य है कि चालू व नवीन सार्वजनिक कम्पनियों को मध्य कालीन व दीर्घ कालीन मात्र उपलब्ध करे। किन्तु वे उद्योग जो बुनियादी उद्योगों की धेणी में हैं या वे उद्योग जिनका कि राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, उक्त साहाय्यता के भागीदार नहीं बन सकते।

कारपोरेशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसे निम्नांकित अधिकार प्राप्त हैं —

(१) श्रीयोगिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त ऐसे कर्ज पर गारंटी देना—

(अ) कि जो २५ वर्ष से पूर्व ही लौटा दिया जायगा।

(ब) कि जो सार्वजनिक बाजार में प्राप्त किया गया है।

(२) श्रीयोगिक संस्थाओं के शेयर व ऋण पत्र बेचने का जिम्मा लेना।

(३) उक्त (१) व (२) में वर्णित दी गई सुविधाओं के लिए कमीशन पाना।

(४) ऐसे शेयर, ऋण पत्र व बॉण्ड आदि का सम्पत्ति के तौर पर रखना जो कि बेचने का जिम्मा लेने ( Underwriting ) हेतु प्राप्त किये गये हों। किन्तु ऐसे शेयर, ऋण-पत्र व बॉण्ड आदि शीघ्रातिशीघ्र बेचने पड़ेंगे, यदि ऐसा सम्भव हो सके, परन्तु इनको रखने की मियाद अधिक से अधिक ७ वर्ष है, इस लिए प्राप्त करने ४ ७ वर्ष बाद तो अवश्य ही शेयर आदि को बेचना पड़ेगा।

(५) श्रीयोगिक संस्थाओं को कर्ज या अधिम धन देना या उनके ऋण पत्र स्वीकारना। किन्तु ऐसे कर्ज, अधिम-धन, ऋण पत्र अधिक से अधिक २५ वर्ष में लौटाये जाने वाले होने चाहिये।

उक्त (१) व (५) में सुविधाएँ तभी दी जा सकती हैं जब वे पर्याप्त गिरगी से सुरक्षित किये जा चुके हों।

प्रबन्ध.—साधारण देय-रेय व निर्देशन का कार्य एक संचालक-परिषद ( Board of Directors ) के अधीन है जो एक कार्यकारिणी कमेटी तथा प्रबन्ध संचालक की सहायता से होता है। यह आशा की गई है कि संचालक-परिषद दोस व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुकूल कार्य करेगी। परिषद की कार्य पूर्ति में मन्त्रीय सरकार द्वारा किसी विशेष कार्य पर किया निश्चय व दिया गया निर्णय परिषद को अंतिम रूप से मान्य होगा।

सुरक्षा के साधन —श्रीयोगिक संस्थाओं को दिए गए किसी ऋण को वापिस प्राप्त करने के लिए कारपोरेशन को बहुमुखी अधिकार दिए गए हैं। यदि कोई संस्था अपने इकरार का निभाने में असफल रही है, या भ्रान्ति उत्पन्न करने वाली सूचना या ब्यौरा देता है, या रखने की गई सम्पत्ति का सुरक्षा से

नहीं रख सकें हैं, या ऐसी सम्पत्ति का मूल्य २० प्रतिशत से अधिक कम हो गया हो व सस्था क्षतिपूर्ति करने के लिए गिरवी न दे सकी हो, या गिरवी रखी हुई मशीन आदि को अपने स्थान से किसी अन्य स्थान पर पहुँचा दिया गया है या अंत में मंचानल-परिपद की राय में कारपोरेशन के हितों की रक्षा करना आवश्यक हो गया हो तो परिपद दिए गए श्रृण को तुरत वापिस लौटाने का नोटिस दे सकता है। यदि कोई श्रीयोगिक संस्था उक्त नोटिस का पालन न करे तो परिपद द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति जिना-न्यायाधारा की सहायता से उसकी सारी सम्पत्ति को बिकवा सकता है या अपने अधिकार में ले सकता है। यदि ऐसे मुनारु अधिकार कारपोरेशन को न प्राप्त हों तो इसका कार्य समुचित ढंग पर चलना भी कैसे संभव हो सकता है ?

**लाभ-वितरण :**—कारपोरेशन के नियमों में यह विशेष रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि कारपोरेशन एक बचत-कोष कायम करेगा। संदेहास्पद ऋण, सम्पत्ति का मूल्य-हास तथा अन्य इस प्रकार के ध्यारारिक घातों के लिए धन निश्चित कर चुकने पर यदि कोई लाभ बच जाय तो कारपोरेशन शेयर-अधिकारियों को मुनाफा बाँट सकता है, किन्तु इस मुनाफे की दर उस समय तक, सरकारी गारंटी से अधिक नहीं हो सकती, जब तक कि उक्त बचत-कोष का धन कारपोरेशन की प्राप्त-पूँजी के समान न हो जाय।

### कॉरपोरेशन द्वारा किंग गण प्रश्नों का द्यौरा

कारपोरेशन का मुख्य उद्देश्य देश के श्रीयोगिक विकास में स.ग. मुविधा प्रदान कर सहायता देना रहा है। इसका कार्य १ जौलाई सन् १९४८ में प्रारभ हुआ या, अतः अतः तक के, २० जून सन् १९५१ तक के, तीन वर्षों में कारपोरेशन ने अनेक प्रकार की श्रीयोगिक संस्थाओं को ऋण दिए हैं।

अपने जीवन के प्रथम वर्ष में कारपोरेशन ने कुल मिला कर लगभग ३ करोड़ ४२ लाख रुपये ऋण दिए तथा दूसरे वर्ष में लगभग ३ करोड़ ७७ लाख रुपये के ऋण दिए गए। ३० जून १९५१ को समाप्त होने वाले वर्ष में कारपोरेशन ने ४ करोड़ रुपये से भी अधिक राशि के ऋण स्वीकृत किए। ऋण अधिकतर कपड़ा उद्योग, सीमेंट, इंजीनियरिंग, तेल उद्योग, ऊन, रेशम उद्योगों

तथा अन्य आवश्यक मूल उद्योगों को दिए गए ।

विगत वर्षों में कारपोरेशन ने करोड़ों रुपये के ऋण औद्योगिक संस्थाओं को दिये हैं । ऐसे ऋणों को प्राप्त करने के लिए अनेक निवेदन पत्र कारपोरेशन ने पास पहुँचे हैं किन्तु अधिकांश को ऋण देने में कारपोरेशन असमर्थ रहा है । कारपोरेशन की ओर में इस असमर्थता के लिए कई कारण वाणिज्य रिपोर्टों में दिए गए हैं । मुख्य इस प्रकार हैं ।

**योजना का अभाव** — कई उदाहरणों में ऐसी योजनाएँ कारपोरेशन को भेजी गई हैं जिनमें तांत्रिक पहलुओं व वित्त-समस्याओं पर पूर्ण विचार नहीं किया गया है । अनेक ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें यह भी नहीं बताया गया है कि भूमि, इमारत, मशीनरी आदि अन्य व्यक्तिगत विभागों पर अलग अलग कुल अस्तनी रकम खर्च होगी । ऐसे उदाहरणों का भी अभाव नहीं है, जहाँ मशीन आदि इसलिए खराद ली गई हैं कि वे सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो रही हैं । उनकी उपयोगिता पर तनिक भी नहीं सोचा गया । ऐसी अधूरी कागजात योजनाओं में वास्तविक योजना के मूल तत्वों का अभाव रहना स्वाभाविक ही है । उत्पादन की समस्याओं के बारे में जो औद्योगिक संस्थाएँ केवल मन चाहे आधार पर, बिना किसी विशेषज्ञ की सम्मति के ही यदि आगे बढ़ चलीं तो इसका नाम योजना नहीं कहा जा सकता । माँग और पूर्ति की समस्याओं पर तो अधिकांश संस्थाएँ पर्याप्त रूप से सोचने में असमर्थ रही हैं । अतः ऐसी दशा में कारपोरेशन के लिए अध्याधु ध ऋण दे सकना कैसे सम्भव हो सकता है ?

**अपर्याप्त साधन** .— कुछ औद्योगिक संस्थाएँ ऐसी भी हैं जिनकी पूँजी आवश्यकता से बहुत कम है । ऐसी स्थिति युद्ध काल में संभवतया उनके समुचित विनास में बाधक न होती क्योंकि उस समय अनेक प्रकार के ऋणों से व उपलब्ध पूँजी से काम चलाया जा सकता था । किन्तु अब युद्धोत्तर काल में मुद्रा स्थिति भी कम हो गई है, ऋण भी सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो भला कम पूँजी वाली औद्योगिक संस्थाएँ कैसे पनप सकती हैं ? ऐसी संस्थाओं को ऋण देकर उनके लिए अहित करना है । कुछ उदाहरणों में यद्यपि प्राप्त पूँजी पर्याप्त भी तो संस्था की अधिकांश सम्पत्ति गिरती रक्ती जा चुकी थी । ऐसे

उदाहरणों का अभाव नहीं है जहाँ संस्था के सारे शोध संस्थाओं को उनसे ली गई संपत्ति के बदले में दिए गए हैं, पर ऐसी संपत्ति बहुत ही अधिक मूल्यों पर प्राप्त की गई है। कहीं-कहीं तो संस्थाओं की श्रेण के लिए की गई मॉड उनकी आवश्यकताओं से भी कम है और ऐसी दशा में यदि कारपोरेशन जी योजना कर भी उन्हें श्रेण प्रदान करे तो भी उनका उभान नहीं हो सकता।

इन दो विशेष कारणों की वजह से कारपोरेशन को कई शैक्षणिक संस्थाओं को श्रेण देने में कठिनाई हुई, किन्तु इस दशा में ऐसे उद्योगों को, जो बिना किसी मुद्रित योजना के व पर्याप्त साधनों के आगे बढ़ने हैं, निराश करना उचित कहा जा सकता है। इतना होने हुए भी कारपोरेशन ने मरुतों श्रेण देकर कई उद्योगों को सकलता की करवट बदलने का अवसर दिया है। अभी कारपोरेशन का यह बाल-जीवन ही है इसलिए सतर्कता और ठोस व्यापारिक सिद्धांतों का रक्षण करना इसके लिए समय नहीं अन्यथा इसका स्वयं का अस्तित्व भी अस्थाया हो सकता है जो कि शैक्षणिक विकास के हित में नहीं कहा जा सकता।

### कारपोरेशन के कार्य-क्रम व कार्य-प्रणाली की आलोचना

अनेक श्रेणों की स्वीकृति देने पर भी, इसका अर्थ यह नहीं है कि कारपोरेशन के बारे में आलोचना के शब्द कहे नहीं जा सकते। जहाँ पहले तीन-चार वर्षों में इसने कुछ कार्य किया है, यहाँ कई प्रयत्न असफल भी रहे हैं, आगे भी रहे हैं और अवर्याप्त प्रयत्न भी किए गए हैं। अतः कारपोरेशन के लिए यह आलोचनाएँ समय-समय पर होनी रही हैं।

कारपोरेशन का प्रारम्भ इतना अच्छा नहीं रहा है जिससे कि हम प्रेरित होकर प्रशंसा कर दें। प्रथम वर्ष में १५६ आवेदन-पत्र श्रेण के लिए आए जिनमें से केवल २१ को श्रेण दिया गया व प्रथम वर्ष यानी १० जन १९६६ तक कुछ श्रेण ३,४२,२५,००० रुपये का दिया गया। इंग्लैंड के कारपोरेशन ने १३३ आवेदन पत्रों को श्रेण दिया, जहाँ भारत में केवल २१ को स्वीकृति मिली। कनाडा ने प्रथम वर्ष में ६७ आवेदन पत्रों पर सहायुभूतिपूर्ण विचार दिया व आस्ट्रेलिया के बैंक ने प्रथम वर्ष में ही १०३३ अर्जियाँ स्वीकार की।

इसलिए आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन व कनाडा में प्रथम वर्ष में स्वीकृत आवेदन पत्रों से सिद्ध हो रहा है कि भारत दौड़ में बहुत पीछे है।

(२) कारपोरेशन द्वारा दिए गए ऋणों पर व्याज की दरें सभी सस्थाओं के लिए समान रही हैं, जो असंगत जान पड़ना है क्योंकि सभी श्रौद्योगिक सस्थाओं की आर्थिक स्थिति व सफलता समान नहीं हो सकती और न है। इसलिए प्रत्येक सस्था के टासपन और भविष्य को दृष्टिगत रखकर ही व्याज की दर निर्दिष्ट करनी चाहिए। समानता के सिद्धान्त को व्याज की दरों में प्रज्ञा कर टास व्यापारिक सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है।

(३) ऋण के आवेदनपत्रों पर विचार करते समय कारपोरेशन इस बात से अधिक प्रभावित हुआ है कि किस कम्पनी के शेयर का मूल्य बाजार में अधिक है और किसका नहीं है। किन्तु 'शेयर की कीमत' का मापदण्ड अनेक प्रभावित करने वाले कारणों में से एक हो सकता है पर मुख्यतः यही कारण नहीं है जिनसे प्रभावित होना चाहिए। किसी भी कम्पनी या श्रौद्योगिक सस्था का पिछले वर्षों का प्रभाव, वर्तमान आय शक्ति, प्रबन्ध सुचारुता, व भाव्य की संभावनाएँ आदि ऐसे अनेक महत्त्वपूर्ण विषय हैं जिनसे प्रभावित होना भी आवश्यक है। अतः केवल शेयर के अधिक मूल्य से प्रभावित होना दापपूर्ण है।

(४) आधकाश ऋणों की अवधि, जो कि कारपोरेशन ने श्रौद्योगिक सस्थाओं को दिए हैं, केवल १२ वर्ष की है। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जहाँ १५ वर्ष की अवधि के लिए भी ऋण दिया गया है। किन्तु श्रौद्योगिक सस्थाओं की विकास अवधि इस १५ वर्ष के समय से कहीं अधिक होगी अतः यह अवधि बहुत कम है। कारपोरेशन के नियम व अनुसार भा ऋण की अवधि २५ वर्ष तक की हो सकती है लेकिन इस नियम का अभी तक उपयोग नहीं उठाया गया है।

(५) कारपोरेशन की ओर से अभी तक कोई आर्थिक शोध विभाग नहीं खोला गया है जिसका बड़ी आवश्यकता है। कारपोरेशन का कार्य बचन प्रेमासन या अर्द्ध-वार्षिक जाँच पड़ताल करना रहा है किन्तु इसे अपने ग्राहकों का अपनी अमूल्य परिपक्व सम्पत्ति भी देनी चाहिए।



(६) शेयर वरीदने का अधिकार केवल वित्त सम्बन्धी संस्थाओं व केन्द्रीय सरकार की ही प्राप्त रहा है अतः यह जन साधारण की संस्था नहीं कही जा सकती। कई लेखकों की धारणा है कि कारपोरेशन के शेयर प्रत्येक व्यक्ति व संस्था के लिए उपलब्ध होने चाहिये, किन्तु इसका विपरीत दृष्टिकोण भी है जो हम आगे चलकर निर्योगे।

(७) कारपोरेशन का अणु केवल सार्वजनिक श्रीयोगिक संस्थाओं को मिल सकता है, इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी संस्था जो सार्वजनिक नहीं है, किन्तु उद्योग व व्यापार से सम्बन्ध रखने वाली है तो भी वह कारपोरेशन द्वारा अणु नहीं ले सकती। अतः सानेदारी के व्यापार व निजी उद्योगों वाले अना विकास करने में कारपोरेशन के द्वारा दिये जाने वाले अणुओं में वन्तित कर दिष्ट गए हैं।

प्रत्युत्तर :—आलोचना की कई बातों में तथ्य ही नहीं मार्ग-दर्शन की रेखा भी मिलती है। किन्तु सारी बातें न सही हैं और न सार-पूर्ण ही हैं। यदि कारपोरेशन अपने शेयरों को सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए केवल अपने नाम के आगे एक जनवादी चिल्ला लगाने के लिए ही उपलब्ध कर दे तो लाभ के विपरीत हानि और अनर्थ अधिक होगा। हमें ज्ञात है कि गिजवं बैंक के शेयर क्योंकि सभी के लिए खुले थे इसलिए वे बन्द पूँजीपतियों के हाथों में और वे भी एक दो राज्यों में एक्प्रित हो गए थे। अतः जनवाद का प्रचार करने वाले प्रयत्नों से हमें पूँजीवाद का प्रमाद मिला। इसलिए कारपोरेशन के शेयर केवल वित्त सम्बन्धी संस्थाओं के लिए होना ही हितकर है।

जहाँ तक कारपोरेशन के प्रारंभ का प्रश्न है, वह अन्य देशों व सम्पूर्ण कुतूहल कम आशामय लगता है। किन्तु हमें अपने देश की गति और आर्थिक साधनों का भी आलोचना करने समय ध्यान करना पड़ेगा। हमारे देश में आर्थिक साधनों व वित्त का अभाव ही नहीं है पर श्रीयोगिक दृष्टिकोण से समूचा देश भी उन्नत राष्ट्रों के मुकाबिले अविश्वसित है अतः निराश होने की कोई बात नहीं है।

कारपोरेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही सार्वजनिक उद्योगों की विक-

सित करना है, बढावा देना है, अतः साभेदारी के व्यापार व निजी उद्योगों की मॉग को उचित भी समझ में नहीं आ सकती ।

आशापूर्ण भविष्य — अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा व आस्ट्रेलिया आदि सभी देशों की श्रौयोगिक मस्थाओं को वित्त की सहायता देने वाली विशिष्ट संस्थाएँ हैं । हमारे यहाँ भी ऐसे श्रौयोगिक वित्त कारपोरेशन की स्थापना देश व उज्ज्वल श्रौयोगिक भविष्य की परिचायक है । कारपोरेशन को सदा सतर्क रहना चाहिए और ऐसे वातावरण को जन्म देना चाहिए कि सभी उद्योगों का विश्वास उत्तम बना रहे । अपने संचालकों के उद्योगों को अधिक ऋण स्वीकार कर अथवा आजकल की प्रचलित प्रांतीय भावना में बसकर कारपोरेशन उन्नत का सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता है और जनता के अविश्वास का चिह्न बन जायगा पर विश्वास है कि देश के सुयोग्य प्रबन्धकों के संचालन में यह कारपोरेशन देश के श्रौयोगिक दीप की विकास रूपी अतिशय की सदा प्रज्वलित रखने में समर्थ ही नरु पर सफल भी हो सकेगा और इसी में हमारे आर्थिक उत्थान का स्वर्णिम प्रभात उगेगा ।



## ४४—जन-वृद्धि की समस्या

आज मे लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व माल्थस नामक एक प्रसिद्ध समाज शास्त्री ने कहा था कि 'किसी भी देश की जनसंख्या वर्षों के जीवन-यापन के साधनों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है। जनसंख्या ज्यामिति-गति<sup>१</sup> से बढ़ती है और जीवन-यापन के साधन गणित-गति<sup>२</sup> से बढ़ते हैं। अतः बढ़ती हुई जनसंख्या पर स्वाभाविक-प्रतिबन्ध लगाकर उसे रोकना चाहिये अन्यथा दैवी-प्रसौप जैसे अग्नि, बाढ़, भूचाल आदि अपना काम आरम्भ कर देते हैं और जनसंख्या को जीवन-यापन के साधनों के गंतुलन में बना देते हैं।' माल्थस के ये शब्द आज हमारे देश को परिस्थितियों में खरे उतर रहे हैं। कहीं भूचाल आ जाते हैं, जिससे गाँव के गाँव धरातल में समा गए हैं तो कहीं प्रचण्ड अग्निफाण्ड के द्वारा जन और सम्पत्ति का अपार विनाश हो रहा है। कहीं बाढ़ के कारण गाँव के गाँव बह जाते हैं तो कहीं चारे और अन्न जल के अभाव में पशु और जन-शक्ति नष्ट होती जा रही है। इस प्रकार कहीं पानी की कमी है, कहीं अन्न का संकट है और कहीं चारे का अभाव है; कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं अनावृष्टि है। कहने का अर्थ यह है कि द्रुतगति से बढ़ती हुई जन संख्या को प्रशुन जीवन-यापन के साधनों के गंतुलन में लाने के लिए देव अपना काम करने लगा है। इसका कारण स्पष्ट है। पिल्ले अनेक वर्षों से हमारे देश की जन संख्या से रोक टोक बढ़ती चली जा रही है। न कोई नियम है, न समय है और न भविष्य में होने वाले दुपरिणामों का भय ही है। जन संख्या इस प्रकार बढ़ती रही है।

समस्त भारत की जन संख्या

(दस लाखों में)

२०६'१६

२५३'८६

वर्ष

१८७२

१८८१

<sup>१</sup> ज्यामिति-गति—२, ४, ८, १६, ३२, ६४, १२८ ...

<sup>२</sup> गणित-गति—१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८... ..

| वर्ष                  | जन संख्या ( दस लाखों में ) |
|-----------------------|----------------------------|
| १८६१                  | २८७ ७१                     |
| १९०१                  | २९३ ३६                     |
| १९११                  | ३१५ १५                     |
| १९२१                  | ३१८ ९४                     |
| १९३१                  | ३५२ ८०                     |
| १९४१                  | ४०० ००                     |
| १९४१ ( केवल भारत मघ ) | ३१९ ०१                     |
| १९५१ ( केवल भारत मघ ) | ३६२ ८२                     |

इसका अर्थ यह है कि प्रति दस वर्षों में १४ प्रतिशत जन संख्या बढ़ जाती है। गत वर्षों में यह ४० लाख प्रति वर्ष से भी अधिक बढ़ रही है। १९३९-४० में प्रकाशित लीग ऑफ नेशन्स के अरब-कोष के अनुसार समस्त संसार की जन संख्या २,१४५२,००,००० थी अर्थात् समस्त संसार के लगभग पचास मनुष्य हमारे देश में हैं। भारतवर्ष का क्षेत्रफल संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रफल का आधा है किन्तु यहाँ की जन संख्या वहाँ से लगभग तिगुना है। चीन को छोड़कर भारत की जनसंख्या संसार के सब देशों में अधिक है परन्तु चीन का क्षेत्रफल भी भारत के क्षेत्रफल से तीन गुना है। जन संख्या की वृद्धि का एक साधारण सा कारण यह है कि यहाँ पिछले कुछ वर्षों से शिशु-मृत्यु-संख्या और साधारण मृत्यु-संख्या दोनों में कमी आ गई है। १९२१ में शिशु मृत्यु संख्या १९५ प्रति मील तथा साधारण-मृत्यु संख्या ३१ प्रति मील थी जो १९४१ में घटकर क्रमशः १५८ और २२ हो गई। पिछले दस वर्षों में तो स्वास्थ्य कल्याण सम्बन्धी अनेक योजनाओं के कारण मृत्यु-संख्या में और भी अधिक कमी होने का अनुमान है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा का विकास होने के कारण मृत्यु-संख्या और भी कम होती जा रही है। फिर, कुछ वर्षों से बाल-विवाह निरोधक कानून और जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन के फल स्वरूप जन्मसंख्या में भी कुछ कमी हुई है। परन्तु जन्म संख्या फिर भी ऊँची है और मृत्यु संख्या जितनी कम नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक से तत्सम्बन्धी कुछ आँकड़ों का शान होता है।

| देश         | जन्म संख्या<br>(प्रति हजार) | मृत्यु संख्या<br>( प्रति हजार ) |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------|
| मिथ्र       | ४३.५                        | २१.३                            |
| कनाडा       | २६.८                        | ६.२                             |
| अमेरिका     | २२.४                        | ६.६                             |
| भारत        | २६.८                        | २६.०                            |
| जापान       | ३३.२                        | २१.६                            |
| फ्रान्स     | २१.०                        | १३.८                            |
| इटली        | १६.२                        | ६.७                             |
| इंग्लैंड    | १६.१                        | ११.७                            |
| आस्ट्रेलिया | २२.०                        | ६.५                             |

इन आँकड़ों से सात होता है कि मृत्यु-संख्या में कमी हो जाने पर भी यह अभी मिथ्र को छोड़ सबसे अधिक है। इसमें स्पष्ट अर्थ यह निकलता है कि जन-वृद्धि की समस्या हमारे देश में जन्म वृद्धि की समस्या है और इस समस्या का हल जन्म-वृद्धि को रोकने में है। इस विषय में क्या करना चाहिए इसका विचार आगे करेंगे। यहाँ समस्या के दूसरे पहलू पर विचार करें कि जन्म-संख्या अधिक क्यों है? विराह यहाँ आवश्यक माना जाता है और कम उम्र में ही विराह हो जाता है। हमारे यहाँ १८-२० साल का लड़का और १६ साल की लड़की विवाह कर लेते हैं जब कि इंग्लैंड में यह आयु क्रमशः ३०-२५ है। देश की गरीबी और मनोरजन के कम साधनों के कारण भी यहाँ जन्म का अनुपात अधिक है। परिच्छा के कारण भी लोग सन्तति नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते। यो सन्तति-नियंत्रण सामाजिक दृष्टि से बुरा और हीन भी समझा जाता है।

केवल संख्या की दृष्टि से ही नहीं धनत्व की दृष्टि से भी हमारे देश में विषमता है। जनसंख्या के धनत्व से हमारा तात्पर्य किसी देश में प्रति वर्ग मील निवासियों की संख्या से है। स्पष्ट है कि जनसंख्या का धनत्व दो बातों पर निर्भर होता है (१) जनसंख्या, (२) क्षेत्रफल। देश का क्षेत्रफल लगभग

स्थिर है परन्तु, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। पक्ष स्वरूप देश में जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान बन जाने के कारण तो एक विस्तृत और उपजाऊ भू-प्रदेश हमारे हाथ से निकल गया परन्तु उसके समानुपात में जनसंख्या कम नहीं हुई। इससे भारत सभ में जन संख्या का घनत्व और भी अधिक हो गया है। पाकिस्तान, चीन, अमरीका और रूस म क्रमशः प्रति वर्ग मील आवादी २१०, १२२, ५० और २३ है और भारत में प्रति वर्ग मील २६६ व्यक्ति रहते हैं। इसमें जन संख्या के घनत्व की असाधारणता प्रतीत होती है।

जनसंख्या के विराट रूप और गहन घनत्व को देख कर प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश में जनाधिक्य है? यह प्रश्न बड़ा जटिल और विवादास्पद है। अर्थशास्त्रियों और समाज शास्त्रियों ने इसकी कई कसौटियाँ निर्धारित की हैं। 'सर्वोत्तम जनसंख्या' के सिद्धान्त के अनुसार यदि किसी देश की जनसंख्या इस 'सर्वोत्तम सीमा' से अधिक बढ़ जाय तो कहा जाता है कि वहाँ जनाधिक्य है। परन्तु किसी विशेष परिस्थिति में "सर्वोत्तम जन संख्या" क्या है—यह ज्ञात करना न सम्भव है और न युक्तियुक्त। तो यदि 'सर्वोत्तम जनसंख्या' का ज्ञान ही न हो सके तो कैसे कहा जाय कि भारत में जनाधिक्य है या नहीं। परन्तु फिर भी कुछ ऐसी कसौटियाँ हैं जिनसे जनाधिक्य का मान किया जा सकता है। माल्थस की कसौटी यह है कि यदि जनसंख्या की वृद्धि के क्रम में जन्मसंख्या पर कोई प्रतिबन्ध न हो और बच्चों की संख्या बढ़ती जाय तो जनसंख्या लगातार बढ़ती जाती है। कैनन का कहना यह है कि यदि जनसंख्या इस अनुपात में बढ़ रही है कि उसके कारण समस्त देश में प्रति व्यक्ति आय कम होती जाती है, और देश के प्राकृतिक साधनों का महत्तम उपयोग नहीं कर पाती तो यह मानना चाहिए कि जनसंख्या उस देश में बहुत बढ़ गई है। सार यह है कि सामान्यतः निम्न तीन कसौटियों से जनाधिक्य का अनुमान-मान लगाया जा सकता है—

(१) यदि स्वाभाविक प्रतिबन्धों के अभाव में जनसंख्या द्रुतगति से बढ़ती जा रही हो, (२) राष्ट्रीय आय की असाधारण वृद्धि में निकट भविष्य में

कोई तीव्र सम्भावना न हो, (३) नैसर्गिक-प्रतिबन्धों (दैवी-प्रकोपों) ने अग्नि, भूचाल, बाढ़, दुर्मिच्छ, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि दैवी प्रकोप होने लगे हो जिनसे जान मान की हानि होती हो। इन तीनों ही कसौटियों पर देखने से भारत में जनसंख्या का आधिपत्य का अनुमान होता है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। मृत्यु संख्या अधिक है पर जन्मसंख्या उससे भी अधिक है। पुराने समय में जनसंख्या पर जो शर्यादाएँ थीं वे भी अब नहीं रही हैं। पुढे के लिए स्त्री की मृत्यु के पश्चात् ही नहीं बल्कि उसके जीवित रहने हुए भी और विवाह कर लेने की प्रथा पहिले में ही थी। अब तो मुंधार के आँसू में स्त्रियों में भी पुनर्विवाह होने लगे हैं। संतानोत्पत्ति एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। सति-निमह के उपायों का ज्ञान और प्रचार नहीं है। सारांश यह है कि स्वाभाविक प्रतिबन्धों के अभाव में जन्म संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरे, यहाँ के निवासियों को विदेशों में जाकर बसने की सुविधाएँ नहीं हैं बल्कि अपने लोग विदेशी सरकारों की नीति के कारण विदेशों से अग्नि रहन सहन छोड़ कर उल्टे भारत में आने लगे हैं। ताल स्वरूप जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है।

राष्ट्रीय आय को देखने पर भी कुछ ऐसे ही निम्न गिनत हैं। लगभग तीन-चौथाई जन संख्या जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। जहाँ भूमि परिमित हो, मसुरी कृषि का प्रचार न हो, कृषि-मुंधार के मार्ग में अग्नि बाँटनाइयों हो, कृषि की शक्ति मन्द हो, उद्योग शक्ति और व्यवसाय गुम और अति कम हो, पूँजी का निरन्तर अभाव हो, विदेशी प्रतियोगिता का निरन्तर भय लड़ना हो, कुशल विशेषज्ञों की भारी कमी हो यहाँ राष्ट्रीय आय के जनसंख्या के अनुपात में बढ़ने का आशा एक दुःशा ही है। जहाँ तक दैवी प्रकोपों का सम्बन्ध है वह पहिले ही कहा जा चुका है कि बाढ़, मसुरी, दुर्मिच्छ, बाढ़, अग्नि, भूचाल अग्नि बार बार प्रलयकारी प्रभाव दिखाने लगे हैं और दिना रहे हैं।

इन बातों से अनुमान होता है कि देश में जनसंख्या का आधिपत्य है। परन्तु फिर भी इस पर मत भेद है। कुछ लोग देश में जनसंख्या के पक्ष में हैं

तो कुछ का कहना है कि देश के प्राकृतिक और अधिकांश साधनों में वर्तमान जनसंख्या से भी अधिक संख्या को पालन करने की शक्ति है परन्तु कमी केवल यह है कि इन सुप्त साधनों का महत्तम उपयोग नहीं किया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे पक्ष के समर्थक हैं। उनका कहना है कि देश के प्रचुर साधनों को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान जनसंख्या भी कम है। अतः साधनों का विदोहन करने के लिए और जन संख्या की आवश्यकता है। कुछ लोगों का विचार है कि संसार में मनुष्य एक मुँह और दो हाथ लेकर जन्म लेता है। यदि खाने के लिए एक मुँह बढ़ता है तो काम करने के लिए दो हाथ बढ़ते हैं। फिर जीवन-यापन के साधनों की कमी कैसे? जनाधिक्य क्योंकर? उनका यह कथन सिद्धान्ततः ठीक है। परन्तु उसमें एक भूल है। क्या वह व्यक्ति अपने दो हाथों से अपने जीवन-यापन की पूर्ण और आवश्यक सामग्री उत्पन्न करता रहता है? उत्तर मिलता है नहीं। इसका कारण यह है कि साधन सीमित होते हैं—उसकी शक्ति और दायत्वता की कोई सीमा होती है तथा वह केवल हाथों से ही सामग्री नहीं उपजा सकता या बना सकता। उसे कुछ सहायक-साधनों की आवश्यकता होती है। ये साधन उसे पर्याप्त मात्रा या संख्या में उपलब्ध नहीं होते और वह फिर जनाधिक्य का कारण बन जाता है। हम पंडित नेहरू की इस बात से सहमत हैं कि देश के साधन प्रचुर हैं परन्तु सुप्त पड़े हैं। उनके विदोहन के लिए शक्ति की आवश्यकता है। परन्तु केवल जन शक्ति की ही नहीं, जन-शक्ति की सहायक शक्तियाँ भी। यदि ऐसा किया जा सकता तो निश्चय ही भारत-भूमि पर इससे भी अधिक जनसंख्या का पालन हो सकता है। परन्तु प्रश्न तो यही है कि जन-सहायक-शक्तियाँ कैसे प्राप्त हों? प्रयत्न किए जा रहे हैं—कृषि भूमि की सामाएँ बढ़ाई जा रही हैं, कृषि पर यंत्रों की सहायता ला जा रहा है, सहायक-उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं तथा वैज्ञानिकों को उत्साहन के सभी साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि हमारी ये सब योजनाएँ सफल हुईं तो जनाधिक्य का भय टल जायगा।

परन्तु इससे भी समस्या पूर्ण रूपेण हल नहीं होती। आखिर उत्साहन कब तक बढ़ाया जा सकता है? सुप्त साधनों का कितना विदोहन किया जा



सकता है ? इन सब की वृद्ध न वृद्ध मर्यादाएँ हैं । जन्म मरणा को रोकने की बात को टाल कर उत्पादन बढ़ाने की ही बात करना जनवृद्धि की समस्या को हल करने का श्रुधुरा उपाय ही रहेगा । अतः यह भी आवश्यक है कि द्रुत-गति से बढ़ी चली जा रही जन्म मरणा पर लगाम चढ़ा दी जाय । जब सरकार मृत्यु मरणा को रोकने के लिए मार्जनिक स्वास्थ्य की अनेकों योजनाओं को लेकर खड़ी है तो जन्म मरणा को भी रोकने के लिए कुछ करना वांछनीय और आवश्यक है अन्यथा समस्या मुलभूतने के बदले और उलझ सकती है । जन्म मरणा को रोकने के लिए दो उपाय हैं—(१) सरकार द्वारा, (२) जनता द्वारा । सरकार सन्नति निग्रह की शिक्षा को प्रोत्साहन दे, जहाँ लोगों का उसका ज्ञान मिल सके—चल-चित्र दिखाए जाएँ, भाषण कराए जाएँ तथा निग्रह-केन्द्र खोले जाएँ । सरकार यह सब कुछ कर रही है । विदेशी विशेषतः मि० स्टोन की सलाह पर देश के कई स्थानों पर सन्नति-निग्रह केन्द्र खोल कर प्रयोग किए जा रहे हैं । अन्ततः है कुछ परिणाम निकलेगा । सरकार शिक्षा को भी प्रगति दे क्योंकि इसके बिना स्वयं जनता निग्रह का महत्व नहीं समझ सकती । इसके अनिश्चित मनोरंजन के साधन भी जुटाए जाएँ । कुछ लोगों का सुझाव है कि 'कॉन्ट्रासेप्टिव्स' का प्रयोग देश में बढ़ाया जाय । परन्तु इस प्रकार अशराभाविक और नैसर्गिक उपायों से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होने की सम्भारना है । महारमा माफी स्वयं इसके पक्ष में न थे । उनका कहना था कि इस प्रकार जनता में व्यभिचार फैलने की शंका बनी रहेगी और दूसरे मागी संतान भी निर्वच बन जायगी । इसके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय तो यह है कि लोग श्रम समझे, समस्या की गम्भीरता को पहचानें और सवानेपति पर स्वयं प्रतिबन्ध रखें । यह समस्या ऐसी है जिस पर कानून द्वारा ही काबू नहीं पाया जा सकता । इसके लिए स्वा-पुस्तो का पारस्परिक सहयोग ही अनिवार्य है । सरकार लक्ष्मण्णी गुविषाएँ दे जैगे शिक्षा का प्रसार, मनोरंजन के अन्य साधन, सन्नति-निग्रह की महत्ता की शिक्षा आदि, आदि, । समस्या का हल तो केवल Moral Restraint 'जनता के शराभाविक नियंत्रण' में है । तभी जन्म मरणा कम हो सकती है और तभी रहन-सहन का स्तर उठ सकता है ।

## ४५—आर्थिक आयोजन

हमारे सिद्धान्त एव आदर्श क्या हो ?

आर्थिक आयोजन कोई बहुत पुराना विषय नहीं है। प्रथम महायुद्ध न पहिले तो आर्थिक आयोजन कुछ सैद्धान्तिक अथशास्त्रियों का विचार मात्र ही माना जाता था। पर १९३० के पश्चात् यह एक महत्त्वपूर्ण विषय बनने लगा। सारियट रूस ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा जो आर्थिक प्रगति की उससे ससार के अनेक देशों की भारी विस्मय हुआ और वे आर्थिक आयोजनों के पुरोगमों में पुटने लग। द्वितीय युद्ध के कारण अनेक राष्ट्रों ने आर्थिक कलेसर का जो विध्वंस हुआ उसका पुनर्निर्माण करने के लिए आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य आवश्यकता समझी जाने लगी। युद्धोत्तर काल में ससार के अनेक राष्ट्रों ने आर्थिक आयोजन किए। आज कुछ युद्ध घसित देश आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए प्रयत्नशील हैं और कुछ अवनत देश आर्थिक संगठन में व्यस्त हैं। हमारे देश की आर्थिक समस्या बहुमुखी है जहाँ युद्ध विजित आर्थिक कलेसर को भी संगठित करना है और देश के मुक्त आर्थिक साधनों का विदोहन करने कृपि और उद्योग को उन्नत बनाकर सतुलन उत्पन्न करना है।

आधुनिक युग में प्रायः ऐसा देखा गया है कि सरकार चाहे एक तनीय ही अथवा जन तनीय, कोई भी देशव्यापी नीति पुरोगम और आयोजन तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि उन्हें जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त न हो। आर्थिक आयोजन में अनेक नीतियों और कार्य शैलियों का समावेश होता है और ये सभी नीतियाँ और कार्य शैलियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की हाती हैं, परन्तु इन्हें कार्यान्वित करने के लिए यह आनश्यक है कि इन्हें जनता के विश्वास का पात्र बनाया जाय। इस आदर्श का महत्त्व १९२७ में होने वाले 'विश्व आर्थिक सम्मेलन' के उस प्रस्ताव से ज्ञात होना है जिसमें यह मुझाया गया था कि "ससार के आर्थिक निर्माण के लिए सम्मेलन को भिन्न भिन्न देशों की सरकारों और शासन सूत्रों पर ही आप्रित नहीं रहना चाहिए वरन् जनमत का आधार

बनाना चाहिए क्योंकि इसी पर योजना की सफलता निर्भर होती है"। हमारे यहाँ योजना कमोशन ने भी इस बात को भली-भाँति समझा है और अपनी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा प्रकाशित करने समय स्पष्ट कर दिया है कि 'योजना की सफलता जन विश्वास एवं जन सहयोग पर निर्भर है'।

आर्थिक आयोजन आर्थिक समूहों को एक व्यावहारिक क्रिया है जिसके द्वारा श्रृंग, व्यापार और उद्योग के सभी भिन्न-भिन्न मूकों को मिलाकर एक व्यवस्थित और संगठित इकाई बना दिया जाय, जिसमें एक निश्चित अधि के अन्दर प्रस्तुत आर्थिक साधनों का विदोहन करके देशवासियों की आवश्यकताओं के महत्तम सन्तोष की सुनिश्चित प्राप्ति की जा सके। इस क्रिया के सफल संचालन के लिए एक ऐसे संचालक की आवश्यकता होती है जो भिन्न-भिन्न मूकों की कार्यशैली निर्धारित करे और उत्पादन एवं उपभोग में समुचित उल्लेख करे। स्पष्ट होता है कि आर्थिक आयोजन के तीन प्रमुख उद्देश्य होने चाहिये। प्रथम, प्रस्तुत सभी आर्थिक साधनों का महत्तम विदोहन; द्वितीय, उत्पादन एवं उपभोग में आवश्यक तथा अनुकूल समायोजन; और, तीसरा, देशवासियों की आवश्यकताओं की महत्तम पूर्ति। ये तीनों उद्देश्य तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब देश भर की सारी आर्थिक क्रिया एक केन्द्रित संचालन शक्ति के अधीन हो। आर्थिक आयोजन के द्वारा उत्पादन की कुशलता, आर्थिक जीवन की स्थिरता तथा वितरण की समानता लानी होती है। जहाँ तक उत्पादन की कुशलता का प्रश्न है, आयोजकों को चाहिए कि वे ऐसा आर्थिक कार्यक्रम बनाए जिसमें उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ जन मण्डल को भी भंगुर कार्य मिलता रहे तथा उत्पादन का स्तर भी ऊँचा हो। कुछ लोगों का गवाह है कि विशाल संश्रों द्वारा ही उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा, परन्तु यह बात निरान्त सत्य नहीं। भारत जैसे देश में, जहाँ जनसंख्या का आधिपत्य है, उत्पादन की कुशलता जन-शक्ति के द्वारा ही बढ़ानी होगी, संश्रों के द्वारा नहीं, अन्यथा बेकारी का भय बना रहेगा। इसी प्रकार वितरण की समानता के लिए वे आयोजकों को भली भाँति जान लेना चाहिये। वितरण की समानता का यह अर्थ नहीं कि सभी को समान मिलता रहे या सभी समान रूप से धनी

का कगाल रहे। यह बात समझ भी नहीं हो सकती। जबतक मनुष्य मनुष्य की योग्यता, कार्यशैली, श्रमशक्ति, मानसिक गुण व शारीरिक गठन भिन्न भिन्न हैं तब तक उनकी कार्य करने की शक्ति भी भिन्न भिन्न होगी और उनके उत्पादन की स्तर भी अलग अलग होगा, वितरण में भी असमानता होगी। अतः वितरण की पूर्ण और स्थायी समानता की कल्पना करना असंभव नहीं तो असंभव अत्यन्त बान पड़ता है। वितरण की समानता से पहले यही समझना चाहिए कि ऐसा आर्थिक ढांचा बने जिसमें सभी को सब कार्य करने के लिए समान अवसर प्राप्त हों, मानव मानव का शोषण न करे, मानव प्राकृतिक साधनों का शोषण करे। आर्थिक जीवन की स्थिरता व विषय में भी एक विशेष बात है। स्थिरता ऐसी न हो जिससे जीवन की गति रुक जाय और आर्थिक क्षेत्र में ऐसे भारी भारी परिवर्तन हो जिससे आर्थिक ढांचा को किसी भी प्रकार की हानि हो।

किसी भी आर्थिक योजना का रूप निर्धारित करने से पूर्व आर्थिक साधनों का देश की राजनैतिक और सामाजिक स्थिति का सिद्धाबलोकन करना अत्यन्त आवश्यक है। योजना ऐसी हो जिससे क्रांति का आभास न मिले वरन् शान्ति शान्ति युग परिवर्तन हो। न तो प्रस्तुत आर्थिक ढांचा को छिन्न भिन्न करने की ही आवश्यकता पड़े और न क्रांतिकारी वातावरण ही उत्पन्न करने की चेष्टा की जाय। यथा संभव निम्न बातों का समावेश करने का प्रयत्न होना ही चाहिए—

(१) योजना का आधार वैयक्तिक उपक्रम (निजी उद्योग) ही है परन्तु आवश्यकतानुसार इसे लोक उपक्रम द्वारा स्थानापन्न कर दिया जाय। जिस क्षेत्र में लोक नियंत्रण की आवश्यकता जान पड़े वहाँ वैयक्तिक उपक्रम का स्थान न दिया जाय। परन्तु वैयक्तिक उपक्रम भी सर्वथा स्वतन्त्र न रहे। सभी वैयक्तिक उपक्रमों पर सरकार का न्यूनधिक नियंत्रण रहना ही चाहिए।

(२) योजना का जनता पर बलात् न लादा जाय। जनता का योजना के सिद्धांतों में एक उसका भविष्य में पूरा-पूरा विश्वास हो। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि आर्थिक योजना सरकार और जनता सभी का माया है और उसका व्यवहार लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित हो।

(३) योजना का स्वरूप शनै-शनै: विकसित होता रहे, जिसमें आर्थिक क्षेत्र में प्रस्तुत आर्थिक क्रियाएँ व आर्थिक मत्याएँ एक दूसरे के समीप आती जाएँ और उनका विकास भी एक निर्धारित शर्तों और उपक्रम के अनुसार हो। कोई भी योजना आरंभ में ही पूर्ण नहीं करी जा सकती। उसकी रूपरेखा समय की गति के साथ-साथ तथा मरुलता के किनारे-किनारे विकसित होनी चाहिये।

(४) योजना लचकदार होनी चाहिये जिसमें भविष्य में आनेवाली आर्थिक व राजनैतिक परिस्थितियों के सम्मुख उममें आवश्यक परिवर्तन किये जा सकें। आर्थिक योजना को पूर्ण कहकर आर्थिक जीवन को स्थायी बनाना होगा जबकि आर्थिक जीवन में समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आयोजन की प्रमुख विशेषता यह है कि "उसमें उत्तरोत्तर विकास हो और विकास के साथ उसे पूर्ण बनाया जाय।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि आयोजन सरकार और जनता के उन भरपूर प्रयत्नों का परिणाम है जिनके द्वारा राष्ट्र और संसार की परिवर्तनशील उत्पादन की परिस्थिति में आर्थिक कुशलता लाने का सकल प्रयास किया जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि आर्थिक योजना 'राष्ट्रीय' होनी चाहिए जिसमें राष्ट्र को एक शून्य इकाई मानकर आयोजन हो, अन्य राष्ट्रों के साथ उसका कोई संबंध न रहे। ऐसी विचारधारा भावुक हृदय की उपज है और व्यापारिकता से अधिक पीछे है। शून्य इकाई पर आधारित राष्ट्र की आर्थिक योजना का कोई व्यापारिक मूल्य नहीं और न वह हितकारी हो सकती है। राष्ट्रीय आर्थिक योजना बनाने समय अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन को अत्यन्त ध्यान में रखना होगा। योजना की सकलता में जितनी राष्ट्रीय जनता के सहयोग की आवश्यकता होती है उतनी ही अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भी कल्पना करनी होती है। प्रो० टामस व प्रो० सेलिगमैन भी इस बात की समीक्षा करते हैं और प्रो० टोयनबी ने तो यहाँ तक लिखा है कि "अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की कल्पना किये बिना बनाई गई आर्थिक योजना न केवल व्यर्थ होती है वरन् भयंकर हानि का कारण भी बन सकती है।" अतः यह आवश्यक है कि आर्थिक योजना यदि अन्तर्राष्ट्रीय आदर्शों पर आधारित नहीं होती है तो कम से कम अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

की आशा करते हुए अन्य राष्ट्रों के आर्थिक वायुमंडल से मेल खाती हुई आवश्यक होनी चाहिए। वर्तमान युग में, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, मोट्रिक प्रणालियों, कच्चे माल का आश्रय, पके माल को रखाने के लिए विदेशी बाजारों की व्यवस्था पारस्परिक सहयोग पर ही निर्भर है ता आर्थिक योजना में इन सभी व्यवस्थाओं का पूरा पूरा आयोजन आवश्यक हो जाता है।

हमारा देश तो आर्थिक योजनाओं की एक प्रयोगशाला रहा है। देश के आर्थिक आयोजन के विषय में भिन्न भिन्न मत व्यक्त किये गये हैं। कुछ लोगों का विचार है कि देश का औद्योगीकरण की धार ले जाना चाहिये और कुछ साचते हैं कि देश की उन्नति कृषि पर ही आधारित है। श्रीमती वैरा आइन्स्टे ने अपनी पुस्तक "भारत का आर्थिक विकास" में दलाल की है कि देश में एक सन्तुलित नीति की आवश्यकता है जिसमें कृषि और उद्योग दोनों को समुचित स्थान प्राप्त हो। "भारत की किसी भी आर्थिक योजना में दो समस्याएँ आती हैं, पहली जनसंख्या का आकार एवं उसकी वृद्धि दर और दूसरी सन्तुलित आर्थिक ढांचे पर। इन्हा दोनों समस्याओं पर भावी आर्थिक योजना का आधार आधारित होना चाहिए। जनसंख्या की समस्या पर ही भावी भारत का आर्थिक भविष्य अलम्बित है। जनसंख्या का समस्या देश की वह विफ्ट समस्या है जिसे यदि शांति ही न मुक्तकाया गया तो देश के कितने ही ठोस आर्थिक पुरागम आगे चल कर टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे। अतः आर्थिक योजना का पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि बढ़ता हुआ जनसंख्या को किस प्रकार नियंत्रण में लाया जाय और जनसंख्या एवं उत्पादनमात्रा में किस प्रकार सन्तुलन पैदा हो।

सभी मानते हैं कि भारतीय कृषि पर जनसंख्या का भारा भार है। लगभग ८० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर अलम्बित है। और यह भी सत्य है कि अभी तक उत्पादन पूर्ण मात्रा में नहीं हो रहा। यदि वैज्ञानिक साधनों द्वारा उत्पादन बढ़ाया गया तो समस्या यह पैदा हो सकती है कि कृषि से उठाई गई जनसंख्या क्या कार्य करे? इस जनसंख्या की औद्योगिक साधन तलाश करने होंगे और इस प्रकार कृषि व उद्योग के सन्तुलन का प्रश्न भी हल करना होगा। योजना कमिशन ने इन दोनों प्रश्नों को सामने रखकर योजना तैयार

की है और योजना का रूप काफी सुदृढ़ बनाया है। उस योजना की विस्तृत रूपरेखा का वर्णन अगले निबन्ध में किया गया है।

आर्थिक आयोजन की एक और महत्त्वपूर्ण आवश्यकता अङ्क-गणना की होती है जिन्हे आधार पर आगामी कार्य शैली निर्धारित की जा सके। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का कहना है कि ज्ञान के किसी भी पहलू में अनुमान-अंशों की आवश्यकता होती है और ये अनुमान-अङ्क योजना का मातृ प्रदर्शन करते हैं। डाक्टर मार्शल का विश्वास है कि “अर्थशास्त्र वह मिट्टी है जिसकी सहायता में ईंटें तैयार की जाती हैं।” आर्थिक योजना बनाने में पूर्व हम बात की आवश्यकता है कि ‘उत्पादन-गणना’ हो। उत्पादन-गणना का तात्पर्य है कि आर्थिक साधनों का, आर्थिक नियंत्रण का, जनसंख्या के विभिन्न उद्यमों का एक देश में आशर्तित अन्य उद्योग प्रयोग का अनुमान लगाया जाय और लक्ष्य बनाकर उसरी पूर्ति के प्रयत्न किये जायें। सभी लक्ष्य-प्राप्ति की कल्पना की जा सकती है। हमारे देश में अनेक योजनाएँ बनीं, परन्तु अकर्ममूह की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। स्पष्ट प्रस्तुत साधनों में अधिक ईंटें निर्माण करने के विषय में सोचा गया और लक्ष्य-पूर्ति न हो सकी। वर्तमान योजना कमीशन ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है। देश के साधनों के विश्वसनीय और यथार्थ पथान अंकड़े प्राप्त करके लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

अकर्ममूह के पश्चात् हमारे देश में आर्थिक-आयोजन में भारतीय कृषि की योजना का प्रथम लक्ष्य बनाना आवश्यक है। कृषि अथवा भोजन का साधन ही नहीं बरन् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं औद्योगिक विकास का भी एक योग्य हो चला है। अतः हमारी किसी भी योजना में देश की कृषि-भूमि की मानव-जीवन होनी चाहिए। भूमि का मानव इस दृष्टिकोण से ही कि विभिन्न भागों में कौनसे फसल कुशलता से पैदा की जा सकती हैं और इसका मानव करते समय देश की स्थानीय आवश्यकताओं और निर्यात-आवरण-कताओं दोनों बानों को सामने रक्खा जाय। उत्पादन वृद्धि के साधनों को तो सोचना होगा ही परन्तु उन सबको देश में ही उत्पन्न करना भी योजना

अलक्ष्य होना चाहिए। वृत्ति की उन्नति के साथ-साथ प्रामोक्षति की ओर भी योजना का पूरा लक्ष्य हो, क्योंकि भारत की कोई भी आर्थिक योजना तबतक पूर्ण नहीं कही जा सकती जबतक कि भारत के ७,००,००० गाँवों के पुनरुत्थान का कार्य-क्रम न बनाया जाय। प्रामोक्षति की योजना में सहकारी उद्योगों एवं सामाजिक सुविधाओं को पूरा पूरा स्थान मिलना चाहिए। आर्थिक क्लेवर को दृढ़ करने के लिए जनता का शिक्षित बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा का आर्थिक पुरोगम में विशेष स्थान हो, जिससे जनसाधारण योजना का महत्व समझें और उसे कार्यान्वित करें। अतः आर्थिक, योजना केवल अर्थसाध्य हो न हो, वृत्त के केवल एक ही पहलू को स्पष्ट न करे, वरन् योजना को अपनाने वाले सभी श्रेणी के लोगों के जीवन की चतुर्मुखी उन्नति का लक्ष्य हो। इतना ही नहीं, ये सभी क्रियाएँ एकसाथ चलें, जिससे किसी भी क्षेत्र में कमी न आने पावे। योजना का अगला अंग उद्योग-विकास है। उद्योग क्षेत्र में विशाल उद्योगों को भी स्थान हो और यह उद्योग (कुटीर धरे) भी सम्मिलित हो। केन्द्रीयकरण की योजना भारत में अधिक उपयोगी सिद्ध न होगी। जहाँ विशाल क्षेत्र है, अनन्त साधन हैं, असंख्य जनसंख्या है, विकेन्द्रीकरण की योजना ही हितकर होगी। यह उद्योगों का उत्थान दो दृष्टिकोणों से होना चाहिये—वेकारी को दूर करने कार्य-स्रोतों की वृद्धि के लिए तथा उत्पादन-वृद्धि के लिए। प्राचीन युग के यह उद्योग यद्यपि देशवासियों को काम दे सकते हैं परन्तु आधुनिक युग की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन नहीं बढ़ाते। इस क्षेत्र में आयोजकों को जापान, स्वीटजरलैण्ड, जर्मनी आदि देशों की ओर देखना चाहिए। विद्युत का विकास हो, यंत्रों का प्रयोग बढ़े और कार्यकुशलता में वृद्धि हो। उत्पादन इतना हो कि राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति तो हो ही, बाह्य देशों में भी कुछ निर्यात किया जा सके। इसके अतिरिक्त योजना जीवन रक्षा के रिषय में नीति निर्धारित करे, पँजो संगठन का भी पुरोगम हो, ग्रामों में अधिरोपण सुविधाएँ हो और देश की अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त हो। सारांश यह है कि योजना ऐसी हो जो देश को चारों ओर से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाँध दे। योजना कमीशन ने इन्हीं सिद्धान्तों और आदर्शों को सामने रखकर देश के लिए



पंचवर्षीय योजना बनाई है जिसमें कृषि को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। फिर उद्योगों, समाज सुधार, शिक्षा आदि मूल बातों की भी व्यवस्था की गई है। योजना की विस्तृत रूपरेखा अगले निबन्ध में ~~है~~ आशा है पाठक उसकी अध्ययन के साथ समझने की चेष्टा करेंगे।

---

## ४६—पंचवर्षीय योजना—एक रूपरेखा

१९३० से पहले हमारे देश में आर्थिक आयोजन का कोई क्रमबद्ध उपक्रम नहीं था। उस समय आर्थिक आयोजन का विषय केवल सिद्धान्त की वस्तु ही समझा जाता था। परन्तु तीसा की मन्दी से देश के आर्थिक फ्लवर में जो उलट फेर हुई उससे निश्चित योजनानुसार देश का आर्थिक विकास करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी। रुस ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा जो आर्थिक प्रगति की उससे सत्तर के देशों की आस्था आर्थिक आयोजन में जमने लगी। द्वितीय युद्ध काल में युद्ध के कारण जो आर्थिक विकलता पैदा हुई उससे तो आर्थिक आयोजन के विकास में और भी अधिष्ठान बढ़ावा मिला। युद्धोत्तर काल में लगभग सभी मध्य देशों ने आर्थिक आयोजन करने निश्चित योजनानुसार काम करना आरम्भ कर दिया।

भारत में आर्थिक आयोजन का क्रमबद्ध आरम्भ १९३५ से आरम्भ होता है जबकि कांग्रेस महासमिति ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय-आयोजन समिति स्थापित करके देश के आर्थिक विकास की एक विस्तृत और क्रमबद्ध योजना बनाने का निश्चय किया था। १९४४ में देश के अग्रगण्य उद्योगपतियों ने देश के आर्थिक विकास के लिए 'बबई योजना' के नाम से एक योजना देश के सामने रखी। इसके पश्चात् 'पोपिल्स-योजना' तैयार हुई तथा आचार्य श्रीमदाशयण अग्रवाल ने गांधीवादी सिद्धान्तों के आधार पर तैयार की हुई एक 'गांधी-योजना' देश को दी। इन योजनाओं से प्रभावित होकर तथा देश की आवश्यकताओं को समझकर उस समय की विदेशी सरकार ने भी एक आर्थिक आयोजन विभाग खोला तथा स्वर्गीय श्री आर्देशर दलाल को योजना एवं विकास सम्बन्धी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् जब देशी सरकार ने भारत के विधान में 'कल्याणकारी राज्य' की कल्पना निर्धारित की तो यह आवश्यक समझा गया

कि देश के आर्थिक साधनों का जमा-वर्धन करके एक ऐसी योजना बनाई जाय जिसके अनुसार देश का आर्थिक विकास किया जा सके और स्वतन्त्र देशवासियों को भरपूर काम तथा पर्याप्त भोजन, कपड़े एवं निवास की सुविधाएँ मिल सकें। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर भारत सरकार ने मार्च १९५० में एक 'योजना कमीशन' नियुक्त किया। इस कमीशन के अध्यक्ष देश के प्रधान-मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं तथा सदस्यों में श्री गुलजारीलाल नन्दा, श्री-वी० टी० कृष्णमाचारी, श्री चिन्तामणि देशमुग्ग, श्री जी० एल० मेहता, श्री आर० के० पाटिल हैं। कमीशन ने लगभग १५ महीने तक देश की आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करके 'पंचवर्षीय योजना की एक रूपरेखा' देश के सामने रखी है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को तीन भागों में बाँट दिया है— पहले भाग में उन सिद्धान्तों का वर्णन है जो कमीशन ने योजना तैयार करने में अपनाए हैं। दूसरे भाग में योजना की मूल बातों पर विचार किया गया है तथा तीसरे भाग में योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपनाई जाने वाली नीति और प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया गया है।

रूस की पंचवर्षीय योजनाओं की भाँति इस योजना में देश के सभी आर्थिक परलुओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें आर्थिक विकास के केवल जन-पहलू पर ही विचार किया गया है कि केन्द्रीय और राज्य-सरकारें किस प्रकार १९५१-५२ से १९५५-५६ तक आर्थिक विकास पर आवश्यक धन राशि व्यय करेंगी। जहाँ तक व्यक्तिवादी उद्योगों का सम्बन्ध है कमीशन ने केवल ऐसे परिस्थितियाँ ही बनाने का आयोजन किया है जिनके अन्तर्गत व्यक्तिवादी उद्योग धन्धों को उद्भूत करने से भरपूर आश्वासन प्राप्त हो सके।

योजना के अन्तर्गत पाँच वर्षों में सरकारी लेने पर देश के आर्थिक विकास के लिए १७६३ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमानित व्यय-राशि दो अंशों में बाँट दी गई है। पहिले अंश के अन्तर्गत १५६३ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस राशि से प्रधानतः उन विकास योजनाओं को पूरा किया जायगा जिन्हें सरकार ने पूर्व

मान में अपने हाथ में ले सकता है। इतना व्यय करने के पश्चात् कमीशन का अनुमान है कि देशवासियों का जीवन की वे सब अनिवार्य वस्तुएँ मिलने लगेंगी जो उन्हें युद्ध पूर्व काल में मिलती थीं। दूसरे अंग के अन्तर्गत ३०० करोड़ रुपये व्यय किये जाएँगे। इस राशि से आर्थिक प्रगति एवं उन्नति की ओर बढ़ा जायगा। कमीशन ने बिलहान १४६३ करोड़ रुपये के अनुमानित-व्यय की रूपरेखा सरकार के सामने रखी है। यह राशि इस प्रकार व्यय की जायगी,—

|                         | १६५१ ५६ (पाँच वर्षों में)<br>व्यय राशि<br>(करोड़ रुपयों में) | कुल राशि ११<br>प्रतिशत<br>(१६५१ ५६) |
|-------------------------|--|-------------------------------------|
| कृषि एवं ग्राम्य विकास  | १६१ ७०   | १२.८                                |
| सिंचाई और शक्ति         | ४५०.३६   | ३०.२                                |
| यातायात एवं संचार साधन  | ३८८.१२   | २६.१                                |
| उद्योग                  | १००.६६   | ६.७                                 |
| सामाजिक सेवाओं में व्यय | २५४.२२   | १७.०                                |
| पुनर्वास                | ७६ ००  | ५.३                                 |
| विविध                   | २८.५४  | १.६                                 |
| योग                     | <u>१४६२.६३</u>   | <u>१००.०</u>                        |

### (अ) कृषि

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि योजना कमीशन ने अपनी योजना में कृषि को सर्व प्रथम स्थान दिया है। और दिग्ग भी क्यों न जाय ? देश की ८० प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर अवलम्बित है। बड़े बड़े उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर आश्रित हैं अन्न का देश भर में भारी अकाल चल रहा है। इन परिस्थितियों में कृषि को प्रथम स्थान मिलना कोई ईर्ष्या की बात नहीं होनी चाहिए। अन्य योजनाओं की भाँति, जिनका उल्लेख पीछे किया गया है, इस योजना में आँकड़ों के बड़े-बड़े आशावादी पुन नहीं बनाए गए हैं वरन् व्यावहारिकता, वास्तविकता और आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक

वस्तुओं को यथास्थान दिया गया है। कुछ लोगों का मत है कि जब योजना में सिंचाई एवं शक्ति पर कुल व्यय का ३०%, यातायात एवं संचार पर २६% तथा समाज सेवाओं पर १७% व्यय होने का अनुमान है तो फिर उद्योगों के विकास पर ही केवल ७% क्यों? ये आलोचक इस बात को भूलते हैं कि देश कृषि प्रधान है जहाँ कृषि की उन्नति पर ही सब कुछ निर्भर है। दूसरे, औद्योगिक विकास के लिए तो अभी व्यक्तिवाद क्षेत्र भी पड़ा हुआ है। अतः योजना में कृषि को जो स्थान दिया गया है वह उपयुक्त ही है। योजना के अनुसार कृषि-विकास पर जो व्यय होगा वह इस प्रकार है—

|  | प्रथम दो वर्षों में<br>( १९५१-५३ )<br>( करोड़ रुपये में ) | कुल पाँच वर्षों में<br>( १९५१-५६ )<br>( करोड़ रुपये में ) |
|--|---|---|
| कृषि                                   | ६०८   | १३६६  |
| पशु रक्षा, बिक्रिास एवं<br>दुग्धशालाएँ | ६७  | २२५   |
| बन-विकास                               | ३२  | १०१   |
| सहकारिता                               | ३०  | ७२  |
| मछली उद्योग                            | १४  | ४४  |
| ग्राम्य-विकास                          | ४०  | १०६   |
| योग                                    | <u>७६१</u>  | <u>१९१७</u>   |

इस प्रकार व्यय करने पर कमीशन का अनुमान है कि पाँच वर्षों के पश्चात्, योजना समाप्त होने पर १,५०,००,००० एकड़ अधिक भूमि पर सिंचाई होने लगेगी, ४०,००,००० एकड़ भूमि फिर कृषि योग्य बन जायगी तथा १५,००,००० एकड़ भूमि का कृषीकरण होने लगेगा। इतना करने पर कमीशन ने उत्पादन सम्बन्धी निम्न लक्ष्य निर्धारित किए हैं—

|      |              |
|------|--------------|
| अन्न | ( ००० )      |
| परसन | ७,२०० टन     |
|      | २,०६० गाँटें |

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| कपास  | १,२०० | गॉटि |
| तिलहन | ३७५   | टन   |
| शकर   | ६६०   | टन   |

ये लक्ष्य भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए अलग अलग निश्चित कर दिये गए हैं जिससे राज्य सरकारें इन्हें प्राप्त करने में सचेत और जागरूक रहें। भिन्न-भिन्न राज्यों के लक्ष्य इस प्रकार हैं —

|   | अन्न<br>(टनों में) | पटसन<br>(४०० पौंड<br>की गॉटों में) | कपास<br>(२६२ पौंड<br>की गॉटों में) | तिलहन<br>(टनों में) | शकर<br>(टनों में) |
|---|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| आसाम                                    | ३११                | ४४०                                | —                                  | —                   | ५०                |
| बिहार                                   | ८७६                | ३६०                                | —                                  | ८५                  | ५०                |
| बर्मा                                   | ३६७                | —                                  | १६८                                | ६३                  | ३४                |
| मध्य प्रदेश                             | ३४७                | —                                  | १२८                                | २७                  | —                 |
| मद्रास                                  | ८३४                | —                                  | २१८                                | १४२                 | ७८                |
| उड़ीसा                                  | २६५                | २००                                | —                                  | —                   | —                 |
| पंजाब                                   | ६५०                | —                                  | ७६                                 | —                   | ५७                |
| उत्तर प्रदेश                            | ८००                | ३३०                                | ४६                                 | ६१                  | ४१०               |
| पश्चिमोत्तरप्रदेश                       | ७६७                | ७००                                | —                                  | —                   | ११                |
| हैदराबाद                                | ६३३                | —                                  | ८८                                 | ४६                  | —                 |
| मध्य भारत                               | ३००                | —                                  | ६१                                 | ६.५                 | —                 |
| मैसूर                                   | १५६                | —                                  | ७५                                 | —                   | —                 |
| पटियाला और<br>पू० पंजाब रिया-<br>सती मघ | २४६                | —                                  | ५६                                 | —                   | —                 |
| राजस्थान                                | ८६                 | —                                  | ७५                                 | —                   | —                 |
| सौराष्ट्र                               | ६४                 | —                                  | १५६                                | १५                  | —                 |

द्राघनकोर-

|            |             |             |             |             |            |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| कोचीम      | १५१         | —           | —           | —           | —          |
| अन्य राज्घ | २६०         | —           | १७          | —           | —          |
| योग        | <u>७१०२</u> | <u>२०६०</u> | <u>१२००</u> | <u>३७५०</u> | <u>६६०</u> |

अन्न-उत्पादन बढ़ाने के लिए कमीशन ने अरबी योजना में सिंचाई का विकास करने, रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ाने, अच्छे तथा उत्तम कोटि के बीजों का प्रयोग बढ़ाने तथा बंजर-भूमि को तोड़कर कृषि योग्य बनाने की योजनाएँ बनाई हैं। इन उपायों के द्वारा अन्न-उत्पादन बढ़ाने के जो आँकड़े कमीशन ने निर्धारित किए हैं वे इस प्रकार हैं —

विभिन्न साधनों द्वारा अन्न-उत्पादन बढ़ाने के अनुमानित आँकड़े

| योजना   | अधिक अन्न-उत्पादन<br>(००० टनों में) |
|---|-------------------------------------|
| १. बड़ी-बड़ी सिंचाई-योजनाओं द्वारा                            | २,२०२                               |
| २. छोटी सिंचाई-योजनाओं द्वारा                                 | १,६३२                               |
| ३. भूमि को उपलब्ध बनाकर तथा कृषीकरण की योजनाओं द्वारा         | १,५२४                               |
| ४. खाद तथा अन्य रासायनिक पदार्थों को बढ़ाने की योजनाओं द्वारा | ५८४                                 |
| ५. उत्तम कोटि के बीजों का प्रयोग बढ़ाकर                       | ३७०                                 |
| ६. अन्य योजनाओं द्वारा  | ५२०                                 |
|   | <u>कुल ७,२०२</u>                    |

भारतीय किसान को वर्षा की अनिश्चितता से बचाने के लिए कमीशन ने योजना में सिंचाई के भरपूर साधनों की व्यवस्था की है। सिंचाई पर ४५० करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई है जिससे शक्ति का भी विकास होगा और सिंचाई भी हो सकेगी। पाँच वर्षों में प्रति वर्ष इस मद पर इस प्रकार व्यय होगा —

| वर्ष     | व्यय<br>(करोड़ों रुपया में) | अधिक भूमि पर सिंचाई<br>(एकड़ों में) | अधिक शक्ति उत्पादन<br>(किलोवाट में) |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| १९५१-५२  | ६६                          | १५,५०,०००                           | १,४४,०००                            |
| १९५२-५३  | ११२                         | २७,१०,०००                           | ३,७३,०००                            |
| १९५३-५४  | १००                         | ४५,२५,०००                           | ८,८६,०००                            |
| १९५४-५५  | ७७                          | ६७,२५,०००                           | १०,००,०००                           |
| १९५५-५६  | ५३                          | ८८,३२,०००                           | ११,२४,०००                           |
| अन्त में | —                           | १,६५,०१,०००                         | १६,३५,०००                           |

## (घ) उद्योग-धंधे

औद्योगिक क्षेत्र में कमीशन ने इस बात पर जोर दिया है कि उद्योगों की क्षमता के अनुसार भरपूर उत्पादन किया जाय। उद्योगों पर कमीशन ने इस प्रकार व्यय करने की व्यवस्था की है —

|                                  | प्रथम दो वर्षों में<br>मिलाकर<br>(१९५१-५३) | पूरे पाँच वर्षों में<br>मिलाकर<br>(१९५१-५६) |
|----------------------------------|--|---|
|                                  | (करोड़ रुपयों में)                         |   |
| विशाल उद्योगों पर                | ३८.१                                       | ७६.५  |
| कुटीर एवं छोटे उद्योगों पर       | ४.८  | १५.८  |
| वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शिक्षण पर | २.४  | ४.६   |
| खनिज विकास पर                    | ०.३  | १.१   |
| योग                              | <u>४५.६</u>                                | <u>१०१.०</u>                                |

इस प्रकार व्यय करने पर कमीशन का विश्वास है कि पाँच वर्षों के बाद ४,५०,००,००,००० गज अधिक मिल के कपड़े का तथा १,६०,००,००,००० गज अधिक हाथ करघे के कपड़े का उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। इसी प्रकार योजना में व्यक्तिवादी उद्योगों तथा अन्य औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लक्ष्य भी निर्धारित कर दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं —



| Name of industry                | Unit             | 1950-51            |                   | 1955-56<br>(estimated) |             |
|---------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|
|                                 |                  | Installed capacity | Production (1950) | Installed capacity     | Production. |
| Agricultural implements -       |                  |                    |                   |                        |             |
| i) Pumps (centrifugal)          | Nos.             | 37,407             | 30,292            | 86,801                 | 78,126      |
| ii) Diesel engines              | Nos.             | 11,826             | 4,596             | 51,326                 | 46,193      |
| Alcohol:                        |                  |                    |                   |                        |             |
| i) Power                        | '000 Bulk Galls. | 12,868             | 4,497             | 21,118                 | 19,006      |
| ii) Rectified spirit            | '000 Bulk Galls. | 2,949              | 3,436             | 2,949                  | 2,654       |
| Aluminium (primary)             | Tons             | 8,290              | 3,600             | 25,000                 | 20,000      |
| Automobile (manufacturing only) | Nos              | 4,000              | 3,840             | 35,000                 | 25,000      |
| Cement                          | '000 tons        | 35,000             | 2,613             | 5,140                  | 4,631       |
| i) Yarn                         | '000 tons        | 3,276              |                   |                        |             |
| ii) Cloth (mill)                | Million lbs      | 1,646              | 1,174             | 1,671                  | 1,600       |
| Fertilizers:                    | Million yards    | 4,722              | 3,665             | 4,741                  | 4,500       |
| i) Superphosphate               | '000 tons        | 123                | 52                | 216                    | 179         |
| ii) Ammonium sulphate           | '000 tons        | 74                 | 47                | 129                    | 100         |
| Glass and glassware -           |                  |                    |                   |                        |             |
| i) Hollow-ware                  | '000 tons        | 211                | 86                | 232                    | 174         |
| ii) Sheetglass                  | " "              | 12                 | 5                 | 36                     | 27          |
| iii) Bangles                    | " "              | 35                 | 16                | 35                     | 17          |

1950-51

1955-56  
(estimated)३७  
११

पंचवर्षीय योजना

| Name of industry      | Unit      | Installed capacity (1950) | Installed capacity | Production  |
|-----------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Heavy chemicals :     |           |                           |                    |             |
| 1) Sulphuric acid     | '000 tons | 150                       | 230                | 180         |
| ii) Soda ash          | " "       | 54                        | 86                 | 78          |
| iii) Caustic soda     | " "       | 19                        | 33                 | 29          |
| Matches               | cases     | 706                       | 766                | 690         |
| Paper and paper board | tons      | 140                       | 212                | 165         |
| Salt                  |           | 55,613                    | 65,200             | 3,075       |
|                       |           | (Acres)                   | (Acres)            | ('000 tons) |
| Soap                  | '000 tons | 269                       | 288                | 270         |
| Steel (finished)      | " "       | 1,071                     | 1,659              | 1,315       |
| Sugar                 | " "       | 1,520                     | 1,540              | 1,500       |

(म) यातायात एवं मंचार

योजना के अन्तर्गत अगले पाँच वर्षों में सब प्रकार के यातायात एवं मंचार साधनों का विकास करने की व्यवस्था की गई है। इस पर दस प्रकार व्यय किया जायगा—

प्रथम दो वर्षों में कुल पाँच वर्षों में मिलाकर  
(१९५१-५३) (१९५१-५६)  
(करोड़ों रुपये में)

|                       |     |      |
|-----------------------|-----|------|
| रेलवे पर              | ८०  | २००० |
| सड़कों पर             | २७६ | ६३७  |
| सड़क-गाहनों पर        | ४६  | ६६   |
| जल-जहाजों पर          | ८७  | १५६  |
| हवाई जहाजों पर        | ३७  | १५६  |
| बन्दरगाहों पर         | ५३  | १०८  |
| आन्तरिक जल मार्गों पर | —   | ०२   |
| ढाक एवं तार-रिभाग पर  | १२८ | ४००  |
| श्राद्धाशवाणी पर      | ६   | ३५   |
| समुद्रवार यातायात पर  | ४   | १०   |
| अन्य                  | ३   | ६    |

(द) समाज-सेवाओं पर

योजना के अन्तर्गत समाज-सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् हुए लोगों के कल्याण तथा समाज-सुधारों की भी व्यवस्था की गई है। कमोशन ने इन कामों पर निम्न प्रकार व्यय करने का अनुमान लगाया है :—

प्रथम दो वर्षों में कुल पाँच वर्षों में मिलाकर  
(१९५१-५३) (१९५१-५६)  
(करोड़ों रुपये में)

|           |     |      |
|-----------|-----|------|
| शिक्षा    | ४४५ | १२३१ |
| स्वास्थ्य | ३३७ | ८३६  |

|                                  | प्रथम दो वर्षों में<br>मिलाकर ( १९५१-५३ ) | कुल पाँच वर्षों में मिलाकर<br>( १९५१-५६ )<br>( करोड़ों रुपये में ) |
|----------------------------------|---|--|
| ग्रह व्यवस्था                    | ६५  | २२ =   |
| श्रम-कल्याणकारी कार्यों में      | २५  | ६७   |
| पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान में | ७०  | १८०  |
| योग                              | <u>६७१</u>                                | <u>२५४२</u>  |

औद्योगिक स्थानों पर मजदूरों को घरों का उचित प्रबन्ध करने के लिए कमीशन ने श्रमिकों, उद्योगपतियों एवं सरकार द्वारा मिली जुली एक योजना तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत २५,००० घर प्रतिवर्ष बनाये जाया करेंगे तथा पाँच वर्ष में कुल मिलाकर १,२५,००० घर बनाए जाएँगे। पंचवर्षीय-योजना में श्रौपधि-निर्माण तथा श्रौपधि वितरण की भी योजनाएँ सम्मिलित हैं।

×                      ×                      ×                      ×

उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कमीशन ने १४६३ करोड़ रुपये की जो पंचवर्षीय योजना दी है उसमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें इस प्रकार व्यय करेंगी।

|                   | प्रथम दो वर्षों में मिलाकर<br>( १९५१-५३ ) | पाँच वर्षों में मिलाकर<br>( १९५१-५६ )<br>( करोड़ रुपयों में ) |
|-------------------|---|---|
| केन्द्रीय सरकार   | ३१५.६                                     | ७३४.०   |
| 'अ' राज्य-सरकारें | २४६.४                                     | ५५६.६   |
| 'ब' राज्य सरकारें | ७६.७                                      | १७१.०   |
| 'स' राज्य-सरकारें | ६.७                                       | २८.२  |
| कुल योग           | <u>६५४.७</u>                              | <u>१४६२.८</u>   |

राज्य-सरकारों ने अपनी-अपनी योजनाओं पर इस प्रकार व्यय करने के निश्चय किए हैं :—

पंचवर्षीय योजना

४३२

( कराई रुपये )

'स' राज्य

ब' राज्य

'अ' राज्य

|               |      |                         |      |                |      |
|---------------|------|-------------------------|------|----------------|------|
| आसाम          | १२५  | हैदराबाद                | ४०५  | अजमेर          | १६१  |
| बिहार         | ११७  | मध्य भारत               | २२८  | भोजपुर         | ३६७  |
| बुन्दे        | १२०४ | मेसूर                   | ३६६  | बिलासपुर       | ०४२  |
| मध्य प्रदेश   | ४३७  | पटियाला और पूर्वी पंजाब | ८३   | बुर्ग          | ०५३  |
| मद्रास        | १३७० | रियासती क्षेत्र         | १५२  | दिल्ली         | ६०२  |
| उड़ीसा        | १५०  | राजस्थान                | २१५  | हिमाचल प्रदेश  | ४५८  |
| ईजाब          | १५५  | मौरापुर                 | २६१  | कच्छ           | २६८  |
| उत्तर प्रदेश  | ६११  | द्रागनकोर कोर्चान       | १००  | मनापुर         | १५०  |
| पश्चिमी बंगाल | ६८८  |                         |      | त्रिपुरा       | ६२६  |
| योग           | ५५६७ |                         | १०१० | त्रिपुर प्रदेश | २८३० |

योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें आवश्यक पूँजी किस प्रकार प्राप्त करेंगी—इसकी भा रूपरेखा पंचवर्षीय योजना में दे दी गई है। केन्द्रीय सरकार आवश्यक पूँजी निम्न साधनों से प्राप्त करेगी—

|  | (करोड़ रुपयों में) |
|--|--------------------|
| १. रेवेन्यू लेखों पर बचत (२६ करोड़ रु० प्रतिवर्ष)                        | १३०                |
| २. रेवेन्यू लेखों में से विभिन्न-योजनाओं के विकास को अलग निकाली हुई राशि | ११८                |
| ३. पूँजीगत लेखों से प्राप्त राशि   |                    |
| (१) जन अणुओं से  | ३५                 |
| (२) बचत योजनाओं से   | २५०                |
| (३) अन्य साधनों से   | ७८                 |
| ४. रेलवे की आय में से रेलवे विकास के हेतु निकाली हुई राशि                | ३०                 |
|  | योग ६४१            |

इस प्रकार केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रकार से ६४१ करोड़ रुपया की व्यवस्था कर सकेगी—इसमें से २११ करोड़ रुपये राज्य सरकारों को सहायताय दे दिये जाएँगे। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार अपने लेखे पर कुल मिलाकर ४३० करोड़ रुपये व्यय करेगी। राज्य सरकारें अपने हिस्से के ४८० करोड़ रुपये इस प्रकार प्राप्त करेंगी :—

|  | (करोड़ रुपयों में) |
|--|--------------------|
| १. रेवेन्यू लेखों का आधिक्य  | ८१                 |
| २. भिन्न-भिन्न विकास-योजनाओं पर व्यय करने के लिए अलग निकालकर रखी हुई रकम | २७५                |
| ३. विकास-योजनाओं के हेतु पूँजीगत लेखों से प्राप्त राशि—                  |                    |

|               |            |
|---------------|------------|
| (१) जन श्रृंग | ७६         |
| (२) अन्य साधन | ४४         |
| योग           | <u>४८०</u> |

इस प्रकार राज्य सरकारें ४८० करोड़ रुपये की व्यवस्था करेंगी। २११ करोड़ रुपये उन्हें केन्द्रीय सरकार में मिलेंगे। कुल मिलाकर ६६१ करोड़ रुपये वे व्यय कर सकेंगी।

इस प्रकार केन्द्रीय और राज्य सरकारें मिलाकर ११२१ करोड़ रुपये का प्रबन्ध कर सकेंगी। प्रश्न यह है ३७२ करोड़ रुपये का प्रबन्ध कहां से होगा ? इसके लिए कमीशन का सुझाव है कि यह राशि कोलम्बो योजना के अर्थोत्पादक, वेनेडा और न्यूजीलैंड से प्राप्त होगी। कुछ राशि अमेरिका से अन्न-श्रृंग के रूप में भी मिलने का अनुमान लगाया गया है। यदि फिर भी काम न चले तो कमीशन का सुझाव है कि उसकी पूर्ति हमारे वील्ड पायनों में से लेकर की जायगी। कमीशन ने आवश्यकतानुसार विदेशों से श्रृंग लेकर योजना को पूरा करने की सिफारिश भी की है बशर्ते कि उस विदेशी श्रृंग से हमारी स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार की श्रृंखला न आए।

योजना की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अभी कुछ वर्षों तक अन्न आयात की आशा की गई है। कहा गया है कि प्रति व्यक्ति को प्रति दिन १४६ ग्राम भोजन देने के लिए कम से कम ३० लाख टन अन्न आयात करना पड़ेगा। यद्यपि यह बात हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की है परन्तु फिर भी सन्तोष करना पड़ता है कि योजना के अनुसार धीरे-धीरे यह आयात कम होता जायगा और देश अन्न के मामले में स्वायत्त बनी जायगा। कमीशन ने मूल्य-नियंत्रण बनाये रखने की भी सिफारिश की है क्योंकि इसके बिना उत्पादन-वृद्धि के अभाव में मूल स्तर अनुकूल नहीं रह सकेंगे। सबसे बड़ी बात इस योजना में यह है कि इसके अर्कोंके लक्ष्य अभाव और अत्यावहारिक नहीं हैं। कमीशन ने जन-विश्वास तथा जन सहयोग की भी आशा प्रकट की है क्योंकि इसके बिना कोई भी योजना सफल नहीं बनाई जा सकती।

## ४७—कोलम्बो-योजना

दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में रहने वाले लोगों के रहन सहन का स्तर सदैव से बहुत नीचा रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये देश बहुत पिछड़े हुए हैं। लोगो को भोजन, कपड़े और निवास तथा जीवन की अन्य आरश्यकताओं की नितान्त कमी रही है। न यहाँ शिक्षा है और न पाश्चात्य देशों की भाँति उत्पादन के प्रचुर साधन हैं। युद्ध काल में इन देशों की आर्थिक स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई। गत पाँच वर्षों में इन देशों में जो राजनैतिक हलचल हुई हैं उनसे यहाँ के निवासियों को आर्थिक उन्नति करने का कुछ सहारा मिला है। संसार के आर्थिक दृष्टिकोण से इन देशों का बहुत महत्त्व है। इन्हीं देशों में, संसार भर की औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए कच्चा माल पैदा किया जाता है। युद्ध पूर्व काल में तो इन देशों में पटसन और रबर का एकाधिकार था और संसार में चाय के कुल उत्पादन का तीन चौथाई से भी अधिक, दोन का दो तिहाई से भी अधिक और तेल निलहनों का एक तिहाई से भी अधिक भाग अन्य योरोपीय देशों को भेजा जाता था। परन्तु शनैः शनैः इन देशों की स्थिति बिगड़ती गई। कॉमन-वैलथ देशों ने अब भला प्रकार समझ लिया कि इन देशों को उन्नत किये बिना कॉमन वैलथ न अन्य देशों का औद्योगिक विकास सम्पन्न नहीं हो सकता। अतः कॉमन वैलथ देशों के विदेश मंत्रियों ने जनवरी १९५० में कोलम्बो में एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में राजनैतिक शान्ति बनाये रखन तथा संसार के आर्थिक विकास के लिए बहुमुत्ती व्यापारिक प्रणाली स्थापित करने के लिए इन देशों का आर्थिक विकास आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विस्तृत याजना बनाने को सम्मेलन ने कॉमन वैलथ सनाहकार समिति बना दी। इस समिति ने दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए एक ६ वर्षीय याजना तैयार की जा १९५१ के मध्य से लागू



कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत भारत, पाकिस्तान, लंका तथा मलाया और ब्रिटिश बोरिनियो के टापुओं के आर्थिक विकास की योजनाएँ सम्मिलित हैं। इस योजना के अन्तर्गत इस प्रकार व्यय करने का अनुरोध किया गया है।

विकास योजनाओं का विश्लेषण  
( ०००,००० पौण्डों में )

|                  | भारत | पाकिस्तान | लंका | मलाया और<br>ब्रिटिश बोरिनियो | योग  |
|------------------|------|-----------|------|------------------------------|------|
| कृषि विकास पर    | ४५६  | ८८        | ३८   | १३                           | ५९५  |
| यातायात और संचार | ५२७  | ५७        | ६२   | २१                           | ६६७  |
| शक्ति-स्रोतों पर | ४३   | ५१        | ८    | २०                           | १२२  |
| उद्योग और खनिज   | १३५  | ५३        | ६    | —                            | १९४  |
| समाज उन्नति पर   | ११८  | ३१        | २८   | ५३                           | १३०  |
| योग              | १३७९ | २८०       | १०२  | १०७                          | १८६८ |

योजना में उल्लिखित देशों में विज्ञेयतः कृषि, यातायात और शक्ति विकास पर जोर दिया गया है। अन्न तथा औद्योगिक कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाने के लिए यही प्रमुख आवश्यकताएँ हैं। इन मदों पर अनुमानित राशि का ७० प्रतिशत व्यय किए जाने की व्यवस्था की गई है। उद्योगों पर कुल व्यय का १० प्रतिशत लगाना जायगा। शेष राशि समाज सुधारों में जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और निर्यात सम्बन्धी सुविधाओं में व्यय की जायगी। योजना समिति ने यह भली प्रकार समझ लिया था कि सामाजिक उन्नति के बिना आर्थिक विकास सम्भव नहीं हो सकेगा अतः उन्होंने सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा है।

योजना पूरी होने पर निम्नलिखित परिणाम मिलेंगे, यह अनुमान लगाया गया है :—

- (१) १,२०,००,००० एकड़ अधिक भूमि पर कृषि होने लगेगी।
- (२) ६०,००,००० टन अधिक अन्न उत्पादन जा सकेगा।
- (३) १,३०,००,००० एकड़ अधिक भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी।

(४) ११,००,००० किलोवाट अधिक विद्युत् उत्पन्न की जा सकेगी।

योजना समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस प्रकार १९५७ के अन्त तक ( जब यह योजना समाप्त होगी ) इन देशों के लोगों के रहन सहन के स्तर में कोई विशेष और उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होगा, परन्तु लोगों के गिरते हुये जीवन स्तर को थाम कर उन्नति की ओर ले जाया जा सकेगा। एशियाई देशों को यह संतोष होने लगेगा कि ससार के अन्य देश उनकी आर्थिक उन्नति के प्रति सचेत और जागरूक हैं। यही नहीं, इस योजना के द्वारा इन देशों में भारी आर्थिक विकास की प्राथमिक आवश्यकताएँ, पूरी करके भविष्य के लिए सुदृढ नींव रखी जा सकेगी।

योजना को कार्यान्वित करने में एशियाई देशों को कुशल विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। यह आवश्यकता इस प्रकार पूरी की जाएगी। एक, योजना सम्बन्धी देशों में ही ट्रेनिंग की सुविधाएँ बढ़ा कर; दूसरा, विदेशों से कुशल विशेषज्ञ भेजा कर। कुशल विशेषज्ञ भेज कर सहायता देने का काम इंग्लैण्ड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अन्य देशों के जिम्मे रखा गया है। इस विषय में दूसरी समस्या आवश्यक पूँजी प्राप्त करने की है। इसके लिए योजना के अनुसार विदेशों से पूँजी प्राप्त करने की भी व्यवस्था की गई है। विदेशों से पूँजी इस प्रकार प्राप्त की जा सकेगी। योजना सम्बन्धी देशों की विदेश-स्थित पूँजी को लाकर, विदेशों में पूँजीपतियों से ऋण लेकर; विदेशी सरकारों से ऋण लेकर तथा अन्तर्राष्ट्रीय-संस्थाओं से ऋण लेकर।

### कोलम्यो योजना और भारत

इस योजना में भारत के आर्थिकविकास को प्रमुख स्थान मिला है। योजना के अनुसार लोगों के रहन सहन के स्तर को उठाने तथा उत्पादन बढ़ाकर बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स्तुलन उत्पन्न करने के स्थान रखे गये हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह सुभाषा गया है कि :—

( १ ) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसी विकास योजनाएँ अरनाई जाएँ जिनसे सिंचाई के साधन तथा गाँवों में विजनी की सुविधाएँ बढ़ाई जा सकें।

( २ ) खाद्य, रासायनिक पदार्थ तथा कृषि सम्बन्धी वैज्ञानिक यन्त्रों का प्रयोग बढ़ाकर भूमि की उपज बढ़ाई जाय।

( ३ ) गाजायाग की सुविधाओं को विवशित और उन्नत बनाया जाय ।

( ४ ) उन्नों की कार्य समता के अनुसार भारपूर उत्पादन किया जाय तथा भाडे और हस्तान का उत्पादन बढ़ाया जाय ।

( ५ ) सर्जिस में बेरोजगार लोगों को तथा कुपियों को उनके खाली समय में काम देने के लिए छोटे और कुटीर मन्श को प्रोत्साहन दिया जाय ।

उक्त योजनाओं में से अनेक मदों पर पहले से ही काम चालू कर दिया गया है । अतः कोलम्बो योजना में उन सब योजनाओं को सम्मिलित कर लिया गया है । योजना के अन्तर्गत भारत सरकार इस प्रकार व्यय करेगी :—

|                               | करोड़ | करोड़ | करोड़ | %   | योजनाए |     |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-----|--------|-----|
|                               | रुपये | रुपये | पौण्ड |     | पुरानी | नई  |
| कुल                           |       | ६०८०  | ४५६   | ३१  | १०४    | २७  |
| गाजायाग-सुधार                 |       |       |       |     |        |     |
| (अ) रेसिडे ४८००               | }     | ७०२७  | ५२७   | ३८  | २७     | १५  |
| (ब) मजदूरी २०६६               |       |       |       |     |        |     |
| (ग) प-दरमाद ११०<br>अ-य १०१८   |       |       |       |     |        |     |
| शान्ति विकास                  |       | ५७१   | ८२    | ३   | २७     | १   |
| उद्योग और जनित                |       | १८००  | १३५   | १०  |        | २८  |
| सांसाधन व.गाए                 |       |       |       |     |        |     |
| (अ) शिक्षा ११८४               | }     | ७६११  | २१८   | १६  | १०५    | ५०  |
| (ब) निवास १८३                 |       |       |       |     |        |     |
| (ग) स्वास्थ्य ५१५<br>अ-य १००१ |       |       |       |     |        |     |
| योग                           |       | १८३६६ | १३७६  | १०० | २८४    | १३७ |

२ अप्रैल १९५२ को भारत के लिए संघी के इस योजना व अन्तर्गत १८५० करोड़ रुपये का ओर व्यय निर्धारित किया है उसको बढ़ाकर २३०० करोड़ रुपये

कर दिया है। वित्त मंत्री का अनुमान है कि देश की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए सम्भव है और अधिक व्यय करना पड़े। ऐसी अवस्था में सन्-दाय विकास योजनाओं सम्बन्धी जो काम किया जाएगा उस पर व्यय बटने में इस योजना के अन्तर्गत कुल २५०० करोड़ रुपये व्यय होंगे। वित्त-मंत्री ने कोलम्बो योजना में एक मूल सशोधन यह किया है कि नदी-घाटी योजनाओं को शीघ्र से शीघ्र समाप्त करने के लिए ५० करोड़ रुपये और अधिक व्यय किये जाएंगे। मूल योजना में १०६० करोड़ रुपया विदेशों से प्राप्त करके व्यय करने की व्यवस्था थी। सशोधित योजना में यद्यपि योजना का कुल व्यय २३०० करोड़ रुपया कर दिया गया है परन्तु विदेशी पूँजी की रकम १०६० करोड़ रुपये ही है।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में तीन नदी घाटी योजनाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ये योजनाएँ इस प्रकार हैं। दामोदर घाटी योजना जिस पर ५०० मिलियन रुपये व्यय होंगे। हीराकुण्ड योजना जिस पर ३०० मिलियन रुपये व्यय होंगे। नाङ्गल-भाखरा योजना जिस पर ७५७ मिलियन रुपये व्यय होंगे। इन योजनाओं पर पहले से ही काम चालू है। कोलम्बो योजना में इनसे सम्मिलित करने से और अधिक बढ़ावा मिला है। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर ६० लाख एकर नई भूमि पर सिंचाई होगी और ७ लाख ८ हजार किनोवाट अधिक बिजली ली जा सकेगी। योजना में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान सरकार के Integrated Crop Production Plan को दिया गया है जिसमें भूमि का कृषिकरण करके, कृषि का यन्त्रीकरण करके, उत्तम कोटि की खाद और बीज लगाकर तथा सिंचाई के साधन बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाया जायगा। अनुमान है कि १६५६५७ के अन्त में जब यह योजना पूर्ण होगी तो ३० लाख टन अधिक अन्न, १ लाख ६५ हजार टन अधिक कपास, ३ लाख ७५ हजार टन अधिक पटसन तथा १५ लाख टन अधिक तिलहन उप जाये जा सकेंगे। यानायात का मुविधाएँ बढ़ाने में केवल रेलों पर ४८०० मिलियन रुपये व्यय करने की व्यवस्था है। इससे अन्तर्गत देश में नई लाइनें डाली जाएँगी जहाँ-तहाँ पुल बनेंगे, इन्जिन और डिब्बे बनाये जाएँगे तथा कुशल श्रमिकों को शिक्षा देने के लिए मुविधाएँ दी जाएँगी। औद्योगिक-क्षेत्र में लोहे और इस्पात के उत्पादन पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। अनुमान है कि

इस योजना द्वारा ५ लाख टन अधिक इस्पात प्रति वर्ष तैयार किया जाया करेगा। योजना में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं को भी यथास्थान मिला है। मज ही में न्यूजीलैंड की सरकार ने १० लाख पौण्ड देकर हमारे देश में औप ११ गोख संस्था स्थापित करने के लिए, काम आरम्भ कर दिया है। जैसा कि याचना के अधिकों से ज्ञान होता है १६५६ ५७ के अन्न तक १६ श्रौस प्रति प्राक्त भोजन तथा १५ गज प्रति व्यक्ति कपड़ा प्राप्त हो सरेगा जबकि इस समय वेदन १० गज प्रति व्यक्ति कपड़ा और १२ श्रौस प्रति व्यक्ति भोजन नहीं मिल पाता है।

इस प्रकार कोलरबो योजना द्वारा हमारे आर्थिक विकास को एक नई प्रगति मिलेगी। पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ इस योजना को भी चालू करने में सरकार के सामने कोई कठिनाई नहीं है। वास्तव में कामन-वैल्थ देशों ने दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के विकास का कार्यक्रम बनाकर एक साम-गिक और आवश्यक कदम उठाया है। यह तो ठीक ही है कि इन देशों का आर्थिक विकास होगा अन्य देशों को कच्चा माल प्राप्त करने के स्रोत बनेंगे परन्तु साथ ही साथ यह भी निश्चित है कि एशिया पर आई हुई राजनैतिक श्रौधी टल जाएगी। यदि इसी उचार इन देशों के उत्थान के विषय में सोचा जाता रहा तब तो ठीक है अन्यथा न मालूम फिर किस दिन यह देश साम्यवाद की ओर मुक जाए।



## ४८—मन्दी की ओर

१९३६ म युद्ध आरम्भ होने पर वस्तुओं के भाव ऊँचे चढ़न लग गये। युद्ध समाप्त होने तक ऊँच ही बने रहे। युद्ध समाप्त होने पर आशा की जाती थी कि वस्तुओं के भाव कुछ नीचे हाँगे जिससे सामान्य जनता को, विशेषतः मध्यम वर्ग को, कुछ सुन्तोप होगा, परन्तु आशा बरल आशा ही बना रही। यही नहीं, युद्धांतरकाल म भाव और भी अधिक ऊँच हो गए जिससे मध्यम वर्ग तिनमिला उठा। वैसे तो व्यापार चक्र व सिद्धान्ता के अनुसार १९४६ ५० में मन्दी हो जानी चाहिए थी परन्तु कोरिया, न युद्ध ने तथा उसके कारण उत्पन्न हुई अमरीका, इङ्गलैण्ड तथा अन्य देशों का पुनर्शांतीकरण तथा माल संग्रह की योजनाओं ने मन्दी को आने से रोक दिया और बदले में तेजा बढन लगी। परन्तु मार्च १९५२ में मन्दी का घड़ा फूट निकला। कीमतों में कल्पना तीव्र कमी के कारण देश भर में भारी तहलना मच गया। सोना चाँदी, तिनहन, दाल, काली मिर्च, गुड़, चीनी, मसाले तथा किराने की अन्य वस्तुओं की थोकर कीमतों में भारी कमा आ गई। सोने चाँदी के मूल्यों में तो जबर्दस्त गिरावट आ गई थी। दिल्ली में ५ मार्च को सोने का भाव ७१ रुपये से ७० रुपये तक रहा और चाँदी १५५ रुपये के भाव से बिफरी, सामान्य जनता अपने आभूषण बेचने के लिए बाजारों का चक्र फाटने लगी। बैंकों में जमा सोने-चाँदी पर बैंक जमा करने वालों से हानि की प्रति करने के लिए हट करने लगे तथा हानि की प्रति न होने पर बैंक अपने पास जमा किए हुए सोने-चाँदी को बेचने लगे। किराने की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा यह ५ मार्च के दिल्ली के भावों से ज्ञात होता है—सोठ का भाव ११० रुपये से ५५ रुपये तक, दालों का भाव ३० रुपये से २ रुपये मन तक, मिर्च ५० रुपये से ३० रुपये, धनियाँ ८० रुपये से ४० रुपये तक तथा हल्दी ४५ रुपये से ३० रुपये तक हो गये। पटियाला में मिर्च ३५ रुपये से गिरकर २५ रुपये हो गई। काली मिर्च कोचीन में ३००० रुपये प्रति गाठ से गिरकर ३ दिनों में ही २५०० रुपये रह गई।

२५ फरवरी को दिल्ली में निरहन का भाव ३५० रुपये प्रति इन्डियन ग्रेड था जो ५ मार्च को ३२८ रुपये तक गिर गया ।

हाफुइ में १ जनवरी को गुइ का भाव १८ रुपये मन था जो ५ मार्च को ६-७ रुपये प्रति मन रह गया । चीनी में गोले के तेल का भाव तान १८ नों में ४८० रुपये से नीचे गिर कर ३१२ रुपये रह गया । मूंगफली का तेल २६ फरवरी को २६५ रुपये प्रति मन मिल रहा था, वह ५ मार्च को २२० रुपये में भी नहीं बिक पा रहा था । खुधियाने में सरसा का तेल २१ रुपये में गिरकर ११ रुपये हो गया । चीनी जो फरवरी में १ रु. १२ आने पर तक बिक रही थी मार्च में १५ आने प्रति सेर बिकने लगी । इस प्रकार देश भर में वस्तुओं के भाव नीचे हो गए । उत्पादक श्रौं व्यापारी-क्षेत्रों में जालि प्राहि मच गई ।

जोयर बाजार की भी यही हालत रही । भाव निरन्तर गिरने गए । २८ फरवरी को टाटा डिफेंड का भाव १६७६ रुपये था किन्तु ५ मार्च को निम्नतम भाव १५६५ रुपये हो गया । वनस्पति धी श्रौं सायुन के भाव भी २५-३० प्रति शत गिर गए ।

कपड़ा-बाजार में ऊनी तथा रेशमी कपड़ों के भाव सबसे पहिले गिरने आरम्भ हुए । इसके बाद सूती कपड़ों के दाम भी गिरने लगे । सरकार ने कपड़े के वितरण पर से नियंत्रण तोड़ दिया परन्तु फिर भी कपड़े के माहक नहीं मिल रहे थे । बारदाने के भाव मन दो महीनों में ५० से १०० प्रतिशत तक गिर गए ।

प्रायः सभी व्यापारिक शहरों में उधल-पुगलसी मची हुई थी । परदार वहीं गिरते जाते तथा सोने की दुर्लभता से बहुत से व्यापारी पबरा उठे थे । बहुतों के दिवाल्ले विसफ गए, बहुतों के टाट उलट गए श्रौं अनेकों के दिवाल्लिया बन जाने की आशका प्रतिकुण बनी हुई थी । बहुत से नगरों में तो तारोबार कई दिनों तक बन्द रहा । वायदे के मोदे बन्द कर दिए गए । सोने चाँदी के वायदे के लेन-देन रोक दिए गए । स्टॉक एक्सचेंज बन्द करने पड़े उद्योग-पतियों ने उद्योग-कारखानों में उत्पादन का काम थमा दिया । सरकार से अनु-रोध किया जाने लगा कि वह क्रीड बटोर बन्दम उठा कर कीमतों को बढ़ावा दे । इस असाधारण मन्दी का प्रभाव भिन्न भिन्न वर्गों पर भिन्न भिन्न प्रकार से

पड़ा। वेतन-भोगी वर्ग, उपभोक्ता-समुदाय एवं मध्यम वर्ग ने भावा को मन्दा जाते देख सन्तोष की साँम ली। ये वर्ग पिछले १२-१३ वर्षों से ऊँचे भावों की कठोर चक्की में इस प्रकार पिस रहा था कि मन्दी की हवा पाकर इसने प्राण लौट आए। सोचने लगा कि मन्दी किसी प्रकार स्थायी बनी रहे जिसमें खाने, पीने, पहिनने आदि की वस्तुएँ सरलता में सस्ती प्राप्त होती रहें। इसके विपरीत व्यापारियों, ममहकर्त्ताओं, उद्योगपतियों तथा काना-बाजार करने वाले वर्गों पर मन्दी में गहरी चोट लगी। उनमें माल के नफे कम हो गए, काना बाजार करने का क्षेत्र समाप्त हो गया तथा व्यापार में अघाघुन्ध लाभ कमाने के अवसर समाप्त हो गए। इसी कारण उन्होंने सरकार से प्रार्थना की, प्रतिनिधि मण्डल भेजे, मुक्तार दिए तथा अन्य सभी कुछ प्रयत्न किए कि किसी प्रकार सरकार गिरते हुए भावा को रोक कर मन्दी को दूर करे। परन्तु सरकार ने तब तक एक न सुनी। वित्त मंत्री तथा उद्योग और वाणिज्य-मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि “मन्दी सरकार के प्रयत्नों का परिणाम है इसलिए उसे दूर करने के लिए सरकार कुछ नहीं करना चाहती”। यह जान कर उद्योगपतियों ने एक नई चाल अपनाई। उन्होंने सरकार को धमकी दी कि मन्दी के कारण उनका माल पड़ा हुआ है इसलिए वे अपने कारखानों को बन्द किए देते हैं। सरकार ने उनकी धमकी स्वीकार करनी और जनता को विस्थास दिलाया कि इस प्रकार उत्पादन में किसी प्रकार का विशेष अन्तर नहीं होगा। इतना अग्रश्य है कि सरकार ने गुड़ चीनी का निर्यात खोल दिया जिस्में भाव कुछ कसते जा रहे थे। दूसरे, सरकार ने कुछ वस्तुओं, जैसे जूट तथा जूट का सामान, पर निर्यात कर आधा कर दिया तथा तिलहन एवं तेल पर भी निर्यात कर की छूट दी। परन्तु जैसा कि सरकार ने बतलाया है यह सब कुछ मन्दी का दूर करके भाव उठा करने के लिए नहीं किया गया या बरन् भुगतान विपमता का दूर करने के लिए, निर्यात-वृद्धि के लिए किया गया था। कुछ भी हा, सरकार का चाहिए था कि इस आए हुए अवसर को हाथ से न जाने देती और गिरते हुये भावा को स्थायी बनाने का प्रयत्न करती।

इस मन्दी के कारणों पर सभी अपनी अपनी समझ के अनुसार विचार प्रकट कर रहे हैं। बायदे के लेन-देन में जनता का विस्थास न रहना इसका



एक कारण बताया जा रहा है। बाजार में समझौता मान की निकामी एव बैंकों द्वारा सिक्कुरिटियों पर श्रुण देने से इनकारों भी हमका एक प्रधान कारण दीखता है। बैंकों ने अपने व्यापारियों को नोटिस दिया कि वे अपना सोना ले जायें और बैंकों का हिमाय माफ कर दें। यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो सोना बाजार-भाव में बेच दिया जायगा। बेचारे व्यापारों अपना निकालने के लिए माल बेचने पर विवश हैं—अतः माल का भाव गिरत जा रहे हैं। कुछ लोगों का विचार है कि सोने-चर्दी का उत्पादन बढ़ने से उनका भाव गिरे और उन भावों के साथ-साथ बाजार के अन्य क्षेत्रों में भी मन्दी आ गई। १९५० और १९५१ में सोने-चर्दी का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

| —सोना—  |              |                |
|---------|--------------|----------------|
| वर्ष    | मात्रा       | मूल्य          |
| १९५०    | १९६६२५ ग्राम | ५९२१२४५४ रुपये |
| १९५१    | २२६२३१ ग्राम | ३१७१९८८५ रुपये |
| —चर्दी— |              |                |
| १९५०    | १५६७६ ग्राम  | ६७९२२ रुपये    |
| १९५१    | १७१८० ग्राम  | ८४१८४ रुपये    |

सभी लोगों का मत है कि बाजार में मन्दी आना आश्चर्यजनक नहीं है। आश्चर्य तो यही है कि यह इतनी देर से क्यों आई और इतनी तेजी के साथ क्यों आई। प्रसिद्ध उद्योगपति के. डी. जयलाल ने कहा था कि 'मन्दी में हमें कोई घबराहट नहीं है वरन् घबराहट हम मान में है कि यह इतनी तेजी के साथ एक दम आकर गड़की हो गई, जिससे हमें अपना पर मभावने का अयकाश भी न गिन सका'। यदि सच पृष्टा जाय तो मन्दी का बीजारोपण उमी दिन हो गया था जिस दिन भारत सरकार ने बैंक-दर ३% से बढ़ाकर ३३% कर दी थी और बैंकों की गुली बाजार क्रियाओं पर पाबंदी लगा दी थी। बाजार में पहिले ही रुपये की कमी थी। भारत सरकार को १ अरब रुपये काज मगिने पर केवल ५० करोड़ रुपये मिला था। ऐसे समय में बैंक-दर बढ़ाने से जो थोड़ा बहुत रुपया बाजार में था वह भी खिंच आया। अमेरिका ने भारी मात्रा में माल समह कर लिया था। अब उसे आरश्यकता नहीं रही थी।

अतः माल की खरीद कम होने से उसके दाम गिरने आरम्भ हो गए। इसलिए यह स्वाभाविक था कि बैंक माल रखकर दिए गए रुपये की चिन्ता करते। माल के दाम कम हो जाने से लोग बैंकों का रुपया हजम कर जाते और बैंकों को भारी हानि रहती। इसलिए ऋण देने में बैंकों को उदारता छोड़नी पड़ी। इसका नतीजा यह हुआ है कि बाजार में रुपये की कमी हो गई और जब रुपये की कमी हुई, तो वह महँगा हो गया अर्थात् चीजें सस्ती होने लगीं। ज्यों-ज्यों रुपये की कमी होती गई बैंक अपना रुपया बचाने की अधिक चिन्ता करने लगे और रुपया देने में न केवल अनुदार होने गए, अपितु अपना दिया हुआ रुपया भी व्यापारियों के पास से लेने का प्रयत्न करने लगे। व्यापारियों का रुपये का जरूरत हुई, उन्हान गोदाम का माल बेचना शुरू किया। खरीदार कोई न रहा, बिकवाल स्व बन गये। चीजों के दाम गिरने लगे। बाजार में धबराहट काम करती है। एक स्थान पर एक चीज के दाम गिरने लग तो दूसरे स्थान पर दूसरी चीजों के दाम भी गिरते गए। वही हुआ और ग्लूब जोर शोर से हुआ। मन्दी की आग देश भर में दौड़ गई।

बम्बई के प्रसिद्ध व्यापारी और उद्योगपति श्री चुन्नीलाल मेहता ने एक लेख में इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि चीजों की कीमतों में कमी की नींव ७ नवम्बर ५९ को रखी गई थी, जबकि ब्रिटेन में सरकार ने बैंक की व्याज-दर बटा कर मुद्रा प्रसार पर रोक लगा दी थी। रिजर्व बैंक ने भी उसकी नकल की और बैंक दर बटा दी। उसी समय सरकारी बजों के सम्बन्ध की गठ बैंक की घोषणा से उनका मूल्य ६८॥) रु. से गिरकर ८०) रु. रह गया था। वे मूल्य और गिर जाते यदि बैंक ८०) रु. पर सरकारी बजों को स्वीकार न कर लेता।

मन्दी का दूसरा कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में कच्चे माल के संग्रह में एक दम कमी भी है। उसने जब माल खरीदना बन्द किया, तो व्यापारियों ने नुकसान की आशंका से अपना माल निरालना शुरू किया। यहाँ रुई जमा हो गई, भारत सरकार ने १ लाख गॉट बगाल रुई बाहर भेजने की अनुमति दे दी किन्तु उसे खरीदने वाले ही नहीं मिले। यही हाल तेलो व तिनहन का

गा। निदेशों में इसकी मॉँग ही नहीं थी। अब भारतीय व्यापारों बहुत घबराने और अपने सौदाग वापसी करने लगे। इसका एक कारण यह भी था कि बैंकों ने उनके माल पर कय्या अधिक समय तक देने से इनकार कर दिया। बैंक भी क्या करते। माल के दाम कम हो जाने से उनका कय्या कूबने का मय था। पारे की भारत में प्रतिवर्ष २००० बैरल जहरत रहती है, जिन्यु भारत में २५००० बैरल तक जमा था। इसी तरह रम, गैसीर-ल, आदि भी, जिनरी म आ बहुत अधिक जमा भी बाजार में मॉँग कम हो जाने से बाहर निकलने लगे।

स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसका भारी प्रभाव पड़ा। स्टॉक के कारण शेयरों का भाग अब तक स्थिर रहा था। टाटा डेफेंड शेयरों के बारे में सरकार नई शर्तों कम्पनी के साथ कर रही है, यह अफवाह उद्घातर वृद्ध सट्टेबाजों ने शेयरों के दाम कुछ दिनों में ही १७५० रु. से बढ़ाकर १६८० रु तक कर दिये थे। लेकिन जब इन अफवाहों की पुष्टि सरकारी तौर पर नहीं हुई, इसलिये टाटा डेफेंड शेयरों के मूल्य एक दम गिरने लगे। पदार्थों के मूल्य गिरने का प्रभाव पारे शेयर-बाजार पर पड़ा। भी मंगला ने मन्दी का स्वागत किया है और आशा प्रगट की है कि जो काम सरकार वर्षों प्रयत्न करने पर भी न कर सकी, वह अब स्वयं हो गया।

### रिजर्व बैंक द्वारा विरलेपण

मन्दी के कारणों का विरलेपण करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने निम्ना है कि उसकी निर्ममंशरी मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय कारणों पर है जिनमें से मार्च १९५१ में अमेरिका के सामरिक वस्तुओं के मंगय कार्यक्रम में कमीशन प्रधान है। जून १९५१ में कोरियाई विराम-रुधि वार्ता प्रारम्भ होने के बाद विरारट का रूप और अधिक स्पष्ट हो गया और धीरे-धीरे अन्य वस्तुओं पर उसका प्रभाव पड़ता गया। इसके अनिश्चित और भी अन्तर्राष्ट्रीय कारण हुए जैसे, (१) पुनः शस्त्रीकरण कार्यक्रम को पूरा करने की अरधि बढ़ा दी गई, (२) अन्तर्राष्ट्रीय सामग्री-सम्मेलन के प्रय गो से कुछ दुर्लभ कच्चा माल अधिक मुलभ होता गया, (३) कुछ दुर्लभ वस्तुओं का सारे संसार में मिलाकर उत्पादन बढ़ा। इन सब कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार दीले पड़ गए जिसका

प्रभाव हमारे बाजारों पर भी पड़ा।

जहाँ एक ओर अन्तराष्ट्रीय कारणों से देश में कम गिर रही थीं वहाँ दूसरी ओर ठीक उसी समय भारत सरकार ने भी मूल्यों को स्थिर करने के लिए कुछ कदम उठाये तथा सरकार ने अग्नी-व्यापार नीति में कुछ परिवर्तन करके चीजाँ का अधिपत्तु सुलभ बना दिया और साथ ही उत्पादन बढ़ाने का भी प्रयत्न किया। देशी कारणों में मन्दी के निम्न कारण थे — (१) १९५१-५२ के संशोधित बजट में सरकार को भारी बचत, (२) विदेशी व्यापार के भुगतान में असंतुलन और भारी माना में अन्न का आयात, (३) नवम्बर १९५१ में बैंक-दर में वृद्धि, (४) आगाही फसल के अनुकूल समाचार, और (५) किसी किसी राज्य में वस्तुओं के अन्तराष्ट्रीय आयागमन की सुविधाएँ।

प्रश्न यह है कि क्या इस मन्दी से कुछ लाभ हुआ ? असल बात तो यह है कि हम सभी मूल्यों के चढ़ाव से परेशान थे और उन्हें कम करने की मनौती मनाते थे। वही सब कुछ हाँ गया। अन्न तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह मन्दी क्या रूप लेगी और कब तक रहेगी ? कुछ दिनों से वस्तुओं के भावों में कुछ तेजी आने लग गई है। आश्चर्यजनक तो इस बात की है कि इसे स्थायी बनाया जाय। इस व्यापक असाधारण मन्दी के कारण यदि किसी प्रकार अन्न के भाव भी कम हो जाते तो असंतुलन अद्विज रहता, क्योंकि हमारी वही सबसे मूल वस्तु है। अन्न के भावों में मन्दी के बिना ऐसी भी मन्दी अधूरी ही रहेगी।

---

## ४६—वाणिज्य शिक्षण—मूल समस्या

आज हमारे जो नवयुवक स्कूलों व कालेजों से वाणिज्य शिक्षा ग्रहण करने निकलते हैं उनका यही उद्देश्य रहना है कि कहीं पर कार्यालय में जूकें हो जाए या कहीं बैंक अथवा बीमा कम्पनी में लेखाराल बन जाए। वे १०० रुपये और कभी-कभी इससे भी कम राशि के वेतन में अपने जीवन को दूसरों के हाथ बेच डालने में बिल्कुल नहीं हिचकते जबकि उनके बी. कॉम. और एम. कॉम. पास करने का उद्देश्य यह होना चाहिये कि वे वाणिज्य-शास्त्री एवं वाणिज्य-विशारद बनकर स्वयं देश के बड़े व्यापारों से और शामलों और सामान्य जनता को भी मार्ग प्रदर्शन करेंगे। परन्तु ऐसा नहीं होता। आज कितने ऐसे बी. कॉम. और एम. कॉम. हैं जो अपना निज का व्यापार करने में समर्थ हो सके हैं? उत्तर मिलता है 'कोई नहीं'; और यदि हैं भी तो केवल एक-दो। दूसरी ओर देखा जाय तो शान होगा कि देश का सारा व्यापार उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने वाणिज्य का साधारण शिक्षा भी किसी स्कूल में नहीं ली है और वे अपने काम में फिर भी सफल हो सके हैं। प्रश्न यह है कि यह कठिनाई हमारे उन नवयुवकों के सामने उपस्थित ही क्यों हुई कि वे उचित शिक्षा प्राप्त करने पर भी श्रयोग्य ही रहे। यह तो हास्य ही नहीं बरन् एक बड़ी विडम्बना व वैपश्य-सा प्रतीत होता है। पड़े-लिखे लोग देश की वाणिज्य उन्नति में हाथ नहीं बँटा रहे—इसका अर्थ तो यही है कि वाणिज्य शिक्षण में कुछ दोष है और वह उनको अभीष्ट उद्देश्य का प्राप्ति के लिए योग्य नहीं बना पाता। समस्या बड़ी मूल है और विचारणीय भी।

वास्तव में यदि सच पूछा जाय तो वाणिज्य की शिक्षा-प्रणाली ठीक नहीं है। विद्यार्थी के मरिहक पर एक बोझा-सा ढालने की चेष्टा की जाती है। उसे भली प्रकार बात समझने के साधन उपस्थित नहीं किए जाते, गहराई की बातों को तो वे केवल रट लेते हैं और वह भी परीक्षा में उनीय होने के लोभ से। वाणिज्य की व्यावहारिक शिक्षा देने का हमारे देश में कोई

प्रबन्ध नहीं है। हमारे यहाँ वाणिज्य शिक्षा का पाठ्यक्रम अरैमानिक एवं अपूर्ण है। जो कुछ भा टूटा पड़ा एवं अस्वाभाविक रूप हमें विदेशियों ने दिया हमने समझा कि वही स्वर्ण है और हमारे योग्य है। उसी को अपना लिया। क्या हमारे देश की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, एवं रीति-रिवाजों पर विदेशी गारूप्य प्रणालियों घटित हो ही जाएँगी? इस प्रश्न को अभी नहीं सोना। हमारे यहाँ क्या क्या पैदा होता है और क्या क्या व्यापार भूत प्रसार बढ़ाया जा सकता है और हमें क्या करना चाहिए? ये सब बातें तो हमारे दृष्टिकोण में बाहर की वस्तुएँ रही हैं।

वाणिज्य शिक्षा का माध्यम प्रथम तब अंग्रेजी ही रहा जिम्मे हमारे नए युवकों का उससे तत्त्वज्ञान का समझने में कठिनाई ही बनी रही। यदि स्वदेशी भाषा में वाणिज्य शिक्षा का कार्य किया जाये तो किन्हीं आसानी हो और वाणिज्य, जो नीरस विषय बना हुआ है, सरस हो जाये और साथ ही साथ देश की शक्ति एवं मन्य की पूर्ण मितव्ययिता हो। हमारे आहत वर्ग को अबतक देश की सरकार का कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था। सभी लोग पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे हुए थे। हिन्दी में तो व्यापारिक लेन-देन का काम होता ही नहीं था। हिन्दी में लेखा वर्ग करने वालों को १५ रुपये मासिक वेतन दिया जाता था। अब सभी लोग अंग्रेजी को अपनाने के प्रयत्न में रहते थे। इधर सरकार चाहती थी कि उन्में बृद्धि मिलते रहें। अब सरकार ने शिक्षा को ऐसा ही बना दिया। दिल्ली की सरकार स्वयं व्यापारी वर्ग थी। भारतीयों को व्यापारिक-लेन में उत्तम करते देख उन्हें ईर्ष्या होती थी। फलतः किमा प्रसार का प्रोत्साहन सरकार ने हमारे नवयुवकों को नहीं दिया। अपनी रम्य की आर्थिक हीनता, शैथिल्य, गृह प्रेम एवं अयोग्यता और दासत्व की भावना ने कारण कई नवयुवक तो निराश कर दिए जाये थे वे अब यह कह कर कि इन बेचारों से साधारण जोड़ना-घटाना भी नहीं आता। यदि वाणिज्य शिक्षा प्राप्त युवकों को थोड़ा भी प्रोत्साहन दिया गया होता तो वे आशातीत प्रगति करने में इतने पीछे नहीं रहते।

हमारे देश में अभी तक वाणिज्य शिक्षा का विज्ञान एवं ग्रन्थ विषयों की शिक्षा से कोई संबन्ध नहीं रहा है। वास्तविकता तो यह है कि वाणिज्य की

शिक्षा के साथ साथ हमें कई अन्य विषयों की उपेक्षा नहीं करना होगी। वह विषय हैं विज्ञान, ग्रेती, राजनीति एवं मनोविज्ञान और समाजशास्त्र एवं छोटे-से-छोटे व्यापारी का भी यह अनुभव है कि इन बातों का अत्यन्त एव अप्रत्यक्ष रूप में जानना आवश्यक पड़ता है, अन्यथा व्यापार में सफलता मिलना कठिन हो जाता है। अतएव हमारे वाणिज्य के विद्यार्थी यह किन्तु जानना ही नहीं है कि विज्ञान इत्यादि विषयों का वाणिज्य से क्या संबंध है। उक्त मनोविज्ञान भी वाणिज्य में कुछ सहायता कर सकता है। यही कारण है कि कई लोग उन्हें समुचित ज्ञान वाले एवं नीतिज्ञ ज्ञान वाले बनवाने हैं।

इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जहाँ अन्य उपाय जैसे सरकारी सहयोग की आवश्यकता है वहाँ वाणिज्य-शिक्षण-समस्या में सुधार करने की जरूरत है। तभी हमारे अध्यापक एवं विद्यार्थी हम योग्य हो पायेंगे कि वे मनोविक्षिप्त कार्य कर सकें। सबसे प्रथम तो वाणिज्य के विवेक शिक्षण ही आवश्यकता है। सरकार ऐसे शिक्षालयों का निर्माण करे जहाँ पर सब साधन आधुनिक वाणिज्य शिक्षा-संबंधी उपस्थित किये जायें। अनुभवी अध्यापक ही रकने जायें। यह भी ध्यान दिया जावे कि यहाँ अध्यापक ठीक कार्य कर सकते हैं जिनके अन्य कुछोबी जन पहले से ही व्यापार-जगत् में निपुण हैं और वे स्वयं व्यापार कर रहे हों। अच्छा हो कि वही विषय उनको पढ़ाने के लिए दिये जायें जिन विषयों के वे विशेषज्ञ हैं। इनकमटेक्स अफिसरी, बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों की मैनेजरी, लिमिटेड कंपनी की हाइब्रेडरी और सेक्रेटरी-गिरी एवं दूसी प्रकार प्रत्येक विषय के लिए ऐसे अध्यापक हों जो B. Com. और M. Com. की डिग्री रखने के अनिश्चित वाणिज्य संबंधी व्यक्तिगत अनुभव भी रखते हों। अच्छा हो कि वे व्यक्ति विदेशों की भाषा जिये हुए हों।

स्कूलों और कॉलेजों में जहाँ व्यापारिक शिक्षा दी जाती है वहाँ प्रत्येक सामान उपस्थित किया जावे। सरकारी भण्डार, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियाँ तथा अन्य छोटे-बड़े कारखानों में विद्यार्थी काम भीवते रहें और अन्य समय एवं परिश्रम बचाने के सहायक यंत्रों का प्रयोग भी सीखें। अध्यापक अपनी निगरानी में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ विद्यार्थियों को मताये और स्वयं उनकी वही कार्य करने की आज्ञा दे। विद्यार्थियों के हृदय में ऐसी भावना प्रत्येक दाय

होनी चाहिये कि उन्हें स्वयं आगे चलकर एक बड़ा व्यापारी बनना है। इस प्रकार कार्य करने के लिए सरकार का सहयोग आवश्यक है। अभी सरकार कार्य व्यस्त होने के कारण इधर ध्यान नहीं दे सकती तो फिर दा एक साल हमारे शिक्षा सस्थाओं के अधिकारी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, यदि उनमें एक परिवर्तन की भावना हो ता। अध्यापक यद्यपि आर्थिक दृष्टि से बड़े होन हैं किन्तु जा कुछ भी वे कर सकने हैं कर्तव्य परायण ढाकर दश की सेवा में हाथ बटाते रहें। हमारे देश के कई घनात्र्य सेठों ने इस कार्य में पहल स हा कुछ किया है और आशा है कि वे और अधिक सहयोग देते रहेंगे। शिक्षा-विभाग को चाहिये कि यह बड़े बड़े वाणिज्य शिक्षका का सहयोग और सम्मति लेकर कार्य को बढ़ावे और केवल उन्हीं कालिजों और स्कूलों को वाणिज्य शिक्षा-प्रसार की आज्ञा दे जो पूणत योग्य हों और जहाँ आवश्यक सामग्री और अध्यापक एव स्थान इत्यादि ठीक हों। कई सस्थाओं में किसी सामा तक इधर काय किया गया है किन्तु वह अपर्याप्त ही है अथवा अस्वाभाविक सा है।

एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि वाणिज्य शिक्षालय केवल-वहीं प्रस्थापित किय जावें जहाँ पर व्यापार होता हो, जैसे कानपुर, अहमदाबाद, बंबई, कलकत्ता इत्यादि। इससे विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने में आसानी होगी। बहुत-सा बातें तो वे स्वतः ही ज्ञात कर सकते हैं।

विद्यार्थियों को विशेष अध्ययन के लिए यथाशक्ति विदेशों में भजा जाय। सरकार एक शिक्षण सस्थाएँ व्यापारिक यात्रा एव पर्यटन की सुविधाएँ दें। कई-कई माह तक विद्यार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाए। इनके साथ में कार्य कुशल अध्यापक भी हो। साथ ही प्रत्येक कारखाने में मार्ग-दर्शक की भी नियुक्ति कारखाना के मालिक करें। ठहरने एव भोजन की भी व्यवस्था की जाये। शिक्षण सस्थाओं में चलचित्र प्रदर्शनों के द्वारा वाणिज्य सब ची बातों का ज्ञान कराया जाय। साथ ही साथ बड़े बड़े व्यापारियों और उद्योग-पतियों को आमंत्रित किया जावे कि वे आकर वाणिज्य के विद्यार्थियों का व्याख्यान दें और अपने अनुभवों पर प्रकाश डालें।

स्कूल और कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् विद्यार्थियों को व्यापारिक सस्थाओं में व्यापारिक काम सीखने के लिए भेजा जाय। विश्वविद्यालय



अपने-अपने वाणिज्य-पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करके यह बात अवि-  
चार्य बना दें कि वाणिज्य की परीक्षा पास कर लेने पर भी डिग्री तक न  
दी जाय जबतक कि विद्यार्थी किसी निश्चित श्रेणी तक व्यापारिक रुग्णाओं में  
जाकर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त न करले । इसके साथ-साथ ही वाणिज्य शिक्षा  
का काम हिन्दी भाषा के माध्यम द्वारा किया जाय । अध्यापकों को चाहिए कि  
वे भरसक प्रयत्न करके अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी को भी अपनायें । वाणिज्य  
मन्त्रालयी पुस्तकें हिन्दी में लिखी जाएँ । अंग्रेजी पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद भी किया  
जाय परन्तु अनुवाद उन्हीं लोगों में कराया जाय जो भाषा के साथ-साथ इस  
विषय को भी भली भाँति जानने हों । प्रायः देखा जाता है कि आजकल वाणिज्य  
की हिन्दी-पुस्तकों की बाढ़ भी आ रही है । परन्तु उनमें से अधिकांश  
बेदुस्ती और अपूर्ण हैं । साधारणतः पुस्तकों का अनुवाद मात्र आ रहा है और  
यह भी उन व्यक्तियों द्वारा जो स्वयं अनुवाद करना तो जानते हैं परन्तु उम  
विषय से बिलकुल अनभिज्ञ हैं । फलतः यदि भाषा ठीक होती है तो विषय का  
अर्थ उलटा गुलटा होता है । इससे लाभ की अपेक्षा हानि होती है ।  
अनुवाद उन्हीं लोगों में कराया जाय जो हिन्दी भाषा भी जानने हैं, और साथ-साथ  
विषय का भी गम्भीर ज्ञान रखने हों जिसमें भाषा और भाषा में ताल-मेल बना  
रहे । इसमें विश्वविद्यालयों को आगे बढ़कर काम करना चाहिए । आजकल  
सबसे बड़ी कठिनाई हिन्दी शब्द-कोष की है । इसके लिए सरकार एक काम  
करे । एक विशेषज्ञ-समिति बनाकर शब्द-कोष निर्धारित करे और वही कोष  
पुस्तक लिखने व पठन-पाठन में काम आवे । यद्यपि सरकार ने समिति बनाई है  
परन्तु अभी तक कोई ठोस काम नहीं हुआ है । इस विषय में पुस्तक प्रकाशकों  
को भी चाहिए कि वे भाषा और भाषा में मेल रखते हुई पुस्तकों का ही प्रका-  
शन करें और प्रकाशित करने में पहले विशेषज्ञों की अनुमति ले लें । इस प्रकार  
केवल उत्तम कौटि की पुस्तक का प्रकाशन होगा ।

हमारी वाणिज्य शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए । जो बुद्ध भोपटा  
जाये, लिखा जाये, सब देश का व्यापारिक उपार्थ के नाते किया जाये । हमारे  
निज का स्वार्थ, एवं विदेशी चरित्र दूर ही रखा जाये । विदेशी मन्त्रों का

अध्ययन हमारा उद्देश्य नहीं बन सकता वह तो एक मार्ग-प्रदर्शक बन कर एक साधन का कार्य कर सकता है। यह भी ध्यान रखना है कि विदेशी सिद्धान्तों में हमें कितनी काट छोट करनी है कि वह सिद्धांत हमारे देश की जलवायु, सामाजिक स्थिति, आर्थिक दशाएँ राजनैतिक वातावरण में ठीक प्रकार से घटित हो सके अन्यथा एक प्रकार की उलझन सी पड़ी रहती है और लोग सफलता नहीं पा सकते। कई विचारधाराओं में आनन्द जल साम्यवाद एवं समाजवाद इत्यादि के गुण गाय जा रहे हैं। हमें यह जान ही नहीं है कि वास्तव में ये विचार हमारे देश के योग्य हैं या नहीं। हमारे जो विद्यार्थी वाणिज्य की शिक्षा प्राप्त करते हैं वह भी उलझन में पड़ जाते हैं और जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। प्रत्येक बात में हमें 'सांख्यिकी' (Statistics) का सहारा दे देना पड़ेगा।

वाणिज्य के विद्यार्थियों का विज्ञान, दृष्टि एवं राजनीति और मनोविज्ञान का भी साधारण ज्ञान रखना होगा। कानिजा एवं स्कूलों, विषयों के विभागों, अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं में निकट का सम्पर्क स्थापित होना चाहिये। बड़े शहरों की बात है कि कहीं नहीं पर तो वाणिज्य के विद्यार्थी विज्ञान के अध्यापकों को भी नहीं जान पाते हैं। आज के संसार में हमें सभी प्रकार की योग्यता का एक निगाह में रखना होगा। हम अपनी रिचवड़ी अलग पका ही नहीं सकते। किसी भी कार्य को क्या न करें हमें दूसरों का सहारा लेना ही पड़ेगा। यदि हम एक बड़ा कारखाना चालें तो हमें इंजीनियर, विज्ञान वेत्ता, विधान वेत्ता, राजनीतिज्ञ एवं सभी अन्य प्रकार के जातारों से भी परामर्श करना होगा। आज का व्यापार किसी एक कोठरी में बन्द किया ही नहीं जा सकता है। आज का एक बड़ा व्यापारी राजनीतिज्ञ एवं विज्ञान वेत्ता भी है।

उपरोक्त विचारों से हमारा यह अर्थ कदापि नहीं की सभी वाणिज्य के विद्यार्थी व्यापारी ही बन जाएँ और कोई भी वैतनिक रूप से कार्यालयों में एवं कॉलेजों में काम न करें। वास्तव में अध्यापक एवं कर्तव्य भी तो आवश्यक हैं। सच बात तो यह है कि देश के व्यक्तियों की शक्ति का पूर्ण लाभ उठाया जाये। उनको मनोविज्ञान की सहायता से देखा जाये कि प्रमुख व्यक्ति किस कार्य के

योग्य है और फिर वही कार्य उसे दिया जाने किन्तु उस कार्य को करने की उस व्यक्ति में पूर्ण क्षमता आ जानी चाहिये। उसका शिक्षण ठीक प्रकार से किया जाये। वाणिज्य के जो विद्यार्थी ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण न कर सकें वह कार्यालयों में कार्य करने के लिए जा सकते हैं। किन्तु आज स्थायी व्यापारिक उन्नति के लिए देश को शिक्षित M. Com और B. Com की आवश्यकता है। यदि सभी कुर्क होते रहेंगे तो देश का व्यापार कुछ लोगों के हाथ में रहेगा और वह भी अयोग्य रूप में। साथ में देश की शिक्षा का हास होगा। यह एक वाणिज्य-शास्त्री के साथ शुभ नहीं मालूम होता कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर भी एक साधारण कार्य के लिए अपना जीवन बिता दे। देश के शिक्षा-शास्त्रियों तथा अन्य नेताओं को इस ओर ध्यान देने का आवश्यकता है। वाणिज्य शिक्षा-सुधार की समस्या यही मूल समस्या है इसे हल करने से देश के आर्थिक जीवन का एक पहलू उन्नत होगा।

## ५०—अर्थ-वाणिज्य की व्यावहारिक-शिक्षा

“यदि इंजीनियरिंग विभाग के स्नातकों को व्यावसायिक प्रशासन और औद्योगिक सम्बन्धा के विषय में कोई तैयारी नहीं होती तो इससे विपरीत वाणिज्य के स्नातक प्रयोगात्मक शिक्षण से बिल्कुल कारे है।”

—राधाकृष्णन् कमेटी

आज शिक्षा का रंगीन उपवन अनेक विद्या के वृक्षों से सजा हुआ है जो असंख्य विषय की शाखाओं से लदे हुए हैं। प्रत्येक शिक्षक, शिक्षित व शिक्षार्थी को इनसे नई सौरभ व नूतन प्रेरणा मिलती है जिसका समाज और राष्ट्र के लिए असाधारण महत्व है। यदि कला व विज्ञान इस उपवन के वृक्ष हैं तो साहित्य, राजनीति, इतिहास, दर्शनशास्त्र (Philosophy), रसायन शास्त्र (Chemistry), भौतिक शास्त्र (Physics), उद्भित शास्त्र (Biology), आदि सरलता से इनकी शाखाएँ कही जा सकती हैं। विश्व निर्माण व आरम्भ से ही वाणिज्य (Commerce) भी किसी न किसी रूप में ऐसा ही एक विद्यावृक्ष रहा है जिस पर लेखा ज्ञान (Accountancy), व्यावहारिक अर्थशास्त्र (Practical Economics), मुद्राशास्त्र, व्यापार पद्धति (Business Methods) व अर्थशास्त्र (Statistics) आदि पैली हुई शाखाएँ आज भी समस्त संसार के औद्योगिक विकास व वैज्ञानिक प्रगति का कारण बनी हुई हैं।

वर्तमान युग में आई हुई विज्ञान के चमत्कारों की मयकर बाढ वास्तव में तो वाणिज्य के जटिल पहलुओं को ढीला करने के लिए आवश्यक हुई जिससे मानव-जाति का रहन सहन का स्तर ऊँचा करने में एक औद्योगिक क्रांति रुभव हो सके और भविष्य में हम इसके लिए सचेत रह सकें। प्रत्येक मनुष्य की यह प्रवण इच्छा है कि वह पिछले दिन से आज और आज से उल अधिन सुखी व समृद्धिशाली हो और अगले दिन उसको और भी अधिन लाभदायक व्यवसाय और उद्योग दिखाएँ। इसके लिए वाणिज्य मानव-समाज की शताब्दियों से सेवा करता आया है और आज भी इसका महत्व विज्ञान की आँधी में छिपाया

नहीं जा सकता। यदि ऐसा किया गया तो वह शिक्षा को अधूरा रख समाज और देश के लिए घातक सिद्ध होगा।

हृदय का विषय है कि देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों तथा विद्यालयों में कला, विज्ञान व वाणिज्य की शिक्षा दी जाती है जहाँ से हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके अपने भावी जीवन को एक सॉच में ढालने का झट्ट प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार कला व विज्ञान के छात्र आने वाले राजनीतिज्ञ, साहित्यकार, कवि, इंजीनियर, डाक्टर व वैज्ञानिक बनेंगे उन्हीं प्रकार वाणिज्य के छात्र भी भावी उद्योगपति, अर्थशास्त्री, व्यवसायी व निपुण कार्यकर्त्ता बनेंगे। कला व विज्ञान को छोड़िये, वाणिज्य का प्रसाद ही देश को फिर 'सोने की चिड़िया' बना सकता है। इसलिए वाणिज्य शिक्षा का स्तर उच्च तथा साधन अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए।

इतनी आवश्यकता होते हुए भी भारत में वाणिज्य-विद्या की उन्नति और उसके विकास पर पूरा-पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परिणाम यह हुआ कि यहाँ के विद्यार्थी पुस्तकों में सब बातों का ठीक तरह से अध्ययन कर लेने पर भी वास्तविक जीवन क्षेत्र में इन्हीं विषयों में घुरी तरह असफल रहते हैं। इसका कारण यह है कि आधुनिक वाणिज्य-शिक्षा जो सन्तुलन व्यवहार और प्रयोग रूप में होनी चाहिए केवल किताब रूप में ही सीमित रह जाती है। हमें आज वाणिज्य शिक्षा में ऐसी प्रगतिशील, व्यावहारिक व प्रयोगात्मक बातों को जन्म देना है जिससे विद्यार्थी केवल किताबों तक ही सीमित न रह कर प्रयोगात्मक व व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकें। यदि ऐसा हो सका तो वर्तमान वाणिज्य विश्वविद्यालय संचालक अथवा ही भावी इतिहासकार के धन्यवाद के पात्र होंगे। वाणिज्य-शिक्षा से यदि राष्ट्र की उन्नति में योग देना है तो इसे व्यावहारिक बनाने के लिए निम्न सुझावों की अपेक्षा करना हितकर न होगा :—

**वाणिज्य-संस्थालय :—**

रसायन शास्त्र ( Chemistry ) के विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशालाएँ ( Laboratories ) बनायी जाती हैं। उद्भिन् शास्त्र ( Biology ) के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में बड़े-बड़े संग्रहालय ( Museums ) बनाये जाने हैं जहाँ जीवित और निर्जीव दोनों प्रकार के

प्राणी देखने को मिनते हैं। वहाँ निर्जीव सर्प, चूहे, मछलियाँ, मटक, व अय प्रकार न उड़ने वाले जीवित पक्षियों का भी होना कोई असाधारण बात नहीं। विद्याया जो बाँते पुस्तका में पढते हैं उनका स्वरूप भी उन्हीं देखने को मिनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उद्भित शास्त्र का छान मदन को कभी मछला नहीं बता सजता। परन्तु राय की कमी का न छिपाते हुए हमें निलना पड़ता है कि हमारे वाणिज्य के किसी भी छान के लिए Rotary Duplicator Machine को Rotary Copies बताना कोई बड़ी बात नहीं। वाणिज्य के अनेक विद्यार्थी चाहे बी पी पी के बार में जानते हों परन्तु डाक खाने जाकर बी पी पी. नहीं करा सकते। मनीश्रार्डर द्वारा खपया भेजने में उन्हीं पोस्ट मास्टर की सहायता लेनी पड़ती है। डाकखाने में बचत लेखा (Savings Bank Account) खोलना, उसमें से खपया निकालना व लेखा बन्द करना तो अधिकांश विद्यार्थियों से आता ही नहीं। कक्षालयों में कैश बुक (Cash Book) पर काम करते हैं परन्तु बैंक की Cash Book देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। इस अभाव का दोष छान पर नहीं थोपा जा सजता। इस दोष और कमी न लिए तो हमारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ही उत्तरदायी हैं, जहाँ पुनक पढाने का प्रबन्ध तो किया जाता है परन्तु प्रयोगात्मक शिक्षा देने की और विस्तुल ध्यान नहीं दिया जाता। इस उत्तरदायित्व का भार चुकाने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय व विश्वविद्यालय को वाणिज्य विद्या से सम्बन्धित सग्रहालयों का शीघ्रातिशय प्रबन्ध करना चाहिए। सग्रहालय में ऐसे साधन उपलब्ध हा जिससे विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप में यह देख सकें कि पुस्तक में अध्ययन किये गये कागज पुर्जों (Documents and Instruments) का वास्तविक रूप कैसा होता है और उनका प्रयोग कैसा किया जाता है। बैंक के नाम चैक काटना, बिल निलना, ग्राहक को जमा-नोट व नाम नोट भेजना, भिन्न भिन्न प्रकार की फाइलों (Files) का रूप और उनका प्रयोग आदि बातें आकर्षक विधि में बताई जा सकती हैं। यदि इस कार्य को करने के लिए वाणिज्य-विभागा के अध्यक्ष और महाविद्यालयों के आचार्य आज ही व्रत ले लें तो वाणिज्य के विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर से व्यापारिक ज्ञान का अभाव का काला टीका जल्दी ही मिट सकता है और तब वे व्यापार पद्धति में बड़े बड़े

उपयोगी अन्वेषण कर राष्ट्र की भलाई भी कर सकेंगे ।

बैंक की प्रयोगात्मक-शिक्षा :—

चारों ओर फैली हुई बेकारी के बाजार में विद्यार्थी से सीधा बैंक व्यवस्थापक बनना कौन नहीं चाहता ? यदि ऐसा सफलता की कुंजी थोड़े प्रयत्न व परिश्रम से मिल जाय तो आज विज्ञान के युग में वाणिज्य का महान् सन्तुलन यौगुना हो सकता है । इस स्वप्न को साकार करने के लिए हमें कालिजों में ही योग्य शिक्षकों के संरक्षण में छोटे छोटे बैंक आरम्भ कर देने चाहिएँ, जिनमें वहाँ के विद्यार्थी ही अपने खाली समय में चलक, अकक व व्यवस्थापक बनकर काम करें । इस प्रयत्न की सफलता के लिए यह देगना आवश्यक होगा कि सब अधिकारी वर्ग, शिक्षक और विद्यार्थी अपना अपना रुपया उमी बैंक में जमा करावें । कालिज भी इस बैंक में कुछ जमा करे तथा कालिज के वार्षिक बजट की राशि के सुरक्षित रखने का आधिकार भी इसी बैंक को प्राप्त हो । यदि पूर्ण सहयोग के साथ कार्य किया जाय तो यह बैंक कालिज के गन्दराग में खलाई जाने वाली अन्य सहकारी-संस्थाओं की प्रणु देकर व बैंक प्रणाली के अनुसार अन्य साधनों का विदोहन कर, रुपया जमा करने वालों को पर्याप्त व्याज भी देकर बचे हुए लाभ को विद्यार्थियों में छात्रवृत्ति के रूप में बाँट कर उनकी सहायता कर सकती है । इस योजना के अनुसार यदि बैंक प्रणाली को प्रोत्साहन देकर स्वयं के हित व स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अध्ययन काल में ही एक विद्यार्थी बैंक-व्यवस्थापक हो सके तो अधिकारी वर्ग के लिए सन्तुलन यह एक गर्व की बात होगी । हमसे सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि विद्यार्थी में उत्तरदायित्व की भावना आयेगी और वह व्यवस्था करने की क्रियाओं में दक्ष होने लगेगा जिसकी आवश्यकता इंग्लैंड में उच्च शैक्षणिक शिक्षा के लिए स्थापित 'पर्सो कमिटी' ( Percy Committee ) की राय से स्पष्ट है:—

“अपने अनेक गवाहों की इस राय से हम प्रभावित हुए हैं कि उच्च कोटि का शिक्षित प्रायः शैक्षणिक संगठन व व्यवस्था के सिद्धांतों से अनभिज्ञ होता है और उसका प्रशासन का उत्तरदायित्व ग्रहण करने की श्रम भुगतान नहीं होता है । इसमें संदेह नहीं कि इस क्षेत्र में अनुभव से बहुत सराने से होता है परन्तु थोड़ा-सा ज्ञान इस प्रकार का भी है जिससे इस प्रकार की शिक्षा मिल

सकती है। इसलिए विश्वविद्यालय में औद्योगिक व व्यावसायिक प्रशासन सम्बन्धी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए।”

कालिजा में प्रस्तावित बैंक व अन्य सहकारी संस्थाओं का खोजना हम उद्देश्य की ओर पहला कदम होगा। कुछ महाविद्यालयों में ये योजनाएँ सफलता के साथ कार्य कर रही हैं। परन्तु प्रत्येक वाणिज्य विद्यालय में ऐसी योजना अनिवार्य होना आवश्यक है।

**अध्यव्यवसायी देशाटन —**

देशाटन का महत्व तो सभी मानते हैं। परन्तु वाणिज्य शिक्षा में अध्ययन की सत्यता खोजने के लिए वाणिज्य यात्रा ( Commercial Tours ) करना ज्ञान को प्रगति देता है। देश के उद्योगों व उद्योगशालाओं, व्यवसायों व व्यवसायियों तथा अन्य असाधारण व्यक्तियों व विचार, बेशुभूषण व कार्य प्रणाली के संपर्क में आने व कुछ सीखने का अच्छा अवसर वाद्य स्थानों के भ्रमण से ही सम्भव है। देश की वस्त्र, जूट, चीनी व अन्य उद्योगशालाओं की सर्वांगरूपेण देखकर विद्यार्थी से सम्बन्धित विद्यार्थी अथवा कुछ नयी योजनाएँ बनाकर अपने अमूल्य सुझाव सर्वसाधारण तक पहुँचा सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार की व्यापार पद्धति की प्रयोगशालाओं का निष्पन्न अध्ययन कर एक अध्यव्यवसायी छात्र अपने नये दृष्टिकोण को जनता के विचाराधीन रख सकता है। इसलिए विद्यार्थियों को दल व टोलियों में आर्थिक सहायता देकर भ्रमण के लिए प्रतिवर्ष भेजना चाहिए। इससे उनका दृष्टिकोण भी विलुप्त होगा। विदेशों के शिक्षा-अधिकारी इस ओर अत्यन्त उत्साह दिखा रहे हैं। विश्वास है हमारे आचार्य भी इस पहलू को परिपक्व बना कर ही चैन लेंगे।

**अवकाश में विकास —**

विद्या को व्यावहारिक व बहुमुखी बनाने के लिए शिक्षक को ताक में रख केवल विद्यार्थी का ही विकास करना एक हाथ से ताली बजाना होगा। विद्यार्थी में हर प्रकार की नई सूझ, नवीन श्रुति व नया जोश भरने का भरसक प्रयत्न करने पर भी वह अधूरा ही रहेगा यदि उसके शिक्षक में ये सब गुण विद्यमान न हों। यदि निर्देशक ही नाटक की शारीरिकी से अपरिचित है तो नाटक सजाने



बानों का ज्ञान अपूरा रहना बड़ा स्वाभाविक है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हमारे प्रोफेसर महोदय भी, जहाँ तक संभव हो, प्रत्येक नई उपयोगी विचारधारा, पुस्तक व प्रणाली से भली भाँति परिचित रहें। उन्हें कालिज में पढ़ाने के लिए कामचलाऊ परिभ्रम में ही मंतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये। ऐसे प्रतिदिन के परिभ्रम से अथकाश पाकर उन्हें टोस व नवीनतम बातें जानने के लिए अपने कालिज से बाहर देश के किन्हीं बड़े पुस्तकालयों व प्रयोगशालाओं में अध्ययन कर अपनी बुद्धि का विकास करना नितान्त आवश्यक है। जिस प्रकार चाकू या तलवार की धार को हमें समय-समय पर तेज करना पड़ता है ठीक उसी प्रकार हमारे प्रोफेसरों के अध्ययन को पूर्ण व तेज रखना पड़ेगा। इसलिए कालिज के अधिकारियों को आवश्यक होगा कि वे प्रत्येक शिक्षक को निश्चित समय के पश्चात् एक वर्ष का अथकाश देकर अध्ययन के लिए भेजें। हमारा लक्ष्य ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना हो जिनमें विश्लेषण और गम्भीर चिन्तन के गुणों का विकास हो सके व जो वस्तुस्थिति का अध्ययन कर प्रभाव पूर्ण निर्णय कर सकें। इसके लिए हमारे शिक्षक यदि कक्षा में दिए जाने वाले भाषण की श्रद्धा अपनी ताजी जानकारी द्वारा किसी उद्योग व व्यापार सम्बन्धी तात्कालिक विषय पर विचार विमर्श करें तो अधिक उपादेय होगा।

इसी प्रकार की नई प्रणाली को जन्म देकर हम नए ढंग में विद्या, विद्यार्थी व शिक्षक तीनों की प्रगति व विकास में सच्चे सहायक बन सकेंगे। तभी हमारी अर्थ-वाणिज्य शिक्षा पूर्ण बन सकेगी अन्यथा हमारी नवीन औद्योगिक सभ्यता एकांगी रह जायगी; सामाजिक जीवन में एक विषमता उत्पन्न हो जायगी क्योंकि जिनकी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना है उन्हीं की जीवन की आर्थिक समस्याओं पर विचार वर मानवीय समस्या भी मुलभ्रामी है। आशा है विश्वविद्यालयों के कुनरति कोलेजों के आचार्य तथा अर्थ-वाणिज्य के शिक्षक इस समस्या के प्रति सचेत रहकर मुलभ्राने के प्रयत्न करेंगे।